स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

एमटीएनएल

34वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!

एम.टी.एन.एल

चौंतीसवीं
वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM

¼uojRu dEiuh½

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM dh ifjdYiuk

"दूरसंचार क्षेत्र में अग्रणी एकीकृत सेवा प्रदाता बनने के लिए उपभोक्ता संतुष्टि को लक्ष्य बनाकर महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करने के लिए संबंधित व्यवसाय के विविध क्षेत्रों में प्रवेश करना।"

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM dk fe'ku

"विश्वस्तरीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सेवाओं को किफायती दरों पर उपलब्ध कराने और सभी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करके बाजार में अग्रणी बने रहने के लिए प्रतिबद्ध।"

'kS;j/kkjdksa ds fy, egRoiw.kZ lwpuk

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों द्वारा कागज रहित अनुपालन को अनुमति देते हुए ''निगमित अभिशासन में हरित पहल'' शुरू की है और परिपत्रों को जारी कर स्पष्ट किया है कि शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना/दस्तावेज भेजने का कार्य केवल ई मेल द्वारा किया जाए। सरकार की इस हरित पहल का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सदस्य जिन्होंने अभी तक अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराएं हैं। जमाकर्ता (निक्षेपागार) के साथ इलेक्ट्रॉनिक धारण (होल्डिंग) के संबंध में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के पास अपनाई ई–मेल पंजीकृत कराएं।

fo"k; lph

		i"B la[;k
1.	निदेशक मंडल	04
2.	सांविधिक सूचना	04–05
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	06–27
4.	निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट	
	• परिशिष्ट I – सचिवालयी (सेक्रेटेरियल) लेखापरीक्षा रिपोर्ट	28–30
	• परिशिष्ट II – सूचीकरण विनियमन के अंतर्गत निगमित अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र	31
	• परिशिष्ट III – वार्षिक सचिवालयी अनुपालन रिपोर्ट	32–35
	• परिशिष्ट IV – सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सापेक्षताओं पर एमटीएनएल के उत्तर कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में अनुपालन प्रमाणपत्र और वार्षिक सचिवालयी अनुपालन रिपोर्ट	36
	• परिशिष्ट V – एमजीटी 9 (वार्षिक विवरणी से उद्धरण)	37–47
	• परिशिष्ट VI – निगमित अभिशासन रिपोर्ट	48–72
	• परिशिष्ट VII – व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट	73–81
	• परिशिष्ट VIII –प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमटीएनएल की उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति)	82–92
5.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	93–117
6.	वार्षिक लेखे (तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा, समेकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखे एवं नकदी प्रवाह विवरण)	118–287
7.	निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट–निदेशकों की 2019–20 की रिपोर्ट का अनुशेष सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर	288–302
8.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां तथा निदेशकों की 2019–20 की रिपोर्ट के परिशिष्ट	303–312
9.	सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं का विवरण (एओसी–1)	313–315
10.	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड– निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन–पत्र, नकदी प्रवाह विवरण।	316–359
11.	महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड– लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तुलन–पत्र	366–399

fun'kd eMy
¼31-07-2020 dks½

श्री पी. के. पुरवार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री सुनील कुमार	निदेशक मानव संसाधन एवं उद्यम व्यवसाय
श्री मिलिंद विजय जोशी	निदेशक (वित्त) (30.09.2020 तक)
श्री संजीव कुमार	निदेशक (तकनीकी)
श्री नवनीत गुप्ता	निदेशक सरकारी निदेशक
श्री महमूद अहमद	निदेशक सरकारी निदेशक (26.11.2020 तक)
श्री चिन्मय बासु	स्वतंत्र निदेशक (25.10.2020 तक)
श्री के. बी. गोकुलचंद्रन	स्वतंत्र निदेशक (25.10.2020 तक)
श्रीमती जी0 पद्मजा रेड्डी	स्वतंत्र निदेशक (25.10.2020 तक)
श्रीमती सुनीता त्रिवेदी	स्वतंत्र निदेशक (25.10.2020 तक)
श्री एस. के. गुप्ता	निदेशक (वित्त) (21.10.2020 से)
श्री अमिताभ रंजन सिन्हा	सरकारी निदेशक (26.11.2020 से)

dEiuh lfpo	,l-vkj- L;ky
iathd`r ,o fuxfer dk;kZy;	महानगर दूरसंचार सदन, पांचवीं मंजिल, 9, केंद्रीय कार्यालय परिसर (सीजीओ) कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 टेलीफोन : 011–24319020, फैक्सः 011–24324243 सीआईएन एल32101डीएल1986जीओआई1023501 वेबसाइट : www.mtnl.net.in/www.bol.net.in
lkafofèkd ys[kkijh{kd	eSllZ dqekj fot; xqIrk ,.M daiuh] lunh ys[kkdkj 408, नई दिल्ली हाउस, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 फोन : 011–23314525 / 26, 45562649 eSllZ foukn dqekj ,.M ,lkfl,V~l] lunh ys[kkdkj 4696, बृज भवन, 21ए, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002 फोनः 011–23288101
ykxr ys[kkijh{kd	eSllZ vkj- ,e- cqly ,.M daiuh] ykxr ys[kkdkj फ्लैट नं.–260, पॉकेट–ए, सरिता विहार, नई दिल्ली–110076 फोन : 09415134328
lfpoky;h ys[kkijh{kd	eSllZ vkj-ih- lgxy ,.M ,lkfl,V~l] daiuh lfpo ए–2304, आर.जी. कॉम्पलैक्स, कम्यूनिटी सेंटर, मोतिया खान, डी.बी.जी. रोड, पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के सामने, नई दिल्ली–110055 फोनः 011–43564836 / 9810126612

cldj

cldj	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/मुंबई, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, नई दिल्ली/मुंबई, पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली/मुंबई, आईसीआईसीआई बैंक, नई दिल्ली/मुंबई, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली, सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई/दिल्ली, बैंक ऑफ बड़ौदा, नई दिल्ली/मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली/मुंबई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, इंडियन बैंक, नई दिल्ली, एक्सिस बैंक, नई दिल्ली/मुंबई, सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली, कॉरपोरेशन बैंक, नई दिल्ली, पंजाब एवं सिंध बैंक, नई दिल्ली, यस बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली, इंडसइंड बैंक, मुंबई, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, एचडीएफसी बैंक, नई दिल्ली, यूको बैंक

ithj;d ,o vrj.k ,tsV	ell chVy Qkbuf'k;y ,M dI;Vj lfoll t ¼Ikk-½ fyfeVM तीसरी मंजिल, बीटल हाउस, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा हरसुखदास मंदिर, नई दिल्ली –110062 फोन नं.: 011–29961281–82, फैक्स : 011–29961284 ई–मेलः beetal@beetalfinancial.com, beetalrta@gmail.com वेबसाइटः www.beetalfinancial.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000000262
b&okfVx ,tslh	सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्यूरिटीस् लिमिटेड (सीडीएसएल) ई–मेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com
lohk{kd	ell ger dekj flg ,M ,lkfl,Vl] diuh lfpo ई–मेल : hemantsinghcs@gmail.com
fuos'kd lgk;rk MLd	फोन : 011.24317225, फैक्स : 011–24316655 ई–मेल : mtnlcsco@gmail.com

egkuxj VsyhQku fuxe fyfeVM के सदस्यों 34वीं वार्षिक आम सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओवीएएम) के माध्यम से वृहस्पितिवार, 31 दिसंबर, 2020 को पूर्वाहान 11.30 बजे आयोजित की जाएगी।
okf"kd fjiksV www.mtnl.net.in vkj LVkd ,Dlpt dh osclkbV ij Hkh miyCèk gA

'k;j/kkjdk ls vihy

lHkh 'k;j/kkjdk ls fuonu gs fd ftUgkus viuk b&ey dk iath tek ugh djok, g] o fuEukuq lkj] **mtnlcsco@gmail.com / beetalrta@gmail.com** *ij viuk ist Hkt n%*

uke %

Qkfy;k u %

Mhih vkbMh@xkgd vkbMh %

b&ey vkbMh %

'k;jk dh l[;k %

funs'kdksa dh fjiksVZ

सेवा में

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

के सभी शेयरधारक

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु आपकी कंपनी की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं वित्तीय विविरणों पर पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर रहे हैं।

foÙkh; o"kZ 2019&20 ds fy, ,eVh,u,y dh fu"iknu leh{kk

1- ekSckby usVodZ

ए. दूरसंचार विभाग ने अपने दिनांक 29 अक्तूबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं:30–40/2019–पीएसयू अफेयर के माध्यम से सूचित किया है कि भारत सरकार ने दिनांक 23.10.2019 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के द्वारा कर्मचारी लागत को कम करके, 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आबंटन, राष्ट्रिक गारंटी बांण्ड जारी करके कर्ज की पुनर्रचना, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण और बीएसएनएल और एमटीएनएल के सैद्धांतिक रूप में विलयन के द्वारा एमटीएनएल और बीएसएनएल के पुनरुत्थान हेतु दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

¼,½ fnYyh vkSj eqacbZ esa 4 th lsokvksa dk vkjEHk

दूरसंचार विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम का आबंटन किया जाना है। दिल्ली और मुंबई में 4जी सेवाओं को शुरू करने के संबंध में, 4जी सेवाओं को शीघ्रतम आरंभ करने के श्रेष्ठ संभव विकल्प की संभावना को खोजने के लिए बीएसएनएल के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा और विचार–विमर्श किया गया। बीएसएनएल की प्रस्तावित निविदा में एमटीएनएल की मात्रा जोड़ने पर सहमति बनी। तदनुसार अनेक बार चर्चा करने के बाद एमटीएनएल ने अपनी आवश्यकताओं की सूची (एसओआर) को बीएसएनएल के साथ उनके फेज ix टेंडर की मदों में सम्मिलित करने के लिए साझा किया है, जिससे कि एमटीएनएल के लिए भी प्रतियोगी दरें प्राप्त की जा सके। वित्तीय दबावों के कारण कम साइट्स के साथ 7000(दिल्ली 4000 और मुंबई 3000) केवल रेडियों एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) के लिए एसओआर, बीएसएनएल को भेजा गया है। रेडियों एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) का अनुमानित मूल्य रु. 877 करोड़ है, इस संबंध में बीएसएनएल द्वारा 23 मार्च 2020 को निविदा मंगाई गई।

बी. निम्नलिखित मुख्य परियोजनाओं के साथ एमटीएनएल के दिल्ली और मुंबई में वायरलैस नेटवर्क के सुधार का कार्य शुरू किया है ताकि 21.1 एमबीपीएस की कवरेज एवं डाउनलिंक गति और 5.76 एमबीपीएस की अपलिंक गति को सुधारा जाए जो पहले क्रमशः 3.6 एमबीपीएस और 384 केबीपीएस थी। :

I- fnYyh esa 3 th dk foLrkj vkSj mUu;u

3 जी के 1080 साइट और 800 हाइब्रीड माइक्रोवेव को जोड़कर बैकहॉल क्षमता और डाटा हैंडलिंग क्षमता को 10 जीबीपीएस तक करने के लिए जीबीएसएम/3 जी आरएफ नेटवर्क का विस्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 720 पुराने नोड – बी का उन्नयन/पुनः स्थापन और 914 पुराने 8 एमबीपीएस माइक्रोवेव हॉपस् का 400 एमबीपीएस क्षमता के हाइब्रीड एम/डब्ल्यू में उन्नयन किया गया है।

II. e|cbl e: 3th mUu;u%

720 पुराने नोड–बीएस का उन्नयन और 497 पुराने 8 एमबीपीएस माइक्रोवेव हॉपस् का 400 एमबीपीएस क्षमता के हाइब्रीड एम/डब्ल्यू में उन्नयन/पुनःस्थापन किया गया है। डाउनलोड लिंक और अपलिंक पर 3.6 एमबीपीएस से 21 एमबीपीएस तथा 384 केबीपीएस से 5.76 एमबीपीएस डाटा गति बढाने के लिए एचएसपीए का 3 जी अपग्रेड कार्यान्वयन पूर्ण हो गया है।

III- fnYyh vkj e|cbl d: dkj uVodl dh ,d:irk ¼dkotsl½%

एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई के 3जी नेटवर्क के सामान्य कोर के लिए शुरुआत की है। मुंबई नेटवर्क के मुख्य घटकों को दिल्ली से बदलकर दिल्ली और मुंबई के कोर नेटवर्क को एकरूप किया गया है। इसके परिणामस्वरूप रु. 96 करोड़ की प्रचालन व्यय की बचत हुई जिनसे एएमसी लागत तथा स्टाफ लागत की मद में वार्षिक आधार पर प्रचालन व्यय कम करने में मदद होगी। इस एकरूपता से संसाधन उपयोग और नेटवर्क की विश्वसनीयता में महत्वपूर्ण सुधार होंगे। इस कन्वर्जेंस से मुंबई नेटवर्क दिल्ली के अपग्रेडेड कोर नेटवर्क के लाभों का उपयोग करने योग्य भी होगा।

2- ok;jykbu uVod%

,- ,eih,y,l uVodl dk mPphdj.k% एमटीएनएल पूरे एमपीएलएस नेटवर्क का उच्चीकरण करने की योजना बना रहा है, तथा इसे एफटीटीएच और 4जी नेटवर्क की बढ़ती ट्रैफिक जरूरतों से निपटने के लिए भविष्य हेतु तैयार कर रहा है।

ch- ,QVhVh,p jktLo Hkkxhnkjh uhfr% एमटीएनएल ने अपनी एफटीटीएक्स सेवाएं देने के लिए राजस्व सहभागिता आधार पर साझेदार जुटाने के लिए नीति तैयार करके उसे अंतिम रूप दिया तथा उसे कार्यान्वित किया। फाइबर पर उच्चगति ब्रांडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न साझेदार लाए गए। वर्ष 2019–20 में 80% से अधिक उपभोक्ता इन राजस्व सहभागिता साझेदारों द्वारा जोड़े गए।

lh- Mh,l,y,,e dks fQj ls yxk;k tkuk% दिल्ली तथा मुंबई में वर्तमान ब्रांडबैंड नेटवर्क के डीएसएलएएम को उपभोक्ता परिसर के निकट फिर से लगाकर कॉपर की लंबाई को कम किया गया तथा ब्रांडबैंड सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाया गया। 31 मार्च, 2020 तक दिल्ली में 242 तथा मुंबई में 203 डीएसएलएएम फिर से लगाए गए परिणामस्वरूप कॉपर की लंबाई कम की गई तथा ब्रॉडबैंड सेवा की गुणवत्ता बढ़ाई गई। इससे उपभोक्ता का अनुभव उन्नत हुआ तथा शिकायतों की संख्या में कमी आयी।

Mh- fiyj rFkk Mhih dh lkt&lTtk% सेवा की गुणवत्ता के मापदंडों (पैरामीटर) में सुधार के लिए पिलर तथा डीपी का नवीकरण चरणबद्ध ढंग से करने की योजना बनाई गई है। दिल्ली में 219 पिलर तथा 1906 डीपी तथा मुंबई में 1260 पिलर एवं 6455 डीपी का 2019–20 में नवीकरण किया गया।

bZ- Mªkiok;j cnyuk% कॉपर पेयर गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एमटीएनएल ने वर्ष 2019–20 में 13,37,110 मीटर वर्तमान ड्रॉपवायर को ट्विस्टेड ड्रॉपवायर से बदला है अथवा डीपी में खुले जोड़ों (जॉइंट्स) पर थर्मो स्लीव रखी है।

,Q- czkMcSaM dh xfr c<+kuk% उपभोक्ता के अनुभव में वृद्धि करने के लिए ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की गति साध्यता (फीजिबिलिटी) तथा लाइन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए बिना किसी अतिरिक्त लागत के 8 एमबीपीएस में बढ़ाई गई है।

3- ,eVh,u,y vkSj ch,l,u,y ds e/; uVodl dk ,dhdj.k &

श्रेष्ठ संभव तकनीकी समाधानों जिनका विवरण नीचे दिया गया है, को खोजने के लिए अनेक सहक्रिया/सिनर्जी/एकीकरण मदों की पहचान की गई और उन्हें बीएसएनल के साथ साझा किया गया :

,- vkbZVh flLVe vkj vk/kkfjd lajpuk & एमटीएनएल के पास बिलिंग के लिए विरासत में प्राप्त आई टी सिस्टम, सीआरएम प्रावधान, वित्तीय प्रबंधन, बीएसएस आदि है जबकि बीएसएनएल के पास नवीनतम आईटी सिस्टम हैं। आगे बीएसएनएल में बीएसएनएल प्लेटफार्म में फिक्स लाइन नेटवर्क के एकीकरण के लिए नए सी डी आर टेंडर के लिए सहमति बनी है और यह तीसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा इसलिए कोई समस्या नहीं है। तथापि ई आर पी, मोबाइल बीएसएस, यूजर इंटरफेस आदि के लिए प्रयास अपेक्षित है और पहले ई आर पी के एकीकरण और उसके बाद अन्य आईटी सिस्टम के एकीकरण का सुझाव दिया गया।

ch- ,Dlsl usVodZ ¼vks ,l ,l vkj ch ,l ,l½ & एमटीएनएल और बीएसएनएल में विभिन्न एक्सेस नेटवर्क जैसे पीएसटीएन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच,मोबाइल,लीज लाइन आदि कार्य कर रहे हैं और इन नेटवर्क का अलग ओ एस एस और बी एस एस सिस्टम है। दोनों संगठनों को ऐसे नेटवर्क का पता लगाने की आवश्यकता है जिसमें और निर्विघ्न/सुचारु एकीकरण विभिन्न एक्सेस नेटवर्क विकास के लिए के लिए समान ओ ई एम/विशिष्टता हो।

lh- 0;kikj çfØ;k & एमटीएनएल उपभोक्ताओं के अनुभवों और उत्पाद/सेवाओं की सूची सहित बी एस एन एल की समान व्यापार प्रक्रिया और सेवाओं के लिए सहमत हुआ। एमटीएनएल के लिए एमटीएनएल लोगो, संबंधित एलएसए के अनुसार पते अथवा नियामक अपेक्षाओं की आवश्यकता के अतिरिक्त अलग से बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तथापि एमटीएनएल के कर्मचारियों को व्यापार प्रक्रिया और सेवाओं (रिपोर्ट सहित) और उत्पाद सेवा कैटलॉग के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

Mh- fctusl likVZ flLVe ¼ch,l,l½ dk ,dhdj.k & एमटीएनएल बीएसएस एकीकरण के लिए या तो x.25 अथवा समुचित सुरक्षित चैनल द्वारा फिक्स्ड लाइन सीडीआर उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।

,eVh,u,y ds foÙkh; o"kZ 2019&20 ds foÙkh; ifj.kke

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कंपनी के एकल वित्तीय परिणाम तथा साथ ही समेकित वित्तीय परिणाम इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न हैं।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के एकल और समेकित वित्तीय विशिष्टताओं का सार निम्न प्रकार है :

	,dy ifj.kke		lesfdr ifj.kke ¼,eVh,u,y] mldh lgk;d daifu;ksa] la;qDr m|e vkSj lg;ksxh daifu;ka½	
	2019&20	2018&19	2019&20	2018&19
परिचालन से आय	1,536.36	1,987.80	1,623.55	2.085.41
व्यय (वित्तीय लागत को छोड़कर)	3,981.16	4,293.73	4,067.82	4,404.87
ifjpkyu ykHk@¼gkfu½	¼2]444-80½	¼2]305-93½	¼2]444-27½	¼2]319-46½
अन्य आय	690.66	618.91	693.04	636.09
वित्त लागत	1,941.54	1,703.18	1,941.66	1,703.18
dj iwoZ ykHk@¼gkfu½	¼3]695-68½	¼3]390-20½	¼3]692-89½	¼3]386-55½
अपवादात्मक मदें	–	–	–	–
निवेश में लाभ/(हानि) का हिस्सा जो, इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखांकित किया गया।	–	–	0.23	(0.64)

¼#i;s djksM+ esa½

	,dy ifj.kke		lesfdr ifj.kke ¼,eVh,u,y] mldh lgk;d dEifu;k] l;qDr m|e vkSj lg;ksxh dEifu;k½	
	2019&20	2018&19	2019&20	2018&19
वर्ष के लिए कर प्रावधान	–	–	1.07	0.88
सतत परिचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	¼3]695-68½	¼3]390-20½	¼3]693-73½	¼3]388-07½
असतत परिचालनों से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		–	–	
o"kZ ds fy, ykHk@¼gkfu½	¼3]695-68½	¼3]390-20½	¼3]693-73½	¼3]388-07½
अन्य व्यापक आय	(115.32)	(7.39)	(120.44)	(7.75)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	¼3]811-00½	¼3]397-58½	¼3]814-17½	¼3]395-82½
fofu;kstu		–		–
अंतरिम/प्रस्तावित अंतिम लाभांश	–	–	–	–
लाभांश कर	–	–	–	–
dks@¼ls½ varj.k		–		–
ए) आकस्मिकता आरक्षित निधि	–	–	–	–
बी) डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	–	–	–	–

foÙk o"kZ 2019&20 ds fy, fuf/k;ksa ds lzksr ,oa vuqiz;ksx uhps fn, x, gSa&

fuf/k;ksa ds lzksr ,oa mi;ksx	2019&20	2018&19	2019&20	2018&19
प्राधिकृत पूंजी	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी	630.00	630.00	630.00	630.00
अन्य इक्विटी	(14,215.65)	(10,364.94)	(14,212.10)	(10,357.83)
गैर चालू और चालू उधार	22,965.57	19,737.16	22,965.57	19,737.16
आस्थगित कर देयता (निवल)	–	–	6.75	6.34
fuEufyf[kr }kjk fu:fir				
संपत्ति, संयंत्र एव उपस्कर (नेट ब्लॉक)	3,486.95	4,233.78	3,579.11	4,329.56
चालू पूंजीगत कार्य	328.08	320.04	328.08	320.04
निवेश संपत्ति	31.42	25.74	39.80	34.96
अमूर्त परिसंपत्तियां (नेट ब्लॉक)	2,766.21	3,101.90	2,766.21	3,101.90
निवेश	106.13	106.13	3.51	3.73
अन्य परिसंपत्तियां	9,937.28	6,890.03	9,971.35	6,914.33
अन्य देयताएं	7,276.15	6,889.86	7,297.84	4,688.85

कंपनी के ये समेकित और एकल वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली 2015(इंड ए एस)के अनुसार तैयार किए गए हैं

jkf'k] ;fn dkbl gk] ftl fun'kd eMy fdlh vkjf{kr fufèk e y tku dk iLrko djrk g

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कोई लाभ न होने के कारण कंपनी ने कोई भी राशि आरक्षित निधि को अंतरित नहीं की है।

ykHkk'k%

कोई परिचालन लाभ न होने के कारण आपकी कंपनी का निदेशक मंडल रिपोर्ट किए गए वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है।

bu foÙkh; fooj.kk l lcfèkr foÙk o"k dh lekfIr rFkk fjikV dh frfFk d chp ;fn dkbl egRoi.k ifjorlu rFkk opuc)rk, gbl gk] ftudk diuh dh foÙkh; fLFkfr ij iHkko iMk gkA

कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा वचनबद्धताएं इन वित्तीय विवरणों से संबंधित वित्त वर्ष की समाप्ति तथा रिपोर्ट की तिथि के बीच नहीं हुई, जिनका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा हो। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

,eVh,u,y dk ith rFkk _.k <kpk

वित्त वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आपकी कंपनी की 31 मार्च 2020 को प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 10,000 करोड़ थी जिसमें रु. 100 प्रत्येक के 65 करोड़ अधिमान्य शेयर और रु. 10 प्रत्येक के 350 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं। 31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रुपये 630 करोड़ थी, जिसमें रुपये 10 प्रत्येक के 63 करोड़ इक्विटी शेयर हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने तो विभेदक मतदान अधिकारों के साथ कोई शेयर निर्गमित किए हैं तथा न कोई स्टॉक विकल्प अथवा श्रम जन्य इक्विटी प्रदान की अथवा कोई इक्विटी शेयर अथवा अधिमान्य शेयर अथवा न ही ऐसी प्रतिभूतियां निर्गमित की, जिनमें किन्हीं शेयर वारंट को बदलने अथवा निर्गमित करने का अधिकार अथवा विकल्प होता है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी ने कोई डिबेंचर/बॉण्ड जारी नहीं किए हैं।

31 ekpZ 2020 dks fu"ikfnr :i ls j[ks x, ,eVh,u,y dh _.k i=frHkwfr;ka@ckW.M

Ø la	tkjhdrkZ dk uke	vkbZ,lvkbZ,u la[;k	tkjh gksus dh frfFk	ifjiDork dh frfFk	dwiu nj	Hkqxrku ckjackjrk	lfUufgr fodYi ;fn dksbZ gks	lfUufgr fodYi] ;fn dksbZ gks] rks fodYi dk fooj.k nsa	lfUufgr fodYi] ;fn dksbZ gks] rks dkWy odfYid fooj.k	tkjh dh xbZ jkf'k	cdk;k jkf'k ¼#i;ks esa½	fMcspj VLVh dk uke	dwiu dh fVIif.k;ka] ;fn dksbZ gks
1	एमटीएनएल	आईएनई153ए08014	28–मार्च–13	28–मार्च–13	8.57%	अर्द्ध वार्षिक	नहीं			10,050,000,000	10,050,000,000	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि.	
2		आईएनई153ए08022	5–दिस.–3	5–दिस.–3	9.38%		नहीं			19,750,000,000	19,750,000,000		
3		आईएनई153ए08030	26–मार्च–14	26–मार्च–14	9.39%		नहीं			7,650,000,000	7,650,000,000		अर्द्धवार्षिक ब्याज तथा मूलधन के भुगतान की देयता दूरसंचार विभाग (भारत सरकार) की है।
4		आईएनई153ए08048	19–नव.–14	19–नव.–14	8.24%		नहीं			14,000,000,000	14,000,000,000		
5		आईएनई153ए08055	19–नव.–14	19–नव.–14	8.28%		हाँ		नवें वर्ष के अंत में कॉल विकल्प	1,000,000,000	1,000,000,000		
6		आईएनई153ए08063	19–नव.–14	19–नव.–14	8.24%		नहीं			7,00,000	7,00,000		
7		आईएनई153ए08071	28–नव.–14	28–नव.–14	8.29%		नहीं			22,689,000,000	22,689,000,000		
		dqy ;ksx								75]139]700]000	75]139]700]000		

,eVh,u,y }kjk tkjh fd, x, _.k@ckW.M dh ØsfMV jsfVax rFkk foÙkh; o"kZ 2019&20 ds nkSjku mlesa gq, dksbZ la'kks/ku

क्रिसिल तथा केयर ने महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) के रुपये 7513.97 करोड़ के गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर पर क्रमशः अपनी 'क्रिसिल एएए (सीई)/स्टेबल' तथा केयर एएए (सीई)/स्टेबल रेटिंग को पुनः दोहराया है। क्रिसिल तथा केयर द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2017, 2018 तथा 2019 में दी गई रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

lgk;d] lg;ksxh dEifu;ka rFkk la;qDr m|e dEifu;ksa dh leh{kk

कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') की धारा 129(3) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट संबंधित लेखा मानक तथा उसके साथ पठित कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अनुसार कंपनी तथा उसकी सहायक, सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं। उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी की सहायक, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों की प्रमुख विशेषताओं से युक्त एक विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में फार्म एओसी–1 में दिया गया है। वर्तमान में कपंनी अधिनियम, 2013/सेबी (एलओडीआर), 2015 के अभिप्राय के अंतर्गत एमटीएनएल की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

महत्वपूर्ण सहायक कंपनी संबंधी नीति को निदेशक मंडल ने अनुमोदित कर दिया है तथा इसे कंपनी की वेबसाइट के लिंकः http://mtnl.in/policy-materialsubsidy.pdf पर देखा जा सकता है।

वित्त वर्ष 2019–20 अंतर्गत सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के निष्पादन के संबंध में संक्षेप में मुख्य बातें निम्नवत् हैंः–

lgk;d dEifu;k

¼i½ egkuxj VsyhQksu ¼ekWjh'kl½ fyfeVsM ¼,eVh,e,y½ ¼fons'k esa ,d iw.kZ LokfeRo okyh lgk;d dEiuh½

एमटीएमएल मॉरीशस में एमटीएनएल की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है। कंपनी के पास मोबाइल सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय दूरस्थ सेवाएं और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस हैं। एक छोटा सा द्वीप देश, जिसकी जनसंख्या लगभग केवल 13 लाख है, तथा मोबाइल दूर–घनत्व 150 प्रतिशत से अधिक है, में एमटीएमएल उपभोक्ता केन्द्रित सेवाओं के साथ सफलतापूर्वक अपनी प्रतिष्ठा बना चुका है तथा इसका उपभोक्ता आधार 3,00,000 से अधिक का हो गया है। एमटीएमएल संतृप्त दूरसंचार बाजार में प्रतिस्पर्धा देने में पूरी तरह सक्षम है। कंपनी लगातार 11वें वर्ष भी लाभ में रहीं है। एमटीएमएल पूरे द्वीप में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाला 2जी/3जी नेटवर्क तथा कुल आबादी के 90 प्रतिशत से अधिक को 4जी (एलटीई) सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। 4जी पर एच्च गति डाटा सेवाओं के बढ़े हुए कवरेज तथा अपने 4जी नेटवर्क पर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को जोड़कर एमटीएमएल उपभोक्ता अब प्रत्येक माह 1000 टीबी से अधिक का डाटा उत्पन्न कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान डाटा डाउनलोड 250 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। एमटीएमएल ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान डाटा एमयूआर 468.13 मिलियन (भारतीय रुपये 108.43 करोड़) की तुलना में इस वित्त वर्ष में एमयूआर 448.33 मिलियन (भारतीय रुपये 89.50 करोड़) लगभग का सकल राजस्व अर्जित किया है। राजस्व में हल्की गिरावट मुख्यतः कम हुई रोमिंग के कारण तथा (आईएलडी) राजस्व में गिरावट उपभोक्ता उपयोग पैटर्न में परिवर्तन के कारण आई है क्योंकि अधिकतर उपभोक्ता दूरस्थ वॉयस तथा वीडियो कॉलों के लिए व्हाट्सअप जैसी ओटीटी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। कंपनी ने मार्च 2020 के दौरान, कोविड–19 के कारण निम्न आर्थिक गतिविधि तथा लॉकडाउन/कर्फ्यू का भी सामना किया है फिर भी कंपनी ने पिछले वर्ष एमयूआर 18.12 मिलियन (भारतीय रुपये 3.41 करोड़) के शुद्ध लाभ की तुलना में 2019–20 के दौरान 18.12 मिलियन (भारतीय रुपये 3.47 करोड़) का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। कंपनी ने उद्यम सेवाओं पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया है तथा इस चुनौतिपूर्ण बाजार में प्रवेश कर रही है। यह विशेष इसलिए है क्योंकि एमटीएमएल के पास फिक्सड लाइन सेवाएं तथा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है। इस चुनौती से तथा उच्च डाटा वृद्धि की आवश्यकताओं से निपटने के लिए, एमटीएमएल अपने मोबाइल टॉवरों के लिए फाइबर कनेक्टिविटी की संभावनाओं को खोज रहा है। वर्तमान में, सभी मोबाइल साइट माइक्रोवेब रेडियो नेटवर्क पर जुड़ी हैं। जिसकी डाटा वहन क्षमता की वृद्धि के संबंध में अपनी सीमाएं हैं। एमटीएमएल ने मॉरीशस के एक सरकारी संगठन, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड (सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड), को इसके कार्मिको को एमटीएमएल मोबाइल सेवाओं के बदले में प्रारंभ में 6 महीने तथा आगे एक वर्ष तक विस्तार योग्य अवधि के लिए निःशुल्क एमटीएमएल हब साइटों को ऑप्टिकल फाइबर उपलब्ध कराने के लिए अनुबंधित करने में सफलता प्राप्त की है। प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत, एमटीएमएल मोबाइल कनेक्शन परीक्षण आधार पर स्मार्ट मीटर नेटवर्क में भी लगाए जाएंगे जिसे सीईबी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस व्यवस्था से एमटीएमएल का 4जी का बैकहॉल नेटवर्क सुदृढ़ होगा तथा इंटरप्राइज उपभोक्ता को कैरियर ग्रेड सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा इसके साथ–साथ स्मार्ट मीटर नेटवर्क में आगे व्यापार अवसर भी सृजित होंगे। जीएसएम नेटवर्क के अतिरिक्त, एमटीएमएल के पास सीडीएमए नेटवर्क लाइसेंस भी है जो 15 वर्ष के लिए वर्ष 2004 में लिया गया था। जनवरी, 19 में एमटीएमएल लाइसेंस की समाप्ति पर, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के कारण, दूरसंचार नियामक ने इसके सीडीएमए नेटवर्क को बंद करके स्पैक्ट्रम को खाली करने का निर्णय लिया। एमटीएमएल के अनुरोध पर, लाइसेंस को और 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था

तथा अब लॉकडाउन के कारण 30 जून, 2020 तक बढ़ाया गया है जब सीडीएमए नेटवर्क बंद किया जाएगा। एमटीएमएल ने सीडीएमए नेटवर्क से इसके जीएसएम नेटवर्क पर जाने के इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए इस हेतु विशेष रूप से तैयार किए गए विभिन्न प्लानों तथा योजनाओं के माध्यम से प्रक्रिया को पहले ही प्रारंभ कर दिया है। कंपनी के सभी खर्चों का भुगतान उसके अपने निजी आंतरिक स्रोतों द्वारा किया जाता है। उपस्करों की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय पूरी तरह अपने आंतरिक संसाधनों से किया जा रहा है। एमटीएमएल अपने आंतरिक संसाधनों से निर्मित अपने भवन से परिचालन कर रहा है जो मॉरीशस में सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र कहे जाने वाले साइबर सिटी, मॉरीशस में स्थित है। कंपनी पर कोई ऋण देयता नहीं है। कंपनी का प्रबंधन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य वित्त अधिकारी तथा मूल कंपनी से आए 10 अन्य अधिकारी देख रहे हैं तथा ये सभी मूल कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर हैं। अन्य परिचालनों की व्यवस्था स्थानीय लोगों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाती है।

¼ii½ feyfu;e Vyhdke fyfeVM ¼,eVh,y½ ¼,d i.k LokfeRo okyh Hkkjrh; lgk;d diuh½

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड एमटीएनएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत फरवरी 2000 में निगमित हुई थी। एमटीएल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में दूरसंचार सलाह एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, वाई–फाई समाधान, ई–गवर्नेंस परियोजना, प्रबंधित सेवाएं, तैयार हालत में आईसीटी समाधान, जीआईएस आधारित सेवाएं, क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास आदि शामिल हैं। मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) भी बहुत ऊंची वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। 2014–15 में कंपनी अखिल भारतीय स्तर पर सिस्टम इंटीग्रेशन तथा अन्य आईसीटी संबंधित व्यवसाय के कारण लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है। वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने रु. 1.47 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। एमटीएल ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान रुपये 25.67 लाख का निवल लाभ अर्जित किया है। एमटीएल आने वाले वर्षों में और अधिक आदेश प्राप्त करने में सफल होने की प्रक्रिया में हैं। एमटीएल को सरकारी संस्थाओं द्वारा नामांकन आधार पर बहुत बड़ी संख्या में कार्य सौंपे गए हैं जिन्हें एमटीएल द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है। इसकी उपभोक्ता सूची में एयर इंडिया, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, केंद्रीय विश्वविद्यालय (महेंद्रगढ़) हरियाणा, यूपी बिल्डिंग एंड अन्य कन्सट्रक्शन्स वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी), लखनऊ, थाणे नगर निगम, सीआईडीसीओ, भारतीय फिल्म प्रभाग, भारतीय बीमा संस्थान आदि सम्मिलित हैं। एमटीएल सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के अनुकूल सामान्य के साथ–साथ उनके अनुसार विशिष्ट समाधान प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं के क्षेत्रों का विस्तार भी कर रहा है।

एमटीएल ने वर्ष 2016–17 में रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से 10 वर्ष के लिए 26 व्यापार विकास एसोसिएट्स (बीडीए) को सूचीबद्ध किया है। वित्त वर्ष 2019–20 में एमटीएल ने श्रमिक उपकर के लिए सामाजिक कल्याण कोष तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के मेरठ तथा गाजियाबाद जिले का जीआईएस आधारित सर्वेक्षण, सीआईडीसीओ ईपीएबीएक्स सर्वर (तीन वर्ष का ठेका), टीएमसी डब्ल्यूएएन नेटवर्किंग (5 वर्ष का ठेका), टीएमसी प्रबंधित सेवाएं (5 वर्ष का ठेका) जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया है।

l;Dr m|e

¼I½ ,eVh,u,y ,lVhihvkbZ vkbZVh lfoZlst fyfeVM ¼,e,lvkbZVh,l,y½

एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (एमएसआईटीएसएल) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की 50:50 हिस्सेदारी की संयुक्त उद्यम कंपनी है। एमएसआईटीएसएल 50 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 31 मार्च, 2006 में निगमित हुई थी। एमएसआईटीएसएल ने एसटीपीआई से चेन्नई में पट्टे पर जगह लेकर टीयर–III डाटा सेंटर की भौतिक संरचना स्थापित की है। इस डाटा सेंटर के पास लगभग 3500 वर्गफुट का सर्वर फार्म एरिया है और इसके लिए रु. 477 लाख का कुल निवेश किया गया है। यह टीयर–III डाटा

सेंटर दिन रात 99.98 प्रतिशत अप टाइम बनाए हुए है। डाटा सेंटर का वाणिज्यिक प्रचालन 2009 में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में हमारे निम्नलिखित प्रमुख उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपनी परियोजनाओं तथा परिचालनों के लिए एमएसआईटीएसएल डाटा सेंटर में सर्वर रैक साथ–साथ लगाए हैं।

- विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मै. टीसीएस के माध्यम से एमएसआईटीएसएल डाटा सेंटर में पासपोर्ट सेवा परियोजना लगाई है।
- महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (डीजीईएंडटी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एमएसआईटीएसएल डाटा सेंटर पर एसटीपीआई के माध्यम से नेशनल कैरियर प्रोजेक्ट लगाया है।
- मै. रैपको बैंक लि. ने बैंकिंग परिचालनों के लिए सर्वर रैक साथ–साथ लगाए हैं।
- एमएसआईटीएस डाटा चेन्नई में पासपोर्ट सेवा परियोजना को साथ–साथ रखे जाने हेतु टीसीएस तथा एमएसआईटीएस के बीच सेवा करार 11 जून, 2020 को समाप्त हो गया, जिसे 31.12.2000 तक बढ़ाया गया है।

वर्ष 2009 में कंपनी के वाणिज्यीकरण की तारीख से इसका राजस्व बढ़ता ही जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एमएसआईटीएसएल ने पिछले वर्ष 572.54 लाख रुपये की तुलना में 614.60 लाख रुपये का करोबार (टर्नओवर) प्राप्त किया, जो गत वर्ष से 42.06 लाख रुपये अधिक है। एमएसआईटीएसएल ने पिछले वर्ष 205.92 लाख रुपये की तुलना में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने के बाद 249.79 लाख रुपये का कर पूर्व लाभ अर्जित किया है। कंपनी का सकल लाभ आस्थगित कर के पश्चात 186.33 लाख रुपये है जो पिछले वर्ष 145.70 लाख रूपये था। जिसमें 40.63 लाख रुपये की वृद्धि हुई।

¼II½ ;wukbVsM VsyhdE;wfuds'kUl fyfeVsM ¼;wVh,y½] usiky

यूटीएल एमटीएनएल की संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें टीसीएल, टीसीआईएल, एनवीपीएल (नेपाल) और एमटीएनएल शामिल हैं। कंपनी नेपाल में मोबाइल/आईएलडी/डाटा सेवाएं प्रदान करती है। वर्तमान में यूटीएल में एमटीएनएल की इक्विटी धारिता 26.68 प्रतिशत है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। इसे बहुत अधिक घाटा हो रहा है। उपभोक्ता आधार भी कम हो गया है। यह नेपाल सरकार के रॉयल्टी, शुल्क, बीटीएस साइट प्रभार जैसे सांविधिक देयों तथा अन्य देयों का भुगतान नहीं कर पा रही है। कंपनी के पास बकायों को निपटाने के लिए संसाधन नहीं हैं। उन्होंने संयुक्त उद्यम के साझेदारों द्वारा इक्विटी ऋण सहभागिता किए जाने की मांग की है परंतु एमटीएनएल, टीसीआईएल तथा टीसीएल सभी भारतीय संयुक्त उद्यम साझेदारों ने इसकी शेयर पूंजी अथवा ऋण में कोई भी राशि न देने का निर्णय किया है। सभी भारतीय संयुक्त उद्यम साझेदारों ने संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का निर्णय लिया है तथा 30 जनवरी 2018 को बाहर आने के अपने अधिकार का प्रयोग कर लिया है। बाहर आने का नोटिस (संयुक्त उद्यम कंपनी में अपना हिस्सा बेचना) दे दिया गया है तथा इसे 3 महीने के अंदर अर्थात 30 अप्रैल 2018 को या उससे पहले स्वीकृत किया जाना अपेक्षित था परंतु अभी तक यूटीएल/एनवीपीएल द्वारा इसे प्रभावी नहीं बनाया गया है।

तद्नुसार ऐसे निवेश को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में ''बिक्री के लिए रखे गए'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेपाल में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को वापस लौटाना नेपाल सरकार के विभाग में अनुमोदन की प्रक्रिया में है एमटीएनएल तथा अन्य संयुक्त उद्यम साझेदार ने सचिव दूरसंचार विभाग के माध्यम से मामले को नेपाल में भारत के राजदूत के समक्ष रखा है जिससे इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके तथा यूटीएल में निवेश की गई राशि वापस प्राप्त हो।

नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय ने दिनांक 26 नवम्बर 2019 के पत्र के माध्यम से भारतीय दूतावास, काठमांडू (नेपाल) को सूचित किया है कि नेपाल सरकार के संबद्ध प्राधिकारी यूटीएल के भारतीय शेयरधारकों जैसे एमटीएनएल, टीसीआईएल तथा टीसीएल द्वारा निवेश की गई पूंजी प्रत्यावर्तन को अनुमोदित कर देंगे, यदि एक बार यूटीएल द्वारा नेपाल सरकार तथा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली नेपाली

रुपये (एनआर) 85,83,86,044.00 की बकाया कर राशि (प्रशुल्क, रॉयल्टी, शुल्क, प्रभार इत्यादि) का पूर्ण रूप से निपटारा हो जाए।

foÙk o"kZ 2019&20 ds nkSjku dEiuh dh lgk;d] lg;ksxh dEifu;ksa vFkok la;qDr m|eksa esa dksbZ ifjorZu ugha gqvk gSA

foÙk o"kZ 2019&20 ¼31 ekpZ] 2020 dks½ ds fy, i.kkyh ¼flLVe½ dh fLFkfr dk fooj.k%

31 मार्च, 2020 को आपकी कंपनी के पास लैंडलाइन, जीएसएम, ब्रॉडबैंड आदि की सज्जित एवं प्रयुक्त क्षमता निम्नानुसार है : –

Ø-l-	ijkehVj	,eVh,u,y fnYyh	,eVh,u,y eqacbZ	,eVh,u,y ;ksx
1.	स्विचों की संख्या	364	285	649
2.	{kerk dk fooj.k			
2. (ए)	फिक्स्ड फोन	2416505	2586392	5002897
2. (बी)	जीएसएम	2800000	2800000	5600000
2. (सी)	ब्रॉडबैंड क्षमता (पोर्ट में)	788736	845908	1634644
3.	डीईएल (फिक्स्ड–लाइन, जीएसएम और ब्रॉडबैंड सहित)	4010763	3234783	7245546
3. (ए)	फिक्स्ड लाइन	1395358	1698442	3093800
3. (बी)	जीएसएम	2181486	1178701	3360187
3. (सी)	ब्रॉडबैंड उपभोक्ता	433939	357640	791579
4.	एफटीटीएच उपभोक्ता	20519	13833	34352
5.	आईएसडीएन	7057	10560	17617
6.	डीएलसी (संख्या)	425	39	464
7.	टैक्स क्षमता	150000	115200	265200
8.	टेंडम क्षमता	215500	331240	546740
9-	vkfIVdy Qkbcj dscy			
9. (ए)	रूट कि. मी. में ओएफसी	9047.845	9216.24	18264.085
9. (बी)	फाइबर कि. मी. में ओएफसी	302312.914	297002.618	599315.532
10.	लीज्ड सर्किट	9548	16500	26048

ekuo lalkèku fodkl

कंपनी अपनी बौद्धिक पूंजी की गुणवत्ता को उच्चतम प्राथमिकता देती है तथा इस बात में विश्वास करती है कि कर्मियों का ज्ञान तथा कौशल इसके कॉरपोरेट मिशन की प्राप्ति के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कंपनी के पास बहुत अच्छी भर्ती नीति तथा व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली है। विगत एक वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया है। हम एक ऐसा कुशल कार्यबल बनाने पर पर्याप्त संसाधन लगा रहे हैं जिसमें लगातार बदलते उपभोक्ता आधार के कारण पैदा हुए खतरों का मुकाबला करने की क्षमता हो। कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण तथा विकास संबंधी गतिविधियों का संचालन करती रही है जिसमें कर्मियों को वृहत्तर संगठनात्मक लक्ष्य की तरफ अभिमुख करने के अलावा अन्य किसी प्रकार के कौशल अंतराल तथा तकनीकी पुरानेपन को समाप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रशिक्षण पर प्रबंधन का दृष्टिकोण कार्मिकों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना तथा उन्हें एक महत्वपूर्ण उत्पादक संसाधन बनने में समर्थ बनाना है।

if'k{k.k mi yfC/k;k

वर्तमान में एमटीएनएल के पास अपने दो अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र दिल्ली तथा मुंबई में हैं। दिल्ली तथा मुंबई के प्रशिक्षण केन्द्रों की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

¼I½ nj lpkj] ik|kfxdh ,o icl/ku lLFkku ¼vkbVhVh,e½] ubl fnYyh

दूरसंचार, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, शादीपुर, नई दिल्ली एमटीएनएल, दिल्ली का अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र है जो अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर प्रणाली एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रवेश स्तर पर प्रशिक्षण (इंडक्शन ट्रेनिंग) तथा लघु अवधि के प्रशिक्षण दे रहा है। आईटीटीएम के पास जीएसएम, ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी, स्विचिंग, ट्रासमिशन, बाह्य संयंत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर प्रणाली, प्रबंधन तथा विभिन्न स्वास्थ्य एवं जीवन शैली प्रबंधन संबंधी विषयों जैसे प्रेरणा, सकारात्मक सोच, तनाव प्रबंधन तथा कार्यक्षेत्र में आध्यात्मिकता और अन्य स्वास्थ्य की देखभाल कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक आधारभूत ढाँचा, तकनीकी एवं अकादमिक क्षमता तथा उत्कृष्टता है। इसके अतिरिक्त आईटीटीएम में भारत के इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा विभिन्न स्कूलों के छात्रों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दौरे भी किए जाते हैं। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक आईटीटीएम में एमटीएनएल, दिल्ली के कुल 1043 (आंतरिक प्रशिक्षु) तथा बाह्य प्रशिक्षु (औद्योगिक प्रशिक्षण तथा औद्योगिक दौरे सहित) के मामले में 621 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया। इंजीनियरिंग/डिप्लोमा छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तवर्ष 2019–20 में आईटीटीएम में अर्जित राजस्व 13,23,960/– रुपये है।

¼II½ nj lpkj ik|kfxdh rFkk icl/ku mRd"Vrk dsnl ¼lhbVhVh,e½] epcbl

आईएसओ–9001–2015 प्रमाणित संस्थान दूरसंचार प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन उत्कृष्टता केन्द्र टैक्नोलॉजी स्ट्रीट, हीरानंदानी गार्डन, पवई, मुंबई में स्थित है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सीईटीटीएम की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :– (ए) सीईटीटीएम ने 1111 आंतरिक कार्मिकों तथा 1535 बाह्य कार्मिकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया, जो 11828 प्रशिक्षण दिवसों की उपलब्धि है। कुल 158 कार्यक्रम संचालित किए गए। (बी) सीईटीटीएम ने एमटीएनएल में नए भर्ती किए 03 सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन), 07 सहायक प्रबंधक (विक्रय तथा विपणन) तथा 07 सहायक प्रबंधक (वित्त) उम्मीदवारों के लिए 10 सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया। (सी) सीईटीटीएम ने टीएम पदोन्नति के लिए 5 उम्मीदवारों के लिए 6 सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण संचालित किया। (डी) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जबकि 23 छात्रों ने एक/दो/छः माह के परियोजना प्रशिक्षण कार्यों में भाग लिया। वर्ष 2019–20 के दौरान, सीईटीटीएम में 24 विभिन्न कॉलेजों के कुल 1366 इंजीनियरिंग डिप्लोमा एवं डिग्री कॉलेज छात्रों ने ''औद्योगिक दौरा कार्यक्रम'' में भाग लिया। (ई) मंत्रिमंडलीय सचिवालय से 28 वरिष्ठ अधिकारियों का वीओआईपी, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क तथा सूचना प्रणाली सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। (एफ) एमएमआरसीएल के 28 अधिकारियों को 3 दिवसीय आईपी नेटवर्किंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया। (जी) विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत, सीईटीटीएम ने विभिन्न आईटीईसी देशों से कुल 54 विदेशी प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण के 2 कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किए। (एच) महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एमएसबीटीई) से पॉलिटेकनिक शिक्षकों को सूचना सुरक्षा पर 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। (आई) विभिन्न क्षेत्रीय महाप्रबंधक इकाईयों में 17 पॉलिटेकनिक छात्रों को अंतः संयंत्र (इन–प्लांट) प्रशिक्षण (आई योजना–एमएसबीटी) प्रदान किया गया। (जे) ''4जी एलटीई बेसिक्स'' पर 3 दिवसीय आंतरिक सेवा पाठ्यक्रम तथा लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, औएफसी स्पलाइसिंग, पीओएन, एफटीटीएच तथा उन्हें ठीक करने के संबंध में विभिन्न कार्यस्थल पर तथा आंतरिक कार्यक्रम संचालित किए गए। सीईटीटीएम

ने एमटीएनएल की सेवाओं को सुधारने के लिए आवश्यकता आधार पर एमटीएनएल कर्मियों के लिए लघु अवधि के विभिन्न तकनीकी तथा प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित किए हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सीईटीटीएम द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं : सीईटीटीएम ने ''विश्व दूरसंचार तथा सूचना समाज दिवस'' मनाया। इस अवसर पर दिनांक 17 मई, 2019 को आईआईटी बंबई में सीएसई विभाग के प्रोफेसर डॉ० अश्विन गुमस्ते द्वारा ''नेटवर्क सोफ्टवेयराइज़ेशन–द न्यू फ्रंटीयर फॉर एसडीएन क्लाउड्स, एनएफवी डाटा सेंटर्स एंड 5जी'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का संचालन किया गया। 21 जून 2019 को सीईटीटीएम में ''अंतरराष्ट्रीय योग दिवस'' मनाने के लिए एमटीएनएल के कर्मियों के लिए 'योग संस्थान' के कार्मिकों द्वारा योग सत्र तथा वार्ता का संचालन किया गया। ओसीबी तथा ईडब्ल्यूएसडी अनुरक्षण पर 19 जुलाई 2019 तथा 22 अक्टूबर 2019 को कार्यशालाएं संचालित की गई। अक्टूबर 2019 में आईएनडीएएस लेखांकन प्रशिक्षण की कार्यशालाएं संचालित की गई।

¼III½ dk'ky fodkl

कुशल भारत की परिकल्पना के साथ, कौशल विकास और उद्यमिता (एमएसडीई) मंत्रालय का उद्देश्य गति और ऊंचे मानकों के साथ बड़े पैमाने पर भारत को कुशल (स्किल्ड) बनाना है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) ऐसी प्रमुख योजना है जो इस परिकल्पना को साकार करने के महत् प्रयास कर रही हैं। एमटीएनएल के दो प्रशिक्षण केंद्र हैं, एक मुंबई में (सीईटीटीएम) और दूसरा दिल्ली में (आईटीटीएम)। दोनों प्रशिक्षण केंद्र कौशल विकास की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं और बीई/बीटेक के विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण दे रहे हैं। बाहरी व्यक्तियों जिनमें विद्यार्थी, गृहणियां और अन्य शामिल हैं, के लिए लघु अवधि (एक दिन/दो दिन) के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एमटीएनएल ने दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद और ग्लोबल इंसटिट्यूट ऑफ स्किल डिवलपमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमटीएनएल ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षण सह कौशल केंद्र चलाने के लिए ग्रामीण विकास ट्रस्ट (जीवीटी) के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत एमटीएनएल ने वर्ष 2019–20 में 2156 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है।

vkS|kSfxd lac/k

औद्योगिक शांति तथा औद्योगिक सद्भाव अच्छे कर्मचारी–नियोक्ता के संबंधों पर आधारित होते हैं और गत वर्ष की भांति समीक्षाधीन इस पूरे वर्ष में भी कार्मिक संबंधों सौहार्दपूर्ण बने रहे। कर्मचारियों/यूनियनों/एसोसिएशनों द्वारा उठाई गई शिकायतों/मुद्दों पर उचित ध्यान और महत्व दिया गया है। उनके द्वारा उठाए गए मामलों/मुद्दों को प्रबंधन तथा यूनियनों/संगठनों के बीच नियमित बैठकों तथा विचार विमर्श के द्वारा सुलझाया गया तथा उनके बीच हुई सहमति के बाद मामले के निपटान के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। दूरसंचार विभाग के दिनांक 29 अक्टूबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन तथा एमटीएनएल के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसरण में कार्यालय आदेश सं.: एमटीएनएल/सीओ/जीएम (एचआर)/वीआरएस/एनई/2016–17/337 दिनांक 04 नवम्बर 2019 के माध्यम से एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना 2019 प्रस्तुत की गई।

,eVh,u,y LoSfPNd lsokfuof`Ùk ;kstuk ¼ohvkj,l½&2019

दूरसंचार विभाग ने कार्यालय ज्ञापन संख्या:– 30–04–2019–पीएसयू अफेयर्स, दिनांक 29.10.2019 के माध्यम से एमटीएनएल के पुनरुत्थान पर मंत्रीमंडल के अनुमोदन को अवगत कराया था। पुनुरुत्थान का एक उपाय 50 वर्ष या उससे अधिक के कर्मियों को गुजरात मॉडल के नमूने के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की पेशकश किया जाना था। तदनुसार एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ दिनांक 04.11.2019 से 03.12.2019 तक प्रस्तुत की गई:– प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 35 दिन के वेतन के बराबर तथा अधिवर्षिता तक शेष बची हुई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन के वेतन के बराबर अनुग्रह राशि भुगतान योग्य

होगी ।यह उस वेतन की कुल राशि से अधिक नहीं होगी जो कार्मिक वर्तमान स्तर पर प्राप्त कर रहा होता। केन्द्रीय सिविल सेवाएं पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 37–ए के अंतर्गत संयुक्त सेवा पेंशन के हकदार कर्मचारियों को भुगतान योग्य अनुग्रह राशि अधिवार्षिता की तिथि तक शेष बची अवधि के लिए प्राप्त किए जाने वाला वेतन होगा लेकिन जो वर्तमान स्तर पर कुल वेतन के 125% से अधिक नहीं हो जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की प्रभावी तिथि अर्थात् 31.01.2020 से अधिवार्षिता तक कर्मचारी द्वारा आहरित किए जाने थे। एमटीएनएल द्वारा 01.04.1986 को अथवा उसके बाद सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों के संबंध में अनुग्रह राशि पूर्ण की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिनों के वेतन के बराबर तथा अधिवर्षिता तक शेष बची सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन के वेतन के बराबर होगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना विकल्पधारक अनुग्रह राशि तथा सामान्य सेवानिवृति के लाभों जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन संराशीकरण (कम्यूटेशन) तथा अवकाश नकदीकरण के हकदार होंगे। उन्हें सामान्य सेवानिवृत कर्मचारी के समान समझा जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के लिए कुल अर्हक 16361 कर्मियों में से 14387 कर्मियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति का विकल्प दिया। कर्मचारियों को अनुग्रह राशि के भुगतान का वित्तीय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया गया। कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि पर विद्यमान एमटीएनएल नीति के अनुसार सेवानिवृत्ति हितलाभों के भी हकदार हैं।

deipkjh dY;k.k

कंपनी अपने कर्मचारियों को कर्मचारी कल्याण योजनाएं जैसे आर्थिक सहायता प्राप्त कैंटीन, आवास, चिकित्सा सुविधाएं, सामूहिक बीमा, रात्रि पाली इत्यादि में तैनात महिलाओं के लिए शयन कक्ष की सुविधा प्रदान कर रही है। वर्ष के दौरान खेल व सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्राथमिकता दी गई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अंशदायी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना से सीजीएचएस में बदलाव–एमटीएनएल के दूरसंचार विभाग से कार्रवाई करते रहने के पश्चात, स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमटीएनएल के सेवानिवृत्त कार्मिकों (सरकारी पेंशन लेने वाले) को सीजीएचएस में शामिल करने के लिए सीजीएचएस को निदेश जारी किए। उपर्युक्त को सुलभ बनाने के लिए संबंधित सेवानिवृत्त कार्मिकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अभी तक एमटीएनएल के अनुमानतः '10946' सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

jktHkk"kk uhfr dk dk;kZUo;u

कंपनी ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन हेतु अपने प्रयास जारी रखे हैं तथा कंपनी में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन व संवर्धन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों में से अधिकांश को प्राप्त करने में कंपनी सफल रही है।

vuqlwfpr tkfr@vuqlwfpr tutkfr@vU; fiNM+k oxZ vkSj 'kkjhfjd fodykax leqnk; ds fy, vkj{k.k uhfr dk dk;kZUo;u

कंपनी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीति को लागू करने से संबंधित सभी प्रकार की सांविधिक अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है।

dk;LFky ij efgykvksa ds ;kSu mRihM+u ¼fuokj.k] fu"ks/k vkSj lekèkku½ vf/kfu;e] 2013 dk dk;kZUo;u

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और उससे जुड़े अथवा उत्पन्न होने वाले सभी संबंधित मामलों, जिसका उल्लेख कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 में किया गया है, के निवारण, निषेध और समाधान से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए आंतरिक समिति का गठन किया है।

efgyk deZpkfj;ksa ds fy, dke djus dh fLFkfr;ka

हमारा यह निरंतर प्रयास है कि महिला कर्मचारियों के प्रति हमारे कर्मचारी विशेष रूप से संवेदनशील रहें। जो महिला कर्मचारी रात्रि की ड्यूटी पर रहती हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों के निवारण के लिए भी विशेष प्रकोष्ठ गठित किए गए हैं।

Je'kfDr fLFkfr

31 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी के कुल कार्मिकों तथा अन. जाति/अ.जा. जाति श्रेणी की संख्या के ब्योरे निम्नानुसार हैंः–

leg	dk;jr	vu|lfpr tkfr	vu|lfpr tutkfr
ए	214	55	26
बी	1074	201	41
सी	1742	334	28
डी	1152	352	31
टीएसएम	3	–	–
कुल योग	4185	942	126

ub| Hkrh|

सहा. प्रबं. (मानव संसाधन) /वित्त/विपणन शाखा में ई–2 स्तर के कुल 18 प्रशिक्षु अधिकारियों ने एमटीएनएल में कार्यभार ग्रहण किया।

dkjikjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½

पिछले कुछ वर्षो से कंपनी घाटे में चल रही है इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान लागू नहीं हैं। तथापि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा इस विषय पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति गठित की है तथा सीएसआर नीति भी बनाई है। एमटीएनएल गैर निधि आधारित जैसे कोविड–19 के फैलने पर जागरूकता, स्वच्छ भारत, पल्स पोलियों तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमों आदि के बारे में जनता में जागरूकता फैलाने के लिए कृपया एसएमएस भेजने जैसी सीएसआर गतिविधियां कर रहा है। सीएसआर समिति के विषय में अन्य विवरण जानने के लिए कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट देखें, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है। सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट http://mtnl.in/csr_2014.pdf पर उपलब्ध है।

lrdZrk

एमटीएनएल के सतर्कता विभाग के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। वर्तमान में श्री एच.एस. सोहल, सीवीओ, बीएसएनएल,एमटीएनएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी एमटीएनएल में पूरे सतर्कता प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं तथा कार्य प्रणाली में उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान विभिन्न फील्ड निरीक्षण किए गए निवारक सतर्कता पर बल दिया गया। सतर्कता इकाई द्वारा प्रणाली (सिस्टम) के सुधार हेतु सलाह जारी की गई। केंद्रीय सर्तकता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सीटीई प्रकार के निरीक्षण भी किए गए। इसके अतिरिक्त, अवधि के दौरान कर्मचारियों के लिए सतर्कता/शिकायतों के निपटान एवं अनुशासनिक कार्यवाहियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार आयोजित किए गए जिससे प्रतिभागी एमटीएनएल की आचरण नियमावली, विभागीय कार्यवाहियों के निपटान की प्रक्रियाविधि को समझ सकें तथा अपनी कार्यकुशलता में सुधार ला सकें। केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार 28.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान, विभिन्न गतिविधियां जैसे ईमानदारी शपथ ग्रहण, सतर्कता तथा अनुशासनिक मामलों पर सूचना पुस्तिका का विमोचन जिसका केन्द्र बिंदु ''Integrity –A way of life (ईमानदारी–एक जीवन शैली)'' था। निवारक सतर्कता तथा अन्य सामान्य आचरण (क्या करें तथा क्या न करें) एमटीएनएल के कार्मिकों में वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न कार्यक्रम जैसे सेमिनार,

कार्यशालाएं, वाद–विवाद तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित किए गए। एमटीएनएल के निदेशक मंडल को तिमाही रिपोर्टों के माध्यम से समीक्षा के लिए अनुशासनिक मामलों की प्रगति से नियमित रूप से अवगत करवाया गया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा सतर्कता कार्य/मामलों की समीक्षा भी मुख्य सतर्कता अधिकारी के अनुमोदन के साथ तिमाही रूप में प्रस्तुत की गई।

jgL;kn?kkVudrkZ ¼fOgly Cyksvj½ uhfr@lrdZ dk;Zfof/k

आपकी कंपनी के पास कंपनी की रहस्योद्घाटनकर्ता (ह्विसल ब्लोअर) नीति के माध्यम से वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट देने के लिए एक जबरदस्त सतर्क कार्यविधि है। रहस्योद्घाटनकर्ता पर नीति को कंपनी की वेबसाइट के लिंकः http://mtnl.in/whistleBlowerPolicy.pdf पर देखा जा सकता है। कंपनी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिककतापूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देती है तथा अवैधानिक अथवा अनैतिक व्यवहार, जैसा सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 22 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, की रिपोर्ट देने के लिए एक कार्यविधि बनाई गई है। रहस्योद्घाटनकर्ता नीति के अंतर्गत कर्मचारियों को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे लागू कानूनों, विनियमों तथा आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को दें। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से इंकार नहीं किया गया।

fofu;ked vFkok U;k;ky;ksa vFkok U;k;kf/kdj.kksa }kjk ikfjr fd, egRoi.kZ rFkk Bksl vkns'k

विनियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण तथा ठोस आदेश पारित नहीं किए गए हैं जो कंपनी के कार्यशील संस्था के दर्जे तथा इसके भावी परिचालनों को प्रभावित करें।

Vªkalijsalh bUVjus'kuy bafM;k ds lkFk lR;fu"Bk le>kSrk dk;ZØe

एमटीएनएल ने अपने व्यापारिक लेन–देन, ठेकों तथा खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम (आईपीपी) लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहमति पत्र के अंतर्गत एमटीएनएल अपने सभी प्रमुख खरीद (प्रापण) एवं कार्य ठेका गतिविधियों में सत्यनिष्ठा समझौता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्यनिष्ठा समझोते ने विभिन्न हितधारकों में विश्वास पैदा करके स्थापित प्रणाली तथा प्रक्रियाओं को मजबूत किया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा तीन ख्याति प्राप्त स्वतंत्र एवं बाह्य पर्यवेक्षकों (आईईएम) को नामित किया गया है जो गतिविधियों की निगरानी करते हैं। 31.03.2020 के अनुसार श्री ध्रुव कुमार अग्रवाल (पूर्व–सलाहकार (टी) दूरसंचार विभाग, श्री वी.के. गुप्ता (पूर्व अपर महानिदेशक, केलोनिवि) तथा सुश्री अलका सिरोही, आईएएस (सेवानिवृत्त) एमटीएनएल के स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन तीनों का कार्यकाल 22.05.2020 को समाप्त हो गया। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान विक्रेता तथा प्रबंधन स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षकों के साथ की नियमित बैठकें हुई हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने पत्र संख्या 011/वीजीएल/001/455 दिनांक 17.07.2020 के माध्यम से श्रीमती रश्मि गोयल, आईआरएएस (सेवानिवृत्त) तथा श्री धीरेन्द्र कुमार त्यागी, आईडीएसई (सेवानिवृत्त) को तीन वर्ष के लिए एमटीएनएल का नया स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया।

ÅtkZ dk laj{k.k] izkS|ksfxdh foy;u] fons'kh eqnzk dk vtZu rFkk 0;;

सेवा प्रदाता कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (एम) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। कुल विदेशी मुद्रा का अर्जन 1.44 करोड़ रु. था और कुल विदेशी मुद्रा व्यय 2.08 करोड़ रु. था।

m|e tksf[ke izca/ku

कंपनी के निदेशक मंडल ने एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जो कंपनी के लिए जोखिम प्रबंधन योजना बनाएगी, उसका क्रियान्वयन तथा निगरानी करेगी। समिति जोखिम प्रबंधन योजना के पुनरीक्षण तथा इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। लेखापरीक्षा समिति वित्तीय जोखिमों एवं नियंत्रणों का भी

अतिरिक्त रूप से निरीक्षण करती है। व्यवसाय तथा कार्यों द्वारा पहचाने गए प्रमुख जोखिमों को कम करने के लिए व्यवस्थित ढंग से समाधान नियमित रूप से किया जाता है। जोखिम प्रबंधन नीति के विकास एवं कार्यान्वयन को इस रिपोर्ट के प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट के अंतर्गत लिया गया है, जो इस रिपोर्ट का ही भाग है।

fun'kd eMy dh cBd

रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशक चार बार मिले। दो बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सूचीकरण विनियमनों द्वारा निर्धारित अवधि के अनुसार था। बोर्ड की बैठकों का विवरण कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का भाग है। निदेशक मंडल द्वारा इन बैठकों में बजट, महत्वपूर्ण वित्तीय लेन–देनों तथा निजी ऑपरेटरों के साथ मूलभूत टेलीफोन सेवा, सेल्युलर मोबाइल टेलीफोनी और अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं में चल रही प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए विविध उपायों पर गहन चर्चा की गई।

fun'kdk d ukekdu rFkk fu;fDr d fy, p;u rFkk ifØ;k ,o mudk ikfjJfed

एमटीएनएल सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा नियुक्ति के नियम एवं शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि निदेशक मंडल ने एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते। स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल अथवा उसकी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने पर बैठक शुल्क के रूप में रुपये 10,000/– का भुगतान किया जाता है। बैठक शुल्क के अलावा इसके लिए उन्हें यात्रा व्यय तथा होटल व्यय, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए पूर्णकालिक निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक तथा स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

fun'kdk dk fu"iknu eY;kdu

निगमित कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 के साधारण परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है, जिसमें नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति, निदेशक के निष्पादन मूल्यांकन का तरीका बताया गया है। निगमित कार्य मंत्रालय के पूर्वोक्त परिपत्र ने आगे सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (पी) के प्रावधानों से भी छूट दी, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा अपने निष्पादन तथा अपनी समितियों तथा एकल निदेशक के निष्पादन का निदेशक मंडल की रिपोर्ट में औपचारिक मूल्यांकन के तरीके के उल्लेख की अपेक्षा होती है यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार अथवा राज्य के मंत्रालय अथवा विभाग, जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी हो, के द्वारा किया जाता है, जैसा भी मामला हो। अब निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV, जो सरकारी कंपनियों के निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में है, चाहे वह केंद्र अथवा राज्य सरकारों के मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा किया जाता हो, में संशोधन किया है तथा ऐसी अपेक्षाओं का पालन सरकारी कंपनियों द्वारा किया जाता है। अनुसूची IV के ऐसे प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट है।

इसी प्रकार की छूट का अनुरोध सीआईआई की पीएसयू शाखा द्वारा सेबी से सेबी एलओडीआर के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए की गई है। इस संबंध लोक उद्यम विभाग ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के लिए कार्यविधि पहले ही निर्धारित कर दी है। लोक उद्यम विभाग ने स्वतंत्र निदेशकों का भी मूल्यांकन शुरू कर दिया है।

आपकी कंपनी, कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन पैमाने निश्चित करके भारत सरकार के साथ प्रतिवर्ष एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। लोक उद्यम (डीपीई) विभाग कंपनी तथा निदेशक मंडल के निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार करता है।

fufek;k@'k;jk dk fuo'kd f'k{kk rFkk lj{k.k dk"k ¼vkbbih,Q½ e varj.k

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2009–10 के बाद से लाभांश की घोषणा नहीं की है इसलिए आईईपीएफ के नियमों के अनुसार दावा न किए गए लाभांश तथा शेयरों के अंतरण का प्रावधान आपकी कंपनी के ऊपर लागू नहीं है।

lcf/kr i{kk d lkFk lfonk vFkok djkjk dk fooj.k

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने संबधित पक्षों में से किसी के साथ भी महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया। कंपनी का संबंधित पक्षों से मुख्य लेन–देन इसकी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के साथ होता है। सभी संबंधित पक्ष लेन–देन, यदि कोई हो, व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार थे तथा स्वतंत्र आधार पर उन पर वार्ता की गई थी। जिसमें कंपनी का हित बढ़ाना अभीष्ट था। तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) की अपेक्षानुसार एओसी–2 फार्म में संबंधित पक्ष लेन–देन का प्रकटन लागू नहीं होता। संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन की नीति के सार के लिए वेब लिंक और संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार (डीलिंग) का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में निगमित अभिशासन के अंतर्गत दिया गया है। संबंधित पक्षों तथा आपकी कंपनी के साथ लेने–देन का विवरण वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में दिया गया है जो उसका हिस्सा है।

diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 186 d vrxr _.k] xkjVh vFkok fuo'k dk fooj.k

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, एमटीएनएल ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अंतर्गत न कोई ऋण अथवा गांरटी दिया गया तथा न कोई निवेश किया गया।

fuxfer vfHk'kklu

आपकी कंपनी ने अधिनियम के अंतर्गत निगमित अभिशासन अपेक्षा, सूचीकरण विनियमों तथा लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए संबंधित दिशानिर्देशों का पालन किया है। आपकी कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य सचिवीय मानदंडों का भी पालन कर रही है। सेबी (एलओडीआर), 2015 की अनुसूची V (ई) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2019–20 के लिए निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में मैसर्स वी.के. शर्मा एंड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिवों से प्राप्त एक प्रमाणपत्र तथा सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी 1/27/2019 दिनांक, 8 फरवरी 2019 के अनुसरण में मैसर्स मृत्युंजय शेखर एंड ऐसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिवों से वित्त वर्ष 2019–20 के लिए प्राप्त वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में सलंग्न है। साथ ही निगमित अभिशासन पर एक पृथक खंड इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में सलंग्न है।

okf"kd fooj.kh dk lkj

जैसा कि अधिनियम की धारा 92 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रावधान हैं, फार्म एमजीटी–9 में वार्षिक विवरणी का सार इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दिया गया है। अधिनियम की धारा 134 (3) (ए) के अनुपालन में वार्षिक विवरणी का सार एमटीएनएल की वेबसाइट पर भी डाला गया है तथा www.mtnl.net.in पर देखा जा सकता है।

^^fuxfer vfHk'kklu e gfjr igy** fo"k; ij diuh dk;l e=ky; }kjk tkjh ifji= dk dk;kUo;u

कंपनी कार्य मंत्रालय परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08.04.2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13.04.2020

तथा परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 एवं सेबी के परिपत्र संख्याः एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12.05.2020 के अनुसरण में और हरित पहल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आपकी कंपनी ने सदस्यों द्वारा प्रदान किए गए पंजीकृत करवाए गए तथा निक्षेपागारों (एनएसडीएल/सीडीएसएल) द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए ई–मेल पतों पर अपने शेयरधारकों को 34वीं वार्षिक आम सभा का नोटिस, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इत्यादि सहित विभिन्न दस्तावेज इलैक्ट्रॉनिक रूप में भेजे हैं। सदस्यों को कहा गया है कि उनके ई–मेल पते में यदि कोई परिवर्तन है तो संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी में वह परिवर्तन दर्ज करके अद्यतन करवाएं। आपकी कंपनी 34वीं वार्षिक आम सभा का नोटिस एवं 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.mtnl.net.in पर भी प्रदर्शित करेगी। आपकी कंपनी इस ''हरित पहल'' में शेयरधारकों की सक्रिय भागीदारी चाहती है और सभी शेयरधारकों से यह निवेदन है कि जिन्होंने अपने ई–मेल के पते अभी तक नहीं दिए हैं वे कृपया शीघ्र अति शीघ्र दे दें।

एमसीए के परिपत्र के अनुपालन में, जिन शेयरधारकों का ईमेल आईडी नहीं है, उन्हें 34वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जाएगी।

fun'kdk d mÙkjnkf;Ro dk fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में, निदेशक अपनी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार यह पुष्टि करते हैं किः

(ए) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, महत्वपूर्ण अंतरों (डिपार्चर) के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है।

(बी) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें संगत रूप से लागू किया है तथा तर्क संगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन किए हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की गतिविधियों तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि की वास्तविक एवं न्यायसंगत स्थिति सामने आए।

(सी) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखों तथा अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों को रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।

(डी) निदेशकों ने क्रियाशील कंपनी आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

(ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन करने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा दक्षतापूर्वक इनका परिचालन किया जा रहा है।

(एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की उचित पद्धति बनाई और इस प्रकार की पद्धतियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही हैं।

vkrfjd foÙkh; fu;=.k i.kkfy;k vkj mudh i;kIrrk

कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी तरह से पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे

आंतरिक नियंत्रण वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में जारी मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित किए गए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

lkof/k tek

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा उसके साथ पठित कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियमावली, 2014 के अंतर्गत कोई भी सावधि जमा आमंत्रित/स्वीकार नहीं किए हैं इसलिए तुलनपत्र की तारीख को इस मद में मूलधन अथवा ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

dkfedk dk fooj.k rFkk lcf/kr idVhdj.k

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के प्रावधान सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

0;olk; mÙkjnkf;Ro fjikVZ ¼chvkjvkj½

सूचीकरण विनियम बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे बड़ी 1000 सूचीबद्ध कंपनियों की व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल करने का आदेश देते हैं तथा आपकी कंपनी सबसे बड़ी 1000 सूची में आती है। एमटीएनएल व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के परिशिष्ट रूप में प्रकट कर रहा है। व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट आपकी कंपनी के सतत् निष्पादन को सेबी द्वारा सुझाई गई रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुरूप व्यवस्थित करती है।

lkfofèkd y[kkijh{kd

भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक के द्वारा मैसर्स कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकार तथा मैसर्स विनोद कुमार एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार को वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 14.11.2019 को उनकी नियुक्ति को पहले ही अभिपुष्ट कर दिया है।

ykxr y[kkijh{kd

मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत रखे गए लागत रिकॉर्ड तथा जैसा (i) लागत लेखांकन रिकार्ड (दूरसंचार) नियमावली, 2002 तथा (ii) लागत लेखापरीक्षा नियमावली 2001 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, की लेखापरीक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत आपकी कंपनी का लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके परिशिष्टों के साथ एमसीए पोर्टल पर फार्म आई–एक्सबीआरएल प्रारूप में केन्द्र सरकार को दिनांक 19–12–2019 को प्रस्तुत कर दी गई है।

lfpoh; y[kkijh{kd

मैसर्स आर.पी. सहगल एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव को वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सचिवालयी

लेखापरीक्षा करने के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। मैसर्स आर.पी. सहगल एंड एसोसिएट्स की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दिए गए हैं।

y[kkijh{kd lki{krk,a rFkk ml ij icU/ku dk mÙkj

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं के उत्तर परिशिष्ट में दिए गए हैं। वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां तथा उन पर प्रबंधन के उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट में दिए गए हैं।

y[kkijh{kdk }kjk fjikVZ fd, x, èkks[kkèkMh ekey

कंपनी के लेखापरीक्षकों ने ऐसी किसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं दी है जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (12) के द्वितीय परंतु क (किसी सांविधिक संशोधन (नों) अथवा कुछ समय के लिए लागू उसके पुनः अधिनियम(नों) सहित) में विनिर्दिष्ट किया गया है।

fdlh fun'kd dh ;kX;rk fu/kkj.k e ldkjkRed x.kk rFkk Lor=rk dk ekunM

¼i½ ;kX;rk¼ आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने आपकी कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति के लिए मानदंड तैयार किया है। पूर्णकालिक निदेशकों का चयन लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा ऐसे मानदंड के आधार पर किया जाता है।

¼ii½ ldkjkRed nf"Vdk.k¼ कंपनी अधिनियम में निर्धारित किए गए निदेशकों के कर्तव्यों के अतिरिक्त निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे नैतिक व्यवहार, संवाद कौशल तथा स्वतंत्र निर्णय के ऊंचे मानक प्रदर्शित करेंगे। निदेशकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे उन पर लागू संबंधित आचार संहिता का पालन करेंगे।

¼iii½ Lor=rk¼ एक निदेशक को तब स्वतंत्र माना जाता है, यदि वे अधिनियम, की धारा 149 (6), उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सूचीकरण विनियमों के विनियम 16(1)(बी) में दिए गए मानदंड को पूरा करते हैं।

Lor= fun'kdk }kjk ?kk"k.kk

स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा/पुष्टि प्रस्तुत की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) तथा सूचीकरण विनियमन के विनियम 16(1) (बी) में निर्धारित किए गए अनुसार स्वतंत्रता का मानदंड पूरा करते हैं तथा वे किसी ऐसी परिस्थिति अथवा स्थिति से अवगत नहीं हैं, जो विद्यमान हो अथवा तर्कसंगत रूप से जिसकी आशा की जा सकती है, जो सूचीकरण विनियमों के विनियम 25 के अनुसरण में उन्हें उनके कर्तव्यों को तटस्थ, स्वतंत्र निर्णय के साथ तथा किसी बाहरी प्रभाव के बिना निर्वहण करने को क्षति पहुंचाती हों अथवा प्रभावित करती हों।

31 मार्च, 2020 को निम्नलिखित गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं:–

1. श्रीमती सुनीता त्रिवेदी
2. श्री चिन्मय बसु
3. श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी
4. श्री के. बी. गोकुलचंद्रन

fun'kd rFkk ie[k icekdh; dkfeZd

कंपनी में एक बहुत संतुलित तथा विविधतापूर्ण निदेशक मंडल है, जिसमें कार्यकारी [जैसे अध्यक्ष एवं प्रब. निदेशक,

निदेशक (मा.सं. एवं ई.बी.), निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तक)], गैर–कार्यकारी [जैसे सरकारी निदेशक] तथा स्वतंत्र निदेशक हैं।

31.07.2020 को एमटीएनएल में वर्तमान निदेशकों की सूची निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपकी कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) के संबंध में निम्नलिखित परिवर्तन आएः–

1. श्री आर.के. खंडेलवाल दिनांक 30.05.2019 को कंपनी के सरकारी नामिती निदेशक नहीं रहे।
2. श्री नवनीत गुप्ता, संयुक्त सचिव (प्रशा.), भारत सरकार दूरसंचार विभाग के पत्रांक ई–5–4/2019–पीएसए दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सरकारी नामिति निदेशक नियुक्त किए गए।
3. श्रीमती तियकला लिंडा यादेन 24.09.2019 से सरकारी नामिती निदेशक नहीं रहीं।
4. श्री पी.के. पुरवार दिनांक 15.07.2019 से एमटीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे तथा दूरसंचार विभाग के पत्र सं.ः ई–2–2/2019–पीएसए, दिनांक 13.04.2020 के माध्यम से दिनांक 15.04.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
5. श्री सुनील कुमार, निदेशक (मा.सं. एवं ई.बी.) को दूरसंचार विभाग के पत्रांक ई–2–2/2019 पीएसए दिनांक 24.07.2019 के माध्यम से दिनांक 24.07.2019 से 15.04.2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
6. श्री राकेश नांगिया तथा श्री अशोक मित्तल दिनांक 31.01.2020 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।
7. श्री महमूद अहमद, उप महानिदेशक एलएफए, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार को दूरसंचार विभाग के पत्रांक ई–5–4/2019 पीएसए दिनांक 05.02.2020 के माद्यम से सरकारी नामिती निदेशक नियुक्त किया गया।

अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 31.03.2020 को आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) इस प्रकार हैंः

i) श्री सुनील कुमार, निदेशक (मा. सं. एवं ईबी) (15.04.2020 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार छोड़ दिया)
ii) श्री मिलिंद विजय जोशी, निदेशक (वित्त)
iii) श्री संजीव कुमार, निदेशक (तकनीकी)
iv) श्री एस.आर. स्याल, कंपनी सचिव

उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई भी अन्य निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सहित) अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान नियुक्त, सेवानिवृत्त नहीं हुए और न किसी ने त्यागपत्र दिया। निदेशक मंडल का विस्तृत विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

Øekorh ¼jksVs'ku½ rjhds ls funs'kdksa dh lsokfuof`Ùk

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 के साथ पठित कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 66एफ के अनुसार श्री सुनील कुमार, निदेशक (मानव संसाधन तथा ईबी) तथा श्री नवनीत गुप्ता, निदेशक क्रमावर्ती ढंग से आगामी वार्षिक आम सभा के समय पर सेवानिवृत्त होते हैं तथा पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं। पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने वाले निदेशकों का विवरण तथा अन्य कंपनियों में उनके निदेशक एवं समिति सदस्य होने के विषय में संक्षिप्त विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 36 (3) तथा आईसीएसआई द्वारा जारी सचिवीय मानक 2 के अनुसरण में वार्षिक आम सभा की सूचना के परिशिष्ट में दिया गया है।

funs'kd eMy dh lfefr;k

दिनांक 31.03.2020 को कंपनी की पांच निदेशक मंडल समितियां हैंः–

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
3. हितधारक संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समितियों का विवरण, उनकी मुख्य शर्तों, संरचना तथा आयोजित बैठकों का विवरण निगमित अभिशासन की रिपोर्ट में उपलब्ध कराए गए हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

vkHkkj

आपके निदेशक, दूरसंचार विभाग (डीओटी) और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रदत्त सहायता, मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक विशेष रूप से अपने बैंकरों, सभी हितधारकों और एडीआर धारकों सहित निवेशकों का भी कंपनी के प्रति उनके निरंतर संरक्षण और विश्वास के लिए आभार प्रकट करते हैं। निदेशक कंपनी के प्रत्येक कार्मिक को उनके कठिन परिश्रम, निष्ठा एवं समर्पित सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। बोर्ड को विश्वास है कि कर्मचारियों के सतत उत्साह, पहल तथा समर्पित प्रयासों से आपकी कंपनी सेल्युलर मोबाइल, बेसिक टेलीफोन, इंटरनेट सेवाओं और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं में निजी ऑपरेटरों से प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना कर सकी तथा प्राप्त सुअवसरों का लाभ उठा सकी।

fun'kd eMy के लिए तथा उनकी ओर से

gLrk-@&
¼Jh ih- d- iqjokj½
v/;{k ,oa izca/k fun'kd

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 15-09-2020

टिप्पणी : निदेशक की रिपोर्ट का दिनांक 15.09.2020 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद दिनांक 30.11.2020 तक निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं : –

(i) श्री मिलिंद विजय जोशी सेवानिवृत्त होने के कारण 30.09.2020 से निदेशक नहीं रहे तथा भारत सरकार, दूरसंचार विभाग ने श्री एस. के. गुप्ता को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया है, जिन्होंने 21.10.2020 को पदभार संभाला है।

(ii) श्री चिन्मयबासु, श्री के. बी. गोकुल चंद्रन, श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी तथा श्रीमती सुनीता त्रिवेदी अपने 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद दिनांक 25.10.2020 को स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

(iii) भारत सरकार, दूरसंचार विभाग ने पत्रांक ई–5–4/2–19 पीएसए दिनांक 26.11.2020 के माध्यम से श्री महमूद अहमद, पूर्व उप–महानिदेशक (एलएफए), दूरसंचार विभाग के स्थान पर श्री अमिताभ रंजन सिन्हा, उप महानिदेशक (वित्त एवं एफ आईपीपी) दूरसंचार विभाग को सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

fun'kdk dh fjikV dk ifjf'k"V&I

31 ekp] 2020 dk lekIr foÙkh; o"k d fy, lfpoky;h y[kkijh{kk fjikV

[diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 204 ¼1½ rFkk diuh
¼icèkdh; dfel;k dh fu;fDr rFkk ikfjJfed½ fu;ekoyh 2014 d fu;e l- 9 d vuljk e]

सेवा में,
सदस्यगण,
egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM
महानगर दूरसंचार सदन,
5वां तल, 9 केंद्रीय कार्यालय परिसर,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा गया है), द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अपनाई जाने वाली अच्छी कॉरपोरेटे पद्धतियों की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस ढंग से संचालित की गई, जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उन पर अपना मत व्यक्त करने का एक तर्कसंगत आधार प्राप्त हुआ।

कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा रखी गई पंजियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पंजियों, फॉर्मों तथा दायर की गई विवरणियों तथा अन्य रिकॉर्ड के सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा किए गए सत्यापन तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पालन किया है तथा कंपनी के पास इस सीमा तक, इस तरह तथा यहां इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन समुचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र है।

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ''कंपनी'' द्वारा रखी गई पंजियों, कार्यवृत्त पंजियों कागजातों, प्रपत्रों तथा दायर की गई विवरणियों एवं अन्य रिकॉर्ड की जांच की हैः–

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

ii) प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

iii) निक्षेपागार (डिपोजिटरी) अधिनियम, 1996 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा उपनियम;

iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम–विनियम;

v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत विनिर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देशः–

   ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों तथा अधिग्रहणों का सारभूत अर्जन) विनियमन, 2011

   बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियमन, 2015

   सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) दिशानिर्देश, 1999 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

ई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्ज प्रतिभूतिओं को जारी एवं सूचीकरण करना), विनियमन, 2008

एफ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम एवं शेयर अंतरण एजेंट के पंजीयक) विनियमन, 1993 जो कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ प्रतिभूति जारी करने के संबंध में लेनदेन विषयक है।

जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियमन 2009 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियमन 1998 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं) और

vi) कंपनी प्रबंधन द्वारा सूचित और प्रमाणित अन्य वे कानून जो उनके क्षेत्रों/व्यापारों के आधार पर हैं विशेष रूप से कंपनी पर लागू हैंः–

ए) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 और उसके अंतर्गत बनी नियमावली और विनियमन

बी) भारतीय तार अधिनियम, 1885

सी) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933

हमने लागू मानकों/विनियमों से निम्नलिखित के अनुपालन की जांच भी की है :

ए) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक,

बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015। diuh u dydÙkk LVkd ,Dlpt fyfeVM] rFkk fnYyh LVkd ,Dlpt fyfeVM l vlph;u d fy, fnukd 16-10-2012 dk vkonu fd;k gA gkykfd if"V dh vHkh irh{kk gA diuh d 'k;j vkVhlhD;,Dl] U;;kd e Hkh lphc) gA

समीक्षा अवधि के दौरान हमारे द्वारा की गई कंपनी के रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऊपर वर्णित अनुसार अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है बशर्ते इस पर हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार है।

कंपनी ने भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन एवं अधिग्रहण विनियम) के विनियम, 30(1) और (2) का अनुपालन नहीं किया।

उपर्युक्त विनियम के अनुसार, प्रवर्तक (प्रमोटर) ने अपनी कुल शेयरधारिता और मतदान के अधिकार से संबंधित वार्षिक खुलासा 31 मार्च को स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी रजिस्टर्ड कार्यालय में दाखिल नहीं किया। हालांकि, कंपनी ने संयुक्त सचिव (प्रशासन), दूरसंचार विभाग भारत सरकार को इस तरह के वार्षिक प्रकटीकरण के लिए पत्र भेजा है।

bld vkx ge fjikVZ djr g fd&

कंपनी द्वारा दी गई सूचना और रिकॉर्डों की जाँच के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल के विधिवत गठन में कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है। बोर्ड की बैठकों के कार्यक्रम के बारे में सभी निदेशकों को अग्रिम रूप से पर्याप्त नोटिस कार्यसूची गौर कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी दिया गया। कंपनी में बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त सूचना एवं स्पष्टीकरण देने तथा प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में सार्थक भागदारी के लिए प्रणाली विद्यमान है।

बोर्ड और समिति की बैठकें के सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए गए, जैसा कि निदेशक मंडल या निदेशक मंडल की समिति(यों), जैसा भी मामला हो, की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है। कंपनी द्वारा रखे गए कार्यवृत्त में किसी निदेशक का असहमति दृष्टिकोण दर्ज नहीं है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त की गई सूचना तथा रखे गए रिकार्ड के आधार पर लागू कानूनों, नियमवली, विनियमों और दिशानिर्देशों को मॉनीटर करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप कंपनी में उपयुक्त प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमावली, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों पर प्रमुख असर वाली कोई गतिविधि नहीं हुई है।

इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाएः

1. साचिविक रिकॉर्डों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन साचिविक रिकॉर्डों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। मापदंड मिलान आधार पर सत्यापन किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साचिविक रिकॉर्डों में सही तथ्य दिखाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि जिन प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का हमने पालन किया है, वे हमारे विचार का उचित आधार हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों तथा लेखा बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहाँ भी अपेक्षित हैं, हमने कानूनों, नियमावली तथा विनियमों के अनुपालन एवं गतिविधियों इत्यादि के संबंध में प्रबंधन प्रतिनिधित्व (रिप्रजैटेशन) को प्राप्त किया है।
5. निगम तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानें का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जाँच मापदंड मिलान आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहारिता (वाएबिलिटी) तथा न ही क्षमता अथवा प्रभावकारिता के प्रति आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

vkj-ih- lgxy ,.M ,lksfl,Vl
कंपनी सचिव

हस्ता./–
¼vkj-ih- lgxy½
सदस्यता सं.ः एफसीएस–1468
सीपी नं. 14936

LFkku % नई दिल्ली
fnukad % 20.08.2020

*fun'kdk dh fjikV dk ifjf'k"V & **II***

oh- d- 'kek ,M diuh
diuh lfpo
बी–1902, एस एस्पायर, टैकजोन–4
ग्रेटर नोएडा (पश्चिम)–201306
मोबाइलः 9811009592, 9818816592
ई–मेलः vks_cosecy@yahoo.com

foÙkh; o"k 2019&20 grq lphdj.k djkj@fofu;ek d vrxr dkjikjV vfHk'kklu dk vuikyu iek.ki=

सेवा में,

egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM d lnL;

1- हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (कंपनी), द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों की सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीकरण विनियम') के निर्धारित सुसंगत खंडों और सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V तथा सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर समय–समय पर निर्धारण अनुसार यथा संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों, 2010 अनुपालन की जांच की है।

2- कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारा परीक्षण उन प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित था जो कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई। यह न कोई लेखापरीक्षा है तथा न कंपनी के वित्तीय विवरणों पर मत की अभिव्यक्ति।

3- हमारे मत में एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सूचीकरण विनियमों में विनिर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

4- आगे हमारा कहना है कि अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में चलते रह सकने का आश्वासन है तथा न कुशलता अथवा प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है, का आश्वासन है।

drs oh- d- 'kek ,M diuh
कंपनी सचिव

हस्ता./–
¼oh- d- 'kek½
एफसीएस–3440
सीपी संख्या. 2019
यूडीआईएन : F003440B000549964

LFkku % ग्रेटर नोएडा
fnukd % 04.08.2020

*fun'kdk dh fjiksVZ dk ifjf'k"V & **III***

eR;qt; 'ks[kj ,.M ,lksfl,V~l
daiuh lfpo
311, आदर्श अपार्टमेंट, पॉकेट 16, सेक्टर 3, द्वारका, नई दिल्ली –75
ई–मेलः shekharmritunjay3@gmail.com
मोबाइलः 9540043975, 8076567045

ellll egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM
dh
okf"kZd lfpoh; vuqikyu fjiksVZ
31 ekpZ 2020 dks lekIr foÙk o"kZ ds fy,
(भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा 8 फरवरी, 2019 को जारी परिपत्र : सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के अनुसार)

हम, eR;qt; 'ks[kj ,.M ,lksfl,V~l] daiuh lfpok ने जांच कीः

(ए) ellll egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज, रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण।

(बी) सूचीबद्ध संस्था द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल/प्रस्तुत किए गए।

(सी) सूचीबद्ध संस्था की वेबसाइट।

(डी) कोई अन्य दस्तावेज/दाखिल किया जाने वाला दस्तावेज, जैसा कि प्रासंगिक हो,

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष ("समीक्षा अवधि") के लिए इस प्रमाणीकरण को बनाने के लिए जिन पर भरोसा किया गया है, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुपालन के संबंध मेंः

ए. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और इसके तहत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश; तथा

बी. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा उसके तहत बताये गए नियम और विनियम, जारी किए गए परिपत्र, दिशा–निर्देश; विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधान और इसके तहत जारी किए गए, परिपत्र/दिशानिर्देश जांच लिए गये है, जिसमें शामिल हैंः –

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण विनियमन) विनियम, 2011;

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015; और उपरोक्त परीक्षा के आधार पर,

हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि, समीक्षा अवधि के दौरानः

(ए) सूचीबद्ध संस्था ने उपरोक्त विनियमों और उनके अंतर्गत जारी किए गए परिपत्रों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया है,

Ø-l-	vu|ikyu dh vko';drk ¼fofu;e@ifji=@fof'k"V i)fr [kM lfgr fn'kkfun'kk dh fVIif.k;k½	ifjorlu	dk;jr diuh lfpo dk voykdu@fVIi.kh
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(बी) मेरे/हमारे द्वारा उन रिकॉर्डों की जांच से जहां तक पता चलता है कि सूचीबद्ध संस्था ने जारी किए गए उपर्युक्त विनियमनों तथा उनके अतंर्गत परिपत्रों/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत रिकॉर्डों का समुचित रखरखाव किया है।

(सी) उपर्युक्त अधिनियमों विनियमों तथा उनके अंतगर्त जारी किए गए परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्था/इसके प्रवर्तकों/निदेशकों/महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के विरुद्ध सेबी अथवा स्टॉक एक्सचेंजों (विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी किए गए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहित) द्वारा की गई कार्रवाइयों का विवरण निम्नानुसार है।

Ø-l-	}kjk dh xbl dkjlokbl	mYya?ku dk fooj.k	dh xbl dkjlokbl tSls nM 'kYd] psrkouh i= dh fVIif.k;k rFkk ykxw foo tuk dk fooj.k bR;kfn	dk;l dj jgs dsiuh lfpo ds voykdu@ fVIif.k;k] ;fn dkbl gks
1.	एनएसई	सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 33	''इस टिप्पणी के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया कि। सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर बाजार प्रतिभागियों को निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना एमटीएनएल की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई'' अनुपालन न होने पर	पत्र संख्याः एमटीएनएल/एसईसीटीटी/एसई/2020, दिनांक 27.01.2020 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है :– I. बोर्ड बैठक के तुरंत बाद, एमटीएनएल ने दिनांक 30.05. 2019 को स्टॉक एक्सेचेंजों में वित्तीय परिणाम दर्ज किए थे। II. हमने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा सापेक्षताओं (वित्त वर्ष 2018–19 के लिए एमटीएनएल के एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों दोनों में) को सापेक्षताओं के ऐसे प्रभावों के साथ एमटीएनएल के सांविधिक लेखापरीक्षक फर्मों अर्थात् मैसर्स कुमार विजय गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों तथा मैसर्स मेहरा गोयल एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित करवाकर क्रमशः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दिनांक 31.05.2019 को (प्रातः 11.48 बजे) तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दिनांक 31.05.2019 को (प्रातः 11. 37) बजे प्रस्तुत किया था। III. वित्तीय विवरणों (एकल तथा समेकित दोनों) पर एमटीएनएल के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट 04.06.2019 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत की गई थी। आप पाएंगे कि 31. 05.2019 को प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा सापेक्षता तथा इसके प्रभाव भी सापेक्षताओं की संख्या के समान (12) है जैसा कि स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेखित हैं।

Ø- l-	}kjk dh xbl dkjokbl	mYy?kuk dk fooj.k	dh xbl dkjokbl tSls nM 'kqYd] psrkouh i= dh fVIif.k;ka rFkk ykxw foo tuk dk fooj.k bR;kfn	dk;l dj jgs dEiuh lfpo dk voyksdu@ fVIif.k;k] ;fn dksbl gks
				IV. यह अंतर्निहित है कि एमटीएनएल ने दिनांक 31.05.2019 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लेखापरीक्षा सापेक्षताएं प्रस्तुत की थीं जो वित्त वर्ष 2018–19 के इसके वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण भाग है। वित्त वर्ष 2018–19 के एमटीएनएल के वित्तीय परिणामों को एमटीएनएल द्वारा 30.05.2019 को व्यापार/बाजार घंटों के बंद होने के बाद जमा कराया गया था। V. चूंकि लेखापरीक्षा सापेक्षताएं निवेशक/बाजार प्रतिभागियों के लिए आवश्यक सूचनाएं हैं इसे एमटीएनएल द्वारा सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर बाजार प्रतिभागियों/निवेशकों शेयर धारकों को उपलब्ध कराया गया था ताकि वे 31.05.2019 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसे फाइल किए जाने के माध्यम से सुविज्ञ निर्णय ले सकें। वास्तव में बाजार प्रतिभागियों/निवेशकों/शेयरधारकों द्वारा सुविज्ञ निर्णय लिया जा सके इसके लिए एमटीएनएल प्रबंधन ने अपने सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रत्येक लेखापरीक्षा सापेक्षताओं के उत्तर प्रभाव भी दिए हैं। वित्त वर्ष 2018–19 की स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट एमटीएनएल के बाजार प्रतिभागियों/निवेशकों/हितधारकों को सूचना देने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई थी। VI. अतः एमटीएनएल ने सांविधिक लेखापरीक्षा फर्मों के साझेदारों द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित ''स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का महत्वपूर्ण सार'' प्रस्तुत किया है इन साझेदारों ने क्रमशः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 31.05.2019 को स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर भी हस्ताक्षर किए थे ताकि एमटीएनएल के बाजार प्रतिभागी/शेयरधारक सुविज्ञ एवं संतुलित निर्णय ले सकें। एमटीएनएल ने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में कभी भी विलंब नहीं किया बल्कि दिनांक 25.06.2019 के अपने उत्तर में हमने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि एमटीएनएल ने 31.05.2019 को ही सांविधिक लेखा परीक्षकों की सापेक्षताएं तथा उनके प्रभाव (प्रबंधन का उत्तर) प्रस्तुत कर दिए थे। मूल लेखापरीक्षा रिपोर्ट 04.06.2019 को प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार निवेशकों को लेखापरीक्षा सापेक्षताओं और उनके प्रभावों के संबंध में समय पर भली भांती सूचित किया जा चुका है। अतः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पत्र शीर्ष के उपर्युक्त पैरा 5.2 का यह उल्लेख

Ø- l-	}kjk dh xbl dkjlokbl	mYy?kuk dk fooj.k	dh xbl dkjlokbl tl nM 'kYd] plrkouh i= dh fVIif.k;k rFkk ykxw foo tuk dk fooj.k bR;kfn	dk;l dj jg diuh lfpo d voyk du@ fVIif.k;k] ;fn dkbl gk
				कि लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी के सभी बाजार प्रतिभागियों तथा निवेशकों को समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी, सत्य नहीं है। VII.हम एक्सचेंज को यह भी सूचित एवं पुष्ट करते हैं कि कंपनी ने सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते विनियमनों का सदैव अक्षरशः अनुपालन किया है।

(डी) सूचीबद्ध संस्था ने पिछली रिपोर्टों में किए गए अवलोकनों के अनुपालन में निम्नलिखित कार्रवाईयां की हैं:

Ø- l-	fiNyh fjikVl e dk;jr diuh lfpo d voykdu	31 ekpl 2019 dk lekIr o"kl ¼o"kk dk mYys[k fd;k tk,½ d fy, fiNyh lfpoh; vuikyu fjikVl e fd, x, voykdu	lphc) lLFkk }kjk dh xbl dkjlokbl] ;fn dkbl gk rk	lphc) lLFkk }kjk dh xbl dkjlokbl ij dk;jr diuh lfpo dh fVIif.k;k
1.	लेखापरीक्षा समिति की बैठक संख्या 117 दिनांक 30.05.2018 को तथा बैठक संख्या 118 दिनांक 14.11.2018 को आयोजित की गई थी। इसमें 167 दिनों का अंतर है। यह 120 दिनों के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति बैठक 14.08.2018 को आयोजित करना निश्चित किया था परन्तु गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में लेखापरीक्षा समिति की बैठक नहीं हुई।	लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के मध्य निर्धारित तिथि का अंतर 120 दिन है जबकि इसमें 167 दिनों का विलंब हुआ। वित्त वर्ष 2018–19 में लेखापरीक्षा समिति की केवल तीन बैठकें आयोजित हुईं।	सूचीबद्ध संस्था ने उक्त विनियमों का अनुपालन किया है तथा वर्ष 2019–20 के दौरान, निर्धारित समय – सीमा के भीतर बैठकें आयोजित कीं।	वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कोई विचलन देखने में नहीं आया।
2.	बोर्ड बैठक संख्या 333, दिनांक 14. 08.2018 लेखापरीक्षा समिति के समक्ष उसकी संस्तुतियों के लिए रखे बिना बोर्ड द्वारा वित्तीय परिणाम अनुमोदित। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति की बैठक 14.08.2018 को आयोजित करना निश्चित किया था लेकिन गणपूर्ति के अभाव में यह बैठक नहीं हो सकी।	लेखापरीक्षा समिति बोर्ड के अनुमोदन से पूर्व वित्तीय परिणामों की समीक्षा एवं संस्तुति करें।	सूचीबद्ध संस्था ने उक्त विनियमों के मानकों का अनुपालन किया है तथा लेखापरीक्षा समिति के वित्तीय वर्ष 2019–20 ने दौरान बोर्ड के अनुमोदन से पूर्व वित्तीय परिणामों की समीक्षा तथा संस्तुति की।	वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कोई विचलन देखने में नहीं आया।

dr e R;qt; 'k[kj ,M ,lkfl,Vl
कंपनी सचिव

LFkku % नई दिल्ली
fnukd % 13.06.2020

,lh,l@,Qlh,l l- % 17250
lh ih l- 20871

*fun'kdk dh fjikV dk ifjf'k"V & **IV***

lfpoky;h ys[kkijh{kk fjikV e lki{krkvk ij ,eVh,u,y dk mÿkj] fuxfer vfHk'kklu dh 'krk d vuikyu d lc/k e vuikyu iek.k i= rFkk foÿk o"k 2019&20 d fy, ,eVh,u,y dh okf"kd lfpoky;h vuikyu fjikV

Ø-l-	lki{krk,	diuh d voykdu@fVIif.k;k
1.	कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण विनियमन, विनियमन 2011 के विनियम 30 (1) तथा (2) का अनुपालन नहीं किया है।	प्रवर्तक तथा प्रवर्तक समूह को स्टॉक एक्सचेंजों तथा कंपनी को अपनी शेयरधारिता के विषय में वार्षिक रूप से एक पत्र लिखने की आवश्यकता होती है परंतु दूरसंचार विभाग ने अभी यह जमा नहीं करवाया है। कंपनी ने संयुक्त सचिव (प्रशासन) दूरसंचार विभाग, भारत सरकार को ऐसी वार्षिक प्रकटन अपेक्षा के लिए पत्र लिखा है।

fun'kdk dh fjikV dk ifjf'k"V & V

Qke l[;k ,e th Vh&9
31 ekpZ 2020 dk lekIr foÙk o"k dh
okf"kd fooj.kh dk lkjka'k

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में]

1- ithdj.k ,o vU; fooj.k

i½ lhvkbl,u% L32101DL1986GOI023501

ii½ ithdj.k dh rkjh[k% 28 फरवरी, 1986

iii½ diuh dk uke% महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

iv½ diuh dh Js.kh@mi Js.kh% भारत सरकार का उद्यम

v½ ithdr dk;ky; dk irk vkj lid dk fooj.k%– महानगर दूरसंचार सदन, 5वां तल, 9, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, टेलीफोन नं. 011–24319020, फैक्स 011–24324243

vi½ D;k ;g diuh lphc) gS gk@ugh% – हां

vii½ ith;d vkj vrj.k ,tV] ;fn dkbl gS rk mudk uke] irk vkj lid dk fooj.k %&

मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, तृतीय तल, बीटल हाउस, 99, मदनगीर, लोकल शापिंग सेंटर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के निकट, नई दिल्ली–110062, टेलीफोनः 011–29961281–82 फैक्स. 011–29961284, ईमेल आईडीः beetalrta@gmail.com, beetal@beetalfinancial.com, वेबसाइट www.beetalfi nancial.com

2- diuh dh ie[k 0;kolkf;d xfrfof/k;k

कंपनी के कुल कारोबार में से 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाले सभी व्यवसायों का विवरणः–

Ø- l-	eq[; mRikn@lokvk dk uke ,o fooj.k	mRikn@lokvk dk ,uvkbl lh dkM	diuh d dy dkjkckj dk ifr'kr
1	दूरसंचार सेवाएं	752	100%

3- èkkjd] lgk;d ,o lg;kxh diu;k dk fooj.k %

Ø l-	diuh dk uke o irk	lhvkbl,u@thvkbl,u	èkkjd diuh@ lgk;d@ lg;kxh diuh	/kkfjr 'k;jk dk ifr'kr	ykxw gku okyh èkkjk
1.	महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (एमटीएमएल) एमटीएमएल स्क्वेयर, 63, साइबर सिटी, इबेने सिटी, मॉरीशस	लागू नहीं	पूर्ण स्वामित्व की विदेश स्थित सहायक कंपनी	100%	2 (87)

2.	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) कमरा नं. 4208, चौथी मंजिल महानगर, दूरसंचार सदन, 9 केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	U64200DL2000GOI333459	पूर्ण स्वामित्व की भारतीय सहायक कंपनी	100%	2 (87)
3.	एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (एमएसआईटीएस), महानगर दूरसंचार सदन, 5वां तल, 9 केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	U72901DL2006PLC148310	संयुक्त उद्यम	50%	2(6)
4.	यनूाइटेड टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड (यूटीएल), त्रिवेणी कॉम्पलेक्स, पुताली सड़क, काठमांडू	लागू नहीं	सहयोगी कंपनी	26.68%	2(6)

4- 'k;j/kkfjrk dk rjhdk ¼dy bfDoVh d ifr'kr d :i e bfDoVh 'k;j it h dk vyx&vyx fooj.k½

i½ J.khokj&'k;j/kkfjrk

'k;j/kkjdk dh J.kh	o"k d ikjHk e vFkkr 01-04-2019 dk èkkfjr 'k;jk dh l[;k				o"k d vr e vFkkr 31-03-2020 dk èkkfjr 'k;jk dh l[;k				o"k d nkjku ifjoru dk %
	MheV	Hkkfrd	dy	dy 'k;jk dk %	MheV	Hkkfrd	dy	dy 'k;jk dk %	
,½ iord									
¼1½ Hkkjrh;									
ए) वयैक्तिक/हिंदू अविभाजित परिवार	0	0	0	0	0		0		0
बी) केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार (रें)	354378740	0	354378740	56.25	354378740	0	354378740	56.25	0
सी) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
डी) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
ई) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
mi&;kx ¼,½ ¼1½%&	354378740	0	354378740	56.25	354378740	0	354378740	56.25	0
¼2½ fon'kh									
ए) अप्रवासी भारतीय – वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
बी) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
सी) बैक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
डी) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
mi&;kx ¼,½ ¼2½%&	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
iorld dh dy 'k;j /kkfjrk ¼,½¾¼,½¼1½$¼,½¼2½	354378740	0	354378740	56.25	354378740	0	354378740	56.25	0

'k;j/kkjdksa dh Js.kh	o"kZ ds izkjaHk esa vFkkZr 01-04-2019 dks èkkfjr 'ks;jksa dh la[;k				o"kZ ds var esa vFkkZr 31-03-2020 dks èkkfjr 'ks;jksa dh la[;k				o"kZ ds nkSjku ifjorZu dk %
	MheSV	HkkSfrd	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	MheSV	HkkSfrd	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	
ch½ lkoZtfud 'ks;j /kkfjrk									
1- laLFkku									
ए) पारस्परिक निधि (म्यूच्युल फंड)	100	4400	4500	0	100	4400	4500	0.00	0
बी) बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियां	127497698	2200	127499898	20.25	91941761	2200	91943961	14.59	-5.656
सी) केंद्र सरकार/राज्य सरकार	2500	0	2500	0	2500	0	2500	0.00	4E-04
ई) उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
एफ) विदेशी वित्तीय संस्थान/ बैंक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	2169654	600	2170254	0.34	2165704	600	2166304	0.34	0.004
जी) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
एच) अन्य (ब्योरा दें)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
(आइ) दबावग्रस्त परिसंपत्तियां	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
mi&;ksx ¼ch½ ¼1½&	129669952	7200	129677152	20.59	94110065	7200	94117265	14.94	-5.651
2- xSj laLFkku									
ए) निगमित निकाय (भारतीय एवं विदेशी)	28851594	6001	28857595	4.59	11667739	6000	11673739	1.85	-2.737
बी) वैयक्तिक									0
(i) 2 लाख रुपये तक की अधिकृत शेयर पूंजी के वैयक्तिक शेयरधारक	67333011	72994	67406005	10.72	88349264	61261	88410525	14.03	3.313
(ii) 2 लाख रुपये से अधिक की अधिकृत शेयर पूंजी के वैयक्तिक शेयरधारक	33036273	0	33036273	5.25	61946340	0	61946340	9.83	4.583
(सी) अन्य (ब्योरा दें)									0
न्यास	255932	0	255932	0.04	301052	0	301052	0.05	0.008
विदेशी राष्ट्रिक	0	0	0	0	0	0	0		0
अप्रवासी भारतीय और विदेशी कॉरपोरेट निकाय	1499070	0	1499070	0.23	2055752	0	2055752	0.33	0.096
सी–ii) क्लियरिंग सदस्य	1072154	0	1072154	0.12	1133363	0	1133363	0.18	0.06
हिंदू अविभाजित परिवार	6635957	0	6635957	1.06	8943830	0	8943830	1.42	0.36
mi&;ksx ¼ch½¼2½&	138683991	78995	138762986	22.01	174397340	67261	174464601	27.69	5.683
dqy lkoZtfud 'ks;jèkkfjrk ¼ch½¾¼ch½ ¼1½$ ¼ch½ ¼2½	268353943	86195	268440138	42.6	268507405	74461	268581866	42.63	0.032
lh- thMhvkj ,oa ,Mhvkj ds vfHkj{kd dh 'ks;j/kkfjrk	7181122	0	7181122	1.15	7039394	0	7039394	1.12	-0.033
dqy ;ksx ¼,chlh½	629913805	86195	630000000	100	629925539	74461	630000000	100.00	0

ii½ foÙk o"k 2019&20 d nkjku iorldk dh 'k;j/kkfjrk

Ø- l-	'k;j/kkjdk dk uke	o"k d ikjHk e 01-04-2019 dk 'k;j/kkfjrk			o"k d vr e 31-03-2020 dk 'k;j/kkfjrk			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ऋणभारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ऋण भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	354378740	56.25	शून्य	354378740	56.25	शून्य	शून्य
	dy	**354378740**	**56.25**	'kU;	**354378740**	**56.25**	'kU;	'kU;

iii½ foÙk o"k 2019&20 d nkjku iorldk dh 'k;j/kkfjrk e ifjorlu ¼;fn dkbl ifjorlu ugh g] rk —i;k C;kjk n½

Ø- l-		o"k d ikjEHk e 01-04-2019 dk 'k;j/kkfjrk		o"k 2019&20 d nkjku lp;h 'k;jèkkfjrk	
		'k;jk dh l-	diuh d dy 'k;jk dk %	'k;jk dh l-	diuh d dy 'k;jk dk %
1.	वर्ष के प्रारम्भ में (01.04.2019 को)	354378740	56.25	354378740	56.25
2.	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी। वृद्धि/कमी का कारण बताएं (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/श्रमजन्यइक्विटी आदि)	लागू नहीं	—	लागू नहीं	—
3.	वर्ष के अंत में (31.03.2020 को)	354378740	56.25	354378740	56.25

01.04.2019 से 31.03.2020 के बीच (वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान) प्रवर्तकों अर्थात भारत के राष्ट्रपति की कुल शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं है।

iv) 31-03-2020 dk lcl vf/kd 'k;j èkkj.k djus oky 10 'k;j/kkjdk d 'k;j/kkj.k dk ueuk ¼iVu½ ¼funs'kdk] iorldk vkj thMhvkj ,o ,Mhvkj /kkjdk d vfrfjä½

Ø- l-	uke	01-04-2019 dk o"k d ikjEHk e 'k;j/kkfjrk					o"k ¼2019&20½ d nkjku lp;h 'k;jèkkfjrk	
		o"k d ikjHk e vFkkr ¼01-04-19½@ o"k d vr ¼31-03-20½ e 'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %	rkjh[k	'k;j /kkfjrk e of)@deh	dkj.k	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %
1	Hkkjrh; thou chek fuxe	**115158966**	**18.2792**	**30-ekp-19**				**0**
			0	**05-vil-19**	**-6810335**	foØ;	**108348631**	**17.1982**

Ø- l-	uke	01-04-2019 dks o"kZ ds ikjEHk esa 'ks;j/kkfjrk					o"kZ ¼2019&20½ ds nkSjku lap;h 'ks;jèkkfjrk	
		o"kZ ds ikjEHk esa vFkkZr ¼01-04-19½@ o"kZ ds vUr ¼31-03-20½ esa 'ks;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy 'ks;jksa dk %	rkjh[k	'ks;j /kkfjrk esa of)@deh	dkj.k	'ks;jksa dh la[;k	dEiuh ds dqy 'ks;jksa dk %
			0	12-vizSy-19	-624500	foØ;	107724131	17.0991
			0	19-vizSy-19	-500500	foØ;	107223631	17.0196
			0	26-vizSy-19	-100000	foØ;	107123631	17.0038
			0	03-ebZ-19	-223451	foØ;	106900180	16.9683
			0	10-ebZ-19	-698290	foØ;	106201890	16.8574
			0	17-ebZ-19	-1938102	foØ;	104263788	16.5498
			0	24-ebZ-19	-4708991	foØ;	99554797	15.8023
			0	31-ebZ-19	-600000	foØ;	98954797	15.7071
			0	07-twu-19	-1960000	foØ;	96994797	15.396
			0	14-twu-19	-4544047	foØ;	92450750	14.6747
			0	21-twu-19	-543330	foØ;	91907420	14.5885
			0	28-twu-19	-1219299	foØ;	90688121	14.3949
			0	05-tqykbZ-19	-2918824	foØ;	87769297	13.9316
			0	12-tqykbZ-19	-552743	foØ;	87216554	13.8439
			0	19-tqykbZ-19	-1320061	foØ;	85896493	13.6344
			0	26-tqykbZ-19	-412042	foØ;	85484451	13.569
			0	02-vxLr-19	-622847	foØ;	84861604	13.4701
			0	09-vxLr-19	-826	foØ;	84860778	13.47
		84860778	13.47	31-ekpZ-20			84860778	13.47
			0	- -				0
2	deys'k ch lkg	1765	0.0003	30-ekpZ-19				0
			0	08-uoEcj-19	8545000	Ø;	8546765	1.3566
			0	15-uoEcj-19	-3364000	foØ;	5182765	0.8227
			0	24-tuojh-20	4000000	Ø;	9182765	1.4576
		9182765	1.4576	31-ekpZ-20			9182765	1.4576
			0	- -				0
3	fn cSd vkWQ U;w;kdZ esyku	7039394	1.1174	30-ekpZ-19		o"kZ ds nkSjku dksbZ ifjorZu ugha	7039394	1.1174
		7039394	1.1174	31-ekpZ-20			7039394	1.1174
			0	- -				0
4	iadk'k oYYHk lkg	900	0.0001	30-ekpZ-19				0
			0	15-uoEcj-19	2149000	Ø;	2149900	0.3413
		2149900	0.3413	31-ekpZ-20			2149900	0.3413

Ø- l-	uke	01-04-2019 dk o"k d ikjEHk e 'k;j/kkfjrk					o"k ¼2019&20½ d nkjku lp;h 'k;jèkkfjrk	
		o"k d ikjHk e vFkkr ¼01-04-19½@ o"k d vr ¼31-03-20½ e 'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %	rkjh[k	'k;j /kkfjrk e of)@deh	dkj.k	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk %
			0	- -				0
5	n U;w bfM;k ,';kjl diuh fy-	1994544	0.3166	30-ekp-19		o"k d nkjku dkbl ifjorlu ugh	1994544	0.3166
		1994544	0.3166	31-ekp-20			1994544	0.3166
			0	- -				0
6	dfork vkj- ikiyh	1746940	0.2773	30-ekp-19		o"k d nkjku dkbl ifjorlu ugh	1746940	0.2773
		1746940	0.2773	31-ekp-20			1746940	0.2773
			0	- -				0
7	,yjk bfM;k vkiplfuVhl QM fyfeVM	1618500	0.2569	30-ekp-19		o"k d nkjku dkbl ifjorlu ugh	1618500	0.2569
		1618500	0.2569	31-ekp-20			1618500	0.2569
			0	- -				0
8	itkc u'kuy cd	1550000	0.246	30-ekp-19		o"k d nkjku dkbl ifjorlu ugh	1550000	0.246
		1550000	0.246	31-ekp-20			1550000	0.246
			0	- -				0
9	fn vkfj;Vy bU';kjl diuh fyfeVM	1392970	0.2211	30-ekp-19		o"k d nkjku dkbl ifjorlu ugh	1392970	0.2211
		1392970	0.2211	31-ekp-20			1392970	0.2211
			0	- -				0
10	jfo dekj jke fd'kkj lkoydk	1060000	0.1683	30-ekp-19				0
			0	17-ebl-19	10000	Ø;	1070000	0.1698
			0	29-uoEcj-19	-10000	foØ;	1060000	0.1683
			0	17-tuojh-20	-1000	foØ;	1059000	0.1681
			0	24-tuojh-20	-1000	foØ;	1058000	0.1679
		1058000	0.1679	31-ekp-20			1058000	0.1679
			0	- -				0

v) 31 ekp] 2020 dk funs'kdk vkj ie[k icèku dkfedk dh 'k;jèkkfjrk

Ø- l-	iR;d funs'kd vkj ie[k icèku dkfed dk fy,	o"k d ikjHk e 01@04@20209 dk 'k;jèkkfjrk		o"k 2019&20 d nkjku lp;h 'k;jèkkfjrk	
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk ifr'kr	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk ifr'kr
1.	श्री पी.के. पुरवार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (15.04.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे) तथा 15.04.2020 से उन्हें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।	शून्य		शून्य	
2.	श्री सुनील कुमार, निदेशक (मानव संसाधन एवं उद्यम व्यवसाय) (24.07.2019 से 15.04.2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया)	शून्य		शून्य	
3.	श्री मिलिन्द विजय जोशी, निदेशक (वित्त)	शून्य		शून्य	
4.	श्री संजीव कुमार, निदेशक (तकनीकी)	शून्य		शून्य	
5.	श्री आर.के. खंडेलेवाल, सरकारी निदेशक (30.05.2019 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य		शून्य	
6.	श्री नवनीत गुप्ता, सरकारी निदेशक	शून्य		शून्य	
7.	श्रीमती तियाकला लिंडा यादेन सरकारी निदेशक (24.09.2019 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य		शून्य	
8.	श्री राकेश नांगिया, स्वतंत्र निदेशक (31.01.2020 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य		शून्य	
9.	श्री अशोक मित्तल,, स्वतंत्र निदेशक (31.01.2020 से निदेशक नहीं रहे)	शून्य		शून्य	
10.	श्री चिन्मय बासु, स्वतंत्र निदेशक	शून्य		शून्य	
11	श्री के.बी. गोकुलचंद्रन, स्वतंत्र निदेशक	शून्य		शून्य	
12.	श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	शून्य		शून्य	
13.	श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, स्वतंत्र निदेशक	शून्य		शून्य	
14.	श्री एस. आर. स्याल, कंपनी सचिव	शून्य		शून्य	

V. _.kxLrrk

(a) vnÙk@iknHkr C;kt lfgr dEiuh dh _.kxLrrk ijrq] tks Hkkjrh; y[kk ekudksa ds vuqlkj foÙk o"kZ 2019&20 ds nkSjku Hkqxrku ds fy, ns; ugha

(#- djksM+ esa)

	tekurh _.k] tek dks NksM+ dj ¼,yVh,y½	xSj tekurh _.k ckWaM $,lVh,y $ vkMh	tek	dqy _.kxLrrk
01-04-2019 ds vuqlkj foÙk o"kZ ds izkjEHk esa _.kxLrrk				
i) ewy/ku	9,093.13	10,598.80	-	19,691.93
ii) ns; C;kt ijarq Hkqxrku ugha fd;k	-	-	-	-
iii) iknHkr C;kt ijarq ns; ugha	1.08	60.33	-	61.41
dqy (i+ii+iii)	9,094.21	10,659.13	-	19,753.34
foÙk o"kZ 2019&20 ds nkSjku _.kxLrrk esa ifjorZu				
• ifjoèkZu	1,596.34	1,679.00	-	3,275.34
• deh	-	-	-	
fuoy ifjorZu	1,596.34	1,679.00	-	3,275.34
foÙk o"kZ ds vUr esa 31-03-2020 dks _.kxLrrk				
i) ewy/ku	10,690.34	12,275.23	-	22,965.57
ii) ns; C;kt ijarq Hkqxrku ugha fd;k	-	-	-	-
iii) iknHkr C;kt ijarq ns; ugha	0.20	62.90	-	63.10
dqy (i+ii+iii)	10,690.55	12,338.13	-	23,028.68

fVIi.kh% भारत सरकार ने वर्ष 2014 में कंपनी को वित्तीय समर्थन देने की स्वीकृति दी तथा एमटीएनएल द्वारा ब्रॉडबैंड वायरलैस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम वापस करने पर कपंनी द्वारा ऐसे स्पैक्ट्रम के लिए वर्ष 2011 में भुगतान की गई राशि 4533.97 करोड़ रुपये के प्रारंभिक प्रभारों के लिए इस प्रकार से निधीयन किए जाने पर सहमति हुई कि कंपनी भारत सरकार की ओर से ऋणपत्र (डिबेंचर) जारी करें, जिसके लिए परिपक्वता पर मूलधन का भुगतान तथा ब्याज का भुगतान दूरसंचार विभाग के माध्यम से किए जाने के लिए भारत सरकार ने अनुवर्ती शर्तों के साथ सरकारी गारंटी प्रदान की। तदनुसार जारी किए गए बॉण्डों के मूलधन तथा ब्याज के भुगतान के प्रति कंपनी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है तथा इससे कंपनी दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य समतुल्य राशि के लिए प्रतितुलित (ऑफसेट) है।

VI. fun'kdk vkj iek[k ic/ku dkfedk dk ikfjJfed

,- प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पारिश्रमिक

Ø l-	ikfjJfed dk fooj.k	icek fun'kd@i.kdkfyd fun'kd@icekd dk uke				dy jkf'k #i;s e
		श्री पी. के. पुरवार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (15.07.2019 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे तथा 15.04.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया)	श्री सुनील कुमार, निदेशक (मानव संसाधन एवं उद्यम व्यवसाय) 24.07.2019 से 15.04.2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।	श्री मिलिंद विजय जोशी निदेशक (वित्त)	श्री संजीव कुमार, निदेशक (तकनीकी)	
1.	सकल वेतन (ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	9,81,006/- 2,84,388/- -	26,44,707/- 7,65,112/- -	22,81,363/- 6,23,751/- -	25,34,443/- 7,60,665/- -	84,41,519/- 24,33,916/- -
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्रमजन्य इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	कमीशन –लाभ के % के रूप में –अन्य, विवरण दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	अन्य, कृपया विवरण दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	dy ¼,½	**12,65,394**	**34,09,819**	**29,05,114**	**32,95,108**	**108,75,435**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार				

ch- अन्य निदेशकों को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पारिश्रमिक

Ø l-	ikfjJfed dk fooj.k	funs'kdksa ds uke						dqy jkf'k #- esa
	Lora= funs'kd	Jh jkds'k ukfx;k ¼31-01-2020 ls funs'kd ugha jgs½	Jh v'kksd feÙky ¼31-01-2020 ls funs'kd ugha jgs	Jh fpUe; cklq	Jh ds- ch- xksdqypæu	Jherh th- inetk jsMMh	Jherh lquhrk f=osnh	
1.	• बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया विवरण दें	70,000	70,000	40,000	30,000	60,000	90,000	3,60,000
2.	dqy ¼1½	70,000	70,000	40,000	30,000	60,000	90,000	3,60,000
3.	vU; xSj dk;Zikyd funs'kd							
4.	• बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया विवरण दें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	dqy ¼2½	–	–	–	–	–	–	–
6.	dqy ¼ch½¾ ¼1$2½							**3,60,000**
7.	dqy izca/kdh; ikfjJfed ¼,$ch½							**112,35,435**
8.	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार						

lh- प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पारिश्रमिक

Ø- l-	ikfjJfed dk fooj.k	izeq[k izca/kdh; dkfeZd		
		eq[; dk;Zikyd vf/kdkjh	dEiuh lfpo	dqy jkf'k #- esa
		लागू नहीं	श्री एस. आर. स्याल	
1.	सकल वेतन (ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	- -	20,02,821 49,596	20,02,821 49,596
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	श्रमजन्य इक्विटी	-	-	-

Ø- l-	ikfjJfed dk fooj.k	ie[k ic/kdh; dkfeZd		
		e[; dk;ikyd vf/kdkjh	dEiuh lfpo	dy jkf'k #- e
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप मे - अन्य, विवरण दें	-	-	-
5.	अन्य, कृपया विवरण दें	-	-	-
	कुल	-	20,52,417	20,52,417

VII. foÙk o"kZ 2019&20 dk nkjku tekZuk@nUM@vijk/kksa dk le>kSrk & 'kwU;

izdkj	dEiuh vf/kfu;e dh /kkjk	laf{kIr fooj.k	yxk, x, tekZuk@ nUM@le>kSrk 'kYd dk fooj.k	ikf/kdj.k [vkjMh@,ulh,yVh@ U;k;ky;]	dh xbZ dksbZ vihy ¼fooj.k n½
,- dEiuh					
जुर्माना					
अपराध का समझौता					
ch- funs'kd					
जुर्माना					
दंड					
अपराध का समझौता					
lh- vU; vf/kdkfj;ksa dh pwd					
जुर्माना					
अपराध का समझौता					

शून्य

funs'kdksa dh fjiksVZ dk ifjf'k"V & VI

foÙk o"kZ 2019&20 dh fuxfer vfHk'kklu fjiksVZ

1- vfHk'kklu dh lafgrk ij daiuh dk n'kZu

अभिशासन संहिता पर कंपनी के दर्शन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सत्यनिष्ठा के मार्गदर्शी सिद्धांतों से व्यापार के कुशल संचालन तथा हितधारकों की प्रतिबद्धता को पूरा करने के माध्यम से शेयरधारकों के हित कंपनी अधिनियम 2013 नियमावली के साथ कंपनी तथा निगमित लक्ष्यों के मध्य एक संतुलन प्राप्त करना शामिल है। सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015] एमटीएनएल सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होते हैं और कॉरपोरेट अभिशासन के लिए सुदृढ़ आधारभूत रूपरेखा प्रदान करते हैं। एमटीएनएल बेहतर कॉरपोरेट अभिशासन के लिए कंपनी अधिनियम 2013, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के संगत प्रावधानों का पालन कर रहा है। चूंकि एमटीएनएल एक सार्वजनिक उपक्रम है इसलिए यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों का भी पालन कर रहा है।

2- funs'kd eaMy

¼I½ 31 ekpZ] 2020 dks funs'kd eaMy dk xBu bl izdkj gS%

funs'kdksa dh Js.kh	funs'kd eaMy dh lajpuk	31 ekpZ] 2020 dks okLrfod la[;k
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1*
पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक	3	3
अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिति) जो दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।	2	1
अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	6	4
dqy	12	09*

* निदेशक (मानव संसाधन तथा उद्यम व्यवसाय) को दिनांक 15.04.2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। श्री पी.के. पुरवार को 15.04.2020 से एमटीएनएल का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

कंपनी के बोर्ड में कार्यकारी [जैसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (मा.सं. एवं उद्यम व्यवसाय), निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) के रूप में] गैर कार्यकारी [जैसे सरकारी निदेशकों], और स्वतंत्र निदेशकों का संतुलित विविधतायुक्त आदर्श सम्मिश्रण है। बोर्ड का गठन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 के साथ पठित अधिनियम की धारा 149 और 31.03.2020 के डीपीई के कॉरपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

¼II½ ,eVh,u,y esa funs'kd eaMy Lrj dh lfefr

निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के लिए डीपीई के कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर की पांच अनिवार्य समितियों का गठन किया है–लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, सीएसआर समिति और उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति। बोर्ड स्तर की इन समितियों में मुख्य रूप से स्वतंत्र/गैर कार्यकारी निदेशक होते हैं। आवश्यकतानुसार इन समितियों की बैठक की जाती हैं। विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है। निदेशक

मंडल स्तर की समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त परिचालित किए जाते हैं तथा निदेशक मंडल की बैठकों में उन पर चर्चा की जाती है।

¼III½ orZeku funs'kdksa dh lwph rFkk 31-07-2020 dks ds vuqlkj ,eVh,u,y dh funs'kd eaMy Lrj dh lfefr;ksa esa mudh vè;{krk@lnL;rk rFkk vU; dEifu;ksa esa mudk funs'kd gksuk

uke	Js.kh	vU; dEifu;ksa esa funs'kd gksus dk fooj.k	,eVh,u,y esa lfefr;ksa dh vè;{krk@lnL;rk dk fooj.k
श्री पी. के. पुरवार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 06619060	कार्यपालक	1. बीएसएनएल– अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2. एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विस लि. – निदेशक 3. बीएसएनएल टॉवर कारपोरेशन लि. – निदेशक	शून्य
श्री सुनील कुमार, निदेशक (मा.सं. एवं उद्यम व्य.) डीआईएनः 06628803	कार्यपालक	1. एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विस लि. – निदेशक 3. मिलेनियम टेलीकॉम लि. – निदेशक	अध्यक्ष – उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति और सीएसआर समिति सदस्य – लेखापरीक्षा समिति
श्री मिलिंद विजय जोशी निदेशक (वित्त) डीआईएनः 08273959	कार्यपालक	1. एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विस लि. – निदेशक	सदस्य – हितधारक संबंध समिति, उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति और सीएसआर समिति
श्री संजीव कुमार निदेशक (तकनीकी) डीआईएनः 07566882	कार्यपालक	1. एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विस लि. – निदेशक	सदस्य – सीएसआर समिति एवं उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति
श्री नवनीत गुप्ता डीआईएनः 08478052	सरकारी नामिति निदेशक	1. भारत संचार निगम लिमिटेड – निदेशक	सदस्य – सीएसआर समिति एवं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
श्री महमूद अहमद डीआईएनः 07694375	सरकारी नामिति निदेशक	शून्य	शून्य
श्री चिन्मय बासु डीआईएनः 02105505	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	सदस्य – सीएसआर समिति एवं उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति
श्री के. बी. गोकुलचन्द्रन डीआईएनः 07969005	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	अध्यक्ष – लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति सदस्य–सीएसआर समिति एवं उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति
श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी डीआईएनः 06464905	स्वतंत्र निदेशक	1. सप्तश्वा तेजा एनर्जी प्रा. लि. – निदेशक	सदस्य – लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति एवं सीएसआर समिति तथा उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति

uke	Js.kh	vU; dEifu;ksa esa funs'kd gksus dk fooj.k	,eVh,u,y esa lfefr;ksa dh vè;{krk@lnL;rk dk fooj.k
श्रीमती श्रीमती सुनीता त्रिवेदी डीआईएनः 06742087	स्वतंत्र निदेशक	दिल्ली जिमखाना क्लब लिमिटेड – निदेशक	सदस्य – लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति एवं सीएसआर समिति

बोर्ड का कोई भी निदेशक बीस (20) से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं है अथवा सात (7) से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं कर रहे। अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त उनमें से कोई भी दस (10) से अधिक बोर्ड स्तर की समितियों का सदस्य नहीं है अथवा जिन कंपनियों में वह निदेशक हैं, उनमें पांच (5) से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं। एमटीएनएल के किसी भी निदेशक के पास एमटीएनएल के इक्विटी शेयर नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184(1) तथा कंपनी (निदेशक मंडल की बैठक तथा उसकी शक्ति) नियमावली 2014 के नियम 9(1) के अनुसरण में फॉर्म एमबीपी–1 अर्थात् निदेशकों द्वारा आवश्यक प्रकटन अर्थात् वित्त वर्ष 2019–20 के लिए हित की सूचना सभी निदेशकों से प्राप्त हो चुकी है। साथ ही सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26(3), जो निदेशक मंडल स्तर की समितियों में सदस्यता/निदेशक होने के संबंध में है, के अनुसरण में वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सभी निदेशकों से एक प्रमाणपत्र ले लिया गया है। अन्य बातों के साथ निदेशकों के बीच संबंध का प्रकटनः 'kwU;A

(IV) foÙk o"kZ 2019&20 ds nkSjku cksMZ dh cSBdsa ,oa fiNyh okf"kZd vke lHkk ¼27-09-2019 dks vk;kftr½ esa funs'kdksa dh mifLFkfr

कंपनी निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियमित रूप से करती है और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा बोर्ड एवं समिति की बैठकों के लिए निर्धारित सचिवालयी मानकों का पालन करती है। कंपनी की सभी सूचनाएं पूर्णरूपेण बोर्ड की पहुंच में है। कंपनी सचिव अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक से परामर्श करके प्रत्येक निदेशक को बैठक की सूचना लिखित रूप में भेजते हैं। कार्यसूची में सभी आवश्यक सूचनाएं/दस्तावेज पहले से ही बोर्ड/समिति सदस्यों को उपलब्ध करवा दिए जाते हैं ताकि वे प्रभावशाली ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें तथा सुचिंतित निर्णय ले सकें। सूचीकरण विनियम, 2015 में विनिर्धारित सूचना आवश्यकतानुसार नियमित रुप से चर्चा और विचार–विमर्श के लिए निदेशक मंडल को उपलब्ध करवाई जाती हैं। निदेशक बोर्ड की बैठक की कार्यसूची में कोई भी मद (मदें) सम्मिलित करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। बोर्ड के समक्ष विचार–विमर्श के लिए रखी गई कार्यसूची में अन्य बातों के साथ–साथ सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की अनुसूची II भाग ए में बताए गए अनुसार सूचना भी शामिल है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की कुल 04 बैठकें हुई तथा दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अंतराल नहीं था। सभी बैठकों में आवश्यक कोरम उपस्थित था।

funs'kd dk uke	cksMZ dh cSBdksa dh la[;k		mifLFkfr dk %	fiNyh okf"kZd vke lHkk 27 flrEcj 2019 esa mifLFkfr	fVIi.kh
	mudsa dk;Zdky esa vk;kftr	viuh dk;Zdky ds nkSjku mifLFkfr			
श्री प्रवीण कुमार पुरवार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1	100%	लागू नहीं	दिनांक 15.07.2019 से एमटीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबधक निदेशक नहीं रहे तथा दिनांक 15.04.2020 से अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

fun'kd dk uke	ckM dh cBdk dh l[;k		mifLFkfr dk %	fiNyh okf"kd vke lHkk 27 flrEcj 2019 e mifLFkfr	fVIi.kh
	mudk dk;dky e vk;kftr	viu dk;dky d nkjku mifLFkfr			
श्री सुनील कुमार निदेशक (मानव संसाधन एवं उद्यम व्यवसाय)	4	4	100%	हाँ	दिनांक 24.07.2019 से 15.04.2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
श्री मिलिन्द विजय जोशी, निदेशक (वित्त)	4	4	100%	हाँ	–
श्री संजीव कुमार, निदेशक (तकनीकी)	4	4	100%	हाँ	–
श्रीमती तियालका लिंडा यादेन, सरकारी नामित निदेशक	2	1	50%	लागू नहीं	24.09.2019 से सरकारी नामिति निदेशक नहीं रहे।
श्री आर. के. खंडेलवाल, सरकारी नामिति निदेशक	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	दूरसंचार विभाग के पत्रांक–5–1/2018–पीएसए दिनांक 11.10.2018 के माध्यम से सरकारी नामिति निदेशक नियुक्त किए गए तथा 30.05.2019 को निदेशक नहीं रहे।
श्री नवनीत गुप्ता सरकारी नामिति निदेशक	4	4	100%	नहीं	दूरसंचार विभाग के पत्रांकः ई–5–4/2019 पीएसए दिनांक 27.05.2019 के माध्यम से सरकारी नामिति निदेशक नियुक्त किए गए।
श्री राकेश नांगिया स्वतंत्र निदेशक	3	3	100%	नहीं	31.01.2020 से एमटीएनएल के निदेशक नहीं रहे।
श्री अशोक मित्तल स्वतंत्र निदेशक	3	3	100%	हाँ	31.01.2020 से एमटीएनएल के निदेशक नहीं रहे।
श्री चिन्मय बासु स्वतंत्र निदेशक	4	3	75%	नहीं	–
श्री के.बी. गोकुलचन्द्रन स्वतंत्र निदेशक	4	1	25%	नहीं	–
श्रीमती जी पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	4	4	100%	नहीं	–

funs'kd dk uke	ckM dh cBdk dh l[;k		mifLFkfr dk %	fiNyh okf"kd vke lHkk 27 flrEcj 2019 e mifLFkfr	fVIi.kh
	mud dk;dky e vk;kftr	viu dk;dky d nkjku mifLFkfr			
श्रीमती सुनीता त्रिवेदी स्वतंत्र निदेशक	4	4	100%	नहीं	

(V) foÙk o"k 2019&20 ¼01&04&2019 l 31&03&2020½ d nkjku gbl ckM dh cBdk dh frfFk;k rFkk LFkku dk fooj.k uhp fn;k x;k g%&

Ø- l-	cBd l[;k	fnukd	LFkku	mifLFkr funs'kdk dh l[;k
1	337	30.05.2019	नई दिल्ली	11/12
2	338	14.08.2019	नई दिल्ली	8/11
3	339	14.11.2019	नई दिल्ली	9/10
4	340	14.02.2020	नई दिल्ली	8/8

(VI) Lor= funs'kd

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा गैर–कार्यकारी निदेशकों के पद पर की जाती है जैसा कि अधिनियम की धारा 149 (6) के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की धारा 16 (1) (बी) के तहत परिभाषित है । स्वतंत्र निदेशकों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष है। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वे स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं, जैसा कि अधिनियम की धारा 149 (6) के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की धारा 16 (1) (बी) में प्रावधान किया गया है। सूचीकरण विनियमन के विनियम 46 (2) (बी) के तहत कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति का औपचारिक पत्र दिया गया है। उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती हैं और उन्हें http://mtnl.in/directors.html. पर देखा जा सकता है। प्रत्येक नव नियुक्त स्वतंत्र निदेशक को एक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है जो उनकी भूमिका, कार्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व निर्धारित करता है तथा आचार संहिता की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाती है। 14 फरवरी, 2020 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों श्री चिन्मय बसु, श्री के.बी. गोकुल चंद्रन और श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी ने भाग लिया।

स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड अथवा उसकी किसी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रू 10,000/– शुल्क राशि का भुगतान किया जाता है। इस तरह की बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए जेब खर्च जैसे यात्रा व्यय और होटल के खर्च आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दी जाने वाली बैठक शुल्क इस प्रकार हैः

Ø- l-	Lor= fun'kd dk uke	cBd 'kYd						
		ckM dh cBd	lfefr cBd					dy jkf'k #i;k e
			y[kk ijh{kk lfefr	lh,lvkj lfefr	ukekdu vkj ikfjJfed lfefr	fgr/kkjd lc/k lfefr	m|e tkf[ke ic/ku lfefr	
1.	श्री राकेश नांगिया (31.01.2020 से निदेशक नहीं रहे)	30,000	30,000	–	–	–	10,000	70,000
2.	श्री अशोक मित्तल (31.01.2020 से निदेशक नहीं रहे)	30,000	30,000	–	–	–	10,000	70,000
3.	श्री चिन्मय बासु	30,000	–	–	–	–	10,000	40,000
4.	श्री के. बी. गोकुलचन्द्रन	10,000	10,000	–	–	10,000	–	30,000
5.	श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी	40,000	10,000	–	–	10,000	–	60,000
6.	श्रीमती सुनीता त्रिवेदी	40,000	40,000	–	–	–	10,000	90,000

(VII) lok vuca/k vkj iFkDdj.k 'kYd

अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक और अन्य कार्यकारी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तारीख (वर्तमान में 60 वर्ष की आयु) तक या आगामी आदेश तक, के लिए, जो भी पहले घटित हो, के लिए नियुक्त किया जाता है। सरकारी निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा अगले आदेश तक कार्यालय में पद पर बने रहते हैं। सरकारी निदेशक बैठक का शुल्क या खर्चों की पूतिपूर्ति आदि के रूप में किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं। स्वतंत्र निदेशकों को भी भारत सरकार द्वारा तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया जाता है। निदेशकों को पृथक्करण शुल्क के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

(VIII) fun'kdk d fy, ifjp; dk;Øe

बोर्ड में सभी निदेशक (स्वतंत्र निदेशकों सहित) भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नए नियुक्त निदेशकों को प्रशिक्षित करना और सभी बोर्ड सदस्यों को परिचित करवाना कंपनी की जिम्मेदारी है। परिचय कार्यक्रम में सीएमडी, अन्य निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के साथ प्रस्तुति और समागम सत्र शामिल हैं। कंपनी सचिव निदेशक को निदेशक के रूप में कानूनी और नियामक जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देता है। कंपनी की वेबसाइट में परिचय कार्यक्रम अपलोड किया गया है, इसे http://mtnl.in/Det.pdf. पर देखा जा सकता है।

(IX) ,eVh,u,y d fun'kd eMy }kjk igpkuk dk'ky@fo'k"kKrk@n{krk, x;kA

एमटीएनएल के निदेशक मंडल ने सीएमडी और अन्य कार्यात्मक निदेशकों के पदों के लिए निम्नानुसार कार्य विवरण तैयार किया हैः–

क्र. सं.	कार्यात्मक निदेशक का पद	आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी)	आवेदक को एक बड़े दूरसंचार संगठन को चलाने में प्रबंधकीय क्षमता में सिद्धहस्त होना चाहिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके पास नेतृत्व गुणवत्ता, परिकल्पना (विजन) और अभियान आदि होने चाहिए। उन्हें उत्कृष्ट व्यक्तित्व, व्यावसायिक क्षमता और सिद्ध प्रबंधकीय योग्यता का व्यक्ति होना चाहिए। संगठन के प्रमुख के रूप में उन्हें विभिन्न अन्य संस्थानों ओर एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से समन्वयन और बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। श्री पी.के. पुरवार, वर्तमान सीएमडी के पास अपेक्षित योग्यता और अनुभव है। उन्हें भा.सं.नि. लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के नियमित प्रभार के अलावा दिनांक 15.04.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
2.	निदेशक (मा. संसा. व ई बी)	पद धारक को कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा या कार्मिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंधों में विशेषज्ञता के साथ एम.बी.ए. होना चाहिए। कानून में डिग्री एक अतिरिक्त लाभ होगा। व्यक्ति को औद्योगिक संबंधों में तथा सेवा/विनिर्माण क्षेत्र में अच्छा अनुभव होना चाहिए। श्री सुनील कुमार वर्तमान निदेशक (एचआर और ईबी) के पास अपेक्षित योग्यता और अनुभव है। उनका इस पद के लिए चयन पीएसईबी द्वारा 21.06.2013 को किया गया था। आगे, उन्हें 24.07.2019 से 15.04.2020 तक सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।
3.	निदेशक (वित्त)	पदधारक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से लागत लेखाकार/चार्टेड अकाउंटेड/एमबीए (फाइनेंस) की डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा कॉरपोरेट वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा में वरिष्ठ स्तर पर लागत, बजट नियंत्रण, संस्थागत वित्त, कार्यशील पूंजी प्रबंधन आदि के साथ प्रबंधकीय अनुभव और अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। श्री मिलिंद विजय जोशी, वर्तमान निदेशक (वित्त) अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखते हैं। उनको इस पद के लिए पीएसईबी द्वारा 15.10.2018 को चयनित किया गया था।
4.	निदेशक (तकनीकी)	पदधारक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ वरीयतः दूरसंचार इंजीनियरी स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। उन्हें प्रतिष्ठित बड़े संगठन में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, विशेषकर बड़े टेलीकॉम नेटवर्क के संचालन, रखरखाव, नियोजन और विकास के क्षेत्र में। श्री संजीव कुमार, वर्तमान निदेशक (तकनीकी) के पास अपेक्षित योग्यता और अनुभव है। उनका इस पद के लिए चयन पीएसईबी द्वारा दिनांक 02.07.2016 को किया गया था।

वर्तमान में अर्थात् 31.03.2020 को एमटीएनएल के पास अपने बोर्ड में चार स्वतंत्र निदेशक हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि प्रशासन, वित्त प्रबंधन परामर्श आदि के क्षेत्र में योग्यता और विस्तृत अनुभव रखते हैं। सरकारी नामिति निदेशक अपेक्षित योग्यता रखते हैं और यूपीएससी के माध्यम से केंद्र सरकारी सेवाओं में शामिल होते हैं।

3. लेखापरीक्षा समिति

(I) लेखापरीक्षा समिति के विचारणीय विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारणीय विषयों में वे सभी मामले शामिल हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा सेबी (एलओडीआर), 2015 की अनुसूची V के भाग 'सी' के साथ पठित विनियम 18(3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसके सूचना के प्रकटन का निरीक्षण करना।
- तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ संबंधित पक्ष लेन–देन, यदि कोई हो, को बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

- संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन संबंधी अनुमोदन अथवा कोई आगामी संशोधन।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के विषय में प्रबंधन तथा सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करना।
- वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार–विमर्श।
- लेखापरीक्षा के शुरू होने से पहले लेखापरीक्षा की प्रकृति और उसके दायरे के विषय में सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा तथा समस्या वाले किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करना।
- कंपनी की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना–आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अवलोकनों/टिप्पणियों/आश्वासनों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
- लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा।
- कंपनी में नैतिकता से संबंधित सभी मुद्दों की जांच करना, निर्णय करना तथा उनसे निपटना– रहस्योद्घाटनकर्ता नीति के कार्य करने की समीक्षा।

¼II½ y[kkijh{kk lfefr dk xBu

31.07.2020 के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं

1.	श्री के. बी. गोकुलचंद्रन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री सुनील कुमार, निदेशक (मा.सं. एवं ई.बी.)	सदस्य

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के पास अपेक्षित वित्तीय तथा प्रबंधकीय विशेषज्ञता है, कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

¼III½foÙk o"k 2019&20 d nkjku y[kkijh{kk lfefr dh cBdk e funs'kdk dh mifLFkfr

वित्त वर्ष 2019–20 में लेखापरीक्षा समिति की 04 बैठकें हुई तथा दो बैठकों के बीच का अंतराल एक सौ बीस दिन से अधिक नहीं था। सभी बैठकों के लिए आवश्यक कोरम उपस्थित था।

funs'kd dk uke	y[kkijh{kk lfefr dh cBdk e mifLFkfr dh la[;k	izfr'kr ¼%½	fVIi.kh
श्री अशोक मित्तल, स्वतंत्र निदेशक	3/3	100%	31.01.2020 को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष और सदस्य नहीं रहे।
श्री राकेश नांगिया, स्वतंत्र निदेशक	3/3	100%	31.01.2020 को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे।
श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, स्वतंत्र निदेशक	4/4	100%	
श्री सुनील कुमार, निदेशक (मा.सं. एवं ई.बी.)	4/4	100%	

funs'kd dk uke	y[kkijh{kk lfefr dh cBdk e mifLFkfr dh l[;k	ifr'kr ¼%½	fVIi.kh
श्री के. बी. गोकुलचंद्रन, स्वतंत्र निदेशक	1/1	100%	31.01.2020 से अध्यक्ष और सदस्य बनें
श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	1/1	100%	31.01.2020 को सदस्य बने।

¼IV½foÙk o"k 2019&20 ¼01-04-2019 l 31-03-2020½ d nkjku gbl y[kkijh{kk lfefr dh cBdk dk fooj.k

Ø-l-	cBd l-	rkjh[k	LFkku	mifLFkr lnL;k dh l[;k
1.	120	30.05.2019	नई दिल्ली	4/4
2.	121	14.08.2019	नई दिल्ली	4/4
3.	122	14.11.2019	नई दिल्ली	4/4
4.	123	14.02.2020	नई दिल्ली	4/4

4- ukekdu ,o ikfjJfed lfefr%

¼I½ ukekdu ,o ikfjJfed lfefr d fopkj.kh; fo"k;

एमटीएनएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते इसके पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति तथा नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें (पारिश्रमिक सहित) भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। निदेशक मंडल ने एक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। सरकारी नामिती निदेशकों को कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड या उसकी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए रुपये 10,000/– बैठक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है तथा इसके लिए यात्रा और होटल के खर्च की प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो तो, बैठक शुल्क के अतिरिक्त की जाती है।

निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) का निष्पादन मूल्यांकन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा नहीं किया गया क्योंकि एमटीएनएल सरकारी कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन तथा शर्तों से संबंधित शक्तियां भारत सरकार में निहित हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनियों को इसमें भी छूट दी गई है।

¼II½ ukekdu ,o ikfjJfed lfefr dk xBu

31.07.2020 के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:–

1.	श्री के.बी. गोकुलचन्द्रन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री नवनीत गुप्ता, सरकारी निदेशक	सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

¼III½ foÙk o"kZ 2019&20 ds nkSjku ukekadu ,oa ikfjJfed lfefr esa funs'kdksa dh mifLFkfr

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक हुई जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

¼IV½ foÙk o"kZ 2019&20 ds nkSjku iw.kZdkfyd funs'kdksa dks Hkqxrku fd, x, ikfjJfed dk fooj.k bl izdkj g\S&

iw.kZdkfyd funs'kdksa dk uke	ikfjJfed iSdst ds lHkh ?kVd vFkkZr osru] Hkfo"; fufèk va'knku] isa'ku] minku bR;kfn	fu"iknu ls tqMk izksRlkgu*	vU; fgrykHk ¼ifjyfCèk;ka½	dqy jkf'k #i;s esa
श्री पी.के. पुरवार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (15.07.2019 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे तथा 15.04.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया)	9,81,006/–	–	2,84,388/–	12]65]394@&
श्री सुनील कुमार, निदेशक (मानव संसाधन एवं उद्यम व्यवसाय)	26,44,707/–	–	7,65,112/–	34]09]819@&
श्री मिलिंद विजय जोशी निदेशक (वित्त)	22,81,363/–	–	6,23,751/–	29]05]114@&
श्री संजीव कुमार निदेशक (तकनीकी)	25,34,443/–	–	7,60,665/–	32]95]108@&

*वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित

5- fgrèkkjd lacèk lfefr

(I) हितधारक संबंध समिति के विचारणीय विषय

1. सूचीबद्ध संस्था के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों, जिनमें शेयरों के हस्तांतरण/संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने तथा साधारण बैठक इत्यादि से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं, का निवारण करना।

2. शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकारों का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।

3. पंजीकृत एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

4. दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने तथा कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट सूचनाएं समय पर प्राप्त होना सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों तथा पहलकदमियों की समीक्षा करना।

सेबी (एससीओआरईएस)/स्टॉक एक्सचेंज/एमसीए/डिपॉज़िटरीज़/आरटीए/अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त शेयरधारकों के पत्र शिकायतों के रूप में माने जाते हैं। शेयरधारकों से दिन–प्रतिदिन प्राप्त होने वाले अनुरोध कंपनी के पंजीकृत एवं अंतरण एजेंट मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि. द्वारा सीधे लिए जाते हैं और इन्हें शिकायतों में शामिल नहीं किया जाता। वर्ष 2019–20 के दौरान शेयरधारकों की सीधे अथवा सेबी (एससीओआरईएस)/स्टॉक एक्सचेंज, एमसीए इत्यादि के माध्यम से केवल दो (2) शिकायतें प्राप्त

हुई थी जो वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने से संबंधित थी। दोनों शिकायतों का समाधान किया गया है। शेयरधारकों से संबंधित मामलों/मुद्दों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा यथोचित अवधि में उनका समाधान किया जाता है। निवेशक अपनी शिकायतें/अनुरोध आरटीए और कंपनी को ई–मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। कंपनी सचिव को ''अनुपालन अधिकारी'' बनाया गया है, जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान का कार्य देखते हैं। एमटीएनएल में निवेशकों की शिकायतों को देखने तथा उनकी सहायता के लिए नामित किए गए कार्मिकों की संपर्क संबंधी सूचना तथा निवेशकों/शेयरधारकों की शिकायतों का निवारण एवं संबंधित विवरण के ई–मेल पता कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है तथा क्रमशः http://mtnl.in/off_grievances.pdf and http://mtnl.in/email_inv.pdf पर देखा जा सकता है।

¼II½ fgrèkkjd lcaèk lfefr dk xBu

31.07.2020 को हितधारक संबंध समिति के निम्नलिखित सदस्य हैंः–

कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

1.	श्री के. बी. गोकुलचंद्रन, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
3.	श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	श्री मिलिन्द विजय जोशी, निदेशक (वित्त)	सदस्य

¼III½foÙk o"k 2019&20 ds nkSjku fgr/kkjd lac/k lfefr dh cSBdksa esa funs'kdksa dh mifLFkfr

funs'kd dk uke	fgr/kkjd lac/k lfefr esa mifLFkfr dh la[;k	ifr'kr ¼%½	fVIi.kh
श्री अशोक मित्तल, स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	31.01.2020 से अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं रहे।
श्री राकेश नांगिया, स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	31.01.2020 से सदस्य नहीं रहे।
श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	1/1	100%	31.01.2020 से सदस्य बने।
श्री मिलिंद विजय जोशी, निदेशक (वित्त)	1/1	100%	31.01.2020 से सदस्य बने।
श्री के. बी. गोकुलचंद्रन, स्वतंत्र निदेशक	1/1	100%	31.01.2020 से अध्यक्ष एवं सदस्य बने।

¼IV½foÙk o"k 2019&20 ¼01@04@2019 ls 31@03@2020 rd½ ds nkSjku fgr/kkjd lac/k lfefr dh cSBdksa dk fooj.k

Ø-la-	cSBdksa dh la-	rkjh[k	LFkku	mifLFkr lnL;ksa dh la[;k
1.	1	14.02.2020	नई दिल्ली	2/2

6- dkWjiksjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼^^lh,lvkj½ lfefr**

¼I½ lh,lvkj lfefr ds fopkjkFkZ fo"k;

- अधिनियम की अनुसूची VII के विनिर्धारण अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की सूचना देते हुए सीएसआर नीति तैयार करना तथा बोर्ड से सिफारिश करना;
- उपर्युक्त गतिविधियों पर होने वाले खर्च की राशि की सिफारिश करना;
- कंपनी की सीएसआर नीति की समय–समय पर निगरानी करना;

चूंकि एमटीएनएल को पिछले चार वर्षों से घाटा हो रहा है, और पिछले 3 वर्षों के औसत में लाभ नहीं हो रहा है, अतः सीएसआर गतिविधियों के लिए किसी प्रकार की धनराशि का निर्धारण नहीं किया गया है। हालांकि, एमटीएनएल एसएमएस आदि के माध्यम से गैर–कार्यात्मक सीएसआर गतिविधियों का संचालन करते हुए कोविड–19 की रोकथाम के उपायों, स्वच्छ भारत, पल्स पोलियो आदि अभियानों के बारे में जागरूकता फैला रहा है।

¼II½ dkjiksjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro lfefr dk xBu

दिनांक 31.07.2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की सीएसआर समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

1.	श्री सुनील कुमार, निदेशक (मानव संसाधन एवं उद्यम व्यवसाय)	अध्यक्ष
2.	श्री मिलिंद विजय जोशी, निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री संजीव कुमार, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4.	श्री नवनीत गुप्ता, सरकारी निदेशक	सदस्य
5.	श्री के. बी. गोकुलचंद्रन, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6.	श्री चिन्मय बासु, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
7.	श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
8.	श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

7- m|e tksf[ke izca/ku lfefr

¼I½ m|e tksf[ke izca/ku lfefr ds fopkjkFkZ fo"k;

उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति (ईआरएम) का गठन कंपनी की जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट का मूल्यांकन करने एवं उसे निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत, विभिन्न जोखिमों की पहचान, जोखिम प्रबंधन का विश्लेषण, परिचालन, तकनीकी और आंतरिक नियंत्रणों से जुड़े अनुप्रयोग प्रणालियों संबंधी प्रक्रियाओं से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करना तथा उन्हें कम करने के लिए सुधार के उपाय करना शामिल है। कंपनी की ईआरएम नीति को प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एवं ए) रिपोर्ट में शामिल किया गया है जो निदेशक रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप में है।

¼II½ m|e tksf[ke izca/ku lfefr dk xBu

दिनांक 31.07.2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन समिति में निम्न सदस्य शामिल हैं:

1.	श्री सुनील कुमार, निदेशक (मानव संसाधन एवं उद्यम व्यवसाय)	अध्यक्ष
2.	श्री मिलिंद विजय जोशी, निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्री संजीव कुमार, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4.	श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
5.	श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
6.	श्री चिन्मय बासु, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
7.	श्री के. बी. गोकुलचंद्रन, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

(III) foÙk o"k 2019&20 d nkjku m|e tkf[ke çc/ku lfefr dh cBdk e fun'kdk dh mifLFkfr

fun'kd dk uke	m|e tkf[ke icU/ku lfefr dh cBdk dh l- ftue Hkkx fy;k	ifr'krrk (%)	fVIi.kh
श्री पी.के. पुरवार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	100%	दिनांक 15.07.2019 से अध्यक्ष एवं सदस्य नहीं रहे।
श्री सुनील कुमार, निदेशक (मानव संसाधन एवं उद्यम व्यवसाय)	1	100%	दिनांक 24.07.2019 को अध्यक्ष बने।
श्री मिलिंद विजय जोशी, निदेशक (वित्त)	1	100%	
श्री संजीव कुमार, निदेशक (तकनीकी)	1	100%	
श्री अशोक मित्तल, स्वतंत्र निदेशक	1	100%	दिनांक 31.01.2020 से अध्यक्ष नहीं रहे।
श्री राकेश नांगिया, स्वतंत्र निदेशक	1	100%	दिनांक 31.01.2020 से अध्यक्ष नहीं रहे।
श्रीमती जी. पद्मजा रेड्डी, स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	दिनांक 31.05.2019 को अध्यक्ष बने।
श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, स्वतंत्र निदेशक	1	100%	
श्री के. बी. गोकुलचंद्रन, स्वतंत्र निदेशक	0	0%	
श्री चिन्मय बासु, स्वतंत्र निदेशक	1	100%	

(IV) foÙk o"k 2019&20 ¼01-04-2019 l 31-03-2020½ d nkjku m|e tkf[ke icèku lfefr dh cBdk dk fooj.k

Ø-l	cBd l[;k	fnukd	LFkku	mifLFkr lnL;k dh l[;k
1	6	30.05.2019	नई दिल्ली	8/9

8. 'k;j gLrkrj.k lfefr ¼,lVhlh½ ,o 'k;j gLrkrj.k i.kkyh

(i) कंपनी ने एसटीसी का गठन किया है जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के दो अधिकारी शामिल हैं जो कि शेयरों के हस्तांतरण (ट्रांसफर)/संप्रेषण (ट्रांसमिशन)/स्थानांतरण (ट्रांसपोजिशन)/रीमैट/डीमैट/समेकन (कंसोलिडेशन)/अर्जित शेयरों के बंटवारे (स्पिलटिंग) का कार्य देखती है। समिति ऐसे मामलों की समीक्षा पाक्षिक आधार पर करती है।

(ii) वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान शेयर हस्तांतरण समिति की एक (01) बैठक आयोजित की गईं।

(iii) भौतिक रूप से हस्तांतरण (ट्रांसफर) के लिए भेजे गए शेयरों का पंजीकरण किया जाता हैं और हमारे पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा दस्तावेजों की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर वापस भेज दिए जाते हैं बशर्ते कि दस्तावेज ठीक हों। जिन शेयरों पर कोई आपत्ति होती है उन्हें 2 सप्ताह के अंदर वापस भेज दिया जाता हैं।

(iv) शेयरों के हस्तांतरण के सभी अनुरोधों पर समय पर कार्रवाई की गई हैं तथा 15 दिन से अधिक का कोई भी हस्तांतरण लंबित नहीं है।

9. diuh lfpo ,o vuikyu vf/kdkjh

कंपनी सचिव का नाम तथा अनुपालन अधिकारी का नामः श्री एस. आर. स्याल

पताः महानगर दूरसंचार सदन, 5वां तल, 9 सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

टेलीः 011–24317225 ईमेलः mtnlcsco@gmail.com

10. fiNyh rhu okf"kd vke cBdk dk LFkku] rkjh[k ,o le;

बैठक की प्रकृति	तारीख और समय	स्थान	पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष संकल्प
33वीं वार्षिक आम बैठक (2019)	27 सितम्बर, 2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे	सभागार, महानगर दूरसंचार सदन, 9, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	1. श्री अशोक मित्तल (डीआईएन–06581045) कंम्पनी के गैर–सरकारी अंशकलिक (स्वतंत्र) निदेशक पुनः नियुक्तः 2. श्री राकेश नांगिया (डीआईएन–00147386) कंम्पनी के गैर–सरकारी अंशकलिक (स्वतंत्र) निदेशक (कंम्पनी के) पुनः नियुक्तः
32वीं वार्षिक आम बैठक (2018)	28 सितम्बर, 2018 पूर्वाह्न 11.30 बजे	सभागार, महानगर दूरसंचार सदन, 9, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	1. एमटीएनएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी को रु. 800 करोड़ से बढ़ाकर रु. 10,000 करोड़ करना। 2. अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को निजी प्लेसमंट के आधार पर जारी करने का अनुमोदन करना। 3. बोर्ड की उधार लेने की शक्तियों को रुपये 18,000 करोड़ से बढ़ाकर रु. 25,000 करोड़ करना।
31वीं वार्षिक आम बैठक (2017)	27 सितम्बर, 2017 पूर्वाह्न 11.30 बजे	सभागार, महानगर दूरसंचार सदन, 9, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	1. अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को निजी प्लेसमंट के आधार पर जारी करना।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया। अगली वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित किसी भी मामले पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एक असाधारण बैठक ईजीएम बुधवार 8 जनवरी, 2020 को पूर्वाह 11 बजे सभागार, महानगर दूरसंचार सदन, 9 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में आयोजित की गई। दिनांक 08.01.2020 को आयोजित ईजीएम में विशेष संकल्प के माध्यम से निम्नलिखित मदें पारित की गईः– 1. निजी प्लेसमेंट आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम को अनुमोदित करना। 2. परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों तथा/अथवा निदेशक मंडल/दूरसंचार विभाग से अनुमोदित प्रक्रिया का पालन करके भूमि तथा भवनों के मुद्रीकरण को स्वीकृति देना। 3. एक समुचित मॉडल का उपयोग करके टॉवर तथा फाइबर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को स्वीकृति देना। 4. संगम ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) तथा संस्था के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के पूंजी खंड में बदलाव करके पूंजी के पुनः वर्गीकरण का अनुमोदन करना। 5. 4जी की स्पेक्ट्रम लागत के लिए भारत सरकार को निजी प्लेसमेंट आधार पर अपरिवर्तनीय मोचनीय गैर–संचयी अधिमानी शेयर जारी करना।

11. iidVu

(I) सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण – कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) ने वित्त वर्ष 2019–20 का सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण बोर्ड को दिया है।

(II) सेबी (एलओडीआर), 2015 की अनुसूची V के पार्ट सी (2) (i) के अनुसरण में एमटीएनएल के निदेशक मंडल का यह मत है कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

(III) सेबी (एलओडीआर), 2015 के पार्ट सी (10) (i) के अनुसरण में मैसर्स वी.के. शर्मा एंड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव ने यह प्रमाणपत्र दिया है कि एमटीएनएल के बोर्ड में किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा विवर्जित या निरर्हित नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र परिशिष्ट के रूप में इस रिपोर्ट में संलग्न है।

(IV) सेबी (एलओडीआर), 2015 पार्ट सी (10)(के) के अनुसरण में पिछले दो वित्त वर्षों अर्थात् 2018–19 और 2019–20 के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी विषय के लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य सांविधिक प्राधिकरण से कंपनी द्वारा अनुपालन न करने, उसके लिए लगाए गए दंड, कटु आलोचना का उदाहरण नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कृपया निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट के रूप मे ंसंलग्न वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक सचिवालयी अनुपालन प्रमाणपत्र देखें।

(V) सीपीएसई के लिए निगमित शासन में डीपीई के दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य अपेक्षाओं और सेबी (एलओडीआर), 2015 का कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए मैसर्स वी.के. शर्मा एंड कं. से सेबी (एलओडीआर), 2015 के तहत कॉरपोरेट शासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

(VI) सेबी के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडीसीएमडी 1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2019–20 के लिए मैसर्स मृत्युंजय शेखर एंड एसोसिएट्स कार्यरत कंपनी सचिव से एक वार्षिक सचिवालयी अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और दिनांक 13.06.2020 को बीएसई, एनएसई तथा ओसीटीआईक्यू में फाइल किया गया है।

(VII) संबंधित पक्षों के साथ सौदों पर नीतिः संबंधित पक्षों के साथ सौदों पर नीति को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किया गया हैं जिसे कंपनी के वेबसाइट लिंक http://mtnl.in/Policy_relpartytransac.pdf पर देखा जा सकता है।

(VIII) रहस्योद्घाटनकर्ता (व्हिसलब्लोअर) नीतिः कंपनी की रहस्योद्घाटन नीति को कंपनी की वेबसाइट लिंक http://mtnl.in/ whistleBlowerPolicy.pdf पर देखा जा सकता है। कंपनी अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है तथा गैर कानूनी और अनैतिक गतिविधियों की सूचना देने के लिए सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 22 के अनुसार एक तंत्र बनाया गया है। कंपनी की एक रहस्योद्घाटनकर्ता नीति है जिसके अंतर्गत कर्मचारी लागू कानूनों और नियमनों तथा आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। कर्मचारी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से नहीं रोका गया।

(IX) महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नीतिः महत्वपूर्ण सहायक कंपनी की नीति को निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी दी गई है और इसे कंपनी के वेबसाइट लिंक http://mtnl.in/policy_materialsubsidy.pdf पर देखा जा सकता है। लेखापरीक्षा समिति कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है। बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत तथा गैर सूचीबद्ध कंपनियों की महत्वपूर्ण घटनाओं की रिपोर्ट नियमित रूप से निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंपनी की कोई महत्वपूर्ण गैर–सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी नहीं है।

(X) किसी घटना अथवा सूचना की महत्ता निर्धारण पर नीतिः सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 30 के तहत किसी घटना अथवा सूचना की महत्ता निर्धारण की नीति निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत की गई है जिसे कंपनी के वेबसाइट लिंक http://mtnl.in/PolicyfordeterminingMateriality.pdf पर देखा जा सकता है।

(XI) सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के अंतर्गत अपेक्षित ''दस्तावेजों का परिरक्षण'' करना तथा ''सूचना की अभिलेखीय नीति'' का एमटीएनएल की वेबसाइट पर दिया जानाः सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 9 के अनुसार ''अभिलेखों की परिरक्षण'' नीति तथा सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 30 के अनुसार सूचना की अभिलेखीय नीति निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत की गई है तथा जिसे कंपनी के बेबसाइट लिंक http://mtnl.in/Preservation.pdf पर देखा जा सकता है।

(XII) ''एमटीएनएल की प्रतिभूतियों के लेन–देन में भेदिया व्यापार से बचाव के लिए आंतरिक आचरण संहिता'' नीति के अंतर्गत अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचनाओं के उपयुक्त प्रकटन के लिए व्यवहार और प्रक्रिया की संहिता भी शामिल है तथा भेदिया व्यापार बचाव नीति की आचरण संहिता निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत है जिसे कंपनी के वेबसाइट लिंक http://mtnl.in/insiderpolicy.pdf पर देखा जा सकता है। सभी निदेशक, कर्मचारी और तृतीय पक्ष जैसे लेखापरीक्षक, सलाहकार आदि जिनकी कंपनी की अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचनाओं तक पहुंच हो सकती है वे इस आचार संहिता से शासित होते हैं। वित्तीय परिणामों की घोषणा के समय ट्रेडिंग विंडो बंद रहती है।

(XIII) वित्त वर्ष 2019–20 की व्यावसायिक दायित्व रिपोर्टः सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 34 (2) के अनुपालन हेतु एमटीएनएल की व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट में पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन परिप्रेक्ष्य में एमटीएनएल की पहल का विवरण दिया गया है जिसे निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दिया गया है।

(XIV) शेयर पूंजी लेखापरीक्षाः मैसर्स वी. के. शर्मा एंड कंपनी, कार्यरत कंपनी सचिव ने नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसिस लिमिटेड (''सीडीएसएल'') के पास कुल स्वीकृत इक्विटी वित्त वर्ष 2019–20 में तिमाही आधार पर शेयर पूंजी और कुल निर्गत तथा सूचीबद्ध इक्विटी शेयर पूंजी का समाधान करने के लिए शेयर पूंजी लेखापरीक्षा की है।

(XV) निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिताः एमटीएनएल के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर), विनियम 2015 के अनुसार निदेशकों, प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया है। संहिता में व्यापार आचरण, नैतिक व्यवहार के मानक विस्तार से दिए गए हैं और यह निम्नलिखित विषय वस्तु पर केंद्रित हैं – ^^lR;fu"Bk rFkk ikjnf'krk gekjs lafØ;k dkjkckj 0;ogkj ds ewyHkwr ewY;ksa dk eeZ gSA ge ykxw fu;eksa rFkk fofu;eksa ds vuqikyu esa bl izdkj ls dk;Z djrs gSa fd ftlesa 0;fDrxr ykHk ds fopkj 'kkfey u gksa vkSj gekjs 0;kikj ds fdlh Hkh igyw esa bZekunkjh rFkk lR;fu"Bk ds izfr ge viuh izfrc)rk ls le>kSrk ugha djrsA ge viuk lHkh i{kksa ds mRÑ"Vrk ds izfr izfrc) gSaA** आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट http://mtnl.in/codeofconduct.pdf पर देखी जा सकती है।

(XVI) foÙk o"kZ 2019&20 esa lHkh cksMZ lnL;ksa] izeq[k izca/ku dkfeZd ;ksa ,oa ofj"B izca/ku dkfeZd ;ksa }kjk vkpkj&lafgrk dk vuqikyu dh iqf"V dk lc/k esa vè;{k ,oa izca/k funs'kd }kjk iek.ki=@v/;{k ,oa izc/k funs'kd u mi;qDr lafgrk dk lHkh dk }kjk vuqikyu dk lnHkZ esa fuEufyf[kr izek.k i= tkjh fd;k g%&

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 26 (3) और अनुसूची V (डी) के अनुसरण में, मैं पुष्टि करता हूं कि एमटीएनएल के बोर्ड के सभी सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बोर्ड सदस्यों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए ''एमटीएनएल की आचार संहिता'' के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।''

हस्ता॰/–
ih- d- iqjokj
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

LFkku % नई दिल्ली
fnukad % 11.08.2020

(XVII) lai"k.k d lk/ku

ए) तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम सेबी निर्धारित फॉरमेट में अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं तथा कंपनी की वेबसाइट http://www.mtnl.net.in/ पर भी दिए गए हैं।

बी) वार्षिक रिपोर्टः वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, व्यवसाय के चलने योग्य होने की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडी एवं ए) रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं सभी सदस्यों और अन्य संबंधितों को ईमेल से परिचालित की गई हैं और कंपनी की वेबसाइट www.mtnl.net.in पर दी गई हैं।

सी) एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस)ः एनईएपीएस वेब आधारित एप्लीकेशन है, जो निगमों के लिए राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा बनाया गया है। सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 10 के अनुसरण में सभी आवधिक अनुपालन आदि जैसे शेयर धारिता नमूना, निगमित अभिशासन रिपोर्ट, मीडिया प्रकाशन (रिलीज़) आदि एनईएपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाते हैं तथा आम जनता इसे देख सकती है।

डी) बीएसई कॉरपोरेट अनुपालन एवं लिस्टिग केंद्र (लिस्टिंग केंद्र) : बीएसई लिस्टिंग केंद्र कॉरपोरेट के लिए तैयार किया गया वेब आधारित एप्लीकेशन है। सेबी (एलओडीआर) 2015 के विनियम 10 के अनुपालन में सभी आवधिक अनुपालन जैसे शेयर धारिता नमूना, निगमित अभिशासन रिपोर्ट, मीडिया प्रकाशन आदि बीएसई लिस्टिंग केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाते हैं तथा आम जनता इसे देख सकती है।

ई) सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (एससीओआरईएस) : निवेशकों की शिकायतें केन्द्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के अंतर्गत संसाधित की जाती हैं। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं कि सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डाटाबेस, संबंधित कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) को ऑन लाइन अपलोड करना, शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तथा उसकी वर्तमान स्थिति निवेशकों द्वारा ऑनलाइन देखना।

एफ) सभी अनुपालन ओटीसीक्यूएक्स में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा इसकी वेबसाइट www.otciq.com के माध्यम से भेजे जाते हैं।

स्टॉक एक्सचेंज को की जाने वाली सभी फाइलिंग को एमटीएनएल की वेबसाइट www.mtnl.net.in पर भी साथ–साथ अपलोड कर दिया जाता है।.

(XVIII) 'k;j/kkjdk d fy, lkekU; lpuk

(1) diuh&ithdj.k fooj.k& कंपनी दिनांक 28.02.1986 से कंपनी पंजीयक, दिल्ली एवं हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ पंजीकृत है। कंपनी को कॉरपोरेट पहचान संख्या (CIN) L32101DL1986GOI023501 मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर (एमसीए) द्वारा आबंटित किया गया है।

(2)	okf"kd vke cBd dh rkjh[k rFkk le;	- बृहस्पतिवार, 31 दिसम्बर, पूर्वा. 11.30 बजे विडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों से
(3)	LFkku	- विडियो कान्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों से
(4)	foÙk o"k	- 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020
(5)	foÙkh; dyMj	

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	22 जुलाई, 2020
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना	31 जुलाई, 2020
30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित पुनरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों के लिए बोर्ड की बैठक	15 सितम्बर, 2020
30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित पुनरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों पर पुर्नविचार करने के लिए बोर्ड की बैठक	11 नवम्बर, 2020
31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित पुनरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों के लिए बोर्ड की बैठक	14 फरवरी, 2021 को अथवा उससे पूर्व
31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों और अलेखापरीक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों के लिए बोर्ड बैठक	30 मई, 2021 को अथवा उससे पूर्व

(6) cgh cnh dh rkjh[k - शुक्रवार, 25 दिसम्बर 2020 से बृहस्पतिवार 31 दिसम्बर 2020 (दोनों दिन शामिल)

(7) ykHkka'k Hkqxrku dh rkjh[k - लागू नहीं

(8) iR;d LVkd ,Dlpt dk uke vkj irk ftle dEiuh d 'k;j lphc) g vkj LVkd dkM

LVkd ,Dlptka e lphc)rk	uke	irk	LVkd dkM
इक्विटी शेयर	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई लिमिटेड)	25वीं मंजिल, पी.जे. टॉवर, दलाल स्ट्रील, मुंबई–400001	500108
	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई लि.)	एक्सचेंज प्लाजा, प्लांट नं. सी/1, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉप्लैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई–400051	एमटीएनएल
अमेरिकी निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) रसीद (एडीआर)	ओटीसीक्यूएक्स इंटरनेशनल मार्कट, न्यूयार्क		एमटीईएनवाई

- एमटीएनएल द्वारा जारी किए गए बॉण्ड बीएसई में सूचीबद्ध हैं।
- एमटीएनएल के शेयर दिल्ली, कलकत्ता एवं मद्रास स्टॉक एक्सचेंज की सूची से हटाने के लिए उपरिलिखित स्टॉक एक्सचेंजों को 16 अक्टूबर 2012 को आवेदन किया जा चुका है। मद्रास स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के शेयर 26.07.2013 से हटाए जा चुके हैं। दिल्ली एवं कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की सूची से हटाने की पुष्टि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तथापि वित्तीय वर्ष 2013–14 के बाद से कंपनी द्वारा सूचीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

(9) verhdj.k

uke	irk	vkb, lvkb,u
नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)	ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर पैरेल, मुंबई–400013	आईएनई 153A01019
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड	17वां तल, फिरोज, जीफीभॉय टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400001	आईएनई 153A01019

(10) ,eVh,u,y dh dkjiksjsV igpku la[;k ¼lhvkbZ,u½& L32101DL1986GOI023501

(11) lwphdj.k 'kqYd dk Hkqxrku rFkk okf"kZd vfHkj{kk 'kqYd: वित्त वर्ष 2019–20 के वार्षिक सूचीकरण शुल्क तथा वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कंपनी द्वारा क्रमशः बीएसई एवं एनएसई तथा एनएसडीएल और सीडीएसएल को कर दिया गया ह।

(12) LVkWd ekfdZV eY; vkdM+s बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वित्त वर्ष 2019–20 के प्रत्येक माह में उच्च और निम्न भाव से संबंधित जानकारी निम्नानुसार दी गई हैं:–

बीएसई में दिनांक 01.04.2019 को रु. 12.14 पर और एनएसई में 01.04.2019 को रु. 12.15 पर भाव खुले। बीएसई में दिनांक 31.03.2020 को रु. 6.04 पर और एनएसई में 31.03.2020 को रु. 6.05 पर भाव बंद हुए।

ekg	ccbZ LVkd ,Dlpst ¼ch,lbZ½		us'kuy LVkd ,Dlpst ¼,u,lbZ½	
	ekg dk mPp eY; ¼#-½	ekg dk fuEu eY; ¼#-½	ekg dk mPp eY; ¼#-½	ekg dk fuEu eY; ¼#-½
अप्रैल, 2019	13.28	11.71	13,30	11.70
मई, 2019	12.05	8.42	12.00	8.10
जून, 2019	10.90	7.25	10.90	7.25
जुलाई, 2019	9.40	6.05	9.45	6.05
अगस्त, 2019	6.90	4.49	6.80	4.45
सितम्बर, 2019	6.65	5.25	6.60	5.25
अक्टूबर, 2019	7.87	4.95	7.90	5.00
नवम्बर, 2019	12.16	7.80	11.70	7.80
दिसम्बर, 2019	10.12	7.55	10.10	7.50
जनवरी, 2020	13.32	9.35	13.30	9.30
फरवरी, 2020	11.67	8.15	11.65	8.30
मार्च, 2020	8.80	5.55	8.85	5.55

(13) ,eVh,u,y dk bfDoVh 'ks;j dk iathd.k ,oa varj.k vfHkdrkZ ¼,tsaV½– मैसर्स बीटल फाइनेंनशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज़ (प्रा.) लिमिटेड, तीसरी मंजिल, बीटल हाउस, 99, मदनगीर, स्थानीय शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट हरसुखदास मंदिर, नई दिल्ली–110062, फोन : 011–29961281–82, फैक्स नं. 011–29961284, ई–मेलः beetalrta@gmail.com। सभी निवेशकों की शिकायतों को आरटीए द्वारा समुचित रूप से देखा जाता है।

(14) ,eVh,u,y dk fMcsapj@ckWaM~l dk iathd.k ,oa varj.k vfHkdrkZ ¼,tsaV½– मैसर्स कार्वी फिंटैंक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक गाचीबाउली, हैदराबाद 500032 संपर्क व्यक्तिः श्री उमेश पाण्डेय, संपर्क नं. 9849712635, 040–67162222, फैक्स नं. : 040–23420814, ई–मेलः umesh.pandey@kfintech.com

(15) _.ki= ¼fMcsapj½ U;klh fooj.k% एसबीआई केप (सीएपी) ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, एपीजे हाउस, छठा तल, पश्चिमी खंड, 3, दिनशां वाशा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400020 (संपर्क व्यक्ति श्री हरीश शेट्टी, लैंडलाइनः 022–43025512 ई–मेल : harish.shetty@sbicaptrustee.com)

(16) 'k;j vrj.k i.kkyh–भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए 1997 से डीमैट रूप से लेन–देन हेतु आदेशित किए गए हैं। भौतिक (फिजिकल) रूप में शेयर अंतरण को तभी पंजीकृत किया जाता है, यदि कागजात सभी प्रकार से पूरे हों तो शेयर अंतरण के अनुरोध हेतु आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर शेयर प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाते हैं और हमारे पंजीयक और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा शेयरधारक को लौटा दिए जाते हैं जिन शेयरों पर आपत्तियां होती हैं उन्हें 2 सप्ताह के अंदर लौटा दिया जाता है। बोर्ड ने कंपनी के शेयर अंतरण, प्रेषण, पुनर्मूर्त, विभक्त, समेकन आदि के अनुमोदन का कार्य शेयर अंतरण समिति को सौंपा है। जिसमें उप म.प्र. (बजट एवं बैंकिंग) एवं कंपनी सचिव सदस्य हैं। शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित कंपनी की प्रतिभूतियों के अंतरण/प्रेषण का सारांश बोर्ड की हितधारक संबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनिमय 2015 के विनियम 49 (9) की अपेक्षानुसार शेयर अंतरण की सभी औपचारिकताओं के कार्यान्वयन का प्रमाणपत्र मैसर्स वी.के. शर्मा एंड कंपनी, कंपनी सचिवों से प्राप्त किया है तथा स्टॉक एक्सचेंज में अर्धवार्षिक आधार पर कथित प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

(17) ,eVh,u,y e 'k;jèkkfjrk lpuk-

(i) 31 ekp] 2020 dh fLFkfr d vulkj 'k;jèkkfjrk ueuk ¼iVu½

Ø l-	'k;jèkkjd dh J.kh	'k;jk dh dy l[;k	'k;jk dh dy l[;k l dy 'k;jèkkfjrk% d :i e
1.	भारत के राष्ट्रपति	354378740	56.25
2.	म्यूच्युअल फंड	4500	0.00
3.	वित्तीय संस्थाएं/बैंक	2728283	0.44
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम	84860778	13.48
5.	अन्य बीमा कंपनियां	4354900	0.69
6.	निगमित निकाय	11667739	1.85
7.	वैयक्तिक	150356865	23.87
8.	न्यास (ट्रस्ट)	301052	0.04
9.	हिंदू अविभाजित परिवार	8943830	1.42
10.	क्लीयरिंग सदस्य	1133363	0.18
11.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	2166304	0.34
12.	अप्रवासी भारतीय	2055752	0.33
13.	विदेशी निगमित निकाय	6000	0.00
14.	अभिरक्षक (कस्टोडियन) द्वारा धारित शेयर और जिसके लिए डिपाजिटरी रसीद जारी की गई हैं	7039394	1.11
15.	कोई अन्य	2500	0.00
	dy ;kx	**630000000**	**100**

fooj.k	'ks;jksa dh dqy la[;k	dqy 'ks;jèkkfjrk dk % :i esa
?kjsyw 'ks;jèkkfjrk	618732550	98.22
fons'kh 'ks;jèkkfjrk	11267450	1.78
dqy	**630000000**	**100**

(ii) 31 ekpZ 2020 dh fLFkfr ds vuqlkj bfDoVh 'ks;j/kkfjrk forj.k dh lwpuk%&

#- ds lkadsfrd ¼ukWehuy½ ewY; dh 'ks;j/kkfjrk	'ks;j/kkjdksa dh la[;k	/kkjdksa dk dqy izfr'kr	'ks;jksa dh la[;k	jkf'k ¼vafdr ewY;½ esa	dqy 'ks;j iwath dk izfr'kr
5000 तक	102513	75.76	15317340	153173400.00	2.4313
5001 से 10000	13876	10.25	11913429	119134290.00	1.8910
10001 से 20000	7957	5.88	12604936	126049360.00	2.0008
20001 से 30000	3218	2.37	8412585	84125850.00	1.3353
30001 से 40000	1506	1.11	5461914	54619140.00	0.8670
40001 से 50000	1638	1.21	7841163	78411630.00	1.2446
50001 से 100000	2465	1.82	18744093	187440930.00	2.9753
100001 तथा उससे ऊपर	2128	1.57	549704540	5497045400.00	87.2547
कुल	135301	100.00	630000000	6300000000.00	100.00

नोट : प्रत्येक शेयर का सांकेतिक (नॉमीनल) मूल्य 10 रुपये है।

(iii) 31 मार्च, 2020 के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों की सूची जिनके पास कंपनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं।

Js.kh ,oa 'ks;jèkkjd dk uke	èkkfjr 'ks;jksa dh la[;k	'ks;jksa dh dqy la[;k dk izfr'kr
1. भारत के राष्ट्रपति	354378740	56.25
2. भारतीय जीवन बीमा निगम	84860778	13.48

(18) 'ks;jksa dk vewrhZdj.k ¼Mh eSVhfj;ykbts'ku½ rFkk rjyrk % 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, बाजार में उपलब्ध कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी के 99.99% शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं। कंपनी ने देश की दोनो डिपाजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विस लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है तथा शेयरधारकों के पास दोनों में से किसी के भी साथ अपने शेयरों को अमूर्तीकृत करने का विकल्प है।

(19) vnÙk@vnkoh jkf'k dk fuos'kd f'k{kk ,oa lqj{k.k fuf/k ¼vkbZbZih,Q½ esa varj.k % कंपनी ने पिछले सात वर्षों से किसी लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की घोषणा नहीं की है। अतः अदत्त/अदावी राशि का आईईपीएफ में अंतरण का प्रावधान लागू नहीं होता।

(20) lHkh dtZ fy[kr ds fy, foÙk o"kZ 2019&20 ds nkSjku la'kks/kuksa lfgr ,eVh,u,y }kjk izkIr dh xbZ ØsfMV jsfVax dh lwph&सीआरआईएसआईएल ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के रुपये 7513.97 करोड़ के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की रेटिंग 'सीआरआईएसआईएल एएए (सीई)/स्टेबल' की पुनः पुष्टि की है। सीआरआईएसआईएल द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2017, 2018 और 2019 में दी गई रटिंग में कोई परिवर्तन नहीं है। सीएआरई रेटिंग ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के रु. 7513.97 करोड़ के परिवर्तनीय डिबेंचरों की रेटिंग 'सीएआरई एएए (सीई)/स्टेबल' की पुनः पुष्टि की है। सीआरआईएसआईएल द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2017–18, 2018–19 और 2019–20 में दी गई रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं है।

(21) ykHkkFkhZ [kkrk% सेबी सूचीकरण विनियमन 34(3) और अनुसूची v भाग एफ की आवश्यकतानुसार, 1 नवम्बर, 2012 को अदावी डीमैट में शेयरों (जिनका विवरण नीचे दिया गया है) को जमा करने (क्रेडिट) के लिए एमटीएनएल ने ''एमटीएनएल अदावी उचंत खाता'' (डीपी आईडी–आईएन 301330, क्लाइंट आईडी–21234840) नाम से लाभार्थी खाता खोला है।

एमटीएनएल के अदावी उचंत खाता का विवरण :-

izkjafHkd 'ks"k ¼fnukad 01-04-2019 dks½		o"kZ 2019&2020 ds nkSjku izkIr vkSj- nu rFkk mudk fuiVku		vfre 'ks"k ¼fnukad 31-03-2020 dks½	
ekeys	'ks;j	ekeys	'ks;j	ekeys	'ks;j
0	0	0	0	0	0

(22) vfu.khZr thMhvkj@,Mhvkj@okjaV vFkok dksbZ laifjorZuh; fy[kr] laifjorZu rkjh[k vkSj mldk bfDoVh ij laHkkfor izHkko% 31 मार्च 2020 को कंपनी के अनिर्णीत जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई संपरिवर्तनीय लिखत नहीं थे।

(23) oLrq dher ØfMV jsfVax tksf[ke vFkok fons'kh fofue; tksf[ke rFkk cpko xfrfof/k;ka% एमटीएनएल सेवा प्रदाता कंपनी है, वस्तु कीमत जोखिम लागू नहीं होता।

(24) lsch ¼,yvksMhvkj½] 2015 ds fofu;e 32 ¼7,½ ds varxZr fofufnZ"V vfèkekuh vkcaVu vFkok vgZrk izkIr laLFkkxr IysleasV ds ekè;e ls mBk, x, fufèk ds mi;ksx dk fooj.k & लागू नहीं।

(25) uVodZ QeZ@uVodZ ftuesa foÙkh; o"kZ 2019&20 esa dk ,d fgLlk gS] esa lHkh lsLFkkvksa rFkk lgpkc) laLFkk vkSj mldh lgk;d daifu;ksa }kjk lHkh lsokvksa ds fy, lefdr vkèkkj ij lkafofèkd ys[kkijh{kd laLFkk esa 'kkfey mu lHkh laLFkkvksa dk ¼ftudk lkafof/kd ys[kkijh{kd ,d fgLlk gS½ Hkqxrku fd;k x;k dqy 'kqYd] uhps fn;k x;k gS%&

Ø- la-	Lkkafofèkd ys[kkijh{kdksa dks Hkqxrku	#i;s ¼djksM+ esa½ foÙk o"kZ 2019&20
1.	सांविधिक लेखापरीक्षक	0.45
2.	प्रतिपूर्ति सहित अन्य सेवाएं	0.38
	dqy	0.83

(26) dk;LFky ij efgyk ;kSu mRihMu ds laceèk esa izdVu ¼fuokj.k] fu"kèk vkSj fuiVku½ vfèkfu;e] 2013&foÙk o"kZ 2019&20 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और लंबित नहीं है।

(27) l;= LFky&कंपनी की सेवाओं का सक्रिय परिचालन केवल दो महानगरों अर्थात दिल्ली और एनसीआर एवं ठाणे जिला सहित मुंबई में है।

(28) fuos'kdksa }kjk fuEufyf[kr irs ij i= O;ogkj fd;k tk,%&

श्री एस.आर. स्याल, कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर दूरसंचार सदन, पांचवां तल, 9, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
टेलीफोनः +91-11-24317225, फैक्सः +91-11-24315655
वेबसाइटः www.mtnl.net.in / www.bol.net.in
ई–मेल आईडीः mtnlcsco@gmail.com

fuxfer vfHk'kklu fjikV dk ifjf'k"V

oh-d- 'kek ,M d
diuh lfpo
बी–1902, ऐस एस्पायर, टेकज़ोन 4,
ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) – 201306
मोबाइलः 9811009592, 9818816592
ईमेलः vks_cosecy@yahoo.com

funs'kdk dk xj&fujgrk iek.ki=

(सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में)

lok e]
egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM d lnL;
महानगर दूरसंचार सदन
पांचवीं मंजिल, 9 सीजीओ कॉप्पलैक्स लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हम, oh-d- 'kek ,M d-] diuh lfpo ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची–V पैरा–सी उपखंड 10(i) के अनुसार यह प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा मेरे/हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए, egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM जिसका lhvkbZ,u **L32101DL1986GOI023501** और जिसका पंजीकृत कार्यालय egkuxj njlpkj lnu] ikpoh efty] 9 lhthvk dkEiyDl ykskh jkM] fnYyh&110003, भारत में है (जिसे यहां आगे 'कंपनी' कहा गया है), के निदेशकों से प्राप्त सुसंगत रजिस्टरों, रिकॉर्डों, फार्म, विवरणियों एवं प्रकटनों की जांच की है।

मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी जानकारी तथा सत्यापन (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) जिसे आवश्यक समझा गया एवं कंपनी तथा उसके अधिकारियों द्वारा मुझे/हमें दिए गए विवरणानुसार, मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसी किसी अन्य सांविधिक प्राधिकार द्वारा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नीचे दिए अनुसार कंपनी के बोर्ड का कोई भी निदेशक 80 नियुक्ति अथवा कंपनी के निदेशक के रूप में बने रहने के लिए विवर्जित अथवा निरर्हित नहीं है।

Ø- l-	funs'kd dk uke	Mhvkbl,u	diuh e fu;fDr dh rkjh[k
1.	चिन्मय बासु	02105505	26/10/2017
2.	ग्रुद्दंति पद्मजा	06464905	26/10/2017
3.	सुनील कुमार	06628803	21/06/2013
4.	सुनीता त्रिवेदी	06742087	26/10/2017

Ø- l-	funs'kd dk uke	MhvkbZ,u	dEiuh esa fu;qfDr dh rkjh[k
5.	संजीव कुमार	07566882	18/07/2016
6.	कदाथुर बिक्शान्देश्वरन गोकुलचंद्रन	07969005	26/10/2017
7.	मिलिंद विजय जोशी	08273959	05/11/2018
8	नवनीत गुप्ता	08478052	11/06/2019

बोर्ड के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/बने रहने की पात्रता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे सत्यापन पर आधारित इन पर अपना मत प्रकट करना है। यह प्रमाणपत्र न कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही दक्षता अथवा प्रभावशीलता का आश्वासन है जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करती है।

oh-d- 'kekZ ,.M da
कंपनी सचिव

हस्ता./–
¼oh-d- 'kekZ½
एफसीएस नं. 3440
सीपी नं.: 2019
यूडीआईएनः F003440B000635764

LFkku% ग्रेटर नोएडा
fnukad% 31.08.2020

fun'kdk dh fjiksVZ dk ifjf'k"V ***-VII***

O;kolkf;d mÙkjnkf;Ro fjiksVZ ¼foÙkh; o"kZ 2019&2020 ds fy,½

[kM ,% diuh d fo"k; e lkekU; lpuk

1.	कपनी का कॉरपोरेट पहचान नंबर (सीआईएन)	L32101DL1986GOI023501
2.	कंपनी का नाम	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	महानगर दूरसंचार सदन, 5वां तल, 9 सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड नई दिल्ली–110003
4.	वेबसाइट	www.mtnl.net.in
5.	ई–मेल आईडी	mtnlcsco@gmail.com
6.	रिपोर्ट किया गया वित्त वर्ष	2019-20
7.	वे क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्य कर रही है। (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	दूरसंचार सेवा (औद्योगिक गतिविधि कोडानुसार)
8.	उन तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के नाम बताएं, जो तुलनपत्र के अनुसार कंपनी बनाती है/ उपलब्ध करवाती है	1. बेसिक (मूलभूत) टेलीफोनी 2. ब्रॉडबैंड सेवाएं 3. मोबाइल सेवाए
9.	उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कंपनी व्यवसाय कर रही है	i) अंतरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या –शून्य, हालांकि कंपनी की मॉरीशस में एक पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनी एमटीएमएल है तथा नेपाल में संयुक्त उद्यम कंपनी यूटीएल है। ii) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या–2 (दिल्ली तथा मुंबई)
10.	कंपनी द्वारा सेवित बाजार– स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय	राष्ट्रीय (दिल्ली तथा मुंबई) तथा अंतरराष्ट्रीय (मॉरीशस अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से एवं नेपाल अपने संयुक्त उद्यम के माध्यम से जैसाकि ऊपर 9 (i) में बताया गया है।

[kM ch% diuh dk foÙkh; fooj.k

1.	चुकता पूंजी (भारतीय रुपये)	रु. 630 करोड़
2.	कुल व्यवसाय (भारतीय रुपये) (अन्य आय सहित)	रु. 2227.02 करोड़
3.	कर–पश्चात् कुल लाभ (भारतीय रुपये) अन्य व्यापाक आय (हानि) सहित	रु. (3811.00) करोड़
4.	कर–पश्चात् लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय	शून्य
5.	उन कार्यकलापों की सूची, जिन पर ऊपर 4 में दर्शाया गया व्यय किया गया: ए. बी. सी.	लागू नहीं

[kM lh% vU; fooj.k

lgk;d difu;k % दिनांक 31–3–2020 को कंपनी की निम्नलिखित दो सहायक कंपनियां हैः–

1. महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व की विदेश स्थित सहायक कंपनी)
2. मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व की भारतीय सहायक कंपनी)

मूल कंपनी की व्यावसायिक दायित्व पहलें सहायक कंपनियों पर भी लागू होती हैं, हालांकि कंपनी जिन कंपनियों या संस्थाओं के साथ व्यवसाय करती है, उनमें से कोई भी कंपनी की व्यावसायिक दायित्व पहलों में भाग नहीं लेती।

[kM Mh% 0;kolkf;d nkf;Ro lwpuk%

1- 0;kolkf;d nkf;Ro uhfr@uhfr;ksa ds dk;kZUo;u ds fy, mÙkjnk;h funs'kd

fl)kar la[;k	fooj.k	uhfr@uhfr;ka	funs'kd¼kas½ dk mÙkjnkf;Ro
fl)kar 1 ¼ih 1½	व्यवसाय नैतिकता, पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी के साथ संचालित एवं शासित किया जाए।	1. निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधकीय कर्मियों तथा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए आचार संहिता 2. आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली 3. रहस्योद्घाटनकर्ता (ह्विसल ब्लोअर) नीति 4. भेदिया व्यापार नीति 5. केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश	सभी निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी
fl)kar 2 ¼ih 2½	व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, जो सुरक्षित हों तथा अपने पूरे कार्यकाल तक चलने योग्य हों।	1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के विनियम 2. दूरसंचार विभाग द्वारा जारी की गई नियामक तथा लाइसेंसिंग शर्तें 3. भारतीय तार अधिनियम	सभी कार्यात्मक निदेशक
fl)kar 3 ¼ih 3½	व्यवसाय सभी कर्मियों के कल्याण को बढ़ावा दे।	1. एमटीएनएल आचरण एवं अनुशासन नियमावली 2. मानव संसाधन नीतियां 3. मानव संसाधन के मुद्दों पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश 4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश	निदेशक (मा.सं. एवं उद्यम व्यवसाय) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
fl)kar 4 ¼ih 4½	व्यवसाय को सभी हितधारकों, विशेष रूप से जो वंचित, कमजोर तथा हाशिये के लोग हैं, के हितों का सम्मान करे तथा उनके प्रति अनुक्रियाशील (रेस्पान्सिव) हो।	1. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति 2. मा. संसा. नीतियां 3. भा. दूर. निया. प्राधि. के दिशानिर्देश 4. दूरसंचार विभाग की नीतियां 5. भारतीय तार अधिनियम	सभी कार्यात्मक निदेशक
fl)kar 5 ¼ih 5½	व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान करे तथा उन्हें बढ़ावा दे।	कर्मियों के लिए मा. संसा. नीतियां, दूरसंचार विभाग की नीतियां, ट्राई के दिशानिर्देश	निदे. (मा.सं. एवं उद्यम व्य.)
fl)kar 6 ¼ih 6½	व्यवसाय, पर्यावरण का सम्मान तथा रक्षा करे तथा उसे बहाल करे।	भा.दूर.निया.प्राधि./दूर. विभाग के दिशानिर्देश। भारतीय तार अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण कानून	सभी कार्यात्मक निदेशक
fl)kar 7 ¼ih 7½	व्यवसाय जब जनता तथा नियामक नीति को प्रभावित करने में लगा हो तो उसे उत्तरदायी तरीके से किया जाए।	आचार संहिता (निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए) सभी लागू विधियां (कानून) निगमित अभिशासन संहिता	सभी निदेशक
fl)kar 8 ¼ih 8½	व्यवसाय समावेशी वृद्धि तथा समानतापरक विकास को बढ़ावा दे।	निगमित अभिशासन संहिता निगमित सामाजिक दायित्व नीति	सभी निदेशक
fl)kar 9 ¼ih 9½	व्यवसाय अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं के साथ जुड़ा रहे तथा उत्तरदायी ढंग से उन्हें महत्व दे।	भारतीय तार अधिनियम ट्राई के दिशानिर्देश दूरसंचार विभाग की नीतियां सभी लागू विधियां	सभी निदेशक

2- 31-03-2020 dks lekIr :i ls 0;kolkf;d nkf;Ro ds fy, mÙkjnk;h funs'kd@funs'kdksa dk fooj.k%

(ए) व्यावसायिक दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरणः

ijk uke	lquhy dqekj	fefyan fot; tS'kh	lqthr dqekj
inuke	निदेशक (मानव संसाधन एवं ईबी)	निदेशक (वित्त)	निदेशक (तकनीकी)
iSu ucj	AFIPK2794N	ABBPJ8438R	AIDPK4041L
MhvkbZ,u ucj	06628803	08273959	07566882
bZ&esy vkbZMh	dirhrco@bol.net.in Kumarsunilmtnl@gmail.com	mvj960@gmail.com dirfin@mtnl.in	dirtco@bol.net.in
VsyhQksu ua-	011-24329501, 240319020, 2431447	011-24321095	011-24315931
QSDl ua-	011-24328117, 24324243	011-24328361	011-24315646

* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का दिनांक 15.04.2020 से अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया। श्री पी.के पुरवार ने दिनांक 15.04.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ले लिया है।

(बी) व्यावसायिक दायित्व शीर्ष का विवरणः उपर्युक्तानुसार

3- fl)kar&okj ¼,uohth dh vuqlkj½ ihvkj uhfr@uhfr;ka

,	iz'u	ih1	ih2	ih3	ih4	ih5	ih6	ih7	ih8	ih9
1.	क्या आपके पास सिद्वांत के लिए नीति/नीतियां है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	जो नीति बनायी जा रही है, क्या उस पर संबंधित हितधारकों का परामर्श लिया जा रहा है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
3.	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां तो बताएं (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
4.1	क्या नीति को निदेशक मंडल अनुमोदित कर रहा है?	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
4.2	यदि, हां तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/समुचित निदेशक मंडल के निदेशक ने हस्ताक्षर किए हैं?	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं
5	नीति के कार्यान्वयन को देखने के लिए क्या कंपनी के पास निदेशक मंडल/निदेशक /कार्मिकों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
6.	उस लिंक का नाम बताएं जिस पर नीति को ऑन लाइन देखा जा सके।	mtnl.net.in	mtnl.net.in	mtnl.net.in	mtnl.net.in	mtnl.net.in	mtnl.net.in	mtnl.net.in	mtnl.net.in	mtnl.net.in
7.	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी संबंधित आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों को भेजी गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	नीति/नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कंपनी के पास आंतरिक ढांचा है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

,	i'u	ih1	ih2	ih3	ih4	ih5	ih6	ih7	ih8	ih9
9.	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है जिससे नीति/नीतियों संबंधी हितधारकों की शिकायतों को देखा जा सके?	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्य करने का किसी आंतरिक अथवा बाह्य एंजेसी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

i) uhfr;ksa ds fy, osc fyad

आचार संहिता	- http://mtnl.in/codeofconduct.pdf.
रहस्योद्घाटनकर्ता नीति	- http://mtnl.in/whistleBlowerPolicy.pdf
नागरिक चार्टर	- http://mtnl.in/citizencharter.pdf
केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश	- http://mtnl.in/PIDPI.pdf
कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति	- http://mtnl.in/csr_2014.pdf
भेदिया व्यापार नीति	- http://mtnl.in/insiderpolicy.pdf

¼,½ ;fn fdlh fl)kar ds fy, Ø- l- 1 esa mÙkj ^ugha* gS] rks Ñi;k Li"V djsa] fd D;ks%

4- 0;kolkf;d nkf;Ro ls lacfèkr vfHk'kklu

i.	बताएं कि निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कब–कब कंपनी के व्यावसायिक दायित्व निष्पादन का आकलन करते हैं। 3 माह के अंदर, 3–6 माह, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक।	3 माह के अंदर
ii.	क्या कंपनी व्यावसायिक दायित्व अथवा बने रहने की योग्यता (सस्टेनेबिलिटी) की कोई रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक का नाम बताएं? यह कब–कब प्रकाशित की जाती है?	http://www.mtnl.net.in/

[kaM bZ % fl)kar&okj fu"iknu

fl)kar 1 % *व्यवसाय नैतिकता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के साथ संचालित होना चाहिए।*

1- D;k uhfrdrk] fj'or[kksjh rFkk Hkz"Vkpkj ls lacaf/kr uhfr dsoy daiuh ij ykxw gksrh gS\ gka@ ugha

जी हां। कंपनी का नैतिक आचरण विभिन्न नीति संबंधी पहलों में परिलक्षित होता है। कर्मचारी आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली संगठन में सभी स्तर के कर्मियों पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त नैतिक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आचार संहिता, निष्ठा समझौता, रहस्योद्घाटनकर्ता नीति, भेदिया व्यापार कोड तथा नागरिक चार्टर को भी प्रचालन में लाया गया है।

इसके अतिरिक्त कंपनी का एक सतर्कता विभाग है, जिसके प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के नामिती होते हैं। सतर्कता विभाग अपनी रिपोर्ट निदेशक मंडल के साथ–साथ सक्षम प्राधिकारी को

प्रस्तुत करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी मानदंडों के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भी रिपोर्ट करते हैं।

2- D;k bldk foLrkj leg@l;Dr miØek@vkifrdrk@Bdnkjk@xj ljdkjh lxBuk@vU;k rd Hkh g\

जी हां, सत्यनिष्ठा समझौता, नागरिक चार्टर आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं आदि पर लागू होते हैं, जबकि आचार संहिता, भेदिया व्यापार संहिता तथा रहस्योद्घाटनकर्ता नीति केवल कंपनी के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है।

3- fiNys foÙk o"kZ esa fdruh fgr/kkjd f'kdk;rsa ikIr gbZ gSa rFkk iczU/ku us fdrus ifr'kr f'kdk;rksa dk larks"ktud lek/kku fd;k\ ;fn ,slk gS rks yxHkx 50 'kCnksa esa fooj.k nsaA

foÙk o"kZ 2018&19 ds nkSjku ikIr uSfrdrk lca/kh f'kdk;rsa				foÙk o"kZ 2018&19 ds nkSjku ikIr fj'or[kksjh rFkk Hkz"Vkpkj dh f'kdk;rsa			
प्राप्त कुल शिकायतें	हल की गई शिकायतें	लंबित शिकायतों की सं	हल की गई शिकायतों का प्रतिशत	प्राप्त कुल शिकायतें	हल की गई शिकायतें	लंबित शिकायतों की सं	हल की गई शिकायतों का प्रतिशत
173	173	शून्य	100	61	53	08	87

fl)kar 2 % *व्यवसायों को ऐसी वस्तुएं तथा सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, जो सुरक्षित हों तथा अपने पूरे कार्यकाल तक चलने योग्य हों।*

1- viu ,sls fdUgh 3 mRiknksa vFkok lsokvksa dk uke crk,] ftuds fMtkbu esa lkekftd vFkok i;kZoj.k lca/kh fpark,] tksf[ke rFkk@vFkok volj gSA

जैसा कि एमटीएनएल दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाता है, हमारी बेतार सेवाएं (डब्ल्यूएस) बीटीएस टावरों से इलैक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार तथा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों का पालन करती हैं:

ए) D;k ,eVh,u,y chVh,l Vkojksa }kjk gksus okys byDVªkseSXufVd fofdj.k ds lca/k esa njlpkj foHkkx] Hkkjr ljdkj rFkk Hkk-nw-fu-ikf/k }kjk tkjh fd, x, lacaf/kr fn'kkfunsZ'kksa dk ikyu djrk jgk g\ D;k ,eVh,u,y us bl lca/k esa dksbZ uhfr cuk;h g\

एमटीएनएल, बीटीएस टावरों से वैद्युत चुंबकीय विकिरण के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार तथा भा. दू. निया. प्राधि. द्वारा जारी किये गए संबंधित दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। जी हां, एमटीएनएल ने इस संबंध में नीति बनाई हैं।

बी) ÅtkZ ds mi;ksx esa deh djus rFkk i;kZoj.k dh j{kk djus ds fy, mBk, x, dne%&

एमटीएनएल मुम्बई इकाई द्वारा ऊर्जा के उपयोग में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गएः–

1. बिजली बचाने के लिए 7 जून 2019 को कुल 668, 1800 मेगाहर्टज फ्रीक्वेंसी बीटीएस को तत्काल बंद कर दिया गया है। ऐसा करने से प्रति बीटीएस प्रति माह 720 यूनिट बिजली की बचत हुई है। कुल बचत 5,77,15,200/– रुपये थी।
2. कम टैरिफ का का लाभ लेने के लिए सुबह 6 बजे से पहले पानी के पंप संचालित किए जाते हैं।
3. एमडीएफ पैकेज यूनिट एसी का उपयोग कभी–कभी किया जा रहा है।
4. अकुरली (किराए पर इमारत) में अनुपयोगी स्थान को मकान मालिक को वापस सौप दिया गया है। इस प्रकार किराए की बचत और बिजली की खपत भी कम कर दी है।
5. बिजली की खपत को कम करने के लिए कार्यालयों कों पुर्नस्थापित करके उन्हें किराए पर दिया जा रहा है।

6. स्थानों पर 24 घण्टे रोशनी की जरूरत होती है, पहां पर एलईडी बल्ब लगाए जा रहे हैं।

7. ईडब्ल्यूएसडी एक्सचेंज यूनिट के डीएसएलएम शेल्फ और डीएलएयू को ग्राहकों को अन्य कम क्षमता वाले शेल्फ/डीएलए में स्थानांतरित करने के बाद बिजली बंद कर दी गई। जिससे बिजली की खपत में बचत हुई।

8. सेवा प्रवसन के बाद कुछ जीएसएम उपकरण बंद कर दिए जाते हैं। तदनुसार, बिजली बचाने के लिए एसी इकाइयों की भी आनुपातिक रूप से बिजली बंद कर दी गई।

9. खाली जगह किराए पर दी जाती है।

10. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) के बाद हुई खाली जगहों को बिजली बंद करके ताला बंद कर दिया गया है और उन्हें किराए पर दिया जा रहा है।

fl)kar 3% *व्यवसाय को सभी कर्मियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।*

1- Ñi;k deZpkfj;ksa dh dqy la[;k crk,a% 4185 (31–03–2020 को)

2- mu deZpkfj;ksa dh dqy la[;k] tks vLFkk;h@Bsdk ij@vfu;r vk/kkj ij j[ks x, gSa% 3313

3- Ñi;k LFkk;h efgyk deZpkfj;ksa dh la[;k crk,a% 824

4- Ñi;k fodykax LFkk;h deZpkfj;ksa dh la[;k crk,a% 27

5- D;k vkids laxBu esa dksbZ deZpkjh ,lksfl,'ku gS] ftls izca/ku us ekU;rk nh gks% नहीं

6- vkids LFkk;h deZpkfj;ksa esa ls fdrus izfr'kr deZpkjh bl ekU;rk izkIr deZpkjh ,lksfl,'ku ds lnL; gSa\ ykxw ughaA (उपर्युक्त बिंदु संख्या 5 को देखते हुए)

7- Ñi;k crk,a fd fiNys foÙk o"kZ esa cky etnwjh] tcju etnwjh ¼cU/kqvk½] vuSfPNd etnwjh] ;kSu izrkM+uk ls lacaf/kr fdruh f'kdk;rsa vkbZa rFkk foÙk o"kZ ds var esa fdruh f'kdk;rsa yafcr FkhA\

Ø-la-	J.s.kh] tks foÙk o"kZ ds nkSjku nk;j dh xbZ	foÙk o"kZ dh lekfIr ij yafcr f'kdk;rksa dh la[;k	f'kdk;rksa dh la[;k
1.	बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8- vkids fuEufyf[kr deZpkfj;ksa esa ls fdrus izfr'kr dks fiNys o"kZ lqj{kk rFkk dkS'ky mUu;u dk izf'k{k.k fn;k x;k\

- स्थायी कर्मचारी : शून्य
- स्थायी महिला कर्मचारी : शून्य
- अनियत/अस्थायी/ठेका कर्मचारी : शून्य
- विकलांग कर्मचारी : शून्य

fl)kar 4 % *व्यवसायों को सभी हितधारकों, विशेष रूप से जो वंचित, कमजोर तथा हाशिये के लोग हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति अनुक्रियाशील (रेस्पॉन्सिव) होना चाहिए।*

1- D;k daiuh us viuh vkarfjd rFkk cká fgr/kkjdksa dh igpku dh gS\ gka@ugha

जी हां, अपने गठन से लेकर आज तक संगठन ने हितधारकों के अलग–अलग दोनों समूहों– आंतरिक जैसे कार्मिक, शेयर धारक तथा बाह्य जैसे कि उपभोक्ता, समुदाय, व्यवसाय साझेदार (आपूर्तिकर्ता तथा विक्रेता), उद्योग संघ इत्यादि दोनों की पहचान की है तथा उनके साथ संलग्न रहा है।

2- mi;Dr e l D;k diuh u ofpr] detkj rFkk gkf'k;s d fgr/kkjdk dh igpku dh g\

वित्त वर्ष के दौरान कोई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों के लिए आबंटित व्यय नहीं की गई क्योंकि आसन्न पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान कंपनी का औसत लाभ शून्य है (कंपनी घाटे में चल रही है) अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों के लिए निधियों के आबंटन की अपेक्षा लागू नहीं है।

3- ofpr] detkj rFkk gkf'k;s ij jg jg fgr/kkjdk l tMu d fy, D;k diuh u dkbl fo'k"k igy dh g\ ;fn gk rk mudk fooj.k 50 'kCnk e nA

लागू नहीं।

fl)kr 5% *व्यवसाय को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।*

1- ekuokf/kdkjk ij diuh dh uhfr e D;k doy diuh gh 'kkfey g vFkok ble leg@l;Dr m|e@vkifrdrk@Bdnkj@Lo;loh lxBu@vU; Hkh 'kkfey g\

एमटीएनएल भारत के संविधान में निष्ठा रखता है, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व देने के लिए संकल्पित है तथा जिसमें मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में निहित मूल मानवाधिकार भी शामिल हैं। एमटीएनएल अपने कार्यस्थलों पर तथा उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं इत्यादि के साथ व्यवहार करने में अंतरराष्ट्रीय रूप से घोषित मानवाधिकारों की रक्षा के समर्थन तथा सम्मान के प्रति वचनबद्ध है।

2- fiNy foÙk o"k e fgr/kkjdk dh fdruh f'kdk;r ikIr gbl g rFkk icU/ku u fdruh ifr'kr f'kdk;rk dk lrk"ktud lek/kku fd;k\

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट में पहले ही दिया जा चुका है।

fl)kr 6 % *व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान, रक्षा करनी चाहिए तथा उसे बहाल करने के प्रयास करने चाहिए।*

1- fl)kr 6 l lcf/kr uhfr e D;k doy diuh gh 'kkfey g vFkok ble leg@l;Dr m|e@vkifrdrk@Bdnkj@Lo;lo lxBu@vU; Hkh 'kkfey g\

कंपनी इस संबंध में बनायी गई नीति का पालन कर रही है।

2- of'od i;koj.k lc/kh eqík] tl tyok; ifjorlu] /kjrh d xel gkus ¼Xykcy okfexa½ bR;kfn d lekèkku dh fn'kk e D;k diuh dh dkbl dk;uhfr;k@igy g\ gk@ugh] ;fn gk] rk oc ist bR;kfn dk gkbijfyd crk,A

एमटीएनएल संबंधित पर्यावरण तथा कानूनों बीटीएस टावरों से वैद्युत चुंबकीय विकिरण के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार तथा भा.दूर.नि. प्राधि. (ट्राई) द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा का पालन कर रहा है। वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कोई पहल नहीं।

3- D;k diuh lHkkfor i;koj.k lc/kh tkf[kek dh igpku rFkk vkdyu djrh g\ gk@ugh

जी हां, एमटीएनएल की बेतार सेवाओं (डब्ल्यूएस) ने बीटीएस टावरों से वैद्युत चुंबकीय विकिरण के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार तथा भा.दू.निया. प्राधि. द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों का पालन करने की पहल की है।

4- LoPN fodkl r= d lc/k e D;k diuh d ikl dkbl ifj;kstuk g\ ;fn mÙkj ^gk* e g rk fooj.k 50 'kCnk e n rFkk D;k dkbl i;koj.k d vuqikyu lc/kh fjikV Hkjh tkrh g\

जी नहीं, स्वच्छ विकास तंत्र के संबंध में कंपनी की कोई परियोजना नहीं है।

5- D;k dEiuh u LoPN ikS|ksfxdh] Åtkl n{krk] uohdj.kh; Åtkl bR;kfn ij dkbl vU; igy dh gS\ ;fn gk] rks Ñi;k oc iUt bR;kfn dk gkbijfyad nsA

कंपनी ने ऊर्जा दक्षता पर पहल की है। विस्तृत उत्तर सिद्धांत 2 (1) (बी) में दिया गया है।

6- fjiksfVk/khu foÙkh; o"kl ds fy, dEiuh }kjk iSnk fd;k x;k vif'k"V ¼dkMkZ½@mRltZu D;k dsUnzh; iznw"k.k fu;a=.k cksMZ@jkT; iznw"k.k fu;a=.k cksMZ }kjk nh xbZ vuqeU; lhekvksa ds vUnj gS\

एमटीएनएल बीटीएस टावरों से वैद्युत चुंबकीय विकिरण के संबंध में दूरसंचार विभाग, भारत सरकार तथा भा. दूर.नि. प्रा. द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पैदा हुए उत्सर्जन तथा अपशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर हैं।

7- dsUnzh; iznw"k.k fu;a=.k cksMZ@jkT; iznw"k.k fu;a=.k cksMZ }kjk fn, x, dkj.k crkvks ukfVl@ dkuwuh ukfVl dh la[;k] tks foÙkh; o"kl dh lekfIr ij yfcr gSa ¼vFkkZr larks"ktud lek/kku ugha gqvk½A

शून्य

fl)kar 7 % *व्यवसाय जब जनता तथा नियामक नीति को प्रभावित करने में लगा हो तो उसे वैसा जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए।*

1- D;k vkidh dEiuh fdlh VsªM rFkk pSacj vFkok ,lksfl,'ku dh lnL; gS\ ;fn gka] rks dsoy mu izeq[k laLFkkvksa ds uke crk,a ftuds lkFk vkids O;olk; dk O;ogkj ¼Mhfyax½ gksrk gSA

i) स्कोप

ii) डीएमए

2- D;k vkius yksdfgr ds lao/kZu vFkok mles lq/kkj ds fy, mi;qZDr ,lksfl'ku ds ek/;e ls odkyr dh gS@cckr mBk;h gS\ gka@ugha(;fn gka rks cM+s {ks=ksa dk fooj.k nsa ¼MªkWi ckDl% 'kklu ,oa iz'kklu] vkfFkZd lq/kkj] lekos'kh fodkl dh uhfr;ka] Åtkl lqj{kk] ty] [kk| lqj{kk] cuk jgus ;ksX; O;olkf;d fl}kar] vU;½

जी नहीं

fl}kar 8 % *व्यवसाय को समावेशी वृद्धि तथा समानतापरक विकास को बढ़ावा देना चाहिए।*

1- fl)kar 8 ls lacaf/kr uhfr ds vuqlj.k esa D;k dEiuh ds dksbl fo'ks"k dk;ZØe@igy@ifj;kstuk,a gS\ ;fn gka] rks mudk fooj.k nsaA

वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों के लिए कोई निधि आबंटित नहीं की गई, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों के लिए निधि आबंटित करने की अपेक्षा होती है। यह बात कंपनी के लिए लागू नहीं है, क्योंकि कंपनी पिछले तीन वर्षों से घाटे में चल रही है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी की वेबसाइट www.mtnl.net.in पर उपलब्ध है। एमटीएनएल निगमित सामाजिक दायित्व कार्यकलापों में गैर–बाध्यकारी तरीकों से यथासंभव योगदान कर रहा है।

2- D;k dk;ZØe@ifj;kstuk,a vkarfjd Vhe@vius gh izfr"Bku@ckgjh Lo;alsoh laxBu@ljdkjh laLFkkuksa@fdlh vU; laxBu }kjk vius gkFk esa fy;s x, gS\

लागू नहीं।

3- D;k vkius viuh igy dk dksbZ izHkko vkdyu fd;k gS\

लागू नहीं, क्योंकि कंपनी के घाटे में होने के कारण एमटीएनएल कोई निगमित सामाजिक कार्यकलाप नहीं कर रहा है, जिसमें पैसा (फंड) जुड़ा होता है।

4- vkidh diuh dk lkeqnkf;d fodkl ifj;kstukvksa esa D;k iR;{k ;kxnku g&jkf'k Hkkjrh; #i;s esa rFkk gkFk esa yh xbZ ifj;kstukvksa dk fooj.k\

लागू नहीं, क्योंकि एमटीएनएल घाटे में चल रही कंपनी है तथा ऐसे किसी निगमित सामाजिक कार्यकलाप पर कार्य नहीं कर रही है, जिसमें निधियां/धन शामिल हों।

5- D;k vkius ;g lqfuf'pr djus dh fy, mik; fd;s gSa fd bl lkeqnkf;d fodkl igy dk leqnk; lQyrkiwoZd viuk yh\ Ñi;k yxHkx 50 'kCnksa esa Li"V djsA

लागू नहीं।

fl)kar 9 % *व्यवसाय को अपने ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं के साथ जुड़े रहना चाहिए तथा उत्तरदायी ढंग से उन्हें महत्व देना चाहिए।*

1- foÙk o"kZ ds var rd fdrus ifr'kr xzkgd f'kdk;rsa@miHkksDrk ekeys yafcr gSa\

viSy] 2019 ls ekpZ] 2020 rd miHkksDrk f'kdk;rksa dk fooj.k

Øa- la-	fooj.k	dqy izkIr		dqy yafcr		foÙk o"kZ ds var esa yafcr ekeyksa dk ifr'kr	
		eqacbZ	fnYyh	eqacbZ	fnYyh	eqacbZ	fnYyh
1.	tu f'kdk;r ekeys	1172	10325	128	430	10.92	4.16
2.	ySMykbu nks"k	1117269	760877	11390	6144	1.01	0.81
3.	czkMcSaM nks"k	404944	367020	4037	2451	0.99	0.67

2- LFkkuh; lekpkjksa ds vuqlkj ;g fdruk vfuok;Z gS] D;k dEiuh mRikn ds vkoj.k ¼ycy½ ij mlls Hkh vkxs tkdj mRikn ds fo"k; esa tkudkjh nsrh gS\ gk¡@ughaA ykxw ugha@fVIi.kh ¼vfrfjDr lwpuk½

जहां तक एमटीएनएल का संबंध है, उपभोक्ता को उपभोक्ता आवेदन फार्म देते समय ही विभिन्न प्लान के विषय में अच्छी तरह से बताया जा रहा है। ऐसा पैम्फ़लेट/पुस्तिकाओं/कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से भी किया जा रहा है।

3- D;k vuqfpr 0;kikj i}fr;ksa] xSj&ftEesnkjkuk foKkiu djus rFkk@vFkok ifr;ksfxrk fojksèkh 0;ogkj ds lacaèk esa dEiuh ds fo#) fiNys ikap o"kZ ds nkSjku fdlh fgr/kkjd us dksbZ ekeyk nk;j djok;k gS] tks foÙk o"kZ ds var rd yafcr gks\ ;fn gka] rks yxHkx 50 'kCnksa esa fooj.k nsA

शून्य।

4- D;k vkidh dEiuh us dksbZ miHkksDrk losZ{k.k@miHkksDrk larqf"V #>kuksa ij losZ{k.k fd;k gS\

एमटीएनएल मुंबई यूनिट में, दोष (फॉल्ट) के लिए ग्राहक फीडबैक व्यक्तिगत रूप से और आईवीआरएस के माध्यम से लिया जाता है।

*fun'kdksa dh fjiksVZ dk ifjf'k"V&***VIII**

ifjp;%
ic/ku dh ppkZ vkSj fo'ys"k.k fjiksVZ ¼,eVh,u,y dh tksf[ke ic/ku uhfr½ foÙkh; o"kZ 2018&19 ds fy,
ifjp;%

एमटीएनएल को भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित दिल्ली तथा ठाणे जिले सहित मुंबई शहरों में सेवाएं देने के लिए वर्ष 1986 में 10,000 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था। इसका उद्देश्य सस्ती दरों पर अपने उपभोक्ताओं को विश्व स्तर की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना है। 1997 में एमटीएनएल को नवरत्न का दर्जा मिला। यह एनएसई, बीएसई और ओटीसीक्यूएक्स में सूचीबद्ध है। वर्तमान प्रतिस्पर्धी दूरसंचार परिदृश्य में एमटीएनएल द्वारा निम्नलिखित प्रमुख जोखिमों का सामना किया जा रहा है और वित्तीय वर्ष 2019–20 में इसके प्रबंधन और न्यूनीकरण नीचे दिए गए हैं:

,eVh,u,y esa tksf[ke ic/ku uhfr

1- cktkj@izfr;ksfxrk tksf[ke%

एमटीएनएल का बाजार मुंबई और दिल्ली तक सीमित है। कई अन्य निजी ऑपरेटर वर्तमान में इन बाजारों में बुनियादी और सेलुलर सेवाओं के लिए हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनमें से कई कंपनियों के पास पहले से ही दिल्ली और मुंबई में महत्वपूर्ण दूरसंचार हिस्सेदारी और अत्याधुनिक दूरसंचार अवसंरचना है, जिसके माध्यम से वे कम लागत वाली, मोबाइल और निश्चित वायरलाइन टेलीफोन सेवाओं के साथ–साथ 4 जी सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं।

izk|kSfxdh@usVodZ foLrkj vkSj mUUk;u esa ,eVh,u,y }kjk i;kZIr fuos'k dh deh] dqN cM+s izpkydksa ds izos'k ds lkFk {ks= esa xHkhj izfrLi/kkZ vkSj njlaipkj {ks= esa j.kuhfrd lesdu ds dkj.k ,eVh,u,y ds miHkksäk vk/kkj esa fiNys dqN o"kksZa esa rsth ls fxjkoV vkbZ gSA

वायरलेस सेवाओं में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा कीमतों पर दबाव बनाए हुए है तथा सेवा की गुणवत्ता, क्षमता और 4 जी सेवाओं की शुरूआत में सुधार के लिए नेटवर्क को उन्नत और विस्तारित करने के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। हाल के वर्षों में बाजार में गला काट प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में दूरसंचार दरों में काफी गिरावट आई है, जिससे उद्योग के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप, सेवाओं के राजस्व में गिरावट आई है। एमटीएनएल के परिचालन मुंबई और दिल्ली के शहरों तक सीमित हैं और पैन–इंडिया की उपस्थिति वाली कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में हमें रोकते हैं।

एमटीएनएल फिक्सड लाइन और ब्रॉडबैंड सर्विस सेगमेंट में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। एमटीएनएल मुख्य रूप से कॉपर वायर एडीएसएल 2+ तकनीक पर 2–8 एमबीपीएस गति से ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा प्रदान कर रहा है। एमटीएनएल, एफटीटीएच सेवा को 1जीबी तक की गति के साथ पेश कर रहा है, लेकिन एफटीटीएच ग्राहकों की संख्या कुल ब्रॉडबैंड ग्राहक आधार का केवल 4.56% है। आज उपभोक्ता गतिशीलता के अतिरिक्त लाभ के साथ बहुत ही प्रतिस्पर्धी प्रशुल्क (लैंड लाइन प्रशुल्क का <1/4) पर असीमित कॉल और एसएमएस के साथ 4 जी पर 2–20 एमबीपीएस (औसतन 10 एमबीपीएस) की गति का इंटरनेट अनुभव प्राप्त करने में सक्षम है। इससे एमटीएनएल के स्थिर ब्रॉडबैंड उपभोक्ता प्रतिस्पर्धियों की 4 जी सेवा में जा रहे है। इसके अलावा, एमटीएनएल को कॉपर नेटवर्क पर इंटरनेट की गति को 100 एमबीपीएस तक बढ़ाने के लिए, वीडीएसएल2 प्रौद्योगिकी की ओर पलायन करना आवश्यक है और वीडीएसएल 2 प्रौद्योगिकी की तैनाती तथा टीडीएस स्विचों को आईएमएस कोर में उन्नयन के लिए 400 करोड़ रुपये तक के कैपेक्स निवेश की आवश्यकता है।

एमटीएनएल सीमित कवरेज और क्षमता के साथ केवल 2जी, 3जी सेवा प्रदान कर रहा है। सेवा वायरलेस और निर्धारित लाइन ग्राहकों के पलायन को रोकने के लिए एमटीएनएल को अगले दो से तीन वर्षों में 4जी सेवा

शुरू करने और अन्य नेटवर्क का विस्तार/उन्नयन करने के लिए 1200 करोड़ रूपये तक का भारी निवेश करना होगा।

2- uhfr rFkk fofu;e tkf[ke ,oa fofu;ked vuqikyu%

भारत सरकार हमारे व्यवसाय को सेवाओं और सेवा क्षेत्रों के लाइसेंसीकरण द्वारा तथा नियामक (ट्राई) कुछ सेवाओं पर दर शुल्कों के द्वारा उसे विनियमित करती है। फिक्स्ड लाइन सेवाओं के लिए लाइसेंस 31 मार्च, 2023 तक वैद्य है, तथा सेल्युलर मोबाइल सेवाओं के लिए 05.04.2019 तक वैध था। सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस को 05.04.2019 से आगे बढ़ाने का मामला विचाराधीन है तथा निर्णय की प्रतिक्षा है। दिनांक 22. 03.2019 को एमटीएनएल ने दिल्ली तथा मुम्बई एलएसए के लिए एकीकृत लाइसेंस के अंतर्गत एक्सेस सेवा प्राधिकार प्रदान करने के लिए भी आवेदन किया है जिससे एमटीएनएल अपने उपभोक्ताओं को बाधारहित सेवाएं देना जारी रख सके।

सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार एमटीएनएल को 01.07.2008 से सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस की समाप्ति यानि 5.04.2019 तक 4.4 मेगाहर्ट्स से अधिक स्पैक्ट्रम धारित करने के लिए एक बार स्पैक्ट्रम प्रभार के लिए लगभग रुपये 1718 करोड़ का भुगतान करना अपेक्षित हो सकता है। वर्तमान में एक बार स्पैक्ट्रम प्रभारों के भुगतान का मुद्दा मुकदमेबाजी में है तथा भुगतान की देयता अन्य प्रचालकों द्वारा दाखिल किए गए मुकदमें के परिणाम के अधीन होगी।

एमटीएनएल ने स्पैक्ट्रम प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क के रुपये 801.98 करोड़ को भारत सरकार के दिनांक 09.01.14 के मंत्रिमंडल निर्णय के आधार पर संयुक्त सेवा पेंशन विकल्प धारकों के पेंशन लाभों के लिए एमटीएनएल द्वारा किये गए अधिक भुगतान में से समायोजित किया है। हालांकि दूरसंचार विभाग एमटीएनएल द्वारा किए गए इस समायोजन को चुनौती दे रहा है। मामले को दिनांक 09.10.2014 को मद सं. 14/301 के माध्यम से निदेशक मंडल की 301वीं बैठक में एमटीएनएल के निदेशक मंडल के समक्ष भी रखा गया तथा निदेशक मंडल ने ये देखते हुए कि समायोजन मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार हुआ है, प्रबंधन से यह भी चाहा है कि प्रबंधन मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करवाने के लिए सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करे। ऐसी स्थिति में यद्यपि समायोजन कर लिया गया है (मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार) परंतु दबाव की कार्रवाई जैसे कि दंड तथा ब्याज लगाए जाने की दूर की संभावनाओं से मना नहीं किया जा सकता तथा यह कंपनी के लिए एक खतरा बना रहेगा, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि एमटीएनएल को उक्त राशियां ब्याज तथा दंड के साथ भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़े। हालांकि दूरसंचार विभाग ने अतिरिक्त पेंशन भुगतान से एमटीएनएल द्वारा की गई कटौती के समायोजन के लिए विवरण मांगने की प्रक्रिया शुरू की है।

पत्तन प्रभारों तथा आवक कॉल टर्मिनेशन प्रभारों के निरसन सहित ऊपर उल्लिखित इन सभी नियमनों का संयुक्त वार्षिक प्रभाव एमटीएनएल के राजस्व पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तथा ट्राई के विनियमनों के कारण पूंजीगत व्यय के प्रतिफल की दर के ऊपर सतत् जोखिम है।

ट्राई के नियमनों के अतिरिक्त नया कंपनी अधिनियम 2013 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षा 2015 (एलओडीआर), 'भारतीय लेखामानक तथा आईसीएफआर के क्रियान्वयन ने पहले ही अनुपालन को बहुत बोझिल तथा महंगा बना दिया है। साथ ही 01.07.2017 से जीएसटी के लागू हो जाने से एमटीएनएल पर अतिरिक्त नगदी प्रवाह वर्तमान आईटी, बिलिंग तथा लेखांकन सॉफ्टवेयर को जीएसटी की अपेक्षा के अनुसार सुधार करने के लिए अतिरिक्त लागत बोझ पड़ा। अनुपालन न होने अथवा अनुपालन में विलंब होने के लिए जीएसटी तथा सेवी विनियमों के अंतर्गत भारी शास्तियां लगाए जाने के साथ ही इक्विटी तथा ऋण सूचीयन अपेक्षाओं के संदर्भ में एक्सचेंज से बहिष्कृत किए जाने का भी जोखिम बढ़ जाता

है, जिसके लिए एमटीएनएल के कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, 01.04.2020 से जीएसटी पोर्टल के माध्यम से सभी बी–2–बी ग्राहक बिलों के अनिवार्य ई–चालान से आरंभ होने के अतिरिक्त तथा उसके बाद कोविड–19 के कारण 01.10.2020 तक स्थगित होने से सभी बिलिंग मॉड्यूल की अनुकूलन लागत को और बढ़ा देगा।

हमारे संस्था नियमों के अंतर्गत, भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति हमारे व्यवसाय तथा मामलों के संचालन तथा हमारे व्यवसाय संबंधित कतिपय मामलों, जिनमें हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक तथा लाभांशों की घोषणा शामिल है, के संबंध में भी निर्देश जारी कर सकते हैं। हमारा कोई भी शेयरधारक, प्रबंधन अथवा निदेशक मंडल भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किसी मामले के संबंध में उनके अनुमोदन के बिना कार्रवाई नहीं कर सकते। प्रतियोगी बोली के माध्यम से की जाने वाली हमारी खरीद जैसी सरकारी औपचारिकता जिनमें आवश्यकताएं भी शामिल हैं, से अक्सर हमारे उपकरणों तथा उत्पाद प्रापण में देरी होती है। यह देरी निजी क्षेत्र के प्रतियोगियों की तुलना में हमारे लिए हानिकारक हो सकती है तथा निजी प्रचालकों के साथ परिचालनात्मक प्रतियोगिता नहीं हो सकती। ये विलंब हमें निजी क्षेत्र के प्रतियोगियों की तुलना में घाटे में रख सकते हैं तथा परिचालनात्मक प्रतिस्पर्धा का क्षरण कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप निजी प्रचालकों के समान आधार पर सेवा मानकों के अभाव से उपभोक्ता संख्या में कमी आती है।

इसके नेटवर्क का तुरंत उन्नयन/विस्तार आवश्यक है। कंपनी द्वारा वित्तीय कठिनाईयों का समाना करने के कारण पिछले 5 वर्षो के दौरान पूंजीगत व्यय निवेश लगभग नगण्य था। उन्नयन तथा विस्तार के लिए अगले 2–3 वर्षो में रुपये 2500 करोड़ का निवेश अपेक्षित है। हालांकि दिनांक 31.03.2020 को रुपये 22,965.58 करोड़ (जिनमें बॉण्ड के रुपये 4533.97 करोड़, जिसके ब्याज तथा मूलधन की देयता भारत सरकार के पास है, शामिल नहीं हैं।) के कर्जे में होने के कारण कंपनी के लिए पूंजीगत व्यय (केपेक्स) तथा परिचालन व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करना बहुत बडी चुनौती है।

3. प्रौद्योगिकी जोखिम/सेवा की गुणवत्ताः एमटीएनएल आधारभूत सेवा प्रदाताओं को अपने नियमति देय प्रदान नहीं कर सका है, जहां एमटीएनएल अपने मोबाइल (2जी/3जी) साइट चला रहा है। इस कारण उक्त सेवा प्रदाताओं ने इन साइट पर एमटीएनएल की पहुंच को रोक दिया है जिससे दिल्ली में लगभग 2 तिहाई साइट बंद करने करने पड़े हैं तथा इससे एमटीएनएल के नेटवर्क को बहुत नुकसान हुआ है।

3.1 सेवा में सुधार तथा सेवा की बेंहतर गुणवत्ता सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकीय उच्चीकरण/ विस्तार तुरंत किए जाने की अपेक्षा हैः

(i) 4जी सेवाओं को शुरू करनाः केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 23.10.2019 की अपनी बैठक में एमटीएनएल की पुनरूद्धार योजना को मंजूरी दी जिसमें सरकार द्वारा पूंजी लगाने के माध्यम से एमटीएनएल तथा बीएसएनएल को 4जी सेवाएं देने के लिए स्पैक्ट्रम का प्रशासनिक आबंटन शामिल है। स्पैक्ट्रम की लागत पर जीएसटी का भुगतान भी बजट सहायता के माध्यम से किया जाएगा।

एमटीएनएल ने अपनी आवश्यकताएं की अनुसूची बीएसएनएल के साथ साझा की है ताकि एमटीएनएल के लिए भी प्रतियोगी दरें प्राप्त हो सकें। रेडियो एक्सेस नेटवर्क की अनुमानित लागत 877 करोड रुपये है। बीएसएनएल ने इस संबंध में 23 मार्च 2020 को निविदा जारी कर दी।

(ii) पुराने टीडीएम नेटवर्क को मल्टीएक्सेस नोड के साथ आईएमएस कन्वजर्ड कोड में बदलनाः कोविड–19 लाकडॉउन के समय में विडियो कान्फ्रेंस के लिए मांग बहुत बढ़ गई है। इसके लिए 2एमबीपीएस अथवा अधिक

डाउन लिंक तथा अपलिंक गति की जरूररत होती है। एडीएसएल तकनीक 2 से 8 एमबीपीएस डाउन लिंक गति दे सकती है परन्तु विडियो कान्फ्रेंस के लिए 2एमबीपीएस अथवा अधिक की अपलिंक गति जरूरत को पूरानहीं कर पाती।

एमटीएनएल कॉपर पर एडीएसएल ब्रॉड बैंड सेवा दे रहा है जो डाटा की वर्तमान जरूरत को पूरा नहीं करता। एफटीटीएच एक समाधान हो सकता है हालांकि एमटीएनएल को इस तकनीक में समय–समय पर लागत तथ अन्य मुद्दों के कारण कॉपर एक्सेस नेटवर्क की जरूरत हो सकती है। शहर के 80 प्रतिशत से अधिक घरों को कॉपर नेटवर्क कवर करता है। कॉपर पर 100एमबीपीएस तक उच्च गति तथा डाउन लिंक 16 एमबीपीएस (सामान्यतया 8 एमबीपीएस) अपलिंक इंटरनेट के लिए बीडीएसएल प्राद्यौगिकी अति आवश्यक है।

टीडीएम प्राद्योगिकी आधारित कोर स्विच नेटवर्क को एसडीएन, आईएमएस कन्वजर्ड कोर में बदलने के लिए एमएसएएन का प्रयोग करके वीडीएसएल बहुत उचित समाधान है। तीन वर्षों में 478 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश से 10 वर्ष में 1459 करोड़ रुपये की बचत संभव होगी। पूंजीगत तथा परिचालन व्यय को कंम करने के लिए मल्टी सर्विस एक्सेस नोड तकनीक लगाने का विचार कर सकता है। यह तकनीक बहुत सारी तकनीकों तथा सेवाओं को एक समान्य चेसिस जैसे बीडीएसएल डाटा, जीपीओएन एफटीटीएच, वॉयस तथा एचडीएसएल लीज सर्किट सेवा को समर्थन देती है।

कन्वर्ज्ड मल्टीसर्विस एसडीएन, आईउमउस आधारित फिक्सड तथा मोबाइल कोर एंड एमएसएएन एक्सेस नेटवर्क के विभिन्न लाभः

ए. नेटवर्क और प्रौद्योगिकी की बहुलता को कम करनाः विरासत एसडीएच नेटवर्क को समाप्त करेगा, जो समाप्त होने को है और तत्काल प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। यह ओएफसी नेटवर्क में फाइबर को अतिरिक्त करेगा, जिसका उपयोग एफटीटीएच सेवा के रोलआउट के लिए किया जा सकता है, अधिक लीज (पट्टे) पर सर्किट दे सकता है और डार्क फाइबर को पट्टे पर देने के माध्यम से राजस्व में वृद्धि की जा सकती है।

बी. मौजूदा एमएलएन नेटवर्क के उन्नयन/प्रतिस्थापन के लिए तांबे पर 16एमबीपीएस तक के ग्राहकों को उच्च गति सममित पट्टे पर–लाइन डेटा सेवा प्रदान करने, ग्राहकों को आईपी इंटरफेस पर कनेक्टिविटी और अपलिंक कनेक्टिविटी के लिए एमपीएलएस बैकबोन में एसटीएम–1 इंटरफेस की आवश्यकता को दूर करने की आवश्यकता है ।

सी. एसडीएच नेटवर्क कई ओईएम के कई टेलीफोन एक्सचेंज, बहु ओईएम के बहु एडीएसएल डीएसएलएम, एमएलएलएन नेटवर्क के रखरखाव में शामिल श्रमशक्ति की आवश्यकता को कम करेगा,। नए एकल नेटवर्क के ओएंडएम के लिए श्रमशक्ति की आवश्यकता मौजूदा नेटवर्क के लिए >300 की तुलना में 30 होने की उम्मीद है ।

डी. बैटरी और पावर प्लांट की जरूरत नई तकनीक के उपकरणों वातानुकूलन और उपकरणों की संख्या में कमी के कारण बिजली खपत में भारी कमी होगी।

ई. फिक्स्ड और मोबाइल सेवा के लिए 'ऑनलाइन चार्जिंग बिलिंग' प्रणाली को एकल करने से ग्राहकों को एकल खाते से कई सेवा प्रदान करने और लेखांकन करने में मदद मिलेगी।

एफ. प्रस्तावित प्रौद्योगिकी और एन/डब्ल्यू आर्किटेक्चर के साथ ओपेक्स में कुल लागत में कमी सालाना 250 करोड़ रुपये होगी तथा किराये के राजस्व में 18 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की वृद्धि करने की संभावना है। आईएमएस कोर, एमएसएन एक्सेस एन/डब्ल्यू और एमपीएलएस बैकबोन की तैनाती के लिए 3 साल में 478 करोड़ रुपये के कैपेक्स निवेश की जरूरत है।

(iii) जीपीओएन एफटीटीएच की तैनाती तथा फाइबर को एचयूबी/उपभोक्ता के निकट ले जानाः एमटीएनएल ने अपने तांबा आधारित एडीएसएल इंटरनेट सब्सक्राइबर को जीपीओएन एफटीटीएच में अपग्रेड करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है ताकि 100 एमबीपीएस से 1000 एमबीपीएस का अनुभव दिया जा सके और सेवा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। धन की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक शहर में जीपीओएन के 100 पीओपी बनाने की योजना है। इसके अलावा एफटीटीएच पहुंच बढ़ाने के लिए दिल्ली और मुंबई में कुछ सोसाइटियों और आवास परिसरों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। एमटीएनएल ने एफटीटीएच सेवाओं को शुरू करने के लिए राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर प्रबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए कई कंपनियों के साथ भी भागीदारी की है।

इसके अलावा कॉम्बो वॉयस और डाटा पोर्ट के साथ पिज्जा बॉक्स वीडीएसएल डीएसएलएम को तांबे लूप लेंथ को कम करने और तांबे पर ही 50–100 एमबीपीएस की इंटरनेट स्पीड देने के लिए स्थापित करने की योजना है।

(iv) एमपीएलएस नेटवर्क का उन्नयनः एमटीएनएल कोर राउटर पिछले 3–4 वर्षों से एएमसी समर्थन के बिना हैं क्योंकि यह जीवन का अंत (ईओएल) है। एमपीएलएस नेटवर्क को बढ़ती नेटवर्क आवश्यकताओं को पूरा करने और उच्च क्षमता 100G लिंक इंटरफेस के साथ यातायात वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए उच्च क्षमता में भी अपग्रेड किए जाने की जरूरत है ।एमटीएनएल की एमपीएलएस विस्तार योजना पर लगभग 90 करोड़ रूपये की लागत आने का अनुमान है।

(v) उपभोक्ता इंटरफेस/एफएफएसः एमटीएनएल में उपभोक्ता को आवेदन फार्म जारी करते समय पम्पलेट/ब्रोशर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि उपभोक्ता की शिकायत के उचित और त्वरित हैंडलिंग के लिए उपभोक्ता इंटरफेस/एफआरएस प्रणाली को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

4- ifjpkyu tkf[ke%

ए) परिसंपत्तियों का प्रयोग :

दिल्ली तथा मुंबई के प्रमुख स्थानों में स्थित एमटीएनएल की परिसंपत्तियों को भारत सरकार (सरकार) के आदेश द्वारा हस्तांतरित किया गया था तथा सरकार द्वारा इसके पक्ष में एक विक्रय विलेख तैयार किया गया था जिसमें अशोध्य हस्तांतरण की बात की गई थी। सरकार द्वारा एमटीएनएल को हस्तांतरित दूरसंचार विभाग की स्थायी संपत्ति के लिए औपचरिक हस्तांतरण विलेख, निष्पादित किया गया है परन्तु उचित निगम प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है। भारतीय कानून में लिखतों पर स्टांप ड्यूटी (उन दरों पर, जो विभिन्न राज्यों में भिन्न–भिन्न हैं) का भुगतान भी अपेक्षित है जो स्थायी संपदा परिसंपत्तियों की लीज़ के संबंध में अथवा स्थायी संपदा के अधिकार को हस्तांतरित करता है। अतः पंजीकरण (1 अप्रैल, 1986 को सरकार से प्राप्त दूरसंचार विभाग की संपत्तियों के अलावा) के लिए यदि कोई स्टांप ड्यूटी हो तो एमटीएनएल इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। यद्यपि एमटीएनएल के पास इसकी सभी संपत्तियो के वैध कब्जे हैं परंतु इन्हें इनके कब्जे की स्थायी संपत्ति के बिक्री योग्य अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पंजीकृत तथा स्टांप किए जाने की आवश्यकता है, जिनके लिए स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया जाना है। अतः एमटीएनएल स्टांप ड्यूटी का भुगतान किए बिना तथा संपत्तियों को अपने नाम पंजीकृत कराए बिना इन संपत्तियों की बिक्री अथवा मुद्रीकरण नहीं कर सकता। विलयन/अलग होने, अधिग्रहण, आमेलन की स्थिति में समुचित मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों का हस्तांतरण गंभीर चिंता का विषय होंगे।

दिल्ली तथा मुंबई में अपने भवनों इत्यादि परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए तथा अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति के लिए एमटीएनएल ने पहले ही बीएसएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है ताकि अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए एक दूसरे के नेटवर्क तथा आधारभूत ढांचे का साझा प्रयोग किया जा सके। साथ ही दिल्ली तथा मुंबई में अतिरिक्त राजस्व अर्जन के लिए भवनों को भी किराए पर दिया जा रहा है। इन्हें बाद में विज्ञापन, ब्रांड की साख तथा अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

सरकार ने परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को भी मंजूरी दे दी है ताकि ऋण निवृत्ति, बांड की सर्विसिंग, नेटवर्क उन्नयन, विस्तार और परिचालन निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधन जुटाए जा सके।

बी) मानवशक्ति संसाधनों का उपयोगः

एमटीएनएल ने दूरसंचार विभाग से विरासत में मिली भारी विरासत कर्मचारियों की संख्या को 31–01–2020 तक वहन किया और भारत सरकार के बजटीय सहायता के माध्यम से वित्त पोषित अनुग्रह राशि वाले 14387 कर्मचारियों को दिए गए वीआरएस के कारण कर्मचारियों की लागत को कम करने में समर्थ हुआ है तथा कर्मचारियों की लागत 2400 करोड़ रुपये से, घटकर 640 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो गई है जिसका एमटीएनएल पूंजीगत खर्च आदि में निवेश करने के साथ–साथ ऋण वित्तपोषण की आवश्यकता को कम करने के लिए लाभ उठा सकता है।

- औद्योगिक अस्थिरताः आरबीआई के सख्त प्रतिबंधों और पीसीए दिशानिर्देशों के कारण, बैंक से आगे धन प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो गया है और वैधानिक और अन्य भुगतान करने में चूक की संभावना भी बढ़ गई है। चूंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान कर्मचारियों के वेतन व प्रतिदान का भुगतान समय पर नहीं किया गया था, जिससे निकट भविष्य में औद्योगिक अस्थिरता की संभावना बढ़ गई है। बैंकों को ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने का मुद्दा तभी होगा जब कंपनियां (बड़े उधारकर्ता) ऐसे वृद्धिशील ऋणों के कम से कम 25–50% तक एनसीडी जारी करती हैं, पुनरुद्धार प्रक्रिया की संक्रमण अवधि के दौरान, कैबिनेट के निर्णय के बाद कार्यान्वयन और वैधानिक दायित्वों तक को पूरा करने के लिए नकदी की कमी का जोखिम पैदा कर सकती हैं।

- मुकदमेबाजीः व्यापार संचालन से उत्पन्न मुद्दों के संबंध में एमटीएनएल से जुड़े विभिन्न मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह के मुकदमेबाजी के परिणाम पर कंपनी को वित्तीय जोखिम उठाना पड़ सकता है। जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं।

- एजीआर मुद्देः दूरसंचार विभाग वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2017–18 की अवधि के लिए एमटीएनएल के एजीआर विवरणों की समीक्षा कर रहा है और अतिरिक्त दस्तावेजों के अभाव में एमटीएनएल द्वारा किए गए कई समायोजनों पर विचार नहीं कर रहा है अतिरिक्त दस्तावेजों के अभाव में जैसे लेखा परीक्षकों से टीडीएस प्रमाण पत्र और बैंक स्टेटमेंट आदि पर लेखा परीक्षक प्रति हस्ताक्षर जो वास्तव में व्यावहारिक नहीं हैं और वर्तमान कर और बैंकिंग व्यवस्था में आवश्यक हैं जहां लगभग सभी लेनदेन ऑनलाइन ऑन लाइन रिपोर्टिंग और डेटा निष्कर्षण के लिए अनुकूलित हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार कागजी काम भी बांटना है और इसके बावजूद दिल्ली और मुंबई में दूर संचार विभाग के परिचालन खंड, जो एजीआर की समीक्षा कर रहे हैं, इन सभी प्रमाणपत्रों को प्रस्तु करने पर जोर दे रहे हैं। एमटीएनएल ने हरसंभव प्रयास किए और दूरसंचार विभाग से पत्र प्राप्त होने पर अधिकांश मांगे गए अभिलेखों को प्रस्तुत किया। इन सभी लंबित समीक्षाओं को अब वर्ष 2019–20 में एक विशेष मामले के रूप में डीओटी द्वारा खोला

गया है और यह एमटीएनएल की दिल्ली और मुंबई इकाइयों द्वारा फिर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और तथ्यों के संबंध में ठाए गई। मांगों की समीक्षा कर रहा है।

वर्ष 2006–07 से प्राप्त सभी मांगों का कुल 2865.04 करोड़ रुपये हैं। इस राशि में से मूल अस्वीकृत राशि केवल 33% के आसपास है और शेष राशि आईडी ब्याज और दंड है। इसमें कैबिनेट के निर्णय के अनुसार एमटीएनएल द्वारा समायोजित एलएफ और एसयूसी के 801.58 करोड़ रुपये का समायोजन न करना और दूरसंचार विभाग द्वारा दर्शाई गई इस मांग पर ब्याज और दंड को जोड़ना भी शामिल था। दूरसंचार विभाग द्वारा अब की गई समीक्षा पर विचार करने और इसके परिणामस्वरूप 801.58 करोड़ रुपये के समायोजन की स्वीकृति के लिए और एमटीएनएल द्वारा डीओटी को प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजों और सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्रों पर विचार करने पर भी इन एजीआर मांगों के कारण दूरसंचार विभाग को भुगतान करने की वास्तविक आवश्यकता में काफी कमी आ सकती है। हालांकि इन मांगों के एक अंश की कुछ देयता उत्पन्न हो सकती है और एमटीएनएल को इसके लिए प्रावधान से निपटना पड़ सकता है। लेखा मानकों की आवश्यकता के अनुसार यह राशि 2019–20 खातों में आकस्मिक देयता में दिखाई गई है।

5- foÙkh;@rjyrk@_.k çcU/ku tksf[ke%

बैंक और वित्तीय संस्थान से ऋण के जोखिम के माध्यम से निकट भविष्य में तरलता की कमी का खतरा संभव है, जो इस प्रकार हैः–

- पूंजीगत खर्चः तकनीकी के साथ बराबर रखने के लिए आगे विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है निकट भविष्य में परिवर्तन जिसके लिए कंपनी को सरकार के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ता है और इस तरह के समर्थन के अभाव में नवीनतम और अभिनव दूरसंचार प्रणालियों की खोज के समाधानों में ठहराव और नेटवर्क अप्रचलित होने के साथ मौजूदा ग्राहकों के पलायन का जोखिम है।
- ऋणः ओपेक्स, कैपेक्स और स्पेक्ट्रम के लिए फंड की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने दूरसंचार विभाग देयता को छोड़कर बैंकों और वित्तीय संस्थानों और बांड धारकों से 31.03.2020 तक 22965.58 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है, तथा बैंक और एफआईआई के प्रति ब्याज की सर्विसिंग जो वर्तमान में अन्य आय सहित कुल राजस्व का लगभग 87% है, एक बड़ा खतरा है और नए ऋणों के साथ पुराने ऋणों को फिर से शुरू करने के कारण बढ़ती ब्याज लागत धीरे से एक गंभीर ऋण जाल का कारण बन सकती है, युद्ध स्तर पर पुनरुद्धार की योजना के आकार लिए बिना आगे ऋण या सेवा के लिए ऋण और ब्याज लागत एक चूक परिदृश्य अग्रणी, जो कंपनी की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रभावित कर सकती है।
- ऋण प्रबंधनः 31 मार्च 2020 तक कंपनी का ऋण सर्विसिंग/ब्याज सर्विसिंग कवरेज अनुपात आधार पर वर्ष दर वर्ष नकारात्मक प्रवृत्ति पर है। इसी तरह ऋण इक्विटी अनुपात भी 31.03.2020 को नकारात्मक है। हालांकि, सपंत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से सेवारत ऋण के सरकारी अनुमोदन से भविष्य में उक्त अनुपात में सुधार होगा।

6- dk;Z'khy laLFkk tksf[ke%

एमटीएनएल की निवल मालियत 31/03/2020 से 13585.65 करोड़ रुपये और ऋण सेवा के साथ–साथ ब्याज चुकौती अनुपात भी नकारात्मक है। इसके अलावा बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण के जोखिम और आने वाले वर्षों में बैंक और वित्तीय संस्थानों को ऋण के भारी पुर्नभुगतान कार्यक्रम के साथ–साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों को ब्याज भुगतान के माध्यम से निकट भविष्य में तरलता की कमी का खतरा है, जो निकट भविष्य में एमटीएनएल के लिए खतरा एवं चिंताजनक विषय है।

23.10.2019 को कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार ऑप्टिकल फाइबर और टावरों के मुद्रीकरण और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के वित्तीय वर्ष 2020–21 में परिणाम मिलेंगे लेकिन दुर्भाग्य से कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण वर्ष 2020–21 में इल पहलुओं पर प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकती है और दीपाम के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण से भी एमटीएनएल को तत्काल कोई वित्तीय राहत की संभावना नहीं है। तद्नुसार, एमटीएनएल के चौतरफा राजस्व मे गिरावट के साथ–साथ परिसंपत्त्यिों की बिक्री या मुद्रीकरण के लिए बाजार की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए बकाया राशि ऋणों के मोचन के लिए किए गए अनुमान तत्काल भविष्य में पूर्ण नहीं हो सकते। इस प्रकार वर्ष 2020–21 में कोविड–19 के प्रभाव फलस्वरूप एमटीएनएल के ऋण मुक्त होने की संभावनाओं पर बड़ा खतरा है और ऋण के ऊपर जाने के जोखिम से बचा नहीं जा सकता। हालांकि कर्मचारियों की लागत में लगभग 1700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की कमी और 23.10.2019 को कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार वर्ष 2020–21 में मौजूदा ऋणों के पुर्नगठन के लिए बांड जुटाने के लिए एमटीएनएल को भारत सरकार द्वारा 6500 करोड रुपये के लिए प्रभावकारी गारंटी प्रदान करने के संयुक्त प्रभाव और कामकाजी पूंजी उद्देश्यों के साथ–साथ पूंजी के लिए पुर्नवित्त करना निश्चित रूप से वर्ष 2020–21 में भारी कर्ज लागत के बावजूद भी कंपनी को एक कार्यशील संगठन बनाता है।

वर्ष 2019–20 में कैबिनेट के अनुमोदन के अनुसार परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की उम्मीद व्यावहाारिकता में नहीं बदली और अंतत यह मुद्दा दीपाम (dipam) द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और दीपाम के मार्गदर्शन और निगरानी के साथ, वर्ष 2020–21 के अंत तक एमटीएनएल इन परिसंपत्तियों से कमाई करने में सक्षम हो सकता है तथा संभवतय ऋण संकट से उबरने में सक्षम हो सकता है और भविष्य में भी एक कार्यशील संगठन बना रहेगा।

एमटीएनएल का मैसर्स यूटीएल नेपाल के नाम से नेपाल मे एक संयुक्त उद्यम है जो निरंतर घटे में चल रहा है तथा यूटीएल नेपाल में एमटीएनएल ने घटे के हिस्से को विराम देने के लिए प्रबंधन ने यूटीएल नेपाल से बाहर आने के विकल्प का प्रयोग किया है, जैसा कि दिनांक 15–12–2014 के संशोधित समझौते के खंड 12.19 में प्रावधान है, जिसके माध्यम से एनवीपीएल को छोडकर संयुक्त उद्यम के साझेदार समान रूप से संयुक्त उद्यम से बाहर निकलने का विकल्प अपना सकते हैं।

नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय ने दिनांक 26.11.2019 के पत्र के माध्यम से भारतीय दूतावास, काठमांडू (नेपाल) को सूचित किया है कि नेपाल सरकार से संबंधित अधिकारी यूटीएल नाम के भारतीय शेयरधारकों अर्थात एमटीएनएल, टीसीआईएल और टीसीएल द्वारा निवेश की गई पूंजी की प्रत्यावर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान करने में सक्षम होंगे, यदि एक बार बकाया कर राशि (टैरिफ, रॉयल्टी, फीस, शुल्क, प्रभार, आदि) नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण सहित नेपाल सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को यूटीएल द्वारा भुगतान किए जाने वाले नेपाली रुपये 85,83,86,044.00 पूरी तरह से निपटरा हो चुका हो।

7- vkrfjd fu;=.k foQyrkvks vkj foÿkh; tkudkjh dh lR;fu"Bk dk tkf[ke%

नीति और निर्णय लेने के लिए प्रत्येक स्तर/विभाग में जानकारी की आवश्यकता होती है। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण और प्रबंधन सूचना प्रणाली का अभाव एक संगठन को अप्रभावी नीति और निर्णय लेने के जोखिम में डाल सकता है। राजस्व के रिसाव की किसी भी संभावना से बचने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा होने वाले राजस्व आश्वासन को भी मजबूत किया जाना चाहिए। आंतरिक नियंत्रण और राजस्व आश्वासन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रणाली टूल को उनकी उपयुक्तता और पर्याप्तता के लिए समीक्षा प्रणाली के माध्यम से भी नियंत्रित किया जाना चाहिए। नए कंपनी अधिनियम 2013 ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर 2015–16 से आंतरिक नियंत्रण के ऑडिट के लिए अनिवार्य बना दिया, जो अनुपालन जोखिमों को भी जोड़ता है।

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण संगठन को विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है और उस पर लागू होने वाले कानूनों और नियमों का पर्याप्त अनुपालन करता है। हालांकि, संगठन परिचालन और रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किस हद तक उद्यम के बाहर के कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्रतियोगिता, नियम, सरकारी प्रक्रियाएं और नियंत्रण या तकनीकी नवाचार। ये कारक आंतरिक नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं और इसलिए, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण परिचालन और रणनीतिक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए प्रगति पर केवल समय पर जानकारी या प्रतिक्रिया प्रदान करता है, लेकिन उनकी उपलब्धि की गारंटी नहीं दे सकता है।

8- lpuk ik|kfxdh vkj i.kkyh lj{kk tkf[ke%

सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण&इससे संबंधित नियंत्रण संबंधित नियंत्रणः इसके अंतर्गत है ए) सुरक्षाः अधिकृत कर्मी की ही सिस्टम तथा डाटा तक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसे पासवर्ड का उपयोग और एक्सेस लॉग की समीक्षा और बी) और परिवर्तन प्रबंधन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोग्राम कोड को ठीक से नियंत्रित किया गया है, जैसे उत्पादन और परीक्षण वातावरण को अलग करना, स्वीकृति से पहले परिवर्तनों का प्रणाली और उपयोगकर्ता परीक्षण और उत्पादन में कोड के स्थानांतरण पर नियंत्रण। सूचना प्रौद्योगिकी एमटीएनएल के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वे उपकरण हैं जो काम की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करते हैं। वे महत्वपूर्ण और मालिकाना कॉर्पोरेट जानकारी के संग्रहकर्त्ता हैं। इन संसाधनों के अनुचित उपयोग या विनाश से कंपनी के लिए गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए पूर्ण सुरक्षा देने हेतु आईटी पॉलिसी दस्तावेज को एमटीएनएल सूचना प्रोद्योगिकी टीम द्वारा अंतिम रूप दिया गया है जिससे–

- सुनिश्चित करें कि आईटी संसाधनों को विनाश, परिवर्तन या अनधिकृत पहुंच से उचित रूप से संरक्षित किया जाए।
- इन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किए गए सभी हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर उचित रूप से घुसपैठ, विनाशकों, परिवर्तन या अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा सुनिश्चित हो।

आईटी अनुप्रयोग नियंत्रण&आईटी अनुप्रयोगों द्वारा लागू सूचना प्रसंस्करण पर नियंत्रण, जैसे कि डेटा प्रविष्टि को मान्य करने के लिए जांच संपादित करना, संख्यात्मक अनुक्रमों में लेनदेन के लिए लेखांकन, और नियंत्रण खातों के साथ फ़ाइल योगों की तुलना करना। आईटी से संबंधित संसाधन जैसे कि प्रचालनीय, बिलिंग और कस्टमर केयर प्रणाली हैकिंग, स्पूफिंग और अन्य साइबर अपराधों के लिए सम्भावित हैं।

सीबीसीआरएम प्रणाली&सीबीसीआरएम प्रणाली राजस्व के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से वॉइस आईयूसी सेटलमेंट, मोबाइल रेटिंग, इनवॉइस जनरेशन आदि कई राजस्व गतिविधियां की जा रही हैं। परियोजना/इसके उपकरण 2006 से चल रहे हैं और इनका जीवन लगभग समाप्त हो गया है। प्रमुख चुनौतियां स्रोत कोड की अनुपलब्धता, निषेधात्मक लागत आदि के कारण विभिन्न लाइसेंसों के समर्थन की कमी है। इस तरह की अड़चनें गतिशील बाजार की स्थितियों के अनुसार विकास के कार्यान्वयन/व्यवहार्यता में चुनौतियां पेश करती हैं। बीईएल, परियोजना, कार्यान्वयनकर्ता पहले ही जुलाई 2014 में परियोजना से बाहर हो चुके हैं। बाहर होने के बाद सीमित समर्थन को शुरू में जून 2016 के लिए अंतिम रूप दिया जा सका था और आगे जून 2017 तक जहाँ जैसा है के आधार पर आगे बढ़ाया गया और आगे कोई समर्थन उपलब्ध नहीं है।

एमटीएनएल प्रणाली का अनिश्चित काल तक उपयोग नहीं कर सकता है और नई बिलिंग टेंडर / नई बिलिंग प्रणाली को जल्दी से जल्दी चालू किए जाने की आवश्यकता है।

बीएसएनएल, एमटीएनएल की आवश्यकता सहित फिक्स्ड् सेवाओं के लिए सीडीआर पी3 प्रणाली लागू कर रहा है जिसे बाद में मोबाइल सेवाओं में भी उन्नयन (अपग्रेड) किया जाएगा।

अप्रचलित हार्डवेयर अवसंरचना–कोर सेवाएं प्रदान करने और सहायक / वर्कफ़्लो प्रक्रिया प्रदान करने के लिए कई हार्डवेयर अप्रचलित हो गए हैं और सीएसएमएस, आईएसपी सेटअप,/सीबीसीआरएम ईओएसएल और हार्डवेयर आदि के पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण बदलने की आवश्यकता है।

कॉल सेंटर–लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और मोबाइल जैसी सेवाओं के लिए दिल्ली और मुंबई में कई कॉल सेंटर काम कर रहे हैं। अधिकांश सेट–अप मुख्य उपकरणों के साथ खरीदे गए थे और अब अप्रचलित हैं। हाल के दिनों में इन उपकरणों पर समर्थन की अनुपलब्धता (उदाहरण के लिए सीबीसीआरएम मुंबई में मोबाइल कॉल सेंटर) का ग्राहक संतुष्टि और कंपनी बदलने पर सीधा प्रभाव पडता है।

नेटवर्क सुरक्षा तथा लेखापरीक्षा–भारत सरकार महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) की सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और एमटीएनएल की कई आईटी प्रणालियों को सीआईआई के रूप में घोषित किया गया है। दूरसंचार विभाग के निर्देशन के तहत सभी आईएसपी को एक साल में एक बार अपनी प्रणाली का ऑडिट करवाना अनिवार्य कर दिया है। एमटीएनएल नेटवर्क का तृतीय पक्ष ऑडिट यानी मैसर्स पीडब्लूसी द्वारा 2016 में पूरा कर लिया गया है।

उपरोक्त जोखिमों से बचाव के लिए, सभी डेटा केंद्रों में प्रभावी आईटी सुरक्षा नीति का पालन किया जाना है। इसके अलावा, उचित बैकअप व्यवस्था के साथ–साथ आपदा से उबरने के तंत्र भी लगाए जाने हैं।

एमटीएनएल ने व्यवसाय के सभी क्षेत्रों और नेटवर्क के लिए सामान्य आईटी नीति को अंतिम रूप दे दिया है और यह 01.01.2016 से प्रभावी है। आईटी नीति भारत सरकार के साथ–साथ तैयार करने वाले विभिन्न मानक संगठनों यथा आईएसओ, आईटीयू के दिशा–निर्देशों और समय–समय पर उनके संशोधन आदि का भी संज्ञान लेती है जो कंपनी के व्यवसाय और कार्य प्रवाह आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

डिजिटल केवाईसी बुकिंग–मोबाइल और लैंडलाइन डिजिटल केवाईसी आधारित ईकेवाईसी बुकिंग और बिल प्रस्तुत करने और वैकल्पिक आधार पर भुगतान लागू करने जा रहा है। डीकेवाईसी का लाभ ओटीपी/आईवीआर के माध्यम से डाटा सेंटर से तुरन्त ग्राहकों की सेवा के सक्रियण और प्रमाणीकरण समय को कम करना है। इसके माध्यम से भुगतान स्मार्ट सेवा केंद्रों की ओर एक कदम है।

एनालिटिक्स इंजन–एमटीएनएल को डेटा प्रधानता के क्षेत्र में बढ़ने और ग्राहक एनालिटिक्स इंजन स्थापित करने की आवश्यकता है। एनालिटिक्स ग्राहक के उपयोग के पिछले विवरण के आधारपर विभेदक बिलिंग और ग्राहक प्रोफाइलिंग को सक्षम करेगा जिससे लक्षित उपभोक्ताओं की पहचान में एमटीएनएल को मदद मिलेगी। इसके साथ संभावित उच्च राजस्व समूहों की पहचान करने के लिए क्लस्टर आकलन भी लागू किया जा सकता है। एमटीएनएल को ग्राहक के लिए यथा समय पूर्वानुमान लगाना तथा उनकी जरुरत के अनुसार उत्पादों में निवेश करने की आवश्यकता है। उपभोक्ता एनालिटिक्स विशेषताएं विशिष्ट योजनाएँ प्रदान करने में मदद कर सकती हैं। एमटीएनएल में एकीकृत ईआरपी प्रणाली नहीं है। कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेजों को बीच में अंतराल छोड़ते हुए सॉफ्टवेयर लिंक या मैनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से इंटरफेस किया जाता है। हालांकि एमटीएनएल के पास इंटरफेस के साथ कई एकल पैकेज हैं। ईआरपी प्रकार की प्रणाली नहीं होने का जोखिम अंतर्निहित है।

9- vkink icz/ku vkj 0;kikj fujrjrk tkf[ke%

उचित आपदा प्रबंधन का अभाव व्यवसाय के लिए खतरा बन सकता है। इस जोखिम से बचाव के लिए, डेटा के प्रत्याशित जोखिम के साथ–साथ अन्य सूचना हानि को ध्यान में रखते हुए प्रभावी आपदा प्रबंधन नीति तैयार की जानी चाहिए। इसलिए उचित बैक अप व्यवस्था के साथ–साथ आपदा से उबरने के तंत्र को भी रखा जाना है।

10- vf/kd ikjn£'krk rFkk lLFkk Lrjh; ufrd vkj vfHk'kklu tkf[ke%

सभी संबंधितों के नैतिक स्तर की निगरानी के लिए नीति बनाई जानी है, ताकि किसी भी निर्णय को सोच–समझकर पूरी सावधानी के साथ और उचित परिश्रम से लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सतर्कता तंत्र और रहस्योद्घाटनकर्ता नीति पहले से ही लागू है।

okf"kd ys[kk 2019&20

foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkdkj
4696, बृज भवन,
21ए, अंसारी रोड़, दरियागंज
नई दिल्ली – 110002
दूरभाषः 011–23288101

dqekj fot; xqIrk ,.M daiuh
lunh ys[kkdkj
408, नई दिल्ली हाउस,
बाराखम्बा रोड़, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001
दूरभाषः 011–23314525 / 26, 45562649

Lora= ys[kkijh{kk dh fjiksVZ

सेवा में,

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM ds lnL;

,dy Hkkjrh; ys[kk ekud foÙkh; fooj.kksa dh ys[kkijh{kk ij fjiksVZ

lkis{k er

हमने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2020 को कंपनी के तुलन पत्र (बैलेंसशीट), तथा उसी दिन समाप्त हो रहे वर्ष के लाभ–हानि लेखे (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखानीतियों के सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिन्हें यहां आगे ''एकल वित्तीय विवरण'' कहा गया है), शामिल हैं।

हमारे मत से तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के सापेक्ष मत के आधार खंड में दिए गए मामलों के प्रभावों को छोड़कर, पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाते हैं तथा यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली 2015 (''भारतीय लेखा मानक'') तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किए गए भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को कंपनी के कार्यों की स्थिति, हानि तथा कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष में इसके नकदी प्रवाह का सच्चा तथा निष्पक्ष चित्रण करता है।

lkis{k er ds vk/kkj

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व' खंड के अंतर्गत किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्व पूरे कर लिए हैं। हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त हुआ है, वह एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे सापेक्ष लेखापरीक्षा मत का आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

(i) कंपनी की निवल मालियत पूरी तरह समाप्त हो गई है। कंपनी को पूर्व वर्ष की भांति 31 मार्च 2020 को समाप्त चालू वर्ष में तथा पिछले वर्ष में निवल नकद हानि हुई है और चालू देयताएं चालू परिसंपत्तियों से वस्तुतः बढ़ी हैं।

इसके अतिरिक्त लौक उद्यम विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई / 5(1) / 2014– फाइनेंस (पार्ट–IX–ए) के अनुसार कंपनी की स्थिति को प्रारंभिक बीमार सीपीएसई" के रूप में वर्गीकृत किया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भी फाइल सं. 19–17 / 2017–एसयू–II के माध्यम से अपने पत्र सं. I / 3000697 / 2017 के अनुसार स्थिति की पुष्टि की है।

तथापि, कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को भारत सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी और संलग्न प्रबंधन टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी लागत कम करके, 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम का प्रशासनिक आबंटन, सरकारी प्रतिभूति बॉण्ड द्वारा ऋण पुनः नवीनीकरण, संपत्तियों का मुद्रीकरण तथा भारत संचार निगम लिमिटेड एवं एमटीएनएल के विलयन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के द्वारा मा.सं.नि.लि. तथा एमटीएनएल के पुनरूत्थान की योजना को भी अनुमोदित कर दिया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 76 भी देखें।)

(ii) Hkkjr lapkj fuxe fyfeVsM ¼ch,l,u,y½

ए) कंपनी की बीएसएनएल से कुछ निश्चित राशि प्राप्य एवं देय है। वसूली योग्य निवल राशि 3,504.10 करोड़ रुपये समाधान एवं पुष्टि के अधीन है। समाधान एवं पुष्टि न होने तथा दावों एवं प्रतिदावों के संबंध में लंबित विवादों को देखते हुए हम बकाया शेष का अभिनिश्चय करने एवं उसके सही होने एवं इससे कंपनी की एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 63 का बिंदु सं. (ए) भी देखें)।

बी) कंपनी ने सेवा प्रदाताओं को 180 दिन की अवधि के अंदर सेवा कर का भुगतान न करने तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत संक्रमण प्रावधान के कारण, कालातीत (लैप्सड) केन्द्रीय मूल्यवर्द्धित कर क्रेडिट के संबंध में संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान नहीं किया है, जहां रुपये 144.66 करोड़ के पूर्वोक्त केन्द्रीय मूल्यवर्द्धित कर क्रेडिट को आगे नहीं ले जाया गया है तथा रुपये 51.65 करोड का अपात्र क्रेडिट जीएसटी कानूनों के अंतर्गत अधिक रूप में ट्रांस–1 में आगे ले जाया गया है, परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को अधिक बढ़ाकर तथा उस सीमा तक हानि को कम बताया गया है।

(iii) कंपनी की दूरसंचार विभाग से कुछ निश्चित राशि प्राप्य एवं देय है। वसूली योग्य कुल राशि 410.46 करोड़ रु. समाधान तथा पुष्टि के अधीन है। समाधान एवं पुष्टि न होने के कारण हम बकाया शेष का अभिनिश्चय करने एवं उसके सही होने एवं इससे कंपनी की एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 68 का बिंदु सं. (ए) भी देखें)

(iv) वित्तीय वर्ष 2011–12 तक दूरसंचार विभाग को देय लाइसेंस शुल्क, जो बीएसएनएल को आईयूसी प्रभार के रूप में है, को लाइसेंस करार की शर्तों के बजाय प्रोद्भवन आधार पर निकाला गया है जिसमें सकल राजस्व में से व्यय को घटाना वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमत है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से दूरसंचार विभाग को देय लाइसेंस शुल्क का भुगतान नियमतः लाइसेंस करार के निबंधन के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 तक कंपनी द्वारा लाइसेंस शुल्क की गणना वास्तविक आधार के बजाय प्रोद्भूत आधार पर की गई जैसा कि ऊपर भी बताया गया है जिससे कंपनी ने लाइसेंस शुल्क के इस अंतर को दर्शाना जारी रखा है

जिसके कारण वास्तविक देयता के स्थान पर आकस्मिक देयता 140.36 करोड़ रु. है। परिणामतः वर्तमान देयता को कम करके आंका गया है तथा हानि को उस सीमा तक कम करके बताया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 79 को भी देखें)

(v) कंपनी ने पूंजीगत कार्यों के लिए उपरिव्यय का आबंटन इस तरह किया था, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत स्वीकृत लेखाकरण पद्धति एवं भारतीय लेखा मानक–16 ''संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'' के अनुसार नहीं हैं। परिणामतः चालू पूंजीकृत कार्यों/संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को अधिक बताया गया है तथा हानि को कम करके बताया गया है। वर्ष में एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले इसके वास्तविक प्रभाव का निश्चय नहीं किया गया है तथा मात्रा का पता नहीं लगाया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 38, 39 एवं 41 भी देखें)।

(vi) सीडीएमए इकाइयों की परिसंपत्तियों की पूर्व वर्षों में बतायी गई क्षरण हानि को छोड़कर अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखामानक–36 ''परिसंपत्तियों का क्षरण'' के संबंध में वर्ष के दौरान क्षरण से हुई किसी हानि के किसी समायोजन पर कोई विचार नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा भावी योजनाओं के जो आकलन किए गए हैं उनकी प्राप्ति में अनिश्चय की स्थिति होने के कारण हम नकदी उपार्जक इकाइयों की रखाव लागत में होने वाले क्षरण के संबंध में अपेक्षित प्रावधान एवं इसके परिणामस्वरूप वर्ष में होने वाली हानि, आरक्षित निधि एवं अधिशेष के संचित शेष तथा नकदी उपार्जक इकाइयों की रखाव लागत पर इसके प्रभाव का अभिनिश्चय करने एवं उन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 70 भी देखें।)

(vii) व्यापार प्राप्यों से प्राप्य राशि, भारत सरकार के विभागों और अन्यों के पास जमा, प्रचालकों और अन्य पार्टियों से वसूली योग्य दावे और व्यापार देय की देय राशि, प्रचालकों के देय दावे और अन्य पार्टियों को देय राशि के संबंध में कंपनी पुष्टि की प्राप्ति और शेष का समाधान करने की पद्धति का अनुसरण नहीं करती है। तद्नुसार, विभिन्न पार्टियों से प्राप्य और देय राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है। पुष्टि और समाधान के लंबित होने के कारण एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव और मात्रा का निश्चय नहीं किया जा सकता और मात्रा नहीं बताई जा सकती। (एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 65 भी देखें)

(viii) कंपनी द्वारा की गई बिलिंग पर उपभोक्ता से प्राप्त किए गए असंबद्ध क्रेडिट 75.69 करोड़ रुपये समनुरूप प्राप्यों से मेल नहीं खाते, जो तुलन पत्र में देयता के रूप में अंकित है। इस सीमा तक व्यापार प्राप्य और चालू देयताओं को अधिक बताया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 64 और 75 भी देखें)।

(ix) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का पूंजीकरण सामान्यत इंजीनियरी विभाग से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अथवा खरीदी गई पूंजीगत वस्तुओं के बिल वित्त विभाग द्वारा प्राप्त होने अथवा स्टोर से वस्तु जारी होने पर किया जाता है। पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने अथवा बिल प्राप्ति अथवा वस्तु जारी करने की पर्ची की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के पूंजीकरण के ऐसे मामले हैं जो अगले वर्ष के लिए आस्थगित हो जाते हैं। परिणामतः इसका लाभ एवं हानि के विवरण पर मूल्यह्रास तथा संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की राशि जिसका पूंजीकरण तुलन–पत्र में किया गया है, आदि से पड़ने वाले प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता तथा मात्रा नहीं बताई जा सकती।

(x) पूर्व के वर्षों में दूरसंचार विभाग से एमटीएनएल को स्थानांतरित कुछ भूमि तथा भवनों को पट्टाभूमि (लीज होल्ड) के रूप में दर्शाया गया है। सुसंगत रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण हम इसके पट्टाभूमि के रूप में वर्गीकरण, पूंजीकरण और परिशोधन के संबंध में तथा सुसंगत रिकॉर्डो से पुष्टि के बिना इस प्रकार के वर्गीकरण, पूंजीकरण और परिशोधन के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो तो, उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। संगत रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकार के वर्गीकरण से एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता एवं मात्रा नहीं बताई जा सकती।

(xi) वर्ष 2012–13 में दूरसंचार विभाग ने कंपनी से 2जी स्पैक्ट्रम के एकबारगी प्रभार 3313.15 करोड़ रु. के भुगतान की मांग की थी जो कंपनी द्वारा लिए गए जीएसएम और सीडीएमए की पहले ही बीत चुकी लाइसेंस की अवधि और साथ ही लाइसेंस की शेष वैध अवधि तथा परीक्षण आधार पर दिए गए स्पैक्ट्रम के लिए थी।

जैसाकि स्पष्ट किया गया है सीडीएमए के लिए स्पैक्ट्रम उपयोग की मांग को 107.44 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया, जो वास्तविक उपयोग में सुधार के कारण संशोधित की गई है तथा बाद में इसे वापस ले लिया गया।

साथ ही जैसाकि स्पष्ट किया गया है कि स्पैक्ट्रम के एक हिस्से को वापस करने के संबंध में कंपनी द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय लंबित होने, कंपनी द्वारा किए गए दावे पर इसी प्रकार की मांगों को लकर अन्य प्राइवेट प्रचालकों के विरोध को देखते हुए डीओटी द्वारा निश्चय करने तथा सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन होने के कारण देय राशि यदि कोई हो तो, अनिश्चेय है। तद्नुसार इस मामले में डीओटी द्वारा की गई मांग के लिए कोई देयता नहीं रखी गई है तथा 3205.71 करोड़ रु. का आकस्मिक देयता के रूप में पिछले वर्ष तक प्रकटीकरण किया गया है। यद्यपि दूसरसंचार विभाग से अभी तक कोई और मांग नहीं आई है। हालाँकि जैसा आगे वर्णन किया गया है टीडीएसएटी ने 6.2 मैगाहर्ट्ज से अधिक आबंटित स्पैक्ट्रम पर ओटीएससी की उगाही (लेवी) अलग रखते समय सरकार को 01.07.2008 के बाद आबंटित स्पैक्ट्रम के लिए मांग की समीक्षा करने का निदेश दिया था तथा वह भी 01.01.2013 से पूर्व आबंटित 6.2 मैगाहर्ट्जज से अधिक स्पैक्ट्रम के मामले में, जो 01.01.2013 से प्रभावी था। जैसाकि वर्णित किया गया है, टीडीएसएटी आदेशों के अनुसार भी अभी तक कोई और मांग नहीं की गई है तथा टीडीएसएटी निर्देशों के आधार पर प्रबंधन के अनुसार मांग, यदि कोई हो तो 455 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती, जिसका प्रकटन आकस्मिक देयताओं में किया गया है।

उपर्युक्त को देखते हुए हम कंपनी के निर्णय (स्टैण्ड) के सही होने तथा अंततः इससे कंपनी के एकल वित्तीय परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 59 भी देखें।)

(xii) कंपनी ने संविदागत शर्तों के पूरा न होने के कारण विक्रेताओं से परिसमाप्त क्षतियों की वसूली/कटौती की है जिन पर वस्तु एवं सेवा शुल्क (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया गया है इसका वर्ष हेतु एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया है तथा माप नहीं की गई है।

सूचना के अभाव में उसके पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा नहीं बताई जा सकती। हम 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की बिन्दु सं. (i), (ii)(ए), (ii)(बी), (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) (x), (xi) एवं (xii) में बताई गई मदों के संभावित प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ekeyk ij /;kukd"k.k

हम एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये मामले egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM से संबंधित हैं तथा हमें उन पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इन मामलों पर हमारा मत सापेक्ष (क्वालीफाइड) नहीं है :

(i) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत कंपनी के द्वारा दावा किए गए कटौती के संबंध में आयकर विभाग के साथ लंबित विवाद जो माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, के संदर्भ में कंपनी के पास आकस्मिक आरक्षित निधि की पर्याप्तता अथवा अन्यथा प्रावधान के संबंध में एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 61 देखें।

(ii) एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 62 का बिन्दु सं. (ए) एमटीएनएल के मैसर्स एम एंड एन पब्लिकेशंस लिमिटेड के साथ एमटीएनएल की टेलीफोन निर्देशिकाओं के मुद्रण, प्रकाशन और आपूर्ति के विवाद में दावे और प्रतिदावे के लेखाकरण के संबंध में है। इसकी अंतिम वसूली/भुगतान यथोचित रूप से निश्चित होने पर इसे उस वर्ष के लेखे में लिया जाएगा।

(iii) बीएसएनएल तथा अन्य प्रचालकों से प्राप्य राशि को व्यापार प्राप्य एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे दो हिस्सों में बांटने के स्थान पर ऋण एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 10, 15 और 18 भी देखें)

(iv) संयुक्त सेवा का विकल्प चयन करने वाले एमटीएनएल के विलयित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के निपटान के संबंध में दूरसंचार विभाग से राशि की वसूली के कंपनी के दावे पर, डीओटी ने पूरी राशि और उस पर ब्याज की स्वीकृति/मंजूरी नहीं दी है। इस विषय में कंपनी और दूरसंचार विभाग के बीच निरंतर पत्राचार चल रहा है जिसे एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण में डीओटी से वसूली योग्य और जीपीएफ में देय दर्शाया गया है तथा एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 68 के बिन्दु सं. (डी) में इसका विवरण दिया गया है।

(v) लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार के देय का समायोजन संयुक्त सेवा पेंशन के विकल्पधारकों की अधिक पेंशन अदायगी से किया जाएगा, जिसकी दूरसंचार विभाग से वसूली की जानी है। मामला विचाराधीन है तथा कंपनी और दूरसंचार विभाग के बीच इस पर पत्राचार चल रहा है।

(vi) कंपनी और दूरसंचार विभाग के बीच लाइसेंस करार में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना की पद्धति में परिवर्तन के संबंध में दिशा–निर्देश आई–जीएएपी से भारतीय लेखामानक में संक्रमण के कारण नहीं दिए गए हैं। दूरसंचार विभाग को देय लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार के लिए प्रावधान और देयता का भुगतान भारतीय लेखामानक आधारित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की संगणना में राशि अंतर दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

(vii) पूर्ण स्वामित्व और पट्टेवाली भूमि के कुछ मामलों में कंपनी के पास हक विलेख हैं, जो कंपनी के नाम पर हैं, परंतु उनका मूल्य कंपनी के लेखा बहियों में दर्ज नहीं है।

(viii) उपलब्ध कराए गए लीज सर्किटों के संबंध में बीएसएनएल के साथ राजस्व सहभागिता के कारण उत्पन्न आय को बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के बीच हुए सहमति ज्ञापन के संदर्भ में नहीं पहचाना गया है। सहमति ज्ञापन के अनुसार राजस्व तथा व्यय व्यवसाय प्राप्त करते समय छूट, यदि कोई हो, को लागू करने के बाद उपभोक्ताओं को प्रस्तावित की गई कीमत पर आधारित होंगे। हालांकि राजस्व को उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचाना गया है जो या तो कंपनी कार्ड दरों पर आधारित हैं या बीएसएनएल की पुरानी दरों पर। कुछ मामलों में बीएसएनएल

ने अद्यातित दरों के बारे में सूचना दी है परंतु उस पर भारत संचार निगम लि. के साथ राजस्व सहभागिता को दर्ज करते समय विचार नहीं किया गया है। संबंधित अद्यतित रिकॉर्ड के अभाव में हम उसका एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

(ix) राजस्व सहभागिता करारों के कारण प्रचालकों से देयों को देनदार नहीं माना गया है तथा परिणामस्वरूप संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान करने हेतु उन्हें हिसाब में नहीं लिया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.–3 का खंड सं. (के) भी देखें।)

(x) दूरसंचार विभाग के पत्र सं. एफसं.30–04/2019–पीएसयू अफेयर, दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 तथा दिनांक 04 नवम्बर, 2019 के परिपत्र नियमन के माध्यम से एमटीएनएल निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसरण में दिनांक 04 नवम्बर, 2019 से प्रभावी एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रस्तुत की गई है। जिसके अंतर्गत एमबिएनएल के 14,387 कर्मियों ने स्वैचिछक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया तथा मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, मुआवजे के कारण अनुग्रहित राशि का व्यय बजटीय सहायता के माध्यम से दूरसंचार विभाग / भारत सरकार को वहन करना है। इसलिए वित्त वर्ष 2019–20 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजे के ऐसे किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। एमटीएनएल की वी.आर.एस. योजना 2019 के संदर्भ में वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए वीआरएस का विकल्प देने वाले कार्मिकों का दिनांक 31 मार्च, 2020 तक भुगतान योग्य शेष राशि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में दूरसंचार विभाग से प्राप्य तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारक कर्मियों को भुगतान योग्य दिखाया गया है (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 78 भी देखें)

इन मामलों में हमारा मत नहीं बदला गया है।

dk;'khy lLFkkuk ls lcfèkr egRoi.k vfuf'prrk%

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 76 की ओर ध्यान दिलाते हैं, जो दर्शाती है कि कंपनी को संचित हानियां हुई हैं तथा इसकी निवल मालियत पूर्ण रूप से/पर्याप्त रूप से क्षरित हुई हैं, कंपनी को वर्तमान तथा पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) के दौरान निवल हानि/निवल नकदी हानि हुई है तथा तुलनपत्र की तिथि के अनुसार कंपनी की वर्तमान देयताएं इसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से अधिक हो गई हैं। ये घटनाएं अथवा स्थितियां तथा इसके साथ अन्य मामला, जैसा कि टिप्पणी 76 में बताया गया है, दर्शाती हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की कंपनी की योग्यता पर बड़ा संदेह पैदा कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी लागत कम करके, 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम का प्रशासनिक आबंटन, सरकारी गारन्टी बॉण्ड द्वारा ऋण पुनः नवीनीकरण, परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण तथा भा.सं.नि.लि. एवं एमटीएनएल विलयन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के द्वारा ''भा.सं.नि.लि. तथा एमटीएनएल'' के पुनरूत्थान प्लान को भी अनुमोदित कर दिया है।

इस मामले में हमारा मत नहीं बदला है।

ie[k y[kkijh{kk ekey

प्रमुख लेखापरीक्षा वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के हिसाब से वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्रत; एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा तथा उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में देखा गया तथा हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते।

सापेक्ष मत के आधार खंड में वर्णित मामलों के अतिरिक्त हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में देने का निश्चय किया।

	izeq[k ys[kkijh{kk ekeyk	gekjs ys[kk ijh{k.k us izeq[k ys[kkijh{kk ekeys dk dSls gy fd;k
1.	**jktLo dh igpku%** प्रणालियों की जटिलता तथा राजस्व पहचान में बदलते कीमत मॉडल के प्रभाव को देखते हुए दर्ज किए गए राजस्व की विशुद्धता के संबंध में एक अंतर्निहित जोखिम है। (प्रशुल्क संरचनाएं, प्रोत्साहन व्यवस्थाएं, छूट इत्यादि) एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 57 देखें।	हमने नए राजस्व लेखांकन मानकों को अपनाए जाने के प्रभावों को पहचानने की कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमारे लेखा परीक्षण दृष्टिकोण में नियंत्रण परीक्षण तथा वास्तविक प्रक्रियाएं शामिल, जिसमें विशेष रूप से: • सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण का परीक्षण, जिसमें बिलिंग, रेटिंग तथा अन्य संबंधित समर्थन प्रणालियां रहती हैं, इसमें प्रणालियों में विद्यमान परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण राजस्व शाखाओं का बिल बनाती है। • व्यवसाय समर्थन प्रणालियों से बिलिंग तथा रेटिंग प्रणालियों से सामान्य बही खाते तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक समाधान का परीक्षण। इस परीक्षण में बिलिंग प्रणाली तथा सामान्य बही खाता के बीच प्रसंस्कृत महत्वपूर्ण रोज नामचा (जर्नल) को मान्यता देना शामिल है। • नमूने के आधार पर उपभोक्ता का बिल निकालने की परिशुद्धता पर परीक्षण करना तथा उपभोक्ता के बिल पर लगाए गए क्रेडिट एवं छूटों का परीक्षणः तथा • कस्टमर बैक से कस्टमर इनवाइस तक नमूने की परीक्षण रसीदें।
2.	**vfuf'pr djk/kku ekeys%** कंपनी के महत्वपूर्ण अनिश्चित कर मामले विवादित हैं जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम के निर्धारण का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 50 तथा 61 देखें।	हमने प्रबंधन से 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण किए गए कर आकलन तथा मांग प्राप्त की ली हैं। हमने कर प्रावधानों के अनुमान करने तथा विवादों के संभावित परिणाम में प्रबंधन की अंतनिर्हित धारणाओं का आकलन किया। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कंपनी के अपने मामलों सहित कानूनी नजीर तथा अन्य विनिर्णयों (रूलिंग) पर भी विचार किया।
3.	कंपनी के सहयोगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों में रुपये 106.13 करोड़ के निवेश है। सहयोगी कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहायक कंपनियों में निवेश को क्षरण के लिए किए गए किसी प्रावधान को घटाकर आयी लागत पर हिसाब में लिया गया तथा निवेशों का क्षरण के लिए वार्षिक रूप में परीक्षण किया जाता है। यदि क्षरण विद्यमान है तो सहयोगी, संयुक्त उद्यम तथा सहायक कंपनियों में निवेश की वसूली योग्य राशियों का अनुमान क्षरण हानि, यदि कोई हो, की	हमने 31 मार्च, 2020 को कंपनी के निवेश के निवल परिसंपत्ति मूल्यों का कंपनी के निवेश रखाव मूल्य के साथ आकलन किया। हमारे कार्य के परिणामस्वरूप, हम प्रबंधन के साथ इस बात पर सहमत हुए कि कंपनी द्वारा धारित निवेश के रखाव मूल्य कंपनी के वित्तीय विवरण ों को समग्र रूप में देखते हुए समर्थन योग्य हैं।

	सीमा निर्धारित करने के लिए लगाया जाता है। ऐसी किसी क्षरण हानि को आय के विवरण में पहचाना जाता है। एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 9 देखें।	
4.	**vkdfLed n;rk,¡** कंपनी के विरूद्ध विभिन्न मंचों पर कई मुकद्दमे लंबित हैं तथा आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं उनमें प्रबंधन के निर्णय का एक महत्पवूर्ण अंश शामिल है तथा यह प्रबंधन के पक्षपात के अधीन हो सकता है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 50 देखें।)	हमने आकस्मिक देयताओं के प्राक्कलन तथा प्रकटन के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों तथा प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की तथा निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया:– – लंबित मुकद्दमेबाजी मामलों के लिए सभी प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने हेतु प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा तथा परिचालन प्रभाविता को समझा तथा परीक्षण किया; – प्रबंधन के साथ किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन पर तथा कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति पर चर्चा की; – मुकद्दमेबाजी के मामलों से संबंधित विभिन्न पत्र–व्यवहारों तथा संबंधित दस्तावेज तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त किए गए संबंधित बाहरी मतों का अध्ययन किया तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को समर्थन प्रदान करने वाली गणनाओं पर ठोस प्रक्रियाएं की; – प्रबंधन के निर्णयों (जजमेंट) तथा आकलन की परीक्षा की, कि क्या प्रावधानों की आवश्यकता है; – प्रबंधन द्वारा उन मामलों के आकलन किए जाने पर विचार किया, जो महत्वपूर्ण बहिर्वाह (आउटफ्लो) की संभावना के रूप में प्रकट नहीं किए गए हैं। इस संभावना को बहुत कम माना गया है; – प्रकटनों की पर्याप्तता तथा पूर्णता की समीक्षा की गई; निष्पादित की गई उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं का अनुमान तथा प्रकटीकरण पर्याप्त तथा तर्कसंगत माने गए हैं (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 50 देखें)।

,dy foÙkh; fooj.kksa ds vykok vU; lwpuk rFkk mu ij ys[kkijh{kd dh fjiksVZ

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई सूचना शामिल है परंतु एकल वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निर्णय व्यक्त नहीं करते।

एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचना को पढ़ें तथा वैसा करते हुए विचार करें कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा करने के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के अनुरूप नहीं है अथवा अन्यथा ठोस रूप से गलत कथन प्रतीत होता है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना की ठोस गलतबयानी हुई है तो हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट की जाने की अपेक्षा की जाती है। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

,dy Hkkjrh; ys[kk ekud fooj.kks ds fy, izca/ku rFkk vfHk'kklu ¼xousZal½ ds izHkkjh O;fDr;ksa ds nkf;Ro

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारतीय लेखा मानकों तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी तथा कंपनी के नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करें। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखना भी शामिल हैं जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके; धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके, समुचित नीतियों का चयन तथा प्रयोग किया जा सके; तर्कसंगत तथा विवेक संगत निर्णय तथा आकलन किए जा सके; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए जा सकें; कार्यान्वित किए जा सके तथा उनका रखरखाव किया जा सके, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचलन में हों, ऐसे एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हो, जिनसे सत्य एवं निष्पक्ष चित्र सामने आता हो तथा धोखाखड़ी अथवा गलती के कारण ठोस गलतबयानी से मुक्त हों।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन कंपनी के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की योग्यता, जैसा लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों के प्रकटन, तथा तब तक लेखा के कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करने जब तक कि प्रबंधन का कंपनी को परिसमाप्त करने अथवा परिचालनों को बंद करने का इरादा नहीं होता अथवा उसके पास, वैसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं होता, के लिए उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

,dy Hkkjrh; ys[kk ekud foÙkh; fooj.kks dh ys[kk ijh{kk ds fy, ys[kk ijh{kdks dk mÙkjnkf;Ro

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण कुल मिलाकर ठोस गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण, से मुक्त हैं तथा एक ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारा मत शामिल हों। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा ठोस गलतबयानी विद्यमान होने पर हमेशा उसका पता लगा लेगी। गलत बयानियां धोखाधड़ी अथवा गलती से हो सकती हैं तथा उन्हें ठोस माना जाता है, यदि उनके द्वारा अकेले या कुल मिलाकर इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की तर्कसंगत संभावना हो।

लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार, लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संदेहावाद बनाए रखते हैं, हमः

- एकल वित्तीय विवरणों की ठोस गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हुई हो अथवा गलती से, के जोखिमों को भी पहचानते हैं तथा आकलन करते हैं, उन जोखिमों को देखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं बनाते हैं तथा काम में लाते हैं तथा लेखा परीक्षा प्रमाण भी प्राप्त करते हैं, जो हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त

तथा समुचित हो। धोखाधड़ी के कारण होने वाले ठोस गलतबयानी का पता न लगने का जोखिम गलती से होने वाली ठोस गलतबयानी से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, इरादातन चूक (ओमिशन), गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हैं।

- ऐसी लेखा परीक्षा प्रणालियां बनाने, जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, के लिए लेखापरीक्षा हेतु सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ भी प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बात पर भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक, वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा उन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों और संबधित प्रकटनों की तर्कसंगता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करने की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों संबंधी कोई ठोस अनिश्चितता विद्यमान है, जो कार्यशील संस्था के रूप जारी रहने की कंपनी की योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह पैदा करे। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ठोस अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें एकल वित्तीय विवरणों में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में संबंधित प्रकटनों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना पड़ता है अथवा क्या ऐसे प्रकटन हमारे मत को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष उन लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित होते हैं जो हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त हुए हैं। हालांकि हो सकता है कि भविष्य की घटनाएं अथवा स्थितियां कंपनी को कार्यशील संस्था के रूप में जारी न रहने दें।
- एकल वित्तीय विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण, संरचना तथा विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटन तथा यह भी शामिल है कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतनिर्हित लेनदेनों तथा घटनाओं को उस तरह से दर्शाते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण हो पाता है।

ठोसपन (मैटीरियलिटी) एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानियों की वह मात्रा है, जो एकल रूप में या समग्र रूप में यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक तर्कसंगत रूप से जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाने तथा अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किन्हीं गलत बयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक ठोसपन तथा गुणवत्तापरक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन (गवर्नेस) के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, समय तथा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रणों के मामले में हमारी पहचान में आई किन्हीं महत्वपूर्ण कर्मियों सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर संवाद करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारी अधिकारियों को यह विवरण भी उपलब्ध करवाते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है तथा उनके साथ संबंधों तथा अन्य मामलों, जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं तथा जहां लागू हो, संबंधित बचावों पर बात करते हैं।

अभिशासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों का निश्चय करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे तथा इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि मामले के विषय में कानून अथवा विनियम सार्वजनिक प्रकटीकरण से नहीं रोकते अथवा जब बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निश्चय करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में नहीं बताया जाना चाहिए क्योंकि वैसा करने के प्रतिकूल परिणाम तार्किक रूप में उस संप्रेषण के जनहित लाभों पर हावी होने की संभावना होगी।

vU; fof/kd ,o fu;ked vis{kkvks ij fjiksV

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (''आदेश'') की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर टिप्पणी/विवरण, जहां तक वे लागू होते हैं, ''परिशिष्ट ए'' में दिए गए हैं।

2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के ध्यानाकर्षण हेतु उठाए गए मामलों का विवरण अधिनियम की धारा 143 (5) की अपेक्षानुसार परिशिष्ट 'बी' में दिया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते है किः

   (ए) हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से जहां तक हमें ज्ञात है और विश्वास है हमने अपेक्षित सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

   (बी) हमारे मत में लेखा बहियों की जांच करने से ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने समुचित लेखा बहियों को विधि की अपेक्षा अनुसार रखा है।

   (सी) तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ–हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, जिसके विषय में इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, लेखा की संबंधित लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

   (डी) हमारे मत में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का पालन करते हैं।

   (ई) सरकारी कंपनी होने के नाते निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्याः जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

   (एफ) हमारे मत में ऊपर कार्यशील संस्था से संबंधित ठोस अनिश्चितता में वर्णित कार्यशील संस्था मामले का कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

   (जी) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की सक्रिय प्रभावशीलता पर हमारी अलग रिपोर्ट ''परिशिष्ट सी'' पर दी गई है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के पर्याप्त होने तथा परिचालन प्रभाविता पर एक बिना संशोधित मत व्यक्त करती है।

   (एच) निगमित कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएस आर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षा के अनुसार रिपोर्ट देना कंपनी के लिए लागू नहीं है।

   (आई) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

      (i) कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी का प्रभाव पड़ने का प्रकटीकरण अपने एकल वित्तीय विवरणों में किया है।

(ii) कंपनी ने निकट भविष्य में व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि अनुबंधों पर महत्वपूर्ण प्रत्याशित हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू होने वाले कानून अथवा लेखांकन मानक के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान बनाए हैं।

(iii) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को राशि अंतरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

Ñr foukn d|ekj ,M ,lkfl,Vl	Ñr d|ekj fot; xIrk ,M diuh
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन	फर्म पंजीकरण सं. 007814एन
¼lh, ed'k n/khp½	¼lh, iou d|ekj xx½
साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं. 511741	सदस्यता सं. 097900
यूडीआईएनः 20511741एएएएचजे3366	यूडीआईएनः 20097900एएएएके3575

LFkku% नई दिल्ली
fnukd% 22.07.2020

ifjf'k"V&,

Lor= ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk vuqc/k

,eVh,u,y ds lnL;ksa dks iLrqr 31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds ,dy Hkkjrh; ys[kk ekud foÙkh; fooj.kksa ij le frfFk dh gekjh Lor= ys[kk ijh{kk fjiksVZ ds lnHkZ esa

(i) (ए) दिल्ली यूनिट (मूलभूत तथा बेतार दोनों) ने स्थिर परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड रखे हैं। तथापि स्थिर परिसंपत्तियों की पहचान नम्बर तथा स्थान का उल्लेख नहीं किया है। यह देखा गया है कि भूमि और भवनों के संबंध में संपदा विभाग के रिकॉर्ड वित्तीय बहियों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं।

मुंबई यूनिट (बेसिक एवं वायरलेस सेवा यूनिट दोनों) के मामले में 01.04.2002 से स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर रखे गए है। तथापि, मुंबई यूनिट द्वारा अचल परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड अद्यतन नहीं किए गए हैं तथा उनका वित्तीय रिकॉर्ड से मिलान नहीं किया गया है साथ ही अचल परिसंपत्तियों के पहचान नम्बर तथा स्थान भी नहीं दिए गए हैं।

निगम कार्यालय ने अचल परिसंपत्तियों के रिकॉर्ड रखे हैं। हालाँकि पहचान नम्बर तथा अचल परिसंपत्तियों को स्थान का रिकार्ड नहीं रखा गया।

(बी) कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अचल परिसपंत्तियों का भौतिक सत्यापन 3 वर्षों में एक बार चक्रानुक्रम आधार पर किया जाना होता है जो हमारे मतानुसार कंपनी के आकार एवं इसके व्यापार की प्रकृति को देखते हुए समुचित एवं पर्याप्त है। कोविड–19 महामारी तथा लॉकडाउन के कारण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों को कोई सत्यापन नहीं किया गया, हालाँकि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पूर्व भौतिक सत्यापन के दौरान देखने में आई विसंगतियों को हिसाब में किया गया है। अचल परिसंपत्तियों की सत्यापन प्रक्रिया की यथार्थता, विश्वसनीयता और पूर्णता हमारे द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी।

(सी) कंपनी की बहियों में दर्ज कुछ अचल परिसंपत्तियों के हक विलेख (टाइटल डीड) भारत सरकार, डाक–तार विभाग तथा भारत के राष्ट्रपति के नाम से हैं क्योंकि दूरसंचार विभाग के दिल्ली तथा मुंबई का परिचालन आरंभ होने पर इन्हें एमटीएनएल में परिवर्तित कर दिया गया था। ऐसी संपत्तियों का विवरण निम्नलिखित है :–

(राशि रुपये करोड़ में)

fooj.k	fnYyh bdkbZ	eqcbZ bdkbZ
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि		
– मामलों की कुल संख्या	1	23#
– सकल ब्लॉक	0.06	4.15
पट्टे वाली भूमि/प्रयोग का अधिकार		
– मामलों की कुल संख्या	89*	12#
– सकल ब्लॉक	219.53	2.65

fooj.k	fnYyh bdkbl	eqcbl bdkbl
– निवल ब्लॉक	143.17	1.72
भवन		
– मामलों की कुल संख्या	53**	2##
– सकल ब्लॉक	32.37	1.53
– निवल ब्लॉक	1.83	0.71

fnYyh ;fuV d lcek e

* 89 में से जिन 43 मामलों में पट्टे वाली भूमि दूरसंचार विभाग से अधिगृहीत की गई है उसे एमटीएनएल द्वारा पूंजीकृत किया गया है और ऐसी परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास तथा निवल अवलिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर से उनकी पहचान नहीं की जा सकती।

** सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा एमटीएनएल को आबंटित पट्टे वाले भवनों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है परंतु उसे एमटीएनएल द्वारा पूंजीकृत किया गया है तथा सूचना उपलब्ध न होने के कारण उपर्युक्त मामलों को ऊपर दिए गए विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

eqcbl ;fuV d lc/k e

\# 12 मामलों में कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टेवाली भूमि का कब्जा है परंतु उनका मूल्य मुंबई यूनिट की लेखा बहियों में दर्ज नहीं है। जिसमें से 1 पूर्ण स्वामित्व वाली और 6 पट्टेवाली भूमि का हक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है।

\## 5 मामलों में कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व वाले और पट्टे वाले भवनों का कब्जा है परंतु उनका मूल्य मुंबई यूनिट की लेखा बहियों में दर्ज नहीं है। जिसमें से पट्टेवाले 1 भवन का हक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है।

इसके अतिरिक्त अधिकांश मामलों में हक विलेखों के अनुसार अचल परिसंपत्तियों का मूल्य लेखा बहियों से मेल नहीं खाता तथा 9 मामलों के संबंध में, न्यायिक मामले विभिन्न प्राधिकरणों में लंबित हैं जिनमें से 1 फ्री होल्ड भूमि तथा 1 पट्टे वाली भूमि के हक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है।

इसके अतिरिक्त पूर्ण स्वामित्व और पट्टेवाले 9 मामलों में, जिनका कुल क्षेत्रफल 21,160 वर्ग मीटर है, पर विभिन्न व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है अथवा कब्जा हटाने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष मामला चल रहा है। कुल 9 मामलों में से पूर्ण स्वामित्व की भूमि के 2 मामले, जिनका क्षेत्रफल 1840 वर्ग मीटर है और पट्टेवाली भूमि के 1 मामले में, जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, का हक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है।

¼ii½ fnYyh ;fuV d lc/k e %

हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल सूची का वास्तविक सत्यापन उचित अंतरालों पर किया गया है। हालाँकि कोविड–19 महामारी एवं लॉकडाउन के कारण, प्रबंधन द्वारा 31 मार्च, 2020 तक माल सूची का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया।

e|cb ;fuV d l c/k e %&

हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल सूची का वास्तविक सत्यापन उचित अंतरालों पर किया गया है। हालाँकि कोविड–19 महामारी एवं लॉकडाउन के कारण, प्रबंधन द्वारा 31 मार्च, 2020 तक माल सूची का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया।

माल सूची के वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियां बही रिकॉर्ड की तुलना में बड़ी नहीं थी और लेखा बहियों में पूर्व अवधि में उनका उचित निपटान कर लिया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 189 के अनुसार रखे जाने वाले रजिस्टर में निहित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई जमानती अथवा गैर जमानती ऋण नहीं दिया।

(iv) कंपनी ने ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता हो। अतः आदेश का पैरा 3(iv) लागू नहीं होता।

(v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों में व्याख्यायित अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की हैं।

(vi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अनुसार कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अभी वर्ष 2019–20 के लागत रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।

(vii) (ए) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के रिकॉर्डों की हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार अविवादित सांविधिक देयों को, जिनमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, माल और सेवा कर, सीमा–शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों, जहां कहीं लागू हो, शामिल हैं, के संबंध में लेखा बहियों में कटौती की गई राशि/प्रोद्भूत राशि का उपयुक्त प्राधिकारियों को कंपनी ने सामान्यतः नियमित रूप से भुगतान किया है।

हालाँकि कंपनी ने संविदागत शर्तों को पूरा न करने के कारण विक्रेताओं से परिसमाप्त क्षतियों की कटौति/वसूली की है, जिन पर वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया है।

(बी) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, माल और सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर अथवा अन्य सांविधिक देय की कोई अविवादित राशि 31 मार्च, 2020 को उनकी देय तारीख से छह माह से अधिक की बकाया राशि नहीं थी।

(सी) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार किसी विवाद के कारण आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर के संबंध में केवल निम्नलिखित को छोड़कर ऐसे कोई देय नहीं हैं, जो समुचित प्राधिकरण को जमा न करवाए हों:–

दिल्ली यूनिट के संबंध में

i- fcØh dj

lfof/k dk uke	jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½ ¼fuoy½	vof/k ftlls jkf'k lacaf/kr gS	eap tgka fookn yafcr gS
दिल्ली मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2004	12.21	2007–08	दिल्ली मूल्यवर्धित कर अधिकरण
दिल्ली मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2004	62.60	2009–10 एवं 2010–11 (राष्ट्रमंडल खेल 2010)	दिल्ली मूल्यवर्धित कर अधिकरण
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956	0.04	2012–13	अपर बिक्रीकर आयुक्त
dqy	74-85		

ii- lsok dj

lfof/k dk uke	jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½ ¼fuoy½	vof/k ftlls jkf'k lacaf/kr gS	eap tgka fookn yafcr gS
वित्त अधिनियम 1994	8.12	2005–06	केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर आयुक्त
वित्त अधिनियम 1994	22.13	2006–08	केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण
वित्त अधिनियम 1994	0.08	2000–03	केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर आयुक्त
वित्त अधिनियम 1994	1.36	2008–12	केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर आयुक्त
dqy	31-69		

iii- Je midj

lfof/k dk uke	jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½ ¼fuoy½	vof/k ftlls jkf'k lacaf/kr gS	eap tgka fookn yafcr gS
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	9.73	1996 से 2001	उप श्रमायुक्त

eqcbZ cfLd ;fuV ds lac/k esa

i- vk;dj

lfof/k dk uke	jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½ ¼fuoy½	vof/k ftlls jkf'k lacaf/kr gS	eap tgka fookn yafcr gS
आयकर अधिनियम, 1961	शून्य	2000–08	माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत
dqy	'kwU;		

ii- fcØh dj

lfof/k dk uke	jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½ ¼fuoy½	vof/k ftlls jkf'k lacaf/kr gS	eap tgka fookn yafcr gS
बंबई बिक्री कर अधिनियम, 1959	0.17	1993–94	महाराष्ट्र बिक्री कर अधिकरण, मुंबई
बंबई बिक्री कर अधिनियम, 1959	5.27	1996–97	माननीय उच्च न्यायालय, बंबई
बंबई बिक्री कर अधिनियम, 1959	170.08	1997–98	माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत

बंबई बिक्री कर अधिनियम, 1959	216.01	2003–04	महाराष्ट्र बिक्री कर अधिकरण, मुंबई
बंबई बिक्री कर अधिनियम, 1959	101.32	2004–05	संयुक्त आयुक्त बिक्रीकर, मुंबई
बंबई बिक्री कर अधिनियम, 1959	14.97	2009–10	संयुक्त आयुक्त बिक्रीकर, मुंबई
बंबई बिक्री कर अधिनियम, 1959	6.11	2011–12	संयुक्त आयुक्त बिक्रीकर, मुंबई
बंबई बिक्री कर अधिनियम, 1959	26.47	2012–13	संयुक्त आयुक्त बिक्रीकर, मुंबई
dqy	540-40		

iii- lsok dj

lafof/k dk uke	jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½ ¼fuoy½	vof/k ftlls jkf'k lacaf/kr gS	eap tgka fookn yafcr gS
वित्त अधिनियम, 1994	2.91	2012–13 से 2016–17	सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवाकर अपीलीय अधिकरण
dqy	2-91		

eqcbZ ekeyksa lsok bdkbZ ds lacaf/k esa

dsUæh; mRikn%

lafof/k dk uke	jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½ ¼fuoy½	vof/k ftlls jkf'k lacaf/kr gS	eap tgka fookn yafcr gS
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	शून्य	2004–05	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	शून्य	2006–07	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	शून्य	2013–14	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	शून्य	2006–07	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	शून्य	2005–06	आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क
dqy	'kwU;		

fuxe dk;kZy; ds lacaf/k esa%

vk;dj%

lafof/k dk uke	jkf'k ¼#i;s djksM+ esa½ ¼fuoy½	vof/k ftlls jkf'k lacaf/kr gS	eap tgka fookn yafcr gS	fVIi.kh
आयकर अधिनियम 1961	शून्य	आकलन वर्ष 1998–99 से आकलन वर्ष 2006–07	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली	रुपये 740.90 करोड़ की कुल विवादित मांग का या तोकंपनी द्वारा भुगतान किया गया है अथवा कंपनी को देय धनवापसी से आयकर विभाग द्वारा काटा गया है।
आयकर अधिनियम 1961	शून्य	आकलन वर्ष 2007–08 से आकलन वर्ष 2009–10	माननीय आयकर अपील अधिकरण और आयकर आयुक्त (अपील)	
dqy	'kwU;			

(vii) कंपनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंक, सरकार को ऋण अथवा उधार की चुकौती करने और डिबेंचर धारकों को देय का भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है।

(viii) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर अथवा उसके बाद पब्लिक ऑफर (कर्ज लिखतों सहित) द्वारा किसी भी रकम की उगाही नहीं की है और सामान्यतः जिस कार्य के लिए आवधिक ऋण लिया था, उसी पर व्यय किया गया है।

(ix) प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के साथ अथवा कंपनी के द्वारा कोई बड़ी धोखाधड़ी की जानकारी अथवा रिपोर्ट नहीं है।

(x) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 को लागू करने से छूट दी गई है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खंड 3(xi) लागू नहीं होता।

(xi) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः आदेश का खंड 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन की आवश्यकता है। अतः आदेश का खंड 3(xiii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा संपरिवर्तनीय डिबेंचर का पूर्णतः अथवा अशंतः अधिमान्य आवंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुपालन की आवश्यकता हो। अतः आदेश का खंड 3(xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ नकदीतर (नकदी से इतर) कोई लेन–देन नहीं किया है। अतः आदेश का खंड 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xv) हमारे मत से तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। अतः कंपनी पर आदेश का खण्ड 3(xvi) लागू नहीं होता।

Ñr foukn dekj ,M ,lkfl,Vl
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

¼lh, edi'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741
यूडीआईएनः 20511741एएएएचजे3366

Ñr dekj fot; xIrk ,M diuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼lh, iou dekj xx½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900
यूडीआईएनः 20097900एएएएके3575

LFkku% नई दिल्ली
fnukd% 22.07.2020

ifjf'k"V&ch

Lor= y[kkijh{kdk dh fjiksVZ dk ifjf'k"V

31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, ,dy Hkkjrh; y[kk ekud foÙkh; fooj.kksa ij egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM ds lnL;ksa dks mlh rkjh[k dks iLrqr dh xbZ Lor= y[kkijh{kdksa dh gekjh fjiksVZ esa lanfHkZr

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM (एकल) के वार्षिक लेखाओं के लेखापरीक्षण के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाते हुए निदेश जारी किए गए।

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:–

Ø-la-	tkap x, {ks=	ifj.kke@fu"d"kZ
1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन–लेनदेन की प्रक्रिया के लिए प्रणाली हैं? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन–लेनदेन की प्रक्रिया के खातों की सत्यता पर प्रभाव निहितार्थ तथा वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हैं, तो बताएं।	जी हां, लेखांकन–लेनदेन का अधिकांश आईटी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। हालांकि मानवीय (मैनुअल) दखल होता है। मानवीय दखल के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को केवल पर्यवेक्षी स्वीकृति और उचित रूप से प्रलेखित करके सुदृढ़ करने की आवश्यकता हैं। हालाँकि, दिल्ली इकाई (लीज सर्किट) को आईटी प्रणाली के साथ एकीकृत नहीं किया गया है।
2.	ऋण को चुकाने की कंपनी की असमर्थता के कारण क्या ऋणदाता द्वारा कंपनी के वर्तमान ऋण की कोई पुनः संरचना की गई है अथवा कर्ज/ऋण/ब्याज आदि का अधित्याग/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो उसका वित्तीय प्रभाव बताएं।	जैसाकि प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, हमें सूचित किया गया है कि 2019–20 के दौरान ऋण की कोई पुनः संरचना नहीं की गई है/कर्ज/ऋण/ब्याज को माफ/बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
3.	क्या केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं से प्राप्त/प्राप्य राशि को उचित रूप से हिसाब में लिया गया था/उनके नियम एवं शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामले की सूची प्रस्तुत करें।	जी हां, कंपनी को/स्वच्छ कार्य योजना अंशदान से वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान 21 लाख, 2018–19 के दौरान 35.39 लाख तथा 2019–20 के दौरान 35 लाख रुपये प्राप्त हुए जिसमें से कंपनी के पास रुपये 53.35 लाख का उपयोग लंबित है।
4.	क्या शेयर राजस्व (लाइसेंस फीस और स्पैक्ट्रम प्रयोग शुल्क) की राशि को वित्तीय विवरणों में डीओटी के अनुसार चिह्नित किया गया है? यदि हां, तो विस्तृत विवरण और गणना पत्रक संलग्न किया जाए।	जी हां, एजीआर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और गणना पत्रक संलग्न है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 2019–20 में समाप्त वर्ष के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के लेखों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन किया है।

Ñr% foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

¼lh, eqds'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741
यूडीआईएनः 20511741एएएएएचजे3366

Ñr% dqekj fot; xqIrk ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼lh, iou dqekj xxZ½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900
यूडीआईएनः 20097900एएएएएके3575

LFkku% नई दिल्ली
fnukad% 22.07.2020

ifjf'k"V&lh

Lora= ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk ifjf'k"V

¼lelaf[;d rkjh[k dh gekjh fjiksVZ ds ^vU; fof/kd rFkk fu;ked vis{kkvksa ij fjiksVZ* [kaM ds varxZr iSjk ¼,Q½ esa lanfHkZr½

daiuh vf/kfu;e] 2013 ¼^^vf/kfu;e**½ dh /kkjk 143 dh mi/kkjk 3 ds [kaM ¼i½ ds varxZr vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa ij fjiksVZ

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa ds fy, izca/ku dk mÙkjnkf;Ro

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ियों तथा चूकों की रोकथाम तथा उनका पता लगाया जाना, लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता तथा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है, विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार किये जाने सहित ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाना, कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाये रखना शामिल है, जो उसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करें।

ys[kkijh{kdksa dk nkf;Ro

हमारा दायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय दें। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') तथा लेखापरीक्षा के मानदंडों तथा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित मानित है, उस सीमा तक, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू हैं तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये हैं, के अनुसार की है। वे मानदंड तथा मार्गदर्शक टिप्पणी अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना तथा लेखापरीक्षा इस तरह करें जिससे इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लगाए गए थे तथा उन्हें बनाये रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी वास्तविक मामलों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में ऐसी प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके प्रभावी रूप से कार्य करने के विषय में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त हो। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई ठोस कमजोरी विद्यमान है तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा तथा प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती से, के जोखिमों का आकलन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

foÙkh; fjikfVx ij vkrfjd foÙkh; fu;=.kk dk vFk

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा बाह्य उद्देश्यों के लिए एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देने के लिये बनायी जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जोः–

(1) ऐसे रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो तर्कसंगत विस्तार से कंपनी की परिसंपत्तियों का लेन–देन एवं निपटान को एकदम सही तथा निष्पक्ष ढंग से दिखाता है।

(2) इस बात का तर्कसंगत आश्वासन दे कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकरण सिद्धांतों के अनुसार एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन–देन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के अनुमोदन से ही किये जा रहे हैं तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण उपयोग अथवा निपटान, जिसका एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम अथवा समय से पता लगाने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देना।

foÙkh; fjikfVx ij vkrfjd foÙkh; fu;=.kk dh vrfufgr lhek,

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें सांठगांठ की संभावना अथवा नियंत्रणों की अवहेलना, ठीक से प्रबंधन न होना, शामिल हैं, के कारण गलती से अथवा धोखाधड़ी के कारण ठोस गलतबयानी हो सकती हैं तथा उनका पता न लग सके। साथ ही भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं, कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है।

lki{k er

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग, पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित ठोस कमियां पहचानी गई हैंः–

(i) कंपनी के पास ऐसी कोई समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिससे संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत में पूंजीकृत होने वाले उपरिव्ययों की पहचान हो सके। इससे संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर का कम/अधिक पूंजीकरण हो सकता है तथा कंपनी के प्रचालन परिणामों पर उसके अनुसार प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ii) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, जब वे इस्तेमाल के लिए तैयार हों, का इंजीनियरी विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने में अथवा वस्तु जारी करने की स्लिप की प्राप्ति में विलंब के कारण अथवा खरीदी गई वस्तुओं के लिए विक्रेताओं से बिल मिलने में विलंब के कारण, के पूंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। अतः पूंजीकरण की तारीख विश्वसनीय नहीं है। इससे विलंबित पूंजीकरण तथा मूल्यह्रास कम प्रभारित किए जाने के कारण परिचालन संबंधी परिणामों पर संबंधित प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(iii) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर उन परिसंपत्तियों को, जो अब इस्तेमाल में नहीं है तथा जिनका कबाड़ के रूप में निपटान किया जाना है, को संस्थापन से हटाने एवं उनके विपूंजीकरण की समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है ओर इससे सकल ब्लॉक का संभावित रूप से अधिक कथन एवं ह्रास के उच्च प्रभार और परिसंपत्तियों के क्षरण के लिए अल्प प्रावधान से परिचालन परिणामों पर संबंधित प्रभाव पड़ेगा।

(iv) कंपनी के पास इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, कि विक्रेताओं/ठेकेदारों/प्रचालकों/सरकारी विभागों से बिल प्राप्त होने तक तिमाही के अंत में अथवा वर्ष के अंत में किये गए प्रावधानों को वास्तविक बिल प्राप्त होने तथा उन्हें हिसाब में लिए जाने पर विधिवत प्रत्यावर्तित (रिवर्स) कर दिया जाता है। इससे इसका लेखांकन दो बार होने की संभावना हो सकती है।

(v) कंपनी के पास विक्रेताओं/ठेकेदारों/प्रचालकों/सरकारी विभागों के साथ किए गए खुले क्रय आदेश, कार्य आदेश ,करार और संविदा का पता लगाने की समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है तथा ये खुले हैं, इससे परिचालन में दक्षता, वित्तीय देयताओं को रिकार्ड करने और उसके लिए प्रावधान करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

(vi) कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली नहीं है। कंपनी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेज को सॉफ्टवेयर लिंक के द्वारा अथवा हाथ से (मैनुअली) इंटरफेस किया जाता है जिससे उनके बीच अंतर (गैप) आ जाता है। इससे वित्तीय रिपोर्टिंग के त्रुटिपूर्ण होने की संभावना हो सकती है।

(vii) कंपनी के पास विक्रेताओं/ठेकेदारों/प्रचालकों/सरकारी विभागों के लेखाओं के समाधान के लिए कोई समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, इससे एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में कुछ परिवर्तनों की संभावना हो सकती है। हमारे द्वारा पहचाने गए मामलों पर इस रिपोर्ट में विभिन्न स्थानों पर समुचित सापेक्षताएं दी गई है।

(viii) कंपनी के पास प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है जिसमें सभी प्रमुख कार्यक्षेत्रों के व्यापक प्रयोजनों को समाहित किया जा सकें। इसके कवरेज की सीमा और गहराई, आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन का तरीका और रिपोर्टिंग बहुत कमजोर है। इससे नियंत्रण एवं संतुलन कमजोर होने की संभावना है तथा वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट देने से रह जाएगी, जिससे अंततः त्रुटिपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग होगी।

(ix) कंपनी के पास उपभोक्ताओं से प्राप्त और बैंकों द्वारा डेबिट की गई राशि के कारण असंबद्ध डेबिट और क्रेडिट की मदों के समाधान के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, इससे वित्तीय समायोजन के रिपोर्ट न किए जाने की संभावना है जिससे अंततः त्रुटिपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग होगी।

(x) कंपनी के पास हाथ से बनाए गए बीजक के आधार पर देय तथा भुगतान योग्य बीजकों (इनवायस) के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। भुगतान योग्य तथा देय हो। बीजक पद्धति में मापन की विश्वसनीयता और मदों का समाधान नहीं होता। इससे बीजक में एक से अधिक बार दोहराव और त्रुटि हो जाती है। इससे राजस्व की पहचान करने में त्रुटि होने की संभावना है।

(xi) कंपनी के पास जारी की गई वस्तु के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति नहीं है। लेखांकन वस्तु की मांग विवरण के आधार पर किया जाता है, न कि वस्तु के वास्तविक संस्थापन अथवा उसके काम करना शुरू करने पर। इससे चोरी की पहचान न होने और उपस्कर के पहले पूंजीकरण होने की संभावना है।

(xii) कंपनी के पास बिलिंग और पट्टेदार से पानी और बिजली प्रभार की वसूली सुनिश्चित करने की समुचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति नहीं है। इससे ऐसे प्रभारों की वसूली न होने अथवा विलंब से वसूली होने की संभावना है। इससे समग्र खर्चे की वित्तीय हानि और वसूली में विलंब से वित्त लागत आती है। इससे कंपनी के वित्तीय विवरण में त्रुटिपूर्ण खर्च मूल्यों की भी संभावना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में 'ठोस कमजोरी' एक कमी अथवा कमियों का ऐसा समूह है, कि इस बात की तर्कसंगत संभावना है कि कंपनी के वार्षिक अथवा आंतरिक वित्तीय विवरणों की ठोस गलतबयानी को समय पर नहीं रोका जाएगा अथवा उसका पता लगाया जाएगा।

हमारी राय में नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित ठोस कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी महत्वपूर्ण तरीकों के पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखें हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के आधार पर कंपनी ने स्थापित किये हैं।

हमने 31 मार्च, 2020 को कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा में अनुप्रयुक्त लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय तथा सीमा के निर्धारण में ऊपर पहचानी गई तथा रिपोर्ट की गई ठोस कमजोरियों पर विचार किया है तथा ये ठोस कमियां कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती।

Ñr~ foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

¼lh, eqds'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741
यूडीआईएनः 20511741एएएएएचजे3366

Ñr~ dqekj fot; xqIrk ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼lh, iou dqekj xxZ½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900
यूडीआईएनः 20097900एएएएएके3575

LFkku% नई दिल्ली
fnukad% 22.07.2020

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM
31 ekpZ 2020 rd dk rqyu i=

	fVIif.k;k	31 ekpZ 2020 ¼₹ djksM+ esa½	31 ekpZ 2019 ¼₹ djksM+ esa½
ifjlEifÙk;k			
xSj&pkyw ifjlEifÙk;k			
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	4	3,486.96	4,233.78
चालू पूंजीगत कार्य	5	328.08	320.04
परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	6	503.16	-
निवेश संपत्ति	7	31.43	25.74
अमूर्त परिसंपत्तियां	8	2,766.21	3,101.90
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर चालू निवेश	9	106.13	106.13
ऋण	10	202.34	192.02
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	0.63	1.74
आय कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	706.98	723.71
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	13	23.85	230.31
dqy xSj pkyw ifjlEifÙk;k		**8,155.77**	**8,935.37**
pkyw ifjlEifÙk;k			
माल सूचियां	14	18.54	24.17
वित्तीय परिसंपत्तियों			
व्यापार प्राप्य	15	620.74	603.86
नकदी तथा नकदी तुल्य	16	142.68	74.85
अन्य बैंक शेष	17	13.02	20.42
ऋण	18	3,545.20	3,390.42
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	19	3,492.91	899.90
अन्य चालू परिसंपत्तियां	20	631.32	692.31
dqy pkyw ifjlEifÙk;k		**8,464.41**	**5,705.93**
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां	21	35.90	36.14
dqy ifjlEifÙk;k		**16,656.08**	**14,677.44**
bfDoVh rFkk ns;rk,a			
bfDoVh			
इक्विटी शेयर पूंजी	22	630.00	630.00
अन्य इक्विटी	23	(14,215.65)	(10,364.93)
dqy bfDoVh		**(13,585.65)**	**(9,734.93)**
xSj&pkyw ns;rk,a			
वित्तीय देयताएं			
उधार	24	12,554.15	11,431.58
लीज देयताएं	25	221.03	40.57
अन्य वित्तीय देयताएं	26	199.97	323.81
दीर्घकालीन प्रावधान	27	240.12	911.72
अन्य गैर–चालू देयताएं	28	120.61	146.10
dqy xSj&pkyw ns;rk,a		**13,335.88**	**12,853.78**
pkyw ns;rk,a			
वित्तीय देयताएं			
उधार	29	9,296.42	7,620.36
लीज देयताएं	30	103.91	4.65
व्यापार भुगतान योग्य	31		
(ए) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		47.13	5.35
(बी) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त देनदारों का कुल बकाया		735.19	524.38
अन्य वित्तीय देयताएं	32	5,891.44	2,256.09
अन्य चालू देयताएं	33	652.75	764.02
अल्पावधि प्रावधान	34	179.01	383.75
dqy pkyw ns;rk,a		**16,905.85**	**11,558.60**
dqy ns;rk,a		**30,241.73**	**24,412.38**
dqy bfDoVh rFkk ns;rk,a		**16,656.08**	**14,677.44**

egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;ka dk lkj 3

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

यह वह तुलनपत्र है, जिसका उल्लेख इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

Ñrs foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

Ñrs dqekj fot; xqIrk ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼,e-oh- tks'kh½
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08273959

¼,l-vkj- L;ky½
कंपनी सचिव

ह./–
¼eqds'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741

ह./–
¼iou dqekj xxZ½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900

ह./–
¼ih- ds- iqjokj½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06619060

LFkku% नई दिल्ली, fnukad% 22.07.2020

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM

31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk ,oa gkfu dk fooj.k

		31 ekpZ 2020 ¼#- djksM+ esa½	31 ekpZ 2019 ¼#- djksM+ esa½
आय			
परिचालनों से राजस्व	35	1,536.36	1,987.80
अन्य आय	36	690.66	618.91
dqy vk;		**2,227.02**	**2,606.71**
[kpZ			
लाइसेंस शुल्क खर्च	37	159.18	176.55
कर्मचारी हितलाभ खर्च	38	2,124.45	2,272.03
वित्तीय लागतें	39	1,941.54	1,703.18
राजस्व सहभागिता खर्च		99.14	162.18
मूल्यह्रास तथा परिशोधन खर्च	40	971.95	983.70
अन्य खर्च	41	626.44	699.27
dqy [kpZ		**5,922.70**	**5,996.91**
dj&iwoZ ykHk@¼gkfu½		**(3,695.68)**	**(3,390.20)**
कर खर्च	42	-	-
o"kZ esa fuoy ykHk@¼gkfu½		**(3,695.68)**	**(3,390.20)**
vU; O;kid vk;	43		
,slh oLrq,a ftUgsa ykHk vkSj gkfu ds fy, iquoZxhZ—r ugha fd;k tk,xk			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		(115.32)	(7.39)
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	42	-	-
o"kZ ds fy, dqy vU; O;kid vk;@¼gkfu½		**(115.32)**	**(7.39)**
o"kZ ds fy, dqy O;kid vk;@¼gkfu½		**(3,811.00)**	**(3,397.58)**
प्रति इक्विटी शेयर नुकसानः	44		
बेसिक (₹)		(58.66)	(53.81)
तनुकृत (डिल्यूटेड) (₹)		(58.66)	(53.81)

egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;ksa dk lkj **3**

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

यह वह तुलनपत्र है, जिसका उल्लेख इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

Ñrs foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l	Ñrs dqekj fot; xqIrk ,.M dEiuh	¼,e-oh- tks'kh½	¼,l-vkj- L;ky½
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन	फर्म पंजीकरण सं. 007814एन	डीआईएन 08273959	

ह./–	ह./–	ह./–
¼eqdsa'k n/khp½	¼iou dqekj xxZ½	¼ih- ds- iqjokj½
साझेदार	साझेदार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 511741	सदस्यता सं. 097900	डीआईएन 06619060

LFkku% नई दिल्ली, fnukad% 22.07.2020

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM
31 ekp] 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, udnh izokg fooj.k

	31 ekp] 2020 ¼₹ djksM+ esa½	31 ekp] 2019 ¼₹ djksM+ esa½
, ifjpkyu dk;Zdykiksa ls udnh izokg		
dj ls iwoZ ykHk@¼gkfu½	(3,695.68)	(3,390.20)
fuEufyf[kr ds fy, lek;kstu %		
मूल्यह्रास खर्च	636.23	646.68
परिशोधन खर्च	335.72	337.02
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के निपटान पर (लाभ)/हानि (निवल)	(0.77)	1.02
लाभांश आय	(1.68)	2.91
ब्याज आय	(142.34)	(94.80)
पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	(157.09)	(90.54)
रियायत सहित संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	64.50	9.65
पुरानी हो चुकी मालसूची के लिए प्रावधान	3.01	1.35
संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान	0.91	2.12
परिसंपत्तियों की हानि	2.33	1.41
कर्मचारी लाभ बाध्यताओं पर लाभ तथा हानि का पुनः मापन	(115.32)	(7.39)
वित्तीय लागतें	1,941.54	1,703.18
वसूले गए अशोध्य ऋण	(0.08)	(0.33)
बट्टेखाते में डाले गए अशोध्य ऋण	15.23	18.32
dk;Z'khy iwath ifjorZuksa ls igys ifjpkyu gkfu	**(1,113.49)**	**(859.58)**
dk;Z'khy iwath esa mrkj&p<ko		
ऋणों में कमी/(वृद्धि)	(113.57)	1,105.20
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	0.29	(2.32)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि	(2,593.01)	(13.24)
अन्य परिसंपत्तियों में कमी	267.46	79.57
व्यापार तथा अन्य प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	(96.54)	(207.22)
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	3,015.96	(1,062.43)
अन्य देयताओं में (कमी)/वृद्धि	(136.76)	124.14
प्रावधानों, व्यापार तथा अन्य देयों में वृद्धि	(472.20)	106.83
dk;Z'khy iwath esa ifjorZuksa ds ckn ifjpkyu dk;Zdykiksa ls ¼esa iz;qDr½ udnh izokg	**(1,241.86)**	**(729.05)**
आयकर (प्रदत्त)/धनवापसी (निवल)	16.73	(8.89)
ifjpkyu dk;Zdykiksa esa iz;qDr fuoy udnh ¼,½	**(1,225.13)**	**(737.94)**
ch fuos'k xfrfof/k;ksa ls udnh izokg		
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, निवेश संपत्ति एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का खरीदा जाना (चालू पूंजीगत कार्य सहित) (बिक्री से प्राप्ति को घटाकर)	(133.26)	(295.40)
सावधि जमाओं में उतार–चढ़ाव (निवल)	8.51	0.06
प्राप्त लाभांश	1.68	(2.91)
प्राप्त ब्याज	89.89	12.52
fuos'k dk;Zdykiksa esa iz;qDr fuoy udnh izokg ¼ch½	**(33.18)**	**(285.74)**
lh foÙkh;u dk;Zdykiksa ls udnh izokg		
दीर्घकालीन उधारियों से प्राप्तियां तथा पुनर्भुगतान (निवल)	1,594.24	1,477.39
अल्पावधि उधारियों से प्राप्तियां तथा पुनर्भुगतान (निवल)	1,676.07	1,238.26
भुगतान की गई वित्तीय लागत	(1,880.68)	(1,671.49)
लीज देयताओं के प्रति भ्रुगतान	(63.49)	-
foÙkh;u dk;Zdykiksa ls fuoy udnh izokg ¼lh½	**1,326.14**	**1,044.16**
नकदी तथा नकदी तुल्यों में कमी (ए+बी+सी)	67.83	20.48
वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकदी तुल्य	74.85	54.37
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	142.68	74.85

egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;ksa dk lkj
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
यह वह तुलनपत्र है, जिसका उल्लेख इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

Ñrs foukn dqekj ,.M ,lksf,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

Ñrs dqekj fot; xqIrk ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼,e.oh. tks'kh½
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08273959

¼,l.vkj. L;ky½
कंपनी सचिव

ह./–
¼eqds'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741

ह./–
¼iou dqekj xxZ½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900

ह./–
¼ih. ds. iqjokj½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06619060

LFkku% नई दिल्ली, fnukad% 22.07.2020

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2019 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च 2020 को शेष
इक्विटी शेयर पूंजी	630.00	-	630.00	-	630.00

बी. अन्य इक्विटी

(राशि करोड़ में)

	प्रतिभूति प्रीमियम	अनुसंधान और विकास रिजर्व	आकस्मिक आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	अपने पास रखा गया अर्जन	कुल
31 मार्च 2018 को शेष	665.00	30.80	243.22	45.27	(7,961.05)	(6,962.01)
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	(3,388.07)	(3,388.07)
अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित अर्जनों को अंतरण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	(7.39)	(7.75)
31 मार्च 2019 को शेष	665.00	30.80	243.22	45.27	(11,356.52)	(10,357.83)
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	(3,693.73)	(3,693.73)
भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन पर प्रभाव	-	-	-	-	(40.09)	(40.09)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	(115.32)	(120.44)
31 मार्च 2020 को शेष	665.00	30.80	243.22	45.27	(15,205.67)	(14,212.10)

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

कृते कुमार विजय गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

(एम.पी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08273959

(एस.आर. स्याल)
कंपनी सचिव

ह./–
(कमलेश दधीच)
साझेदार
सदस्यता सं. 511741

ह./–
(पवन कुमार गर्ग)
साझेदार
सदस्यता सं. 097900

ह./–
(पी. के. पुरवार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06619060

स्थान: नई दिल्ली, दिनांक: 22.07.2020

1- fuxe dh lapuk

सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ('एमटीएनएल') अपनी सहायक, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (मिलाकर इसे यहां 'समूह' कहा गया है) के साथ मिलकर दिल्ली और मुंबई के भौगोलिक क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महानगर दूरसंचार सदन, 5वीं मंजिल, 9, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में है। कंपनी के शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

2- rS;kj djus dk vk/kkj

ये समेकित वित्तीय विवरण ('वित्तीय विवरण') भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियमावली, 2015 के नियम 3 और अधिनियम के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसरण में कॉरपोरेट कार्यों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

ये वित्तीय विवरण समूह के पृथक वित्तीय विवरण हैं, जो भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार तैयार किए गए हैं और इन्हें जारी करने के लिए 22 जुलाई, 2020 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भी किया गया था।

वित्तीय विवरण प्रोद्भवन और कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं। सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के खंड–II में निर्धारित कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा अन्य मापदंड अनुसार चालू और गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा उनकी नकदी एवं नकदी समतुल्य में वसूली के बीच के समय को कपंनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 माह के रूप में निर्धारित किया है।

निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए गए हैं:–

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है;
- परिभाषित हितलाभ योजनाएं–योजना परिसंपत्तियां, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है; तथा
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां–जिन्हें बिक्री के लिए लागत को घटाकर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

3- egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;ksa dk lkj

,½ jktLo igpku

राजस्व की पहचान उपभोक्ता को उस मात्रा में वादा किए गए उत्पादों अथवा सेवाओं के अंतरण पर की जाती है, जो वह प्रतिफल है जिसे समूह उन उत्पादों अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त करने की आशा करता है। राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो परिमाण (वॉल्यूम) रियायतों, ऋणों, कीमत छूटों तथा प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, के लिए समायोजित किया गया प्रतिफल है, जैसा कि उपभोक्ता के साथ की गई संविदा में दिया गया है। राजस्व में उपभोक्ताओं से लिए गए कर भी शामिल नहीं है। राजस्व प्रोद्भवन आधार पर पहचाना जाता है, जिसमें ऐसे उपभोक्ताओं से प्राप्त आय शामिल है, जिनके विवाद समाधान तथा उपभोक्ता लाइन के बंद होने के कारण लंबित हैं।

(ए) एकल सेवा देने के अनुबंधों के मामलों में राजस्व का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है तथा राजस्व की पहचान उस अवधि में की जाती है, जिसमें सेवाएं दी गई हैं,

(बी) बहु–अवयव के संविदाओं के मामले, जिसमें बहुत से उत्पादों, सेवाओं को देना अथवा निष्पादन अथवा परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार शामिल हैं, में सभी सुपुर्दगी योग्य मदों का मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्था में किया जाएगा, जिससे यह निर्धारित किया जा सके, कि क्या वे व्यवस्था के प्रारंभ में पृथक निष्पादन दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक साथ कई ठेके (बंडल कॉन्ट्रैक्ट) के मामले में कुल प्रतिफल को विभिन्न निष्पादन दायित्वों के मध्य उनके एकल विक्रय मूल्य के आधार पर आबंटित किया जाता है। यदि विभिन्न घटकों के तुलनात्मक उचित मूल्य को तर्कसंगत आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता तो कुल प्रतिफल को अवशिष्ट मूल्य विधि के आधार पर विभिन्न घटकों को आबंटित किया जाता है।

(सी) प्रीपेड उत्पादों की बिक्री के लिए रिचार्ज कूपनों पर कार्रवाई शुल्क उपभोक्ता संबंध अवधि अथवा कूपन वैधता अवधि, जो भी कम हो, में पहचाना जाता है।

(डी) सक्रियण तथा संस्थापन राजस्व एवं संबंधित लागतें, जो संबंधित राजस्व से अधिक न हों, को अनुमानित उपभोक्ता संबंध अवधि में आस्थगित तथा परिशोधित किया जाता है। राजस्व के ऊपर लागतों की अधिकता, यदि कोई हो तो उन्हें खर्च किए गए दिखाया गया है। उपभोक्ता प्राप्ति लागत के खर्च को किए गए खर्च के रूप में दर्शाया जाना है।

(ई) प्रीपेड कॉलिंग कार्ड, वर्चुअल कालिंग कार्ड (वीसीसी) तथा प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन कार्ड को उनके प्रयोग अथवा कार्डों की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हों, के आधार पर पहचाना जाता है।

एफ) ब्याज आय/व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर), अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित जीवन अवधि के माध्यम से परिसंपत्तियों की निवल रखाव राशि को अनुमानित भावी नकद भुगतान अथवा प्राप्तियों में ठीक–ठीक रूप से घटाते हैं, पर पहचाना जाता हैं। भावी नकदी प्रवाहों में भुगतान किए गए अथवा प्राप्त किए गए सभी अन्य लेन–देन लागत शुल्क, प्रीमियम अथवा रियायतें, यदि कोई हों, इत्यादि शामिल हैं। वास्तविक ब्याज दर तथा प्रभावी ब्याज के बीच अंतर लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से बताया जाएगा।

जी) सेवाओं से आय में मूलभूत संरचना अन्य सेवा प्रदाताओं को पट्टे पर देने से प्राप्त आय शामिल हैं। कार्यान्वयन में लगे संबंधित भंडारों तथा सामानों को उन्हें जारी करते समय परियोजना अथवा राजस्व कार्य की मद में प्रभारित किया जाता है। हालांकि वर्ष के अंत में विभिन्न भंडारों में पड़ी हुई विकीर्ण मदों का भारित औसत लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

एच) रखरखाव तथा परियोजना कार्यों से निकले कबाड़ (स्क्रैप) की बिक्री से प्राप्त राशियों को उनकी बिक्री के वर्ष में विविध आय में लिया जाता है।

संविदा परिसंपत्तियां तब पहचानी जाती है जब संविदाओं संबंधी बिलों पर अर्जित राजस्व अधिक हो। संविदा परिसंपत्तियों को बिल रहित प्राप्यों (केवल बीजक बनाने का कार्य लंबित है) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब संविदागत शर्तों के अनुसार नकद प्राप्ति का बिना शर्त का अधिकार हो और केवल व्यतिक्रम अपेक्षित हो।

जब उपभोक्ता से प्राप्त अग्रिमों अथवा राजस्व की अधिकता में बिलिंग की गई है तब अनर्जित और आस्थगित राजस्व ("संविदा देयता") की पहचान की जाती है।

ch½ fu;kstu dk ckn ykHk

ए) परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत समूह सरकार द्वारा प्रशासित एक स्वतंत्र कोष में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। अपने निश्चित अंशदान का भुगतान करने के बाद समूह द्वारा कोई और अंशदान देने की कोई भी विधिक अथवा सकारात्मक बाध्यता नहीं हैं। समूह की परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि, पेंशन अंशदान तथा अवकाश का वेतन शामिल हैं।

(i) एमटीएनएल में विलयित (एब्जाबर्ड) संयुक्त सेवा पेंशन विकल्पधारकों के मामले में पेंशन का अंशदान एफआर–116 के अनुसार भारत सरकार को देय है, जैसा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के समकक्ष वेतनमानों के साथ भारत संचार निगम लिमिटेड में है तथा इसे संबंधित वर्ष के खर्च में दिखाया जाता है।

(ii) उन कर्मचारियों के मामले में, जो दूरसंचार विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों से मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं, पेंशन अंशदान का प्रावधान एफआर–116 के परिशिष्ट 2 (ए) तथा एफआर एवं एसआर 117 में विनिर्धारित किए गए दरों के अनुसार भारत सरकार को देय है तथा इसे संबंधित वर्ष के व्यय में दिखाया जाता है। अवकाश नकदीकरण का प्रावधान वेतन के 11 प्रतिशत की दर से भुगतान योग्य हैं, जैसा कि एफआर–116 के परिशिष्ट 2 (बी) तथा एफआर एवं एस आर के 117 में विनिर्धारित किया गया है, इसे संबंधित वर्ष के व्यय में दिखाया जाता है।

बी) परिभाषित लाभ योजना

कंपनी द्वारा प्रायोजित परिभाषित लाभ योजना लाभ की उस राशि को परिभाषित करती है, जो किसी कर्मचारी को सेवा अवधि के संदर्भ में तथा लिए गए अंतिम वेतन के संदर्भ में सेवाओं के पूर्ण होने पर प्राप्त होगी। किसी लाभ का विधिक दायित्व समूह का होगा। समूह की परिभाषित लाभ योजनाओं में उपदान (ग्रेचुइटी) तथा भविष्य निधि के लिए उपलब्ध करवाई गई धनराशियां शामिल हैं।

(i) विलयित सीपीएफ विकल्पधारकों तथा एमटीएनएल में सीधे भर्ती कार्मिकों के लिए कंपनी, कंपनी द्वारा प्रशासित भविष्य निधि ट्रस्ट को अंशदान करती है, जिसको आयकर प्राधिकारी मान्यता देते हैं। नियोक्ता तथा कार्मिक, दोनों इस निधि में अंशदान देते हैं तथा ऐसे अंशदान और इन पर दिया जाने वाला ब्याज कर्मचारी को कंपनी से उनके अलग हो जाने अथवा सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, के समय देय होता है। ट्रस्ट के सदस्यों को देय ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित ब्याज दर से कम नहीं होता तथा ब्याज के कारण यदि कोई कमी आती है तो उसे कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा। तदनुसार इसे एक परिभाषित लाभ योजना के हिसाब में लिया गया है तथा निधि में किसी कमी को कंपनी की बहियों में खर्च के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) विलयित हुए सीपीएफ विकल्पधारकों तथा सीधे एमटीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कार्मिकों के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) की देयता का अनुमान बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर लगाया जाता है, जैसे कि रिपोर्ट करने की तारीख को परिभाषित लाभ बाध्यता (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य, उसमें से योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाकर, पहचाने न गए बीमांकिक लाभों अथवा हानियों के लिए समायोजन तथा पहले की सेवा लागतें। पूर्व अनुभव से तथा बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से होने वाले बीमांकिक अभिलाभों तथा हानियों को ओसीआई के विवरण में उस वर्ष क्रेडिट अथवा आरोपित किया जाता है, जिस वर्ष में ऐसे अभिलाभों अथवा हानियों का निर्धारण किया गया।

(iii) एमटीएनएल में विलयित संयुक्त सेवा पेंशन विकल्पधारक कर्मियों के लिए पेंशन लाभों जैसे पेंशन तथा उपदान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें वही धनराशि अपवाद जो एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के वेतनमानों में अंतर के कारण है तथा, जो अगले पारिश्रमिक संशोधन, जिस समय तक एमटीएनएल तथा बीएसएनएल वेतनमानों को समान स्तर पर ले आएंगे, तक एमटीएनएल द्वारा भारत सरकार को भुगतान योग्य है। इस संबंध में लागू रियायत दरों का प्रयोग करके दीर्घावधि प्रावधानों में रियायत दी गई है।

सी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

(i) एमटीएनएल के सभी कार्मिकों के छुट्टी नकदीकरण की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर हिसाब में लिया जाता हैं जो एक स्वतंत्र बीमा आकलनकर्ता (एक्चुरी) द्वारा रिपोर्ट की तारीख पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके किया जाता है। अनुभव समायोजन तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन

से होने वाले बीमांकिक लाभों तथा हानियों को उस वर्ष के लाभ तथा हानि के समेकित विवरण में दर्ज किया जाता है, जिस वर्ष ऐसे लाभ अथवा हानियां उत्पन्न होते हैं।

(ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि बीमा नीति को आवधिक आधार पर लिया जाता है तथा प्रीमियम संबंधित वर्ष में खर्च किया जाता है।

डी) अल्पावधि लाभों में कर्मचारी लागतें जैसे वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि, अल्पावधि क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थितियां शामिल हैं, जो उसी वर्ष प्रोद्भूत होती हैं, जिस वर्ष में समूह के कर्मचारियों ने संबंधित सेवाएं दी हैं।

ई) बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान उत्पादकता से जुड़े मापदंडों (पैरामीटर) के आधार पर किया गया है तथा तदनुसार यह उपलब्ध करवाया जाना होता हैं, बशर्ते कंपनी लाभ की स्थिति में हो।

lh½ mèkkj dh ykxr

उधार लेने की लागतें किसी परिसंपत्ति के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन के प्रत्यक्ष कारण हैं, जो आवश्यक रूप से पर्याप्त समयावधि लेता है जिसे इसके वांछित प्रयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने हेतु साधारणतया एक वर्ष माना जाता है। इन्हें परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। आगे 30 करोड़ तक की अनुमानित लागत की परियोजनाएं पूरा होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय ले लेती हैं। अन्य सभी उधार लागतें उसी अवधि में व्यय में दर्शायी जाती हैं जब वे उत्पन्न होती हैं तथा वित्तीय लागत में रिपोर्ट दी जाती है। उधार लागत में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल हैं जो किसी संस्था को निधियां उधार लेने के मामले में आती हैं। दीर्घावधि उधारियों के संबंध में लेन–देन लागतों को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके संबंधित ऋणों की परिपक्वता की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

Mh½ lifÙk l;= rFkk miLdj

पहचान तथा प्रारंभिक माप

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की अन्य मदों को संचयी मूल्यह्रास घटाकर आई लागत पर दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, उधारी की लागत, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे हो जाते हैं, शामिल हैं तथा परिसंपत्ति को इसके वांछित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में लाने के लिए आने वाली लागत पर सीधे आरोपणीय हैं। कोई व्यापार रियायत तथा छूटें खरीद मूल्य की गणना करते समय घटाए जाते हैं। परिसंपत्तियों, जहां तक उन्हें पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हों, जहां–कहीं लागू हो, को नीचे वर्णित तरीकों से पूंजीकृत किया जाता है।

i. भूमि का पूंजीकरण उसका कब्जा लेने के समय किया जाता है।

ii. भवन को उस सीमा तक पूंजीकृत किया जाता है, जहां तक वह प्रयोग के लिए तैयार है,

iii. उपकरण एवं संयंत्र, जिनमें मुख्य रूप से टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर और वातानुकूलन संयंत्र सम्मिलित हैं, एक्सचेंज के चालू होने पर पूंजीकृत कर दिए जाते हैं। उपभोक्ता संस्थापनों को तब पूंजीकृत किया जाता है, जब एक्सचेंज को चालू कर दिया जाता है तथा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया जाता है। मुख्य परिसंपत्तियां अर्थात् एडीएसएल, वीडीएसएल और एमईएस सीपीईएस, यूपीएस/बैटरी तथा उपभोक्ता टेलीफोन उपकरण की तुलना में महत्वपूर्ण लागत और/अथवा भिन्न लाभप्रद प्रयोग की अवधि वाले उपकरण एवं संयंत्रों में पहचाने जा सकने वाले घटकों को चालू करने और इस्तेमाल शुरू करने पर अलग से पूंजीकृत किया जाता है।

iv. लाइनों तथा तारों को, बिछा या लगाकर जैसे–जैसे उनको कार्य समाप्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है वैसे–वैसे उनको पूंजीकृत कर दिया जाता है।

v. केबलों को उस समय पूंजीकृत किया जाता है जब वे मुख्य प्रणाली में जोड़ने के लिए तैयार हो जाएं।

vi. वाहनों तथा अन्य परिसंपत्तियों को खरीदे जाने के समय पर पूंजीकृत किया जाता है।

(ए) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को उचित अंतरालों अर्थात् चक्रानुक्रम से प्रति 3 वर्ष में एक बार प्रबंधक वर्ग द्वारा सत्यापित किया जाता रहा है। भूमिगत केबलों का वास्तविक सत्यापन नेटवर्क के कार्य करने तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा दिए प्रमाण–पत्र सहित उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर किया जाता है।

(बी) परिसंपत्तियों, उपस्करों, यंत्रों को बदलने तथा उनके पुनर्स्थापन कार्य पर किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, यदि उसके परिणामस्वरूप भविष्य में एक वर्ष से अधिक के लिए आर्थिक लाभ अर्जन की संभावना हो।

(सी) परिसंपत्तियों को बेकार (स्क्रैप) घोषित किए जाने/काम से हटा देने पर उन्हें तब तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर में वर्गीकृत किया जाना जारी रखा जाता है, जब तक कि उन्हें 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वर्गीकृत नहीं कर दिया जाता तथा रखाव कीमत से न्यूनतर पर अथवा बिक्री की लागतें घटाकर उचित मूल्य पर नहीं लिया जाता। इसके परिणामस्वरूप यदि कोई हानि होती है तो उसे लाभ तथा हानि के समेकित विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

(डी) बड़े निरीक्षण की लागत को संयंत्र तथा उपस्कर की रखाव राशि में पहचाना जाता है, यदि इससे आर्थिक लाभार्जन की संभावना है तथा इसकी उपयोगी अवधि एक वर्ष से अधिक है।

(ई) संयंत्र तथा उपस्कर के महत्वपूर्ण अवयवों को बदलने पर अवयवों के ऐसे बदलाव की पहचान अलग–अलग परिसंपत्तियों के रूप में उनकी विशिष्ट उपयोगी अवधि के साथ की जाती है तथा मूल्यह्रास इस तरह दर्शाया जाता है कि मानो इन अवयवों को शुरू में एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में पहचाना गया हो।

(एफ) यदि संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद को आस्थगित भुगतान आधार पर अधिगृहीत किया जाता है, तो आस्थगित भुगतान में शामिल किए गए ब्याज खर्चों को ब्याज खर्च के रूप में पहचाना जाता है तथा परिसंपत्ति की लागत में शामिल नहीं किया जाता।

(जी) परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि की समाप्ति पर उसे कार्य से हटा देने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल कर लिया जाता है। कार्य से हटा देने के लिए समतुल्य राशि का प्रावधान भी किया जाता है।

(एच) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के निपटान से होने वाले लाभों अथवा हानियों का निर्धारण परिसंत्तियों के निपटान से प्राप्त राशियों तथा रखाव राशि के अंतर के रूप में किया जाता है तथा लाभ अथवा हानि के विवरण में निपटान की तिथि को 'अन्य आय' अथवा 'अन्य व्ययों', जैसा भी मामला हो, के रूप में पहचाना जाता है।

बाद की कार्रवाई

(ए) मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वस्तुओं के उपयोग की अवधि के आधार पर बताए गए तरीके से मूल कंपनी द्वारा सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है, केवल उपकरण और संयंत्र (टावर, ट्रांससीवर, स्विचिंग केंद्र, ट्रांसमिशन एवं अन्य नेटवर्क उपस्कर सहित) और मुख्य परिसंपत्तियों, सर्विस कनेक्शन के लिए मोबाइल हैंडसेट, कम लागत वाली एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा भवन की ढांचा संबंधी बड़े मरम्मत कार्यों की तुलना में महत्वपूर्ण लागत और/अथवा भिन्न लाभप्रद प्रयोग की अवधि वाले उपकरण एवं संयंत्रों में पहचाने जा सकने वाले घटकों को छोड़कर, जो इन परिसंपत्तियों के उपयोग की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मूल्यह्रासित की जाती हैं तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोग की अवधि से कम हैं। विदेशी सहायक कंपनी द्वारा स्ट्रेट लाइन पद्धति पर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद के प्रत्येक हिस्से की उपयोगी अवधि के अनुसार मूल्यह्रास किया जाता है। अनुमानित उपयोगी अवधि तथा अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है।

midj.k vkj l;= (टावर, ट्रांससीवर, स्विचिंग केंद्र, ट्रांसमिशन एवं अन्य नेटवर्क उपस्कर सहित) कार्यालय उपस्कर और केबल, जिनकी उपयोगी अवधि 10 वर्ष है, के अतिरिक्त कम उपयोगी अवधि वाली निम्नलिखित परिसपंत्तियों/घटकों के लिए:

ifjlaifÙk;ksa dk uke	ykHkizn mi;ksx dh vof/k ¼o"kZ½
1. 300 एएच क्षमता तक यूपीएस/बैटरी	4
2. 300 एएच क्षमता से अधिक यूपीएस/बैटरी	7
3. एडीएसएल, वीडीएसएल और एमईएस सीपीईएस	5
4. उपभोक्ता टेलीफोन उपकरण	5

कम उपयोगी अवधि वाली निम्नलिखित परिसंपत्तियों/अवयवों के अतिरिक्त dk;kZy; miLdj, जिनकी उपयोगी अवधि 5 वर्ष हैः–

ifjlaifÙk;ksa dk uke	ykHkizn mi;ksx dh vof/k ¼o"kZ½
5. सेवा कनेक्शन के लिए मोबाइल हैंडसेट	4

कम उपयोगी अवधि वाली निम्नलिखित परिसंपत्तियों/अवयवों के अलावा dscy के लिए, जिसकी उपयोगी अवधि 18 वर्ष हैः–

ifjlaifÙk;ksa dk uke	ykHkizn mi;ksx dh vof/k ¼o"kZ½
6. कम लागत वाली एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल	3

कम उपयोगी अवधि की निम्नलिखित परिसंपत्तियों/अवयवों के अलावा dk;kZy; Hkou rFkk ,Dlpsat, जिनकी उपयोगी समयावधि क्रमशः 60 तथा 30 वर्ष हैः–

ifjlaifÙk;ksa dk uke	ykHkizn mi;ksx dh vof/k ¼o"kZ½
7. अन्य (भवन की संरचना संबंधी मरम्मत का बड़ा कार्य)	7

0.05 लाख रुपये तक की कम मूल्य की परिसंपत्तियों को खरीद के वर्ष में ही शत–प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, उनको छोड़कर जोकि परियोजना का भाग हों और उपकरण एवं संयत्रों, प्रशिक्षण उपस्कर तथा परीक्षण उपस्कर के मामले में जिनकी लागत 0.10 लाख रुपये से कम हो और उसके अतिरिक्त ऐसे पृथक्करण (पार्टिशन) जिसे महत्वपूर्ण न माना गया हो, के मामले में 2.00 लाख रुपये से कम हो।

(बी) जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में कोई परिवर्धन किया गया है अथवा जहां कोई परिसंपत्ति बेची गई है, हटा दी गई है, तोड़–फोड़ दी गई है अथवा नष्ट कर दी गई है अथवा महत्वपूर्ण घटक बदल दिए गए हैं, ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए आनुपातिक आधार पर की जाती है, जिसमें परिसंपत्ति के ऐसे परिवर्धन, या जैसा भी मामला हो, की तारीख से उस तारीख तक, जब वह परिसंपत्ति बेची गई, हटा दी गई, ढहा दी गई अथवा नष्ट कर दी गई, उसकी विशिष्ट उपयोगी अवधि को भी शामिल किया जाता है।

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन पर, समूह ने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार मापे गये तथा 1 अप्रैल 2015 को पहचानी गई अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्र तथा उपस्कर के रखाव मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुना है तथा उस रखाव मूल्य को संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मानित लागत के रूप में रखने का चयन किया है।

¼bZ½ vewrZ ifjlaifÙk;ka

अमूर्त परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण की लागत पर तथा/अथवा संचयी परिशोधन घटाकर विकास की लागत पर बतायी जाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त परिसंपत्तियां उस समय पूंजीकृत की जाती हैं, जब वे उपयोग के लिए तैयार हों। सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को उनकी निश्चित उपयोगी अवधि के साथ अनुमानित उपयोगी अवधियों में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा यदि कोई ऐसा संकेत हो कि अमूर्त परिसंपत्ति का क्षरण हो सकता है तो संभावित क्षरण का आकलन कर लिया जाता है।

(ए) 3जी स्पैक्ट्रम के लिए एक बार के प्रारंभिक भुगतान से जिन अमूर्त पंरिसंपत्तियों को दर्शाया गया हैं, उन्हें लाइसेंस की अवधि अर्थात् 20 वर्ष में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

(बी) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है, जो 10 वर्ष मानी गई है।

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन पर समूह ने 1 अप्रैल 2015 को पहचानी गई तथा पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकंन सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार मापी गई अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य को जारी रखने तथा उस रखाव मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानित लागत के रूप में प्रयोग करने का चयन किया है।

,Q½ iÍ ¼yht½

ifjorZu ¼Vªkaft'ku½

कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 से भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टे' को अपनाया तथा संशोधित पूर्व प्रभावी तिथि विधि का प्रयोग करते हुए इस मानक को 1 अप्रैल 2019 को विद्यमान सभी पट्टा अनुबंधों पर लागू किया। समूह ने पट्टा देयता को पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर दर्ज किया है। जिसमें प्रारंभिक प्रयोग एवं परिसंपत्तियों को उनकी रखाव राशि पर प्रयोग के अधिकार की तिथि पर वृद्धिमान उधारी पर इस तरह बट्टागत किया गया है मानों इस मानक को शुरूआत की तिथि से लागू किया गया हो। पट्टा देयता तथा परिसंपत्ति के प्रयोग के बीच अंतर को 1 अप्रैल, 2019 को अपने पास रखे गए प्रारंभिक अर्जनों में समायोजन के रूप में दर्ज किया गया है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तथा अंतर में तुलनाओं को पूर्व प्रभाव से समायोजित नहीं किया गया है और इसलिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की हमारी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल की गई लेखांकन नीतियों के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाना जारी रहेंगे।

विवरण के लिए कृपया XX देखें।

,d iÍk/kkjd d : i e leg

समूह की पट्टा परिसंपत्ति श्रेणियों में प्रमुख रूप से बीटीएस साइटों, टावरों तथा भवनों के लिए पट्टे शामिल हैं, समूह आंकलन करता है कि क्या किसी संविदा में उसकी शुरूआत पर पट्टा शामिल है, कोई संविदा पट्टा कहलाती है या उसमें पट्टा शामिल है, यदि संविदा प्रतिफल के बदले कियसी समयावधि के लिए किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार की सूचना देती है, इस बात का आकलन करने के लिए, कि क्या कोई संविदा किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने की सूचना देती है, समूह आकलन करता है, कि क्याः

(i) संविदा में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति का प्रयोग समाहित है,

(ii) समूह को पट्टा की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से वस्तुतः सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तथा

(iii) समूह को परिसंपत्ति के प्रयोग को निदेशित करने का अधिकार है।

पट्टे की शुरूआत की तारीख पर समूह बारह महीने अथवा उससे कम अवधि के पट्टों (अल्पावधि पट्टों) तथा कम मूल्य के पट्टों को छोड़कर उप सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार तथा संबंधित पट्टा देयता की पहचान करता है। इन अल्पाधि कम मूल्य के पट्टों के लिए समूह पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधीरेखा आधार पर परिचालन खर्च के रूप में पहचानता है।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टों की आगे तक बढ़ाने अथवा उनकी अवधि समाप्त होने से पहले ही समाप्त करने का विकल्प होता है, परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार तथा पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल होते हैं, जब यह तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार प्रारंभिक रूप से लागत पर पहचाने जाते हैं, जिसमें पट्टे के शुरू होने की तारीख को अथवा उससे पहले किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों के लिए समायोजित की गई पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि

तथा कोई प्रारंभिक सीधी लागतें (कोई पट्टा प्रोत्साहन घटाकर) शामिल हैं। उन्हें बाद में संचयी मूल्यह्रास तथा क्षरण हानियों को घटाकर आई लागत पर मापा जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार शुरूआत की तिथि से पट्टे की कमतर अवधि तथा निहित परिसंपत्ति की उपयोगी समय अवधि में सीधी रेखा आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दरों का प्रयोग करके अथवा यदि वह तुरंत निश्चित न की जा सके तो इन पट्टों के अधिवास (डोमिसाइल) के देश की वृद्धिमान उधारी दरों का प्रयोग करके बट्टागत किया जाता है। पट्टा देयताओं को संबंधित परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के संबंधिति समायोजन के साथ पुनः मापा जाता है, यदि समूह अपने आकलनों में परिवर्तन करता है, कि क्या वह अवधि बढ़ाने के विकल्प का चयन करता है या समाप्त करने का।

,d iVVknkrk ds :i esa lewg

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी एक पट्टदाता है, वित्तीय अथवा परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जब कभी पट्टे की शर्तें स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों को वास्तविक रूप से पट्टाधारक को अंतरति कर देती हैं तो उस संविदा को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जब समूह एक मध्यवर्ती पट्टदाता होता है तो यह अपने हितों को शीर्ष पट्टा तथा उप पट्टों में अलग–अलग हिसाब में लेता है, उप पट्टा को शीर्ष पट्टा से उत्पन्न होने वाले परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार के संदर्भ में वित्तीय अथवा परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टों के लिए किराया आय को संबंधित पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर पहचाना जाता है।

th½ xSj&pkyw ifjlaifÙk;ka] ftUgsa fcØh rFkk vlrr ifjpkyuksa ds fy, j[kk x;k gS

कोई संस्था किसी गैर चालू परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए रखे गये रूप में वर्गीकृत करेगी, यदि उसकी रखाव राशि की वसूली सतत उपयोग के बजाए बिक्री सौदे के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा हुआ माना जाता है जब परिसंपत्ति इसकी वर्तमान दशा में तुरंत बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। इसमें केवल ऐसी शर्तें हैं, जो ऐसी परिसंपत्ति की बिक्री के लिए सामान्य तथा प्रचलित हों तथा उसकी बिक्री की बहुत अधिक संभावना हो। प्रबंधन बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर बिक्री पूर्ण हो जाने के रूप में पहचान के लिए योग्यता प्राप्त करने की संभावना होनी चाहिए।

गैर– चालू परिसंपत्तियां, जिन्हें बिक्री के लिए रखा गया, के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को अलग से प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकरण के ठीक पहले उनकी रखाव राशि से कम पर तथा बिक्री के लिए आने वाली लागतों को घटाकर उनके उचित मूल्य पर मापा जाता है। हालांकि बिक्री के लिए रखी गई कुछ परिसंपत्तियों जैसे कि वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा आस्थगित कर परिसंपत्तियों को समूह की परिसंपत्तियों के लिए संबंधित लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाना जारी है। एक बार बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत हो जाने पर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं हो सकता।

असतत परिचालनों को सतत परिचालनों के परिणामों में शामिल नहीं किया जाता एवं समेकित लाभ तथा हानि विवरणी में उन्हें असतत परिचालनों से कर–पश्चात लाभ अथवा हानि के रूप में एकल राशि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

,p½ fuos'k laifÙk

निवेश संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं, जो किराया अर्जित करने तथा/अथवा पूंजी को बढ़ाने के लिए रखी जाती हैं। (इसमें ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति भी शामिल है।) निवेश संपत्तियां शुरू में लागत पर मापी जाती हैं जिसमें लेन–देन लागतें भी शामिल हैं। प्रारंभिक पहचान के बाद निवेश संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर आयी लागत पर दर्शाया जाता हैं।

लागत को लिखने के लिए जमीन को छोड़कर निवेश संपत्तियों के अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को घटाकर मूल्यह्रास को सीधी रेखा आधार पर पहचाना जाता है।

एक निवेश संपत्ति का निपटान होने पर अथवा जब निवेश परिसंपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है तथा निपटान से किसी भी भावी आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती, तब उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। संपत्ति की मान्यता समाप्त करने पर होने वाले किसी अभिलाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की रखाव राशि के अंतर के रूप में परिगणित) को उस अवधि के लाभ अथवा हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें संपत्ति की मान्यता समाप्त की गई।

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन होने पर समूह ने 1 अप्रैल 2015 को पहचानी गई अपनी सभी निवेश संपत्तियों के रखाव मूल्य को जारी रखने का चयन किया है, जो पूर्ववर्ती लेखांकन के सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार मापे गए हैं तथा उस रखाव मूल्य को निवेश संपत्तियों की मानित लागत के रूप में उपयोग करने का चयन किया है।

vkb½ oLrq lwfp;k

वस्तु सूचियां, जिनमें भंडार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं, का मूल्यांकन लागत से नीचे तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है, हालांकि जिन वस्तु सूचियों को पूंजीगत उपभोग के लिए रखा गया हो, उन्हें लागत पर दर्शाया जाता है।

वस्तु सूचियों की लागत–

भंडारों तथा कलपुर्जों की लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

वसूली योग्य निवल मूल्य–

वसूली योग्य निवल मूल्य व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में वह अनुमानित विक्रय मूल्य है, जो किन्हीं लागू विक्रय खर्चों को घटाकर आता है।

पुरानेपन तथा धीमी गति से चलने वाली वस्तु सूची के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा ऐसी वस्तु सूचियों के निवल वसूली योग्य मूल्य के सर्वश्रेष्ठ आकलन के आधार पर किया जाता है।

t½ fons'kh eqæk varj.k&

विदेशी मुद्रा लेन–देन तथा शेष राशियां

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को उन लेन–देन की तारीखों को प्रचलित विनिमय दरों (स्पॉट विनिमय दर) का प्रयोग करके संबंधित समूह संस्था की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेन–देन के निपटान से तथा अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा के रूप में मौद्रिक मदों के पुनः मापन से होने वाले विदेशी विनिमय लाभों तथा हानियों को लाभ अथवा हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

गैर–मौद्रिक मदों को अवधि के अंत में पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता तथा उचित मूल्य पर मापी गई गैर–मौद्रिक मदें, जो उचित मूल्य निर्धारित किए जाने की तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके परिवर्तित की गई है, को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तारीख को विनिमय दरों के प्रयोग द्वारा परिवर्तित) पर मापी जाती हैं।

विदेशी परिचालन–

समूह के वित्तीय विवरणों में समूह संस्थाओं में भारतीय रूपये के अतिरिक्त अन्य कार्यात्मक मुद्राओं में दर्ज सभी परिसंपत्तियों, देयताओं तथा लेनदेनों को समेकित किए जाने के समय भारतीय रूपये में बदला जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समूह की संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा अपरिवर्तित रही है। समेकन पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को रिपोर्ट की तारीख को बंद दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है। विदेशी संस्था का अधिग्रहण करने

से होने वाले उचित मूल्य समायोजनों को विदेशी संस्था की परिसंपत्तियां तथा देयताएं माना गया है तथा बंद दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है। आय तथा खर्चों को रिपोर्ट की अवधि में औसत दर पर भारतीय रुपये में बदला गया है। विनिमय अंतरों को अन्य व्यापक आय में प्रभारित/जमा किया जाता है तथा इक्विटी में मुद्रा परिवर्तन आरक्षित कोष में पहचाना जाता है। किसी विदेशी परिचालन के निपटान पर इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी परिवर्तन अंतरों को लाभ एवं हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है तथा उन्हें निपटान होने पर अभिलाभ अथवा हानि के हिस्से के रूप में पहचाना जाता है।

d½ foÙkh; fy[kr

पहचान, प्रारंभिक माप तथा मान्यता समाप्त करना (डी रिकगनीशन)

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वितीय देयताओं को उस समय पहचाना जाता है, जब कंपनी वित्तीय लिखत के संविदा प्रावधानों का एक पक्ष बनता है तथा प्रारंभ में लेन देन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापी जाती हैं, इसमें अपवाद केवल नहीं हैं कि जो लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ली गई हो तथा जिन्हें प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं की उत्तरवर्ती माप निम्नानुसार हैः–

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब अमान्य किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से संविदा अधिकार तथा नकदी प्रवाह समाप्त हो जाता है अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति एवं सभी बड़े जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं। वित्तीय देयता तब अमान्य की जाती है, जब यह समाप्त कर दी गई हो, पूरी कर दी गई हो, रद्द कर दी गई हो या स्वयं समाप्त हो गई हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा उसके बाद की माप–

बाद की माप के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक पहचान के समय निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता हैः–

- परिशोधित लागत
- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल पर दर्शायी गई परिसंपत्तियों के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियां क्षरण के लिए कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा के अधीन है, जिससे यह पहचान हो सके कि क्या इस बात का कोई निष्पक्ष प्रमाण है कि किसी वित्तीय परिसंपत्ति अथवा वित्तीय परिसंपत्ति के समूह का क्षरण हुआ है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए क्षरण का निर्णय करने हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए जाते हैं जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

लाभ अथवा हानि विवरण में पहचाने गए वित्तीय परिसंपत्तियों संबंधी सभी आय एवं खर्चें वित्तीय लागत अथवा वित्तीय आय में दर्शाए गए हैं, सिवाय 'अन्य खर्चें' में दर्शाए गए व्यापार प्राप्यों के क्षरण को छोड़कर।

- परिशोधित लागत–

  किसी वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाएगा, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई होंः–

  ए) वित्तीय परिसंपत्ति को व्यावसायिक मॉडल के अंदर रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां रखना है; तथा

  बी) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों पर उन नकदी प्रवाहों को बढ़ावा देती है, जो बकाया मूलधन की राशि पर केवल मूलधन तथा ब्याज का भुगतान हैं।

कंपनी के नकदी तथा नकदी समतुल्य, व्यापार एवं कुछ अन्य प्राप्य वित्तीय लिखतों की इस श्रेणी में आते हैं।

संभावित ऋण हानियों के लिए हानि छूट को परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर पहचाना जाता है।

(i) mu nunkjk d fy, ftul igy n; ugh ekuk x;k g– पूरी समयावधि के लिए संभावित ऋण हानियों का आकलन तथा लेखांकन कंपनी की परंपरागत प्रतिपक्षी चूक (काउंटर पार्टी डिफॉल्ट) दरों तथा समष्टिगत–आर्थिक कारकों के पूर्वानुमान के आधार पर तथा ऐसे प्राप्यों, जो अनुमानित ऋण हानि का मूल्यांकन करने के लिए काउंटर पार्टी तथा अन्य हिस्सेदारी ऋण जोखिम विशेषताओं के खंड के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं माने जाते, से भाग देकर किया जाता है। फिर प्रत्येक पहचाने गए खंड के लिए संभावित ऋण हानि प्राक्कलन हाल ही के परंपरागत प्रतीपक्षी चूक दर के आधार पर किया जाता है।

(ii) mu nunkjk d fy,] ftul fiNyk n; ekuk x;k g– अलग–अलग महत्वपूर्ण प्राप्यों पर संभावित ऋण हानि के लिए किए गए प्रोद्भवन में किसी बढ़ोतरी को निम्न प्रकार से किया गया है:–

– गलत बिलों, उपभोक्ताओं (आईयूसी/रोमिंग/एमओयू से संबंधित करारों के अंतर्गत आने वाले प्रचालकों को छोड़कर) से विवादास्पद दावों तथा न्यायालय की कार्यवाही के कारण राजस्व की उगाही के निलंबित रहने के मामलों के लिए प्रावधान किया जाता है।

– लैंडलाइन सेवाओं के लिए – 1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक के बकाया देनदारों के लिए ईसीएल के आधार पर प्रावधान तथा 3 वर्ष से अधिक के संबंध में 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

– बंद हो चुके कनेक्शनों के लिए 3 वर्षो से अधिक के बकाया तथा उसके साथ 3 वर्षों तक के लिए व्याप्त (स्पिल ओवर) राशि के संबंध में प्रावधान किया जाता हैं।

– बेतार सेवाओं (जीएसएम तथा सीडीएमए)– के लिए 180 दिनों से अधिक बकाया देनदारों के लिए 100% प्रावधान किया जाता है।

- *एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां*

  एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जो परिशोधित लागत वर्गीकरण का मानदंड पूरा नहीं करती अथवा ऐसी इक्विटी लिखतें हैं, जो व्यापार के लिए रखी गई हैं अथवा जो कुछ शर्तें पूरी करती हैं तथा प्रारंभिक पहचान होने पर एफवीटीपीएल में नामित की जाती हैं। इस श्रेणी की परिसंपत्तियों को लाभ अथवा हानि के विवरण में पहचाने गए अभिलाभों अथवा हानियों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य सक्रिय बाजार सौदों के संदर्भ में अथवा जहां कोई सक्रिय बाजार विद्यमान न हो, वहां मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके निर्धारित किए जाते हैं।

- *एफवीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां–*

  एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियां या तो वे ऋण लिखतें है जिन्हें व्यवसाय मॉडल को प्राप्त करने तथा बेचने के लिए रोककर रखने के अन्तर्गत व्यवस्थित किया जाता है अथवा वे गैर–व्यापार इक्विटी लिखतें हैं, जिन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। अभिलाभों तथा हानियों को अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है तथा इक्विटी के अंदर एफवीओसीआई आरक्षित राशि के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। इसमें अपवाद यही है कि ब्याज तथा लाभांश आय, क्षरण हानियों तथा मौद्रिक परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा के अंतरों, जिन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाता है, इसमें शामिल नहीं है।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण तथा परवर्ती माप–

व्यापार के लिए रखी गई अथवा एफवीटीपीएल के रूप में नामित वित्तीय देयताओं, जिन्हें लाभ अथवा हानि के विवरण में पहचाने गए अभिलाभों अथवा हानियों के साथ बाद में उचित मूल्य पर लिया जाता हैं, को छोड़कर वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

सभी ब्याज संबंधी प्रभार तथा, यदि लागू हो, किसी लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन, जो लाभ अथवा हानि के विवरण में रिपोर्ट किए जाते हैं, वित्तीय लागतों अथवा वित्तीय आय में शामिल किए जाते हैं।

,e½ lgk;d dafu;ka] la;qä m|eka vkSj lg;ksfx;ksa esa fuos'k

आईएनडी एएस 27 'अलग वित्तीय विवरण' के अनुसार सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की इक्विटी लिखतों में निवेश को लागत के अनुसार कहा गया है।

,y½ vk;dj

लाभ अथवा हानि के विवरण में पहचाने गए कर खर्च में आस्थगित कर तथा चालू कर की वह राशि शामिल है, जो अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहचानी गई है।

चालू कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों पर विचार करके किया जाता है तथा विदेश में स्थित शाखाओं/कंपनियों में संबंधित कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित आय कर की गणना परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रखाव राशियों तथा उनके कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों पर देयता विधि से की जाती है। हालांकि आस्थगित कर किसी परिसंपत्ति अथवा देयता की प्रारंभिक पहचान पर तब तक प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि संबंधित लेन देन एक व्यवसाय युग्म न हो अथवा कर या लेखा लाभ को प्रभावित न करे। आस्थगित कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं कर की उन दरों को घटाए बिना परिगणित की जाती है जिनकी उनके भुनाए जाने की संबंधित अवधि में लागू होने की संभावना है, बशर्ते वह दरें रिपोर्ट की अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दी गई हों।

सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों या अप्रयुक्त कर क्रेडिट तथा अप्रयुक्त कर हानियों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) की पहचान उस सीमा तक की जाती है, जहां तक यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ प्राप्त होगा जिसमें कटौती योग्य अस्थायी अंतर तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट तथा अप्रयुक्त कर हानियों को अग्रेनीत उपयोग में लाया जा सकता है अथवा कर योग्य अस्थायी अंतरों की सीमा तक।

सहायक कंपनियों, शाखाओं तथा सहयोगी कंपनियों में निवेश से पैदा होने वाले कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में हित उस सीमा तक कि, तथा केवल उसी सीमा तक कि यह संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में उलटाव होगा तथा करयोग्य लाभ प्राप्त होगा जिसके लिए अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट की पहचान परिसंपत्ति के रूप में केवल तब और उसी सीमा तक की जाती है, जहां तक इस बात का विश्वसनीय प्रमाण हो कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान निर्धारित अवधि के अंदर कर देगी। जिस वर्ष में न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट परिसंपत्ति के रूप में पहचाने जाने के लिए पात्र होता है उस परिसंपत्ति को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में क्रेडिट के द्वारा सृजित किया जाता है तथा 'आस्थगित कर परिसंपत्ति' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

,u½ ver Z ifjlaifÙk;ka rFkk laifÙk] la;a= ,oa miLdj dk {kj.k ijh{k.k&

क्षरण आकलन के उद्देश्य के लिए परिसंपत्तियों को निम्नतम स्तरों पर बताया जाता है जिसके लिए अधिकतर स्वतंत्र नकदी अंतर्वाह (नकदी तैयार करने वाली इकाइयां) हैं। फलस्वरूप कुछ परिसंपत्तियों के क्षरण के लिए अलग से परीक्षण किया जाता है तथा कुछ का नकदी उत्पादक इकाई के स्तर पर परीक्षण किया जाता है।

अनिश्चित काल तक उपयोगी अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए कम से कम वार्षिक रूप से परीक्षण किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के लिए समूह प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर यह आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी परिसंपत्ति का क्षरण हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत है तो ऐसी परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य को इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि तक नीचे लाया जाता है तथा ऐसी क्षरण हानि की राशि को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में प्रभारित किया जाता हैं। तुलनपत्र की तारीख को यदि कोई ऐसा संकेत है कि पूर्व में आकलित क्षरण हानि अब विद्यमान नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनः आकलन किया जाता है, जो निपटान की लागतों तथा उपयोग मूल्य की लागत घटाकर उचित मूल्य से अधिक है तथा परिसंपत्ति को अधिकतम मूल्यह्रासित ऐतिहासिक लागत के अधीन वसूली योग्य राशि के द्वारा दर्शाया जाता है।

उपयोग में मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रबंधन नकदी उत्पन्न करने वाली प्रत्येक इकाई से अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है तथा इनकी उचित ब्याज दर निर्धारित करता है, जिससे उन नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य की गणना की जा सके। क्षरण परीक्षण प्रक्रियाओं में प्रयुक्त आंकड़े समूह के नवीनतम स्वीकृत बजट से सीधे जोड़ दिए गए हैं, जिन्हें भावी पुनर्गठनों तथा परिसंपत्ति वृद्धियों के प्रभावों को शामिल न करने के लिए आवश्यक रूप में समायोजित किया गया है। छूट कारक वर्तमान बाजार आंकलन तथा मुद्रा के आवधिक मूल्य और परिसंपत्ति विशेष के जोखिम कारकों का आकलन दर्शाते है।

vk½ iko/kku] vkdfLed n;rk, rFkk vkdfLed ifjlifÙk;k&

किसी प्रावधान की पहचान तब की जाती है जब किसी पुरानी घटना के फलस्वरूप कंपनी के पास कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो तथा यह संभावना है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी तथा राशियों का अनुमान विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। बहिर्गमन का समय अथवा राशि अभी भी अनिश्चित हो सकते हैं।

प्रावधानों की माप वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित अनुमानित व्यय पर की जाती है जो वर्तमान बाध्यताओं के साथ संबद्ध जोखिमों तथा अनिश्चितताओं सहित रिपोर्ट की तारीख पर उपलब्ध सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाण पर आधारित है। जहां ऐसी कई बाध्यताएं हैं, वहां इस बात की संभावना है कि निपटान में बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े जिसका निर्धारण बाध्यताओं के पूरे वर्ग पर विचार करके किया जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों में छूट दी जाती है जहां मुद्रा के आवधिक मूल्य का महत्व है।

उन मामलों में, जहां वर्तमान बाध्यताओं के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का संभावित बहिर्गमन संभावित नहीं माना जाता अथवा सुदूर माना जाता है, वहां कोई देयता नहीं पहचानी जाती अथवा प्रकटन नहीं किया जाता।

जब यह संभावित न हो कि बाध्यता का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी अथवा राशि का अनुमान विश्वसनीय ढंग से न लगाया जा सके तो आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है, यदि वर्तमान बाध्यता भूतकाल की घटनाओं से उत्पन्न होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती। हालांकि जब आर्थिक लाभों का अन्तर्वाह (इनफ्लो) संभावित होता है, तो संबंधित परिसंपत्ति का प्रकटीकरण किया जाता है।

ih½ ljdkjh vunku

सरकारी अनुदानों की पहचान तब की जाती है, यदि यह पर्याप्त रूप से निश्चित हो जाए कि सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहायता से जुड़ी शर्तें पूरी कर दी गई हैं। जहां अनुदान किसी विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित हो, वहां इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है तथा परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगी अवधि में परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदान व्यापक आय के समेकित विवरण में पहचाने जाते हैं, जो उन खर्चों के समवर्ती होते हैं, जिनके लिए ऐसे अनुदान होते हैं/जिनसे संबंधित होते हैं।

जहां कंपनी गैर–मौद्रिक अनुदान प्राप्त करता है, वहाँ परिसंपत्ति तथा अनुदान को उचित राशियों में सकल के रूप में दर्ज किया जाता है तथा मूल परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगी अवधि तथा उसके लाभ उपभोग के स्वरूप में लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अवमुक्त किया जाता है।

D;½ udnh ,o udnh lerY;&

नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल है, हाथ में नकदी तथा मांग जमा तथा साथ ही अल्पावधि के अत्यधिक चलनिधि के ऐसे निवेश (मूल परिपक्वता 3 माह से कम), जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनीय तथा मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

vkj½ iol o"kk d lc/k e lek;ktu

पूर्व वर्षों में सेवाओं से प्राप्त आय तथा अन्य आय का 1.00 लाख रुपये तक के प्रत्येक एकल सौदे के लिए पूर्वाविधि मदों के रूप में प्रकटीकरण नहीं किया गया है। इसी प्रकार 1.00 लाख रु. तक के प्रत्येक एकल लेन–देन के लिए व्यय की मदों को चालू वर्ष में व्यय माना गया है।

पूर्व अवधि की आय (परिचालन आय तथा अन्य आय सहित) की अन्य मदों तथा व्यय के संबंध में अपने पास रखे गए उपार्जनों पर जिसका प्रभाव कुल कारोबार के 1% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय माना गया है।

,l½ bfDoVh] vkjf{kr fuf/k rFkk ykHkka'k Hkqxrku&

शेयर पूंजी उन शेयरों का अंकित मूल्य दर्शाती है, जो निर्गमित किए जा चुके हैं। शेयर प्रीमियम में वे प्रीमियम शामिल हैं, जो शेयर पूंजी के निर्गमित होने के समय प्राप्त किए गए थे। शेयरों के निर्गम से जुड़ी हुई कोई लेन–देन लागत शेयर प्रीमियम खाते, किसी संबंधित आयकर लाभ के निवल में से घटाई जाती है।

इक्विटी के अन्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैः

- परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन– में जनसांख्यिकीय तथा वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन तथा योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल से बीमांकिक अभिलाभ अथवा हानि शामिल है।
- आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधि
- अनुसंधान तथा विकास के लिए आरक्षित निधि
- ऋण पत्र मोचन के लिए आरक्षित निधि
- सामान्य आरक्षित निधि
- अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से दर्ज किए गए अन्य लेन–देन

अपने पास रखे गए उपार्जनों में सभी चालू तथा पूर्व अवधि के रखे गए लाभ शामिल हैं। मूल कंपनी के स्वामियों के साथ सभी लेन–देनों को इक्विटी के अंदर अलग से दर्ज किया जाता है। जब लाभांश रिपोर्ट की तारीख से पहले आम बैठक में स्वीकृत किए गए हों तो इक्विटी शेयर धारकों को भुगतान योग्य लाभांश वितरण अन्य देयताओं में शामिल किए जाते हैं।

tkjh fd, x, ys[kkekud tks vHkh iHkkoh ugh gA

निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने वर्तमान मानकों में संशोधन अथवा नए मानक अधिसूचित किए हैं। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 01 अप्रैल, 2020 से लागू होती है।

ys[kkdu uhfr;ka dk ykxw djus dk fy, icU/ku }kjk fy, x, egRoi.kl fu.kl; vkj ikDdyuk dh vfuf'prrk

कंपनी के एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षा है कि वह वर्ष के अंत में निर्णय करें, प्राक्कलन तैयार करे और धारणाएं बनाए जो राजस्व की रिपोर्ट की गई राशि, खर्चों, परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रभावित करती हैं और रिपोर्टिंग अवधि कें अंत में आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण करें। हालांकि इन धारणाओं और प्राक्कलनों की अनिश्चितता से आगे आने वाली अवधि में परिसंपत्तियों अथवा देयताओं की रखाव राशि में महत्वपूर्ण समायोजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय (जजमेंट)

समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने के किए प्रबंधन के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं, जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

vkLFkfxr dj ifjlaifÙk;ksa dh igpku– किस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जा सकती है वह कंपनी की भविष्य में कर योग्य आय की संभाव्यता के आकलन पर आधारित हैं जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कर अधिकार क्षेत्रों में किसी भी कानूनी अथवा आर्थिक सीमा अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है।

ifjlaifÙk;ksa ds {kj.k ds ladsrdksa dk ewY;kadu– परिसंपत्तियों के क्षरण के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों के आकलन की आवश्यकता है जिनके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

iÍk vof/k ¼yht Ve½ dk ewY;kadu– पट्टा अवधि (लीज टर्म) में तर्कसंगत रूप से निश्चित ही प्रयोग किए जाने वाले विस्तार विकल्पों और तर्कसंगत रूप से निश्चित ही प्रयोग न किए जाने वाले समाप्ति विकल्पों सहित लीज की गैर निरस्त योग्य अवधि शामिल है। विस्तार विकल्पों और समाप्ति विकल्पों का युक्तिगसंगत प्रयोग निश्चित ही किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, के मूल्यांकन में लीज को समाप्त करने अथवा उसके विस्तार के आर्थिक प्रोत्साहनों पर आधारित प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

lfØ;.k vkSj laLFkkiu 'kqYd– कंपनी को नए उपभोक्ताओं से सक्रियण और संस्थापन शुल्क की प्राप्ति होती है। उपभोक्ता के साथ संबंध की अवधि के अनुसार ही सीधे आरोप्य लागतों के साथ इन शुल्कों को अनुमानित अवधि में परिशोधित किया जाता है। उपभोक्ता के साथ संबंधों की अवधि की आवधिक समीक्षा की जाती है। संबंधों की अनुमानित अवधि सिद्धांततः उपभोक्ता आधार की औसत आर्थिक संबंध अवधि के विषय में प्रबंधन के पक्ष को दर्शाती है, जिसका निर्धारण प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के संदर्भ में किया जाता है जो प्रतिष्ठान की उपभोक्ता संबंध अवधि को सुनिश्चित करने के लिए जोड़े जाते हैं। इन केपीआई में परिवर्तन अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन और परिशोधन आय/प्रभार में वृद्धि/कमी की ओर संकेत करते हैं। समूह का मत है कि इन केपीआई में परिवर्तन से वित्तीय विवरण पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा।

vfxzeksa@izkI; jkf'k;ksa dh olwyh– प्रबंधन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर, संबंधित प्रतिपक्षकारों के साथ चर्चाओं और उनकी ऋण पात्रता के आंतरिक आकलन के आधार पर बकाया प्राप्यों और अग्रिमों की वसूली का आकलन करता है। इस प्रकार के आकलन के लिए प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति, बाजार की जानकारी और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

ifjlaifÙk;ksa vkSj ns;rkvksa dk oxhZdj.k pkyw vkSj xSj&pkyw :i esa– प्रबंधन परिसंपत्तियों और देयताओं को परिसंपत्तियों की वसूली के समय अथवा देयताओं के संविदात्मक निपटान के समय की अपनी अपेक्षाओं के आधार पर चालू और गैर–चालू श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।

ifjlaifÙk;ksa dk {kj.k– क्षरण का आकलन करने में, प्रबंधन प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों के आधार पर प्रत्येक परिसंपत्ति अथवा नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई (गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में) की वसूली योग्य राशियों का आकलन करता है और उन्हें छूट देने के लिए एक ब्याज दर का उपयोग करता है। अनुमानित अनिश्चितता भावी नकदी प्रवाहों के बारे में धारणाओं और उचित छूट दर के निर्धारण से संबंधित है।

vo{k;h@ifj'kks/; ifjlaifÙk;ksa ¼ewrZ vkSj vewrZ½ dk mi;ksxh dky– प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर अवक्षयी/परिशोध्य परिसंपत्तियों के उपयोगी काल के अपने

अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी और आर्थिक पुरानापन से जुड़ी हैं जो कुछ सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता संबंधों, आईटी उपस्करों और अन्य संयंत्र एवं उपस्कर की उपयोगिता को बदल सकती है।

eky lfp;k– प्रबंधन मालसूचियों की लागत का अनुमान लगाता है, जिसमें उत्पादन इत्यादि की वास्तविक लागत सहित उपलब्ध सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण को ध्यान में रखते हुए ऐसी मालसूचियों के उत्पादन के लिए आरोप्य माने गये सामान की लागत तथा उपरिव्यय शामिल है। प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उपलब्ध सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण को ध्यान में रखकर मालसूचियों के निवल वसूली योग्य मूल्यों का भी अनुमान लगाता है। इन मालसूचियों की भावी वसूली भावी प्रौद्योगिकी अथवा उन अन्य बाजार संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है, जो भावी विक्रय मूल्यों को कम कर सकते हैं।

ifjHkkf"kr fgrykHk nkf;Ro ¼Mhchvks½– परिभाषित हितलाभ दायित्व के विषय में प्रबंधन का अनुमान मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत रुझान, मृत्युदर, छूट दर और भावी वेतन वृद्धियों की प्रत्याशा जैसी कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं पर आधारित है। इन धारणाओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित हितलाभ खर्चों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

mfpr ewY; ekiu– प्रबंधन वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे अनुमान और धारणाएं विकसित करना शामिल हैं जो इसके अनुरूप हों कि कैसे बाजार प्रतिभागी लिखत की कीमत तय करेंगे। प्रबंधन जहां तक संभव हो, तथ्यात्मक आंकड़ों को अपनी धारणाओं का आधार बनाता है किन्तु यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर निष्पक्ष लेनदेन से प्राप्त किए जाएंगे।

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM

31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds lefdr foÙkh; fooj.kksa ij fVIif.k;ka

4- lEifÙk] la;= rFkk miLdj ¼#i;s djksM+ esa½

foojk	i.k LokfeRo okyh Hkfe	iÍs okyh Hkfe	Hkou	iÍs ij ifjlj	ykbu rFkk rkj	dcy	midj.k rFkk la;=	okgu	Quhpj rFkk fQDlpj	dk;kZy; e'khujh rFkk miLdj	fo|qr midj.k	dI;Vj	jí@gVkbZ xbZ ifjlEifÙk;ka	dqy
ldy j[kko eY;														
01 अप्रैल 2018 को	18.79	363.29	1,895.78	6.53	165.13	7,797.88	10,119.00	156.80	312.46	23.20	37.82	154.53	44.80	21,096.01
परिवर्धन	-	0.06	28.99	-	9.05	64.28	201.14	0.26	0.98	-	0.08	1.97	12.80	319.62
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन^	(0.01)	(0.07)	(3.65)	-	-	(0.13)	(1.87)	(0.00)	(0.00)	(0.17)	(0.02)	0.01	(11.93)	(17.83)
विनिमय अंतर	-	-	(0.79)	-	-	-	(22.60)	(0.02)	(0.93)	(2.07)	(0.03)	(1.73)	(0.18)	(28.36)
निपटान	**18.79**	**363.28**	**1,920.32**	**6.53**	**174.18**	**7,862.03**	**10,295.67**	**157.04**	**312.52**	**20.97**	**37.84**	**154.79**	**45.49**	**21,369.45**
31 ekpZ 2019 dks	0.03	-	20.99	-	3.19	30.05	63.59	0.15	0.15	0.08	0.02	2.75	4.29	125.28
परिवर्धन														-
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां	(0.29)	(363.28)	(5.66)	(6.53)	-	-	(0.53)	-	-	0.00	(0.00)	-	(0.00)	(376.30)
समायोजन^	-	-	(1.93)	-	-	-	(54.20)	(0.47)	(2.60)	(0.79)	(0.36)	(1.24)	(0.90)	(62.50)
विनिमय अंतर	**18.52**	**-**	**1,933.72**	**-**	**177.36**	**7,892.08**	**10,304.52**	**156.72**	**310.07**	**20.27**	**37.49**	**156.29**	**48.87**	**21,055.92**
निपटान														
31 ekpZ 2020 dks	-	69.98	1,020.85	2.01	98.96	6,511.26	8,181.32	144.54	294.16	21.60	35.71	140.46	-	16,520.86
संचित मूल्यह्रास	-	3.81	76.30	0.14	5.33	137.33	416.67	1.93	1.49	0.21	0.21	2.20	-	645.61
01 अप्रैल 2018 को	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
वर्ष के लिए प्रभार	-	(0.03)	(3.22)	-	0.22	0.15	(23.56)	(0.02)	(0.88)	(2.13)	(0.05)	(1.29)	-	(30.81)
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन^	**-**	**73.76**	**1,093.94**	**2.15**	**104.50**	**6,648.73**	**8,574.44**	**146.45**	**294.77**	**19.68**	**35.87**	**141.36**	**-**	**17,135.67**
विनिमय अंतर	-	-	74.99	-	5.52	124.88	362.03	1.39	1.19	0.07	0.15	1.78	-	571.99
31 ekpZ 2019 dks														-
वर्ष के लिए प्रभार	-	(73.76)	(6.88)	(2.15)	(0.00)	(1.34)	(49.50)	(0.45)	(2.47)	(0.74)	(0.35)	(1.06)	-	(138.69)
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन^	**-**	**-**	**1,162.05**	**-**	**110.02**	**6,772.27**	**8,886.97**	**147.39**	**293.50**	**19.01**	**35.68**	**142.09**	**-**	**17,568.96**
क्षरण हानि	**18.79**	**289.52**	**826.39**	**4.38**	**69.67**	**1,213.30**	**1,721.23**	**10.58**	**17.75**	**1.28**	**1.97**	**13.42**	**45.49**	**4,233.78**
विनिमय अंतर	**18.52**	**-**	**771.67**	**-**	**67.35**	**1,119.81**	**1,417.55**	**9.33**	**16.58**	**1.26**	**1.81**	**14.21**	**48.87**	**3,486.96**
31 ekpZ 2020 dks	**-**	**0.00**	**1,165.86**	**-**	**110.01**	**6,772.27**	**9,042.58**	**21.42**	**146.92**	**35.44**	**141.17**	**295.73**	**-**	**17,731.39**
01 vizSy 2019 dks fuoy Cykd	**18.79**	**289.51**	**837.92**	**4.38**	**69.68**	**1,213.29**	**1,804.05**	**1.85**	**11.31**	**2.02**	**13.43**	**17.83**	**45.49**	**4,329.56**
31 ekpZ 2020 dks fuoy Cykd	**18.52**	**0.00**	**782.13**	**-**	**67.36**	**1,119.80**	**1,498.20**	**0.39**	**10.10**	**1.84**	**13.30**	**18.62**	**48.86**	**3,579.11**

^समायोजन में निवेश परिसंपत्तियों को/से अंतरण शामिल है।

fVIi.kh%

(i) lafonkRed nkf;Ro

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के प्रकटन के लिए वचनबद्धताओं के प्रकटन हेतु टिप्पणी 55 देखें।

(ii) लाभ तथा हानि विवरण में 'मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय' के मद में वर्ष के मूल्यह्रास को शामिल किया गया है।

(iii) वर्ष के दौरान परिवर्धन के अंतर्गत मूल्य अंतर, प्रभाव विस्तार लागत आदि के कारण समायोजन शामिल है, वर्ष के दौरान जिसकी पहचान वर्तमान संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संबंध में की गई है।

5- pkyw iwathxr dk;Z

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
भवन	34.22	24.18
उपकरण तथा संयंत्र	170.90	174.51
लाइन तथा तारें	2.23	3.04
केबल	33.17	33.15
उपभोक्ता के संस्थापन	10.27	11.92
वातानुकूलन संयंत्र	31.17	20.23
अन्य	75.52	84.19
	357.48	351.22
घटाया : निम्नलिखित के लिए प्रावधान–		
परित्यक्त कार्य	(1.10)	(1.10)
अन्य	(28.28)	(30.08)
	328.08	320.04

चालू पूंजीगत कार्य में उतार–चढ़ावः

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	jkf'k
01 अप्रैल 2018 को चालू पूंजीगत कार्य	330.98
जोड़ाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	346.70
घटायाः वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(373.70)
घटायाः परित्यक्त कार्य के लिए प्रत्यावर्तन/(प्रावधान)	16.06
31 मार्च 2019 को चालू पूंजीगत कार्य	320.04
जोड़ाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	141.77
घटायाः वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(126.86)
घटायाः परित्यक्त कार्य का (प्रत्यावर्तन)/प्रावधान	(6.87)
31 ekpZ 2020 dks pkyw iwathxr dk;Z	328.08

टिप्पणी :

(i) पूंजीकृत उधार लागत

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत 4.11 करोड़ रुपए थी (31 मार्च 2019 को शून्य थी)।

(ii) संविदागत बाध्यताएं

संविदागत प्रतिबद्धता के प्रकटन के लिए टिप्पणी 51 देखें।

(iii) वर्ष के दौरान पूंजीगत खर्चों की प्रकृति

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
वेतन एवं अन्य कर्मचारी लागत	90.85	165.43
वित्त लागत	-	-
प्रशासनिक लागतें	-	0.02
dqy	**90.85**	**165.45**

6- ifjlaifÙk;ksa ds iz;ksx dk vf/kdkj ¼jkbV vkWQ ;wt ,lsV½

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	iÍk Hkwfe	Hkou	Vkoj	okgu	dqy
ldy j[kko ewY;					
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-	-
भारतीय लेखा मानक 116 में जाने पर प्रारंभिक शेष	-	26.75	242.80	0.86	270.41
जोड़े गए/अंदर अंतरित किए गए	363.84	-	6.67	-	370.51
घटाए गए/बाहर अंतरित किए गए	(1.06)	-	(0.45)	-	(1.51)
31 ekpZ 2020 dks	**362.77**	**26.75**	**249.03**	**0.86**	**639.41**
lafpr ewY;gzkl					
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-	-
भारतीय लेखा मानक 116 में जाने पर पीपीई से अंतरित	73.76	-	-	-	73.76
निवेश संपत्ति में अंतरित	(0.41)	-	-	-	(0.41)
वर्ष के लिए प्रभार	3.80	9.00	49.82	0.27	62.89
31 ekpZ 2019 dks	**77.15**	**9.00**	**49.82**	**0.27**	**136.24**
31 ekpZ 2020 dks fuoy Cykd	**285.62**	**17.75**	**199.20**	**0.59**	**503.16**

पट्टों पर अधिक जानकारी के लिए नोट 52 का संदर्भ लें।

7- fuo'k lifÙk

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	ldy Cykd					lfpr eYgkl					fuoy Cykd	fuoy Cykd
	01 vily 2018	ifjoèku	fuiVku@ lek;kstu^	fofue; vrj	31 ekpl 2019	01 vily 2018	'kYd	fuiVku@ lek;kstu^	fofue; vrj	31 ekpl 2019	31 ekpl 2019	01 vily 2018
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.25	0.01	-	0.26	-	-	-	-	0.26	0.25	0.26	0.25
पट्टे वाली भूमि	8.43	0.07	-	8.51	2.26	0.10	0.03	2.39	6.12	6.17	6.11	6.17
भवन	32.90	3.90	(0.25)	36.55	13.75	0.97	2.47	17.19	19.36	19.15	28.59	28.94
dly	41.58	3.98	(0.25)	45.31	16.01	1.07	2.50	19.57	25.74	25.58	**34.96**	**35.37**

fooj.k	ldy Cykd					lfpr eYgkl					fuoy Cykd	fuoy Cykd
	01 vily 2019	ifjoèku	fuiVku@ lek;kstu^	fofue; vrj	31 ekpl 2020	01 vily 2019	'kYd	fuiVku@ lek;kstu^	fofue; vrj	31 ekpl 2020	31 ekpl 2020	01 vily 2019
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.26	0.29	-	0.56	-	-	-	-	0.56	0.26	0.56	0.26
पट्टे वाली भूमि	8.51	1.06	-	9.57	2.39	0.12	0.41	2.91	6.66	6.12	6.65	6.11
भवन	36.55	11.15	-	47.69	17.19	1.23	5.06	23.48	24.21	19.36	32.59	28.59
dly	45.31	12.51	-	57.82	19.57	1.35	5.47	26.39	31.43	25.74	**39.80**	**34.96**

^निपटान/समायोजन में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अंतरण से/को शामिल हैं।

(i) fuo'k lifÙk;k dk fy, jkf'k dh igpku ykHk rFkk gkfu e dh xbl gA (रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020 dk	31 ekpl 2019 dk
किराये से आय	296.37	325.52
प्रत्यक्ष परिचालन खर्चे, जिनसे किराया आय तैयार हुई*	-	-
प्रत्यक्ष परिचालन खर्चे, जिससे किराया आय तैयार नहीं हुई*	-	-
निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	296.37	325.52

*निवेश संपत्तियों के कारण प्रत्यक्ष परिचालन खर्चों को विशेष रूप से संपत्तियों के साथ नहीं पहचाना जा सकता, यद्यपि प्रबंधन उनके महत्वपूर्ण होने की आशा नहीं करता।

(ii) पट्टे की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्तियां मासिक देय किराए पर दीर्घावधि परिचालन पट्टे के तहत पट्टाधारकों को पट्टे पर दी गई हैं। तथापि, सभी पट्टे पट्टे दारों के विकल्प पर निरस्त किए जा सकते हैं, अतः भारतीय लेखा मानक 17 'पट्टे' द्वारा अपेक्षित, किसी भी पट्टे का प्रकटन नहीं दिया गया है।

(iii) निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य (रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpl 2020 dk	31 ekpl 2019 dk
उचित मूल्य	3,587.15	3,287.21

समूह उचित मूल्यों की वार्षिक समीक्षा करता है। उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित कारकों को माना जाता हैं:–

(ए) पट्टे पर दी गई संपत्तियां–ये भूमि संपत्तियां एमटीएनएल को सरकार की ओर से व्यापार के परिचालन कार्यों के लिए स्थायी पट्टे पर आबंटित की गई है। समूह इन सुविधाओं के उपयोग की निरंतर समीक्षा करती है और जिन परिसंपत्तियों का आधिक्य है, उन्हें किराए पर देकर आय अर्जित करने के लिए सोच–विचार किया जाता है। संपत्ति पट्टे पर होने के नाते समूह पर उसे सक्रिय बाजार में बेचने पर प्रतिबंध है, तथापि, ऐसी संपत्तियों को सर्किल दरों, जिस पर सरकार (अथवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय) ऐसी संपत्तियों को सक्रिय बाजार में बेच सकती है, पर पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे रिपोर्ट की तारीख पर संपत्ति के उचित मूल्य के रूप में माना जाता है।

(बी) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमिः सर्किल दरों को उचित मूल्य के रूप में माना जाता है जिस पर ऐसी संपत्तियों को सक्रिय बाजार में बेचा जा सकता है।

(सी) भवन– निर्मित भवन के मामले में, निर्माण की लागत को वर्तमान दिन के कीमत सूचकांक के साथ समायोजित करके मूल्यांकन के आधार के रूप में लिया गया है। भवन की नियत अवधि और उसकी उपयोगी शेष अवधि के लिए आवश्यक मूल्यह्रास को लेखे में लिया गया है।

8- ver ifjlifÙk;k

(रुपये करोड़ में)

	lk¶Vo;j	,de'r LiDVe 'kYd	dqy
ldy j[kko eY;			
1 अप्रैल, 2018 को	133.25	6,564.00	6,697.25
परिवर्धन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 ekp] 2019 dk 'k"k	**133.25**	**6,564.00**	**6,697.25**
परिवर्धन	0.03	-	0.03
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 ekp] 2020 dk 'k"k	**133.28**	**6,564.00**	**6,697.28**

lfpr ifj'kksku			
1 अप्रैल, 2018 को	**91.33**	**3,166.65**	**3,257.98**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	8.82	328.20	337.02
समायोजन	0.80	(0.46)	0.34
31 ekp] 2019 dk 'k"k	**100.95**	**3,494.39**	**3,595.35**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	7.52	328.20	335.72
समायोजन	-	-	-
31 ekp] 2020 dk 'k"k	**108.47**	**3,822.59**	**3,931.07**
1 vily 2019 dk fuoy cgh eY;	**32.29**	**3,069.61**	**3,101.90**
31 ekp 2020 dk fuoy cgh eY;	**24.81**	**2,741.41**	**2,766.21**

टिप्पणियां:

(i) संविदागत दायित्व

अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए संविदागत प्रतिबद्धताओं के प्रकटन हेतु टिप्पणी 51 देखें।

(ii) वर्ष के लिए परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में ''मूल्यह्रास और परिशोधन खर्चें'' की व्यवसाय मद में शामिल किया गया है।

(iii) चालू एवं तुलनात्मक वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कोई खर्च नहीं किया गया।

9- x|j pky| fuo'k

(रुपये करोड़ में)

	'k;jk dh l[;k		jkf'k	
	31 ekp 2020	31 ekp 2019	31 ekp 2020	31 ekp 2019
bfDoVh fy[kr e				
सहायक कंपनियों में (अनउद्धृत)				
मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (अंकित मूल्य रु 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त)	2,875,880	2,875,880	2.88	2.88
महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड	572,264,029	572,264,029	100.97	100.97
mi&;kx ¼,½			**103.85**	**103.85**
l;Dr m|ek e ¼vumnek'r½				
एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (अंकित मूल्य रु 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त)	2,282,000	2,282,000	2.28	2.28
उप योग (बी)			**2.28**	**2.28**
dy xj&pky fuo'k ¼,$ch½			**106.13**	**106.13**
अनउद्धृत निवेश की समग्र राशि			106.13	106.13

टिप्पणी

(ए) सहायक, सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश को भारतीय लेखा मानक–27 'पृथक वित्तीय विवरण' के अनुसार लागत पर दिखाया गया है।

(बी) एमटीएनएल, टीसीआईएल, टीसीएल तथा एनवीपीएल (नेपाल) के मध्य हुए संशोधनात्मक समझौते (संशोधित समझौता के रूप में समग्र रूप से संदर्भित) के पैरा संख्या 27 के शेयरधारकों के समझौते के अनुच्छेद 12.19 (बी) के अनुसार, यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) में उनके निवेश के अनुसरण में 'निवेशकों' के रूप में समग्र रूप से संदर्भित, यदि एनवीपीएल (नेपाल में स्थानीय साझेदार) अपने हित किसी तृतीय पार्टी को बेचने का निर्णय लेता है, तो इसे अन्य निवेशकों से पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे समय में, समझौते के विद्यमान खंड के अनुसार, एनवीपीएल के अतिरिक्त कोई भी अन्य निवेशक 3 माह का नोटिस जारी करके संशोधित समझौते से 2 वर्ष के पश्चात् बाहर जा सकता है। इस खंड के अनुसरण में, कंपनी ने यूटीएल को बाहर जाने के लिए दिनांक 30 जनवरी, 2018 को नोटिस जारी किया। यह नोटिस 30 अप्रैल 2018 तक मान्य है तथा 30 अप्रैल 2018 के पश्चात् स्थानीय साझेदार ने आगे तीन महीनों अर्थात् 30 जुलाई 2018 तक का समय विस्तार मांगा हैं। तदनुसार ऐसे निवेश को 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण में बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेपाल में भारतीय एफडीआई का प्रत्यावर्तन नेपाल सरकार के विभाग के अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है तथा नेपाल सरकार द्वारा इसे अभी अनुमोदित किया जाना है। एनटीएनएल ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए मामले को दूरसंचार विभाग के माध्यम से नेपाल में भारत के राजदूत के साथ उठाया है ताकि यूटीएल में निवेश की गई राशि को एमटीएनएल को वापस भेजने में सुविधा हो सके। विवरण हेतु टिप्पणी संख्या 21 का संदर्भ लें।

10- _.k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekp 2020 x|j&pky	31 ekp 2019 x|j&pky
tekurh] 'kkè; eku x,		
कर्मचारियों को ऋण	5.41	9.29
x|j tekurh] 'kkè; eku x,		
अन्य विभागों के पास प्रतिभूति जमा	196.93	160.97
दूरसंचार विभाग से प्राप्य राशि	-	21.77
_.k {kj.k		
अन्य विभागों के पास प्रतिभूति जमा	2.23	11.51
दूरसंचार विभाग से प्राप्य राशि	-	1.39
	204.57	204.92
घटायाः संदिग्ध समझे गए ऋणों के लिए भत्ता	(2.23)	(12.90)
	202.34	**192.02**

fVIi.kh%

(i) समूह के निदेशक अथवा अन्य अधिकारियों से अलग–अलग अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण प्राप्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी फर्म अथवा निजी कंपनी, जिसमें कोई निदेशक साझेदार, निदेशक अथवा सदस्य हैं, से कोई ऋण प्राप्य नहीं है।

(ii) टिप्पणी 45 देखें–परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए उचित मूल्य प्रकटन और टिप्पणी 46–प्रत्याशित ऋण हानि के आकलन के लिए वित्तीय जोखिम प्रबंधन।

(iii) बीएसएनएल से प्राप्य राशि के निपटान के विवरण के लिए, टिप्पणी 63 देखें।

(iv) दूरसंचार विभाग से प्राप्य राशि के निपटान के विवरण के लिए, टिप्पणी 68 देखें।

11- vU; foÙkh; ifjlaifÙk;k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekp 2020 x|j&pky	31 ekp 2019 x|j&pky
12 माह से अधिक की परिपक्वता की बैंक जमा	0.63	1.74
	0.63	**1.74**

fVIi.kh%

(i) रुपये 0.63 करोड़ (31 मार्च 2019 रुपये 1.74 करोड़) समूह के पास 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि को निरूपित करती है। कंपनी द्वारा धारित यह राशि कंपनी के इस्तेमाल के लिए नहीं है क्योंकि तृतीय पक्ष को बैंक गांरटी देने के लिए बैंकों के पास गिरवी रखी गई है।

(ii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए टिप्पणी 45–उचित मूल्य प्रकटन तथा प्रत्याशित ऋण हानियों के मूल्यांकन के लिए टिप्पणी 46 वित्तीय जोखिम प्रबंधन देखें।

12- vk;dj ifjlaifÙk;k ¼fuoy½

(रुपये करोड़ में)

	31 ekp 2020	31 ekp 2019
अग्रिम आयकर (प्रावधान को घटाकर)	706.98	723.71
	706.98	**723.71**

13- vU; xSj&pkyw ifjlaifÙk;k¡

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
पूंजीगत अग्रिम	1.57	1.58
आस्थगित पट्टा आय	15.69	-
डीओटी के भावी निपटान के लिए अग्रिम	-	215.02
सांविधिक प्राधिकरणों के पास शेष	2.70	2.70
पूर्व प्रदत्त खर्चे	3.89	11.02
	23.85	**230.31**

14- eky lwph

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
¼ykxr ij eY; vkdfyr] tc rd dN vkj crk;k u x;k gks½		
एक्सचेंज उपस्कर	34.31	37.24
मोबाइल हैंडसेट एवं सिम कार्ड	2.08	2.34
डब्ल्यूएलएल उपस्कर	0.08	0.08
टेलीफोन एवं टेलैक्स के अतिरिक्त उपकरण	0.09	0.09
	36.56	**39.75**
घटायाः अप्रयुक्त भंडार के लिए प्रावधान	(18.02)	(15.58)
	18.54	**24.17**

15- O;kikj izkI;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
व्यापार प्राप्य		
– जमानती, शोध्य माने गए	151.02	76.02
– गैर जमानती, शोध्य माने गए	427.70	414.87
– संदिग्ध माने गए	836.14	782.41
बिना बिल के प्राप्य*	137.98	201.14
	1,552.84	1,474.44
घटायाः संदिग्ध कर्ज के लिए भत्ता/(अलाउंस)		
गैर जमानती शोध्य समझे गए (प्रत्याशित ऋण हानि)	(95.96)	(88.17)
संदिग्ध माने गए	(836.14)	(782.41)
	620.74	**603.86**

*भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुबंध की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। विवरण के लिए 57 नोट देखें।

टिप्पणीः

(i) व्यापार प्राप्यों को देयताओं के लिए जमानत के रूप में गिरवी रखा गया है, विवरण के लिए टिप्पणी 54 देखें।

(ii) समूह के निदेशक अथवा अन्य अधिकारियों से अलग–अलग अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार अथवा अन्य कोई प्राप्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, किसी फर्म अथवा निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक साझेदार, निदेशक अथवा सदस्य हैं, से कोई व्यापार अथवा अन्य प्राप्य नहीं है।

(iii) 31 मार्च, 2020 को रु. 77.36 करोड़ (31 मार्च, 2019 रु. 76.02 करोड़) संविदागत राशि और 31 मार्च 2020 को रु. 35.20 करोड़ (31 मार्च 2019 रु. 26.06 करोड़) संबंधित परिशोधित लागत सहित उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि के बराबर प्रतिभूति जमा राशि तक के प्रतिभूत व्यापार प्राप्य हैं।

(iv) व्यापार प्राप्यों के रखाव मूल्य को उचित मूल्य का तर्कसंगत सन्निकटन माना गया है।

16- udnh rFkk udnh lerqY;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
बैंकों के चालू खातों में शेष	132.37	74.87
हाथ में चैक, ड्राफ्ट	0.20	0.32
हाथ में नकदी	0.27	0.22
तीन माह से कम की मूल परिपक्वता के बैंक जमा	10.40	-
घटायाः संदिग्ध बैंक शेषों के लिए प्रावधान	(0.56)	(0.56)
	142.68	**74.85**

17- vU; cSd 'ks"k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की परिपक्वता के बैंक जमा	13.02	20.42
	13.02	**20.42**

टिप्पणीः

(i) रु. 13.02 करोड़ (31 मार्च 2019 – रु. 20.42 करोड़) कंपनी के पास तीन माह से अधिक किंतु 12 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि को निरूपित करती है। समूह द्वारा धारित यह राशि कंपनी के प्रयोग के लिए नहीं है क्योंकि यह तृतीय पक्ष को बैंक गांरटी देने के लिए बैंकों के पास गिरवी रखी गई है।

(ii) रखाव मूल्य उनके उचित मूल्यों का तर्कसंगत सन्निकटन है।

1- _.k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020 pkyw	31 ekpl 2019 pkyw
tekurh] 'kkè; ekuk x,		
कर्मचारियों को ऋण	5.21	13.47
xSj tekurh] 'kkè; ekuk x,		
कर्मचारियों को ऋण	14.39	1.71
अन्य विभागों के पास प्रतिभूति जमा	21.50	22.09
संबंधित पक्षों से प्राप्य	-	0.48
बीएसएनएल से प्राप्य राशि	3,504.10	3,352.67
lafnXèk le>s x,		
कर्मचारियों को ऋण	-	0.01
	3,545.20	3,390.43
घटायाः संदिग्ध समझे गए ऋणों के लिए भत्ता	-	(0.01)
	3,545.20	**3,390.42**

टिप्पणीः

(i) टिप्पणी 45 उचित मूल्य प्रकटन देखें– परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए।

(ii) संबंधित पक्षों से प्राप्य के निपटान के विवरण हेतु टिप्पणी 49 देखें।

(iii) बीएसएनएल से प्राप्य के निपटान के विवरण हेतु टिप्पणी 63 देखें।

19- vU; foÙkh; ifjlaifÙk;k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020 pky	31 ekpl 2019 pky
वसूली योग्य राशि		
आईयूसी प्रचालक	274.95	232.94
डीओटी	1,815.88	-
अन्य	1,491.36	776.10
	3,582.19	1,009.03
घटाया : ऋणक्षरण प्राप्यों के लिए प्रावधान	(89.28)	(109.13)
	3,492.91	899.90

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के प्रकटन के लिए टिप्पणी सं. 45 – उचित मूल्य प्रकटन देखें।

20- vU; pky ifjlaifÙk;k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	18.13	18.07
आस्थगित लीज आय	2.62	-
दूरसंचार विभाग के भावी निपटानों के लिए अग्रिम	410.46	431.16
सांविधिक प्राधिकरणों के पास जमा राशियां	141.09	150.80
पूर्व प्रदत्त खर्चे	59.92	52.25
अन्य वसूली योग्य	0.49	40.04
	632.71	692.31
घटायाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(1.39)	-
	631.32	**692.31**

21- fcØh ds fy, èkkfjr ifjlaifÙk;k

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (टिप्पणी (ए) देखें)	0.05	0.29
यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड में निवेश (टिप्पणी (बी) देखें)	35.85	35.85
	(35.90)	(36.14)

टिप्पणीः

(ए) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह पिछले वर्षों में मुंबई में मूल रूप से जीएसएम सेवाओं के लिए खरीदे गए स्विच और बीटीएस बैटरियों की बिक्री की प्रक्रिया में थी। बिक्री के लिए निर्धारित परिसंपत्ति की नीलामी के लिए टेंडर निकाला गया था जो तकनीकी कारणों से असफल हो गया जिसकी मूल रूप से कल्पना नहीं की गई थी। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में परिसंपत्ति की नीलामी के लिए एक अन्य टेंडर प्रक्रियाधीन है तथा अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। अतः, ऐसी परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा गया है।

अनावर्ती उचित मूल्य मापन

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति को उसकी रखाव राशि के निम्नतर स्तर पर तथा बिक्री के लिए लागत घटाकर उचित मूल्य पर पुनः वर्गीकरण के समय मापा गया जिसके परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि के विवरण में शून्य (31 मार्च, 2019: रु. शून्य) राशि को क्षरण हानि के रूप में पहचाना गया है।

(बी) यूनाईटेड टेलीकॉम लि. में निवेश करने के लिए एमटीएनल, टीसीआईएल, टीसीएल तथा एनवीपीएल (नेपाल) जिन्हें संयुक्त रूप से 'निवेशक' कहा गया है, के बीच हुए शेयरधारक समझौते को अनुच्छेद 12.19 (बी) तथा उसके साथ पठित संशोधनीय समझौते (जिन्हें संयुक्त रूप से 'संशोधित समझौता' कहा गया है) के पैरा 27 के अनुसार यदि एनवीपीएल (नेपाल में स्थानीय साझेदार) अपना हित किसी तीसरे पक्ष को बेचने का निर्णय लेता है तो उसे अन्य निवेशकों की पूर्व सहमति लेने की जरूरत है। साथ ही ऐसे समय पर समझौते के बर्हिर्गमन खंड के अनुसार एनवीपीएल को छोड़कर कोई भी अन्य निवेशक संशोधित समझौते से 2 वर्ष के बाद 3 माह का नोटिस देकर समझौते से बाहर हो सकता है। इस बहिर्गमन खंड के अनुसरण में मूल कंपनी ने बहिर्गमन के लिए यूटीएल को 30 जनवरी 2018 को नोटिस जारी किया हैं यह नोटिस 30 अप्रैल 2018 तक वैध है तथा 30 अप्रैल 2018 के बाद स्थानीय साझेदार ने मूल कंपनी द्वारा किए गए बहिर्गमन के अनुरोध का प्रभावी बनाने के लिए 30 जुलाई 2018 तक 3 महीने का और अधिक समय मांगा है। तदनुसार ऐसे निवेश को 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों में 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।'' नेपाल में भारतीय एफडीआई का प्रत्यावर्तन नेपाल सरकार के विभाग के अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है तथा नेपाल सरकार द्वारा इसे अभी अनुमोदित किया जाना है। एनटीएनएल ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए मामले को दूरसंचार विभाग के माध्यम से नेपाल में भारत के राजदूत के साथ उठाया है ताकि यूटीएल में निवेश की गई राशि को एमटीएनएल को वापस भेजने में सुविधा हो सके।

अनावर्ती उचित मूल्य मापन

ऐसे निवेश की वसूली योग्य राशि रखाव मूल्य से अधिक ऊंची होने की आशा हैं अतः 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किए गए ऐसे निवेश को आगे किसी हानि के रूप में चिह्नित करना आवश्यक नहीं है।

22- bfDoVh 'k;j i th

(रुपये करोड़ में)

	31 ekp 2020	31 ekp 2019
ikfekd`r i th		
10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर 100,000,000,000 (पिछले वर्ष 800,000,000)	10,000.00	10,000.00
	10,000.00	10,000.00
fuxfer] vfHknÙk i th vkj i.kr% inÙk		
10 रुपये प्रत्येक के 630,000,000 (पिछले वर्ष 630,000,000) इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	630.00	630.00
	630.00	**630.00**

ए) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

	31 ekp 2020		31 ekp 2019	
	'k;jk dh l-	¼#i;s djkM eh½	'k;jk dh l-	¼#i;s djkM eh½
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	630,000,000	630.00	630,000,000	630.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	**630,000,000**	**630.00**	**630,000,000**	**630.00**

ch½ bfDoVh 'k;jk l tM vfekdkj@vfekekuh@ifrcaèk

मूल कंपनी के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिनका प्रति शेयर मूल्य रुपये 10 है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है। मूल कंपनी लाभांश की घोषणा और भुगतान भारतीय रुपयों में करती है। मूल कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयर धारक अधिमानी राशि का संवितरण करने के बाद मूल कंपनी की शेष परिसंपत्ति को प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

lh½ ey diuh e 5% l vfèkd 'k;j èkkj.k djus okys 'k;jèkkjdk dk fooj.k

	31 ekp 2020		31 ekp 2019	
	'k;jk dh l-	èkkfjrk dk %	'k;jk dh l-	èkkfjrk dk %
#-10 iR;sd d i.k inÙk bfDoVh 'k;j				
भारत के राष्ट्रपति	354,378,740	56.25	354,378,740	56.25
भारतीय जीवन बीमा निगम जिसमें एलआईसी फॉरचून प्लस जमानती निधि शामिल है।	118,515,213	18.81	118,515,213	18.81

डी) कंपनी ने नकदी के अलावा कोई शेयर प्रतिफल के लिए जारी नहीं किए हैं और पिछले पांच वर्षों में कोई भी शेयरों की वापसी खरीद नहीं हुई है।

ई) कंपनी में कोई शेयर विकल्पों अथवा अन्य उद्देश्य के तहत निर्गमित किए जाने के लिए आरक्षित नहीं हैं

23- vU; bfDoVh

(रुपये करोड़ में)

	31 ekp 2020	31 ekp 2019
प्रतिधारित उपार्जन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(11,349.24)	(7,951.65)
जोड़ें: वर्ष का निवल लाभ/(हानि)	(3,695.68)	(3,390.20)
जोड़ें: भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन पर प्रभाव	(39.71)	-
जोड़ें: कर्मचारी हितलाभ बाध्यताओं का पुर्नमापन	(115.32)	(7.39)
	(15,199.95)	**(11,349.24)**
vU; vkjf{kr		
fMcpj ekpu vkjf{kr	**45.27**	**45.27**
ifrHkfr ihfe;e	**665.00**	**665.00**

vu|lèkku ,o fodkl vkjf{kr fufèk	**30.80**	**30.80**
vkdfLedrk vkjf{kr	**243.23**	**243.23**
	984.30	**984.30**

vU; vkjf{krks dh idfr vkj mís';

(i) fMcpj foekpu vkjf{kr

समूह को लाभ में से डिबेंचर विमोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित है जो डिबेंचर विमोचन के उद्देश्य के लिए लाभांश के भुगतान हेतु उपलब्ध है।

(ii) ifrHkfr ihfe;e

प्रतिभूति प्रीमियम शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का निरूपण करता है। इस आरक्षित निधि का कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।

(iii) vkdfLedrk vkjf{kr

समूह ने यह आरक्षित निधि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के तहत आयकर विभाग द्वारा अप्रत्याशित कर मांग/अस्वीकरण के लिए बनाई है।

(iv) vU; 0;kid vk; ¼vkl hvkbZ½

समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित हितलाभ योजना के अनुसार पुनर्मापन हितलाभों को चिह्नित किया है।

24- m/kkj

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020 x- j&pky	31 ekpZ 2019 xj&pky
tekurh		
vkofèkd _.k ¼pky ifjiDorkvks d i'pkr½		
बैंकों से	9,575.34	8,453.13
	9,575.34	**8,453.13**
xj& tekurh		
fMcpj		
डिबेंचर–सीरीज 4डी	-	-
[8.29% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 22,689 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]		
डिबेंचर–सीरीज 4सी	-	-
[8.24% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 7 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]		
डिबेंचर–सीरीज 4बी	-	-
[8.28% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 1,000 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]		
डिबेंचर–सीरीज 4ए	-	-
[8.24% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 14,000 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ डीओटी से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]		
डिबेंचर–सीरीज 3ए	-	-
[9.39% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 7,650 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ डीओटी से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]		

डिबेंचर–सीरीज 2ए*	1,974.31	1,973.96
[9.38% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 19,750 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड]		
डिबेंचर–सीरीज 1ए*	1,004.50	1,004.50
[8.57% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 10,050 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड]		
	2,978.81	2,978.45
	12,554.15	**11,431.58**

vU; foÙkh; n;rkvk d vrxr idV dh xbl jkf'k%

दीर्घावधि कर्ज की वर्तमान परिपक्वता	1,115.00	640.00
प्रोद्भूत ब्याज	63.10	61.40

fVIi.kh%

(i) किसी भी ऋण की गारंटी निदेशकों और अन्यों के द्वारा नहीं दी गई है।

(ii) उधार और उस पर ब्याज की चुकौती में तुलन पत्र की तारीख तक कोई चूक नहीं है।

(iii) ये सुविधाएं सभी चल–अचल परिसंपत्ति (संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अंतर्गत वर्गीकृत) असथायी प्रथम सममात्रा शुल्क द्वारा सुरक्षित है तथा चालू परिसंपत्तियाँ पट्टों भूमि को छोड़कर निम्नानुसार बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडिया बैंक में गिरवी है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त मद की जमानत के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया। बकाया दीर्घावधि उधार (चालू परिपक्वता सहित) की पुर्नभुगतान शर्त के लिए निम्न तालिका देखें:

¼,½ 31 ekp] 2020 dh fLFkfr d vulkj%

cd dk uke	cdk;k jkf'k ¼djkM e½	fdLrk dh l[;k	C;kt dh nj
कॉरपोरेशन बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– दिसम्बर 2020 से सितंबर–2022 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) दिसम्बर 2022 से सितंबर 2023 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) दिसम्बर 2023 से सितंबर 2025 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.95%
आंध्रा बैंक	300.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– सितम्बर 2020 से जून–2022 तक रु. 7.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) सितम्बर 2022 से जून 2023 तक रु. 15 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) सितम्बर 2023 से जून 2025 तक रु. 22.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.78%
यूको बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– अगस्त 2020 से मई–2022 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) अगस्त 2022 से मई 2023 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) अगस्त 2023 से मई 2025 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.63%

cid dk uke	cdk;k jkf'k ¼djksM+ esa½	fdLrksa dh la[;k	C;kt dh nj
आंध्रा बैंक	900.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च–2021 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 50 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 75 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.82%
कॉरपोरेशन बैंक	912.50	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.86%
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	462.50	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें)	8.84%
यूनाइटेड बैंक	270.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 7.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 15 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 22.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.85%
ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	487.50	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मार्च 2020 से दिसम्बर 2022 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) मार्च 2022 से दिसम्बर 2023 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) मार्च 2023 से दिसम्बर 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.63%
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	200.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मई 2020 से फरवरी 2022 तक रु. 5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) मई 2022 से फरवरी 2023 तक रु. 10 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) मई 2023 से फरवरी 2025 तक रु. 15 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.45%

cid dk uke	cdk;k jkf'k ¼djkM+ e½	fdLrk dh l[;k	C;kt dh nj
बैंक ऑफ इंडिया	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2020 से मार्च 2022 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2020 से मार्च 2023 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2023 से मार्च 2025 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.67%
भारतीय स्टेट बैंक	1,620.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 45 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 90 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 135 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.89%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,800.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मई 2019 से फरवरी 2021 तक रु. 50 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) मई 2021 से फरवरी 2022 तक रु. 100 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) मई 2022 से फरवरी 2024 तक रु. 200 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.63%
बैंक ऑफ बड़ौदा	750.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2021 से मार्च 2023 तक रु. 18.75 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2023 से मार्च 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2024 से मार्च 2026 तक रु. 56.25 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	9.95%
भारतीय स्टेट बैंक	500.00	रु. 250 करोड़ जून 2020 में रु. 125 करोड़ जून 2022 में रु. 125 करोड़ सितम्बर 2022 में	9.00%
इंडियन बैंक	500.00	रु. 125 करोड़ जनवरी 2022, अप्रैल 2022, जुलाई 2022, अक्टूबर 2022 में	8.85%
बैंक ऑफ इंडिया	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– फरवरी 2022 से नवम्बर 2023 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) फरवरी 2024 से नवम्बर 2024 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) फरवरी 2025 से नवम्बर 2026 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	9.20%
घटाएंः प्रभावी ब्याज दर का उपयोग कर चिह्नित दीर्घावधि ऋणों पर कार्रवाई शुल्क का समायोजन	(12.16)		
घटाएं : दीर्घावधि कर्ज पर वर्तमान परिपक्वता	(1,115.00)		
दीर्घावधि उधार	**9,575.34**		

ब्याज दर–कंपनी के बैंकों और अन्यों से कुल उधार पर 31 मार्च, 2020 को प्रभावी ब्याज दर का उपयोग कर प्रति वर्ष परिकलित प्रभावी भारित औसत दर 8.87 प्रतिशत है।

¼cSad½ 31 ekpZ] 2019 dh fLFkfr ds vuqlkj¼

cSad dk uke	cdk;k jkf'k ¼djksM+ esa½	fd'rksa dh l[;k	C;kt dh nj
कॉरपोरेशन बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– दिसम्बर 2020 से सितंबर 2025 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) दिसम्बर 2020 से सितंबर 2022 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) दिसम्बर 2022 से सितंबर 2023 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) दिसम्बर 2023 से सितंबर 2025 तक	8.95%
आंध्रा बैंक	300.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– सितम्बर 2020 से जून 2022 तक रु. 7.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) सितम्बर 2022 से जून 2023 तक रु. 15 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) सितम्बर 2023 से जून 2025 तक रु. 22.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.50%
यूको बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– अगस्त 2020 से मई 2022 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) अगस्त 2022 से मई 2023 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) अगस्त 2023 से मई 2025 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.45%
आंध्रा बैंक	1,000.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 50 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2023 तक रु. 75 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.42%
कॉरपोरेशन बैंक	1,000.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.81%

cid dk uke	cdk;k jkf'k ¼djkM+ e½	fdLrk dh l[;k	C;kt dh nj
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.41%
यूनाइटेड बैंक	300.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 7.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 15 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 22.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.70%
ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मार्च 2020 से दिसम्बर 2021 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) मार्च 2022 से दिसम्बर 2022 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) मार्च 2023 से दिसम्बर 2024 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.46%
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	200.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मई 2020 से फरवरी 2022 तक रु. 5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) मई 2022 से फरवरी 2023 तक रु. 10 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) मई 2023 से फरवरी 2025 तक रु. 15 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.41%
बैंक ऑफ इंडिया	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2020 से मार्च 2022 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2023 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जून 2023 से मार्च 2025 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.33%
भारतीय स्टेट बैंक	1,800.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 45 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 90 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 135 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.49%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,000.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मई 2019 से फरवरी 2021 तक रु. 50 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) मई 2021 से फरवरी 2022 तक रु. 100 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) मई 2022 से फरवरी 2024 तक रु. 150 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.20%

बैंक का नाम	बकाया राशि (करोड़ में)	किस्तों की संख्या	ब्याज की दर
घटाएंः प्रभावी ब्याज दर का उपयोग कर चिह्नित दीर्घावधि ऋणों पर कार्रवाई शुल्क का समायोजन	(6.87)		
घटाए : दीर्घावधि कर्ज की वर्तमान परिपक्वता	(640.00)		
दीर्घावधि उधार	**8,453.13**		

ब्याज दर – कंपनी के बैंकों और अन्यों से कुल उधार पर 31 मार्च 2019 तक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग कर प्रति वर्ष परिकलित प्रभावी भारित औसत दर 8.47% है।

*डिबेंचर सीरीज 1,

उपर्युक्त डिबेंचर भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत, गैर जमानती, सूचीबद्ध, 8.57% के मोचनीय अपरिवर्तनीय डिबेंचर (बॉण्ड्स के रूप में) हैं, जिनकी अवधि/परिपक्वता अवधि 10 वर्ष है तथा मोचन तारीख 28.03.2023 है। कूपन भुगतान आवृत्ति अर्द्धवार्षिक ब्याज भुगतान है। रिपोर्टिंग तारीख को कोई किस्त देय नहीं थी।

*डिबेंचर सीरीज 2,

उपर्युक्त डिबेंचर भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत, गैर जमानती, सूचीबद्ध, 9.38% के मोचनीय अपरिवर्तनीय डिबेंचर (बॉण्ड्स के रूप में) है, जिनकी अवधि/परिपक्वता अवधि 10 वर्ष है तथा मोचन तारीख 05.12.2023 है। कूपन भुगतान आवृत्ति अर्द्धवार्षिक ब्याज भुगतान है। रिपोर्टिंग तारीख को कोई किस्त देय नहीं थी।

(iv) भारत सरकार ने वर्ष 2014 में मूल कंपनी को वित्तीय समर्थन देने का अनुमोदन किया तथा एमटीएनएल द्वारा ब्रॉडबेंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम की वापसी पर मूल कंपनी द्वारा वर्ष 2011 में ऐसे स्पैक्ट्रम के लिए भुगतान किए गए प्रांरभिक प्रभार जोकि 4,533.97 करोड़ रु. का था, को मूल कंपनी द्वारा भारत सरकार की ओर से डिबेंचर जारी करने के माध्यम से वित्तपोषण किए जाने पर सहमति दी थी जिसके लिए भारत सरकार ने परिपक्वता होने पर मूलधन की पुर्नभुगतान तथा ब्याज दूरसंचार विभाग के माध्यम से भुगतान करने की अनुवर्ती शर्त (अटेंडेंट कंडीशन) के साथ राष्ट्रिक गारंटी प्रदान की थी। तद्नुसार, जारी किए गए बॉण्ड्स पर मूलधन और ब्याज भुगतान की पुर्नभुगतान का मूल कंपनी पर कोई दायित्व नहीं है और दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य समतुल्य राशि के समक्ष प्रति संतुलित किया गया है।

(v) वित्त पट्टा दायित्वों की पुनर्भुगतान अनुसूची के विवरण के लिए, नोट 52 (बी) का उल्लेख करें।

(vi) टिप्पणी 45 देखेंः परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए वित्तीय लिखतें तथा उनकी परिपक्वता प्रोफाइलों के विश्लेषण।

(vii) बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक को बंधक के रूप में दी गई पट्टा भूमिः

(ए) गांव तीरंदाज की (18/30), (31) के पवई गांव के (सीटीएस नं. 6(पीटी) के पट्टा भूमि (लीज होल्ड) प्लॉट–ए, मुम्बई पर स्थित पट्टा भूमि व भवन।

(बी) गांव तीरंदाज की (18/30), (31) के पवई गांव की (सीटीएस नं. 6(पीटी) के पट्टा भूमि (लीज होल्ड) प्लॉट–ए, मुम्बई पर स्थित पट्टा भूमि व भवन।

(सी) प्लॉट नं. सी–71, सीटीएस नं. 4207, जी–ब्लॉक, बीकेसी, गाँव कोलेकल्याण, ताल.–अंधेरी, मुम्बई, उप नगरीय जिला।

(viii) foÙkh;u xfrfofèk;ksa ls mRiUu foÙkh; ns;rkvksa dk lekèkku%

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	iÍk ns;rk,a	nh?kkZofèk mèkkj	y?kq vofèk mèkkj	dqy
1 vizSy 2018 dks fuoy dtZ	**45.21**	**10,654.11**	**6,382.10**	**17,081.43**
udnh izokg %				
–प्राप्त राशि	-	1,700.00	2,238.25	3,938.25
–पुर्नभुगतान	(5.15)	(220.00)	(1,000.00)	(1,225.15)
ब्याज खर्च	5.16	737.40	625.96	1,368.52
प्रदत्त ब्याज	-	(738.53)	(625.96)	(1,364.49)
31 ekpZ 2019 dks fuoy dtZ	**45.22**	**12,132.99**	**7,620.35**	**19,798.56**
भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन पर लीज देनदारियों की मान्यता (निवल)	**313.51**	**-**	**-**	**313.51**
udnh izokg %				
–प्राप्त राशि	-	2,250.00	3,450.00	5,700.00
–पुर्नभुगतान	(63.49)	(647.50)	(1,782.19)	(2,493.18)
ब्याज खर्च	29.70	1,152.80	732.90	1,915.40
प्रदत्त ब्याज	-	(1,156.04)	(724.64)	(1,880.68)
विनिमय अंतर	**324.94**	**13,732.25**	**9,296.42**	**23,353.61**
31 ekpZ 2020 dks fuoy dtZ	**325.78**	**13,732.25**	**9,296.42**	**23,354.45**

25- iÍk ns;rk,a

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020 xSj&pkyw	31 ekpZ 2019 xSj&pkyw
पट्टा देयताएं	221.03	40.57
	221.03	40.57

26- vU; foÙkh; ns;rk,a

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020 xSj&pkyw	31 ekpZ 2019 xSj&pkyw
प्रतिभूति जमा	192.56	199.79
कर्मचारियों से संबंधित देय–एमटीएनएल विकल्पधारकों का जीपीएफ	7.41	124.01
	199.97	**323.81**

टिप्पणी 45 उचित मूल्य प्रकटन देखें–परिशोधित लागत और उनकी परिवक्वता प्रोफाइल के विश्लेषण पर मापी गई वित्तीय देयताओं के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए।

27- nh?kkZofèk izkoèkku

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
deZpkjh fgrykHkksa ds fy, izkoèkku		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	198.59	896.06
पेंशन के लिए प्रावधान	19.47	0.95
उपदान के लिए प्रावधान	6.09	-
ifjlEifÙk;ksa dks gVkus dh ck/;rk ds fy, izkoèkku	15.97	14.71
	240.12	**911.72**

¼i½ o;fDrd iko/kku vkj egRoi.k vkdyuk d ckj e lpuk

(ए) परिसंपत्तियों को हटाने की बाध्यता के लिए प्रावधान

कंपनी अपने व्यापार के अंतर्गत अपने उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायरलेस दूरसंचार टावरों और अन्य उपस्करों को संस्थापित करता है तथा यह उसका उत्तरदायित्व है कि टॉवर और अन्य उपस्करों की उपयोग की अवधि समाप्त होने पर उन्हें हटाए और स्थल, जहां ये लगे थे, को पहले जैसी स्थिति में ले आए। इसके लिए भारतीय लेखामानक 16, ''संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'' का परिशिष्ट–ए में कहा गया है कि संपत्ति, सयंत्र तथा उपस्कर के मापन में सामान/उपकरणों को खोलने, हटाने और स्थल को पूर्व स्थिति में लाने की प्रारंभिक लागत के आकलन को इसमें शामिल करें। कंपनी ने खुले बाजार से प्राप्त स्वतंत्र बोलियों के आधार पर इनको हटाने की लागत का अनुमान लगाया है और संभावित मंहगाई दर (6% प्रतिवर्ष) का उपयोग करते हुए उसे बढ़ाया है और प्रत्येक अवधिक के समापन की तारीख पर लागू दरों पर बट्टागत किया गया है।

(बी) कर्मचारी हितलाभों के प्रावधान से संबंधित अपेक्षित प्रकटन के लिए टिप्पणी 48 कर्मचारी हितलाभ बाध्यताएं देखें।

(ii) foÙk o"k d nkjku ifjlifÙk gVku dh ck/;rk lca/kh iko/kku e mrkj&p<ko%

(रुपये करोड़ में)

	31 ekp 2020	31 ekp 2019
fjiksfVx vof/k d vkjEHk e	**14.71**	**13.48**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.03	0.13
वर्ष के दौरान विखंडित किए गए टावरों पर प्रयुक्त राशि	(0.03)	(0.19)
समय बीतने के साथ और बट्टा दर में किसी परिवर्तन के कारण बट्टागत राशि में वृद्धि	1.26	1.29
fjiksfVx vof/k d vr e	**15.97**	**14.71**

28- vU; xj&pkyw n;rk,

	31 ekp 2020	31 ekp 2019
आस्थगित आय	105.78	127.97
आस्थगित सक्रियण/संस्थापन शुल्क	14.83	18.13
	120.61	**146.10**

29- vYikof/k m/kkj

(रुपये करोड़ में)

	31 ekp 2020	31 ekp 2019
xj tekurh		
cdk l		
बैंकों से नकद ऋण	6,196.42	6,570.36
अल्पावधि ऋण	3,100.00	1,050.00
	9,296.42	**7,620.36**

उपर्युक्त के रखाव मूल्य को उनके उचित मूल्य का तर्कसंगत सन्निकटन माना गया है।

30- i Ík n; rk,ï

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
पट्टा देयतायों का वर्तमान हिस्सा	103.91	4.65
	103.91	**4.65**

31- 0;kikj n;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय (टिप्पणी 55 देखें)	47.13	5.35
अन्यों के देय*	604.94	432.20
अन्य प्रोद्भूत देयताएं	130.24	92.19
	782.31	**529.74**

*संबंधित पक्ष शेष शामिल

उपर्युक्त के रखाव मूल्य को उनके उचित मूल्य का तर्कसंगत सन्निकटन माना गया है।

32- vU; foÙkh; n; rk,ï

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
निम्नलिखित की वर्तमान परिपक्वता		
– दीर्घावधि कर्ज	1,115.00	640.00
प्रोद्भूत ब्याज		
– बॉण्ड्स पर देय नहीं	60.67	60.33
– उधार पर देय नहीं	2.43	1.08
– जमा पर देय नहीं	0.07	0.07
प्रतिभूति जमा	92.03	64.46
कर्मचारियों को देय	3,979.99	806.82
सामान एवं सेवाओं के अलावा ठेकेदारों को देय राशि	438.68	441.59
अन्य प्रचालकों को देय राशि	52.84	51.48
अन्य देय	149.73	190.27
	5,891.44	**2,256.09**

टिप्पणी 45 उचित मूल्य प्रकटन देखें– परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य प्रकटन के लिए।

33- vU; pkyw ns;rk,a

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
प्राप्त अग्रिम*	395.71	457.20
सांविधिक देय	229.77	278.95
आस्थगित आय*	20.93	22.20
आस्थगित सक्रियण/संस्थापन शुल्क*	6.34	5.67
	652.75	**764.02**

*भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत संविदा देयताएं दर्शाता है। विवरण के लिए टिप्पणी 57 देखें।

34- vYidkfyd çko/kku

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान – कंपनी के कर्मचारी	22.99	223.02
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान – अन्य	1.43	0.94
पेंशन के लिए प्रावधान – कंपनी के कर्मचारी	97.72	110.38
पेंशन के लिए प्रावधान – अन्य	1.86	1.54
उपदान (ग्रेच्युटी) का प्रावधान – कंपनी के कर्मचारी	43.25	47.86
अन्य के लिए प्रावधान – एसटी	11.76	-
	179.01	**383.75**

35- ifjpkyuksa ls jktLo

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
fLFkj ¼fQDLM½ VsyhQksu vk;		
राजस्व–टेलीफोन कॉलें एवं अन्य शुल्क	107.56	170.17
राजस्व–स्थिर टेलीफोन मासिक शुल्क	383.14	482.92
राजस्व – टेलीफोन (फ्रेंचाइजी सेवाएं)	5.86	7.87
राजस्व – कॉलें लगाना (एक्सेस) और अन्य शुल्क	12.49	11.42
राजस्व – किराया एवं जंक्शन शुल्क	21.71	31.02
राजस्व – ब्रॉडबैंड	354.44	502.05
राजस्व – आईएसडीएन कॉल शुल्क	12.28	15.43
राजस्व – आईएसडीएन कॉल किराया	50.83	51.79
m|e 0;olk;		
राजस्व – स्थानीय सर्किट	253.11	285.53
राजस्व – दूरस्थ सर्किट	4.22	12.03
ekckby jktLo		
राजस्व – सक्रियण शुल्क	0.47	0.33

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
राजस्व–मोबाइल किराया और कॉल शुल्क	21.51	71.02
राजस्व – रोमिंग से आय	57.55	61.74
राजस्व – प्रीपेड ट्रम्प	21.55	36.77
राजस्व –आईयूसी आय	10.65	12.17
राजस्व – मूल्यवर्धित सेवाए	42.40	95.03
vU;		
राजस्व – मुफ्त फोन सेवाएं	67.69	73.15
राजस्व – इंटरनेट	38.47	33.27
राजस्व – प्रीमियम दर सेवाएं	0.16	0.19
राजस्व – अन्य सेवाएं	36.05	17.83
vU; ifjpkyu jktLo		
अन्य परिचालन राजस्व–देरी से किए गए भुगतान पर अधिभार (सरचार्ज)	5.89	8.26
अन्य परिचालन राजस्व–उद्यम व्यवसाय से राजस्व	28.33	7.81
अन्य परिचालन राजस्व–माल की बिक्री से राजस्व		
	1,536.36	**1,987.80**

36- vU; vk;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
fuEufyf[kr ij C;kt		
बैंक से ब्याज	2.00	1.93
कर्मचारियों को अग्रिम से ब्याज	2.02	3.66
अन्य ब्याज आय	121.67	81.69
आयकर धन वापसी से ब्याज	16.63	7.51
	142.32	**94.80**
vU; vk;		
निर्देशिका, प्रकाशन आदि की बिक्री।	0.10	0.13
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	0.77	-
परिनिर्धारित हर्जाने से आय	6.79	22.97
विदेशी मुद्रा परिवर्तन (निवल)	0.04	-
वसूल किए गए अशोध्य ऋण	0.08	0.33
पुनरांकित जमाशेष	157.10	90.54
क्वार्टरों/छात्रावासों आदि से किराया।	12.84	16.21
संपत्तियों से किराये की आय	343.52	370.11
विविध आय	27.10	23.82
	548.34	**524.12**
	690.66	**618.91**

37- ykblsl 'kqYd [kpl

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
लाइसेंस शुल्क खर्चे	144.40	153.90
स्पैक्ट्रम प्रभार	14.78	22.65
	159.18	**176.55**

38- deZpkjh fgr ykHk [kpZ

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
वेतन, वेतन भत्ता तथा अन्य लाभ	1,802.35	2,036.59
चिकित्सा खर्चे तथा भत्ते	67.81	85.98
पेंशन अंशदान		
(ए) कंपनी कर्मचारी	73.07	95.51
(बी) अन्य	1.05	1.77
छुट्टी नकदीकरण		
(ए) कंपनी कर्मचारी	239.34	143.88
(बी) अन्य	0.75	1.31
उपदान निधि के लिए अंशदान	(28.79)	11.19
भविष्य निधि तथा अन्य निधि के लिए अंशदान	58.74	60.66
कर्मचारी कल्याण खर्चे	0.98	0.57
	2,215.30	**2,437.46**
?kVk;k% चालू पूंजीगत कार्यों के लिए आबंटन	(90.85)	(165.43)
	2,124.45	**2,272.03**

परिभाषित हितलाभ बाध्यताओं की विवरणात्मक टिप्पणी के लिए कर्मचारी हितलाभ बाध्यताएं–टिप्पणी सं. 48 देखें।

39- foÙkh; ykxr

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
fuEufyf[kr ij C;kt		
– मियादी ऋण	858.03	739.43
– नकद ऋण सुविधा	618.24	549.57
– अल्पावधि ऋण सुविधा	107.31	76.39
– बॉण्ड	272.08	272.55
– उपभोक्ता जमा	0.02	0.02
– लीज देयताएं	29.70	-
– अन्य	26.36	35.42
vU; foÙkh; ykxr		
– प्रतिबद्धता शुल्क	29.80	29.80
	1,941.54	**1,703.18**

40- ewY;gzkl rFkk ifj'kks/ku [kpZ

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
fuEufyf[kr ij ewY;gzkl		
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	571.99	645.61
निवेश संपत्तियां	1.35	1.07
परसिंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	62.89	-
fuEufyf[kr ij ifj'kks/ku		
अमूर्त परिसंपत्तियां	335.72	337.02
	971.95	**983.70**

41- vU; [kpZ

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
विद्युत, ईंधन तथा पानी	233.81	236.98
किराया	31.92	114.27
भवन की मरम्मत	16.29	24.33
मशीनरी की मरम्मत	86.85	125.12
अन्य मरम्मत	23.66	25.29
बीमा	7.65	3.30
दरें और कर	41.15	52.76
यात्रा एवं वाहन	0.38	0.62
डाक खर्च, तार और टेलीफोन	5.26	7.19
प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	3.49	5.20
वाहन रखरखाव खर्चे	0.27	0.47
वाहन के चलने पर खर्चे	0.74	1.08
वाहन किराया खर्चे	5.70	10.77
विज्ञापन और व्यापार संवर्धन खर्चे	0.56	2.37
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	15.23	18.32
विधिक और व्यावसायिक खर्चे*	4.22	5.79
सेमिनार और प्रशिक्षण प्रभार	0.37	0.61
सिक्यूरिटी सेवा खर्चे	14.66	16.55
परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर हानि (निवल)	-	1.02
इंटरनेट प्रभार	13.70	6.18
परिसंपत्तियों की हानि	2.33	1.41
कमीशन	1.15	1.30
विदेशी मुद्रा लेन–देन और परिवर्तन पर निवल हानि	0.21	0.25
छूट सहित संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	64.50	9.65
अप्रचलित इनवेंटरी के लिए प्रावधान	3.01	1.35
संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	0.88	2.12
व्यय का आउटसोर्सिंग	8.80	-
वित्तीय साधन का निपटान	2.41	-
एमएसएमई पर ब्याज	9.17	
विविध खर्च	28.07	24.97
?kVk;k% चालू पूंजीगत कार्य के लिए आबंटन	-	(0.02)
	626.44	**699.27**

*fofèkd ,oa O;kolkf;d [kpZs esa leg ys[kkijh{kdksa dks fd;k x;k Hkqxrku 'kkfey gS

ys[kkijh{kdksa dks%

लेखापरीक्षा शुल्क	0.45	0.45
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.09	0.09
प्रमाणीकरण एवं अन्य सेवाएं	0.18	0.27
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.11	0.04
	0.83	**0.85**

42- dj [kpl

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
वर्तमान कर (पूर्व वर्षों के कर सहित)	-	-
आस्थगित कर	-	-
	-	-

आय कर खर्च के मुख्य घटक और 34.944% देशी प्रभावी कर दर पर आधारित खर्चे के समाधान और लाभ अथवा हानि में रिपोर्ट किया गया कर खर्च निम्नलिखित प्रकार से हैः

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
vk; dj iol y[kkdu ykHk	**(3,695.68)**	**(3,390.20)**
देश की संविधिक आयकर दर 34.944% पर (31 मार्च 2019 : 34.944%)	(1,291.42)	(1,184.67)
पुस्तकों और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में अंतर	168.35	153.90
कर प्रयोजनों के लिए गैर–घटाया खर्च	(92.23)	(113.04)
भुगतान के आधार पर कर्मचारी लाभ की अनुमति	(237.75)	(10.83)
अन्य	-	1.48
आस्थगित कर चालू वर्ष के लिए घाटे पर नहीं बनाया	1,453.06	1,153.15
	-	**-**

(i) एमटीएनएल का अनवशोषित मूल्यह्रास है तथा 31 मार्च 2020 तक रु. 21,907.74 करोड़ राशि की व्यावसायिक हानि को आगे ले जाया गया जिस पर किसी आस्थगित कर परिसंपति का प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत जैसा कि कंपनी (लेखा) नियमावली 2015 के नियम 7 तथा कंपनी (भारतीय लेखाकारण मानक) संशोधन नियमावली 2016 के भारतीय लेखा मानक 12 ''आयकर'' के अनुसार अपेक्षित है जिस वर्ष में मूल कंपनी को भावी कर योग्य आय की यथोचित निश्चितता होगी है। अस्थगित कर देयता उसी वर्ष में सृजित की जाएगी।

(ii) कंपनी ने लाभ तथा हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के विवरण में कर व्यय/क्रेडिट (चालू तथा आस्थगित कर) को मान्यता नहीं दी है क्योंकि कंपनी नुकसान उठा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ अप्रयुक्त कर नुकसान का उपयोग किया जा सकता है।

(ii) वर्षवार समाप्ति नीचे दी गई हैंः

foooj.k	vkjEHk dk o"kZ	lekfIr dk o"kZ	jkf'k
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2013–14	वित्त वर्ष 2020–21	1,057.11
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2015–16	वित्त वर्ष 2022–23	1,941.74
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2023–24	1,042.33
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2024–25	2,242.83
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2025–26	2,457.36
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2026–27	2,825.57
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2027–28	3,783.38
अनवशोषित मूल्यह्रास	बहुविध	अनिश्चित	6,557.41

43- vU; 0;kid vk;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
ensa] ftUgsa ykHk vFkok gkfu esa iqu% oxhZÑr ugha fd;k tk,xk		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः मापन लाभ (हानि)	(115.32)	(7.39)
आयकर प्रभाव	-	-
	(115.32)	**(7.39)**

44- izfr bfDoVh 'ks;j vtZu

मूल कंपनी प्रतिशेयर के अर्जन (ईपीएस) का निर्धारण मूल कंपनी के शेयर धारक को वितरण योग्य निवल लाभ पर आधारित होता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या से की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना वर्ष के दौरान शेयर विकल्प सहित बकाया सामान्य और तनुकृत सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करके की जाती है, सिवाय इसके कि जहां परिणाम तनुकृत विरोधी हों।

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
bfDoVh 'ks;j/kkjdksa ds dkj.k 'kq) gkfu		
सतत परिचालन	(3,695.68)	(3,390.20)
dEiuh ds bfDoVh /kkjdksa ds dkj.k 'kq) gkfu	**(3,695.68)**	**(3,390.20)**
çfr bfDoVh 'ks;j uqdlku%		
इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)	10.00	10.00
बुनियादी और तनुकृत ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	630,000,000	630,000,000
çfr 'ks;j cqfu;knh vkSj ruqÑr uqdlku ¼#-½	**(58.66)**	**(53.81)**

45- mfpr ewY; [kqykls

i½ mfpr ewY; inkuqØe

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में विभाजित किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों की अवलोकन क्षमता के आधार पर परिभाषित किया गया है, जैसा कि इस प्रकार हैः

Lrj 1% वित्तीय साधनों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

Lrj 2% वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं कर रहे हैं, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो नमूदार बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करते हैं।

Lrj 3% यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण जानकारी नमूदार बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) mfpr ewY; ij ekih xbZ foÙkh; ifjlaifÙk;ksa vkSj nsunkfj;ksa & vkorhZ mfpr ewY; eki

(iii) ifj'kksf/kr ykxr ij ekik x;k midj.kksa dk mfpr ewY;

परिशोधित लागत पर मापा उपकरणों का उचित मूल्य जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया जाता है इस प्रकार हैः

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	Lrj	31 ekpZ 2020		31 ekpZ 2019	
		eY; y tkuk	mfpr eY;	eY; y tkuk	mfpr eY;
foÙkh; ifjlaifÙk;k					
ऋण	स्तर 3	5,564.82	5,552.11	3,582.44	3,589.06
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	स्तर 3	1,677.66	1,677.66	901.64	912.96
dqy foÙkh; ifjlaifÙk;k		**7,242.48**	**7,229.77**	**4,484.08**	**4,502.02**
उधारी	स्तर 3	13,669.15	13,777.57	12,071.58	12,203.38
वित्त पट्टा दायित्व	स्तर 3	-	-	45.22	59.12
अन्य वित्तीय देनदारियां	स्तर 3	4,976.01	4,959.40	1,939.90	1,915.67
dqy foÙkh; nsunkfj;k		**18,645.16**	**18,736.96**	**14,056.71**	**14,178.17**

प्रबंधन ने आकलन किया कि नकदी और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्तियां, अन्य प्राप्तियां, व्यापार देय और अल्पकालिक उधार इन साधनों की अल्पकालिक परिपक्वताओं के कारण उनकी ले जाने वाली राशि का अनुमान है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर उपकरण को इच्छुक पक्षों के बीच वर्तमान लेनदेन में आदान–प्रदान किया जा सकता है, इसके अलावा एक मजबूर या परिसमापन बिक्री में। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित तरीकों और मान्यताओं का उपयोग किया गयारू

(i) कंपनी द्वारा ब्याज दरों, ग्राहक की व्यक्तिगत साख और अन्य बाजार जोखिम कारकों जैसे मापदंडों के आधार पर दीर्घकालिक निश्चित दर और चर दर प्राप्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर, भत्तों को इन प्राप्तियों के अपेक्षित ऋण नुकसान के लिए ध्यान में रखा जाता है ।

(ii) कंपनी के ब्याज–असर उधार, ऋण और प्राप्तियों के उचित मूल्य रियायती नकदी प्रवाह (श्डीसीएफश) विधि लागू करके निर्धारित किए जाते हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधारी दर को दर्शाता है। 31 मार्च 2019 के रूप में अपने गैर–प्रदर्शन जोखिम को महत्वहीन आंका गया था।

46- foÙkh; tksf[ke çca/ku

i) Js.kh ds mä esa foÙkh; lk/ku

fooj.k	31 ekpZ 2020			31 ekpZ 2019		
	,QohVhih,y	,Qohvkslhvkbz	ifj'kksf/kr ykxr	,QohVhih,y	,Qohvkslhvkbz	ifj'kksf/kr ykxr
foÙkh; ifjlaifÙk						
निवेश*	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	3,747.54	-	-	3,582.45
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	3,493.54	-	-	901.64
प्राप्य व्यापार	-	-	620.74	-	-	603.85
नकद और नकदी समतुल्य	-	-	142.68	-	-	74.85
अन्य बैंक शेष	-	-	13.02	-	-	20.42
dqy	**-**	**-**	**8,017.52**	**-**	**-**	**5,183.21**
foÙkh; ns;rk,a						
उधार	-	-	21,850.58	-	-	19,051.94
लीज़ देयताएं	-	-	324.94	-	-	45.22
व्यापार देय	-	-	782.32	-	-	529.74
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	6,091.42	-	-	2,579.90
dqy	**-**	**-**	**29,049.25**	**-**	**-**	**22,206.80**

*सहायक कंपनियों, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार लागत पर लिए गए हैं– पृथक वित्तीय विवरण तथा इस कारण यहां नहीं दर्शाए गए।

ii) tkf[ke ic/ku

समूह की गतिविधियों से इसके समक्ष बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम और ऋण जोखिम आते हैं। इस टिप्पणी में कंपनी के समक्ष आए जोखिम तथा कंपनी किस प्रकार इस जोखिम का प्रबंधन करती हैं और वित्तीय विवरणों में इसके संबंधित प्रभाव का स्पष्टीकरण किया गया है।

tkf[ke	ekiu	ic/ku
ऋण जोखिम	अवधि विश्लेषण	बैंक जमा, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमा और संपार्श्विक (कोलेटरल)
चल निधि जोखिम	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्था की उपलब्धता और उधार सुविधा
बाजार जोखिम – विदेशी मुद्रा	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	वायदा संविदा/बचाव व्यवस्था, यदि आवश्यक हो तो
बाजार जोखिम – ब्याज दर	संवेदनशीलता विश्लेषण	बाजार घटकों को दर्शाने वाली शर्तों पर समझौता वार्ता
बाजार जोखिम – प्रतिभूति कीमत	संवेदनशीलता विश्लेषण	वर्तमान में समूह इक्विटी शेयरों में निवेश नहीं कर रहा सिवाय उन कंपनियों के जिनमें इसका नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के तहत समूह का जोखिम प्रबंधन एक केंद्रीय कोषागार विभाग (मूल कंपनी के) द्वारा किया जाता है। कंपनी का निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत उपलब्ध करवाता है जैसे विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ऋण जो. खिम और अतिरिक्त चलनिधि का निवेश।

,½ _.k tkf[ke

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्षकार समूह के प्रति अपने दायित्व का पालन करने में असफल रहता है। समूह को इस जोखिम का सामना विभिन्न वित्तीय लिखतों के लिए करना पड़ता है उदाहरणतः उपभोक्ताओं को ऋण और प्राप्य राशियां, जमा इत्यादि देना। समूह के समक्ष अधिकतम ऋण जोखिम निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की रखाव राशि तक सीमित है।

– नकदी और नकदी समतुल्य,

– व्यापार प्राप्य,

– परिशोधित लागत पर लिए गए ऋण और प्राप्य राशियां, तथा

– बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जमा

,½ _.k tkf[ke icaèku

समूह ऋण जोखिम का आकलन और प्रबंधन आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पद्धति द्वारा चूककर्ता उपभोक्ताओं और अन्य प्रतिपक्षकारों की निरंतर निगरानी द्वारा करता है जिनकी पहचान वैयक्तिक रूप से अथवा समूह द्वारा की गई हो तथा इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रणों में शामिल करता है। विभिन्न विशिष्टताओं वाली वित्तीय लिखतों की प्रत्येक श्रेणी के लिए आंतरिक क्रेडिट रेटिंग की जाती है। समूह प्रत्येक वर्ग की वित्तीय परिसंपत्ति की क्रेडिट रेटिंग उस वित्तीय परिसंपत्ति वर्ग की विशिष्ट धारणाओं, इनपुट और कारको के आधार पर करता है।

ए : कम, बीः मध्यम, सीः उच्च

ऋण जोखिम वाली परिसंपत्तियां –

(रुपये करोड़ में)

lk[k Js.kh fuèkkj.k ¼ØfMV jfVax½	fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
ए : कम	ऋण	3,747.54	3,582.45
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,492.91	899.90
	बैंक जमा	24.05	22.16
	नकदी और नकदी समतुल्य	132.28	74.85
बी : मध्यम	व्यापार प्राप्य	620.74	603.85
सी : उच्च	व्यापार प्राप्य	932.09	870.58
	निवेश	-	100.00
	ऋण	2.23	12.90
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	89.28	109.13
	नकदी और नकदी समतुल्य	0.56	0.56

नकदी एवं नकदी समतुल्य और बैंक जमा

नकदी और नकदी समतुल्य और बैंक जमा से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन केवल उच्च रेटिंग के बैंकों को स्वीकार करके, बैंक जमाओं का विविधीकरण करके और देश के विभिन्न बैंकों मे खातों द्वारा किया जाता है।

व्यापार प्राप्य

जहां ऋण जोखिम अधिक होता है उसके लिए उपभोक्ताओं से बैंक गारंटी लेकर व्यापार प्राप्यों के ऋण जोखिमों को कम किया जाता है। समूह देनदारों की ऋण पात्रता जो उपभोक्ता की ऋण सीमा को परिभाषित करने के लिए बनाई गई है, आंतरिक पद्धति द्वारा ध्यानपूर्वक निगरानी करता है ताकि ऋण जोखिम को पूर्व परिभाषित सीमा तक रखा जा सके। समूह उन प्राप्य राशियों के लिए कार्यशील आधार पर ऋण जोखिम में वृद्धि का आकलन करता है जो पूर्व देय हो गए हों तथा चूक उस समय उत्पन्न हुई मानी जाती है जब निम्नानुसार प्राप्य राशियां प्रत्येक व्यवसाय खंड में पूर्व देय बन जाती हैं:–

(i) सेल्युलर : छह माह के पूर्व देय

(ii) बेसिक एवं अन्य सेवाएं : तीन वर्ष के पूर्व देय

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपतियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम, प्रतिभूति जमा और अन्य शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की वसूली योग्यता की निरंतर निगरानी द्वारा किया जाता है जबकि इसके साथ ही विद्यमान आंतरिक नियंत्रण पद्धति से यह सुनिश्चित होता है कि राशि निर्धारित सीमा में है।

ch½ iR;kf'kr _.k gkfu;k

समूह निम्नलिखित आधार पर प्रत्याशित ऋण हानियों का प्रावधान करता है।

व्यापार प्राप्य

(i) समूह व्यापार प्राप्यों के जीवन काल की प्रत्याशित ऋण हानियों की पहचान सरलीकृत दृष्टिकोण को अपनाते हुए करता है, जिसमें समूह उपर्युक्त मापदंड के आधार पर व्यवसाय के प्रत्येक खंड की संगत चूक के ऐतिहासिक रूझान का विश्लेषण करके परिभाषित प्रतिशत का प्रावधान करता है। निर्धारित की गई ऐसी प्रावधान प्रतिशतता को व्यापार प्राप्यों (जहां चूक मापदंड पूरे किए जाते हैं उनके अलावा) के जीवन काल की प्रत्याशित ऋण हानि की पहचान करने के लिए विचार किया गया है।

(रुपये करोड में)

fooj.k	31 ekpZ 2020		31 ekpZ 2019	
	cfld ,o vU; lok,i	lY;yj	cfld ,o vU; lok,i	lY;yj
विक्रय की सकल राशि	5,036.70	16.71	5,969.51	11.70
प्रत्याशित हानि दर	1.79%	35.05%	1.46%	7.47%
प्रत्याशित ऋण हानि (हानि गुंजाइश प्रावधान)	90.10	5.86	87.29	0.87
उपभोक्ताओं से प्राप्य देय, जहां विशिष्ट चूक हुई हो	596.75	239.39	566.15	216.27

निरूपित अवधि के दौरान समूह ने व्यापार प्राप्य को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से लेकर अंत तक हानि छूट प्रावधान का मिलान

(रुपये करोड में)

gkfu NwV dk feyku	O;kikj izkI;
01 vizSy 2018 dks gkfu NwV	**(863.05)**
जोड़ें (घटाएं) : परिसंपत्ति के प्रारंभ से अथवा खरीद के कारण हानि छूट में परिवर्तन	7.53
31 ekpZ 2019 dks gkfu HkÙkk	**(870.58)**
जोड़ें (घटाएं) : बट्टेखाते/वसूली के कारण हानि छूट में परिवर्तन	16.37
जोड़े (घटाएं) : परिसंपत्ति के प्रारंभ से अथवा खरीद के कारण हानि छूट में परिवर्तन	(77.88)
31 ekpZ 2020 dks gkfu HkÙkk	**(932.09)**

परिशोधन लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी प्रत्याशित ऋण हानि के लिए समूह वैयक्तिक वित्तीय लिखतों की किसी प्रत्याशित हानि का आकलन करके व्यापार प्राप्यों से इतर ऋण और अग्रिम पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करता है। इस श्रेणी में, क्योंकि अलग–अलग प्रकृति तथा उद्देश्यों के ऋण तथा प्राप्य शामिल हैं इसलिए ऐसा कोई रूझान नहीं है, जिसे समूह सतत रूप से सभी पर प्रयुक्त कर सके। प्रत्याशित ऋण जोखिम की पहचान होने पर प्रारंभ में समूह 12 महीने के लिए प्रावधान करता है। यदि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है तो उसके जीवनकाल के लिए प्रावधान करता है। ऐसी परिसंपत्तियों के कम ऋण जोखिम प्रकार को देखते हुए समूह को कोई क्षरण आधारित प्रत्याशित हानि नहीं है तथापि ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप श्रेणी में, हुई हानि प्रावधान के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

बी) चलनिधि जोखिम

विवेकसम्मत चलनिधि जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियां और प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधा द्वारा पर्याप्त राशि निधिकरण बनाए रखा जाता है ताकि जब देय राशि की बाध्यताएं हो तो उन्हें पूरा किया जा सके। व्यवसाय की प्रकृति के कारण समूह निधिकरण का लचीलापन प्रतिबद्ध सुविधाओं की उपलब्धता द्वारा बनाए रखता है। प्रबंधन समूह की चलनिधि स्थिति तथा प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकदी समतुल्य के पूर्वानुमान की निरंतर निगरानी करता है। समूह उस बाजार की चलनिधि पर भी दृष्टि रखता है जिसमें उसका परिचालन है। इसके अतिरिक्त समूह की चलनिधि प्रबंधन नीति के अंतर्गत प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह का अनुमान तथा इसे पूरा करने के लिए अर्थ सुलभ/तरल परिसंपत्तियों के स्तर, आंतरिक और बाह्य नियामक आवश्यकताओं की तुलना में तुलनपत्र चलनिधि अनुपात की निगरानी और कर्ज वित्तपोषण योजना को बनाए रखना आता है।

,½ foÙkh;u izca/ku

रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समूह ने निम्नलिखित गैर आहरित उधार सुविधाओं तक पहुँच थी।

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020			31 ekpZ 2019		
	dqy lfo/kk	vkgfjr	vukgfjr	dqy lfo/kk	vkgfjr	vukgfjr
0–1 वर्ष	11,015.00	10,411.42	603.58	8,570.00	8,260.35	309.65
1–2 वर्ष	1,770.00	1,770.00	-	865.00	865.00	-
दो वर्ष से अधिक	7,817.50	7,817.50	-	7,595.00	7,595.00	-
dqy	**20,602.50**	**19,998.92**	**603.58**	**17,030.00**	**16,720.35**	**309.65**

ch½ foÙkh; n;rkvk dh ifjiDork

नीचे दी गई तालिका समूह की वित्तीय देयताओं का विश्लेषण सभी गैर व्युत्पन्नी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदागत परिपक्वताओं के आधार पर संगत परिपक्वता में करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशियां संविदागत बट्टारहित नकदी प्रवाह हैं। 12 माह में देय शेष उनके धारक शेष के समान हैं क्योंकि बट्टे का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। (रुपये करोड़ में)

31 ekpZ 2020	1 o"kZ ls de	1&3 o"kZ	3&5 o"kZ	5 o"kZ ls vf/kd	dqy
xSj&O;qRiUuh					
दीर्घावधि उधार (बॉण्ड सहित)	1,984.85	6,231.08	4,412.21	657.31	13,285.45
पट्टा देयताएं	108.49	132.87	99.18	407.24	747.78
अल्पावधि उधार	9,296.42	-	-	-	9,296.42
व्यापार देय	782.32	-	-	-	782.32
अन्य वित्तीय देयताएं	2,954.05	12.07	4.52	291.98	3,262.61
dqy	**15,126.13**	**6,376.03**	**4,515.91**	**1,356.52**	**27,374.59**

(₹ in crores)

31 ekpZ 2019	1 o"kZ ls de	1&3 o"kZ	3&5 o"kZ	5 o"kZ ls vf/kd	dqy
xSj&O;qRiUuh					
दीर्घावधि उधार (बॉण्ड सहित)	1,745.14	4,261.82	9,101.73	990.25	16,098.95
पट्टा देयताएं	5.16	10.32	10.32	375.81	401.61
अल्पावधि उधार	7,620.36	-	-	-	7,620.36
व्यापार देय	529.74	-	-	-	529.74
अन्य वित्तीय देयताएं	1,554.69	13.12	5.90	482.14	2,055.85
dqy	**11,455.09**	**4,285.26**	**9,117.95**	**1,848.20**	**26,706.50**

lh½ cktkj tksf[ke

,½ fons'kh eqæk tksf[ke

समूह के समक्ष विदेशी विनिमय लेन–देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम मुख्यतः अमेरिकन डॉलर और यूरो का है। विदेशी मुद्रा जोखिम पहचानी गई उन परिसंपत्तियों और देयताओं के संबंध में आता है जिनका मुद्रा मूल्यवर्ग समूह की किसी भी संस्था की कार्यात्मक मुद्रा में नहीं आता है। विदेशी विनिमय लेन–देन की कम मात्रा को देखते हुए समूह के समक्ष विदेशी विनिमय का सीमित जोखिम है। अतः समूह इस एक्सपोज़र का प्रबंधन करने के लिए किसी व्युत्पन्नी लिखत का प्रयोग नहीं करता। समूह वायदा–संविदा और सट्टे के उद्देश्य से अदला–बदली भी नहीं करता।

(i) vefjdh MkWyj esa fons'kh eqæk tksf[ke ,Dlikstj

समूह को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर रुपये में निम्नलिखित के अनुसार है (रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
वित्तीय परिसंपत्तियां	1.60	2.48
वित्तीय देयताएं	1.82	2.24
fons'kh eqæk tksf[ke ¼n;rk,½ dk fuoy ,Dlikstj	(0.22)	0.24

संवेदनशीलता

वित्तीय लिखतों के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के विनिमय दर में परिवर्तन से मुख्यतः लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता आती है।

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
यूएसडी संवेदनशीलता		
भारतीय रुपये/यूएसडी–500 आधार अंक (बीपी) की वृद्धि (31 मार्च 2019, 500 बीपी)*	(0.42)	0.27
भारतीय रुपये/यूएसडी–500 आधार अंक (बीपी) की कमी (31 मार्च 2019, 500 बीपी)*	0.42	(0.27)

** सभी अन्य चर वस्तुओं को स्थिर मानते हुए*

(ii) ;jk e fon'kh eæk tkf[ke ,Dlikstj%

समूह के समक्ष रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर रुपये में निम्नलिखित हैं :

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
वित्तीय परिसंपत्तियां	8.52	1.95
वित्तीय देयताएं	1.26	0.71
fon'kh eæk tkf[ke ¼n;rk,½ dk fuoy ,Dlikstj	**7.26**	**1.24**

संवेदनशीलता

वित्तीय लिखतों के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के विनिमय दर में परिवर्तन से मुख्यतः लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता उत्पन्न होती है।

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
अमेरिकी डॉलर संवेदनशीलता		
भारतीय रुपये/यूएसडी–500 आधार अंक (बीपी) की वृद्धि (31 मार्च 2019, 500 बीपी)*	0.36	0.06
भारतीय रुपये/यूएसडी–500 आधार अंक (बीपी) की कमी (31 मार्च 2019, 500 बीपी)*	(0.36)	(0.06)

** सभी अन्य चर वस्तुओं को स्थिर मानते हुए*

ch½ C;kt nj tkf[ke

i) n;rk,

समूह की नीति है कि दीर्घावधि वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को न्यूनतम किया जाए। 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार समूह बैंक को परिवर्ती ब्याज दरों पर उधार की वजह से ब्याज दरों में परिवर्तन का सामना करना पड़ा है। समूह को सावधि जमा में निवेश पर स्थिर ब्याज दर मिलती है।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

समूह को ब्याज दर जोखिम का समग्र एक्सपोज़र निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp 2020	31 ekp 2019
परिवर्ती उधार दर	19,986.77	16,713.48
नियत उधार दर	2,978.80	2,978.45
dqy m/kkj	**22,965.57**	**19,691.93**

संवेदनशीलता

ब्याज दरों में परिवर्तन से लाभ अथवा हानि और इक्विटी में संवेदनशीलता निम्नलिखित है :

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
ब्याज संवेदनशीलता*		
ब्याज दरें – 50 बीपी आधार अंक की वृद्धि	99.93	83.57
ब्याज दरें – 50 बीपी आधार अंक की कमी	(99.93)	(83.57)

** सभी अन्य चर वस्तुओं को स्थिर मानते हुए*

ii) ifjlaifÙk;ka

समूह की सावधि जमा परिशोधन लागत और स्थिर जमा दर पर रखी जाती हैं। चूंकि बाजार ब्याज दर में परिवर्तन से न तो रखाव राशि में घट–बढ़ होगी और न ही भावी नकदी प्रवाह में अतः इन्हें भारतीय लेखामानक 107 के अनुसार ब्याज दर जोखिम नहीं है।

lh½ dher tksf[ke

समूह का इक्विटी लिखत में कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं है जिससे कीमत जोखिम का एक्सपोज़र हो।

47- iwath izca/ku

समूह के पूंजीगत प्रबंधन उद्देश्य इस प्रकार हैं

– कार्यशील प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की समूह की योग्यता को सुनिश्चित करना।

– शेयरधारकों को पर्याप्त प्रतिलाभ प्रदान करना।

समूह पूंजी को इक्विटी की रखाव राशि में से नकदी तथा नकदी तुल्यों को घटाकर निगरानी करता हैं, जैसा कि तुलनपत्र में प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन अधिक लीवरेज से बचते हुए प्रभावी समग्र वित्तीयन ढांचे को बनाए रखने के लिए समूह की पूंजी जरूरतों का निर्धारण करता है। यह समूह के विभिन्न श्रेणियों के कर्ज के गौण स्तरों को हिसाब में लेता है। समूह पूंजी ढांचे का प्रबंधन करता है तथा आर्थिक दशाओं में परिवर्तन एवं मूल परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं को देखते हुए इसमें समायोजन करता है। पूंजी ढांचे के रखरखाव अथवा समायोजन के लिए समूह शेयर धारकों को भुगतान की गई लाभांश राशि को समायोजित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नए शेयर निर्गमित कर सकता है अथवा कर्ज घटाने के लिए परिसंपत्तियों को बेच सकता है।

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
निवल कर्ज	13,669.15	12,112.15
कुल इक्विटी	(13,585.65)	(9,734.94)
vuqikr bfDoVh dh rqyuk esa fuoy dtZ*	-	-

समूह ने चालू वर्ष अथवा पिछले वर्ष में लाभांश की घोषणा नहीं की है।

*31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को इक्विटी नकारात्मक थी, अतः इक्विटी की तुलना में कर्ज अनुपात को शून्य दर्शाया गया है।

48- deZpkjh fgr ykHk cká;rk,a

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020		31 ekpZ 2019	
	pkyw	xSj&pkyw	pkyw	xSj&pkyw
उपदान	16.25	137.43	81.71	318.53
प्रतिपूरित अनुपस्थिति (अनिधिक)	22.99	198.59	223.02	896.06
dqy	**39.24**	**336.02**	**304.73**	**1,214.59**

minku

''कंपनी द्वारा भारत में कर्मचारियों को उपदान का भुगतान, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार किया जाता है। 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले कर्मचारी उपदान के पात्र हैं। सेवानिवृत्ति/सेवासमाप्ति पर उपदान के भुगतान की राशि की गणना कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह लिए गए अंतिम मूल वेतन को की गई सेवा के वर्षों की संख्या को समानुपातिक रूप से 15 दिनों के वेतन से गुणा करके की जाती है।

निधिक योजना के लिए, कंपनी भारत में पहचानी गई कर्ज आधारित निधियों के लिए योगदान करती है। कंपनी देय ता का पूरा निधीयन नहीं करती है तथा प्रत्याशित भुगतानों के आकलन के आधार पर निर्धारित अवधि के लिए निधीयन का लक्ष्य निश्चित करती है। याजे ना की अगली वार्षिक रिपोटिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान की राशि रुपये 7.35 करोड़ (पिछले वर्ष–रुपये 19.19 करोड़) है। 31 मार्च, 2020 के अनुसार परिभाषित हितलाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि 12 से 13 वर्ष है (31 मार्च, 2019: 7 से 8 वर्ष है।)''

,- minku dk i|dVu

(i) ykHk vkj gkfu ds fooj.k esa igpkuh xbZ jkf'k dk fooj.k fuEufyf[kr g%&

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
चालू सेवा लागत	6.74	20.54
ykHk vkj gkfu fooj.k esa igpkuh xbZ jkf'k	**6.74**	**20.54**

(ii) rqyu&i= esa igpkuh xbZ ns;rkvksa esa mrkj&p<+ko fuEufyf[kr g%

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
o"kZ ds izkjEHk esa ifjHkkf"kr fgrykHk nkf;Roksa dk orZeku ewY;	400.24	388.16
चालू सेवा लागत	6.74	20.54
पूर्व सेवा लागत अभिलाभों/(हानियों) की कमी सहित		-
ब्याज लागत	30.58	29.69
वर्ष के दौरान पहचानी गई बीमांकिक हानि	103.60	10.35
प्रदत्त हितलाभ	(387.47)	(48.50)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**153.69**	**400.24**

(iii) rqyu&i= esa igpkuh xbZ ;kstukxr ifjlaifÙk esa mrkj&p<+ko fuEufyf[kr g%

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
o"kZ ds izkjEHk esa ;kstukxr ifjlaifÙk;ksa dk mfpr ewY;	559.64	510.30
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ (रिटर्न)	42.76	39.04
एमटीएनएल से /को अंतरण	(313.63)	-
एमटीएनएल से प्राप्य	67.08	12.08
प्रीमियम मोचन आरक्षित निधि	0.07	(4.67)
अग्रिम आय	-	(0.08)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक अभिलाभ	(11.73)	2.97
ब्याज के लिए प्रावधान	(73.84)	-
o"kZ ds var esa ;kstukxr ifjlaifÙk;ksa dk mfpr ewY;	270.35	559.64
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ (रिटर्न)	31.03	42.01

(iv) chekafdd ¼vfHkykHk½@gkfu dk fooj.k

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन से बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	0.08	-
वित्तीय धारणा में परिवर्तन से बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	22.12	(2.79)
अनुभव समायोजन से बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	93.12	10.18
dqy chekafdd ¼vfHkykHk½@gkfu	**115.32**	**7.39**

(v) chekfdd èkkj.kk,¡

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
बट्टा दर	6.84%	7.65%
मूल वेतन में भावी वृद्धि	3.50%	3.50%
महंगाई भत्ता में भावी वृद्धि	4.00%	4.00%

ये धारणाएं प्रबंधन द्वारा स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांककों की सहायता से तैयार की गई थीं। बट्टा घटक प्रत्येक वर्ष के अंत में संबंधित आर्थिक बाजार के सरकारी बॉण्ड, जिनकी परिपक्वता संबंधित दायित्व की अवधि के सन्निकट हो, के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अन्य धारणाएं प्रबंधन के पूर्व अनुभव पर आधारित है।

(vi) minku n;rk dk laosnu'khyrk fo'ys"k.k

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
बट्टा दर में परिवर्तन का प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	153.69	400.24
– 0.50% की वृद्धि से प्रभाव	(6.64)	(8.44)
– 0.50% की कमी से प्रभाव	7.16	8.92
वेतन बढ़ोत्तरी के परिवर्तन से प्रभाव		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	153.69	400.24
– 0.50% की वृद्धि से प्रभाव	5.40	9.19
– 0.50% की कमी से प्रभाव	(5.52)	(8.82)

उपर्युक्त संवेदनशील विश्लेषण धारणा में परिवर्तन पर आधारित है जबकि धारित शेष सभी धारणाएं स्थिर बनी रहें। वस्तुतः इसके न होने की संभावना कम ही होती है और कुछ धारणाओं में परिवर्तन का आपस में संबध हो सकता है। जब बीमांकिक धारणाओं में परिभाषित हितलाभ दायित्वों की संवेदनशीलता की गणना की गई है तब उसी पद्धति (रिर्पोटिंग अवधि की समाप्ति पर प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट पद्धति के साथ परिभाषित हितलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है) का प्रयोग किया गया है। तुलन पत्र में पहचानी गई परिभाषित हितलाभ बाध्यता देयताओं की गणना में इसका प्रयोग किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में धारणाओं की पद्धति और प्रकार में पूर्व वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(vii) ifjHkkf"kr fgrykHk ckè;rkvksa dh ifjiDork dh :ijs[kk

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
अगले 12 माह में	16.25	81.71
1–5 वर्ष के बीच	38.79	221.15
5 वर्ष से अधिक	98.64	97.38

(viii) minku U;kl esa fuos'k dh Js.kh

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
कॉरपोरेट बॉण्ड	30.69	197.78
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	37.29	213.58
म्यूच्युअल फंड	66.13	140.60
भारतीय जीवन बीमा निगम	19.58	7.68
dqy	**153.69**	**559.64**

ch- ifrifjr vuqifLFkfr ¼vfufeÙkd½

छुट्टी बाध्यताओं में बीमारी और अर्जित छुट्टी में देयता का उत्तरदायित्व कंपनी का है। कंपनी के पास ऊपर दर्शाए गए शेष के वर्तमान प्रावधान की बाध्यताओं के निपटान को शर्तरहित आस्थगित करने का अधिकार नहीं है। पूर्व अनुभव के आधार पर कंपनी यह आशा नहीं करती कि सभी कर्मचारी उपार्जित छुट्टी की पूरी राशि लेंगे अथवा अगले 12 माह के अंदर भुगतान की आवश्यकता होगी अतः स्वतंत्र बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर निश्चित राशि चालू रूप में तथा शेष गैर चालू के रूप में निरूपित की गई है। रुपये 269.40 करोड़ (पिछले वर्ष 181.87 करोड़) की राशि लाभ तथा हानि के विवरण में पहचानी गई है।

lh- ifjHkkf"kr va'knku ;kstuk

सरकारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान किया जाता है जिसमें लागू अधिनियमों के अंतर्गत सभी कर्मचारी आ जाते हैं। पात्र कर्मचारी और समूह पूर्व निर्धारित राशि का अंशदान भविष्य निधि में करते हैं। सामान्यतः अंशदान कर्मचारी के वेतन के अनुपात में होता है।

समूह द्वारा लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित राशि की पहचान की गई।

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान*	58.74	60.66
डीओटी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण का अंशदान**	0.75	1.31
डीओटी कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान***	1.05	1.77
कंपनी कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान****	73.07	95.51

* सीपीएफ के अंशदान के रूप में उल्लिखित

** छुट्टी नकदी के रूप में उल्लिखित – अन्य

*** पेंशन अंशदान के रूप में उल्लिखित – अन्य

**** पेंशन अंशदान के रूप में उल्लिखित – कंपनी कर्मचारी

डी. उपदान और प्रतिपूरित अनुपस्थितियों का भुगतान कर्मचारी की मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति पर किया जाता है। इन संभावित घटनाओं के लिए बीमांकक ने सेवाकाल में मृत्यु के लिए एलआईसी (1994–96) अल्टीमेट तालिका और सेवानिवृत्ति पर मृत्यु के लिए एलआईसी (1996–98) तालिका का उपयोग किया है।

ई. सेवा काल में मृत्यु को एलआईसी (1994–96) की अल्टीमेट तालिका और सेवानिवृत्ति पर मृत्यु को एलआईसी (1996–98) तालिका के आधार पर कल्पित किया गया है।

एफ. समूह ने अपने सेवानिवृत्त एवं सेवारत कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ देने के लिए बीमा पॉलिसी ली है। इस बीमा पॉलिसी की राशि पूर्णतः समूह द्वारा दी जाती है।

49- lacaf/kr i{k ikVhZ

संबंधित पक्षों का जहां नियंत्रण हैः

i. izeq[k izca/ku dkfeZd

uke	inuke
श्री पी.के. पुरवार	15/07/2019 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.वी. जोशी	निदेशक (वित्त) 05.11.2018 से
श्री सुनील कुमार	निदेशक (मानव संसाधन) तथा 16/07/2019 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री संजीव कुमार	निदेशक (तकनीकी)
श्री एस. आर. स्याल	कंपनी सचिव
श्री हरवेश भाटिया	कार्यकारी निदेशक, दिल्ली 31/12/2019 तक
श्री एस. पी. राय	कार्यकारी निदेशक, दिल्ली 01/01/2020 से
श्री ए. के. श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक, मुंबई 01/06/2019 से 30/11/2019 तक
श्री वी. श्रीशंकर	कार्यकारी निदेशक, मुंबई 01/12/2019 से
श्री प्रवीण पुंज	कार्यकारी निदेशक, मुंबई 31/05/2019 तक

ii. lgk;d dEiuh

महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड (एमटीएमएल)
मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
एमटीएमएल इंटरनेशनल लिमिटेड (एमटीएमएल की सहायक)
एमटीएमएल डाटा लिमिटेड (एमटीएमएल की सहायक)

iii. l;qDr m|e

एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड ('एमएसआईएसएल')

iv. lg;ksxh dEifu;k

यूनाइटेड टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड ('यूटीएल')*

v. vU; lEc) i{k

एमटीएनएल छुट्टी नकदीकरण न्यास
एमटीएनएल उपदान न्यास

vi. vU; ljdkjh laLFkk

भारत संचार निगम लिमिटेड ('बीएसएनएल')

vii. lEcfU/kr i{kksa ls egRoiw.kZ ysu&nsu dk lkjka'k

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	lekIr o"kZ ds fy,	
	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक		
- अल्पावधि कर्मचारी लाभ	1.96	1.80
- रोजगार पश्चात लाभ	0.12	0.30
- अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	0.23	0.44
एमटीएमएल से प्राप्त राशि	1.02	1.21
एमएसआईएसएल से प्राप्त राशि	0.46	1.64
एमटीएल से प्राप्त राशि	0.20	0.06
एमटीएल पर किए गए दावे	-	0.04

viii. lEcfU/kr i{kksa ls egRoiw.kZ cdk;k 'ks"k dk lkjka'k

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020		31 ekpZ 2019	
	vfxze	'ks;jksa esa fuos'k	vfxze	'ks;jksa esa fuos'k
एमटीएमएल	-	100.97	-	100.97
एमटीएल	-	2.88	0.60	2.88
एमएसआईएसएल	-	2.28	-	2.28
यूटीएल	-	35.85	-	35.85

ix. समूह की सेवाओं की खरीद तथा बिक्री के संबंध में कुछ लेनदेन हैं और अचल संपत्ति के किराये से खर्चें की प्रतिपूर्ति (जैसे बिजली और पानी का प्रभार) बीएसएनएल से प्राप्त करता है।

*एमटीएनएल, टीसीआईएल, टीसीएल तथा एनवीपीएल (नेपाल), जिन्हें यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) में निवेश करने पर सामूहिक रूप से 'निवेशक' कहा गया है, के बीच हुए शेयरधारकों के समझौते की धारा 12.19 (बी) के साथ पठित संशोधित समझौते (जिसे संशोधित समझौता कहा गया है) के पैरा 27 के अनुसार

यदि एनवीपीएल (नेपाल का स्थानीय साझेदार) अपना हित (स्टेक) किसी तीसरे पक्ष को बेचने का निर्णय लेता है तो इसे अन्य निवेशकों की पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता होगी। साथ ही ऐसे समय पर समझौते के बहिर्गमन खंड के अनुसार एनवीपीएल को छोड़कर कोई अन्य निवेशक संशोधित समझौते से 2 वर्ष के बाद 3 माह का नोटिस देकर इस व्यवस्था से बाहर आ सकते हैं। इस बहिर्गमन खंड के अनुसरण में मूल कंपनी ने बाहर निकलने के लिए यूटीएल को 30 जनवरी 2018 को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 30 अप्रैल 2018 तक वैध है तथा 30 अप्रैल 2018 के बाद के लिए स्थानीय साझेदार ने मूल कंपनी द्वारा किए गए बहिर्गमन के अनुरोध को प्रभावी बनाने के लिए 3 माह अर्थात 30 जुलाई 2018 तक का समय विस्तार मांगा था। तदनुसार ऐसे निवेश को 31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'बिक्री हेतु रखा गया' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेपाल में भारतीय एफडीआई का प्रत्यावर्तन नेपाल के सरकारी विभाग से अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है और अभी नेपाल सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना है। एमटीएनएल ने प्रक्रिया के शीघ्र निपटान के लिए नेपाल में भारत के राजदूत के साथ दूरसंचार विभाग के माध्यम से इस मामले को उठाया जिससे यूटीएल में निवेश किए गए राशि को शीघ्र एमटीएनएल को वापस दिया जा सके। विवरण के लिए टिप्पणी 23 देंखें ।

50- vkdfLed n;rkvks] yfcr eqdnes cksth rFkk vU; ekeyks dk fooj.k%

fooj.k		31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
ए	आयकर मांगें विवादित एवं अपील के अधीन^	364.93	399.79
बी	बिक्रीकर, सेवाकर, उत्पाद शुल्क, नगरपालिका कर मांगें, विवादित एवं अपील के अधीन	835.49	835.89
सी	(i) विलंबित भुगतानों / लंबित न्यायालय मामलों / कर मामलों पर डीडीए को ब्याज (ii) मूल कंपनी द्वारा अधिगृहीत भूमि और भवनों पर देय स्टाम्प शुल्क	राशि अनिश्चित राशि वर्तमान में अनिश्चेय	राशि अनिश्चित राशि वर्तमान में अनिश्चेय
डी	मूल कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया	654.31	3,234.93
ई	लंबित मध्यस्थता / न्यायालय मामले	2,500.99	2,440.63
एफ	बैंक गारंटी एवं साख–पत्र	86.35	87.14
जी	निदेशिका विवाद	55.43	53.49
एच	भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लंबित न्यायालय मामले	4.87	4.87
आई	नेटिंग आधार पर भुगतान किए बीएसएनएल प्रभारों के संदर्भ में लाइसेंस शुल्क संबंधी आकस्मिक देयता	140.36	140.36
जे	अनंतिम आकलन के संदर्भ में लाइसेंस शुल्क संबंधी आकस्मिक देयता	2,865.04	1,197.07
के	दूरसंचार विभाग द्वारा दिया गया बीटीएस से सबंधित अर्थ दंड	84.25	84.25

^ऊपर 1 (ए) में दर्शाए गए अनुसार आयकर के कारण आकस्मिक देयता में टीडीएस विभाग से प्राप्त वे विभिन्न नोटिस शामिल नहीं हैं, जिनमें दाखिल किए गए रिटर्न के साथ उनके रिकार्ड का मिलान न होने के कारण मांग पैदा हुई।

51- ifrc)rk,

ए. रिपोर्ट अवधि के अंत में संविदागत पूंजीगत व्यय लेकिन जिसे देयताओं के रूप में नहीं पहचाना गया इस प्रकार से हैं:–

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	51.81	68.26

बी. अधूरी संविदाओं पर किया गया व्यय पहले ही संविदा मूल्य से अधिक हो गया है, उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय अपेक्षित है जिसकी मात्रा नहीं बताई जा सकती।

52- Hkkjrh; ys[kk ekud 116 iÍs

समूह के पास कार्यालय भवन, टॉवरों तथा संबद्ध सुविधाओं एवं कारों के पट्टे हैं। लघु अवधि पट्टों तथा कम मूल्य की आधारभूत परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टे को तुलन–पत्र में परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार तथा पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक (इंडेक्स) अथवा दर पर निर्भर नहीं होते, को पट्टा देयता तथा परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के प्रारंभिक मापन से हटा दिया जाता है। समूह अपनी संपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण के अनुरूप अपनी परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करता है।

प्रत्येक पट्टा सामान्यतः यह प्रतिबंध लगाता है कि परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग केवल समूह द्वारा ही किया जा सकता है जब तक समूह के पास परिसंपत्ति को अन्य पार्टी को उप पट्टा पद देने का संविदागत अधिकार न हो। कुछ पट्टों में आगे की अवधि के लिए पट्टों को विस्तारित करने का विकल्प होता है। समूह के लिए आधारभूत पट्टा परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में बेचना अथवा गिरवी रखना वर्जित है। कार्यालय भवन तथा अत्य परिसरों को पट्टे पर देने के लिए समूह को इन परिसंपत्तियों को सही दशा में रखना तथा पट्टे की समाप्ति पर संपत्तियों को उनकी वास्तविक स्थिति में वापस करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समूह को पट्टा संविदा के अनुसार अनुरक्षण–शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

¼,½ iÍk Hkqxrku tks iÍk ns;rkvksa dh x.kuk esa 'kkfey ugha gS

पट्टा देयताओं की गणना में भुगतान से संबंधित जो व्यय शामिल नहीं है वे निम्न प्रकार हैं:–

fooj.k	31 ekpZ 2020
परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	46.11

(बी) अवधि के दौरान पट्टा देयताओं की रखाव राशि (ऋणों के अंतर्गत) तथा उतार–चढ़ाव निम्नानुसार हैं:

fooj.k	31 ekpZ 2020
प्रारंभिक शेष	352.91
जोडे गए	6.43
घटाए गए	(0.61)
ब्याज अभिवृद्धि	29.70
भुगतान	(63.49)
vUr 'ks"k	**324.94**
pkyw	**103.91**
xSj&pkyw	**221.03**

(सी) समूह के पास 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए पट्टे हेतु कुल नकदी प्रवाह 109.62 करोड़ रुपये (परिवर्तनशील पट्टा भुगतानों सहित) था।

(डी) पट्टा देयता को परिपक्वता विवरण के लिए कृपया टिप्पणी 45(बी)(बी) देखें।

(ई) विस्तार एवं समाप्ति विकल्पों के संबंध में सूचना।

ifjlEifÙk;ksa dk iz;ksx dk vf/kdkj	iÍksa dh la[;k	'ks"k vof/k dh lhek	vkSlr 'ks"k iÍk vof/k	foLrkj fodYi lfgr iÍksa dh la[;k	[kjhn fodYi ds lkFk iÍksa dh la[;k	lekfIr fodYi lfgr iÍksa dh la[;k
टॉवर	1,608	3-21 वर्ष	12 वर्ष	424	-	-
भवन	37	1- 3 वर्ष	3 वर्ष	-	-	37
पट्टा भूमि	3	1- 50 वर्ष	49 वर्ष	3	-	3

(एफ) ifjorZu ¼VªkaT'ku½ ls iHkko

1. समूह ने 1 अप्रैल 2019 से भारतीय लेखामानक 116 ''पट्टे'' का स्वीकरण कर लिया तथा 1 अप्रैल 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति को लागू किया। परिवर्तन पर, नए मानक को ग्रहण

करने के फलस्वरूप 352.91 करोड़ रुपये की पट्टा देयता तथा समरूप 5590.57 करोड़ रुपये के परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार की पहचान हुई।

2. 1 अप्रैल 2019 को संविदाओं के लिए, समूह ने भारतीय लेखा मानक 17 से पट्टे की परिभाषा को लागू करने का निर्णय किया है तथा व्यवस्थाओं के लिए भारतीय लेखामानक 116 को लागू नहीं किया जो पहले भारतीय लेखामानक 17 के अंतर्गत पट्टे के रूप में पहचाने नहीं गए थे।

3. समूह ने 1 अप्रैल 2019 को भारतीय लेखामानक 116 को लागू करने की प्रारंभिक दिनांक को विद्यमान परिचालन पट्टों के लिए परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के मापन में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को सम्मिलित न करने का निर्णय लिया है।

4. लागू करने की प्रारंभिक दिनांक पर परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर लागू करने की क्षति–समीक्षा करने के स्थान पर समूह उसके पूर्व के मूल्यांकन पर निर्भर रहा है कि क्या पट्टे भारतीय लेखामानक 116 के लागू करने की प्रारंभिक दिनांक से तुरंत पहले भारयुक्त थे।

5. परिवर्तन पर 12 माह से कम की शेष पट्टा समयावधि वाली प्रचालन पट्टों के रूप में पहले हिसाब में रखे गए पट्टों तथा कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए समूह ने परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की पहचान न करने के लिए नहीं, बल्कि शेष पट्टा समयावधि पर सीधी रेखा पद्धति पर पट्टा व्यय का लेखा जोखा करने के लिए वैकल्पिक छूट लागू की है।

6. वे पट्टे जो पहले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं उनके लिए अनुप्रयोग की प्रारंभिक दिनांक से तुरंत पूर्व भारतीय लेखा मानक 17 के अंतर्गत उन्हीं राशियों पर प्रारंभिक अनुप्रयोग की दिनांक पर परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार तथा पट्टा देयता को मापा जाता है।

7. भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन पर, पट्टा देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिमान उधार ग्रहण दर 8.79% पहचानी गई थी।

8. समूह ने भारतीय लेखामानक 17 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को किन्हीं पट्टा दायित्वों को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि चल रहे पट्टों को रद्द करने योग्य समझा गया था और जबकि 1 अप्रैल 2019 को पट्टा देयताओं का मूल्य मुख्यतः आकलन विस्तार विकल्पों जिनका समुचित रूप से निश्चित प्रयोग किया जाना है तथा समाप्ति विकल्पों का समुचित रूप से निश्चित प्रयोग नहीं किया जाना है। उस प्रकार की पट्टा देयताओं को छूट देने भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के प्रभाव के कारण है।

53- [kM lpuk

कंपनी भारत में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में है और इसमें दो रिपोर्टेबल सेगमेंट हैं। बेसिक और सेलुलर। इंड एएस एएस 108 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के पैरा 4 के अनुसार, यदि किसी वित्तीय रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों के साथ–साथ अलग वित्तीय विवरण दोनों शामिल हैं, तो सेगमेंट की जानकारी केवल समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक है

54- l ifÙk l j{kk d : i e fxjoh j[kk x;k

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp 2020	31 ekp 2019
pky		
सममात्रा प्रभार		
मालसूची	18.54	24.17
व्यापार प्राप्य	620.74	603.85
नकदी एवं नकद समतुल्य	142.68	74.85
अन्य बैंक शेष	13.02	20.42
ऋण	3,545.20	3,390.42
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,492.91	899.90
अन्य चालू परिसंपत्तियां	631.32	692.31
dy pky ifj lifÙk;k ftUg fxjoh j[kk x;k	**8,464.40**	**5,705.93**
xj&pky		
सममात्रा प्रभार		
उपकरण एव संयंत्र	1,417.55	1,721.23

fooj.k	31 ekp 2020	31 ekp 2019
वाहन	1.26	1.28
फर्नीचर	9.33	10.58
कार्यालय मशीनरी तथा उपस्कर	1.81	1.97
विद्युत उपकरण	14.21	13.42
कम्प्यूटर	16.58	17.75
dy pky ifjlifÙk;k ftUgs fxjoh j[kk x;k	**1,460.74**	**1,766.24**
dy ifjlifÙk;k ftUgs fxjoh j[kk x;k	**9,925.14**	**7,472.17**

55- l{e] y?k vkj eè;e m|e fodkl ¼,e,l,ebMh vfèkfu;e] 2006½ d vrxr idVu fuEu idkj l g%

(रुपये करोड़ में)

	fooj.k	31 ekp 2020	31 ekp 2019
(i)	प्रत्येक लेखाकंन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान के लिए बकाया मूलधन और उसका ब्याज;	37.98	5.35
(ii)	धारा 16 की शर्तों के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि के साथ प्रत्येक लेखावर्ष के दौरान निश्चित दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	शून्य	शून्य
(iii)	ब्याज की देय राशि तथा भुगतान करने (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया जा चुका है, परन्तु निश्चित दिन के बाद) में विलंब के कारण भुगतान योग्य राशि, जिसमें एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में विहित किए गए अनुसार ब्याज नहीं जोड़ा गया है;	शून्य	शून्य
(iv)	प्रोद्भूत ब्याज की राशि और जो प्रत्येक लेखा–वर्ष के अंत तक अदत्त रही;	9.17	शून्य
(v)	उत्तरवर्ती वर्षों में भी देय तथा आगे बकाया ब्याज की राशि उस तिथि तक, जब उपर्युक्त देय ब्याज का लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान किया जाता है। जो धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अनुमति नहीं देने के उद्देश्य से है।	शून्य	शून्य

सूक्ष्म लघु तथा मध्यम आय विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समूह विक्रेताओं की स्थिति के संबंध में पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। उक्त प्रकटीकरण उस सीमा तक निश्चित किया गया है, जहां तक समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

56ए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत मूल कंपनी आती है और तदनुसार बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति गठित की गई है। तथापि, पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में मूल कंपनी को कोई औसत निवल लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, अतः मूल कंपनी को अधिनियम, 2013 की शर्तों के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कोई राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

56बी वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा रुपये 2.08 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा में व्यय किया गया है। जबकि विदेशी मुद्रा में रुपये 1.44 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है।

57- miHkkDrk d lkFk lfonkvk l jktLo

भारतीय लेखा मानक 115 उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं से राजस्व (भारतीय लेखा मानक 115) यह निर्धारित करता है कि राजस्व कितना और कब चिह्नित है और राजस्व तथा उपभोक्ता संविदाओं से उत्पन्न नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता का प्रकटन अपेक्षित है। भारतीय लेखा मानक 115 के तहत राजस्व की 5 चरणीय दृष्टिकोण के माध्यम से पहचान की गई है:

(i) उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं की पहचान;

(ii) संविदाओं में पृथक निष्पादन दायित्व की पहचान;

(iii) लेनदेन के मूल्य का निर्धारण;

(iv) निष्पादन दायित्व का लेनदेन मूल्य नियत करना; और

(v) निष्पादन दायित्व की पूर्ति पर गए राजस्व की पहचान

वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल 2018 के आरंभ में धारित अर्जनों में, ऐसे संचयी पकड़ समायोजन के साथ संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा समूह ने 1 अप्रैल 2018 को मानक अपनाया है, मानों मानक हमेशा ही प्रभावी था। यह मानक केवल उन्हीं संविदाओं पर लागू होगा जो 1 अप्रैल 2018 तक पूरे नहीं हुए हैं। तुलनात्मक सूचनाएं पुनः नहीं बताई गई हैं और उन अवधियों के लिए प्रभावी लेखामानकों के अंतर्गत निरंतर प्रतिवेदित की गई हैं। नए मानक को अपनाने से समूह के राजस्व और निवल आय में कोई समायो. जन नहीं हुआ।

(i) lfonk ifjlifÙk;k vkj lfonk n;rkvk d lcèk e igpku x, jktLo

lfonk ifjlifÙk;k e ifjoru%

(रु. करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020 dk lekIr o"k
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	201.14
जोड़ेः वर्ष के दौरान पहचाने गए राजस्व	1,420.13
घटाएंः वर्ष के दौरान बनाए गए बीजक	**(1,483.28)**
	137.99

संविदा देयताओं में परिवर्तनः

(रु. करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2019 dk lekIr o"k
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	631.17
घटाएंः चालू वर्ष में पूरी की गई निष्पादन बाध्यताएं	(532.56)
जोडेंः वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम	444.98
	543.59

(ii) fHkUu fdLe d jktLo%

(रु. करोड़ में)

fooj.k	jkf'k
से राजस्वः	
–स्थायी टेलीफोन आय	948.32
–उद्यम व्यापार	257.33
–मोबाइल सेवाएं	154.12
–अन्य	**176.59**
	1,536.36

(iii) miHkkDrkvk d lkFk lfonk l lcfèkr ifjlifÙk;k vkj n;rk,

(रु. करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020 d vuqlkj		31 ekp] 2019 d vuqlkj	
	xj&pky	pky	xj&pky	pky
lfonk ifjlifÙk;k				
बिल रहित प्राप्य राशियां	-	137.98	-	201.14
संविदा देयताएं				
उपभोक्ताओं से अग्रिम	-	395.71	-	457.20
आस्थगित आय	105.78	20.93	127.97	22.20
आस्थगित सक्रियण/संस्थापन शुल्क	14.83	6.34	18.13	5.67

58. बहियों में पूंजीकृत कुछ भूमियों तथा भवनों का मूल कंपनी के नाम से पंजीकरण/कानूनी रूप से प्रलेखीकरण लंबित है तथा दूरसंचार विभाग से अधिगृहीत भूसंपत्ति कंपनी के नाम अंतरित नहीं हुई है तथा पट्टेवाली भूमि के संबंध में प्रलेखीकरण अभी लंबित है। बिक्रीनामा (सेल डीड) के अनुसार दूरसंचार विभाग से 01.04.1986 के पश्चात अधिगृहीत भूमि तथा भवनों की स्टाम्प शुल्क देयता दूरसंचार विभाग की है तथा संपत्तियों की बिक्री या निपटान के समय आवश्यकतानुसार प्रलेखीकरण पर विचार किया जाएगा।

59. दूरसंचार विभाग ने एमटीएनएल पर जीएसएम तथा सीडीएमए स्पैक्ट्रम के लिए एकबारगी लगने वाले स्पैक्ट्रम प्रभार लगाए हैं तथा परीक्षण आधार पर 1800 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में 4.4 मेगाहर्ट्ज़ तक प्रदान किए गए स्पैक्ट्रम को भी गणनाओं में शामिल किया गया है। गणनाएं धारित स्पैक्ट्रम की मात्रा तथा दूरसंचार विभाग के अनुसार लाइसेंस की शेष बची वैधता अवधि में अंतरों के अधीन तथा उनके अनुसार परिवर्तनीय होगी। एमटीएनएल ने परीक्षण आधार पर उपलब्ध करवाए गए कुछ स्पैक्ट्रम को वापस लौटा दिया है तथा सीडीएमए स्पैक्ट्रम के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीडीएमए के लिए इसके पास केवल 2.5 मेगाहर्ट्ज़ स्पैक्ट्रम है। दूरसंचार विभाग को इससे अवगत करवा दिया गया है तथा इस मामले पर अभी भी पत्राचार हो रहा है। इसके अलावा परीक्षण आधार पर दिए गए स्पैक्ट्रम के लिए शुल्कों के मामलों में भी निर्णय किया जाना है। एमटीएनएल ने 28.2.2016 को सीडीएमए स्पैक्ट्रम अंतिम रूप से लौटा दिया है।

इसके अतिरिक्त प्रारंभ से ही एकबारगी स्पैक्ट्रम प्रभार लगाए जाने की दूरसंचार विभाग की नीति को ही निजी ऑपरेटरों द्वारा चुनौती दी गई है तथा आज तक यह न्यायाधीन है जबकि एमटीएनएल के मामले में भी दूरसंचार विभाग द्वारा न्यायालय के निर्णय के आधार पर निश्चित किया जाना है कि स्पैक्ट्रम को वापस किया जाना अथवा रखा जाना है। प्रभारों को अंतिम रूप दिया जाना तथा भुगतान के तरीकों को अभी निश्चित रूप दिया जाना है तथा आज की तारीख में प्रभारों एवं देयता की मात्रा की स्थिति पूरी तरह से अनिश्चित है। इस न्यायाधीन मामले का अंतिम परिणाम आने तक जो अभी तक न्यायाधीन है एवं दूरसंचार विभाग को देय प्रभारों, यदि कोई हो, की मात्रा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखा बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि राशि पूर्णतः अनिश्चेय है। हालांकि 3,205.71 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता दूरसंचार विभाग द्वारा जीएसएम के संबंध में उठाई गई मांग के आधार पर दर्शाई गई है जो बहुत पुरानी है अभी तक जिसका आग्रह नहीं किया गया है। मुकद्दमेबाजी और टीडीएसएटी निर्णय में उद्योग संबंधी मुद्दे के अनुसार आकलित देयता 455.15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती थी। दिनांक 08.01.2013 से अभी तक 3207.71 करोड़ रुपये की मांग के बाद और कोई अन्य मांग नहीं है, आकस्मिक देयता भी, यदि यह फलीभूत होती है, 455.15 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। अतः इसका प्रकटन तदनुसार किया गया है।

60. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा क्षतिग्रस्त/गुमशुदा स्थायी परिसंपत्तियों तथा वस्तुओं के संबंध में बीमा कंपनियों के समक्ष दावे किए गए हैं लेकिन ये दावे निपटारे के लिए लंबित हैं। दावा राशि तथा वापिस ली गई परिसंपत्तियों के बीच अंतर का अंतिम समायोजन दावे के निपटान वर्ष में किया जाएगा।

61. मूल कंपनी ने वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2005–06 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के अंतर्गत लाभ का दावा किया था। अपीलीय प्राधिकारियों ने दावा की गई राशि के 75 प्रतिशत तक के दावे की अनुमति दी है। मूल कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में शेष दावों के लिए अपील करने को वरीयता दी है। मूल कंपनी ने इस दावे हेतु आकलन वर्ष 1998–99, 1999–00 और 2000–2001 के लिए 375.96 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 375.96 करोड़ रु.) का प्रावधान बनाए रखा है। यद्यपि इस कारण आकलन वर्ष 2000–2001 से 2005–06 के लिए 243.22 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 243.22 करोड़ रु.) की मांगों को आकस्मिक आरक्षित निधि के रूप में दिखाया गया है ताकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत लाभ के दावों की अनुमति न मिलने से उत्पन्न हो सकने वाली आकस्मिकताओं को पूरा किया जा सके।

62. मुकदमेबाजी

ए) एमटीएनएल ने मैसर्स एम एंड एन पब्लिकेशंस लिमिटेड के साथ दिल्ली व मुंबई यूनिट के लिए 1993 से प्रारम्भ होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए टेलीफोन निदेशिकाएं छापने, प्रकाशित करने तथा आपूर्ति करने के लिए संविदा की थी। मैसर्स एम एंड एन पब्लिकेशन लिमिटेड ने 1993 के अंक (मुख्य तथा अनुपूरक) तथा 1994 की मुख्य निदेशिका छापने एवं जारी करने के बाद 4.4.1996 को संविदा को समय से पहले समाप्त कर दिया। एमटीएनएल मुंबई और दिल्ली ने 09.04.1996 को बैंक गारंटी के लिए अनुरोध किया तथा 22.07.1996 को कानूनी नोटिस दिया तथा संविदा समाप्त कर दी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल द्वारा एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गई है। एकमात्र मध्यस्थ ने दि. 09–04–2013 को आंशिक रूप से एमटीएनएल मुंबई और दिनांक 31.07.2013 को एमटीएनएल दिल्ली के पक्ष में अपना निर्णय दिया है। माध्यस्थम् के अंतर्गत दावे तथा प्रतिदावे का लेखांकन उस वर्ष किया जाएगा जब उसका अंतिम संग्रहण/भुगतान तर्कसंगत रूप से निश्चित हो जाएगा। मैसर्स एम एंड एन पब्लिकेशन माध्यस्थम् के निर्णय के विरुद्ध बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालय गया है तथा एमटीएनएल भी देय शेष राशि के लिए बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालय गया है।

इस लेखे में 49.04 करोड़ रुपये का दावा दिल्ली इकाई में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है ।

बी) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशानुसार 158.92 करोड़ रुपये के दावे के लिए एक यूएएसएल ऑपरेटर ने एमटीएनएल, मुंबई को वर्ष 2004–05 और 2005–06 में क्रमशः 124.93 करोड़ रुपये और 33.99 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है। मूल कंपनी ने उक्त अवधि के राजस्व के रूप में इस राशि की पहचान की है। माननीय टीडीएसएटी ने 96.71 करोड़ रुपये के धनवापसी के आदेश दिए हैं। एमटीएनएल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील दाखिल की और टीडीएसएटी के आदेश पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 08.05.2014 को निदेश दिए गए कि अपीलकर्ता के कहने पर टीडीएसएटी इन विरोधी आदेशों की समीक्षा करेगा। एमटीएनएल के द्वारा दाखिल किए गए समीक्षा आवेदन का माननीय टीडीएसएटी द्वारा दिनांक 27.05.2014 के आदेशानुसार निपटान कर दिया गया था जिस पर एमटीएनएल ने दिनांक 16.07.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी नं. 022764 याचिका दायर की और यह लंबित है। इसी दौरान यूएएसएल प्रचालक ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इस खाते के 96.71 करोड़ रुपये के दावे को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

सी) ''एमटीएनएल, मुंबई को मैसर्स बीईएसटी, विद्युत आपूर्ति प्रदाता से दावे प्राप्त हुए हैं जिनमें एमटीएनएल को औद्योगिक टैरिफ के बदले वाणिज्यिक टैरिफ की श्रेणी में रखा गया है। यह दावे एचटी कनेक्शन के संबंध में फरवरी 2007 से मई 2009 तक की अवधि और एलटी कनेक्शन के संबंध में जनवरी 2002 से अप्रैल 2011 की अवधि के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से किए गए हैं। एमटीएनएल ने बीईएसटी को इस पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन दिया है जिसे बीईएसटी ने स्वीकार नहीं किया। अतः एमटीएनएल माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के पास गया और बीईएसटी के 20.82 करोड़ रु. के दावे के स्थगन आदेश प्राप्त किए। प्रबंधन का मत है कि एमटीएनएल के विरूद्ध मामले का निपटान होने की बहुत कम संभावना है।''

डी) ''मोबाइल सेवाएं, दिल्ली के संबंध में अक्तूबर–09 से मार्च–10 तक की अवधि के लिए आईएलडी प्रभार हेतु मैं टीसीएल द्वारा 25.89 करोड़ रु. का दावा किया गया है जिसका मैसर्स टीसीएल को आईएलडी ट्रैफिक में तीव्र गति से बढ़ोतरी होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। तकनीकी विश्लेषण करने पर पाया गया कि ये कॉलें संदिग्ध तथा छोटे स्थानों को की गई थीं। इन स्थानों की पुष्टि संबंधित देशों के अंतरराष्ट्रीय नंबरिंग प्लान से नहीं होती और ये स्थान स्वीकृत अन्तः सम्बद्ध (इंटरकनेक्ट) करार अनुबंध

के अनुसार स्वीकृत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ये कॉलें इन गन्तव्य स्थानों पर सीधे समाप्त (टर्मिनेट) नहीं हुई हैं। इस अनुवीक्षण के संबंध में मैसर्स टीसीएल के साथ चर्चा की गई। मैसर्स टीसीएल को यह भी परामर्श दिया गया कि धोखाधड़ी से की गई कॉलों से संबंधित जो राशि बकाया है, भुगतान योग्य (देय) नहीं है तदनुसार लेखा बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस मामले को जांच के लिए समिति को सौंप दिया गया था। तत्पश्चात मैसर्स टीसीएल ने राशि की वसूली के लिए माननीय टीडीएसएटी में मामला दर्ज कराया जिसका निर्णय प्रतीक्षित है। इस खाते के 25.89 करोड़ रुपये के दावे को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।''

इसके अतिरिक्त, समूह पर विधिक कार्यवाहियां और दावे हैं, जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से उत्पन्न हैं। समूह प्रबंधन का यह मानना है कि अंत में जब ये विधिक कार्यवाहियां समाप्त और निर्धारित होंगी तो समूह के वित्तीय विवरणों पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

63. बीएसएनएल के साथ निपटान

ए) बीएसएनएल से वसूली योग्य राशि 5,584.66 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5,455.62 करोड़ रुपये) और भुगतान योग्य राशि 2,065.05 करोड़ रुपये (2,051.34 करोड़ रुपये) है। वसूली योग्य निवल राशि 3,519.61 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3,404.28 करोड़ रुपये) समाधान और पुष्टि के अधीन है। बीएसएनएल से वसूली योग्य निवल राशि का रखाव मूल्य 3,504.10 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष 3,352.67 करोड़ रुपये) जिसे परिशोधित लागत पर मापा गया है।

बी) बीएसएनएल के कुछ अन्य दावे जैसे सिग्नलिंग चार्ज के रूप में 21.93 करोड़ रु., (पिछले वर्ष 21.93 करोड़ रु.) ट्रांज़िट टैरिफ के रूप में 25.19 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 25.19 करोड़ रु.), एमपी बिलिंग के रूप में 6.01 करोड़ रु. (6.01 करोड़ रु.), सर्विस कनेक्शन के रूप में 40.15 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 40.15 करोड़ रु.) आईयूसी के रूप में 10.14 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 10.14 करोड़ रु.) और गुजरात सर्किल से आईयूसी के रूप में 1.11 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1.11 करोड़ रु.) समीक्षाधीन हैं। बीएसएनएल से ऐसे ही अन्य दावों के लंबित निपटान तक किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

सी) दिल्ली यूनिट ने बीएसएनएल द्वारा 01.10.2000 से 30.09.2006 तक की अवधि के लिए एमटीएनएल की तरफ बनाए गए सर्विस कनेक्शनों के 9.80 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 9.80 करोड़ रु.) के टेलीफोन बिलों के व्यय को उत्तरवर्ती अवधियों हेतु 31.27 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 31.27 करोड़ रु.) के विवादास्पद दावों की वास्तविक प्रतिपूर्ति के आधार पर हिसाब में ले लिया है क्योंकि बार–बार आग्रह करने के बाद भी बीएसएनएल से अभी तक कोई विवरण/औचित्य प्राप्त नहीं हुआ है। 21.47 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 21.47 करोड़ रु.) की शेष राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई है।

64. उपभोक्ताओं के देय और जमा राशिः

अन्य चालू देयताओं में उपभोक्ताओं से सेवाकर सहित प्राप्तियों के कारण क्रेडिट सहित राशि 74.37 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 49.20 करोड़ रुपये) है जिसे देयता के रूप में पहचाना अथवा तदनुसार देनदारों से मिलान जैसा भी मामला हो, नहीं किया जा सका। इन क्रेडिट का मिलान अथवा समाधान करते समय सेवाकर सहित, समुचित समायोजन/भुगतान किए जाएंगे। अतः इसे संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान में समायोजित नहीं किया जा सका।

65. प्राप्य और देय राशियां (एनएलडी/आईएलडी रोमिंग प्रचालकों सहित) पुष्टि एवं समाधान के अधीन हैं।

66. रोमिंग से होने वाले प्राप्यों/देय राशियों की बिलिंग का मैक (एमएसीएच) द्वारा सूचित किए गए वास्तविक परियात (ट्रैफिक) के साथ मिलान किया जा रहा है। रोमिंग से होने वाली आय एमटीएनएल की ओर से मैक

द्वारा तैयार किए गए वास्तविक बीजकों के आधार पर बुक की जाती है। इसी प्रकार रोमिंग व्यय एमटीएनएल द्वारा उन वास्तविक बीजकों के आधार पर बुक किया जाता है, जो उसे अन्य आपरेटरों की ओर से मैक से प्राप्त होते हैं। हालांकि संग्रहण के मामले में अन्य ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न अवधियों का भुगतान सीधे बैंक में किया जाता है।

एमटीएनएल की दिल्ली इकाई में, बिलों के समक्ष प्रचालकों से प्राप्त वसूली राशि को पूरी तरह मिलाया जाता है। विस्तृत सूचना के अभाव में व्यक्तिगत प्रचालकों के लेखों में वसूली का आबंटन लंबित है जिसे मांगा जा रहा है। अतः यद्यपि रोमिंग आय और व्यय वास्तविक आधार पर बुक किए जाते है, विस्तृत सूचना के अभाव में रोमिंग देनदारों का समाधान समग्र रूप में किया जाता है तथा ऐसे समाधान को नियमित आधार पर किया जा रहा हैं।

67. मूल कंपनी की मुंबई इकाई के मामले में, गैर–अनुसूचित बैंकों में शेष इस प्रकार हैंः–

(राशि रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
इंदिरा सहकारी बैंक लिमिटेड	0.56	0.56
(खाता बंद किया गया, संदिग्ध माना गया)	(0.56)	(0.56)

68- njlapkj foHkkx ds lkFk fuiVku%

ए) दूरसंचार विभाग से चालू खाते पर वसूली योग्य राशि 718.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 763.76 करोड़ रुपये) और देय राशि 307.88 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 94.42 करोड़ रुपये) है। निवल वसूली योग्य राशि 410.46 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 669.34 करोड़ रुपये) समाधान एवं पुष्टि के अधीन है। चालू खाते पर वसूली योग्य ब्याज/देय ब्याज के लिए एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग के बीच कोई करार नहीं है। तद्नुसार, सामान्य भविष्य निधि दावों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्य ब्याज की वसूली को छोड़कर वर्ष के दौरान शेष पर भुगतान योग्य/प्राप्य ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं।

बी) दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई अनंतिम (प्रोविजनल) सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1986 को मुंबई यूनिट के पास आवेदकों तथा उपभोक्ताओं की 81.32 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 81.32 करोड़ रुपये) की राशि जमा थी। वर्ष के अंत में यह जमा राशि 103.28 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 103.28 करोड़ रुपये) थी। अंतर 31 मार्च, 1986 से पहले के कनेक्शनों से प्राप्त जमा राशि/धन वापसी के कारण है। दूरसंचार विभाग से इस खाते में अभी तक वसूली योग्य शेष राशि 55.85 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 55.85 करोड़ रुपये) हैं।

सी) दिनांक 31.03.2020 तक छुट्टी नकदीकरण का कुल प्रावधान 215.29 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1,119.08 करोड़ रुपये) है। इसमें से 45.48 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 48.48 करोड़ रुपये) तथा 43.37 करोड़ रुपये़ (43.37 करोड़ रुपये) की दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य राशि क्रमशः कंपनी के ग्रुप 'सी' एवं 'डी' तथा ग्रुप 'बी' कार्मिकों के एमटीएनएल में विलयन से पूर्व की अवधि की है।

डी) दिनांक 31.3.2020 तक सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए शून्य रुपये (पिछले वर्ष 23.15 करोड़ रुपये) की राशि दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य है। यह राशि 01.11.1998 तथा 01.10.2000 से एमटीएनएल में विलयित क्रमशः कंपनी के ग्रुप 'सी' तथा 'डी' एवं ग्रुप 'बी' कर्मियों से संबंधित है।

69. राजपत्र की अधिसूचना सं. जीएसआर 138(ई) दि. 3 मार्च, 2014 के अनुसार विलयित संयुक्त सेवा पेंशन के विकल्पधारकों के पेंशन लाभों का भुगतान बीएसएनएल के समान वेतनमानों पर भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशन के विकल्पधारी कर्मियों के अतिरिक्त अन्य कर्मियों के लिए उपदान प्रावधान और एमटीएनएल के सभी कर्मियों के लिए छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

70. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक–36 ''परिसंपत्तियों का क्षरण'' के अंतर्गत केंद्र सरकार के उपक्रम के समूह तौर पर कुल मिलाकर कंपनी की 'परिसंपत्तियों के क्षरण' का कोई संकेत नहीं है।

71. लेखा नीति के अनुसार, बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान उत्पादकता से जुड़े मानकों के आधार पर किया जाता है, और तदनुसार इनका प्रावधान किया जाता है, बशर्तें समूह को मुनाफा हुआ हो। समूह के घाटे के मद्देनजर, समीक्षाधीन वर्ष में बोनस/अनुग्रह राशि का प्रावधान नहीं किया गया।

72. डिबेंचर मोचन आरक्षित : हानियों को देखते हुए, 2014–15 से मोचनीय अपरिवर्तनीय डिबेंचर (बॉण्ड्स के रूप में) के संबंध में डिबेंचर मोचन आरक्षित नहीं बनाई गई है।

73. मूल कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली कोई राशि अपेक्षित नहीं है।

74. समूह की ऐसी कोई हानि दृष्टिगत नहीं होती जिसका पूर्वानुमान लगाया जाए, जिसके लिए लागू नियमों अथवा दीर्घावधि संविदा पर लेखांकन मानकों के अनुसार प्रावधान की आवश्यकता हो तथा जिसका व्युत्पन्नी संविदा से बिल्कुल संबंध न हो।

75. 31 मार्च 2020 के बैंक समाधान विवरणों में क्रमशः 1.32 करोड़ रुपये (पूर्व में 1.84 करोड़ रुपये) तथा 6.23 करोड़ रुपये (पूर्व में 3.37 करोड़ रुपये) बेमेल/असंबद्ध क्रेडिट/डेबिट शामिल हैं इनका मिलान/संशोधन कराने के लिए बैंक के साथ समाधान तथा अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

76. समीक्षाधीन वर्ष में समूह को 3693.73 करोड़ की हानि हुई है। कंपनी 2009–10 से (वित्तीय वर्ष 2013–14 को छोड़कर) निरंतर घाटे में है तथा समीक्षाधीन वर्ष में निवल मालियत पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। लगातार घाटे तथा नकारात्मक निवल मालियत को ध्यान में रखते हुए समूह के कार्यशील रहने की योग्यता का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा किया गया है। दूरसंचार विभाग के पत्र सं. एफ नं. 30–04–2019 पीएसयू अफेयर्स, दिनांक 29 अक्टूबर 2019 तथा 4 नवम्बर 2019 को परिपत्र के माध्यम से एमटीएनएल निदेशक मंडल के निर्णय एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रस्तुत की गई। जिसके अंतर्गत एमटीएनएल में 4 नवम्बर 2019 के सभी ग्रेड के 14387 कार्मिकों ने विकल्प द्वारा तथा 01 नवम्बर 1998 एवं 01 अक्टूबर 2000 को विलयित सरकार के अधीन भर्ती किए गए इन कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की गई जिससे विरासत में प्राप्त इन कर्मियों की स्टॉफ लागत को कम किया गया था। अनुग्रह के अनुसार बजटीय सहयोग के माध्यम से दूरसंचार विभाग/भारत सरकार द्वारा वहन की गई थी। इसलिए कंपनी स्टाफ खर्चों को 2400 करोड़ प्रति वर्ष से कम करके 600 करोड़ तक कर सकी। इससे कंपनी को अपनी लागतों एवं घाटों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कपंनी पर अत्याधिक ऋण के बोझ को समाप्त करने के लिए डीआईपीएएम की सहायता से कंपनी के भवनों तथा भूमि के मौद्रिकीकरण का अनुमोदन किया है कंपनी के भवनों एवं भूमि के मौद्रिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, सरकार ने कपंनी को 4जी लाइसेंस उपलब्ध कराने तथा 4जी लाइसेंस प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नई पूंजी लगाने का भी अनुमोदन कर दिया है ताकि एमटीएनएल अन्यों से प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार ने एफ नं. 12(16)–बी(एसडी)/2020 दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से एमटीएनएल को एनसीडी के निर्गम के लिए 6500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी उपलब्ध कराई है। एनसीडी के निर्गम की प्रक्रिया चल रही है। वित्तीय विवरण को तैयार करते समय प्रबंधन द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया है तथा संस्था की कार्यशील क्षमता का संगठन के रूप में चलन की लिए प्रक्रिया मूल्यांकन तदनुसार किया है।

77. कोविड–19 महामारी के कारण दिनांक 24/03/2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किया गया था तथा अनिवार्य सेवा प्रदाता होने के नाते इस रिपोर्टाधीन अवधि में एमटीएनएल की सेवाएं बाधित नहीं हुई। अतः रिपोर्टाधीन वर्ष में एमटीएनएल के कार्य करने पर कोविड–19 महामारी का व्यावहारिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

78. दूरसंचार विभाग के पत्र सं. एफ नं. 30–04/2019–पीएसयू एफेयर्स दिनांक 29 अक्टूबर 2019 तथा दूरसंचार विभाग की समिति की दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को अनुशंसाा तथा एमटीएनएल के निदेशक मंडल के दिनांक 4 नवम्बर 2019 के निर्णय के अनुसार स्वैच्छा से दिनांक 31/01/2020 से सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने वाले कार्मिकों के लिए एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रस्तुत की गई थी जिसके अंतर्गत सभी ग्रेडों के 14387 एमटीएनएल कर्मियों ने विकल्प दिया था तथा उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) प्रदान की गई। सरकार द्वारा भर्ती किए गए एमटीएनएल में विलयित विरासत में प्राप्त कर्मियों की स्टाफ लागत को कम किया जा सके। 23/10/2019 को भारत सरकार/मंत्रीमंडल अनुमोदन तथा दूरसंचार विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अनुग्रह राशि प्रतिपूर्ति के कारण होने वाले व्यय को बजटीय समर्थन के माध्यम से दूरसंचार विभाग/भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था। 31/01/2020 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के विकल्प धारक कर्मियों को भुगतान योग्य कुल अनुग्रह राशि 2,619.88 करोड़ रुपये थी। हालांकि दूरसंचार विभाग ने मार्च 2020 में 804 करोड़ रुपये तथा जून एवं जुलाई 2020 में 1590 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कर्मचारियों को इसका भुगतान कर दिया गया है। 225.88 करोड रुपये की शेष राशि अभी भी प्राप्त की जानी है। एमटीएनएल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) 2019 के संदर्भ में वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए 31/03/2020 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत संवानिवृत्त कर्मियों को भुगतान योग्य 1815.88 करोड़ रुपये की राशि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में दूरसंचार विभाग से प्राप्य तथा स्वैच्छिक सेवानिवृति विकल्प धारकों को देय के रूप में दिखाया गया है।

79. समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर लाइसेंस शुल्क को वित्त वर्ष 2011–12 तक अन्य प्रचालकों के साथ राजस्व और राजस्व भागिता दोनों के संबंध में अर्जन आधार पर परिकलित और लेखा में लिया गया था। लाइसेंस फीस और एजीआर के परिकलन के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में दिए गए निदेशानुसार मामले को टीडीएसएटी में वापस भेज दिया गया। टीडीएसएटी ने अपने दि. 23.04.2015 के फैसले के अनुसार डीओटी की संदेहास्पद मांगों को रद्द कर दिया और डीओटी को उनके निष्कर्षों के आलोक में फिर से लाइसेंस फीस पर काम करने का निदेश दिया। हालांकि, एमटीएनएल इस विवाद में एक पक्ष नहीं है और एजीआर लाइसेंस करार के अनुसार परिकलित है। भारत संचार निगम लि. के साथ नेटिंग आधार पर राजस्व सहभागिता के संबंध में वित्त वर्ष 2011–12 तक एजीआर में दावा की गई कटौती का मुद्दा वर्ष 2012–13 के बाद से वास्तविक आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते समय दूरसंचार विभाग तथा बीएसएनएल के साथ उठाया गया है। इस कारण वर्ष 2011–12 तक रुपये 140.36 करोड़ के प्रभाव को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। दूरसंचार विभाग ने एमटीएनएल के एजीआर के आधार पर परिगणित लाइसेंस शुल्क का आकलन किया है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने एजीआर में दावा की गई कुछ कटौतियों जैसे पीएसटीएन शुल्क, अन्य ऑपरेटरों को आईयूसी भुगतान आदि को अस्वीकार कर दिया है। एजीआर में दावा की गई कटौती को एमटीएनएल से दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया था। एमटीएनएल ने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं और लाइसेंस शुल्क के मूल्यांकन में संशोधन दूरसंचार विभाग के पास लंबित है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी वर्ष 2007–08 से 2016–17 तक लाइसेंस शुल्क का प्रावधान मूल्यांकन आदेश 119706 करोड़ रुपये की मांग को दर्शाता है। एमटीएनएल द्वारा सीसीए/डीओटी को प्रस्तुत दस्तावेजों के मद्देनजर मूल्यांकन में संशोधन किया जा रहा है। हालांकि 1197.06 करोड़ रुपये की राशि आकस्मिक देयता के रूप में दिखाई गई है। इसके बाद वामो संबंधित देयता की सूची दिखाई गई है। टिप्पणियों में शामिल करने के लिए लाइसेंस शुल्क मांग की गणना व्यवहारिक नहीं है। डीओटी को देय लाइसेंस शुल्क की लाइसेंस शुल्क आकस्मिक देयता का विवरण।

,eVh,u,y fuxfer dk;kZy;

nwjlapkj foHkkx dks ns; ykblsal 'kqYd dh ykblsal 'kqYd vkdfLed ns;rk dk fooj.k

Ø- l-	nwjlapkj foHkkx i=kad	fnukad	foÙkh; o"kZ	ekaxh xbZ jkf'k
1	17-90/2005/एलएफ	31 जुलाई 12	2006-07	9.09
2	17-14/2013/एलएफ	12 मई 14	2007-08	214.24
3	17-14/2012/एलएफ	3 दिसम्बर 12	2007-08	136.36
4	17-14/2013/एलएफ	12 मई 14	2008-09	146.71
5	17-14/2013/एलएफ	12 मार्च 13	2008-09	22.52
6	17-18/2013/एलएफ	16 जून 14	2009-10	144.26
7	17-18/2013/एलएफ	19 मार्च 13	2009-10	20.29
8	17-34/2013/एलएफ	24 जुलाई 14	2010-11	40.94
9	17-19/2016/एलएफए	3 अक्टूबर 16	2011-12	76.29
10	17-34/2013/एलएफ II	20 दिसम्बर 16	2010-11	124.34
11	17-34/2013/एलएफ II	20 दिसम्बर 16	2010-11	0.86
12	17-20/2016/एलएफए	27 दिसम्बर 16	2012-13	26.60
13	17-19/2016/एलएफए	6 जनवरी 17	2011-12	12.93
14	17-19/2016/एलएफए	6 मार्च 17	2011-12	33.50
15	17-19/2016/एलएफए	6 मार्च 17	2011-12	-
16	17-20/2016/एलएफए	27 अप्रैल 17	2012-13	5.70
17	17-20/2016/एलएफए	27 अप्रैल 17	2012-13	0.34
18	17-20/2016/एलएफए	28 अप्रैल 17	2012-13	0.78
19	17-20/2016/एलएफए	20 जुलाई 17	2012-13	1.90
20	17-20/2016/एलएफए	20 जुलाई 17	2012-13	0.34
21	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	54.47
22	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	28.89
23	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	0.16
24	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	0.05
25	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	80.75
26	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	20.26
27	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	0.01
28	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	197.66
29	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	127.74
30	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	5.80
31	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	0.09

Ø- l-	nj lapkj foHkkx i=kad	fnukad	foÙkh; o"kZ	ekaxh xbZ jkf'k
32	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	337.08
33	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	64.96
34	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	7.16
35	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	147.29
36	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	134.41
37	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	0.73
38	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	0.06
39	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	226.75
40	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	77.51
41	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	0.52
42	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2011-12	0.09
43	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2011-12	62.47
44	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2012-13	0.09
45	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2012-13	17.71
46	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2013-14	0.04
47	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2013-14	1.33
48	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2014-15	0.09
49	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2014-15	113.79
50	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2015-16	21.76
51	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2015-16	65.19
52	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2016-17	53.66
53	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/सेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2017-18	(1.52)
				2,865.04

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

Ñrs foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l	dqekj fot; xqIrk ,.M daiuh	¼,e-oh- tks'kh½	¼,l- vkj- L;ky½
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव
एफ.आर.एन. 002304एन	एफ.आर.एन. 007814एन	डीआईएन 8273959	

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
¼eqds'k n/khp½	¼iou dqekj xxZ½	¼ih-ds- iqjokj½
साझेदार	साझेदार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 511741	सदस्यता सं. 097900	डीआईएन 06619060

LFkku% नई दिल्ली
frfFk% 22.07.2020

foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l
lunh ys[kkdkj
4696, बृज भवन,
21ए, अंसारी रोड़, दरियागंज
नई दिल्ली – 110002
दूरभाषः 011–23288101

dqekj fot; xqIrk ,.M dEiuh
lunh ys[kkdkj
408, नई दिल्ली हाउस,
बाराखम्बा रोड़, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली – 110001
दूरभाषः 011–23314525/26, 45562649

Lora= ys[kkijh{kk dh fjiksVZ

सेवा में,
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सदस्य

,dy Hkkjrh; ys[kk ekud foÙkh; fooj.kksa dh ys[kkijh{kk ij fjiksVZ

lkis{k er

हमने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2020 को कंपनी के तुलन पत्र (बैलेंसशीट), तथा उसी दिन समाप्त हो रहे वर्ष के लाभ–हानि लेखे (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखानीतियों के सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिन्हें यहां आगे ''एकल वित्तीय विवरण'' कहा गया है), शामिल हैं।

हमारे मत से तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के सापेक्ष मत के आधार खंड में दिए गए मामलों के प्रभावों को छोड़कर, पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाते हैं तथा यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली 2015 (''भारतीय लेखा मानक'') तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित किए गए भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को कंपनी के कार्यों की स्थिति, हानि तथा कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष में इसके नकदी प्रवाह का सच्चा तथा निष्पक्ष चित्रण करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित संस्थाओं के वित्तीय परिणामों की तारीख का वर्ष शामिल हैरू

(ए) lgk;d dEifu;ksa dh lwph%

– महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड ('एमटीएमएल') – लेखापरीक्षित

– मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड – लेखापरीक्षित

(बी) la;qä m|eksa dh lwph%

– एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड ('एमएसआईएसएल') – लेखापरीक्षित

(सी) ,lksfl,V~l dh lwph%

– यूनाइटेड टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड ('यूटीएल') – अलेखापरीक्षित

lki{k er dk vk/kkj

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का वर्णन हमारी रिपोर्ट के 'एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व' खंड के अंतर्गत किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्व पूरे कर लिए हैं। हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त हुआ है, वह एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे सापेक्ष लेखापरीक्षा मत का आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

(i) कंपनी की निवल मालियत पूरी तरह समाप्त हो गई है। कंपनी को पूर्व वर्ष की भांति 31 मार्च 2020 को समाप्त चालू वर्ष में तथा पिछले वर्ष में निवल नकद हानि हुई है और चालू देयताएं चालू परिसंपत्तियों से वस्तुतः बढ़ी हैं।

इसके अतिरिक्त लौक उद्यम विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/ 5(1)/2014– फाइनेंस (पार्ट–IX–ए) के अनुसार कंपनी की स्थिति को प्रारंभिक बीमार सीपीएसई'' के रूप में वर्गीकृत किया है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने भी फाइल सं. 19–17/2017–एसयू–II के माध्यम से अपने पत्र सं. I/3000697/2017 के अनुसार स्थिति की पुष्टि की है।

तथापि, कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को भारत सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी और संलग्न प्रबंधन टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी लागत कम करके, 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम का प्रशासनिक आबंटन, सरकारी प्रतिभूति बॉण्ड द्वारा ऋण पुनः नवीनीकरण, संपत्तियों का मुद्रीकरण तथा भारत संचार निगम लिमिटेड एवं एमटीएनएल के विलयन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के द्वारा मा.सं.नि.लि. तथा एमटीएनएल के पुनरूत्थान की योजना को भी अनुमोदित कर दिया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 76 भी देखें।)

(ii) Hkkjr lapkj fuxe fyfeVsM ¼ch,l,u,y½

ए) कंपनी की बीएसएनएल से कुछ निश्चित राशि प्राप्य एवं देय है। वसूली योग्य निवल राशि 3,504.10 करोड़ रुपये समाधान एवं पुष्टि के अधीन है। समाधान एवं पुष्टि न होने तथा दावों एवं प्रतिदावों के संबंध में लंबित विवादों को देखते हुए हम बकाया शेष का अभिनिश्चय करने एवं उसके सही होने एवं इससे कंपनी की एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 67 का बिंदु सं. (ए) भी देखें)।

बी) कंपनी ने सेवा प्रदाताओं को 180 दिन की अवधि के अंदर सेवा कर का भुगतान न करने तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत संक्रमण प्रावधान के कारण, कालातीत (लैप्सड) केन्द्रीय मूल्यवर्द्धित कर क्रेडिट के संबंध में संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान नहीं किया है, जहां रुपये 144.66 करोड़ के पूर्वोक्त केन्द्रीय मूल्यवर्द्धित कर क्रेडिट को आगे नहीं ले जाया गया है तथा रुपये 51.65 करोड का अपात्र क्रेडिट जीएसटी कानूनों के अंतर्गत अधिक रूप में ट्रांस–1 में आगे ले जाया गया है, परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को अधिक बढ़ाकर तथा उस सीमा तक हानि को कम बताया गया है।

(iii) कंपनी की दूरसंचार विभाग से कुछ निश्चित राशि प्राप्य एवं देय है। वसूली योग्य कुल राशि 410.46 करोड़ रु. समाधान तथा पुष्टि के अधीन है। समाधान एवं पुष्टि न होने के कारण हम बकाया शेष का अभिनिश्चय करने एवं उसके सही होने एवं इससे कंपनी की एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 72 का बिंदु सं. (ए) भी देखें)

(iv) वित्तीय वर्ष 2011–12 तक दूरसंचार विभाग को देय लाइसेंस शुल्क, जो बीएसएनएल को आईयूसी प्रभार के रूप में है, को लाइसेंस करार की शर्तों के बजाय प्रोद्भवन आधार पर निकाला गया है जिसमें सकल राजस्व में से व्यय को घटाना वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमत है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से दूरसंचार विभाग को देय लाइसेंस शुल्क का भुगतान नियमतः लाइसेंस करार के निबंधन के अनुसार तैयार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 तक कंपनी द्वारा लाइसेंस शुल्क की गणना वास्तविक आधार के बजाय प्रोद्भूत आधार पर की गई जैसा कि ऊपर भी बताया गया है जिससे कंपनी ने लाइसेंस शुल्क के इस अंतर को दर्शाना जारी रखा है जिसके कारण वास्तविक देयता के स्थान पर आकस्मिक देयता 140.36 करोड़ रु. है। परिणामतः वर्तमान देयता को कम करके आंका गया है तथा हानि को उस सीमा तक कम करके बताया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 83 को भी देखें)

(v) कंपनी ने पूंजीगत कार्यों के लिए उपरिव्यय का आबंटन इस तरह किया था, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत स्वीकृत लेखाकरण पद्धति एवं भारतीय लेखा मानक–16 ''संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'' के अनुसार नहीं हैं। परिणामतः चालू पूंजीकृत कार्यों / संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को अधिक बताया गया है तथा हानि को कम करके बताया गया है। वर्ष में एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले इसके वास्तविक प्रभाव का निश्चय नहीं किया गया है तथा मात्रा का पता नहीं लगाया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 41 एवं 44 भी देखें)।

(vi) सीडीएमए इकाइयों की परिसंपत्तियों की पूर्व वर्षों में बतायी गई क्षरण हानि को छोड़कर अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखामानक–36 ''परिसंपत्तियों का क्षरण'' के संबंध में वर्ष के दौरान क्षरण से हुई किसी हानि के किसी समायोजन पर कोई विचार नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा भावी योजनाओं के जो आकलन किए गए हैं उनकी प्राप्ति में अनिश्चय की स्थिति होने के कारण हम नकदी उपार्जक इकाइयों की रखाव लागत में होने वाले क्षरण के संबंध में अपेक्षित प्रावधान एवं इसके परिणामस्वरूप वर्ष में होने वाली हानि, आरक्षित निधि एवं अधिशेष के संचित शेष तथा नकदी उपार्जक इकाइयों की रखाव लागत पर इसके प्रभाव का अभिनिश्चय करने एवं उन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 74 भी देखें।)

(vii) व्यापार प्राप्यों से प्राप्य राशि, भारत सरकार के विभागों और अन्यों के पास जमा, प्रचालकों और अन्य पार्टियों से वसूली योग्य दावे और व्यापार देय की देय राशि, प्रचालकों के देय दावे और अन्य पार्टियों को देय राशि के संबंध में कंपनी पुष्टि की प्राप्ति और शेष का समाधान करने की पद्धति का अनुसरण नहीं करती है। तद्नुसार, विभिन्न पार्टियों से प्राप्य और देय राशि पुष्टि और समाधान के अधीन है। पुष्टि और समाधान के लंबित होने के कारण एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव और मात्रा का निश्चय नहीं किया जा सकता और मात्रा नहीं बताई जा सकती। (एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 69 भी देखें)

(viii) कंपनी द्वारा की गई बिलिंग पर उपभोक्ता से प्राप्त किए गए असंबद्ध क्रेडिट 75.69 करोड़ रुपये समनुरूप प्राप्यों से मेल नहीं खाते, जो तुलन पत्र में देयता के रूप में अंकित है। इस सीमा तक व्यापार प्राप्य और चालू देयताओं को अधिक बताया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 68 और 79 भी देखें)।

(ix) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का पूंजीकरण सामान्यत इंजीनियरी विभाग से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अथवा खरीदी गई पूंजीगत वस्तुओं के बिल वित्त विभाग द्वारा प्राप्त होने अथवा स्टोर से वस्तु जारी होने पर किया जाता है। पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने अथवा बिल प्राप्ति अथवा वस्तु जारी करने की पर्ची की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के पूंजीकरण के ऐसे मामले हैं जो अगले वर्ष के लिए आस्थगित हो जाते हैं। परिणामतः इसका लाभ एवं हानि के विवरण पर मूल्यह्रास तथा संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की राशि जिसका पूंजीकरण तुलन–पत्र में किया गया है, आदि से पड़ने वाले प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता तथा मात्रा नहीं बताई जा सकती।

(x) पूर्व के वर्षों में दूरसंचार विभाग से एमटीएनएल को स्थानांतरित कुछ भूमि तथा भवनों को पट्टाभूमि (लीज होल्ड) के रूप में दर्शाया गया है। सुसंगत रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण हम इसके पट्टाभूमि के रूप में वर्गीकरण, पूंजीकरण और परिशोधन के संबंध में तथा सुसंगत रिकॉर्डों से पुष्टि के बिना इस प्रकार के वर्गीकरण, पूंजीकरण और परिशोधन के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो तो, उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। संगत रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकार के वर्गीकरण से एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता एवं मात्रा नहीं बताई जा सकती।

(xi) वर्ष 2012–13 में दूरसंचार विभाग ने कंपनी से 2जी स्पैक्ट्रम के एकबारगी प्रभार 3313.15 करोड़ रु. के भुगतान की मांग की थी जो कंपनी द्वारा लिए गए जीएसएम और सीडीएमए की पहले ही बीत चुकी लाइसेंस की अवधि और साथ ही लाइसेंस की शेष वैध अवधि तथा परीक्षण आधार पर दिए गए स्पैक्ट्रम के लिए थी।

जैसाकि स्पष्ट किया गया है सीडीएमए के लिए स्पैक्ट्रम उपयोग की मांग को 107.44 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया, जो वास्तविक उपयोग में सुधार के कारण संशोधित की गई है तथा बाद में इसे वापस ले लिया गया।

साथ ही जैसाकि स्पष्ट किया गया है कि स्पैक्ट्रम के एक हिस्से को वापस करने के संबंध में कंपनी द्वारा मामले पर अंतिम निर्णय लंबित होने, कंपनी द्वारा किए गए दावे पर इसी प्रकार की मांगों को लकर अन्य प्राइवेट प्रचालकों के विरोध को देखते हुए डीओटी द्वारा निश्चय करने तथा सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन होने के कारण देय राशि यदि कोई हो तो, अनिश्चेय है। तद्नुसार इस मामले में डीओटी द्वारा की गई मांग के लिए कोई देयता नहीं रखी गई है तथा 3205.71 करोड़ रु. का आकस्मिक देयता के रूप में पिछले वर्ष तक प्रकटीकरण किया गया है। यद्यपि दूसरसंचार विभाग से अभी तक कोई और मांग नहीं आई है। हालाँकि जैसा आगे वर्णन किया गया है टीडीएसएटी ने 6.2 मैगाहर्ट्ज से अधिक आबंटित स्पैक्ट्रम पर ओटीएससी की उगाही (लेवी) अलग रखते समय सरकार को 01.07.2008 के बाद आबंटित स्पैक्ट्रम के लिए मांग की समीक्षा करने का निदेश दिया था तथा वह भी 01.01.2013 से पूर्व आबंटित 6.2 मैगाहर्ट्जज से अधिक स्पैक्ट्रम के मामले में, जो 01.01.2013 से प्रभावी था। जैसाकि वर्णित किया गया है, टीडीएसएटी आदेशों के अनुसार भी अभी तक कोई और मांग नहीं की गई है तथा टीडीएसएटी निर्देशों के आधार पर प्रबंधन के अनुसार मांग, यदि कोई हो तो 455 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती, जिसका प्रकटन आकस्मिक देयताओं में किया गया है।

उपर्युक्त को देखते हुए हम कंपनी के निर्णय (स्टैण्ड) के सही होने तथा अंततः इससे कंपनी के एकल वित्तीय परिणामों पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 63 भी देखें।)

(xii) कंपनी ने संविदागत शर्तों के पूरा न होने के कारण विक्रेताओं से परिसमाप्त क्षतियों की वसूली/कटौती की है जिन पर वस्तु एवं सेवा शुल्क (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया गया है इसका वर्ष हेतु एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर वास्तविक प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया है तथा माप नहीं की गई है।

सूचना के अभाव में उसके पड़ने वाले प्रभाव की मात्रा नहीं बताई जा सकती। हम 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की बिन्दु सं. (i), (ii)(ए), (ii)(बी), (iii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix) (x), (xi) एवं (xii) में बताई गई मदों के संभावित प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ekeyk ij /;kukd"k.k

हम एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये मामले egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM से संबंधित हैं तथा हमें उन पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। इन मामलों पर हमारा मत सापेक्ष (क्वालीफाइड) नहीं है :

(i) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत कंपनी के द्वारा दावा किए गए कटौती के संबंध में आयकर विभाग के साथ लंबित विवाद जो माननीय न्यायालयों में विचाराधीन हैं, के संदर्भ में कंपनी के पास आकस्मिक आरक्षित निधि की पर्याप्तता अथवा अन्यथा प्रावधान के संबंध में एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 65 देखें।

(ii) एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 66 का बिन्दु सं. (ए) एमटीएनएल के मैसर्स एम एंड एन पब्लिकेशंस लिमिटेड के साथ एमटीएनएल की टेलीफोन निर्देशिकाओं के मुद्रण, प्रकाशन और आपूर्ति के विवाद में दावे और प्रतिदावे के लेखाकरण के संबंध में है। इसकी अंतिम वसूली/भुगतान यथोचित रूप से निश्चित होने पर इसे उस वर्ष के लेखे में लिया जाएगा।

(iii) बीएसएनएल तथा अन्य प्रचालकों से प्राप्य राशि को व्यापार प्राप्य एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे दो हिस्सों में बांटने के स्थान पर ऋण एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 10, 16 और 19 भी देखें)

(iv) संयुक्त सेवा का विकल्प चयन करने वाले एमटीएनएल के विलयित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के निपटान के संबंध में दूरसंचार विभाग से राशि की वसूली के कंपनी के दावे पर, डीओटी ने पूरी राशि और उस पर ब्याज की स्वीकृति/मंजूरी नहीं दी है। इस विषय में कंपनी और दूरसंचार विभाग के बीच निरंतर पत्राचार चल रहा है जिसे एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण में डीओटी से वसूली योग्य और जीपीएफ में देय दर्शाया गया है तथा एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 72 के बिन्दु सं. (डी) में इसका विवरण दिया गया है।

(v) लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार के देय का समायोजन संयुक्त सेवा पेंशन के विकल्पधारकों की अधिक पेंशन अदायगी से किया जाएगा, जिसकी दूरसंचार विभाग से वसूली की जानी है। मामला विचाराधीन है तथा कंपनी और दूरसंचार विभाग के बीच इस पर पत्राचार चल रहा है।

(vi) कंपनी और दूरसंचार विभाग के बीच लाइसेंस करार में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना की पद्धति में परिवर्तन के संबंध में दिशा–निर्देश आई–जीएएपी से भारतीय लेखामानक में संक्रमण के कारण नहीं दिए गए हैं। दूरसंचार विभाग को देय लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार के लिए प्रावधान और देयता का

भुगतान भारतीय लेखामानक आधारित वित्तीय विवरणों के आधार पर किया गया है। समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की संगणना में राशि अंतर दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

(vii) पूर्ण स्वामित्व और पट्टेवाली भूमि के कुछ मामलों में कंपनी के पास हक विलेख हैं, जो कंपनी के नाम पर हैं, परंतु उनका मूल्य कंपनी के लेखा बहियों में दर्ज नहीं है।

(viii) उपलब्ध कराए गए लीज सर्किटों के संबंध में बीएसएनएल के साथ राजस्व सहभागिता के कारण उत्पन्न आय को बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के बीच हुए सहमति ज्ञापन के संदर्भ में नहीं पहचाना गया है। सहमति ज्ञापन के अनुसार राजस्व तथा व्यय व्यवसाय प्राप्त करते समय छूट, यदि कोई हो, को लागू करने के बाद उपभोक्ताओं को प्रस्तावित की गई कीमत पर आधारित होंगे। हालांकि राजस्व को उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचाना गया है जो या तो कंपनी कार्ड दरों पर आधारित हैं या बीएसएनएल की पुरानी दरों पर। कुछ मामलों में बीएसएनएल ने अद्यातित दरों के बारे में सूचना दी है परंतु उस पर भारत संचार निगम लि. के साथ राजस्व सहभागिता को दर्ज करते समय विचार नहीं किया गया है। संबंधित अद्यतित रिकॉर्ड के अभाव में हम उसका एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है।

(ix) राजस्व सहभागिता करारों के कारण प्रचालकों से देयों को देनदार नहीं माना गया है तथा परिणामस्वरूप संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान करने हेतु उन्हें हिसाब में नहीं लिया गया है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.–3 का खंड सं. (के) भी देखें।)

(x) दूरसंचार विभाग के पत्र सं. एफसं. 30–04/2019–पीएसयू अफेयर, दिनांक 29 अक्टूबर, 2019 तथा दिनांक 04 नवम्बर, 2019 के परिपत्र नियमन के माध्यम से एमटीएनएल निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसरण में दिनांक 04 नवम्बर, 2019 से प्रभावी एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रस्तुत की गई है। जिसके अंतर्गत एमबिएनएल के 14,387 कर्मियों ने स्वैचिछक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया तथा मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, मुआवजे के कारण अनुग्रहित राशि का व्यय बजटीय सहायता के माध्यम से दूरसंचार विभाग / भारत सरकार को वहन करना है। इसलिए वित्त वर्ष 2019–20 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजे के ऐसे किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है। एमटीएनएल की वी.आर.एस. योजना 2019 के संदर्भ में वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए वीआरएस का विकल्प देने वाले कार्मिकों का दिनांक 31 मार्च, 2020 तक भुगतान योग्य शेष राशि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में दूरसंचार विभाग से प्राप्य तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति विकल्पधारक कर्मियों को भुगतान योग्य दिखाया गया है (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 82 भी देखें)

इन मामलों में हमारा मत नहीं बदला गया है।

dk;'khy lLFkkuk ls lcfèkr egRoi.k vfuf'prrk%

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 80 की ओर ध्यान दिलाते हैं, जो दर्शाती है कि कंपनी को संचित हानियां हुई हैं तथा इसकी निवल मालियत पूर्ण रूप से/पर्याप्त रूप से क्षरित हुई हैं, कंपनी को वर्तमान तथा पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) के दौरान निवल हानि/निवल नकदी हानि हुई है तथा तुलनपत्र की तिथि के अनुसार कंपनी की वर्तमान देयताएं इसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से अधिक हो गई हैं। ये घटनाएं अथवा स्थितियां तथा इसके साथ अन्य मामला, जैसा कि टिप्पणी 80 में बताया गया है, दर्शाती हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की कंपनी की योग्यता पर बड़ा संदेह पैदा कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी लागत कम करके, 4जी सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम का प्रशासनिक आबंटन, सरकारी गारन्टी बॉण्ड द्वारा ऋण पुनः नवीनीकरण, परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण तथा भा.सं.नि.लि. एवं

एमटीएनएल विलयन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन के द्वारा ''भा.सं.नि.लि. तथा एमटीएनएल'' के पुररूत्थान प्लान को भी अनुमोदित कर दिया है।

इस मामले में हमारा मत नहीं बदला है।

i|e|[k y|[kkijh{kk ekey|

प्रमुख लेखापरीक्षा वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय के हिसाब से वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्रत; एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा तथा उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में देखा गया तथा हम इन मामलों पर कोई अलग राय नहीं देते।

सापेक्ष मत के आधार खंड में वर्णित मामलों के अतिरिक्त हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में देने का निश्चय किया।

Ø-l|-	i|e|[k y|[kkijh{kk ekeyk	gekj| y|[kk ijh{k.k u| i|e|[k y|[kkijh{kk ekey| dk d|l| gy fd;k
1.	jktLo dh igpku% प्रणालियों की जटिलता तथा राजस्व पहचान में बदलते कीमत मॉडल के प्रभाव को देखते हुए दर्ज किए गए राजस्व की विशुद्धता के संबंध में एक अंतर्निहित जोखिम है। (प्रशुल्क संरचनाएं, प्रोत्साहन व्यवस्थाएं, छूट इत्यादि) एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 61 देखें।	हमने नए राजस्व लेखांकन मानकों को अपनाए जाने के प्रभावों को पहचानने की कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमारे लेखा परीक्षण दृष्टिकोण में नियंत्रण परीक्षण तथा वास्तविक प्रक्रियाएं शामिल, जिसमें विशेष रूप से: • सूचना प्रौद्योगिकी वातावरण का परीक्षण, जिसमें बिलिंग, रेटिंग तथा अन्य संबंधित समर्थन प्रणालियां रहती हैं, इसमें प्रणालियों में विद्यमान परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण राजस्व शाखाओं का बिल बनाती है। • व्यवसाय समर्थन प्रणालियों से बिलिंग तथा रेटिंग प्रणालियों से सामान्य बही खाते तक एक सिरे से दूसरे सिरे तक समाधान का परीक्षण। इस परीक्षण में बिलिंग प्रणाली तथा सामान्य बही खाता के बीच प्रसंस्कृत महत्वपूर्ण रोज नामचा (जर्नल) को मान्यता देना शामिल है। • नमूने के आधार पर उपभोक्ता का बिल निकालने की परिशुद्धता पर परीक्षण करना तथा उपभोक्ता के बिल पर लगाए गए क्रेडिट एवं छूटों का परीक्षणः तथा कस्टमर बैक से कस्टमर इनवाइस तक नमूने की परीक्षण रसीदें।
2.	vfuf'pr djk|kku ekey% कंपनी के महत्वूपर्ण अनिश्चित कर मामले विवादित हैं जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम के निर्धारण का महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 54 तथा 65 देखें।	हमने प्रबंधन से 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण किए गए कर आकलन तथा मांग प्राप्त की ली हैं। हमने कर प्रावधानों के अनुमान करने तथा विवादों के संभावित परिणाम में प्रबंधन की अंतनिर्हित धारणाओं का आकलन किया। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कंपनी के अपने मामलों सहित कानूनी नजीर तथा अन्य विनिर्णयों (रूलिंग) पर भी विचार किया।

3.	vkdfLed n;rk,a कंपनी के विरूद्ध विभिन्न मंचों पर कई मुकद्दमे लंबित हैं तथा आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियां आधारित हैं उनमें प्रबंधन के निर्णय का एक महत्पवूर्ण अंश शामिल है तथा यह प्रबंधन के पक्षपात के अधीन हो सकता है। (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय 54	हमने आकस्मिक देयताओं के प्राक्कलन तथा प्रकटन के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों तथा प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की तथा निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया:– – लंबित मुकद्दमेबाजी मामलों के लिए सभी प्रासंगिक सूचना प्राप्त करने हेतु प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा तथा परिचालन प्रभाविता को समझा तथा परीक्षण किया; – प्रबंधन के साथ किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन पर तथा कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति पर चर्चा की; – मुकद्दमेबाजी के मामलों से संबंधित विभिन्न पत्र–व्यवहारों तथा संबंधित दस्तावेज तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त किए गए संबंधित बाहरी मतों का अध्ययन किया तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को समर्थन प्रदान करने वाली गणनाओं पर ठोस प्रक्रियाएं की; – प्रबंधन के निर्णयों (जजमेंट) तथा आकलन की परीक्षा की, कि क्या प्रावधानों की आवश्यकता है; – प्रबंधन द्वारा उन मामलों के आकलन किए जाने पर विचार किया, जो महत्वपूर्ण बहिर्वाह (आउटफ्लो) की संभावना के रूप में प्रकट नहीं किए गए हैं। इस संभावना को बहुत कम माना गया है; – प्रकटनों की पर्याप्तता तथा पूर्णता की समीक्षा की गई; निष्पादित की गई उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं का अनुमान तथा प्रकटीकरण पर्याप्त तथा तर्कसंगत माने गए हैं (एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 54 देखें)।

vU; ekeyk

हमने सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 10,000 करोड़ रुपये की कुल परिसंपत्तियों को दर्शाती हैं। 31 मार्च, 2020 को 171.99 करोड़ रुपये और 142.03 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति, 91.24 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और उस तारीख को समाप्त हुए 9.19 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद प्रवाह, जैसा कि समेकित–एएस वित्तीय विवरणों में माना जाता है। समेकित भारतीय लेखा मानक–एएस वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 023 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ के समूह के हिस्से को भी शामिल किया गया है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखा मानक –एएस वित्तीय विवरणों में माना जाता है, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का लेखा–जोणा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है और समेकित भारतीय लेखा मानक–एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय है।

इनमें से कुछ सहायक कंपनियां भारत के बाहर स्थित हैं जिनके वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी आम तौर पर अपने संबंधित देशों में स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और जिनका ऑडिट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अपने संबंधित देशों में लागू सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत किया गया है। कंपनी के प्रबंधन ने भारत के बाहर स्थित ऐसी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं को आम तौर पर अपने संबंधित देशों में स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों से बदल दिया है। हमने कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए इन रूपांतरण समायोजनों का ऑडिट किया है। जहां तक यह भारत के बाहर स्थित ऐसी सहायक कंपनियों के शेष और मामलों से संबंधित है, हमारी राय अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार रूपांतरण समायोजन और हमारे द्वारा लेखा परीक्षा पर आधारित है।

समेकित भारतीय लेखा मानक–एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जिसमें किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी के संबंध में।

,dy foÙkh; fooj.kksa ds vykok vU; lwpuk rFkk mu ij ys[kkijh{kd dh fjiksVZ

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई सूचना शामिल है परंतु एकल वित्तीय विवरण तथा उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निर्णय व्यक्त नहीं करते।

एकल वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचना को पढ़ें तथा वैसा करते हुए विचार करें कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा करने के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी के अनुरूप नहीं है अथवा अन्यथा ठोस रूप से गलत कथन प्रतीत होता है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना की ठोस गलतबयानी हुई है तो हमसे उस तथ्य की रिपोर्ट की जाने की अपेक्षा की जाती है। इस संबंध में हमें कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

,dy Hkkjrh; ys[kk ekud fooj.kksa ds fy, izca/ku rFkk vfHk'kklu ¼xouZsal½ ds izHkkjh O;fDr;ksa ds nkf;Ro

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो भारतीय लेखा मानकों तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी तथा कंपनी के नकदी प्रवाह में परिवर्तन का सत्य एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करें। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखना भी शामिल हैं जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके; धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके, समुचित नीतियों का चयन तथा प्रयोग किया जा सके; तर्कसंगत तथा विवेक संगत निर्णय तथा आकलन किए जा सके; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए जा सकें; कार्यान्वित किए जा सके तथा उनका रखरखाव किया जा सके, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचलन में हों, ऐसे एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत

करने के लिए प्रासंगिक हो, जिनसे सत्य एवं निष्पक्ष चित्र सामने आता हो तथा धोखाखड़ी अथवा गलती के कारण ठोस गलतबयानी से मुक्त हों।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन कंपनी के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की योग्यता, जैसा लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों के प्रकटन, तथा तब तक लेखा के कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करने जब तक कि प्रबंधन का कंपनी को परिसमाप्त करने अथवा परिचालनों को बंद करने का इरादा नहीं होता अथवा उसके पास, वैसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं होता, के लिए उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की देखरेख के लिए उत्तरदायी है।

,dy Hkkjrh; y[kk ekud foÙkh; fooj.kk dh y[kk ijh{kk d fy, y[kk ijh{kdk dk mÙkjnkf;Ro

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण कुल मिलाकर ठोस गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या गलती के कारण, से मुक्त हैं तथा एक ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारा मत शामिल हों। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह ऐसी गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा ठोस गलतबयानी विद्यमान होने पर हमेशा उसका पता लगा लेगी। गलत बयानियां धोखाधड़ी अथवा गलती से हो सकती हैं तथा उन्हें ठोस माना जाता है, यदि उनके द्वारा अकेले या कुल मिलाकर इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की तर्कसंगत संभावना हो।

लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार, लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में हम संपूर्ण लेखा परीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा पेशेवर संदेहावाद बनाए रखते हैं, हमः

- एकल वित्तीय विवरणों की ठोस गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हुई हो अथवा गलती से, के जोखिमों को भी पहचानते हैं तथा आकलन करते हैं, उन जोखिमों को देखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं बनाते हैं तथा काम में लाते हैं तथा लेखा परीक्षा प्रमाण भी प्राप्त करते हैं, जो हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा समुचित हो। धोखाधड़ी के कारण होने वाले ठोस गलतबयानी का पता न लगने का जोखिम गलती से होने वाली ठोस गलतबयानी से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, इरादातन चूक (ओमिशन), गलत प्रस्तुतीकरण अथवा आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हैं।
- ऐसी लेखा परीक्षा प्रणालियां बनाने, जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों, के लिए लेखापरीक्षा हेतु सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ भी प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बात पर भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक, वित्तीय नियंत्रण प्रणाली तथा उन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता है।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों और संबधित प्रकटनों की तर्कसंगता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करने की उपयुक्तता तथा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाओं अथवा स्थितियों संबंधी कोई ठोस अनिश्चितता विद्यमान है, जो कार्यशील संस्था के रूप जारी रहने की कंपनी की योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह पैदा करे। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ठोस अनिश्चितता विद्यमान है तो हमें एकल वित्तीय विवरणों में अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट में संबंधित प्रकटनों की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना पड़ता है अथवा क्या ऐसे प्रकटन हमारे मत को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष उन लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित होते हैं जो हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त हुए हैं। हालांकि हो सकता है कि भविष्य की घटनाएं अथवा स्थितियां कंपनी को कार्यशील संस्था के रूप में जारी न रहने दें।

- एकल वित्तीय विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण, संरचना तथा विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, जिसमें प्रकटन तथा यह भी शामिल है कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतनिर्हित लेनदेनों तथा घटनाओं को उस तरह से दर्शाते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण हो पाता है।

ठोसपन (मैटीरियलिटी) एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानियों की वह मात्रा है, जो एकल रूप में या समग्र रूप में यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक तर्कसंगत रूप से जानकार प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के क्षेत्र की योजना बनाने तथा अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किन्हीं गलत बयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक ठोसपन तथा गुणवत्तापरक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अभिशासन (गवर्नेस) के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, समय तथा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रणों के मामले में हमारी पहचान में आई किन्हीं महत्वपूर्ण कर्मियों सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर संवाद करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारी अधिकारियों को यह विवरण भी उपलब्ध करवाते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है तथा उनके साथ संबंधों तथा अन्य मामलों, जो तर्कसंगत रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं तथा जहां लागू हो, संबंधित बचावों पर बात करते हैं।

अभिशासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संवाद किए गए मामलों से हम उन मामलों का निश्चय करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे तथा इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि मामले के विषय में कानून अथवा विनियम सार्वजनिक प्रकटीकरण से नहीं रोकते अथवा जब बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निश्चय करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में नहीं बताया जाना चाहिए क्योंकि वैसा करने के प्रतिकूल परिणाम तार्किक रूप में उस संप्रेषण के जनहित लाभों पर हावी होने की संभावना होगी।

vU; fof/kd ,o fu;ked vi{kkvk ij fjikV

अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते है किः

(ए) हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से जहां तक हमें ज्ञात है और विश्वास है हमने अपेक्षित सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(बी) हमारे मत में लेखा बहियों की जांच करने से ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने समुचित लेखा बहियों को विधि की अपेक्षा अनुसार रखा है।

(सी) तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ–हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, जिसके विषय में इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, लेखा की संबंधित लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

(डी) हमारे मत में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का पालन करते हैं।

(ई) सरकारी कंपनी होने के नाते निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्याः जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसरण में अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

(एफ) हमारे मत में ऊपर कार्यशील संस्था से संबंधित ठोस अनिश्चितता में वर्णित कार्यशील संस्था मामले का कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(जी) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की सक्रिय प्रभावशीलता पर हमारी अलग रिपोर्ट ''परिशिष्ट सी'' पर दी गई है। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के पर्याप्त होने तथा परिचालन प्रभाविता पर एक बिना संशोधित मत व्यक्त करती है।

(एच) निगमित कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएस आर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षा के अनुसार रिपोर्ट देना कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(आई) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

(ए) कंपनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी का प्रभाव पड़ने का प्रकटीकरण अपने एकल वित्तीय विवरणों में किया है।

(बी) कंपनी ने निकट भविष्य में व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घावधि अनुबंधों पर महत्वपूर्ण प्रत्याशित हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू होने वाले कानून अथवा लेखांकन मानक के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान बनाए हैं।

(सी) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को राशि अंतरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।

Ñr% foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

¼lh, eqds'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741
यूडीआईएनः 20511741एएएएएचजे3366

Ñr% dqekj fot; xqIrk ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼lh, iou dqekj xx½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900
यूडीआईएनः 20097900एएएएएके3575

LFkku% नई दिल्ली
fnukad% 22.07.2020

ifjf'k"V & ,

Lor= y[kkijh{kdk dh fjikVl dk ifjf'k"V

¼lelh[;d rkjh[k dh gekjh fjikVl dh ^vU; fof/kd rFkk fu;ked vi{kkvk ij fjikV* [kM d vrxr ijk ¼,Q½ e lnfHkr½

diuh vf/kfu;e] 2013 ¼^^vf/kfu;e½ dh /kkjk 143 dh mi/kkjk 3 d [kM ¼i½ d vrxr vkrfjd foÙkh; fu;=.kk ij fjikV**

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM (''कंपनी'') के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

vkrfjd foÙkh; fu;=.kk d fy, icekku dk mÙkjnkf;Ro

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ियों तथा चूकों की रोकथाम तथा उनका पता लगाया जाना, लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता तथा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है, विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार किये जाने सहित ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाना, कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाये रखना शामिल है, जो उसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करें।

y[kkijh{kdk dk nkf;Ro

हमारा दायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय दें। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') तथा लेखापरीक्षा के मानदंडों तथा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित मानित है, उस सीमा तक, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू हैं तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये हैं, के अनुसार की है। वे मानदंड तथा मार्गदर्शक टिप्पणी अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना तथा लेखापरीक्षा इस तरह करें जिससे इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लगाए गए थे तथा उन्हें बनाये रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी वास्तविक मामलों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में ऐसी प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके प्रभावी रूप से कार्य करने के विषय में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त हो। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई ठोस कमजोरी विद्यमान है तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा तथा प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलतबयानी फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती से, के जोखिमों का आकलन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

foÙkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;=.kksa dk vFkZ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा बाह्य उद्देश्यों के लिए एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देने के लिये बनायी जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जोः–

(1) ऐसे रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो तर्कसंगत विस्तार से कंपनी की परिसंपत्तियों का लेन–देन एवं निपटान को एकदम सही तथा निष्पक्ष ढंग से दिखाता है।

(2) इस बात का तर्कसंगत आश्वासन दे कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकरण सिद्धांतों के अनुसार एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन–देन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के अनुमोदन से ही किये जा रहे हैं तथा

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण उपयोग अथवा निपटान, जिसका एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम अथवा समय से पता लगाने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देना।

foÙkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;=.kksa dh vrfufgr lhek,a

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिसमें सांठगांठ की संभावना अथवा नियंत्रणों की अवहेलना, ठीक से प्रबंधन न होना, शामिल हैं, के कारण गलती से अथवा धोखाधड़ी के कारण ठोस गलतबयानी हो सकती हैं तथा उनका पता न लग सके। साथ ही भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं, कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है।

lki{k er

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग, पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित ठोस कमियां पहचानी गई हैंः–

(i) कंपनी के पास ऐसी कोई समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, जिससे संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत में पूंजीकृत होने वाले उपरिव्ययों की पहचान हो सके। इससे संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर का कम/अधिक पूंजीकरण हो सकता है तथा कंपनी के प्रचालन परिणामों पर उसके अनुसार प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ii) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, जब वे इस्तेमाल के लिए तैयार हों, का इंजीनियरी विभाग द्वारा पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने में अथवा वस्तु जारी करने की स्लिप की प्राप्ति में विलंब के कारण अथवा खरीदी गई वस्तुओं के लिए विक्रेताओं से बिल मिलने में विलंब के कारण, के पूंजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। अतः पूंजीकरण की तारीख विश्वसनीय नहीं है। इससे विलंबित पूंजीकरण तथा मूल्यह्रास कम प्रभारित किए जाने के कारण परिचालन संबंधी परिणामों पर संबंधित प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(iii) कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर उन परिसंपत्तियों को, जो अब इस्तेमाल में नहीं है तथा जिनका कबाड़ के रूप में निपटान किया जाना है, को संस्थापन से हटाने एवं उनके विपूंजीकरण की समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है ओर इससे सकल ब्लॉक का संभावित रूप से अधिक कथन एवं ह्रास के उच्च प्रभार और परिसंपत्तियों के क्षरण के लिए अल्प प्रावधान से परिचालन परणिामों पर संबंधित प्रभाव पड़ेगा।

(iv) कंपनी के पास इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, कि विक्रेताओं/ठेकेदारों/प्रचालकों/सरकारी विभागों से बिल प्राप्त होने तक तिमाही के अंत में अथवा वर्ष के अंत में किये गए प्रावधानों को वास्तविक बिल प्राप्त होने तथा उन्हें हिसाब में लिए जाने पर विधिवत प्रत्यावर्तित (रिवर्स) कर दिया जाता है। इससे इसका लेखांकन दो बार होने की संभावना हो सकती है।

(v) कंपनी के पास विक्रेताओं/ठेकेदारों/प्रचालकों/सरकारी विभागों के साथ किए गए खुले क्रय आदेश, कार्य आदेश ,करार और संविदा का पता लगाने की समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है तथा ये खुले हैं, इससे परिचालन में दक्षता, वित्तीय देयताओं को रिकार्ड करने और उसके लिए प्रावधान करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

(vi) कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली नहीं है। कंपनी द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेज को सॉफ्टवेयर लिंक के द्वारा अथवा हाथ से (मैनुअली) इंटरफेस किया जाता है जिससे उनके बीच अंतर (गैप) आ जाता है। इससे वित्तीय रिपोर्टिंग के त्रुटिपूर्ण होने की संभावना हो सकती है।

(vii) कंपनी के पास विक्रेताओं/ठेकेदारों/प्रचालकों/सरकारी विभागों के लेखाओं के समाधान के लिए कोई समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, इससे एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में कुछ परिवर्तनों की संभावना हो सकती है। हमारे द्वारा पहचाने गए मामलों पर इस रिपोर्ट में विभिन्न स्थानों पर समुचित सापेक्षताएं दी गई है।

(viii) कंपनी के पास प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है जिसमें सभी प्रमुख कार्यक्षेत्रों के व्यापक प्रयोजनों को समाहित किया जा सकें। इसके कवरेज की सीमा और गहराई, आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन का तरीका और रिपोर्टिंग बहुत कमजोर है। इससे नियंत्रण एवं संतुलन कमजोर होने की संभावना है तथा वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट देने से रह जाएगी, जिससे अंततः त्रुटिपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग होगी।

(ix) कंपनी के पास उपभोक्ताओं से प्राप्त और बैंकों द्वारा डेबिट की गई राशि के कारण असंबद्ध डेबिट और क्रेडिट की मदों के समाधान के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है, इससे वित्तीय समायोजन के रिपोर्ट न किए जाने की संभावना है जिससे अंततः त्रुटिपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग होगी।

(x) कंपनी के पास हाथ से बनाए गए बीजक के आधार पर देय तथा भुगतान योग्य बीजकों (इनवायस) के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। भुगतान योग्य तथा देय हो। बीजक पद्धति में मापन की विश्वसनीयता और मदों का समाधान नहीं होता। इससे बीजक में एक से अधिक बार दोहराव और त्रुटि हो जाती है। इससे राजस्व की पहचान करने में त्रुटि होने की संभावना है।

(xi) कंपनी के पास जारी की गई वस्तु के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति नहीं है। लेखांकन वस्तु की मांग विवरण के आधार पर किया जाता है, न कि वस्तु के वास्तविक संस्थापन अथवा उसके काम करना शुरू करने पर। इससे चोरी की पहचान न होने और उपस्कर के पहले पूंजीकरण होने की संभावना है।

(xii) कंपनी के पास बिलिंग और पट्टेदार से पानी और बिजली प्रभार की वसूली सुनिश्चित करने की समुचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति नहीं है। इससे ऐसे प्रभारों की वसूली न होने अथवा विलंब से वसूली होने की संभावना है। इससे समग्र खर्चे की वित्तीय हानि और वसूली में विलंब से वित्त लागत आती है। इससे कंपनी के वित्तीय विवरण में त्रुटिपूर्ण खर्च मूल्यों की भी संभावना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में 'ठोस कमजोरी' एक कमी अथवा कमियों का ऐसा समूह है, कि इस बात की तर्कसंगत संभावना है कि कंपनी के वार्षिक अथवा आंतरिक वित्तीय विवरणों की ठोस गलतबयानी को समय पर नहीं रोका जाएगा अथवा उसका पता लगाया जाएगा।

हमारी राय में नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित ठोस कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी महत्वपूर्ण तरीकों के पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखें हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 को प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों के आधार पर कंपनी ने स्थापित किये हैं।

हमने 31 मार्च, 2020 को कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा में अनुप्रयुक्त लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय तथा सीमा के निर्धारण में ऊपर पहचानी गई तथा रिपोर्ट की गई ठोस कमजोरियों पर विचार किया है तथा ये ठोस कमियां कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे मत को प्रभावित नहीं करती।

Ñr foukn dekj ,M ,lksf,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

¼lh, ed"'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741
यूडीआईएनः 20511741एएएएचजे3366

Ñr dekj fot; xIrk ,M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼lh, iou dekj xx½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900
यूडीआईएनः 20097900एएएएके3575

LFkku% नई दिल्ली
fnukad% 22.07.2020

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM
31 ekpZ 2020 rd dk lesfdr rqyu i=

	fVIi.kh;k	31 ekpZ 2020 ¼₹ djksM+ esa½	31 ekpZ 2019 ¼₹ djksM+ esa½
ifjlEifÙk;k			
xSj&pkyw ifjlEifÙk;k			
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	4	3,579.11	4,329.56
चालू पूंजीगत कार्य	5	328.08	320.04
परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	6	503.66	-
निवेश संपत्ति	7	39.80	34.96
अमूर्त परिसंपत्तियां	8	2,766.21	3,101.90
इक्विटी विधिक प्रयोग करके हिसाब में लिए गए निवेश	9	3.51	3.73
वित्तीय परिसंपत्तियां			
ऋण	10	202.67	192.34
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	0.63	1.74
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	0.00	0.00
आय कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	707.36	724.43
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	14	23.85	230.31
dqy xSj pkyw ifjlEifÙk;k		**8,154.88**	**8,939.01**
pkyw ifjlEifÙk;k			
माल सूचियां	15	19.32	24.98
वित्तीय परिसंपत्तियों			
व्यापार प्राप्य	16	628.96	611.48
नकदी तथा नकदी तुल्य	17	196.60	119.58
अन्य बैंक शेष	18	13.02	20.42
ऋण	19	3,545.35	3,390.02
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	20	3,492.91	900.04
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	21	0.29	0.33
अन्य चालू परिसंपत्तियां	22	636.68	698.36
dqy pkyw ifjlEifÙk;k		**8,533.13**	**5,765.21**
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां	23	0.05	0.29
dqy ifjlEifÙk;k		**16,688.06**	**14,704.51**
bfDoVh rFkk ns;rk,a			
bfDoVh			
इक्विटी शेयर पूंजी	24	630.00	630.00
अन्य इक्विटी	25	(14,212.10)	(10,357.83)
dqy bfDoVh		**(13,582.10)**	**(9,727.83)**
xSj&pkyw ns;rk,a			
वित्तीय देयताएं			
उधार	26	12,554.15	11,431.59
लीज देयताएं	27	221.74	40.57
अन्य वित्तीय देयताएं	28	199.97	323.81
दीर्घकालीन प्रावधान	29	240.12	911.72
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	30	6.75	6.34
अन्य गैर–चालू देयताएं	31	120.84	146.32
dqy xSj&pkyw ns;rk,a		13,343.57	12,860.35
pkyw ns;rk,a			
वित्तीय देयताएं			
उधार	32	9,296.42	7,620.35
लीज देयताएं	33	104.04	4.65
व्यापार भुगतान योग्य	34		
(ए) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		47.13	5.35
(बी) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अतिरिक्त देनदारों का कुल बकाया		748.88	528.09
अन्य वित्तीय देयताएं	35	5,896.90	2,263.49
अन्य चालू देयताएं	36	653.40	765.51
अल्पावधि प्रावधान	37	179.82	384.55
dqy pkyw ns;rk,a		**16,926.59**	**11,571.99**
dqy ns;rk,a		**30,270.16**	**24,432.34**
dqy bfDoVh rFkk ns;rk,a		**16,688.06**	**14,704.51**
	3		

egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;ka dk lkj
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
यह वह तुलनपत्र है, जिसका उल्लेख इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

Ñrs fouksn dqekj ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

Ñrs dqekj fot; xqIrk ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼,e-oh- tks'kh½
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08273959

¼,l-vkj- L;ky½
कंपनी सचिव

ह./–
¼eqdq'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741

ह./–
¼iou dqekj xxZ½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900

ह./–
¼ih- d- iqjokj½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06619060

LFkku% नई दिल्ली, fnukad% 22.07.2020

egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM

31 ekp] 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk ,oa gkfu dk fooj.k

		31 ekp] 2020 ¼#- djksM+ esa½	31 ekp] 2019 ¼#- djksM+ esa½
vk;			
परिचालनों से राजस्व	38	1,623.55	2,085.41
अन्य आय	39	693.04	636.09
dqy vk;		**2,316.59**	**2,721.50**
[kpsZ			
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद		2.49	1.96
लाइसेंस शुल्क खर्च	40	169.87	187.91
कर्मचारी हितलाभ खर्च	41	2,128.18	2,275.34
वित्तीय लागतें	42	1,941.66	1,703.18
राजस्व सहभागिता खर्च		117.60	181.09
मूल्यह्रास तथा परिशोधन खर्च	43	985.84	1,002.42
अन्य खर्च	44	663.84	756.16
dqy [kpsZ		**6,009.48**	**6,108.05**
bfDoVh fof/k dk iz;ksx djds fglkc esa fy, x, fuos'k ds 'ks;j ykHk ds fgLls ls iwoZ ykHk@¼gkfu½		**(3,692.89)**	**(3,386.55)**
इक्विटी विधि का प्रयोग करके हिसाब में लिए गए निवेश में लाभ/(हानि)		0.23	(0.64)
dj&iwoZ ykHk@¼gkfu½		**(3,692.66)**	**(3,387.20)**
कर खर्च	45	1.07	0.88
o"kZ esa fuoy ykHk@¼gkfu½		**(3,693.73)**	**(3,388.07)**
vU; O;kid vk;	**46**		
,slh oLrq,a ftUgsa ykHk vkSj gkfu ds fy, iqueZoxhZ—r ugha fd;k tk,xk			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन		(115.32)	(7.39)
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	45	-	-
ऐसी वस्तुएं जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
विदेशी परिचालनों के परिवर्तनों पर विनिमय अंतर		(5.12)	(0.36)
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	45	-	-
o"kZ ds fy, dqy vU; O;kid vk;@¼gkfu½		**(120.44)**	**(7.75)**
o"kZ ds fy, dqy O;kid vk;@¼gkfu½		**(3,814.17)**	**(3,395.82)**
ykHk@¼gkfu½ ds dkj.k g%			
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मालिक		(3,693.73)	(3,388.07)
		(3,693.73)	**(3,388.07)**
कुल व्यापक आय/(हानि) के कारण हैः			
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मालिक		(3,814.17)	(3,395.82)
		(3,814.17)	**(3,395.82)**
प्रति इक्विटी शेयर नुकसानः	47		
बेसिक (₹)		(58.63)	(53.78)
तनुकृत (डिल्यूटेड) (₹)		(58.63)	(53.78)

egRoiw.kZ ys[kkadu uhfr;ka dk lkj **3**

संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

यह वह तुलनपत्र है, जिसका उल्लेख इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

Ñrs foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 002304एन	Ñrs dqekj fot; xIrk ,.M dEiuh सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण सं. 007814एन	¼,e.ds. tSu'kh½ निदेशक (वित्त) डीआईएन 08273959	¼,l.vkj. L;ky½ कंपनी सचिव
ह./– ¼eqds'k n/khp½ साझेदार सदस्यता सं. 511741	ह./– ¼iou dqekj xx½ साझेदार सदस्यता सं. 097900	ह./– ¼ih. ds. iqjokj½ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन 06619060	

LFkku% नई दिल्ली, fnukad% 22.07.2020

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM

31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, lesfdr udnh izokg fooj.k

		31 ekpZ 2020 ¼#- djksM+ esa½	31 ekpZ 2019 ¼#- djksM+ esa½
,	ifjpkyu dk;Zdykiksa ls udnh izokg		
	dj ls iwoZ ykHk@¼gkfu½	**(3,692.66)**	**(3,387.20)**
	fuEufyf[kr ds fy, lek;kstu %		
	मूल्यह्रास खर्च	650.12	665.40
	परिशोधन खर्च	335.72	337.02
	संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के निपटान पर (लाभ)/हानि (निवल)	(0.77)	15.96
	सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभ का हिस्सा	(0.23)	0.64
	ब्याज आय	(143.24)	(95.72)
	पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	(157.35)	(107.12)
	परिसंपत्तियों की हानि	2.33	1.41
	छूट सहित संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	64.50	9.65
	अप्रचलित इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	3.01	1.35
	संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	1.08	2.29
	कर्मचारी लाभ दायित्वों पर पुनर्मापन लाभ और हानि	(115.32)	(7.39)
	वित्तीय लागतें	1,941.66	1,703.18
	वसूले गए अशोध्य ऋण	(0.08)	(0.33)
	बट्टेखाते में डाले गए अशोध्य ऋण	15.23	18.32
	dk;Z'khy iawth ifjorZuksa ls igys ifjpkyu gkfu	**(1,096.00)**	**(842.52)**
	dk;Z'khy iawth esa mrkj&p<+ko		
	ऋणों में कमी/(वृद्धि)	(114.37)	1,101.54
	मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	0.31	(2.32)
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि	(2,594.46)	(13.08)
	अन्य परिसंपत्तियों में कमी	267.93	74.84
	व्यापार तथा अन्य प्राप्यों में कमी/(वृद्धि)	(97.21)	(213.07)
	अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	3,011.71	(1,058.53)
	अन्य देयताओं में (कमी)/वृद्धि	(137.70)	119.44
	प्रावधानों, व्यापार तथा अन्य देयों में वृद्धि	(462.31)	109.90
	dk;Z'khy iawth esa ifjorZuksa ds ckn ifjpkyu dk;Zdykiksa ls@¼esa iz;qDr½ udnh izokg	**(1,222.10)**	**(723.79)**
	आयकर (प्रदत्त)/धनवापसी (निवल)	16.46	(9.16)
	ifjpkyu dk;Zdykiksa esa iz;qDr fuoy udnh ¼,½	**(1,205.64)**	**(732.95)**
ch	fuos'k xfrfof/k;ksa ls udnh izokg		
	संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, निवेश संपत्ति एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का खरीदा जाना (चालू पूंजीगत कार्य सहित) (बिक्री से प्राप्ति को घटाकर)	(142.55)	(310.46)
	सावधि जमाओं में उतार–चढ़ाव (निवल)	8.51	0.06
	प्राप्त ब्याज	90.80	13.44
	fuos'k dk;Zdykiksa esa iz;qDr fuoy udnh izokg ¼ch½	**(43.24)**	**(296.96)**
lh	foÙkiks"k.k dk;Zdykiksa ls udnh izokg		
	दीर्घकालीन उधारियों से प्राप्तियां तथा पुनर्भुगतान (निवल)	1,594.24	1,477.39
	अल्पावधि उधारियों से प्राप्तियां तथा पुनर्भुगतान (निवल)	1,676.07	1,238.26
	भुगतान की गई वित्तीय लागत	(1,880.68)	(1,671.49)
	लीज देयता के लिए किया गया भुगतान	(63.73)	-
	foÙkh; xfrfof/k;ksa ls fuoy udnh izokg ¼lh½	**1,325.90**	**1,044.16**
	नकदी तथा नकदी समतुल्य में कमी (ए+बी+सी)	77.02	14.25
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी तथा नकद समतुल्य	119.58	105.34
	o"kZ ds var esa udnh rFkk udn lerqY;	**196.60**	**119.58**

egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;ksa dk lkj
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।
यह वह तुलनपत्र है, जिसका उल्लेख इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

Ñrs foukn dqekj ,M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

Ñrs dqekj fot; xqIrk ,M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼,e-ih- t'kh½
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08273959

¼,l-vkj- L;ky½
कंपनी सचिव

ह./–
¼eqds'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741

ह./–
¼iou dqekj xxZ½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900

ह./–
¼ih- d- iqjokj½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06619060

LFkku% नई दिल्ली, fnukad% 22.07.2020

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM

31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ dk fy, bfDoVh esa ifjorZu dk lekdfr fooj.k

,- bfDoVh 'ks;j iwath

(राशि करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल, 2018 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01 अप्रैल, 2019 को शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01 अप्रैल, 2020 को शेष	
इक्विटी शेयर पूंजी	630.00	-	630.00	-	630.00	

ch- vU; bfDoVh

(राशि करोड़ में)

	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षित निधि	अनुसंधान और विकास रिजर्व	आकस्मिक आरक्षित निधि	डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि	अपने पास रखे गए अर्जन	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों को परिवर्तित करने पर विनिमय अंतर	कुल
31 ekpZ 2018 dks 'ks"k	665.00	**0.07**	**30.80**	**243.22**	**45.27**	**(7,961.05)**	**14.67**	**(6,962.01)**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	(3,388.07)	-	(3,388.07)
अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित अर्जनों को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	(7.39)	(0.36)	(7.75)
31 ekpZ 2019 dks 'ks"k	665.00	**0.07**	**30.80**	**243.22**	**45.27**	**(11,356.52)**	**14.31**	**(10,357.83)**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	-	(3,693.73)	-	(3,693.73)
भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन पर प्रभाव	-	-	-	-	-	(40.09)	-	(40.09)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	(115.32)	(5.12)	(120.44)
31 ekpZ 2020 dks 'ks"k	665.00	**0.07**	**30.80**	**243.22**	**45.27**	**(15,205.67)**	**9.19**	**(14,212.10)**

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

Ñrs foukn dqekj ,.M ,lksfl,V~l
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002304एन

Ñrs dqekj fot; xqIrk ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 007814एन

¼,e-oh- t'kh½
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08273959

¼,l-vkj- L;ky½
कंपनी सचिव

ह./–
¼eqds'k n/khp½
साझेदार
सदस्यता सं. 511741

ह./–
¼iou dqekj xxZ½
साझेदार
सदस्यता सं. 097900

ह./–
¼ih- d- iqjokj½
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06619060

LFkku% नई दिल्ली, fnukad% 22.07.2020

1- fuxe dh lpuk

सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ('एमटीएनएल' अथवा 'मूल') अपनी सहायक, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (मिलाकर इसे यहां 'समूह' कहा गया है) के साथ मिलकर दिल्ली और मुंबई के भौगोलिक क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराता है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महानगर दूरसंचार सदन, 5वीं मंजिल, 9, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में है। कंपनी के शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

2- r;kj djus dk vkèkkj

ये समेकित वित्तीय विवरण ('वित्तीय विवरण') भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियमावली, 2015 के नियम 3 और अधिनियम के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अनुसरण में कॉरपोरेट कार्यों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है।

ये वित्तीय विवरण समूह के समेकित वित्तीय विवरण हैं, जो भारतीय लेखा मानक 110 के अनुसार तैयार किए गए हैं और इन्हें जारी करने के लिए 22 जुलाई, 2020 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भी किया गया था।

वित्तीय विवरण प्रोद्भवन और कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं। सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के खंड–II में निर्धारित कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा अन्य मापदंड अनुसार चालू और गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा उनकी नकदी एवं नकदी समतुल्य में वसूली के बीच के समय को कपंनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 माह के रूप में निर्धारित किया है।

निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के आधार पर तैयार किए गए हैं:–

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है;
- परिभाषित हितलाभ योजनाएं–योजना परिसंपत्तियां, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है; तथा
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां–जिन्हें बिक्री के लिए लागत को घटाकर उचित मूल्य पर मापा जाता है।

3- egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;kW dk lkj

,½ lesdu dk vk/kkj

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 के अनुसार कंपनी के, उसकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी कंपनियां के वित्तीय विवरण शामिल हैं। नियंत्रण उस समय प्राप्त किया जाता है जब समूह निवेशी पर इसके अधिकार के माध्यम से इसके जुड़े होने से परिवर्तनशील प्रतिफलों के अभिमुख (एक्सपोज) हो अथवा उसमें इसके अधिकार होते हैं। विशिष्ट रूप से समूह किसी निवेशी को तभी और केवल तभी नियंत्रित करता है, यदि समूह के पास :–

- निवेशी के ऊपर शक्ति प्राप्त है (जैसे कि वर्तमान अधिकार, जो इसे निवेशी की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की वर्तमान योग्यता देते हैं);
- निवेशी के साथ इसका संबंध होने से परिवर्तनशील प्रतिफलों की ओर अभिमुख (एक्सपोजर) अथवा अधिकार; तथा
- निवेशी के प्रतिफलों को प्रभावित करने के लिए उस पर अपनी शक्ति के प्रयोग की योग्यता है।

lgk;d daifu;k

यह समूह परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय जैसी मदों को क्रमानुसार शामिल करते हुए अपनी मूल तथा सहायक कंपनी के संयुक्त वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करता है। अंतर कंपनी लेन–देन, शेष और ग्रुप कंपनियों के बीच किए गए लेन–देन के संबंध में वसूल न किए गए अभिलाभों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अप्राप्त हानियों को भी उस स्थिति में समाप्त किया गया है, जब तक लेनदेन से अंतरित की गई परिसंपत्ति के क्षरण का साक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप जहां आवश्यक था वहां सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

इक्विटी के भाग के रूप में दिए गए गैर नियंत्रिक हित सहायक कंपनी के लाभ और हानि के विवरण के भाग तथा ऐसी निवल परिसंपत्तियों को निरूपित करते हैं, जिसे समूह द्वारा धारित नहीं किया गया है। लाभ/(हानि) और ओसीआई के प्रत्येक घटक को मूल कंपनी के इक्विटी धारकों तथा गैर नियंत्रक हितों से जोड़ा गया है, भले ही इसका परिणाम घाटा शेष वाले गैर नियंत्रक हितों के रूप में ही हो। समूह सहायक कंपनियों की कुल व्यापक आय अथवा हानि को मूल के स्वामियों तथा गैर नियंत्रक हितों के बीच उनके संबंधित स्वामित्व हितों के आधार पर आरोपित (अट्रीब्यूट) करता है।

समूह गैर नियंत्रक हितों के साथ लेन–देन का कार्य ऐसे करता है जिसके परिणामस्वरूप समूह की इक्विटी के स्वामियों के साथ लेन–देन करने पर नियंत्रण की हानि नहीं होती है। स्वामित्व हितों में इस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम नियंत्रक और गैर–नियंत्रक हितों वाली रखाव राशि के बीच समायोजन में दिखाई पड़ता है ताकि सहायक कंपनियों में उनके सापेक्ष हित प्रतिबिम्बित हो सकें। गैर नियंत्रक हितों में समायोजन की राशि और प्रदत्त अथवा प्राप्त किसी प्रतिफल के बीच अंतर को इक्विटी के अंदर पहचाना जाता है।

lg;kxh ,oa la;ä m|e

सहयोगी कंपनियां

ऐसी संस्थाओं में निवेश जिनमें महत्वपूर्ण प्रभाव होता है परंतु नियंत्रण हित नहीं होता है उसका लेखांकन इक्विटी पद्धति के अंतर्गत किया जाता है अर्थात आरंभिक रूप से निवेश को लागत पर रिकॉर्ड किया जाता है, अधिग्रहण के समय किसी सुनाम (गुडविल)/आरक्षित पूंजी की पहचान जैसा भी मामला हो, निवेश में अंतर्निहित होगा। निवेश की रखाव राशि को बाद में निवेशकर्ता की निवल परिसंपत्ति के भाग में अधिग्रहण के बाद के परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है तथा जहां आवश्यक हो, इसे समूह की लेखाकरण नीतियों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जाता है। लाभ और हानि के समेकित विवरण में निवेशकर्ता के परिचालनों के परिणामों का समूह का हिस्सा शामिल है। सहयोगी उद्यमों से प्राप्त अथवा प्राप्य लाभांश को निवेश की रखाव राशि में घटाकर पहचान की जाती है। समूह तथा सहयोगी कंपनियां के बीच लेन–देनों पर वसूली न हुए लाभों को इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक विलोपित कर दिया जाता है।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को या तो संयुक्त परिचालन अथवा संयुक्त उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्थाओं के कानूनी ढांचे की बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदागत अधिकारों और बाध्यताओं पर निर्भर करता है।

- संयुक्त उद्यम – संयुक्त उद्यम में हित को आरंभिक रूप से लागत पर पहचाने जाने के पश्चात, इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए लेखा में गिना जाता है। निवेश की रखाव राशि को बाद में निवेशकर्त्ता की निवल परिसंपत्ति के भाग में अधिग्रहण के बाद परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है तथा इसे समूह की लेखाकरण नीतियों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, समायोजित

किया जाता है। लाभ और हानि के समेकित विवरण में निवेशकर्ता के परिचालन के परिणामों का समूह का हिस्सा शामिल है। सहयोगी उद्यम कंपनी से प्राप्त अथवा प्राप्य लाभांश को निवेश की रखाव राशि में घटाकर पहचान की जाती है। समूह तथा संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेनों पर वसूल न किए गए लाभों को समूह के इन संस्थानों में हित की सीमा तक विलोपित कर दिया जाता है।

- संयुक्त परिचालन – समूह संयुक्त परिचालनों की अपने प्रत्यक्ष अधिकार की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और व्यय की पहचान करता है तथा संयुक्त रूप से धारित अथवा किन्हीं भारगृहीत परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व तथा व्ययों के अपने भाग की पहचान करता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षक के अंतर्गत वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

जब संस्था में इक्विटी लेखा निवेश में समूह की हानियों का भाग उसके हित के बराबर या उससे अधिक होता है जिसमें कोई अन्य गैर जमानती दीर्घावधि प्राप्य भी शामिल हैं तो समूह तब तक आगे की हानियों की पहचान नहीं करता, जब तक इसने भारग्रहण बाध्यता स्वीकार न की हो अथवा अन्य संस्था की ओर से भुगतान न किया हो।

ch½ jktLo igpku

राजस्व की पहचान उपभोक्ता को उस मात्रा में वादा किए गए उत्पादों अथवा सेवाओं के अंतरण पर की जाती है, जो वह प्रतिफल है जिसे समूह उन उत्पादों अथवा सेवाओं के बदले प्राप्त करने की आशा करता है। राजस्व को लेनदेन मूल्य के आधार पर मापा जाता है, जो परिमाण (वॉल्यूम) रियायतों, ऋणों, कीमत छूटों तथा प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, के लिए समायोजित किया गया प्रतिफल है, जैसा कि उपभोक्ता के साथ की गई संविदा में दिया गया है। राजस्व में उपभोक्ताओं से लिए गए कर भी शामिल नहीं है। राजस्व प्रोद्भवन आधार पर पहचाना जाता है, जिसमें ऐसे उपभोक्ताओं से प्राप्त आय शामिल है, जिनके विवाद समाधान तथा उपभोक्ता लाइन के बंद होने के कारण लंबित हैं।

(ए) एकल सेवा देने के अनुबंधों के मामलों में राजस्व का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है तथा राजस्व की पहचान उस अवधि में की जाती है, जिसमें सेवाएं दी गई हैं,

(बी) बहु–अवयव के संविदाओं के मामले, जिसमें बहुत से उत्पादों, सेवाओं को देना अथवा निष्पादन अथवा परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार शामिल हैं, में सभी सुपुर्दगी योग्य मदों का मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्था में किया जाएगा, जिससे यह निर्धारित किया जा सके, कि क्या वे व्यवस्था के प्रारंभ में पृथक निष्पादन दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक साथ कई ठेके (बंडल कॉन्ट्रैक्ट) के मामले में कुल प्रतिफल को विभिन्न निष्पादन दायित्वों के मध्य उनके एकल विक्रय मूल्य के आधार पर आबंटित किया जाता है। यदि विभिन्न घटकों के तुलनात्मक उचित मूल्य को तर्कसंगत आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता तो कुल प्रतिफल को अवशिष्ट मूल्य विधि के आधार पर विभिन्न घटकों को आबंटित किया जाता है।

(सी) प्रीपेड उत्पादों की बिक्री के लिए रिचार्ज कूपनों पर कार्रवाई शुल्क उपभोक्ता संबंध अवधि अथवा कूपन वैधता अवधि, जो भी कम हो, में पहचाना जाता है।

(डी) सक्रियण तथा संस्थापन राजस्व एवं संबंधित लागतें, जो संबंधित राजस्व से अधिक न हों, को अनुमानित उपभोक्ता संबंध अवधि में आस्थगित तथा परिशोधित किया जाता है। राजस्व के ऊपर लागतों की अधिकता, यदि कोई हो तो उन्हें खर्च किए गए दिखाया गया है। उपभोक्ता प्राप्ति लागत के खर्च को किए गए खर्च के रूप में दर्शाया जाना है।

(ई) प्रीपेड कॉलिंग कार्ड, वर्चुअल कालिंग कार्ड (वीसीसी) तथा प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन कार्ड को उनके प्रयोग अथवा कार्डों की समाप्ति की तारीख, जो भी पहले हों, के आधार पर पहचाना जाता है।

एफ) ब्याज आय/व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर), अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित जीवन अवधि के माध्यम से परिसंपत्तियों की निवल रखाव राशि को अनुमानित भावी नकद भुगतान अथवा प्राप्तियों में ठीक–ठीक रूप से घटाते हैं, पर पहचाना जाता हैं। भावी नकदी प्रवाहों में भुगतान किए गए अथवा प्राप्त किए गए सभी अन्य लेन–देन लागत शुल्क, प्रीमियम अथवा रियायतें, यदि कोई हों, इत्यादि शामिल हैं। वास्तविक ब्याज दर तथा प्रभावी ब्याज के बीच अंतर लाभ एवं हानि विवरण के माध्यम से बताया जाएगा।

जी) सेवाओं से आय में मूलभूत संरचना अन्य सेवा प्रदाताओं को पट्टे पर देने से प्राप्त आय शामिल हैं। कार्यान्वयन में लगे संबंधित भंडारों तथा सामानों को उन्हें जारी करते समय परियोजना अथवा राजस्व कार्य की मद में प्रभारित किया जाता है। हालांकि वर्ष के अंत में विभिन्न भंडारों में पड़ी हुई विकीर्ण मदों का भारित औसत लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

एच) रखरखाव तथा परियोजना कार्यों से निकले कबाड़ (स्क्रैप) की बिक्री से प्राप्त राशियों को उनकी बिक्री के वर्ष में विविध आय में लिया जाता है।

संविदा परिसंपत्तियां तब पहचानी जाती है जब संविदाओं संबंधी बिलों पर अर्जित राजस्व अधिक हो। संविदा परिसंपत्तियों को बिल रहित प्राप्यों (केवल बीजक बनाने का कार्य लंबित है) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब संविदागत शर्तों के अनुसार नकद प्राप्ति का बिना शर्त का अधिकार हो और केवल व्यतिक्रम अपेक्षित हो। जब उपभोक्ता से प्राप्त अग्रिमों अथवा राजस्व की अधिकता में बिलिंग की गई है तब अनर्जित और आस्थगित राजस्व (''संविदा देयता'') की पहचान की जाती है।

lh½ fu;kstu ds ckn ykHk

ए) परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना ऐसी योजना है, जिसके अंतर्गत समूह सरकार द्वारा प्रशासित एक स्वतंत्र कोष में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। अपने निश्चित अंशदान का भुगतान करने के बाद समूह द्वारा कोई और अंशदान देने की कोई भी विधिक अथवा सकारात्मक बाध्यता नहीं हैं। समूह की परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि, पेंशन अंशदान तथा अवकाश का वेतन शामिल हैं।

(i) एमटीएनएल में विलयित (एब्जाबर्ड) संयुक्त सेवा पेंशन विकल्पधारकों के मामले में पेंशन का अंशदान एफआर–116 के अनुसार भारत सरकार को देय है, जैसा कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के समकक्ष वेतनमानों के साथ भारत संचार निगम लिमिटेड में है तथा इसे संबंधित वर्ष के खर्च में दिखाया जाता है।

(ii) उन कर्मचारियों के मामले में, जो दूरसंचार विभाग तथा अन्य सरकारी विभागों से मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं, पेंशन अंशदान का प्रावधान एफआर–116 के परिशिष्ट 2 (ए) तथा एफआर एवं एसआर 117 में विनिर्धारित किए गए दरों के अनुसार भारत सरकार को देय है तथा इसे संबंधित वर्ष के व्यय में दिखाया जाता है। अवकाश नकदीकरण का प्रावधान वेतन के 11 प्रतिशत की दर से भुगतान योग्य हैं, जैसा कि एफआर–116 के परिशिष्ट 2 (बी) तथा एफआर एवं एस आर के 117 में विनिर्धारित किया गया है, इसे संबंधित वर्ष के व्यय में दिखाया जाता है।

बी) परिभाषित लाभ योजना

समूह द्वारा प्रायोजित परिभाषित लाभ योजना लाभ की उस राशि को परिभाषित करती है, जो किसी कर्मचारी को सेवा अवधि के संदर्भ में तथा लिए गए अंतिम वेतन के संदर्भ में सेवाओं के पूर्ण होने पर प्राप्त होगी। किसी लाभ का विधिक दायित्व समूह का होगा।समूह की परिभाषित लाभ योजनाओं में उपदान (ग्रेचुइटी) तथा भविष्य निधि के लिए उपलब्ध करवाई गई धनराशियां शामिल हैं।

(i) विलयित सीपीएफ विकल्पधारकों तथा एमटीएनएल में सीधे भर्ती कार्मिकों के लिए कंपनी, कंपनी द्वारा प्रशासित भविष्य निधि ट्रस्ट को अंशदान करती है, जिसको आयकर प्राधिकारी मान्यता देते हैं। नियोक्ता तथा कार्मिक, दोनों इस निधि में अंशदान देते हैं तथा ऐसे अंशदान और इन पर दिया जाने वाला ब्याज कर्मचारी को कंपनी से उनके अलग हो जाने अथवा सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, के समय देय होता है। ट्रस्ट के सदस्यों को देय ब्याज कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष घोषित ब्याज दर से कम नहीं होता तथा ब्याज के कारण यदि कोई कमी आती है तो उसे कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा। तदनुसार इसे एक परिभाषित लाभ योजना के हिसाब में लिया गया है तथा निधि में किसी कमी को कंपनी की बहियों में खर्च के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) विलयित हुए सीपीएफ विकल्पधारकों तथा सीधे एमटीएनएल द्वारा भर्ती किए गए कार्मिकों के लिए उपदान (ग्रेच्युटी) की देयता का अनुमान बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर लगाया जाता है, जैसे कि रिपोर्ट करने की तारीख को परिभाषित लाभ बाध्यता (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य, उसमें से योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाकर, पहचाने न गए बीमांकिक लाभों अथवा हानियों के लिए समायोजन तथा पहले की सेवा लागतें। पूर्व अनुभव से तथा बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से होने वाले बीमांकिक अभिलाभों तथा हानियों को ओसीआई के विवरण में उस वर्ष क्रेडिट अथवा आरोपित किया जाता है, जिस वर्ष में ऐसे अभिलाभों अथवा हानियों का निर्धारण किया गया।

(iii) एमटीएनएल में विलयित संयुक्त सेवा पेंशन विकल्पधारक कर्मियों के लिए पेंशन लाभों जैसे पेंशन तथा उपदान हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें वही धनराशि अपवाद जो एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के वेतनमानों में अंतर के कारण है तथा, जो अगले पारिश्रमिक संशोधन, जिस समय तक एमटीएनएल तथा बीएसएनएल वेतनमानों को समान स्तर पर ले आएंगे, तक एमटीएनएल द्वारा भारत सरकार को भुगतान योग्य है। इस संबंध में लागू रियायत दरों का प्रयोग करके दीर्घावधि प्रावधानों में रियायत दी गई है।

सी) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

(i) एमटीएनएल के सभी कार्मिकों के छुट्टी नकदीकरण की देयता को बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर हिसाब में लिया जाता हैं जो एक स्वतंत्र बीमा आकलनकर्ता (एक्चुरी) द्वारा रिपोर्ट की तारीख पर प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके किया जाता है। अनुभव समायोजन तथा बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले बीमांकिक लाभों तथा हानियों को उस वर्ष के लाभ तथा हानि के समेकित विवरण में दर्ज किया जाता है, जिस वर्ष ऐसे लाभ अथवा हानियां उत्पन्न होते हैं।

(ii) सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि बीमा नीति को आवधिक आधार पर लिया जाता है तथा प्रीमियम संबंधित वर्ष में खर्च किया जाता है।

डी) अल्पावधि लाभों में कर्मचारी लागतें जैसे वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि, अल्पावधि क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थितियां शामिल हैं, जो उसी वर्ष प्रोद्भूत होती हैं, जिस वर्ष में समूह के कर्मचारियों ने संबंधित सेवाएं दी हैं।

ई) बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान उत्पादकता से जुड़े मापदंडों (पैरामीटर) के आधार पर किया गया है तथा तदनुसार यह उपलब्ध करवाया जाना होता हैं, बशर्ते कंपनी लाभ की स्थिति में हो।

Mh½ mèkkj dh ykxr

उधार लेने की लागतें किसी परिसंपत्ति के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन के प्रत्यक्ष कारण हैं, जो आवश्यक रूप से पर्याप्त समयावधि लेता है जिसे इसके वांछित प्रयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने हेतु साधारणतया एक वर्ष माना जाता है। इन्हें परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। आगे 30 करोड़ तक की

अनुमानित लागत की परियोजनाएं पूरा होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय ले लेती हैं। अन्य सभी उधार लागतें उसी अवधि में व्यय में दर्शायी जाती हैं जब वे उत्पन्न होती हैं तथा वित्तीय लागत में रिपोर्ट दी जाती है। उधार लागत में ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल हैं जो किसी संस्था को निधियां उधार लेने के मामले में आती हैं। दीर्घावधि उधारियों के संबंध में लेन–देन लागतों को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके संबंधित ऋणों की परिपक्वता की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

b½ lifÙk l;= rFkk miLdj

पहचान तथा प्रारंभिक माप

पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की अन्य मदों को संचयी मूल्यह्रास घटाकर आई लागत पर दिखाया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, उधारी की लागत, यदि पूंजीकरण मानदंड पूरे हो जाते हैं, शामिल हैं तथा परिसंपत्ति को इसके वांछित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में लाने के लिए आने वाली लागत पर सीधे आरोपणीय हैं। कोई व्यापार रियायत तथा छूटें खरीद मूल्य की गणना करते समय घटाए जाते हैं। परिसंपत्तियों, जहां तक उन्हें पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हों, जहां–कहीं लागू हो, को नीचे वर्णित तरीकों से पूंजीकृत किया जाता है।

i. भूमि का पूंजीकरण उसका कब्जा लेने के समय किया जाता है।

ii. भवन को उस सीमा तक पूंजीकृत किया जाता है, जहां तक वह प्रयोग के लिए तैयार है,

iii. उपकरण एवं संयंत्र, जिनमें मुख्य रूप से टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर और वातानुकूलन संयंत्र सम्मिलित हैं, एक्सचेंज के चालू होने पर पूंजीकृत कर दिए जाते हैं। उपभोक्ता संस्थापनों को तब पूंजीकृत किया जाता है, जब एक्सचेंज को चालू कर दिया जाता है तथा आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से इस्तेमाल प्रारंभ कर दिया जाता है। मुख्य परिसंपत्तियां अर्थात् एडीएसएल, वीडीएसएल और एमईएस सीपीईएस, यूपीएस/बैटरी तथा उपभोक्ता टेलीफोन उपकरण की तुलना में महत्वपूर्ण लागत और/अथवा भिन्न लाभप्रद प्रयोग की अवधि वाले उपकरण एवं संयत्रों में पहचाने जा सकने वाले घटकों को चालू करने और इस्तेमाल शुरू करने पर अलग से पूंजीकृत किया जाता है।

iv. लाइनों तथा तारों को, बिछा या लगाकर जैसे–जैसे उनको कार्य समाप्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है वैसे–वैसे उनको पूंजीकृत कर दिया जाता है।

v. केबलों को उस समय पूंजीकृत किया जाता है जब वे मुख्य प्रणाली में जोड़ने के लिए तैयार हो जाएं।

vi. वाहनों तथा अन्य परिसंपत्तियों को खरीदे जाने के समय पर पूंजीकृत किया जाता है।

(ए) संपत्ति, संयत्र तथा उपस्कर को उचित अंतरालों अर्थात् चक्रानुक्रम से प्रति 3 वर्ष में एक बार प्रबंधक वर्ग द्वारा सत्यापित किया जाता रहा है। भूमिगत केबलों का वास्तविक सत्यापन नेटवर्क के कार्य करने तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा दिए प्रमाण–पत्र सहित उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर किया जाता है।

(बी) परिसंपत्तियों, उपस्करों, यंत्रों को बदलने तथा उनके पुनर्स्थापन कार्य पर किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, यदि उसके परिणामस्वरूप भविष्य में एक वर्ष से अधिक के लिए आर्थिक लाभ अर्जन की संभावना हो।

(सी) परिसंपत्तियों को बेकार (स्क्रैप) घोषित किए जाने/काम से हटा देने पर उन्हें तब तक संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर में वर्गीकृत किया जाना जारी रखा जाता है, जब तक कि उन्हें 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वर्गीकृत नहीं कर दिया जाता तथा रखाव कीमत से न्यूनतर पर अथवा बिक्री की लागतें घटाकर उचित मूल्य पर नहीं लिया जाता। इसके परिणामस्वरूप यदि कोई हानि होती है तो उसे लाभ तथा हानि के समेकित विवरण पर प्रभारित किया जाता है।

(डी) बड़े निरीक्षण की लागत को संयंत्र तथा उपस्कर की रखाव राशि में पहचाना जाता है, यदि इससे आर्थिक लाभार्जन की संभावना है तथा इसकी उपयोगी अवधि एक वर्ष से अधिक है।

(ई) संयंत्र तथा उपस्कर के महत्वपूर्ण अवयवों को बदलने पर अवयवों के ऐसे बदलाव की पहचान अलग–अलग परिसंपत्तियों के रूप में उनकी विशिष्ट उपयोगी अवधि के साथ की जाती है तथा मूल्यह्रास इस तरह दर्शाया जाता है कि मानो इन अवयवों को शुरू में एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में पहचाना गया हो।

(एफ) यदि संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की किसी मद को आस्थगित भुगतान आधार पर अधिगृहीत किया जाता है, तो आस्थगित भुगतान में शामिल किए गए ब्याज खर्चों को ब्याज खर्च के रूप में पहचाना जाता है तथा परिसंपत्ति की लागत में शामिल नहीं किया जाता।

(जी) परिसंपत्ति की उपयोगी अवधि की समाप्ति पर उसे कार्य से हटा देने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल कर लिया जाता है। कार्य से हटा देने के लिए समतुल्य राशि का प्रावधान भी किया जाता है।

(एच) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के निपटान से होने वाले लाभों अथवा हानियों का निर्धारण परिसंत्तियों के निपटान से प्राप्त राशियों तथा रखाव राशि के अंतर के रूप में किया जाता है तथा लाभ अथवा हानि के विवरण में निपटान की तिथि को 'अन्य आय' अथवा 'अन्य व्ययों', जैसा भी मामला हो, के रूप में पहचाना जाता है।

बाद की कार्रवाई

(ए) मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वस्तुओं के उपयोग की अवधि के आधार पर बताए गए तरीके से मूल कंपनी द्वारा सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया जाता है, केवल उपकरण और संयंत्र (टावर, ट्रांससीवर, स्विचिंग केंद्र, ट्रांसमिशन एवं अन्य नेटवर्क उपस्कर सहित) और मुख्य परिसंपत्तियों, सर्विस कनेक्शन के लिए मोबाइल हैंडसेट, कम लागत वाली एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल तथा भवन की ढांचा संबंधी बड़े मरम्मत कार्यों की तुलना में महत्वपूर्ण लागत और/अथवा भिन्न लाभप्रद प्रयोग की अवधि वाले उपकरण एवं संयंत्रों में पहचाने जा सकने वाले घटकों को छोड़कर, जो इन परिसंपत्तियों के उपयोग की अवधि के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर मूल्यह्रासित की जाती हैं तथा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोग की अवधि से कम हैं। विदेशी सहायक कंपनी द्वारा स्ट्रेट लाइन पद्धति पर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मद के प्रत्येक हिस्से की उपयोगी अवधि के अनुसार मूल्यह्रास किया जाता है। अनुमानित उपयोगी अवधि तथा अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में की जाती है।

midj.k vkj l;= (टावर, ट्रांससीवर, स्विचिंग केंद्र, ट्रांसमिशन एवं अन्य नेटवर्क उपस्कर सहित) कार्यालय उपस्कर और केबल, जिनकी उपयोगी अवधि 10 वर्ष है, के अतिरिक्त कम उपयोगी अवधि वाली निम्नलिखित परिसपंत्तियों/घटकों के लिए:

ifjlaifÙk;ka dk uke	ykHkizn mi;ksx dh vof/k ¼o"kZ½
1. 300 एएच क्षमता तक यूपीएस/बैटरी	4
2. 300 एएच क्षमता से अधिक यूपीएस/बैटरी	7
3. एडीएसएल, वीडीएसएल और एमईएस सीपीईएस	5
4. उपभोक्ता टेलीफोन उपकरण	5

कम उपयोगी अवधि वाली निम्नलिखित परिसंपत्तियों/अवयवों के अतिरिक्त dk;kZy; miLdj, जिनकी उपयोगी अवधि 5 वर्ष है:–

ifjlaifÙk;ka dk uke	ykHkizn mi;ksx dh vof/k ¼o"kZ½
5. सेवा कनेक्शन के लिए मोबाइल हैंडसेट	4

कम उपयोगी अवधि वाली निम्नलिखित परिसंपत्तियों/अवयवों के अलावा dscy के लिए, जिसकी उपयोगी अवधि 18 वर्ष है:–

ifjlaifÙk;ksa dk uke	ykHkizn mi;ksx dh vof/k ¼o"kZ½
6. कम लागत वाली एरियल ऑप्टिकल फाइबर केबल	3

कम उपयोगी अवधि की निम्नलिखित परिसंपत्तियों/अवयवों के अलावा dk;kZy; Hkouksa rFkk ,Dlpat, जिनकी उपयोगी समयावधि क्रमशः 60 तथा 30 वर्ष हैः–

ifjlaifÙk;ksa dk uke	ykHkizn mi;ksx dh vof/k ¼o"kZ½
7. अन्य (भवन की संरचना संबंधी मरम्मत का बड़ा कार्य)	7

fons'kh lgk;d daiuh के लिए प्रयोग में लाई गई मूल्यह्रास की दरें निम्नलिखित हैंः–

ifjlaifÙk;ksa dk uke	ykHkizn mi;ksx dh vof/k ¼o"kZ½
8. भवन	4.75%
9. कंप्यूटर उपस्कर	31.67%
10. फर्नीचर फिक्सर एवं फिटिंग	11.87%
11. कार्यालय उपस्कर	19.00%
12. मोटर वाहन	11.88%
13. संयंत्र एवं उपस्कर (बाह्य)	10.00%
14. संयंत्र एवं उपस्कर (अंतः)	13.57%

(बी) 0.05 लाख रुपये तक की कम मूल्य की परिसंपत्तियों को खरीद के वर्ष में ही शत–प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, उनको छोड़कर जोकि परियोजना का भाग हों और उपकरण एवं संयत्रों, प्रशिक्षण उपस्कर तथा परीक्षण उपस्कर के मामले में जिनकी लागत 0.10 लाख रुपये से कम हो और उसके अतिरिक्त ऐसे पृथक्करण (पार्टिशन) जिसे महत्वपूर्ण न माना गया हो, के मामले में 2.00 लाख रुपये से कम हो।

(सी) जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में कोई परिवर्धन किया गया है अथवा जहां कोई परिसंपत्ति बेची गई है, हटा दी गई है, तोड़–फोड़ दी गई है अथवा नष्ट कर दी गई है अथवा महत्वपूर्ण घटक बदल दिए गए हैं, ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए आनुपातिक आधार पर की जाती है, जिसमें परिसंपत्ति के ऐसे परिवर्धन, या जैसा भी मामला हो, की तारीख से उस तारीख तक, जब वह परिसंपत्ति बेची गई, हटा दी गई, ढहा दी गई अथवा नष्ट कर दी गई, उसकी विशिष्ट उपयोगी अवधि को भी शामिल किया जाता है।

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन पर, समूह ने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार मापे गये तथा 1 अप्रैल 2015 को पहचानी गई अपनी सभी संपत्तियों, संयंत्र तथा उपस्कर के रखाव मूल्य को जारी रखने का विकल्प चुना है तथा उस रखाव मूल्य को संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की मानित लागत के रूप में रखने का चयन किया है।

¼,Q½ver Z ifjlaifÙk;ka

अमूर्त परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण की लागत पर तथा/अथवा संचयी परिशोधन घटाकर विकास की लागत पर बतायी जाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सहित अमूर्त परिसंपत्तियां उस समय पूंजीकृत की जाती हैं, जब वे उपयोग के लिए तैयार हों। सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को उनकी निश्चित उपयोगी अवधि के साथ अनुमानित उपयोगी अवधियों में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा यदि कोई ऐसा संकेत हो कि अमूर्त परिसंपत्ति का क्षरण हो सकता है तो संभावित क्षरण का आकलन कर लिया जाता है।

(ए) 3जी स्पैक्ट्रम के लिए एक बार के प्रारंभिक भुगतान से जिन अमूर्त पंरिसंपत्तियों को दर्शाया गया हैं, उन्हें लाइसेंस की अवधि अर्थात् 20 वर्ष में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है।

(बी) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि में सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है, जो 10 वर्ष मानी गई है।

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन पर समूह ने 1 अप्रैल 2015 को पहचानी गई तथा पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकंन सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार मापी गई अपनी सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य को जारी रखने तथा उस रखाव मूल्य को अमूर्त परिसंपत्तियों की मानित लागत के रूप में प्रयोग करने का चयन किया है।

th½ iÍ ¼yht½ ij ifjl ifÙk;k

ifjor u ¼Vªk th'ku½

समूह ने 1 अप्रैल 2019 से भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टे' को अपनाया तथा संशोधित पूर्व प्रभावी तिथि विधि का प्रयोग करते हुए इस मानक को 1 अप्रैल 2019 को विद्यमान सभी पट्टा अनुबंधों पर लागू किया। समूह ने पट्टा देयता को पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर दर्ज किया है। जिसमें प्रारंभिक प्रयोग एवं परिसंपत्तियों को उनकी रखाव राशि पर प्रयोग के अधिकार की तिथि पर वृद्धिमान उधारी पर इस तरह बट्टागत किया गया है मानों इस मानक को शुरूआत की तिथि से लागू किया गया हो। पट्टा देयता तथा परिसंपत्ति के प्रयोग के बीच अंतर को 1 अप्रैल, 2019 को अपने पास रखे गए प्रारंभिक अर्जनों में समायोजन के रूप में दर्ज किया गया है। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तथा अंतर में तुलनाओं को पूर्व प्रभाव से समायोजित नहीं किया गया है और इसलिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की हमारी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल की गई लेखांकन नीतियों के अंतर्गत रिपोर्ट किए जाना जारी रहेंगे।

विवरण के लिए कृपया XX देखें।

,d iÍk/kkjd d : i e leg

समूह की पट्टा परिसंपत्ति श्रेणियों में प्रमुख रूप से बीटीएस साइटों, टावरों तथा भवनों के लिए पट्टे शामिल हैं, समूह आंकलन करता है कि क्या किसी संविदा में उसकी शुरूआत पर पट्टा शामिल है, कोई संविदा पट्टा कहलाती है या उसमें पट्टा शामिल है, यदि संविदा प्रतिफल के बदले कियसी समयावधि के लिए किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार की सूचना देती है, इस बात का आकलन करने के लिए, कि क्या कोई संविदा किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने की सूचना देती है, समूह आकलन करता है, कि क्याः

(i) संविदा में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति का प्रयोग समाहित है,

(ii) समूह को पट्टा की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से वस्तुतः सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, तथा

(iii) समूह को परिसंपत्ति के प्रयोग को निदेशित करने का अधिकार है।

पट्टे की शुरूआत की तारीख पर समूह बारह महीने अथवा उससे कम अवधि के पट्टों (अल्पावधि पट्टों) तथा कम मूल्य के पट्टों को छोड़कर उप सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार तथा संबंधित पट्टा देयता की पहचान करता है। इन अल्पाधि कम मूल्य के पट्टों के लिए समूह पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधीरेखा आधार पर परिचालन खर्च के रूप में पहचानता है।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टों की आगे तक बढ़ाने अथवा उनकी अवधि समाप्त होने से पहले ही समाप्त करने का विकल्प होता है, परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार तथा पट्टा देयताओं में ये विकल्प शामिल होते हैं, जब यह तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार प्रारंभिक रूप से लागत पर पहचाने जाते हैं, जिसमें पट्टे के शुरू होने की तारीख को अथवा उससे पहले किए गए किन्हीं पट्टा भुगतानों के लिए समायोजित की गई पट्टा देयता की प्रारंभिक राशि तथा कोई प्रारंभिक सीधी लागतें (कोई पट्टा प्रोत्साहन घटाकर) शामिल हैं। उन्हें बाद में संचयी मूल्यह्रास तथा क्षरण हानियों को घटाकर आई लागत पर मापा जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार शुरूआत की तिथि से पट्टे की कमतर अवधि तथा निहित परिसंपत्ति की उपयोगी समय अवधि में सीधी रेखा आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

पट्टा देयता को प्रारंभ में भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतानों को पट्टे में निहित ब्याज दरों का प्रयोग करके अथवा यदि वह तुरंत निश्चित न की जा सके तो इन पट्टों के अधिवास (डोमिसाइल) के देश की वृद्धिमान उधारी दरों का प्रयोग करके बट्टागत किया जाता है। पट्टा देयताओं को संबंधित परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के संबंधिति समायोजन के साथ पुनः मापा जाता है, यदि समूह अपने आकलनों में परिवर्तन करता है, कि क्या वह अवधि बढ़ाने के विकल्प का चयन करता है या समाप्त करने का।

,d iVVknkrk d: :i e leg

ऐसे पट्टे जिनमें समूह एक पट्टदाता है, वित्तीय अथवा परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। जब कभी पट्टे की शर्तें स्वामित्व के सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों को वास्तविक रूप से पट्टाधारक को अंतरति कर देती हैं तो उस संविदा को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टों को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जब समूह एक मध्यवर्ती पट्टदाता होता है तो यह अपने हितों को शीर्ष पट्टा तथा उप पट्टों में अलग–अलग हिसाब में लेता है, उप पट्टा को शीर्ष पट्टा से उत्पन्न होने वाले परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार के संदर्भ में वित्तीय अथवा परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पट्टों के लिए किराया आय को संबंधित पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर पहचाना जाता है।

,p½ xSj&pkyw ifjlEifÙk;k] ftUgsa fcØh rFkk vlrr ifjpkyuksa d s fy, j[kk x;k gS

कोई संस्था किसी गैर चालू परिसंपत्ति (अथवा निपटान समूह) को बिक्री के लिए रखे गये रूप में वर्गीकृत करेगी, यदि उसकी रखाव राशि की वसूली सतत उपयोग के बजाए बिक्री सौदे के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से वसूली जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा हुआ माना जाता है जब परिसंपत्ति इसकी वर्तमान दशा में तुरंत बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। इसमें केवल ऐसी शर्तें हैं, जो ऐसी परिसंपत्ति की बिक्री के लिए सामान्य तथा प्रचलित हों तथा उसकी बिक्री की बहुत अधिक संभावना हो। प्रबंधन बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर बिक्री पूर्ण हो जाने के रूप में पहचान के लिए योग्यता प्राप्त करने की संभावना होनी चाहिए।

गैर– चालू परिसंपत्तियां, जिन्हें बिक्री के लिए रखा गया, के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को अलग से प्रस्तुत किया जाता है तथा उनके बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकरण के ठीक पहले उनकी रखाव राशि से कम पर तथा बिक्री के लिए आने वाली लागतों को घटाकर उनके उचित मूल्य पर मापा जाता है। हालांकि बिक्री के लिए रखी गई कुछ परिसंपत्तियों जैसे कि वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा आस्थगित कर परिसंपत्तियों को समूह की परिसंपत्तियों के लिए संबंधित लेखांकन नीति के अनुसार मापा जाना जारी है। एक बार बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत हो जाने पर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं हो सकता।

असतत परिचालनों को सतत परिचालनों के परिणामों में शामिल नहीं किया जाता एवं समेकित लाभ तथा हानि विवरणी में उन्हें असतत परिचालनों से कर–पश्चात लाभ अथवा हानि के रूप में एकल राशि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

vkb½fuos'k l aifÙk

निवेश संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं, जो किराया अर्जित करने तथा/अथवा पूंजी को बढ़ाने के लिए रखी जाती हैं। (इसमें ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्ति भी शामिल है।) निवेश संपत्तियां शुरू में लागत पर मापी जाती हैं जिसमें लेन–देन लागतें भी शामिल हैं। प्रारंभिक पहचान के बाद निवेश संपत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर आयी लागत पर दर्शाया जाता हैं।

लागत को लिखने के लिए जमीन को छोड़कर निवेश संपत्तियों के अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को घटाकर मूल्यह्रास को सीधी रेखा आधार पर पहचाना जाता है।

एक निवेश संपत्ति का निपटान होने पर अथवा जब निवेश परिसंपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है तथा निपटान से किसी भी भावी आर्थिक लाभ की आशा नहीं की जाती, तब उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाती है। संपत्ति की मान्यता समाप्त करने पर होने वाले किसी अभिलाभ अथवा हानि (निवल निपटान प्राप्तियों तथा परिसंपत्ति की रखाव राशि के अंतर के रूप में परिगणित) को उस अवधि के लाभ अथवा हानि विवरण में शामिल किया जाता है, जिसमें संपत्ति की मान्यता समाप्त की गई।

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन

भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन होने पर समूह ने 1 अप्रैल 2015 को पहचानी गई अपनी सभी निवेश संपत्तियों के रखाव मूल्य को जारी रखने का चयन किया है, जो पूर्ववर्ती लेखांकन के सामान्य रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के प्रावधानों के अनुसार मापे गए हैं तथा उस रखाव मूल्य को निवेश संपत्तियों की मानित लागत के रूप में उपयोग करने का चयन किया है।

t½ oLrq lwfp;k

वस्तु सूचियां, जिनमें भंडार तथा कलपुर्जे शामिल होते हैं, का मूल्यांकन लागत से नीचे तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है, हालांकि जिन वस्तु सूचियों को पूंजीगत उपभोग के लिए रखा गया हो, उन्हें लागत पर दर्शाया जाता है।

वस्तु सूचियों की लागत–

भंडारों तथा कलपुर्जों की लागत भारित औसत आधार पर निर्धारित की जाती है।

वसूली योग्य निवल मूल्य–

वसूली योग्य निवल मूल्य व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में वह अनुमानित विक्रय मूल्य है, जो किन्हीं लागू विक्रय खर्चों को घटाकर आता है।

पुरानेपन तथा धीमी गति से चलने वाली वस्तु सूची के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा ऐसी वस्तु सूचियों के निवल वसूली योग्य मूल्य के सर्वश्रेष्ठ आकलन के आधार पर किया जाता है।

d½ fons'kh eqæk vrj.k&

कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रूपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की भी कार्यात्मक मुद्रा भी है, क्योंकि काफी हद तक कंपनी का पूरा निधीयन तथा इसकी परिचालन आय भारतीय रूपये में ही संचालित होते हैं। सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यमों की कार्यात्मक मुद्रा संबंधित क्षेत्राधिकारों में लागू स्थानीय मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा लेन–देन तथा शेष राशियां

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को उन लेन–देन की तारीखों को प्रचलित विनिमय दरों (स्पॉट विनिमय दर) का प्रयोग करके संबंधित समूह संस्था की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे लेन–देन के निपटान से तथा अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा के रूप में मौद्रिक मदों के पुनः मापन से होने वाले विदेशी विनिमय लाभों तथा हानियों को लाभ अथवा हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

गैर–मौद्रिक मदों को अवधि के अंत में पुनः परिवर्तित नहीं किया जाता तथा उचित मूल्य पर मापी गई गैर–मौद्रिक मदें, जो उचित मूल्य निर्धारित किए जाने की तारीख को विनिमय दरों का प्रयोग करके परिवर्तित की गई है, को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तारीख को विनिमय दरों के प्रयोग द्वारा परिवर्तित) पर मापी जाती हैं।

विदेशी परिचालन–

समूह के वित्तीय विवरणों में समूह संस्थाओं में भारतीय रूपये के अतिरिक्त अन्य कार्यात्मक मुद्राओं में दर्ज सभी परिसंपत्तियों, देयताओं तथा लेनदेनों को समेकित किए जाने के समय भारतीय रूपये में बदला जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समूह की संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा अपरिवर्तित रही है। समेकन पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को रिपोर्ट की तारीख को बंद दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है। विदेशी संस्था का अधिग्रहण करने से होने वाले उचित मूल्य समायोजनों को विदेशी संस्था की परिसंपत्तियां तथा देयताएं माना गया है तथा बंद दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है। आय तथा खर्चों को रिपोर्ट की अवधि में औसत दर पर भारतीय रुपये में बदला गया है। विनिमय अंतरों को अन्य व्यापक आय में प्रभारित/जमा किया जाता है तथा इक्विटी में मुद्रा परिवर्तन आरक्षित कोष में पहचाना जाता है। किसी विदेशी परिचालन के निपटान पर इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी परिवर्तन अंतरों को लाभ एवं हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है तथा उन्हें निपटान होने पर अभिलाभ अथवा हानि के हिस्से के रूप में पहचाना जाता है।

,y½ foÙkh; fy[kr

पहचान, प्रारंभिक माप तथा मान्यता समाप्त करना (डी रिकगनीशन)

वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वितीय देयताओं को उस समय पहचाना जाता है, जब समूह वित्तीय लिखत के संविदा प्रावधानों का एक पक्ष बनता है तथा प्रारंभ में लेन देन लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापी जाती हैं, इसमें अपवाद केवल नहीं हैं कि जो लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ली गई हो तथा जिन्हें प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं की उत्तरवर्ती माप निम्नानुसार हैः–

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब अमान्य किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से संविदा अधिकार तथा नकदी प्रवाह समाप्त हो जाता है अथवा जब वित्तीय परिसंपत्ति एवं सभी बड़े जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं। वित्तीय देयता तब अमान्य की जाती है, जब यह समाप्त कर दी गई हो, पूरी कर दी गई हो, रद्द कर दी गई हो या स्वयं समाप्त हो गई हो।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा उसके बाद की माप–

बाद की माप के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक पहचान के समय निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता हैः–

- परिशोधित लागत
- लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल पर दर्शायी गई परिसंपत्तियों के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियां क्षरण के लिए कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा के अधीन है, जिससे यह पहचान हो सके कि क्या इस बात का कोई निष्पक्ष प्रमाण है कि किसी वित्तीय परिसंपत्ति अथवा वित्तीय परिसंपत्ति के समूह का क्षरण हुआ है। वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए क्षरण का निर्णय करने हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए जाते हैं जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

लाभ अथवा हानि विवरण में पहचाने गए वित्तीय परिसंपत्तियों संबंधी सभी आय एवं खर्चे वित्तीय लागत अथवा वित्तीय आय में दर्शाए गए हैं, सिवाय 'अन्य खर्चें' में दर्शाए गए व्यापार प्राप्यों के क्षरण को छोड़कर।

- परिशोधित लागत–

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाएगा, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई हों:–

ए) वित्तीय परिसंपत्ति को व्यावसायिक मॉडल के अंदर रखा गया हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियां रखना है; तथा

बी) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों पर उन नकदी प्रवाहों को बढ़ावा देती है, जो बकाया मूलधन की राशि पर केवल मूलधन तथा ब्याज का भुगतान हैं।

समूह के नकदी तथा नकदी समतुल्य, व्यापार एवं कुछ अन्य प्राप्य वित्तीय लिखतों की इस श्रेणी में आते हैं।

संभावित ऋण हानियों के लिए हानि छूट को परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर पहचाना जाता है।

(i) mu nunkjk d fy, ftul igy n; ugh ekuk x;k g– पूरी समयावधि के लिए संभावित ऋण हानियों का आकलन तथा लेखांकन कंपनी की परंपरागत प्रतिपक्षी चूक (काउंटर पार्टी डिफॉल्ट) दरों तथा समष्टिगत–आर्थिक कारकों के पूर्वानुमान के आधार पर तथा ऐसे प्राप्यों, जो अनुमानित ऋण हानि का मूल्यांकन करने के लिए काउंटर पार्टी तथा अन्य हिस्सेदारी ऋण जोखिम विशेषताओं के खंड के संदर्भ में व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं माने जाते, से भाग देकर किया जाता है। फिर प्रत्येक पहचाने गए खंड के लिए संभावित ऋण हानि प्राक्कलन हाल ही के परंपरागत प्रतीपक्षी चूक दर के आधार पर किया जाता है।

(ii) mu nunkjk d fy,] ftul fiNyk n; ekuk x;k g– अलग–अलग महत्वपूर्ण प्राप्यों पर संभावित ऋण हानि के लिए किए गए प्रोद्भवन में किसी बढ़ोतरी को निम्न प्रकार से किया गया है:–

– गलत बिलों, उपभोक्ताओं (आईयूसी/रोमिंग/एमओयू से संबंधित करारों के अंतर्गत आने वाले प्रचालकों को छोड़कर) से विवादास्पद दावों तथा न्यायालय की कार्यवाही के कारण राजस्व की उगाही के निलंबित रहने के मामलों के लिए प्रावधान किया जाता है।

– लैंडलाइन सेवाओं के लिए – 1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक के बकाया देनदारों के लिए ईसीएल के आधार पर प्रावधान तथा 3 वर्ष से अधिक के संबंध में 100 प्रतिशत का प्रावधान किया जाता है।

– बंद हो चुके कनेक्शनों के लिए 3 वर्षो से अधिक के बकाया तथा उसके साथ 3 वर्षों तक के लिए व्याप्त (स्पिल ओवर) राशि के संबंध में प्रावधान किया जाता हैं।

– बेतार सेवाओं (जीएसएम तथा सीडीएमए)– के लिए 180 दिनों से अधिक बकाया देनदारों के लिए 100% प्रावधान किया जाता है।

- *एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियां*

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं, जो परिशोधित लागत वर्गीकरण का मानदंड पूरा नहीं करती अथवा ऐसी इक्विटी लिखतें हैं, जो व्यापार के लिए रखी गई हैं अथवा जो कुछ शर्तें पूरी करती हैं तथा प्रारंभिक पहचान होने पर एफवीटीपीएल में नामित की जाती हैं। इस श्रेणी की परिसंपत्तियों को लाभ अथवा हानि के विवरण में पहचाने गए अभिलाभों अथवा हानियों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य सक्रिय बाजार सौदों के संदर्भ में अथवा जहां कोई सक्रिय बाजार विद्यमान न हो, वहां मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करके निर्धारित किए जाते हैं।

- *एफवीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियां–*

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियां या तो वे ऋण लिखतें है जिन्हें व्यवसाय मॉडल को प्राप्त करने तथा बेचने के लिए रोककर रखने के अन्तर्गत व्यवस्थित किया जाता है अथवा वे गैर–व्यापार इक्विटी लिखतें हैं, जिन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। अभिलाभों तथा हानियों को अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है तथा इक्विटी के अंदर एफवीओसीआई आरक्षित राशि के अंदर रिपोर्ट किया जाता है। इसमें अपवाद यही है कि ब्याज तथा लाभांश आय, क्षरण हानियों तथा मौद्रिक परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा के अंतरों, जिन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में पहचाना जाता है, इसमें शामिल नहीं है।

वितीय देयताओं का वर्गीकरण तथा परवर्ती माप–

व्यापार के लिए रखी गई अथवा एफवीटीपीएल के रूप में नामित वित्तीय देयताओं, जिन्हें लाभ अथवा हानि के विवरण में पहचाने गए अभिलाभों अथवा हानियों के साथ बाद में उचित मूल्य पर लिया जाता हैं, को छोड़कर वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

सभी ब्याज संबंधी प्रभार तथा, यदि लागू हो, किसी लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन, जो लाभ अथवा हानि के विवरण में रिपोर्ट किए जाते हैं, वित्तीय लागतों अथवा वित्तीय आय में शामिल किए जाते हैं।

,e½ vk;dj

लाभ अथवा हानि के विवरण में पहचाने गए कर खर्च में आस्थगित कर तथा चालू कर की वह राशि शामिल है, जो अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहचानी गई है।

चालू कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों पर विचार करके किया जाता है तथा विदेश में स्थित शाखाओं/कंपनियों में संबंधित कर कानूनों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित आय कर की गणना परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रखाव राशियों तथा उनके कर आधारों के बीच अस्थायी अंतरों पर देयता विधि से की जाती है। हालांकि आस्थगित कर किसी परिसंपत्ति अथवा देयता की प्रारंभिक पहचान पर तब तक प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि संबंधित लेन देन एक व्यवसाय युग्म न हो अथवा कर या लेखा लाभ को प्रभावित न करे। सहायक तथा संयुक्त उद्यमों में निवेश से संबद्ध अस्थायी अंतरों पर आस्थगित कर का प्रावधान नहीं किया जाता, यदि इन अस्थायी अंतरों का उलटाव मूल कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है तथा यह संभव हो कि उलटाव निकट भविष्य में नहीं होगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियां तथा देयताएं कर की उन दरों को घटाए बिना परिगणित की जाती है जिनकी उनके भुनाए जाने की संबंधित अवधि में लागू होने की संभावना है, बशर्ते वह दरें रिपोर्ट की अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दी गई हों।

सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों या अप्रयुक्त कर क्रेडिट तथा अप्रयुक्त कर हानियों के लिए आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) की पहचान उस सीमा तक की जाती है, जहां तक यह संभावना हो कि कर योग्य लाभ प्राप्त होगा जिसमें कटौती योग्य अस्थायी अंतर तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट तथा अप्रयुक्त कर हानियों को अग्रेनीत उपयोग में लाया जा सकता है अथवा कर योग्य अस्थायी अंतरों की सीमा तक।

सहायक कंपनियों, शाखाओं तथा सहयोगी कंपनियों में निवेश से पैदा होने वाले कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में तथा संयुक्त व्यवस्थाओं में हित उस सीमा तक कि, तथा केवल उसी सीमा तक कि यह संभावना है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर में उलटाव होगा तथा करयोग्य लाभ प्राप्त होगा जिसके लिए अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट की पहचान परिसंपत्ति के रूप में केवल तब और उसी सीमा तक की जाती है, जहां तक इस बात का विश्वसनीय प्रमाण हो कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान निर्धारित अवधि के अंदर

कर देगी। जिस वर्ष में न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट परिसंपत्ति के रूप में पहचाने जाने के लिए पात्र होता है उस परिसंपत्ति को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में क्रेडिट के द्वारा सृजित किया जाता है तथा 'आस्थगित कर परिसंपत्ति' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

,u½ ver`r ifjlEifÙk;ka rFkk lEifÙk] l;a= ,oa miLdj dk {kj.k ijh{k.k&

क्षरण आकलन के उद्देश्य के लिए परिसंपत्तियों को निम्नतम स्तरों पर बताया जाता है जिसके लिए अधिकतर स्वतंत्र नकदी अंतर्वाह (नकदी तैयार करने वाली इकाइयां) हैं। फलस्वरूप कुछ परिसंपत्तियों के क्षरण के लिए अलग से परीक्षण किया जाता है तथा कुछ का नकदी उत्पादक इकाई के स्तर पर परीक्षण किया जाता है।

अनिश्चित काल तक उपयोगी अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए कम से कम वार्षिक रूप से परीक्षण किया जाता है। अन्य परिसंपत्तियों के लिए समूह प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर यह आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी परिसंपत्ति का क्षरण हो सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत है तो ऐसी परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य को इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि तक नीचे लाया जाता है तथा ऐसी क्षरण हानि की राशि को लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में प्रभारित किया जाता हैं। तुलनपत्र की तारीख को यदि कोई ऐसा संकेत है कि पूर्व में आकलित क्षरण हानि अब विद्यमान नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनः आकलन किया जाता है, जो निपटान की लागतों तथा उपयोग मूल्य की लागत घटाकर उचित मूल्य से अधिक है तथा परिसंपत्ति को अधिकतम मूल्यह्रासित ऐतिहासिक लागत के अधीन वसूली योग्य राशि के द्वारा दर्शाया जाता है।

उपयोग में मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रबंधन नकदी उत्पन्न करने वाली प्रत्येक इकाई से अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है तथा इनकी उचित ब्याज दर निर्धारित करता है, जिससे उन नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य की गणना की जा सके। क्षरण परीक्षण प्रक्रियाओं में प्रयुक्त आंकड़े समूह के नवीनतम स्वीकृत बजट से सीधे जोड़ दिए गए हैं, जिन्हें भावी पुनर्गठनों तथा परिसंपत्ति वृद्धियों के प्रभावों को शामिल न करने के लिए आवश्यक रूप में समायोजित किया गया है। छूट कारक वर्तमान बाजार आंकलन तथा मुद्रा के आवधिक मूल्य और परिसंपत्ति विशेष के जोखिम कारकों का आकलन दर्शाते है।

vk½ iko/kku] vkdfLed n;rk,a rFkk vkdfLed ifjlEifÙk;ka&

किसी प्रावधान की पहचान तब की जाती है जब किसी पुरानी घटना के फलस्वरूप समूह के पास कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता हो तथा यह संभावना है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी तथा राशियों का अनुमान विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। बहिर्गमन का समय अथवा राशि अभी भी अनिश्चित हो सकते हैं।

प्रावधानों की माप वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित अनुमानित व्यय पर की जाती है जो वर्तमान बाध्यताओं के साथ संबद्ध जोखिमों तथा अनिश्चितताओं सहित रिपोर्ट की तारीख पर उपलब्ध सबसे अधिक विश्वसनीय प्रमाण पर आधारित है। जहां ऐसी कई बाध्यताएं हैं, वहां इस बात की संभावना है कि निपटान में बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े जिसका निर्धारण बाध्यताओं के पूरे वर्ग पर विचार करके किया जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों में छूट दी जाती है जहां मुद्रा के आवधिक मूल्य का महत्व है।

उन मामलों में, जहां वर्तमान बाध्यताओं के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का संभावित बहिर्गमन संभावित नहीं माना जाता अथवा सुदूर माना जाता है, वहां कोई देयता नहीं पहचानी जाती अथवा प्रकटन नहीं किया जाता।

जब यह संभावित न हो कि बाध्यता का निपटान करने के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी अथवा राशि का अनुमान विश्वसनीय ढंग से न लगाया जा सके तो आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है, यदि वर्तमान बाध्यता भूतकाल की घटनाओं से उत्पन्न होती है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों की पहचान नहीं की जाती। हालांकि जब आर्थिक लाभों का अन्तर्वाह (इनफ्लो) संभावित होता है, तो संबंधित परिसंपत्ति का प्रकटीकरण किया जाता है।

ih½ ljdkjh vunku

सरकारी अनुदानों की पहचान तब की जाती है, यदि यह पर्याप्त रूप से निश्चित हो जाए कि सहायता प्रदान की जाएगी तथा सहायता से जुड़ी शर्तें पूरी कर दी गई हैं। जहां अनुदान किसी विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित हो, वहां इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है तथा परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगी अवधि में परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदान व्यापक आय के समेकित विवरण में पहचाने जाते हैं, जो उन खर्चों के समवर्ती होते हैं, जिनके लिए ऐसे अनुदान होते हैं/जिनसे संबंधित होते हैं।

जहां समूह गैर–मौद्रिक अनुदान प्राप्त करता है, वहाँ परिसंपत्ति तथा अनुदान को उचित राशियों में सकल के रूप में दर्ज किया जाता है तथा मूल परिसंपत्ति की प्रत्याशित उपयोगी अवधि तथा उसके लाभ उपभोग के स्वरूप में लाभ एवं हानि के समेकित विवरण में अवमुक्त किया जाता है।

D;½ udnh ,o udnh lerY;&

नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल है, हाथ में नकदी तथा मांग जमा तथा साथ ही अल्पावधि के अत्यधिक चलनिधि के ऐसे निवेश (मूल परिपक्वता 3 माह से कम), जो नकदी की ज्ञात राशियों में तत्काल परिवर्तनीय तथा मूल्य में परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

vkj½ iol o"kki dh lc/k e lek;ktu

पूर्व वर्षों में सेवाओं से प्राप्त आय तथा अन्य आय का 1.00 लाख रुपये तक के प्रत्येक एकल सौदे के लिए पूर्वाविधि मदों के रूप में प्रकटीकरण नहीं किया गया है। इसी प्रकार 1.00 लाख रु. तक के प्रत्येक एकल लेन–देन के लिए व्यय की मदों को चालू वर्ष में व्यय माना गया है।

पूर्व अवधि की आय (परिचालन आय तथा अन्य आय सहित) की अन्य मदों तथा व्यय के संबंध में अपने पास रखे गए उपार्जनों पर जिसका प्रभाव कुल कारोबार के 1% से अधिक नहीं है, को चालू वर्ष की आय/व्यय माना गया है।

,l½ bfDoVh] vkjf{kr fuf/k rFkk yHkk'k Hkxrku&

शेयर पूंजी उन शेयरों का अंकित मूल्य दर्शाती है, जो निर्गमित किए जा चुके हैं। शेयर प्रीमियम में वे प्रीमियम शामिल हैं, जो शेयर पूंजी के निर्गमित होने के समय प्राप्त किए गए थे। शेयरों के निर्गम से जुड़ी हुई कोई लेन–देन लागत शेयर प्रीमियम खाते, किसी संबंधित आयकर लाभ के निवल में से घटाई जाती है।

इक्विटी के अन्य घटकों में निम्नलिखित शामिल हैः

- परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन– में जनसांख्यिकीय तथा वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन तथा योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल से बीमांकिक अभिलाभ अथवा हानि शामिल है।
- आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधि
- अनुसंधान तथा विकास के लिए आरक्षित निधि
- ऋण पत्र मोचन के लिए आरक्षित निधि
- सामान्य आरक्षित निधि
- अन्य व्यापक आय में प्रत्यक्ष रूप से दर्ज किए गए अन्य लेन–देन

अपने पास रखे गए उपार्जनों में सभी चालू तथा पूर्व अवधि के रखे गए लाभ शामिल हैं। मूल कंपनी के स्वामियों के साथ सभी लेन–देनों को इक्विटी के अंदर अलग से दर्ज किया जाता है। जब लाभांश रिपोर्ट की तारीख से पहले आम बैठक में स्वीकृत किए गए हों तो इक्विटी शेयर धारकों को भुगतान योग्य लाभांश वितरण अन्य देयताओं में शामिल किए जाते हैं।

tkjh fd, x, y[kkekud tk vHkh iHkkoh ugh gA

निगमित कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने वर्तमान मानकों में संशोधन अथवा नए मानक अधिसूचित किए हैं। ऐसी कोई अधिसूचना नहीं है जो 01 अप्रैल, 2020 से लागू होती है।

y[kkdu uhfr;k dk ykx dju d fy, icU/ku }kjk fy, x, egRoi.k fu.k; vkj iDdyuk dh vfuf'prrk

समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षा है कि वह वर्ष के अंत में निर्णय करें, प्राक्कलन तैयार करे और धारणाएं बनाए जो राजस्व की रिपोर्ट की गई राशि, खर्चों, परिसंपत्तियों और देयताओं को प्रभावित करती हैं और रिपोर्टिंग अवधि कें अंत में आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण करें। हालांकि इन धारणाओं और प्राक्कलनों की अनिश्चितता से आगे आने वाली अवधि में परिसंपत्तियों अथवा देयताओं की रखाव राशि में महत्वपूर्ण समायोजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय (जजमेंट)

समूह की लेखांकन नीतियों को लागू करने के किए प्रबंधन के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं, जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

vkLFkfxr dj ifjlifÙk;k dh igpku– किस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान की जा सकती है वह समूह की भविष्य में कर योग्य आय की संभाव्यता के आकलन पर आधारित हैं जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कर अधिकार क्षेत्रों में किसी भी कानूनी अथवा आर्थिक सीमा अथवा अनिश्चितताओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है।

vforfjr yHkk ij vkLFkfxr dj n;rk dh igpku– जिस सीमा तक कंपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी और संयुक्त उद्यम के अवितरित लाभ पर आस्थगित कर देयता के समय में प्रत्यावर्तन (रिवर्सल) को नियंत्रित कर सकती है, इस पर निर्णय की आवश्यकता है।

ifjlifÙk;k d {kj.k d ldrdk dk eY;kdu– परिसंपत्तियों के क्षरण के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों के आकलन की आवश्यकता है जिनके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सकती है।

iÍk vof/k ¼yht Ve½ dk eY;kdu– पट्टा अवधि (लीज टर्म) में तर्कसंगत रूप से निश्चित ही प्रयोग किए जाने वाले विस्तार विकल्पों और प्रयोग न किए जाने वाले समाप्ति विकल्पों सहित लीज की गैर निरस्त योग्य अवधि शामिल है। विस्तार विकल्पों और समाप्ति विकल्पों का युक्तिगसंगत प्रयोग निश्चित ही किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा, के मूल्यांकन में लीज को समाप्त करने अथवा उसके विस्तार के आर्थिक प्रोत्साहनों पर आधारित प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

lfØ;.k vkj lLFkkiu 'kYd– समूह को नए उपभोक्ताओं से सक्रियण और संस्थापन शुल्क की प्राप्ति होती है। उपभोक्ता के साथ संबंध की अवधि के अनुसार ही सीधे आरोप्य लागतों के साथ इन शुल्कों को अनुमानित अवधि में परिशोधित किया जाता है। उपभोक्ता के साथ संबंधों की अवधि की आवधिक समीक्षा की जाती है। संबंधों की अनुमानित अवधि सिद्धांततः उपभोक्ता आधार की औसत आर्थिक संबंध अवधि के विषय में प्रबंधन के पक्ष को दर्शाती

है, जिसका निर्धारण प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के संदर्भ में किया जाता है जो प्रतिष्ठान की उपभोक्ता संबंध अवधि को सुनिश्चित करने के लिए जोड़े जाते हैं। इन केपीआई में परिवर्तन अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में परिवर्तन और परिशोधन आय/प्रभार में वृद्धि/कमी की ओर संकेत करते हैं। समूह का मत है कि इन केपीआई में परिवर्तन से वित्तीय विवरण पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ेगा।

vfxek@ikI; jkf'k;ka dh olyh– प्रबंधन प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर, संबंधित प्रतिपक्षकारों के साथ चर्चाओं और उनकी ऋण पात्रता के आंतरिक आकलन के आधार पर बकाया प्राप्यों और अग्रिमों की वसूली का आकलन करता है। इस प्रकार के आकलन के लिए प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति, बाजार की जानकारी और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

ifjlifÙk;ka vkj n;rkvka dk oxhdj.k pky vkj xj&pky :i e– प्रबंधन परिसंपत्तियों और देयताओं को परिसंपत्तियों की वसूली के समय अथवा देयताओं के संविदात्मक निपटान के समय की अपनी अपेक्षाओं के आधार पर चालू और गैर–चालू श्रेणियों में वर्गीकृत करता है।

ifjlifÙk;ka dk {kj.k– क्षरण का आकलन करने में, प्रबंधन प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों के आधार पर प्रत्येक परिसंपत्ति अथवा नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई (गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में) की वसूली योग्य राशियों का आकलन करता है और उन्हें छूट देने के लिए एक ब्याज दर का उपयोग करता है। अनुमानित अनिश्चितता भावी नकदी प्रवाहों के बारे में धारणाओं और उचित छूट दर के निर्धारण से संबंधित है।

vo{k;h@ifj'kkèku ;kX; ifjlifÙk;ka ¼er vkj ver½ dk mi;kxh dky– प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर अवक्षयी/परिशोध्य परिसंपत्तियों के उपयोगी काल के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितताएं तकनीकी और आर्थिक पुरानापन से जुड़ी हैं जो कुछ सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता संबंधों, आईटी उपस्करों और अन्य संयंत्र एवं उपस्कर की उपयोगिता को बदल सकती है।

ekylfp;k– प्रबंधन मालसूचियों की लागत का अनुमान लगाता है, जिसमें उत्पादन इत्यादि की वास्तविक लागत सहित उपलब्ध सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण को ध्यान में रखते हुए ऐसी मालसूचियों के उत्पादन के लिए आरोप्य माने गये सामान की लागत तथा उपरिव्यय शामिल है। प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उपलब्ध सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण को ध्यान में रखकर मालसूचियों के निवल वसूली योग्य मूल्यों का भी अनुमान लगाता है। इन मालसूचियों की भावी वसूली भावी प्रौद्योगिकी अथवा उन अन्य बाजार संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है, जो भावी विक्रय मूल्यों को कम कर सकते हैं।

ifjHkkf"kr fgrykHk nkf;Ro ¼Mhchvk½– परिभाषित हितलाभ दायित्व के विषय में प्रबंधन का अनुमान मुद्रास्फीति की मानक दर, चिकित्सा लागत रुझान, मृत्युदर, छूट दर और भावी वेतन वृद्धियों की प्रत्याशा जैसी कई महत्वपूर्ण अंतर्निहित धारणाओं पर आधारित है। इन धारणाओं में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित हितलाभ खर्चों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

mfpr eY; ekiu– प्रबंधन वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे अनुमान और धारणाएं विकसित करना शामिल हैं जो इसके अनुरूप हों कि कैसे बाजार प्रतिभागी लिखत की कीमत तय करेंगे। प्रबंधन जहां तक संभव हो, तथ्यात्मक आंकड़ों को अपनी धारणाओं का आधार बनाता है किन्तु यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर निष्पक्ष लेनदेन से प्राप्त किए जाएंगे।

egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM

31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds lesfdr foÙkh; fooj.kksa ij fVIif.k;k

4- lEifÙk] la;= rFkk miLdj

¼#i;s djksM+ esa½

fooj.k	i.kk LokfeRo okyh Hkfe	iÍs okyh Hkfe	Hkou	iÍs ij ifjlj	ykbu rFkk rkj	dscy	midj.k rFkk la;=	okgu	QuhZpj rFkk fQDlpj	dk;kZy; e'khujh rFkk miLdj	fo|qr midj.k	dEI;wVj	jí@gVkbZ xbZ ifjlEifÙk;k	dqy
ldy j[kko eY;														
01 अप्रैल 2018 को	18.80	363.28	1,910.64	6.53	165.13	7,797.88	10,399.82	24.31	159.04	38.09	154.54	312.72	44.79	21,395.57
परिवर्धन	-	0.06	28.99	-	9.05	64.28	217.58	0.13	0.45	0.09	1.97	1.04	12.80	336.45
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां														-
समायोजन^	(0.01)	(0.07)	(3.65)	-	-	(0.13)	(66.46)	(0.17)	(0.00)	(0.02)	0.01	(0.00)	(11.93)	(82.42)
विनिमय अंतर	-	-	(0.04)	-	-	-	(0.75)	(0.00)	(0.01)	-	-	(0.00)	-	(0.81)
निपटान	-	-	(0.79)	-	-	-	(22.60)	(2.07)	(0.02)	(0.03)	(1.73)	(0.93)	(0.18)	(28.35)
31 ekpZ 2019 dks	**18.79**	**363.27**	**1,935.14**	**6.53**	**174.18**	**7,862.03**	**10,527.59**	**22.20**	**159.46**	**38.13**	**154.80**	**312.83**	**45.49**	**21,620.44**
परिवर्धन	0.03	-	20.99	-	3.19	30.05	76.65	0.16	0.17	0.08	0.05	2.75	4.29	138.40
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां														-
समायोजन^	(0.29)	(363.27)	(5.66)	(6.53)	-	-	(0.53)	-	-	0.00	(0.00)	-	(0.00)	(376.30)
विनिमय अंतर	-	-	(0.54)	-	-	-	(8.73)	(0.09)	(0.01)	(0.04)	(0.01)	-	-	(9.43)
निपटान	-	-	(1.93)	-	-	-	(54.20)	(0.47)	(2.60)	(0.89)	(0.36)	(1.24)	(0.90)	(62.61)
31 ekpZ 2020 dks	**18.52**	**0.00**	**1,947.99**	**-**	**177.37**	**7,892.08**	**10,540.78**	**21.80**	**157.02**	**37.28**	**154.47**	**314.34**	**48.86**	**21,310.51**
संचित मूल्यह्रास														
01 अप्रैल 2018 को	-	69.98	1,023.48	2.01	98.95	6,511.26	8,363.48	22.14	145.99	35.92	140.46	294.35	-	16,708.04
वर्ष के लिए प्रभार	-	3.81	76.97	0.14	5.33	137.33	433.74	0.34	2.18	0.23	2.20	1.53	-	663.80
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां														-
समायोजन^	-	(0.03)	(3.22)	-	0.22	0.15	(73.20)	(2.13)	(0.02)	(0.05)	(1.29)	(0.88)	-	(80.45)
विनिमय अंतर	-	-	(0.01)	-	-	-	(0.48)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	-	(0.00)	-	(0.50)
31 ekpZ 2019 dks	**-**	**73.76**	**1,097.23**	**2.15**	**104.49**	**6,648.74**	**8,723.54**	**20.36**	**148.15**	**36.11**	**141.36**	**295.00**	**-**	**17,290.88**
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	75.65	-	5.52	124.88	374.22	1.58	1.24	0.20	0.16	1.78	-	585.22
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां														-
समायोजन^	-	(73.76)	(6.88)	(2.15)	(0.00)	(1.34)	(49.50)	(0.45)	(2.47)	(0.74)	(0.35)	(1.06)	-	(138.69)
क्षरण हानि														-
विनिमय अंतर	-	-	(0.13)	-	-	-	(5.68)	(0.07)	(0.01)	(0.12)	(0.01)	-	-	(6.02)
31 ekpZ 2020 dks	**-**	**0.00**	**1,165.86**	**-**	**110.01**	**6,772.27**	**9,042.58**	**21.42**	**146.92**	**35.44**	**141.17**	**295.73**	**-**	**17,731.39**
01 vizSy 2019 dks fuoy cykd	**18.79**	**289.51**	**837.92**	**4.38**	**69.68**	**1,213.29**	**1,804.05**	**1.85**	**11.31**	**2.02**	**13.43**	**17.83**	**45.49**	**4,329.56**
31 ekpZ 2020 dks fuoy cykd	**18.52**	**0.00**	**782.13**	**-**	**67.36**	**1,119.80**	**1,498.20**	**0.39**	**10.10**	**1.84**	**13.30**	**18.62**	**48.86**	**3,579.11**

^समायोजन में निवेश परिसंपत्तियों को/से अंतरण शामिल है।

fVIi.kh%

(i) lafonkRed nkf;Ro

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के प्रकटन के लिए वचनबद्धताओं के प्रकटन हेतु टिप्पणी 55 देखें।

(ii) लाभ तथा हानि विवरण में 'मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय' के मद में वर्ष के मूल्यह्रास को शामिल किया गया है।

(iii) वर्ष के दौरान परिवर्धन के अंतर्गत मूल्य अंतर, प्रभाव विस्तार लागत आदि के कारण समायोजन शामिल है, वर्ष के दौरान जिसकी पहचान वर्तमान संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संबंध में की गई है।

5- pky iwthxr dk;l

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
भवन	34.22	24.18
उपकरण तथा संयंत्र	170.90	174.51
लाइन तथा तारें	2.23	3.04
केबल	33.17	33.15
उपभोक्ता के संस्थापन	10.27	11.92
वातानुकूलन संयंत्र	31.17	20.23
अन्य	75.52	84.19
	357.48	**351.22**
घटाया : निम्नलिखित के लिए प्रावधान–		
परित्यक्त कार्य	(1.10)	(1.10)
अन्य	(28.28)	(30.08)
	328.08	**320.04**

pky iwthxr dk;l esa mrkj&p<ko%

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	jkf'k
01 अप्रैल 2018 को चालू पूंजीगत कार्य	330.98
जोड़ाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	346.70
घटायाः वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(373.70)
घटायाः परित्यक्त कार्य के लिए प्रत्यावर्तन/(प्रावधान)	16.06
31 ekpl 2019 dks pky iwthxr dk;l	**320.04**
जोड़ाः वर्ष के दौरान परिवर्धन	141.77
घटायाः वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(126.86)
घटायाः परित्यक्त कार्य का (प्रत्यावर्तन)/प्रावधान	(6.87)
31 ekpl 2020 dks pky iwthxr dk;l	**328.08**

टिप्पणी :

(i) पूंजीकृत उधार लागत
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत 4.11 करोड़ रुपए थी (31 मार्च 2019 को शून्य थी)।

(ii) संविदागत बाध्यताएं
संविदागत प्रतिबद्धता के प्रकटन के लिए टिप्पणी 51 देखें।

(iii) वर्ष के दौरान पूंजीगत खर्चों की प्रकृति

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
वेतन एवं अन्य कर्मचारी लागत	90.85	165.43
वित्त लागत	-	-
प्रशासनिक लागतें	-	0.02
dqy	**90.85**	**165.45**

6- ifjlifÙk;k dk i;kx dk vf/kdkj ¼jkbV vkQ ;t ,lV l½

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	iÍk Hkfe	Hkou	Vkoj	okgu	dy
ldy j[kko eY;					
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-	-
भारतीय लेखा मानक 116 में जाने पर प्रारंभिक शेष	-	26.75	242.80	0.86	270.41
जोड़े गए/अंदर अंतरित किए गए	364.48	-	6.67	-	371.16
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
विनिमय अंतर	(0.02)	-	-	-	(0.02)
घटाए गए/बाहर अंतरित किए गए	(1.06)	-	(0.45)	-	(1.51)
31 ekp 2020 dk	**363.39**	**26.75**	**249.03**	**0.86**	**640.03**
lfpr eY;gkl					
01 अप्रैल 2019 को	-	-	-	-	-
भारतीय लेखा मानक 116 में जाने पर पीपीई से अंतरित	73.76	-	-	-	73.76
निवेश संपत्ति में अंतरित	(0.41)	-	-	-	(0.41)
वर्ष के लिए प्रभार	3.93	9.00	49.82	0.27	63.02
विनिमय अंतर	-	-	-	-	-
31 ekp 2019 dk	**77.28**	**9.00**	**49.82**	**0.27**	**136.37**
31 ekp 2020 dk fuoy Cykd	**286.11**	**17.75**	**199.20**	**0.59**	**503.66**

पट्टों पर अधिक जानकारी के लिए नोट 57 का संदर्भ लें।

7- fuo'k l ifÙk

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	l dy Cykd					l fpr eYgkl					fuoy Cykd	fuoy Cykd
	01 v iy 2018	ifjoèku	fui Vku@ l ek;kt u^	fofue; vrj	31 ekp 2019	01 v iy 2018	'kYd	fui Vku@ l ek;kt u^	fofue; vrj	31 ekp 2019	31 ekp 2019	01 v iy 2018
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.25	0.01	-	-	0.26	-	-	-	-	-	0.26	0.25
पट्टे वाली भूमि	8.42	0.07	-	-	8.50	2.26	0.10	0.03	-	2.39	6.11	6.17
भवन	44.79	3.90	(0.25)	(0.03)	48.40	15.85	1.50	2.47	(0.01)	19.82	28.59	28.94
dy	**53.47**	**3.98**	**(0.25)**	**(0.03)**	**57.16**	**18.11**	**1.60**	**2.50**	**(0.01)**	**22.20**	**34.96**	**35.37**

fooj.k	l dy Cykd					l fpr eYgkl					fuoy Cykd	fuoy Cykd
	01 v iy 2019	ifjoèku	fui Vku@ l ek;kt u^	fofue; vrj	31 ekp 2020	01 v iy 2019	'kYd	fui Vku@ l ek;kt u^	fofue; vrj	31 ekp 2020	31 ekp 2020	01 v iy 2019
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.26	0.29	-	-	0.56	-	-	-	-	-	0.56	0.26
पट्टे वाली भूमि	8.50	1.06	-	-	9.56	2.39	0.12	0.41	-	2.91	6.65	6.11
भवन	48.40	11.15	-	(0.43)	59.12	19.82	1.76	5.06	(0.11)	26.53	32.59	28.59
dy	**57.16**	**12.51**	**-**	**(0.43)**	**69.24**	**22.20**	**1.88**	**5.47**	**(0.11)**	**29.45**	**39.80**	**34.96**

^निपटान/समायोजन में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अंतरण से/को शामिल हैं।

(i) fuo'k l ifÙk;ks d fy, jkf'k dh igpku ykHk rFkk gkfu e dh xbl gA (रुपये करोड़ में)

	31 ekp 2020 dk	31 ekp 2019 dk
किराये से आय	297.27	326.43
प्रत्यक्ष परिचालन खर्चे, जिनसे किराया आय तैयार हुई*	-	-
प्रत्यक्ष परिचालन खर्चे, जिससे किराया आय तैयार नहीं हुई*	-	-
निवेश संपत्तियों को पट्टे पर देने से लाभ	297.27	326.43

*निवेश संपत्तियों के कारण प्रत्यक्ष परिचालन खर्चों को विशेष रूप से संपत्तियों के साथ नहीं पहचाना जा सकता, यद्यपि प्रबंधन उनके महत्वपूर्ण होने की आशा नहीं करता।

(ii) पट्टे की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्तियां मासिक देय किराए पर दीर्घावधि परिचालन पट्टे के तहत पट्टाधारकों को पट्टे पर दी गई हैं। तथापि, सभी पट्टे पट्टे दारों के विकल्प पर निरस्त किए जा सकते हैं, अतः भारतीय लेखा मानक 17 'पट्टे' द्वारा अपेक्षित, किसी भी पट्टे का प्रकटन नहीं दिया गया है।

(iii) निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य (रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020 dks	31 ekpZ 2019 dks
उचित मूल्य	3,587.38	3,296.44

समूह उचित मूल्यों की वार्षिक समीक्षा करता है। उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए निम्नलिखित कारकों को माना जाता हैः–

(ए) पट्टे पर दी गई संपत्तियां–ये भूमि संपत्तियां एमटीएनएल को सरकार की ओर से व्यापार के परिचालन कार्यों के लिए स्थायी पट्टे पर आबंटित की गई है। समूह इन सुविधाओं के उपयोग की निरंतर समीक्षा करती है और जिन परिसंपत्तियों का आधिक्य है, उन्हें किराए पर देकर आय अर्जित करने के लिए सोच–विचार किया जाता है। संपत्ति पट्टे पर होने के नाते समूह पर उसे सक्रिय बाजार में बेचने पर प्रतिबंध है, तथापि, ऐसी संपत्तियों को सर्किल दरों, जिस पर सरकार (अथवा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय) ऐसी संपत्तियों को सक्रिय बाजार में बेच सकती है, पर पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे रिपोर्ट की तारीख पर संपत्ति के उचित मूल्य के रूप में माना जाता है।

(बी) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमिः सर्किल दरों को उचित मूल्य के रूप में माना जाता है जिस पर ऐसी संपत्तियों को सक्रिय बाजार में बेचा जा सकता है।

(सी) भवन– निर्मित भवन के मामले में, निर्माण की लागत को वर्तमान दिन के कीमत सूचकांक के साथ समायोजित करके मूल्यांकन के आधार के रूप में लिया गया है। भवन की नियत अवधि और उसकी उपयोगी शेष अवधि के लिए आवश्यक मूल्यह्रास को लेखे में लिया गया है।

8- vewrZ ifjlEifÙk;k

(रुपये करोड़ में)

	lkW¶Vos;j	,deq'r LiSDVªe 'kqYd	dqy
ldy j[kko eY;			
1 अप्रैल, 2018 को	133.21	6,565.90	6,699
परिवर्धन	0.00	-	0.00
निपटान/समायोजन	-	(1.90)	(1.90)
31 ekpZ 2019 dks 'ks"k	**133.21**	**6,564.00**	**6,697.24**
परिवर्धन	0.03	-	0.03
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 ekpZ 2020 dks 'ks"k	**133.24**	**6,564.00**	**6,697.27**
lafpr ifj'kks/ku			
1 अप्रैल, 2018 को	91.36	3,167.07	3,258.43
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	8.82	328.20	337.02
समायोजन	0.35	(0.46)	(0.10)
31 ekpZ 2019 dks 'ks"k	**100.54**	**3,494.81**	**3,595.35**
वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	7.52	328.20	335.72
समायोजन	-	-	-

	lk¶Vo;j	,de'r LiDVe 'kYd	dy
31 ekp] 2020 dk 'k"k	**108.06**	**3,823.01**	**3,931.07**
1 viy 2019 dk fuoy cgh eY;	**32.68**	**3,069.19**	**3,101.90**
31 ekp 2020 dk fuoy cgh eY;	**25.19**	**2,740.99**	**2,766.21**

टिप्पणियां:

(i) संविदागत दायित्व

अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए संविदागत प्रतिबद्धताओं के प्रकटन हेतु टिप्पणी 51 देखें।

(ii) वर्ष के लिए परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में ''मूल्यह्रास और परिशोधन खर्चें'' की व्यवसाय मद में शामिल किया गया है।

(iii) चालू एवं तुलनात्मक वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कोई खर्च नहीं किया गया।

9- bfDoVh fof/k dk mi;kx djus d fy, fuos'k fd;k tkrk g

(रुपये करोड़ में)

	'k;jk dh l[;k		jkf'k	
	31 ekp 2020	31 ekp 2019	31 ekp 2020	31 ekp 2019
bfDoVh fy[kr e				
l;ä m|ek e ¼m)'r½				
एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (अंकित मूल्य रु 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त)	2,282,000	2,282,000	2.28	2.28
			2.28	**2.28**
जोड़ें: इक्विटी विधि के माध्यम से हिसाब संयुक्त उद्यमों से का हिस्सा			1.23	1.45
bfDoVh fof/k dk mi;kx djus d fy, fuos'k dk fglkc			**3.51**	**3.73**

टिप्पणी:

(ए) सहयोगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में हितों के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु टिप्पणी 51 देखें।

(बी) एमटीएनएल, टीसीआईएल, टीसीएल तथा एनवीपीएल (नेपाल) के मध्य हुए संशोधनात्मक समझौते (संशोधित समझौता के रूप में समग्र रूप से संदर्भित) के पैरा संख्या 27 के शेयरधारकों के समझौते के अनुच्छेद 12.19 (बी) के अनुसार, यूनाईटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) में उनके निवेश के अनुसरण में 'निवेशकों' के रूप में समग्र रूप से संदर्भित, यदि एनवीपीएल (नेपाल में स्थानीय साझेदार) अपने स्टेक किसी तृतीय पार्टी को बेचने का निर्णय लेता है, तो इसे अन्य निवेशकों से पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे समय में, समझौते के विद्यमान खंड के अनुसार, एनवीपीएल के अतिरिक्त कोई भी अन्य निवेशक 3 माह का नोटिस जारी करके संशोधित समझौते से 2 वर्ष के पश्चात् बाहर जा सकता है।

इस खंड के अनुसरण में, मूल कंपनी ने यूटीएल को बाहर जाने के लिए दिनांक 30 जनवरी, 2018 को नोटिस जारी किया। यह नोटिस 30 अप्रैल 2018 तक मान्य है तथा 30 अप्रैल 2018 के पश्चात् स्थानीय साझेदार ने आगे तीन महीनों अर्थात् 30 जुलाई 2018 तक का समय विस्तार मांगा हैं। तदनुसार ऐसे निवेश को 31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण में बिक्री हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेपाल में भारतीय एफडीआई का प्रत्यावर्तन नेपाल सरकार के विभाग के अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है तथा नेपाल सरकार द्वारा इसे अभी अनुमोदित किया जाना है। एनटीएनएल ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए मामले को दूरसंचार विभाग के माध्यम से नेपाल में भारत के राजदूत के साथ उठाया है ताकि यूटीएल में निवेश की गई राशि को एमटीएनएल को वापस भेजने में सुविधा हो सके। विवरण हेतु टिप्पणी संख्या 23 का संदर्भ लें।

10- _.k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020 x|j&pkyw	31 ekpl 2019 x|j&pkyw
tekurh] 'kkè; eku x,		
कर्मचारियों को ऋण	5.41	9.29
x|j tekurh] 'kkè; eku x,		
अन्य विभागों के पास प्रतिभूति जमा	197.26	161.29
दूरसंचार विभाग से प्राप्य राशि	-	21.77
x|j tekurh] lafnXèk eku x,		
अन्य विभागों के पास प्रतिभूति जमा	2.23	11.51
दूरसंचार विभाग से प्राप्य राशि	-	1.39
	204.90	205.24
घटायाः संदिग्ध समझे गए ऋणों के लिए भत्ता	(2.23)	(12.90)
	202.67	**192.34**

fVIi.kh%

(i) समूह के निदेशक अथवा अन्य अधिकारियों से अलग–अलग अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण प्राप्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, किसी फर्म अथवा निजी कंपनी, जिसमें कोई निदेशक साझेदार, निदेशक अथवा सदस्य हैं, से कोई ऋण प्राप्य नहीं है।

(ii) टिप्पणी 48 देखें–परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए उचित मूल्य प्रकटन और टिप्पणी 49–प्रत्याशित ऋण हानि के आकलन के लिए वित्तीय जोखिम प्रबंधन।

(iii) बीएसएनएल से प्राप्य राशि के निपटान के विवरण के लिए, टिप्पणी 67 देखें।

(iv) दूरसंचार विभाग से प्राप्य राशि के निपटान के विवरण के लिए, टिप्पणी 72 देखें।

11- vU; foÙkh; ifjlaifÙk;k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020 x|j&pkyw	31 ekpl 2019 x|j&pkyw
12 माह से अधिक की परिपक्वता की बैंक जमा	0.63	1.74
	0.63	**1.74**

fVIi.kh%

(i) रुपये 0.63 करोड़ (31 मार्च 2019 रुपये 1.74 करोड़) समूह के पास 12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि को निरूपित करती है। कंपनी द्वारा धारित यह राशि कंपनी के इस्तेमाल के लिए नहीं है क्योंकि तृतीय पक्ष को बैंक गारंटी देने के लिए बैंकों के पास गिरवी रखी गई है।

(ii) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए टिप्पणी 49–उचित मूल्य प्रकटन तथा प्रत्याशित ऋण हानियों के मूल्यांकन के लिए टिप्पणी 48 वित्तीय जोखिम प्रबंधन देखें।

12- vkLFkfxr dj ifjlaifÙk;ka ¼fuoy½

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
fuEu dk dkj.ko'k mRiUu vkLFkfxr dj ifjlaifÙk;ka		
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	0.00	0.00
	0.00	0.00

(i) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों में उतार–चढ़ाव:

fooj.k	01 vizSy 2019	vU; O;kid vk; esa igpkuh xbZ	ykHk vkSj gkfu fooj.k esa igpkuh xbZ	31 ekpl 2020
गैर चालू परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	0.00	-	(0.00)	0.00
dqy	**0.00**	**-**	**(0.00)**	**0.00**

(ii) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों में उतार–चढ़ाव:

fooj.k	01 vizSy 2018	vU; O;kid vk; esa igpkuh xbZ	ykHk vkSj gkfu fooj.k esa igpkuh xbZ	31 ekpl 2019
गैर चालू परिसंपत्तियां				
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	0.00	-	(0.00)	0.00
dqy	**0.00**	**-**	**(0.00)**	**0.00**

13- vk; dj ifjlaifÙk;ka ¼fuoy½

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
अग्रिम आयकर (कुल प्रावधान)	707.36	724.43
	707.36	**724.43**

14- vU; xSj&pkyw ifjlaifÙk;ka

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
पूंजीगत अग्रिम	1.57	1.58
आस्थगित पट्टा आय	15.69	
डीओटी के भावी निपटान के लिए अग्रिम	-	215.02
सांविधिक प्राधिकरणों के पास शेष	2.70	2.70
पूर्व प्रदत्त खर्चें	3.89	11.02
	23.85	**230.31**

15- eky lıph

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
¼ykxr ij eY; vkdukj tc rd dN vkj crk;k u x;k gk½		
एक्सचेंज उपस्कर	34.31	37.24
टेलीफोन एवं टेलेक्स उपकरण	0.78	0.14
मोबाइल हैंडसेट एवं सिम कार्ड	2.08	3.00
डब्ल्यू एलएल उपस्कर	0.08	0.08
टेलीफोन एवं टेलैक्स के अतिरिक्त उपकरण	0.09	0.09
	37.34	**40.55**
घटायाः अप्रयुक्त भंडार के लिए प्रावधान	(18.02)	(15.58)
	19.32	**24.98**

16- 0;kikj ikI;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
व्यापार प्राप्य		
– जमानती, शोध्य माने गए	151.02	76.02
– गैर जमानती, शोध्य माने गए	435.92	422.48
– संदिग्ध माने गए	839.75	785.94
बिना बिल के प्राप्य	137.98	201.15
	1,564.67	1,485.58
घटायाः संदिग्ध कर्ज के लिए भत्ता/(अलाउंस)		
गैर जमानती शोध्य समझे गए (प्रत्याशित ऋण हानि)	(95.96)	(88.17)
संदिग्ध माने गए	(839.75)	(785.94)
	628.96	**611.48**

टिप्पणीः

(i) व्यापार प्राप्यों को देयताओं के लिए जमानत के रूप में गिरवी रखा गया है, विवरण के लिए टिप्पणी 59 देखें।

(ii) समूह के निदेशक अथवा अन्य अधिकारियों से अलग–अलग अथवा अन्य किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई व्यापार अथवा अन्य कोई प्राप्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, किसी फर्म अथवा निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक साझेदार, निदेशक अथवा सदस्य हैं, से कोई व्यापार अथवा अन्य प्राप्य नहीं है।

(iii) 31 मार्च, 2020 को रु. 77.36 करोड़ (31 मार्च, 2019 रु. 76.02 करोड़) संविदागत राशि और 31 मार्च 2020 को रु. 35.20 करोड़ (31 मार्च 2019 रु. 26.06 करोड़) संबंधित परिशोधित लागत सहित उपभोक्ताओं से प्राप्त राशि के बराबर प्रतिभूति जमा राशि तक के प्रतिभूत व्यापार प्राप्य हैं।

(iv) व्यापार प्राप्यों के रखाव मूल्य को उचित मूल्य का तर्कसंगत सन्निकटन माना गया है।

17- udnh rFkk udnh ler|Y;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
बैंकों के चालू खातों में शेष	153.50	88.11
हाथ में चैक, ड्राफ्ट	0.20	0.32
हाथ में नकदी	0.27	2.19
तीन माह से कम की मूल परिपक्वता के बैंक जमा	43.19	29.52
घटायाः संदिग्ध बैंक शेषों के लिए प्रावधान	(0.56)	(0.56)
	196.60	**119.58**

रखाव मूल्य को उनके उचित मूल्यों का तर्कसंगत अभिकटन माना गया है।

18- vU; c|d 'k"k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
तीन माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की परिपक्वता के बैंक जमा	13.02	20.42
	13.02	**20.42**

टिप्पणीः

(i) रु. 13.02 करोड़ (31 मार्च 2019 – रु. 20.42 करोड़) कंपनी के पास तीन माह से अधिक किंतु 12 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि को निरूपित करती है। समूह द्वारा धारित यह राशि कंपनी के प्रयोग के लिए नहीं है क्योंकि यह तृतीय पक्ष को बैंक गांरटी देने के लिए बैंकों के पास गिरवी रखी गई है।

(ii) रखाव मूल्य उनके उचित मूल्यों का तर्कसंगत सन्निकटन है।

19- _.k

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020 pkyw	31 ekpl 2019 pkyw
tekurh] 'kkè; eku x,		
कर्मचारियों को ऋण	5.21	13.47
x|j tekurh] 'kkè; eku x,		
कर्मचारियों को ऋण	14.39	1.71
अन्य विभागों के पास प्रतिभूति जमा	21.65	22.18
बीएसएनएल से प्राप्य राशि	3,504.10	3,352.67
lfnXèk le> x,		
कर्मचारियों को ऋण	-	0.01
	3,545.35	**3,390.03**
घटायाः संदिग्ध समझे गए ऋणों के लिए भत्ता	-	(0.01)
	3,545.35	**3,390.02**

टिप्पणीः

(i) टिप्पणी 48 उचित मूल्य प्रकटन देखें– परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए।

(ii) संबंधित पक्षों से प्राप्य के निपटान के विवरण हेतु टिप्पणी 53 देखें।

(iii) बीएसएनएल से प्राप्य के निपटान के विवरण हेतु टिप्पणी 67 देखें।

20- vU; foÙkh; ifjlaifÙk;ka

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
	pkyw	pkyw
वसूली योग्य राशि		
आईयूसी प्रचालक	274.95	232.94
डीओटी	1,815.88	-
अन्य	1,491.36	776.24
	3,582.19	**1,009.17**
घटाया : ऋणक्षरण प्राप्यों के लिए प्रावधान	(89.28)	(109.13)
	3,492.91	**900.04**

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के प्रकटन के लिए टिप्पणी सं. 48 – उचित मूल्य प्रकटन देखें।

21- pkyw dj ifjlaifÙk;ka ¼fuoy½

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
अग्रिम आयकर (कुल प्रावधान)	0.29	0.33
	0.29	**0.33**

22- vU; pkyw ifjlaifÙk;ka

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	18.13	18.07
आस्थगित लीज आय	2.62	
दूरसंचार विभाग के भावी निपटानों के लिए अग्रिम	410.46	431.16
सांविधिक प्राधिकरणों के पास जमा राशियां	142.64	152.39
पूर्व प्रदत्त खर्चें	64.08	56.68
अन्य वसूली योग्य	0.14	40.07
	638.07	698.36
घटायाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(1.39)	-
	636.68	**698.36**

23- fcØh d fy, èkkfjr ifjlaifÙk;ka

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (टिप्पणी (ए) देखें)	0.05	0.29
यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड में निवेश (टिप्पणी (बी) देखें)	35.85	35.85
घटायाः सहयोगियों से हानि शेयरों का हिस्सा इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए हिसाब से लिया गया।	(35.85)	(35.85)
	0.05	**0.29**

टिप्पणीः

(ए) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष में बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह पिछले वर्षों में मुंबई में मूल रूप से जीएसएम सेवाओं के लिए खरीदे गए स्विच और बीटीएस बैटरियों की बिक्री की प्रक्रिया में थी। बिक्री के लिए निर्धारित परिसंपत्ति की नीलामी के लिए टेंडर निकाला गया था जो तकनीकी कारणों से असफल हो गया

जिसकी मूल रूप से कल्पना नहीं की गई थी। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में परिसंपत्ति की नीलामी के लिए एक अन्य टेंडर प्रक्रियाधीन है तथा अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। अतः, ऐसी परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा गया है।

अनावर्ती उचित मूल्य मापन

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति को उसकी रखाव राशि के निम्नतर स्तर पर तथा बिक्री के लिए लागत घटाकर उचित मूल्य पर पुनः वर्गीकरण के समय मापा गया जिसके परिणामस्वरूप लाभ एवं हानि के विवरण में शून्य (31 मार्च, 2019ः रु. शून्य) राशि को क्षरण हानि के रूप में पहचाना गया है।

(बी) यूनाईटेड टेलीकॉम लि. में निवेश करने के लिए एमटीएनल, टीसीआईएल, टीसीएल तथा एनवीपीएल (नेपाल) जिन्हें संयुक्त रूप से 'निवेशक' कहा गया है, के बीच हुए शेयरधारक समझौते को अनुच्छेद 12.19 (बी) तथा उसके साथ पठित संशोधनीय समझौते (जिन्हें संयुक्त रूप से 'संशोधित समझौता' कहा गया है) के पैरा 27 के अनुसार यदि एनवीपीएल (नेपाल में स्थानीय साझेदार) अपना हित किसी तीसरे पक्ष को बेचने का निर्णय लेता है तो उसे अन्य निवेशकों की पूर्व सहमति लेने की जरूरत है। साथ ही ऐसे समय पर समझौते के बर्हिर्गमन खंड के अनुसार एनवीपीएल को छोड़कर कोई भी अन्य निवेशक संशोधित समझौते से 2 वर्ष के बाद 3 माह का नोटिस देकर समझौते से बाहर हो सकता है।

इस बहिर्गमन खंड के अनुसरण में मूल कंपनी ने बहिर्गमन के लिए यूटीएल को 30 जनवरी 2018 को नोटिस जारी किया हैं यह नोटिस 30 अप्रैल 2018 तक वैध है तथा 30 अप्रैल 2018 के बाद स्थानीय साझेदार ने मूल कंपनी द्वारा किए गए बहिर्गमन के अनुरोध का प्रभावी बनाने के लिए 30 जुलाई 2018 तक 3 महीने का और अधिक समय मांगा है। तदनुसार ऐसे निवेश को 31 मार्च, 2019 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों में 'बिक्री के लिए रखा गया' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।'' नेपाल में भारतीय एफडीआई का प्रत्यावर्तन नेपाल सरकार के विभाग के अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन है तथा नेपाल सरकार द्वारा इसे अभी अनुमोदित किया जाना है। एनटीएनएल ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए मामले को दूरसंचार विभाग के माध्यम से नेपाल में भारत के राजदूत के साथ उठाया है ताकि यूटीएल में निवेश की गई राशि को एमटीएनएल को वापस भेजने में सुविधा हो सके।

अनावर्ती उचित मूल्य मापन

ऐसे निवेश की वसूली योग्य राशि रखाव मूल्य से अधिक ऊंची होने की आशा हैं अतः 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत किए गए ऐसे निवेश को आगे किसी हानि के रूप में चिह्नित करना आवश्यक नहीं है।

24- bfDoVh 'k;j iwath

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
ikfèkd`r iwath		
10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर 100,000,000,000 (पिछले वर्ष 800,000,000)	10,000.00	10,000.00
	10,000.00	10,000.00
fuxfer] vfHknÙk iwath vkSj iw.kZr% inÙk		
10 रुपये प्रत्येक के 630,000,000 (पिछले वर्ष 630,000,000) इक्विटी शेयर पूर्ण प्रदत्त	630.00	630.00
	630.00	**630.00**

,½ o"kZ dh 'kq:vkr vkSj var esa cdk;k bfDoVh 'ks;jksa dk lekèkku

	31 ekpZ 2020		31 ekpZ 2019	
	'ks;jksa dh la-	¼#i;s djksM+ esa½	'ks;jksa dh la-	¼#i;s djksM+ esa½
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयर	630,000,000	630.00	630,000,000	630.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	**630,000,000**	**630.00**	**630,000,000**	**630.00**

ch½ bfDoVh 'k;jk ls tqM vfèkdkj@vfèkekuh@ifrcèk

मूल कंपनी के इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिनका प्रति शेयर मूल्य रुपये 10 है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है। मूल कंपनी लाभांश की घोषणा और भुगतान भारतीय रुपयों में करती है। मूल कंपनी के परिसमापन की स्थिति में इक्विटी शेयर धारक अधिमानी राशि का संवितरण करने के बाद मूल कंपनी की शेष परिसंपत्ति को प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा।

lh½ ey dEiuh e 5% ls vfèkd 'k;j èkkj.k dju okys 'k;jèkkjdk dk fooj.k

	31 ekp 2020		31 ekp 2019	
	'k;jk dh l-	èkkfjrk dk %	'k;jk dh l-	èkkfjrk dk %
रु.10 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति	354,378,740	56.25	354,378,740	56.25
भारतीय जीवन बीमा निगम जिसमें एलआईसी फॉरचून प्लस जमानती निधि शामिल है।	118,515,213	18.81	118,515,213	18.81

डी) कंपनी ने नकदी के अलावा कोई शेयर प्रतिफल के लिए जारी नहीं किए हैं और पिछले पांच वर्षों में कोई भी शेयरों की वापसी खरीद नहीं हुई है।

ई) कंपनी में कोई शेयर विकल्पों अथवा अन्य उद्देश्य के तहत निर्गमित किए जाने के लिए आरक्षित नहीं हैं

25- vU; bfDoVh

(रुपये करोड़ में)

	31 ekp 2020	31 ekp 2019
प्रतिधारित उपार्जन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(11,356.52)	(7,961.06)
जोड़ें: वर्ष का निवल लाभ/(हानि)	(3,693.73)	(3,388.07)
जोड़ें: भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन पर प्रभाव	(40.09)	-
जोड़ें: कर्मचारी हितलाभ बाध्यताओं का पुर्नमापन	(115.32)	(7.39)
	(15,205.67)	**(11,356.52)**
vU; vkjf{kr		
lkekU; vkjf{kr	**0.07**	**0.07**
fMcpj ekpu vkjf{kr	**45.27**	**45.27**
ifrHkfr ihfe;e	**665.00**	**665.00**
vuqlèkku ,o fodkl vkjf{kr fufèk	**30.80**	**30.80**
vkdfLedrk vkjf{kr	**243.22**	**243.22**
vU; 0;kid vk;		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	14.31	14.67
चालू वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा परिवर्तन	(5.12)	(0.36)
	9.19	**14.31**
	993.56	**998.68**

अन्य आरक्षितों की प्रकृति और उद्देश्य

(i) fMcpj foekpu vkjf{kr

समूह को लाभ में से डिबेंचर विमोचन आरक्षित बनाना अपेक्षित है जो डिबेंचर विमोचन के उद्देश्य के लिए लाभांश के भुगतान हेतु उपलब्ध है।

(ii) ifrHkfr ihfe;e

प्रतिभूति प्रीमियम शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का निरूपण करता है। इस आरक्षित निधि का कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रयोग किया जा सकता है।

(iii) vkdfLedrk vkjf{kr

समूह ने यह आरक्षित निधि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईए के तहत आयकर विभाग द्वारा अप्रत्याशित कर मांग/अस्वीकरण के लिए बनाई है।

(iv) vU; 0;kid vk; ¼vkslhvkbZ½

समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिभाषित हितलाभ योजना के अनुसार पुनर्मापन हितलाभों को चिह्नित किया है।

(v) fons'kh eqnzk ifjorZu vkjf{kr

विदेशी परिचालनों के परिवर्तन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है जैसा कि लेखांकन नीति में उल्लेखित है तथा इक्विटी के भीतर एक अलग आरक्षित में संचित है। शुद्ध निवेश कार्यान्वयन हो जाता है तो संचयी राशि को लाभ व हानि विवरणी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

26- m/kkj

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020 xSj&pkyw	31 ekpZ 2019 xSj&pkyw
tekurh		
vkof/kd _.k ¼pkyw ifjiDorkvksa ds i'pkr½		
बैंकों से	9,575.34	8,453.13
foÙk iV~Vk ckè;rk,a		
वित्त पट्टे के तहत बाध्यताएं	-	-
	9,575.34	8,453.13
fMcspj		
डिबेंचर–सीरीज 4डी	-	-
[8.29% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 22,689 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]		
डिबेंचर–सीरीज 4सी	-	-
[8.24% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 7 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]		
डिबेंचर–सीरीज 4बी	-	-
[8.28% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 1,000 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]		
डिबेंचर–सीरीज 4ए	-	-
[8.24% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 14,000 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ डीओटी से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]		

डिबेंचर–सीरीज 3ए [9.39% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 7,650 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड़ डीओटी से वसूली योग्य राशि घटाकर– नीचे दी गई टिप्पणी (iv) देखें]	-	-
डिबेंचर–सीरीज 2ए* [9.38% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 19,750 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड]	1,974.30	1,973.96
डिबेंचर–सीरीज 1ए* [8.57% के मोचनीय, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या 10,050 (बॉण्ड्स के रूप में) प्रत्येक का मूल्य रुपये 0.10 करोड]	1,004.50	1,004.50
	2,978.80	2,978.45
	12,554.15	**11,431.59**
अन्य वित्तीय देयताओं के अंतर्गत प्रकट की गई राशिः		
दीर्घावधि कर्ज की वर्तमान परिपक्वता	1,115.00	640.00
प्रोद्भूत ब्याज	63.10	61.40

टिप्पणीः

(i) किसी भी ऋण की गारंटी निदेशकों और अन्यों के द्वारा नहीं दी गई है।

(ii) उधार और उस पर ब्याज की चुकौती में तुलन पत्र की तारीख तक कोई चूक नहीं है।

(iii) ये सुविधाएं सभी चल–अचल परिसंपत्ति (संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के अंतर्गत वर्गीकृत) असथायी प्रथम सममात्रा शुल्क द्वारा सुरक्षित है तथा चालू परिसंपत्तियाँ पट्टों भूमि को छोड़कर निम्नानुसार बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडिया बैंक में गिरवी है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त मद की जमानत के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया। बकाया दीर्घावधि उधार (चालू परिपक्वता सहित) की पुर्नभुगतान शर्त के लिए निम्न तालिका देखेंः

¼,½ 31 ekp] 2020 dh fLFkfr d vuqlkj%

cSd dk uke	cdk;k jkf'k ¼djksM+ esa½	fdLrksa dh la[;k	C;kt dh nj
कॉरपोरेशन बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– दिसम्बर 2020 से सितंबर–2022 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) दिसम्बर 2022 से सितंबर 2023 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) दिसम्बर 2023 से सितंबर 2025 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.95%
आंध्रा बैंक	300.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– सितम्बर 2020 से जून–2022 तक रु. 7.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) सितम्बर 2022 से जून 2023 तक रु. 15 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) सितम्बर 2023 से जून 2025 तक रु. 22.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.78%
यूको बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– अगस्त 2020 से मई–2022 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) अगस्त 2022 से मई 2023 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) अगस्त 2023 से मई 2025 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.63%

cid dk uke	cdk;k jkf'k ¼djksM+ esa½	fdLrksa dh l[;k	C;kt dh nj
आंध्रा बैंक	900.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च–2021 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 50 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 75 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.82%
कॉरपोरेशन बैंक	912.50	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.86%
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	462.50	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें)	8.84%
यूनाइटेड बैंक	270.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 7.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 15 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 22.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.85%
ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	487.50	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मार्च 2020 से दिसम्बर 2022 तक रु. 12.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) मार्च 2022 से दिसम्बर 2023 तक रु. 25 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) मार्च 2023 से दिसम्बर 2024 तक रु. 37.5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.63%
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	200.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मई 2020 से फरवरी 2022 तक रु. 5 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें) मई 2022 से फरवरी 2023 तक रु. 10 करोड़ / तिमाही (4 किश्तें) मई 2023 से फरवरी 2025 तक रु. 15 करोड़ / तिमाही (8 किश्तें)	8.45%

cid dk uke	cdk;k jkf'k ¼djkM+ e½	fdLrk dh l[;k	C;kt dh nj
बैंक ऑफ इंडिया	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2020 से मार्च 2022 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जून 2020 से मार्च 2023 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जून 2023 से मार्च 2025 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.67%
भारतीय स्टेट बैंक	1,620.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 45 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 90 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 135 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.89%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,800.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मई 2019 से फरवरी 2021 तक रु. 50 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) मई 2021 से फरवरी 2022 तक रु. 100 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) मई 2022 से फरवरी 2024 तक रु. 200 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.63%
बैंक ऑफ बड़ौदा	750.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2021 से मार्च 2023 तक रु. 18.75 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जून 2023 से मार्च 2024 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जून 2024 से मार्च 2026 तक रु. 56.25 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	9.95%
भारतीय स्टेट बैंक	500.00	रु. 250 करोड़ जून 2020 में रु. 125 करोड़ जून 2022 में रु. 125 करोड़ सितम्बर 2022 में	9.00%
इंडियन बैंक	500.00	रु. 125 करोड़ जनवरी 2022, अप्रैल 2022, जुलाई 2022, अक्टूबर 2022 में	8.85%
बैंक ऑफ इंडिया	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– फरवरी 2022 से नवम्बर 2023 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) फरवरी 2024 से नवम्बर 2024 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) फरवरी 2025 से नवम्बर 2026 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	9.20%
घटाएंः प्रभावी ब्याज दर का उपयोग कर चिह्नित दीर्घावधि ऋणों पर कार्रवाई शुल्क का समायोजन	(12.16)		
घटाए : दीर्घावधि कर्ज पर वर्तमान परिपक्वता	(1,115.00)		
दीर्घावधि उधार	**9,575.34**		

ब्याज दर–कंपनी के बैंकों और अन्यों से कुल उधार पर 31 मार्च, 2020 को प्रभावी ब्याज दर का उपयोग कर प्रति वर्ष परिकलित प्रभावी भारित औसत दर 8.87 प्रतिशत है।

¼,½ 31 ekpZ] 2019 dh fLFkfr dk vuqlkj½

cSd dk uke	cdk;k jkf'k ¼djksM+ e½	fd'rksa dh la[;k	C;kt dh nj
कॉरपोरेशन बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– दिसम्बर 2020 से सितंबर 2025 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) दिसम्बर 2020 से सितंबर 2022 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) दिसम्बर 2022 से सितंबर 2023 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) दिसम्बर 2023 से सितंबर 2025 तक	8.95%
आंध्रा बैंक	300.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– सितम्बर 2020 से जून 2022 तक रु. 7.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) सितम्बर 2022 से जून 2023 तक रु. 15 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) सितम्बर 2023 से जून 2025 तक रु. 22.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.50%
यूको बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– अगस्त 2020 से मई 2022 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) अगस्त 2022 से मई 2023 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) अगस्त 2023 से मई 2025 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.45%
आंध्रा बैंक	1,000.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 50 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2023 तक रु. 75 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.42%
कॉरपोरेशन बैंक	1,000.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.81%

cSd dk uke	cdk;k jkf'k ¼djkM+ e½	fdLrk dh l[;k	C;kt dh nj
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.41%
यूनाइटेड बैंक	300.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जुलाई 2019 से अप्रैल 2021 तक रु. 7.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जुलाई 2021 से अप्रैल 2022 तक रु. 15 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जुलाई 2022 से अप्रैल 2024 तक रु. 22.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.70%
ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मार्च 2020 से दिसम्बर 2021 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) मार्च 2022 से दिसम्बर 2022 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) मार्च 2023 से दिसम्बर 2024 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.46%
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	200.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मई 2020 से फरवरी 2022 तक रु. 5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) मई 2022 से फरवरी 2023 तक रु. 10 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) मई 2023 से फरवरी 2025 तक रु. 15 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.41%
बैंक ऑफ इंडिया	500.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2020 से मार्च 2022 तक रु. 12.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2023 तक रु. 25 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जून 2023 से मार्च 2025 तक रु. 37.5 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.33%
भारतीय स्टेट बैंक	1,800.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– जून 2019 से मार्च 2021 तक रु. 45 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) जून 2021 से मार्च 2022 तक रु. 90 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) जून 2022 से मार्च 2024 तक रु. 135 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.49%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,000.00	निम्न अवधियों में 20 किश्तों में पुर्नभुगतानः– मई 2019 से फरवरी 2021 तक रु. 50 करोड़/तिमाही (8 किश्तें) मई 2021 से फरवरी 2022 तक रु. 100 करोड़/तिमाही (4 किश्तें) मई 2022 से फरवरी 2024 तक रु. 150 करोड़/तिमाही (8 किश्तें)	8.20%

cid dk uke	cdk;k jkf'k ¼djksM+ e½	fdLrksa dh la[;k	C;kt dh nj
घटाएंः प्रभावी ब्याज दर का उपयोग कर चिह्नित दीर्घावधि ऋणों पर कार्रवाई शुल्क का समायोजन	(6.87)		
घटाए : दीर्घावधि कर्ज की वर्तमान परिपक्वता	(640.00)		
दीर्घावधि उधार	**8,453.13**		

ब्याज दर – कंपनी के बैंकों और अन्यों से कुल उधार पर 31 मार्च 2019 तक प्रभावी ब्याज दर का उपयोग कर प्रति वर्ष परिकलित प्रभावी भारित औसत दर 8.47% है।

*fMcspj lhjht 1,

उपर्युक्त डिबेंचर भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत, गैर जमानती, सूचीबद्ध, 8.57% के मोचनीय अपरिवर्तनीय डिबेंचर (बॉण्ड्स के रूप में) हैं, जिनकी अवधि/परिपक्वता अवधि 10 वर्ष है तथा मोचन तारीख 28.03.2023 है। कूपन भुगतान आवृत्ति अर्द्धवार्षिक ब्याज भुगतान है। रिपोर्टिंग तारीख को कोई किस्त देय नहीं थी।

*fMcspj lhjht 2,

उपर्युक्त डिबेंचर भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत, गैर जमानती, सूचीबद्ध, 9.38% के मोचनीय अपरिवर्तनीय डिबेंचर (बॉण्ड्स के रूप में) है, जिनकी अवधि/परिपक्वता अवधि 10 वर्ष है तथा मोचन तारीख 05.12.2023 है। कूपन भुगतान आवृत्ति अर्द्धवार्षिक ब्याज भुगतान है। रिपोर्टिंग तारीख को कोई किस्त देय नहीं थी।

(iv) भारत सरकार ने वर्ष 2014 में मूल कंपनी को वित्तीय समर्थन देने का अनुमोदन किया तथा एमटीएनएल द्वारा ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पैक्ट्रम की वापसी पर मूल कंपनी द्वारा वर्ष 2011 में ऐसे स्पैक्ट्रम के लिए भुगतान किए गए प्रांरभिक प्रभार जोकि 4,533.97 करोड़ रु. का था, को मूल कंपनी द्वारा भारत सरकार की ओर से डिबेंचर जारी करने के माध्यम से वित्तपोषण किए जाने पर सहमति दी थी जिसके लिए भारत सरकार ने परिपक्वता होने पर मूलधन की पुर्नभुगतान तथा ब्याज दूरसंचार विभाग के माध्यम से भुगतान करने की अनुवर्ती शर्त (अटेंडेंट कंडीशन) के साथ राष्ट्रिक गारंटी प्रदान की थी। तद्नुसार, जारी किए गए बॉण्ड्स पर मूलधन और ब्याज भुगतान की पुर्नभुगतान का मूल कंपनी पर कोई दायित्व नहीं है और दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य समतुल्य राशि के समक्ष प्रति संतुलित किया गया है।

(v) टिप्पणी 48 देखेंः परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए वित्तीय लिखतें तथा उनकी परिपक्वता प्रोफाइलों के विश्लेषण।

(vi) बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक को बंधक के रूप में दी गई पट्टा भूमिः

(ए) गांव तीरंदाज की (18/30), (31) के पवई गांव के (सीटीएस नं. 6(पीटी) के पट्टा भूमि (लीज होल्ड) प्लॉट–ए, मुम्बई पर स्थित पट्टा भूमि व भवन।

(बी) गांव तीरंदाज की (18/30), (31) के पवई गांव की (सीटीएस नं. 6(पीटी) के पट्टा भूमि (लीज होल्ड) प्लॉट–ए, मुम्बई पर स्थित पट्टा भूमि व भवन।

(सी) प्लॉट नं. सी–71, सीटीएस नं. 4207, जी–ब्लॉक, बीकेसी, गाँव कोलेकल्याण, ताल.–अंधेरी, मुम्बई, उप नगरीय जिला।

(vii) foÙkh;u xfrfofèk;ksa ls mRiUu foÙkh; n;rkvksa dk lekèkkku%

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	iÍk n;rk,a	nh?kkZofèk mèkkj	y?kq vofèk mèkkj	dqy
1 vizSy 2018 dks fuoy dtZ	**45.21**	**10,654.11**	**6,382.10**	**17,081.43**
udnh izokg%				
–प्राप्त राशि	-	1,700.00	2,238.25	3,938.25
–पुर्नभुगतान	(5.15)	(220.00)	(1,000.00)	(1,225.15)
ब्याज खर्च	5.16	737.40	625.96	1,368.52
प्रदत्त ब्याज	-	(738.53)	(625.96)	(1,364.49)
31 ekpZ 2019 dks fuoy dtZ	**45.22**	**12,132.99**	**7,620.35**	**19,798.56**
लीज देनदारियों की मान्यता	314.50	-	-	314.50
udnh izokg%				
–प्राप्त राशि	-	2,250.00	3,450.00	5,700.00
–पुर्नभुगतान	(63.73)	(647.50)	(1,782.19)	(2,493.42)
ब्याज खर्च	29.82	1,152.80	732.90	1,915.52
प्रदत्त ब्याज	-	(1,156.04)	(724.64)	(1,880.68)
विनिमय अंतर	(0.03)	-	-	(0.03)
31 ekpZ 2020 dks fuoy dtZ	**325.78**	**13,732.25**	**9,296.42**	**23,354.45**

27- iÍk n;rk,a

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020 xSj&pkyw	31 ekpZ 2019 xSj&pkyw
पट्टा देयताएं	221.74	40.57
	221.74	**40.57**

28- vU; foÙkh; n;rk,a

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020 xSj&pkyw	31 ekpZ 2019 xSj&pkyw
प्रतिभूति जमा	192.55	199.79
कर्मचारियों से संबंधित देय–एमटीएनएल विकल्पधारकों का जीपीएफ	7.42	124.01
	199.97	**323.81**

टिप्पणी 48 उचित मूल्य प्रकटन देखें–परिशोधित लागत और उनकी परिवक्वता प्रोफाइल के विश्लेषण पर मापी गई वित्तीय देयताओं के संबंध में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए।

29- nh?kkZof/k izko/kku

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	198.59	896.06
पेंशन के लिए प्रावधान	19.48	0.95
उपदान के लिए प्रावधान	6.09	(0.00)
परिसंपत्तियों को हटाने की बाध्यता के लिए प्रावधान	15.96	14.71
	240.12	**911.72**

(i) वैयक्तिक प्रावधान और महत्वपूर्ण आकलनों के बारे में सूचना

(ए) परिसंपत्तियों को हटाने की बाध्यता के लिए प्रावधान

कंपनी अपने व्यापार के अंतर्गत अपने उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायरलेस दूरसंचार टावरों और अन्य उपस्करों को संस्थापित करता है तथा यह उसका उत्तरदायित्व है कि टॉवर और अन्य उपस्करों की उपयोग की अवधि समाप्त होने पर उन्हें हटाए और स्थल, जहां ये लगे थे, को पहले जैसी स्थिति में ले आए। इसके लिए भारतीय लेखामानक 16, ''संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'' का परिशिष्ट–ए में कहा गया है कि संपत्ति, सयंत्र तथा उपस्कर के मापन में सामान/उपकरणों को खोलने, हटाने और स्थल को पूर्व स्थिति में लाने की प्रारंभिक लागत के आकलन को इसमें शामिल करें। कंपनी ने खुले बाजार से प्राप्त स्वतंत्र बोलियों के आधार पर इनको हटाने की लागत का अनुमान लगाया है और संभावित मंहगाई दर (6% प्रतिवर्ष) का उपयोग करते हुए उसे बढ़ाया है और प्रत्येक अवधिक के समापन की तारीख पर लागू दरों पर बट्टागत किया गया है।

(बी) कर्मचारी हितलाभों के प्रावधान से संबंधित अपेक्षित प्रकटन के लिए टिप्पणी 52 कर्मचारी हितलाभ बाध्यताएं देखें।

(ii) foÙk o"k dk nkjku ifjl ifÙk gVkus dh ck/;rk lc/kh iko/kku e mrkj&p<ko%

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
fjikfV:x vof/k d vkjHk e	**14.71**	**13.48**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.03	0.13
वर्ष के दौरान विखंडित किए गए टावरों पर प्रयुक्त राशि	(0.03)	(0.19)
समय बीतने के साथ और बट्टा दर में किसी परिवर्तन के कारण बट्टागत राशि में वृद्धि	1.26	1.29
fjikfV:x vof/k d vr e	**15.97**	**14.71**

30- vkLFkfxr dj n;rk,a ¼fuoy½

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
fuEu d dkj.ko'k mRiUu vkLFkfxr dj n;rk%		
लेखा और कर के मध्य संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के रखाव मूल्य में अंतर	7.59	7.25
fuEu d dkj.ko'k mRiUu vkLFkfxr dj ifjlifÙk;k%		
व्यापार में होने वाली हानियों को आगे ले जाना	(0.81)	(0.88)
संदिग्ध ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रावधान	(0.03)	(0.03)
	6.75	6.34

टिप्पणीः

(i) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आस्थगित कर देयताओं में गतिविधिः

fooj.k	1 vily 2019	ykHk rFkk gkfu d fooj.k e igpkuk x;k	vU; 0;kid vk; e igpkuk x;k	31 ekpl 2020
xj pky ifjlifÙk;k				
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	7.25	0.59	(0.27)	7.58
pky ifjlifÙk;k				

fooj.k	1 viSy 2019	ykHk rFkk gkfu dks fooj.k esa igpkuk x;k	vU; O;kid vk; esa igpkuk x;k	31 ekpZ 2020
व्यापार तथा अन्य प्राप्य	(0.03)	(0.00)	0.00	(0.03)
pkyw ns;rk,a				
अप्रयुक्त कर हानि	(0.88)	0.04	0.03	(0.81)
dqy	**6.34**	**0.64**	**(0.23)**	**6.74**

(ii) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर देयताओं में गतिविधिः

fooj.k	1 viSy 2018	ykHk rFkk gkfu dks fooj.k esa igpkuk x;k	vU; O;kid vk; esa igpkuk x;k	31 ekpZ 2019
xSj pkyw ifjlaifÙk;ka				
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	9.29	(2.01)	(0.03)	7.25
चालू परिसंपत्तियां				
व्यापार तथा अन्य प्राप्य	(0.04)	0.02	0.00	(0.03)
pkyw ns;rk,a				
अप्रयुक्त कर हानि	(3.53)	2.63	0.01	(0.88)
dqy	**5.71**	**0.64**	**(0.02)**	**6.34**

(iii) समूह अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित किए गए आय तथा सहायक और संयुक्त उद्यम से संबद्ध विदेशी मुद्रा रिजर्व के अंतरण से संबंधित आस्थगित कर देयता (31 मार्च 2020: शून्य तथा 31 मार्च 2019: रुपये 0.90 करोड़) को मान्यता नहीं देता है तथा जहां भी यह लाभ के विवरण के समय को नियंत्रित करता है और यह संभावित है कि सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनी आने वाले समय में लाभ को वितरित नहीं करेंगे। साथ ही, समूह अपनी सहायक कंपनियों की अघोषित आय पर आस्थगित कर देयता की पहचान नही ंकर पाता है, जहां भी ऐसा माना जाता है कि वह अपने लाभांश वितरण पर सहायक कंपनियों द्वारा देय लाभांश वितरण करने के लिए कर क्रेडिट का लाभी उठाएगा।

(iv) समूह कर परिसंपत्तियों और देयताओं को बंद करता है जब उसके पास चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देयताओं को निर्धारित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताएं उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित है।

31- vU; xSj&pkyw ns;rk,a

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
आस्थगित आय	105.79	127.97
आस्थगित सक्रियण / संस्थापन शुल्क	15.05	18.35
	120.84	**146.32**

32- vYikof/k m/kkj

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
xj tekurh		
cdk l		
बैंकों से नकद ऋण	6,196.42	6,570.35
अल्पावधि ऋण	3,100.00	1,050.00
	9,296.42	**7,620.35**

उपर्युक्त के रखाव मूल्य को उनके उचित मूल्य का तर्कसंगत सन्निकटन माना गया है।

33- iÍk n;rk,a

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
पट्टा देयतायों का वर्तमान हिस्सा	104.04	4.65
	104.04	**4.65**

34- 0;kikj n;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय (टिप्पणी 60 देखें)	47.13	5.35
अन्यों के देय*	618.65	435.91
अन्य प्रोद्भूत देयताएं	130.23	92.19
	796.01	**533.45**

उपर्युक्त के रखाव मूल्य को उनके उचित मूल्य का तर्कसंगत सन्निकटन माना गया है।

35- vU; foÙkh; n;rk,a

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
निम्नलिखित की वर्तमान परिपक्वता		
– दीर्घावधि कर्ज	1,115.00	640.00
प्रोद्भूत ब्याज		
– बॉण्ड्स पर देय नहीं	60.67	60.33
– उधार पर देय नहीं	2.43	1.08
– जमा पर देय नहीं	0.07	0.07
प्रतिभूति जमा	92.03	64.46
कर्मचारियों को देय	3,979.99	806.82
सामान एवं सेवाओं के अलावा ठेकेदारों को देय राशि	438.68	441.59
अन्य प्रचालकों को देय राशि	52.84	51.48
अन्य देय	149.73	190.27
	5,891.44	**2,256.09**

टिप्पणी 48 उचित मूल्य प्रकटन देखें– परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य प्रकटन के लिए।

36- vU; pkyw ns;rk,a

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
प्राप्त अग्रिम	395.71	457.20
सांविधिक देय	230.43	280.44
आस्थगित आय	20.93	22.20
आस्थगित सक्रियण/संस्थापन शुल्क	6.34	5.67
	653.40	**765.51**

37- vYidkfyd çko/kku

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
deZpkjh fgrykHkksa ds fy, çko/kku		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान – कंपनी के कर्मचारी	22.99	223.02
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान – अन्य	1.43	0.94
पेंशन के लिए प्रावधान – कंपनी के कर्मचारी	97.72	110.38
पेंशन के लिए प्रावधान – अन्य	1.86	1.54
उपदान (ग्रेच्युटी) का प्रावधान – कंपनी के कर्मचारी	43.24	47.86
çko/kku & vU;		
अन्य के लिए प्रावधान	12.58	0.81
	179.82	**384.55**

(i) foÙkh; o"kZ ds nkSjku vU; ls tqMs+ çko/kku esa mrkj&p<+ko%

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
fjiksVZ vof/k ds izkjEHk esa	0.81	17.51
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	11.77	(16.71)
fjiksVZ vof/k ds var esa	**12.58**	**0.81**

(ii) कर्मचारी हितलाभों के प्रावधान से संबंधित अपेक्षित प्रकटन के लिए, देखें टिप्पणी 52 – कर्मचारी हितलाभ बाध्यताएं।

38- ifjpkyuksa ls jktLo

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
fLFkj ¼fQDLM½ VsyhQksu vk;		
राजस्व–टेलीफोन कॉलें एवं अन्य शुल्क	107.56	179.35
राजस्व–स्थिर टेलीफोन मासिक शुल्क	383.14	482.92
राजस्व – टेलीफोन (फ्रैंचाइजी सेवाएं)	5.86	7.87
राजस्व – कॉलें लगाना (एक्सेस) और अन्य शुल्क	12.49	11.42
राजस्व – किराया एवं जंक्शन शुल्क	21.71	31.02
राजस्व – ब्रॉडबैंड	354.44	502.05
राजस्व – आईएसडीएन कॉल शुल्क	12.28	15.43
राजस्व – आईएसडीएन कॉल किराया	50.83	51.79

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
m|e 0;olk;		
राजस्व – स्थानीय सर्किट	253.11	289.04
राजस्व – दूरस्थ सर्किट	4.22	12.03
ekckby jktLo		
राजस्व – सक्रियण शुल्क	0.47	0.33
राजस्व–मोबाइल किराया और कॉल शुल्क	31.09	71.02
राजस्व – रोमिंग से आय	66.78	76.74
राजस्व – प्रीपेड ट्रम्प	64.98	82.55
राजस्व –आईयूसी आय	10.65	25.54
राजस्व – मूल्यवर्धित सेवाए	61.99	95.03
vU;		
राजस्व – मुफ्त फोन सेवाएं	67.69	73.15
राजस्व – इंटरनेट	39.33	34.01
राजस्व – प्रीमियम दर सेवाएं	0.16	0.19
राजस्व – अन्य सेवाएं	37.53	25.08
अन्य परिचालन राजस्व		
अन्य परिचालन राजस्व–देरी से किए गए भुगतान पर अधिभार (सरचार्ज)	5.89	8.26
अन्य परिचालन राजस्व–उद्यम व्यवसाय से राजस्व	28.34	2.66
अन्य परिचालन राजस्व–माल की बिक्री से राजस्व	3.01	7.92
	1,623.55	**2,085.41**

39- vU; vk;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
fuEufyf[kr ij C;kt		
बैंक से ब्याज	2.92	2.85
कर्मचारियों को अग्रिम से ब्याज	2.02	3.66
अन्य ब्याज आय	121.67	81.69
आयकर धन वापसी से ब्याज	16.63	7.51
	143.24	**95.72**
vU; vk;		
निर्देशिका, प्रकाशन आदि की बिक्री।	0.10	0.14
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	0.77	-
परिनिर्धारित हर्जाने से आय	6.79	22.97
विदेशी मुद्रा परिवर्तन (निवल)	0.77	-
वसूल किए गए अशोध्य ऋण	0.08	0.33
पुनरांकित जमाशेष	157.35	107.12
क्वार्टरों / छात्रावासों आदि से किराया।	12.84	16.21
संपत्तियों से किराये की आय	344.43	371.02
विविध आय	26.67	22.57
	549.80	**540.37**
	693.04	**636.09**

40- ykblsal 'kqYd [kpZ

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
लाइसेंस शुल्क खर्च	155.09	165.26
स्पैक्ट्रम प्रभार	14.78	22.65
	169.87	**187.91**

41- deZpkjh fgrykHk [kpZ

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
वेतन, वेतन भत्ता तथा अन्य लाभ	1,806.08	2,039.77
बोनस/अनुग्रह (एक्स ग्रेशिया)		-
चिकित्सा खर्चे तथा भत्ते	67.81	86.10
पेंशन अंशदान		
(ए) कंपनी कर्मचारी	73.07	95.51
(बी) अन्य	1.05	1.77
छुट्टी नकदीकरण		
(ए) कंपनी कर्मचारी	239.34	143.88
(बी) अन्य	0.75	1.31
उपदान निधि के लिए अंशदान	(28.79)	11.19
भविष्य निधि तथा अन्य निधि के लिए अंशदान	58.74	60.66
कर्मचारी कल्याण खर्चे	0.98	0.57
	2,219.03	**2,440.76**
?kVk;k% चालू पूंजीगत कार्यों के लिए आबंटन	(90.85)	(165.43)
	2,128.18	**2,275.34**

परिभाषित हितलाभ बाध्यताओं की विवरणात्मक टिप्पणी के लिए कर्मचारी हितलाभ बाध्यताएं–टिप्पणी सं. 52 देखें।

42- foÙkh; ykxr

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
fuEufyf[kr ij C;kt		
– मियादी ऋण	858.03	739.43
– नकद ऋण सुविधा	618.24	549.57
– अल्पावधि ऋण सुविधा	107.31	76.39
– बॉण्ड	272.08	272.55
– उपभोक्ता जमा	0.02	0.02
– लीज देयताएं	29.82	-
– अन्य	26.36	35.42
vU; foÙkh; ykxr		
– प्रतिबद्धता शुल्क	29.80	29.80
	1,941.66	**1,703.18**

43- eY;gkl rFkk ifj'kkèku [kpl

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
fuEufyf[kr ij eY;gkl		
संपत्ति, संयत्र और उपस्कर	585.22	663.80
निवेश संपत्तियां	1.88	1.60
परसिंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	63.02	-
fuEufyf[kr ij ifj'kk/ku		
अमूर्त परिसंपत्तियां	335.72	337.02
	985.84	**1,002.42**

44- vU; [kpl

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
विद्युत, ईंधन तथा पानी	243.57	245.85
किराया	38.76	120.91
भवन की मरम्मत	16.29	24.75
मशीनरी की मरम्मत	92.68	130.31
अन्य मरम्मत	23.66	25.42
बीमा	7.81	3.45
दरें और कर	42.01	53.44
यात्रा एवं वाहन	0.67	0.94
डाक खर्च, तार और टेलीफोन	5.26	7.43
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	3.68	5.34
वाहन रखरखाव खर्चे	0.27	0.47
वाहन के चलने पर खर्चे	0.90	1.23
वाहन किराया खर्चे	5.70	10.77

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
विज्ञापन और व्यापार संवर्धन खर्चे	3.02	5.92
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	15.23	18.32
विधिक और व्यावसायिक खर्चे*	4.31	5.92
सेमिनार और प्रशिक्षण प्रभार	0.37	0.61
सिक्यूरिटी सेवा खर्चे	14.66	16.55
परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर हानि (निवल)	-	15.96
इंटरनेट प्रभार	13.70	6.18
परिसंपत्तियों की हानि	2.33	1.41
कमीशन	6.74	7.34
विदेशी मुद्रा लेन–देन और परिवर्तन पर निवल हानि	0.21	0.19
छूट सहित संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	64.50	9.65
अप्रचलित इनवेंटरी के लिए प्रावधान	3.01	1.35
संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	1.08	2.29
व्यय का आउटसोर्सिंग	8.80	-
वित्तीय साधन का निपटान	2.41	-
एमएसएमई पर ब्याज	9.17	-
विविध खर्च	33.04	34.15
?kVk;k% चालू पूंजीगत कार्य के लिए आबंटन	-	(0.02)
	663.84	**756.16**

*fofèkd ,oa 0;kolkf;d [kpk esa leg yi[kkijh{kdk dk fd;k x;k Hkqxrku 'kkfey g
yi[kkijh{kdk dk%

लेखापरीक्षा शुल्क	0.45	0.45
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.09	0.09
प्रमाणीकरण एवं अन्य सेवाएं	0.18	0.27
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.11	0.04
	0.83	**0.85**

45- dj [kpl

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
वर्तमान कर (पूर्व वर्षों के कर सहित)	0.42	0.24
आस्थगित कर	0.65	0.64
	1.07	**0.88**

आय कर खर्च के मुख्य घटक और 34.944% देशी प्रभावी कर दर पर आधारित खर्चे के समाधान और लाभ अथवा हानि में रिपोर्ट किया गया कर खर्च निम्नलिखित प्रकार से है:

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
vk; dj iwoZ y[kkdu ykHk@¼gkfu½		
– सतत प्रचालन से	(3,692.66)	(3,387.20)
dj iwoZ dqy y[kkdu gkfu	**(3,692.66)**	**(3,387.20)**
देश की संविधिक आयकर दर 34.944% पर (31 मार्च 2019 : 34.944%)	(1,290.36)	(1,183.62)
पहले के वर्षों में करों के संबंध में समायोजन	0.33	-
पुस्तकों और आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में अंतर	168.35	153.90
कर प्रयोजनों के लिए गैर घटाया खर्च	(92.23)	(113.03)
भुगतान के आधार पर कर्मचारी लाभ की अनुमति	(237.75)	(10.83)
अन्य	-	1.48
आस्थगित कर चालू वर्ष के लिए घाटे पर नहीं बनाया	1,452.73	1,152.98
	1.07	**0.88**

(i) एमटीएनएल का अनवशोषित मूल्यह्रास है तथा 31 मार्च 2020 तक रु. 21,907.74 करोड़ राशि की व्यावसायिक हानि को आगे ले जाया गया जिस पर किसी आस्थगित कर परिसंपति का प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत जैसा कि कंपनी (लेखा) नियमावली 2015 के नियम 7 तथा कंपनी (भारतीय लेखाकारण मानक) संशोधन नियमावली 2016 के भारतीय लेखा मानक 12 ''आयकर'' के अनुसार अपेक्षित है जिस वर्ष में मूल कंपनी को भावी कर योग्य आय की यथोचित निश्चितता होगी है। अस्थगित कर देयता उसी वर्ष में सृजित की जाएगी।

(ii) मूल कंपनी ने लाभ तथा हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के विवरण में कर व्यय/क्रेडिट (चालू तथा आस्थगित कर) को मान्यता नहीं दी है क्योंकि कंपनी नुकसान उठा रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ अप्रयुक्त कर नुकसान का उपयोग किया जा सकता है।

(ii) वर्षवार समाप्ति नीचे दी गई हैं:

fooj.k	vkjEHk dk o"kZ	lekfIr dk o"kZ	jkf'k
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2013–14	वित्त वर्ष 2020–21	1,057.11
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2015–16	वित्त वर्ष 2022–23	1,941.74
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2016–17	वित्त वर्ष 2023–24	1,042.33
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2024–25	2,242.83
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2025–26	2,457.36
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2026–27	2,825.57
आगे ले जाई गई हानियां	आकलन वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2027–28	3,783.38
अनवशोषित मूल्यह्रास	बहुविध	अनिश्चित	6,557.41

46- vU; 0;kid vk;

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनः मापन लाभ (हानि)	(115.32)	(7.39)
आयकर प्रभाव	-	-
	(115.32)	**(7.39)**
en] ftUgsa ykHk vFkok gkfu esa iqu% oxhZÑr fd;k tk,xk		
विदेशी परिचालन का विदेशी मुद्रा अंतरण	**(5.13)**	**(0.36)**
आयकर प्रभाव	-	-
	(5.13)	(0.36)
o"kZ ds fy, vU; 0;kid gkfu	**(120.45)**	**(7.75)**

47- izfr bfDoVh 'ks;j vtZu

मूल कंपनी प्रतिशेयर के अर्जन (ईपीएस) का निर्धारण मूल कंपनी के शेयर धारक को वितरण योग्य निवल लाभ पर आधारित होता है। प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या से की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन की गणना वर्ष के दौरान शेयर विकल्प सहित बकाया सामान्य और तनुकृत सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करके की जाती है, सिवाय इसके कि जहां परिणाम तनुकृत विरोधी हों।

(रुपये करोड़ में)

	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य निवल हानि	(3,693.73)	(3,388.07)
	(3,693.73)	**(3,388.07)**
प्रति इक्विटी शेयर हानिः		
इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रु.)	10.00	10.00
मूल और तनुकृत ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	630,000,000	630,000,000
मूल और तनुकृत प्रति शेयर अर्जन (रु.)	**(58.63)**	**(53.78)**

48- mfpr ewY; [kqyklk

i½ mfpr ewY; inkuqØe

वित्तीय स्थिति के विवरण में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में विभाजित किया जाता है। तीन स्तरों को माप के लिए महत्वपूर्ण आदानों की अवलोकन क्षमता के आधार पर परिभाषित किया गया है, जैसा कि इस प्रकार हैः

Lrj 1% वित्तीय साधनों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

Lrj 2% वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं कर रहे हैं, मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो नमूदार बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर जितना संभव हो उतना कम भरोसा करते हैं।

Lrj 3% यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण जानकारी नमूदार बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) mfpr eY; ij ekih xbZ foÙkh; ifjlaifÙk;ka vkSj nsunkfj;ka & vkorhZ mfpr eY; ekiu

(iii) ifj'kksf/kr ykxr ij ekik x;k midj.kksa dk mfpr eY;

परिशोधित लागत पर मापा उपकरणों का उचित मूल्य जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया जाता है इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	Lrj	31 ekpZ 2020		31 ekpZ 2019	
		eY; ys tkuk	mfpr eY;	eY; ys tkuk	mfpr eY;
foÙkh; ifjlaifÙk;ka					
ऋण	स्तर 3	3,748.02	3,736.70	3,582.36	3,589.46
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	स्तर 3	3,493.54	3,493.54	901.78	912.62
dqy foÙkh; ifjlaifÙk;ka		**7,241.56**	**7,230.24**	**4,484.13**	**4,502.08**
उधार	स्तर 3	13,669.15	13,777.57	12,071.58	12,203.38
वित्त पट्टा दायित्व	स्तर 3	-	-	45.22	59.12
अन्य वित्तीय देनदारियां	स्तर 3	4,981.91	4,953.54	1,947.30	1,923.08
dqy foÙkh; nsunkfj;ka		**18,651.06**	**18,731.10**	**14,064.11**	**14,185.58**

प्रबंधन ने आकलन किया कि नकदी और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, व्यापार प्राप्तियां, अन्य प्राप्तियां, व्यापार देय और अल्पकालिक उधार इन साधनों की अल्पकालिक परिपक्वताओं के कारण उनकी ले जाने वाली राशि का अनुमान है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर उपकरण को इच्छुक पक्षों के बीच वर्तमान लेनदेन में आदान–प्रदान किया जा सकता है, इसके अलावा एक मजबूर या परिसमापन बिक्री में। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित तरीकों और मान्यताओं का उपयोग किया गयारू

(i) कंपनी द्वारा ब्याज दरों, ग्राहक की व्यक्तिगत साख और अन्य बाजार जोखिम कारकों जैसे मापदंडों के आधार पर दीर्घकालिक निश्चित दर और चर दर प्राप्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर, भत्तों को इन प्राप्तियों के अपेक्षित ऋण नुकसान के लिए ध्यान में रखा जाता है ।

(ii) कंपनी के ब्याज–असर उधार, ऋण और प्राप्तियों के उचित मूल्य रियायती नकदी प्रवाह (श्डीसीएफश) विधि लागू करके निर्धारित किए जाते हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधारी दर को दर्शाता है। 31 मार्च 2019 के रूप में अपने गैर–प्रदर्शन जोखिम को महत्वहीन आंका गया था।

49- foÙkh; tkf[ke çca/ku

i) J.kh dh mä esa foÙkh; lk/ku

fooj.k	31 ekpZ 2020			31 ekpZ 2019		
	,QohVhih,y	,Qohvkslhvkbl	ifj'kksf/kr ykxr	,QohVhih,y	,Qohvkslhvkbl	ifj'kksf/kr ykxr
foÙkh; ifjlaifÙk						
निवेश*	-	-	-	-	-	-
ऋण	-	-	3,748.02	-	-	3,582.37
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	3,493.54	-	-	901.78
प्राप्य व्यापार	-	-	628.96	-	-	611.48
नकद और नकदी समतुल्य	-	-	196.60	-	-	119.58
अन्य बैंक शेष	-	-	13.02	-	-	20.42
dqy	**-**	**-**	**8,080.14**	**-**	**-**	**5,235.62**
foÙkh; ns;rk,a						
उधार	-	-	21,850.57	-	-	19,051.94
लीज़ देयताएं	-	-	325.78	-	-	45.22
व्यापार देय	-	-	796.01	-	-	533.45

fooj.k	31 ekpZ 2020			31 ekpZ 2019		
	,QohVhih,y	,Qohvkslhvkbz	ifj'kksf/kr ykxr	,QohVhih,y	,Qohvkslhvkbz	ifj'kksf/kr ykxr
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	6,091.42	-	-	2,579.90
dqy	**-**	**-**	**29,049.25**	**-**	**-**	**22,206.80**

*संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के इक्विटी साधन में निवेश को लेखा की की इक्विटी विधि का उपयोग करके हिसाब दिया गया है और इसलिए, यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii) tksf[ke izcU/ku

समूह की गतिविधियों से इसके समक्ष बाजार जोखिम, चलनिधि जोखिम और ऋण जोखिम आते हैं। इस टिप्पणी में कंपनी के समक्ष आए जोखिम तथा कंपनी किस प्रकार इस जोखिम का प्रबंधन करती हैं और वित्तीय विवरणों में इसके संबंधित प्रभाव का स्पष्टीकरण किया गया है।

tksf[ke	ekiu	izcU/ku
ऋण जोखिम	अवधि विश्लेषण	बैंक जमा, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमा और संपार्श्विक (कोलेटरल)
चल निधि जोखिम	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्था की उपलब्धता और उधार सुविधा
बाजार जोखिम – विदेशी मुद्रा	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	वायदा संविदा/बचाव व्यवस्था, यदि आवश्यक हो तो
बाजार जोखिम – ब्याज दर	संवेदनशीलता विश्लेषण	बाजार घटकों को दर्शाने वाली शर्तों पर समझौता वार्ता
बाजार जोखिम – प्रतिभूति कीमत	संवेदनशीलता विश्लेषण	वर्तमान में समूह इक्विटी शेयरों में निवेश नहीं कर रहा सिवाय उन कंपनियों के जिनमें इसका नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के तहत समूह का जोखिम प्रबंधन एक केंद्रीय कोषागार विभाग (मूल कंपनी के) द्वारा किया जाता है। कंपनी का निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत उपलब्ध करवाता है जैसे विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ऋण जो. खिम और अतिरिक्त चलनिधि का निवेश।

,½ _.k tksf[ke

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्षकार समूह के प्रति अपने दायित्व का पालन करने में असफल रहता है। समूह को इस जोखिम का सामना विभिन्न वित्तीय लिखतों के लिए करना पड़ता है उदाहरणतः उपभोक्ताओं को ऋण और प्राप्य राशियां, जमा इत्यादि देना। समूह के समक्ष अधिकतम ऋण जोखिम निम्नलिखित प्रकार की वित्तीय परिसंपत्तियों की रखाव राशि तक सीमित है।

– नकदी और नकदी समतुल्य,
– व्यापार प्राप्य,
– परिशोधित लागत पर लिए गए ऋण और प्राप्य राशियां, तथा
– बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में जमा

,½ _.k tksf[ke izca/ku

समूह ऋण जोखिम का आकलन और प्रबंधन आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पद्धति द्वारा चूककर्ता उपभोक्ताओं और अन्य प्रतिपक्षकारों की निरंतर निगरानी द्वारा करता है जिनकी पहचान वैयक्तिक रूप से अथवा समूह द्वारा की गई हो तथा इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रणों में शामिल करता है। विभिन्न विशिष्टताओं वाली वित्तीय लिखतों की प्रत्येक श्रेणी के लिए आंतरिक क्रेडिट रेटिंग की जाती है। समूह प्रत्येक वर्ग की वित्तीय परिसंपत्ति की क्रेडिट रेटिंग उस वित्तीय परिसंपत्ति वर्ग की विशिष्ट धारणाओं, इनपुट और कारको के आधार पर करता है।

ए : कम
बी : मध्यम
सी : उच्च

ऋण जोखिम वाली परिसंपत्तियां –

(रुपये करोड़ में)

lk[k J`.kh fuèkkZj.k ¼ØsfMV jsfVax½	fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
ए : कम	ऋण	3,748.03	3,582.37
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,492.91	900.04
	बैंक जमा	13.65	22.15
	नकदी और नकदी समतुल्य	196.60	119.58
बी : मध्यम	व्यापार प्राप्य	628.96	611.48
सी : उच्च	व्यापार प्राप्य	935.70	874.11
	निवेश	100.00	100.00
	ऋण	2.23	12.91
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	89.28	109.13
	नकदी और नकदी समतुल्य	0.56	0.56

नकदी एवं नकदी समतुल्य और बैंक जमा

नकदी और नकदी समतुल्य और बैंक जमा से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन केवल उच्च रेटिंग के बैंकों को स्वीकार करके, बैंक जमाओं का विविधीकरण करके और देश के विभिन्न बैंकों मे खातों द्वारा किया जाता है।

व्यापार प्राप्य

जहां ऋण जोखिम अधिक होता है उसके लिए उपभोक्ताओं से बैंक गारंटी लेकर व्यापार प्राप्यों के ऋण जोखिमों को कम किया जाता है। समूह देनदारों की ऋण पात्रता जो उपभोक्ता की ऋण सीमा को परिभाषित करने के लिए बनाई गई है, आंतरिक पद्धति द्वारा ध्यानपूर्वक निगरानी करता है ताकि ऋण जोखिम को पूर्व परिभाषित सीमा तक रखा जा सके। समूह उन प्राप्य राशियों के लिए कार्यशील आधार पर ऋण जोखिम में वृद्धि का आकलन करता है जो पूर्व देय हो गए हों तथा चूक उस समय उत्पन्न हुई मानी जाती है जब निम्नानुसार प्राप्य राशियां प्रत्येक व्यवसाय खंड में पूर्व देय बन जाती हैं:–

(i) सेल्युलर : छह माह के पूर्व देय

(ii) बेसिक एवं अन्य सेवाएं : तीन वर्ष के पूर्व देय

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपतियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम, प्रतिभूति जमा और अन्य शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी राशियों की वसूली योग्यता की निरंतर निगरानी द्वारा किया जाता है जबकि इसके साथ ही विद्यमान आंतरिक नियंत्रण पद्धति से यह सुनिश्चित होता है कि राशि निर्धारित सीमा में है।

ch½ izR;kf'kr _.k gkfu;k¡

समूह निम्नलिखित आधार पर प्रत्याशित ऋण हानियों का प्रावधान करता है।

व्यापार प्राप्य

(i) समूह व्यापार प्राप्यों के जीवन काल की प्रत्याशित ऋण हानियों की पहचान सरलीकृत दृष्टिकोण को अपनाते हुए करता है, जिसमें समूह उपर्युक्त मापदंड के आधार पर व्यवसाय के प्रत्येक खंड की संगत चूक के ऐतिहासिक

रूझान का विश्लेषण करके परिभाषित प्रतिशत का प्रावधान करता है। निर्धारित की गई ऐसी प्रावधान प्रतिशतता को व्यापार प्राप्यों (जहां चूक मापदंड पूरे किए जाते हैं उनके अलावा) के जीवन काल की प्रत्याशित ऋण हानि की पहचान करने के लिए विचार किया गया है।

(रुपये करोड में)

fooj.k	31 ekpZ 2020		31 ekpZ 2019	
	cfld ,oa vU; lsok,a	lsY;qyj	cfld ,oa vU; lsok,a	lsY;qyj
विक्रय की सकल राशि	5,036.70	16.71	5,969.51	11.70
प्रत्याशित हानि दर	1.79%	35.05%	1.46%	7.47%
प्रत्याशित ऋण हानि (हानि गुंजाइश प्रावधान)	90.10	5.86	87.29	0.87
उपभोक्ताओं से प्राप्य देय, जहां विशिष्ट चूक हुई हो	596.75	239.39	566.15	219.79

निरूपित अवधि के दौरान समूह ने व्यापार प्राप्य को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से लेकर अंत तक हानि छूट प्रावधान का मिलान

(रुपये करोड में)

gkfu NwV dk feyku	0;kikj izkI;
01 vizSy 2018 dks gkfu NwV	(877.79)
जोड़ें (घटाएं) : बट्टेखाते/वसूली के कारण हानि भत्तों में परिवर्तन	
जोड़ें (घटाएं) : परिसंपत्ति के प्रारंभ से अथवा खरीद के कारण हानि छूट में परिवर्तन	3.68
31 ekpZ 2019 dks gkfu HkÙkk	(874.11)
जोड़ें (घटाएं) : बट्टेखाते/वसूली के कारण हानि छूट में परिवर्तन	16.37
जोड़े (घटाएं) : परिसंपत्ति के प्रारंभ से अथवा खरीद के कारण हानि छूट में परिवर्तन	(77.97)
31 ekpZ 2020 dks gkfu HkÙkk	(935.70)

परिशोधन लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी प्रत्याशित ऋण हानि के लिए समूह वैयक्तिक वित्तीय लिखतों की किसी प्रत्याशित हानि का आकलन करके व्यापार प्राप्यों से इतर ऋण और अग्रिम पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करता है। इस श्रेणी में, क्योंकि अलग–अलग प्रकृति तथा उद्देश्यों के ऋण तथा प्राप्य शामिल हैं इसलिए ऐसा कोई रूझान नहीं है, जिसे समूह सतत रूप से सभी पर प्रयुक्त कर सके। प्रत्याशित ऋण जोखिम की पहचान होने पर प्रारंभ में समूह 12 महीने के लिए प्रावधान करता है। यदि ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है तो उसके जीवनकाल के लिए प्रावधान करता है। ऐसी परिसंपत्तियों के कम ऋण जोखिम प्रकार को देखते हुए समूह को कोई क्षरण आधारित प्रत्याशित हानि नहीं है तथापि ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप श्रेणी में, हुई हानि प्रावधान के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

बी) चलनिधि जोखिम

विवेकसम्मत चलनिधि जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियां और प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधा द्वारा पर्याप्त राशि निधिकरण बनाए रखा जाता है ताकि जब देय राशि की बाध्यताएं हो तो उन्हें पूरा किया जा सके। व्यवसाय की प्रकृति के कारण समूह निधिकरण का लचीलापन प्रतिबद्ध सुविधाओं की उपलब्धता द्वारा बनाए रखता है।

प्रबंधन समूह की चलनिधि स्थिति तथा प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी और नकदी समतुल्य के पूर्वानुमान की निरंतर निगरानी करता है। समूह उस बाजार की चलनिधि पर भी दृष्टि रखता है जिसमें उसका परिचालन है। इसके अतिरिक्त समूह की चलनिधि प्रबंधन नीति के अंतर्गत प्रमुख मुद्राओं में नकदी प्रवाह का अनुमान तथा इसे पूरा करने के लिए अर्थ सुलभ/तरल परिसंपत्तियों के स्तर, आंतरिक और बाह्य नियामक आवश्यकताओं की तुलना में तुलनपत्र चलनिधि अनुपात की निगरानी और कर्ज वित्तपोषण योजना को बनाए रखना आता है।

,½ foÙkh;u ic/ku

रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समूह ने निम्नलिखित गैर आहरित उधार सुविधाओं तक पहुँच थी।

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020			31 ekpZ 2019		
	dqy lqfo/kk	vkgfjr	vukgfjr	dqy lqfo/kk	vkgfjr	vukgfjr
0–1 वर्ष	11,015.00	10,411.42	603.58	8,570.00	8,260.35	309.65
1–2 वर्ष	1,770.00	1,770.00	-	865.00	865.00	-
दो वर्ष से अधिक	7,817.50	7,817.50	-	7,595.00	7,595.00	-
dqy	**20,602.50**	**19,998.92**	**603.58**	**17,030.00**	**16,720.35**	**309.65**

ch½ foÙkh; n;rkvk dh ifjiDork

नीचे दी गई तालिका समूह की वित्तीय देयताओं का विश्लेषण सभी गैर व्युत्पन्नी वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदागत परिपक्वताओं के आधार पर संगत परिपक्वता में करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशियां संविदागत बट्टारहित नकदी प्रवाह हैं। 12 माह में देय शेष उनके धारक शेष के समान हैं क्योंकि बट्टे का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। (रुपये करोड़ में)

31 ekpZ 2020	1 o"kZ ls de	1&3 o"kZ	3&5 o"kZ	5 o"kZ ls vf/kd	dqy
xSj&O;qRiUu					
दीर्घावधि उधार (बॉण्ड सहित)	1,984.85	6,231.08	4,412.21	657.31	13,285.45
पट्टा देयताएं	108.73	133.20	99.35	408.62	749.91
अल्पावधि उधार	9,296.42	-	-	-	9,296.42
व्यापार देय	796.01	-	-	-	796.01
अन्य वित्तीय देयताएं	2,954.06	12.07	4.52	291.98	3,262.62
dqy	**15,140.07**	**6,376.35**	**4,516.08**	**1,357.91**	**27,390.41**

(₹ in crores)

31 ekpZ 2019	1 o"kZ ls de	1&3 o"kZ	3&5 o"kZ	5 o"kZ ls vf/kd	dqy
xSj&O;qRiUu					
दीर्घावधि उधार (बॉण्ड सहित)	1,745.14	4,261.82	9,101.73	990.25	16,098.95
पट्टा देयताएं	5.16	10.32	10.32	375.81	401.61
अल्पावधि उधार	7,620.35	-	-	-	7,620.35
व्यापार देय	533.45	-	-	-	533.45
अन्य वित्तीय देयताएं	1,562.09	13.12	5.90	482.14	2,063.25
dqy	**11,466.19**	**4,285.26**	**9,117.95**	**1,848.20**	**26,717.60**

lh½ cktkj tksf[ke

,½ fons'kh eqæk tksf[ke

समूह के समक्ष विदेशी विनिमय लेन–देन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम मुख्यतः अमेरिकन डॉलर और यूरो का है। विदेशी मुद्रा जोखिम पहचानी गई उन परिसंपत्तियों और देयताओं के संबंध में आता है जिनका मुद्रा मूल्यवर्ग समूह की किसी भी संस्था की कार्यात्मक मुद्रा में नहीं आता है। विदेशी विनिमय लेन–देन की कम मात्रा को देखते हुए समूह के समक्ष विदेशी विनिमय का सीमित जोखिम है। अतः समूह इस एक्सपोज़र का प्रबंधन करने के लिए किसी व्युत्पन्नी लिखत का प्रयोग नहीं करता। समूह वायदा–संविदा और सट्टे के उद्देश्य से अदला–बदली भी नहीं करता।

(i) vefjdh Mkyj e fon'kh eqæk tkf[ke ,Dlikstj

समूह को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर रुपये में निम्नलिखित के अनुसार है

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
वित्तीय परिसंपत्तियां	3.71	11.37
वित्तीय देयताएं	12.13	6.02
fon'kh eqæk tkf[ke ¼n;rk,½ dk fuoy ,Dlikstj	**(8.42)**	**5.35**

संवेदनशीलता

वित्तीय लिखतों के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के विनिमय दर में परिवर्तन से मुख्यतः लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता आती है।

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
यूएसडी संवेदनशीलता		
भारतीय रुपये/यूएसडी–500 आधार अंक (बीपी) की वृद्धि (31 मार्च 2019, 500 बीपी)*	(0.42)	0.27
भारतीय रुपये/यूएसडी–500 आधार अंक (बीपी) की कमी (31 मार्च 2019, 500 बीपी)*	0.42	(0.27)

** सभी अन्य चर वस्तुओं को स्थिर मानते हुए*

(ii) ;jks esa fons'kh eqæk tkf[ke ,Dlikstj%

समूह के समक्ष रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर रुपये में निम्नलिखित हैं :

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
वित्तीय परिसंपत्तियां	8.52	1.95
वित्तीय देयताएं	1.26	0.71
fon'kh eqæk tkf[ke ¼n;rk,½ dk fuoy ,Dlikstj	**7.26**	**1.24**

संवेदनशीलता

वित्तीय लिखतों के विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के विनिमय दर में परिवर्तन से मुख्यतः लाभ अथवा हानि में संवेदनशीलता उत्पन्न होती है।

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
अमेरिकी डॉलर संवेदनशीलता		
भारतीय रुपये/यूएसडी–500 आधार अंक (बीपी) की वृद्धि (31 मार्च 2019, 500 बीपी)*	0.36	0.06
भारतीय रुपये/यूएसडी–500 आधार अंक (बीपी) की कमी (31 मार्च 2019, 500 बीपी)*	(0.36)	(0.06)

** सभी अन्य चर वस्तुओं को स्थिर मानते हुए*

ch½ C;kt nj tkf[ke

i) n;rk,i

समूह की नीति है कि दीर्घावधि वित्तपोषण पर ब्याज दर नकदी प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को न्यूनतम किया जाए। 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 की स्थिति अनुसार समूह बैंक को परिवर्ती ब्याज दरों पर उधार की वजह से ब्याज दरों में परिवर्तन का सामना करना पड़ा है। समूह को सावधि जमा में निवेश पर स्थिर ब्याज दर मिलती है।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

समूह को ब्याज दर जोखिम का समग्र एक्सपोज़र निम्नलिखित हैः

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
परिवर्ती उधार दर	19,986.77	16,713.48
नियत उधार दर	2,978.80	2,978.45
dqy m/kkj	**22,965.57**	**19,691.93**

संवेदनशीलता

ब्याज दरों में परिवर्तन से लाभ अथवा हानि और इक्विटी में संवेदनशीलता निम्नलिखित है :

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
ब्याज संवेदनशीलता*		
ब्याज दरें – 50 बीपी आधार अंक की वृद्धि	99.93	83.57
ब्याज दरें – 50 बीपी आधार अंक की कमी	(99.93)	(83.57)

** सभी अन्य चर वस्तुओं को स्थिर मानते हुए*

ii) ifjlaifÙk;k

समूह की सावधि जमा परिशोधन लागत और स्थिर जमा दर पर रखी जाती हैं। चूंकि बाजार ब्याज दर में परिवर्तन से न तो रखाव राशि में घट–बढ़ होगी और न ही भावी नकदी प्रवाह में अतः इन्हें भारतीय लेखामानक 107 के अनुसार ब्याज दर जोखिम नहीं है।

lh½ dher tksf[ke

समूह का इक्विटी लिखत में कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं है जिससे कीमत जोखिम का एक्सपोज़र हो।

50- iwath izca/ku

समूह के पूंजीगत प्रबंधन उद्देश्य इस प्रकार हैं

– कार्यशील प्रतिष्ठान के रूप में बने रहने की समूह की योग्यता को सुनिश्चित करना।

– शेयरधारकों को पर्याप्त प्रतिलाभ प्रदान करना।

समूह पूंजी को इक्विटी की रखाव राशि में से नकदी तथा नकदी तुल्यों को घटाकर निगरानी करता हैं, जैसा कि तुलनपत्र में प्रस्तुत किया गया है।

प्रबंधन अधिक लीवरेज से बचते हुए प्रभावी समग्र वित्तीयन ढांचे को बनाए रखने के लिए समूह की पूंजी जरूरतों का निर्धारण करता है। यह समूह के विभिन्न श्रेणियों के कर्ज के गौण स्तरों को हिसाब में लेता है। समूह पूंजी ढांचे का प्रबंधन करता है तथा आर्थिक दशाओं में परिवर्तन एवं मूल परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं को देखते हुए इसमें समायोजन करता है। पूंजी ढांचे के रखरखाव अथवा समायोजन के लिए समूह शेयर धारकों को भुगतान की गई लाभांश राशि को समायोजित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नए शेयर निर्गमित कर सकता है अथवा कर्ज घटाने के लिए परिसंपत्तियों को बेच सकता है।

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
निवल कर्ज	13,669.15	12,112.16
कुल इक्विटी	(13,582.10)	(9,727.83)
vuqikr bfDoVh dh rqyuk esa fuoy dtZ*	-	-

समूह ने चालू वर्ष अथवा पिछले वर्ष में लाभांश की घोषणा नहीं की है।

*31 मार्च, 2020 तथा 31 मार्च, 2019 को इक्विटी नकारात्मक थी, अतः इक्विटी की तुलना में कर्ज अनुपात को शून्य दर्शाया गया है।

51- leg dh lpuk

¼,½ lgk;d dEifu;ksa dk fo"k; esa lwpuk

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार समूह की निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं; जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, उनकी शेयर पूंजी हैं, जिसमें मूल कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित केवल इक्विटी शेयर हैं। मूल कंपनी के पास आनुपातिक स्वामित्व हित के साथ मतदान का अधिकार है। जिस देश में उसका निगमितीकरण अथवा पंजीकरण किया गया है मुख्यतः वहीं उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान हैं।

dEiuh dk uke	eq[; xfrfof/k;k	fuxferhdj.k dk ns'k	bfDoVh fgr dk ifr'kr	
			31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी / डाटा	भारत	100	100
महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड	दूरसंचार सेवाएं	मॉरीशस	100	100
एमटीएमएल डाटा लिमिटेड*	दूरसंचार सेवाएं	मॉरीशस	100	100
एमटीएमएल इंटरनेशनल लिमिटेड*	दूरसंचार सेवाएं	मॉरीशस	100	100

ये कंपनियां महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड की उप अनुषंगी कंपनियां हैं।

¼ch½ lg;ksxh dEifu;ksa vkSj la;qDr m|eksa esa fgr

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार मूल कंपनी की निम्नलिखित सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम हैं। निदेशकों की राय में ये मूल कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। नीचे दी गई कंपनियों की शेयर पूंजी है, जिसमें मूल कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से धारित केवल इक्विटी शेयर हैं। जिस देश में उसका निगमितीकरण अथवा पंजीकरण किया गया है मुख्यतः वहीं उसके व्यवसाय का स्थान हैं। उसके पास समानुपाती स्वामित्व हित जितने अनुपात में है, मतदान का अधिकार उतना ही है।

dEiuh dk uke	O;olk; dk LFkku	bfDoVh fgr dk %	laca/k	ys[kkdj.k i)fr
यूनाइटेड टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड*	नेपाल	26.68	सहयोगी	इक्विटी पद्धति
एमटीएनएल एसटीपीआईआईटी सर्विसेज लिमिटेड'*	भारत	50.00	संयुक्त उद्यम	इक्विटी पद्धति

(1) यूटीएल नेपाल में बेसिक, मोबाइल, एनएलडी, आईएलडी और डाटा सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं।

(2) एमएसआईटीएस आर्थिक गतिविधियों के चुने हुए क्षेत्रों में विशेषतः डाटा सेंटर सेवाएं, मेसेजिंग सेवाएं आर्थिक गतिविधियों के निश्चित क्षेत्रों में बिजनेस एप्लीकेशन सेवाएं प्रदान करती है, उसके द्वारा विश्व के नेटवर्क से जुड़े समुदाय में .in domain का भी प्रचार करती है।

*गैर सूचीबद्ध कंपनी–कोई उद्धृत कीमत उपलब्ध नहीं

**चालू वर्ष में मूल कंपनी ने यूटीएल को अपने हित बेचने का प्रस्ताव किया है तथा ऐसे निवेश को ''बिक्री हेतु धारित'' रूप में वर्गीकृत किया है विवरण के लिए टिप्पणी 23 देखें।

(i) lg;ksxh dEifu;ksa vkSj la;qDr m|eksa dh dkbZ ifrc)rk,sa vkSj vkdfLed ns;rk,sa ugha gSa ftlds fy, eqy dEiuh mÙkjnk;h gksA

(ii) lg;ksxh vkSj la;qDr m|eksa dh foÙkh; lwpukvksa dk lkjka'k

मूल कंपनी के महत्पूर्ण संयुक्त उ़द्यमों और सहयोगी कंपनियों की वित्तीय सूचनाओं का सारांश नीचे तालिका में दिया गया है। प्रकट की गई सूचना वित्तीय विवरण में संबंधित सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की राशि को दर्शाती हैं और उस राशि में एमटीएनएल के शेयर को नहीं। इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए कंपनी द्वारा समायोजन को दर्शाने के लिए संशोधन किए गए हैं जिसमें अधिग्रहण के समय किए गए उचित मूल्य समायोजन और अंतरों के लिए लेखाकरण पद्धतियों में आशोधन शामिल हैं।

(रुपये करोड़ में)

rqyui= dk lkjka'k	;ukbVsM VsyhdE;qfuds'ku fyfeVsM		,eVh,u,y ,lVhihvkbZ vkbZVh lfoZlst fyfeVsM	
	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
चालू परिसंपत्तियां				
नकदी और नकदी समतुल्य	0.06	0.15	6.31	4.91
अन्य परिसंपत्तियां	21.01	21.69	0.35	0.55
कुल चालू परिसंपत्तियां	21.07	21.84	6.66	5.46
dqy xSj&pkyw ifjlaifÙk;ka	**27.63**	**27.67**	**1.18**	**1.40**
चालू देयताएं				
व्यापार देय	-	-	0.02	0.02
वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	-	-	0.78	0.41
अन्य देयताएं	171.13	90.88	1.68	1.17
dqy pkyw ns;rk,a	**171.13**	**90.88**	**2.48**	**1.60**
गैर चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं (व्यापार देय को छोड़कर)	153.10	152.72	-	-
अन्य देयताएं	-	-	-	-
dqy xSj pkyw ns;rk,a	**153.10**	**152.72**	**-**	**-**
fuoy ifjlaifÙk;ka	**(275.53)**	**(194.09)**	**5.36**	**5.26**

j[kko jkf'k dk feyku

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	;ukbVsM VsyhdE;qfuds'ku fyfeVsM		,eVh,u,y ,lVhihvkbZ vkbZVh lfoZlst fyfeVsM	
	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
प्रारंभिक निवल परिसंपत्तियां	(195.97)	12.25	7.46	6.00
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(79.55)	(57.48)	1.86	1.46
भुगतान किया गया लाभांश	-	-	(2.31)	-
अन्य इक्विटी –संपरिवर्तनीय ऋण (इक्विटी पद्धति को न बनाते हुए)	-	(150.74)	-	-
vfre fuoy ifjlaifÙk;ka	(275.52)	(195.97)	7.01	7.46
मूल कंपनी का शेयर % में	26.68%	26.68%	50.00%	50.00%
मूल कंपनी का शेयर भारतीय रुपये में	(73.51)	(52.28)	3.51	3.73
घटायाः अन्य शेयरधारकों का इक्विटी पद्धति में समायोजित न किया गया अंशदान	36.56	15.33	-	-

fooj.k	;ukbVM VyhdE;fud'kl fyfeVM		,eVh,u,y ,lVhihvkbl vkbVh lfolt fyfeVM	
	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
जोड़ः निवेश के रखाव मूल्य तक सीमित हानि का हिस्सा	36.95	36.95	-	-
j[kko jkf'k	**-**	**-**	**3.51**	**3.73**

ykHk vkj gkfu fooj.k dk lkjka'k

(रुपये करोड़ में)

	;ukbVM VyhdE;fud'kl fyfeVM		,eVh,u,y ,lVhihvkbl vkbVh lfolt fyfeVM	
	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
राजस्व	-	0.20	5.76	5.34
ब्याज आय	-	-	0.39	0.38
मूल्यह्रास और परिशोधन	4.43	6.14	0.12	(0.19)
आयकर खर्च	-	-	0.63	(0.60)
lrr ifjpkyuks ls ykHk	**(79.55)**	**(57.48)**	**1.86**	**1.46**
असतत परिचालकों से लाभ	-	-	-	-
o"kl ds fy, ykHk	**(79.55)**	**(57.48)**	**1.86**	**1.46**
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-
dqy 0;kid vk;	**(79.55)**	**(57.48)**	**1.86**	**1.46**
प्राप्त लाभांश	-	-	-	-

52- deZpkjh fgr ykHk ckè;rk,a

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpl 2020		31 ekpl 2019	
	pkyw	xSj&pkyw	pkyw	xSj&pkyw
उपदान	16.25	137.43	81.71	318.53
प्रतिपूरित अनुपस्थिति (अनिधिक)	22.99	198.59	223.02	896.06
dqy	**39.24**	**336.02**	**304.73**	**1,214.59**

minku ¼xzP;qVh½

कंपनी द्वारा भारत में कर्मचारियों को उपदान का भुगतान, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार किया जाता है। 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले कर्मचारी उपदान के पात्र हैं। सेवानिवृत्ति/सेवासमाप्ति पर उपदान के भुगतान की राशि की गणना कर्मचारी द्वारा प्रतिमाह लिए गए अंतिम मूल वेतन को की गई सेवा के वर्षों की संख्या को समानुपातिक रूप से 15 दिनों के वेतन से गुणा करके की जाती है।

निधिक योजना के लिए, कंपनी भारत में पहचानी गई कर्ज आधारित निधियों में अंशदान करती है। कंपनी देयता का पूरा निधीयन नहीं करती है तथा प्रत्याशित भुगतानों के आकलन के आधार पर निर्धारित अवधि के लिए निधीयन का लक्ष्य निश्चित करती है। योजना की अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रत्याशित अंशदान की राशि रुपये 7.35 करोड़ (पिछले वर्ष–रुपये 19.19 करोड़) है। 31 मार्च, 2019 के अनुसार परिभाषित हितलाभ बाध्यता की भारित औसत अवधि 12 से 13 वर्ष (31 मार्च, 2019: 7 से 8 वर्ष) है।

ए. उपदान का प्रकटन

(i) ykHk vkj gkfu d fooj.k e igpkuh xbl jkf'k dk fooj.k fuEufyf[kr g&

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
चालू सेवा लागत	6.74	20.54
लाभ और हानि विवरण में पहचानी गई राशि	6.74	20.54

(ii) r|yu&i= e igpkuh xbl n;rkvk e mrkj&p<ko fuEufyf[kr g%

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	400.24	388.16
चालू सेवा लागत	6.74	20.54
पूर्व सेवा लागत अभिलाभों/(हानियों) की कमी सहित		
ब्याज लागत	30.58	29.69
वर्ष के दौरान पहचानी गई बीमांकिक हानि	103.60	10.35
प्रदत्त हितलाभ	(387.47)	(48.50)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	153.69	400.24

(iii) r|yu&i= e igpkuh xbl ;kstukxr ifjlaifÙk e mrkj&p<ko fuEufyf[kr g%

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
o"k d ikjHk e ;kstukxr ifjlaifÙk;k dk mfpr eY;	**559.64**	**510.30**
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ (रिटर्न)	42.76	39.04
एमटीएनएल से /को अंतरण	(313.63)	-
एमटीएनएल से प्राप्य	67.08	12.08
प्रीमियम मोचन आरक्षित निधि	0.07	(4.67)
अग्रिम आय	-	(0.08)
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक अभिलाभ	(11.73)	2.97
ब्याज के लिए प्रावधान	(73.84)	-
o"k d vr e ;kstukxr ifjlaifÙk;k dk mfpr eY;	**270.35**	**559.64**
योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ (रिटर्न)	31.03	42.01

(iv) chekfdd ¼vfHkykHk½@gkfu dk fooj.k

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन से बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	0.08	-
वित्तीय धारणा में परिवर्तन से बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	22.12	(2.79)
अनुभव समायोजन से बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	93.12	10.18
कुल बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	115.32	7.39

(v) chekfdd ekkj.kk,i

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
बट्टा दर	6.84%	7.65%
मूल वेतन में भावी वृद्धि	3.50%	3.50%
महंगाई भत्ता में भावी वृद्धि	4.00%	4.00%

ये धारणाएं प्रबंधन द्वारा स्वतंत्र बीमांकक मूल्यांककों की सहायता से तैयार की गई थीं। बट्टा घटक प्रत्येक वर्ष के अंत में संबंधित आर्थिक बाजार के सरकारी बॉण्ड, जिनकी परिपक्वता संबंधित दायित्व की अवधि के सन्निकट हो, के द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अन्य धारणाएं प्रबंधन के पूर्व अनुभव पर आधारित है।

(vi) minku nk;rk dk lonu'khyrk fo'ys"k.k

(रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
cVVk nj e ifjorlu dk iHkko		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	153.69	400.24
– 0.50% की वृद्धि से प्रभाव	(6.64)	(8.44)
– 0.50% की कमी से प्रभाव	7.16	8.92
osru c<kÙkjh d ifjorlu l iHkko		
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	153.69	400.24
– 0.50% की वृद्धि से प्रभाव	5.40	9.19
– 0.50% की कमी से प्रभाव	(5.52)	(8.82)

उपर्युक्त संवेदनशील विश्लेषण धारणा में परिवर्तन पर आधारित है जबकि धारित शेष सभी धारणाएं स्थिर बनी रहें। वस्तुतः इसके न होने की संभावना कम ही होती है और कुछ धारणाओं में परिवर्तन का आपस में संबध हो सकता है। जब बीमांकिक धारणाओं में परिभाषित हितलाभ दायित्वों की संवेदनशीलता की गणना की गई है तब उसी पद्धति (रिर्पोटिंग अवधि की समाप्ति पर प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट पद्धति के साथ परिभाषित हितलाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य की गणना की जाती है) का प्रयोग किया गया है। तुलन पत्र में पहचानी गई परिभाषित हितलाभ बाध्यता देयताओं की गणना में इसका प्रयोग किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में धारणाओं की पद्धति और प्रकार में पूर्व वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(vii) ifjHkkf"kr fgrykHk ckè;rkvk dh ifjiDork dh :ij[kk

fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
अगले 12 माह में	16.25	81.71
1–5 वर्ष के बीच	38.79	221.15
5–10 वर्ष के बीच	98.64	84.86
10 वर्ष से अधिक		12.52

(viii) minku U;kl esa fuos'k dh Js.kh

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-
कॉरपोरेट बॉण्ड	30.69	197.78
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	37.29	213.58
म्यूच्युअल फंड	66.13	140.60
भारतीय जीवन बीमा निगम	19.58	7.68
dqy	**153.69**	**559.64**

ch- ifrifjr vuqifLFkfr ¼vfufekd½

छुट्टी बाध्यताओं में बीमारी और अर्जित छुट्टी में देयता का उत्तरदायित्व कंपनी का है। कंपनी के पास ऊपर दर्शाए गए शेष के वर्तमान प्रावधान की बाध्यताओं के निपटान को शर्तरहित आस्थगित करने का अधिकार नहीं है। पूर्व अनुभव के आधार पर कंपनी यह आशा नहीं करती कि सभी कर्मचारी उपार्जित छुट्टी की पूरी राशि लेंगे अथवा अगले 12 माह के अंदर भुगतान की आवश्यकता होगी अतः स्वतंत्र बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर निश्चित राशि चालू रूप में तथा शेष गैर चालू के रूप में निरूपित की गई है। रुपये 269.40 करोड़ (पिछले वर्ष 181.87 करोड़) की राशि लाभ तथा हानि के विवरण में पहचानी गई है।

lh- ifjHkkf"kr va'knku ;kstuk

सरकारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान किया जाता है जिसमें लागू अधिनियमों के अंतर्गत सभी कर्मचारी आ जाते हैं। पात्र कर्मचारी और समूह पूर्व निर्धारित राशि का अंशदान भविष्य निधि में करते हैं। सामान्यतः अंशदान कर्मचारी के वेतन के अनुपात में होता है।

समूह द्वारा लाभ और हानि विवरण में निम्नलिखित राशि की पहचान की गई।

fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान*	58.74	60.66
डीओटी कर्मचारियों के लिए छुट्टी नकदीकरण का अंशदान**	0.75	1.31
डीओटी कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान***	1.05	1.77
कंपनी कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान****	73.07	95.51

* सीपीएफ के अंशदान के रूप में उल्लिखित

** छुट्टी नकदी के रूप में उल्लिखित – अन्य

*** पेंशन अंशदान के रूप में उल्लिखित – अन्य

**** पेंशन अंशदान के रूप में उल्लिखित – कंपनी कर्मचारी

डी. उपदान और प्रतिपूरित अनुपस्थितियों का भुगतान कर्मचारी की मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा अधिवर्षिता आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति पर किया जाता है। इन संभावित घटनाओं के लिए बीमांकक ने सेवाकाल में मृत्यु के लिए एलआईसी (1994–96) अल्टीमेट तालिका और सेवानिवृत्ति पर मृत्यु के लिए एलआईसी (1996–98) तालिका का उपयोग किया है।

ई. सेवा काल में मृत्यु को एलआईसी (1994–96) की अल्टीमेट तालिका और सेवानिवृत्ति पर मृत्यु को एलआईसी (1996–98) तालिका के आधार पर कल्पित किया गया है।

एफ. समूह ने अपने सेवानिवृत्त एवं सेवारत कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ देने के लिए बीमा पॉलिसी ली है। इस बीमा पॉलिसी की राशि पूर्णतः समूह द्वारा दी जाती है।

53- lcf/kr i{k idVu

संबंधित पक्षों का जहां नियंत्रण है:

i. ie[k icU/ku dkfeZd

uke	inuke
श्री पी.के. पुरवार	15/07/2019 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एम.वी. जोशी	निदेशक (वित्त) 05.11.2018 से
श्री सुनील कुमार	निदेशक (मानव संसाधन) तथा 16/07/2019 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री संजीव कुमार	निदेशक (तकनीकी)
श्री एस. आर. स्याल	कंपनी सचिव
श्री हरवेश भाटिया	कार्यकारी निदेशक, दिल्ली 31/12/2019 तक
श्री एस. पी. राय	कार्यकारी निदेशक, दिल्ली 01/01/2020 से
श्री ए. के. श्रीवास्तव	कार्यकारी निदेशक, मुंबई 01/06/2019 से 30/11/2019 तक
श्री वी. श्रीशंकर	कार्यकारी निदेशक, मुंबई 01/12/2019 से
श्री प्रवीण पुंज	कार्यकारी निदेशक, मुंबई 31/05/2019 तक

ii. l;qDr m|e

एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड ('एमएसआईएसएल')

iii. lg;ksxh dEifu;k

यूनाइटेड टेलीकम्यूनिकेशंस लिमिटेड ('यूटीएल')*

iv. vU; lac) i{k

एमटीएनएल छुट्टी नकदीकरण न्यास

एमटीएनएल उपदान न्यास

v. vU; ljdkjh laLFkk

भारत संचार निगम लिमिटेड ('बीएसएनएल')

vi. lcf/kr i{kks ls egRoiw.kZ yu&nu dk lkjka'k%

fooj.k	lekIr o"kZ ds fy,	
	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक		
अल्पावधि कर्मचारी लाभ	1.96	2.71
रोजगार पश्चात लाभ	0.12	0.30
अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ	0.23	0.44
एमएसआईएसएल से प्राप्त राशि	0.46	1.14

vii. lcfèkr i{kks ls egRoiw.kZ cdk;k 'ks"k dk lkjka'k

(रुपये करोड़ में)

	'ks;jksa esa fuos'k	
fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
एमएसआईएसएल	3.51	3.73
यूटीएल	35.85	35.85

viii. समूह की सेवाओं की खरीद तथा बिक्री के संबंध में कुछ लेनदेन हैं और अचल संपत्ति के किराये से खर्चें की प्रतिपूर्ति (जैसे बिजली और पानी का प्रभार) बीएसएनएल से प्राप्त करता है।

*एमटीएनएल, टीसीआईएल, टीसीएल तथा एनवीपीएल (नेपाल), जिन्हें यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड (यूटीएल) में निवेश करने पर सामूहिक रूप से 'निवेशक' कहा गया है, के बीच हुए शेयरधारकों के समझौते की धारा 12.19 (बी) के साथ पठित संशोधित समझौते (जिसे संशोधित समझौता कहा गया है) के पैरा 27 के अनुसार यदि एनवीपीएल (नेपाल का स्थानीय साझेदार) अपना हित (स्टेक) किसी तीसरे पक्ष को बेचने का निर्णय लेता है तो इसे अन्य निवेशकों की पूर्व सहमति लेने की आवश्यकता होगी। साथ ही ऐसे समय पर समझौते के बहिर्गमन खंड के अनुसार एनवीपीएल को छोड़कर कोई अन्य निवेशक संशोधित समझौते से 2 वर्ष के बाद 3 माह का नोटिस देकर इस व्यवस्था से बाहर आ सकते हैं। इस बहिर्गमन खंड के अनुसरण में मूल कंपनी ने बाहर निकलने के लिए यूटीएल को 30 जनवरी 2018 को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 30 अप्रैल 2018 तक वैध है तथा 30 अप्रैल 2018 के बाद के लिए स्थानीय साझेदार ने मूल कंपनी द्वारा किए गए बहिर्गमन के अनुरोध को प्रभावी बनाने के लिए 3 माह अर्थात 30 जुलाई 2018 तक का समय विस्तार मांगा था। तदनुसार ऐसे निवेश को 31 मार्च 2019 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'बिक्री हेतु रखा गया' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेपाल में भारतीय एफडीआई का प्रत्यावर्तन नेपाल के सरकारी विभाग से अनुमोदन की प्रक्रियाधीन है और अभी नेपाल सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाना है। एमटीएनएल ने प्रक्रिया के शीघ्र निपटान के लिए नेपाल में भारत के राजदूत के साथ दूरसंचार विभाग के माध्यम से इस मामले को उठाया जिससे यूटीएल में निवेश किए गए राशि को शीघ्र एमटीएनएल को वापस दिया जा सके। विवरण के लिए टिप्पणी 23 देंखें ।

54- vkdfLed n;rkvksa] ykfcr eqdneksa ,oa iwathxr çfrc)rkvksa dk fooj.k%

	fooj.k	31 ekpZ 2020	31 ekpZ 2019
ए	आयकर मांगें विवादित एवं अपील के अधीन^	364.93	400.57
बी	बिक्रीकर, सेवाकर, उत्पाद शुल्क, नगरपालिका कर मांगें, विवादित एवं अपील के अधीन	835.49	837.34
सी	(i) विलंबित भुगतानों / लंबित न्यायालय मामलों / कर मामलों पर डीडीए को ब्याज (ii) मूल कंपनी द्वारा अधिगृहीत भूमि और भवनों पर देय स्टाम्प शुल्क	राशि अनिश्चित राशि वर्तमान में अनिश्चेय	राशि अनिश्चित राशि वर्तमान में अनिश्चेय
डी	मूल कंपनी के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया	654.31	3,234.93
ई	लंबित मध्यस्थता / न्यायालय मामले	2,500.99	2,440.63
एफ	बैंक गारंटी एवं साख–पत्र	86.35	90.13
जी	निदेशिका विवाद	55.43	53.49
एच	भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लंबित न्यायालय मामले	4.87	4.87
आई	नेटिंग आधार पर भुगतान किए बीएसएनएल प्रभारों के संदर्भ में लाइसेंस शुल्क संबंधी आकस्मिक देयता	140.36	140.36
जे	अनंतिम आकलन के संदर्भ में लाइसेंस शुल्क संबंधी आकस्मिक देयता	2865.04	1,197.07
के	दूरसंचार विभाग द्वारा दिया गया बीटीएस से सबंधित अर्थ दंड	84.25	84.25

^ऊपर 1 (ए) में दर्शाए गए अनुसार आयकर के कारण आकस्मिक देयता में टीडीएस विभाग से प्राप्त वे विभिन्न नोटिस शामिल नहीं हैं, जिनमें दाखिल किए गए रिटर्न के साथ उनके रिकार्ड का मिलान न होने के कारण मांग पैदा हुई।

55- çfrc)rk,a

,- रिपोर्ट अवधि के अंत में संविदागत पूंजीगत व्यय लेकिन जिसे देयताओं के रूप में नहीं पहचाना गया इस प्रकार से हैं:–

बी. अधूरी संविदाओं पर किया गया व्यय पहले ही संविदा मूल्य से अधिक हो गया है, उसे पूरा करने के लिए अतिरिक्त व्यय अपेक्षित है जिसकी मात्रा नहीं बताई जा सकती।

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर	51.81	68.26

56. खंड सूचना

समूह का प्रबंधन प्रदान की जा रही सेवाओं के आधार पर समूह के निष्पादन की समीक्षा करता है और रिपोर्ट किए जाने योग्य दो खंडों की पहचान की है:

i मूल (बेसिक) और अन्य सेवाएं

ii सेल्युलर सेवाएं

ए. खंड राजस्व और परिणाम

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020					31 मार्च 2019				
	बेसिक एवं अन्य सेवाएं	सेल्युलर	आबंटन के योग्य नहीं	अंतर-खंड (इंटर सेगमेंट) समायोजन	कुल	बेसिक एवं अन्य सेवाएं	सेल्युलर	आबंटन के योग्य नहीं	अंतर-खंड (इंटर सेगमेंट) समायोजन	कुल
परिचालन से राजस्व	1,384.28	239.83	1.48	(2.05)	1,623.55	1,714.97	367.27	7.34	(4.18)	2,085.41
ब्याज आय, अपवादात्मक मदों, वित्तीय लागत और कर पूर्व खंड परिणाम	(1,496.58)	(631.42)	233.53	-	(1,894.47)	(1,168.98)	(645.34)	35.21	-	(1,779.10)
जोड़ें: ब्याज आय					143.24					95.72
घटाएं: वित्तीय लागत					(1,941.66)					(1,703.18)
जोड़ें: सहयोगी और संयुक्त उद्यमों से लाभ और हानि का हिस्सा					0.23					(0.64)
कर पूर्व हानि					**(3,692.66)**					**(3,387.21)**
घटाएं: कर खर्च					1.06					0.88
कर पश्चात हानि					**(3,693.72)**					**(3,388.09)**
अन्य व्यापक आय/(हानि)					(120.44)					(7.75)
कुल अन्य व्यापक हानि					**(3,814.17)**					**(3,395.84)**

बी. प्रयुक्त पूंजी

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020				31 मार्च 2019			
	बेसिक एवं अन्य सेवाएं	सेल्युलर	आबंटन अयोग्य विलोपन	कुल	बेसिक एवं अन्य सेवाएं	सेल्युलर	आबंटन अयोग्य विलोपन	कुल
खंड परिसंपत्तियां (ए)	7,291.11	4,961.73	4,435.22	16,688.06	7,675.46	5,107.65	1,921.38	14,704.49
खंड देयताएं (बी)	5,961.51	22,535.62	1,773.02	30,270.16	4,253.58	21,160.38	(981.64)	24,432.32
प्रयुक्त पूंजी (ए–बी)	1,329.61	(17,573.90)	2,662.20	(13,582.09)	3,421.88	(16,052.73)	2,903.02	(9,727.83)

टिप्पणी :

i समूह द्वारा परिचालन खंड की पहचान सेवाओं की प्रकृति, सबंधित जोखिम और प्रतिफल और आंतरिक रिपोर्टिंग पद्धति को ध्यान में रखकर इस प्रकार की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि मुख्य प्रचालन प्रबंधनकर्ता द्वारा परिचालन परिणामों की समीक्षा नियमित रूप से ऐसे खंडों को संसाधन आबंटित करने के लिए निर्णय करने और उसके निष्पादन के आकलन के उद्देश्य से की जाती है।

ii समूह मुख्यतः दो महानगरों दिल्ली और मुंबई की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से कार्य करती है, जिनमें जोखिम और प्रतिलाभ (रिटर्न) एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। अतः रिपोर्ट योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं हैं।

iii खंड राजस्व, खंड परिणाम, खंड परिसंपत्तियां और खंड देयताओं में प्रत्येक परिचालन खंड की संबंधित पहचान योग्य राशि शामिल है। जो मदें व्यवसाय खंड को प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है उन्हें अनाबंटन के रूप में दर्शाया गया है।

57- Hkkjrh; y[kk ekud 116 iÍs

समूह के पास कार्यालय भवन, टॉवरों तथा संबद्ध सुविधाओं एवं कारों के पट्टे हैं। लघु अवधि पट्टों तथा कम मूल्य की आधारभूत परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टे को तुलन–पत्र में परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार तथा पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक (इंडेक्स) अथवा दर पर निर्भर नहीं होते, को पट्टा देयता तथा परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार के प्रारंभिक मापन से हटा दिया जाता है। समूह अपनी संपत्ति, संयंत्र अथवा उपकरण के अनुरूप अपनी परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करता है।

प्रत्येक पट्टा सामान्यतः यह प्रतिबंध लगाता है कि परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार का प्रयोग केवल समूह द्वारा ही किया जा सकता है जब तक समूह के पास परिसंपत्ति को अन्य पार्टी को उप पट्टा पद देने का संविदागत अधिकार न हो। कुछ पट्टों में आगे की अवधि के लिए पट्टों को विस्तारित करने का विकल्प होता है। समूह के लिए आधारभूत पट्टा परिसंपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में बेचना अथवा गिरवी रखना वर्जित है। कार्यालय भवन तथा अत्य परिसरों को पट्टे पर देने के लिए समूह को इन परिसंपत्तियों को सही दशा में रखना तथा पट्टे की समाप्ति पर संपत्तियों को उनकी वास्तविक स्थिति में वापस करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, समूह को पट्टा संविदा के अनुसार अनुरक्षण–शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

¼,½ iÍk Hkqxrku tks iÍk ns;rkvksa dh x.kuk esa 'kkfey ugha gS

पट्टा देयताओं की गणना में भुगतान से संबंधित जो व्यय शामिल नहीं है वे निम्न प्रकार हैंः–

fooj.k	31 ekpZ 2020
परिवर्तनशील पट्टा भुगतान	46.11

(बी) अवधि के दौरान पट्टा देयताओं की रखाव राशि (ऋणों के अंतर्गत) तथा उतार–चढ़ाव निम्नानुसार हैंः

fooj.k	31 ekpZ 2020
प्रारंभिक शेष	353.90
जोडे गए	6.43
घटाए गए	(0.61)
ब्याज अभिवृद्धि	29.82
विनिमय अंतर	(0.03)
भुगतान	(63.73)
vUr 'ks"k	**325.78**
pkyw	**104.04**
xSj&pkyw	**221.74**

¼lh½ समूह के पास 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए पट्टे हेतु कुल नकदी प्रवाह 109.84 करोड़ रुपये (परिवर्तनशील पट्टा भुगतानों सहित) था।

¼Mh½ पट्टा देयता को परिपक्वता विवरण के लिए कृपया टिप्पणी 49(बी) (बी) देखें।

¼b½ विस्तार एवं समाप्ति विकल्पों के संबंध में सूचना।

ifj lEifÙk;ksa d s iz;ksx dk vf/kdkj	iÍksa dh la[;k	'ks"k vof/k dh lhek	vkSlr 'ks"k iÍk vof/k	foLrkj fodYi lfgr iÍksa dh la[;k	[kjhn fodYi ds lkFk iÍksa dh la[;k	lekfIr fodYi lfgr iÍksa dh la[;k
टॉवर	1,608	3-21 वर्ष	12 वर्ष	424	-	-
भवन	37	1- 3 वर्ष	3 वर्ष	-	-	37
पट्टा भूमि	3	1- 50 वर्ष	49 वर्ष	3	-	3

¼,Q½ ifjorZu ¼Vªkath'ku½ ls iHkko

1. समूह ने 1 अप्रैल 2019 से भारतीय लेखामानक 116 ''पट्टे'' का स्वीकरण कर लिया तथा 1 अप्रैल 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति को लागू किया। परिवर्तन पर, नए मानक को ग्रहण करने के फलस्वरूप 353.90 करोड़ रुपये की पट्टा देयता तथा समरूप 560.57 करोड़ रुपये के परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार की पहचान हुई।

2. 1 अप्रैल 2019 को संविदाओं के लिए, समूह ने भारतीय लेखा मानक 17 से पट्टे की परिभाषा को लागू करने का निर्णय किया है तथा व्यवस्थाओं के लिए भारतीय लेखामानक 116 को लागू नहीं किया जो पहले भारतीय लेखामानक 17 के अंतर्गत पट्टे के रूप में पहचाने नहीं गए थे।

3. समूह ने 1 अप्रैल 2019 को भारतीय लेखामानक 116 को लागू करने की प्रारंभिक दिनांक को विद्यमान परिचालन पट्टों के लिए परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के मापन में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को सम्मिलित न करने का निर्णय लिया है।

4. लागू करने की प्रारंभिक दिनांक पर परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार पर लागू करने की क्षति–समीक्षा करने के स्थान पर समूह उसके पूर्व के मूल्यांकन पर निर्भर रहा है कि क्या पट्टे भारतीय लेखामानक 116 के लागू करने की प्रारंभिक दिनांक से तुरंत पहले भारयुक्त थे।

5. परिवर्तन पर 12 माह से कम की शेष पट्टा समयावधि वाली प्रचालन पट्टों के रूप में पहले हिसाब में रखे गए पट्टों तथा कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए समूह ने परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की पहचान न करने के लिए नहीं, बल्कि शेष पट्टा समयावधि पर सीधी रेखा पद्धति पर पट्टा व्यय का लेखा जोखा करने के लिए वैकल्पिक छूट लागू की है।

6. वे पट्टे जो पहले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं उनके लिए अनुप्रयोग की प्रारंभिक दिनांक से तुरंत पूर्व भारतीय लेखा मानक 17 के अंतर्गत उन्हीं राशियों पर प्रारंभिक अनुप्रयोग की दिनांक पर परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार तथा पट्टा देयता को मापा जाता है।

7. भारतीय लेखा मानक 116 में परिवर्तन पर, पट्टा देयताओं पर लागू भारित औसत वृद्धिमान उधार ग्रहण दर 8.79% पहचानी गई थी।

8. समूह ने भारतीय लेखामानक 17 के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को किन्हीं पट्टा दायित्वों को प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि चल रहे पट्टों को रद्द करने योग्य समझा गया था और जबकि 1 अप्रैल 2019 को पट्टा देयताओं का मूल्य मुख्यतः आकलन विस्तार विकल्पों जिनका समुचित रूप से निश्चित प्रयोग किया जाना है तथा समाप्ति विकल्पों का समुचित रूप से निश्चित प्रयोग नहीं किया जाना है। उस प्रकार की पट्टा देयताओं को छूट देने भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के प्रभाव के कारण है।

58- diuh vf/kfu;e 2013 dh vuqlwph **III** esa lefdr foÙkh; fooj.kksa dh rS;kjh grq lkekU; vuqns'kksa ds iSjk 2 ds vuqlkj vfrfjDr lwpuk

diuh dk uke	fuoy ifjlEifÙk;ka vFkkZr dqy ifjlEifÙk;ksa esa ls ?kVkbZ xbZ dqy ns;rk,a		ykHk vFkok gkfu esa fgLlk		vU; 0;kid vk; esa fgLlk		dqy 0;kid vk; esa fgLlk	
	lesfdr fuoy ifjlEifÙk;ksa ds % ds :i esa*	jkf'k ¼#i;s eas½	lesfdr fuoy ifjlEifÙk;ksa ds % ds :i esa*	jkf'k ¼#i;s eas½	lesfdr fuoy ifjlEifÙk;ksa ds % ds :i esa*	jkf'k ¼#i;s eas½	lesfdr fuoy ifjlEifÙk;ksa ds % ds :i esa*	jkf'k ¼#i;s eas½
ewy daiuh								
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	100.03%	(13,585.65)	100.05%	(3,695.68)	95.75%	(115.32)	99.92%	(3,811.00)
Hkkjrh; lgk;d daifu;ka								
मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	-0.04%	5.44	0.00%	(0.06)	0.00%	-	0.00%	(0.06)
fons'kh lgk;d daifu;ka								
महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड	-1.00%	136.38	-0.09%	3.47	4.25%	(5.12)	0.04%	(1.66)
एमटीएमएल डाटा लिमिटेड	-0.00%	0.37	0.00%	(0.00)	0.00%	-	0.00%	(0.00)
एमटीएमएल इंटरनेशनल लिमिटेड	-0.01%	1.88	0.00%	(0.00)	0.00%	-	0.00%	(0.00)
lg;ksxh daifu;ka ¼bfDoVh i)fr ds vuqlkj fuos'k½								
fons'kh								
यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
la;qDr m|e ¼bfDoVh i)fr ds vuqlkj fuos'k½								
Hkkjrh;								
एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड	0.00%	-	-0.01%	0.23	0.00%	-	-0.01%	0.23
घटाएं: अंतर–कंपनी समायोजन/विलोपन	1.03%	(140.51)	0.05%	(1.68)	0.00%	-	0.04%	(1.68)
dqy	**100.00%**	**(13,582.09)**	**100.00%**	**(3,693.72)**	**100.00%**	**(120.44)**	**100.00%**	**(3,814.17)**

*महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के संबंध में उपर्युक्त राशियों/निवल परिसंपत्तियों तथा निवल लाभ अथवा (हानि) की प्रतिशतता अंतर–कंपनी विलोपनों/समेकन समायोजनों से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संबंधित संस्थाओं की राशियों के आधार पर निर्धारित की गई है।

59- ifrHkkfr d : i e fxjoh j[kh xbl ifjlifÙk;k

fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
चालू		
सममात्रा (पैरी–पासू) प्रभार		
माल सूची	18.54	24.17
व्यापार प्राप्य	620.74	603.85
नकदी तथा नकदी समतुल्य	142.68	74.85
अन्य बैंक जमा	13.02	20.42
ऋण	3,545.20	3,390.42
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	3,492.91	899.90
अन्य चालू परिसंपत्तियां	631.32	692.31
ifrHkkfr d : i e fxjoh j[kh xbl dy pky ifjlifÙk;k	**8,464.40**	**5,705.93**
xj&pky		
सममात्रा प्रभार		
उपकरण और संयंत्र	1,417.55	1,721.23
वाहन	1.26	1.28
फर्नीचर एवं फिक्सचर	9.33	10.58
कार्यालय की मशीनरी एवं उपस्कर	1.81	1.97
विद्युत उपकरण	14.21	13.42
कंम्प्यूटर	16.58	17.75
ifrHkkfr d : i e fxjoh j[kh xbl dy xj&pky ifjlifÙk;k	**1,460.74**	**1,766.24**
ifrHkkfr d : i e fxjoh j[kh xbl dy ifjlifÙk;k	**9,925.14**	**7,472.17**

60- l{e] y?k vkj eè;e m|e fodkl ¼,e,l,ebMh vfèkfu;e] 2006½ d vrxr idVu fuEu idkj l g%

(रुपये करोड़ में)

	fooj.k	31 ekpl 2020	31 ekpl 2019
(i)	प्रत्येक लेखाकंन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान के लिए बकाया मूलधन और उसका ब्याज;	37.98	5.35
(ii)	धारा 16 की शर्तों के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि के साथ प्रत्येक लेखावर्ष के दौरान निश्चित दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	शून्य	शून्य
(iii)	ब्याज की देय राशि तथा भुगतान करने (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया जा चुका है, परन्तु निश्चित दिन के बाद) में विलंब के कारण भुगतान योग्य राशि, जिसमें एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में विहित किए गए अनुसार ब्याज नहीं जोड़ा गया है;	शून्य	शून्य
(iv)	प्रोद्भूत ब्याज की राशि और जो प्रत्येक लेखा–वर्ष के अंत तक अदत्त रही;	9.17	शून्य
(v)	उत्तरवर्ती वर्षों में भी देय तथा आगे बकाया ब्याज की राशि उस तिथि तक, जब उपर्युक्त देय ब्याज का लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान किया जाता है। जो धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अनुमति नहीं देने के उद्देश्य से है।	शून्य	शून्य

सूक्ष्म लघु तथा मध्यम आय विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समूह विक्रेताओं की स्थिति के संबंध में पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। उक्त प्रकटीकरण उस सीमा तक निश्चित किया गया है, जहां तक समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है।

60, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत मूल कंपनी आती है और तदनुसार बोर्ड की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति गठित की गई है। तथापि, पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में मूल कंपनी को कोई औसत निवल लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, अतः मूल कंपनी को अधिनियम, 2013 की शर्तों के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कोई राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

60ch वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा रुपये 2.08 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा में व्यय किया गया है। जबकि विदेशी मुद्रा में रुपये 1.44 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है।

61- miHkkDrk d lkFk lfonkvk l jktLo

भारतीय लेखा मानक 115 उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं से राजस्व (भारतीय लेखा मानक 115) यह निर्धारित करता है कि राजस्व कितना और कब चिह्नित है और राजस्व तथा उपभोक्ता संविदाओं से उत्पन्न नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता का प्रकटन अपेक्षित है। भारतीय लेखा मानक 115 के तहत राजस्व की 5 चरणीय दृष्टिकोण के माध्यम से पहचान की गई हैः

(i) उपभोक्ताओं के साथ संविदाओं की पहचान;

(ii) संविदाओं में पृथक निष्पादन दायित्व की पहचान;

(iii) लेनदेन के मूल्य का निर्धारण;

(iv) निष्पादन दायित्व का लेनदेन मूल्य नियत करना; और

(v) निष्पादन दायित्व की पूर्ति पर गए राजस्व की पहचान

वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल 2018 के आरंभ में धारित अर्जनों में, ऐसे संचयी पकड़ समायोजन के साथ संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण के प्रयोग द्वारा समूह ने 1 अप्रैल 2018 को मानक अपनाया है, मानों मानक हमेशा ही प्रभावी था। यह मानक केवल उन्हीं संविदाओं पर लागू होगा जो 1 अप्रैल 2018 तक पूरे नहीं हुए हैं। तुलनात्मक सूचनाएं पुनः नहीं बताई गई हैं और उन अवधियों के लिए प्रभावी लेखामानकों के अंतर्गत निरंतर प्रतिवेदित की गई हैं। नए मानक को अपनाने से समूह के राजस्व और निवल आय में कोई समायोजन नहीं हुआ।

(i) lfonk ifjlifÙk;k vkj lfonk n;rkvk d lcek e igpku x, jktLo

lfonk ifjlifÙk;k e ifjorlu% (रु. करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020 dk lekIr o"k
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	201.15
जोड़ेः वर्ष के दौरान पहचाने गए राजस्व	1,420.13
घटाएंः वर्ष के दौरान बनाए गए बीजक	(1,483.31)
	137.98

संविदा देयताओं में परिवर्तनः (रु. करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2019 dk lekIr o"k
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	631.39
घटाएंः चालू वर्ष में पूरी की गई निष्पादन बाध्यताएं	(532.56)
जोडेंः वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम	444.98
	543.81

(ii) fHkUu fdLe d jktLo%

(रु. करोड़ में)

fooj.k	jkf'k
से राजस्वः	
–स्थायी टेलीफोन आय	948.32
–उद्यम व्यापार	257.33
–मोबाइल सेवाएं	235.96
–अन्य	181.95
	1,623.56

(iii) miHkkDrkvk d lkFk lfonk l lcfekr ifjlifÙk;k vkj n;rk,

(रु. करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020 d vulkj		31 ekp] 2019 d vulkj	
	xj&pky	pky	xj&pky	pky
lfonk ifjlifÙk;k				
बिल रहित प्राप्य राशियां	-	137.98	-	201.15
संविदा देयताएं				
उपभोक्ताओं से अग्रिम	-	395.71	-	457.20
आस्थगित आय	105.79	20.93	127.97	22.20
आस्थगित सक्रियण/संस्थापन शुल्क	15.05	6.34	18.35	5.67

62- बहियों में पूंजीकृत कुछ भूमियों तथा भवनों का मूल कंपनी के नाम से पंजीकरण/कानूनी रूप से प्रलेखीकरण लंबित है तथा दूरसंचार विभाग से अधिगृहीत भूसंपत्ति कंपनी के नाम अंतरित नहीं हुई है तथा पट्टेवाली भूमि के संबंध में प्रलेखीकरण अभी लंबित है। बिक्रीनामा (सेल डीड) के अनुसार दूरसंचार विभाग से 01.04.1986 के पश्चात अधिगृहीत भूमि तथा भवनों की स्टाम्प शुल्क देयता दूरसंचार विभाग की है तथा संपत्तियों की बिक्री या निपटान के समय आवश्यकतानुसार प्रलेखीकरण पर विचार किया जाएगा।

63- दूरसंचार विभाग ने एमटीएनएल पर जीएसएम तथा सीडीएमए स्पैक्ट्रम के लिए एकबारगी लगने वाले स्पैक्ट्रम प्रभार लगाए हैं तथा परीक्षण आधार पर 1800 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में 4.4 मेगाहर्ट्ज़ तक प्रदान किए गए स्पैक्ट्रम को भी गणनाओं में शामिल किया गया है। गणनाएं धारित स्पैक्ट्रम की मात्रा तथा दूरसंचार विभाग के अनुसार लाइसेंस की शेष बची वैधता अवधि में अंतरों के अधीन तथा उनके अनुसार परिवर्तनीय होगी। एमटीएनएल ने परीक्षण आधार पर उपलब्ध करवाए गए कुछ स्पैक्ट्रम को वापस लौटा दिया है तथा सीडीएमए स्पैक्ट्रम के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीडीएमए के लिए इसके पास केवल 2.5 मेगाहर्ट्ज़ स्पैक्ट्रम है। दूरसंचार विभाग को इससे अवगत करवा दिया गया है तथा इस मामले पर अभी भी पत्राचार हो रहा है। इसके अलावा परीक्षण आधार पर दिए गए स्पैक्ट्रम के लिए शुल्कों के मामलों में भी निर्णय किया जाना है। एमटीएनएल ने 28.2.2016 को सीडीएमए स्पैक्ट्रम अंतिम रूप से लौटा दिया है।

इसके अतिरिक्त प्रारंभ से ही एकबारगी स्पैक्ट्रम प्रभार लगाए जाने की दूरसंचार विभाग की नीति को ही निजी ऑपरेटरों द्वारा चुनौती दी गई है तथा आज तक यह न्यायाधीन है जबकि एमटीएनएल के मामले में भी दूरसंचार विभाग द्वारा न्यायालय के निर्णय के आधार पर निश्चित किया जाना है कि स्पैक्ट्रम को वापस किया जाना अथवा रखा जाना है। प्रभारों को अंतिम रूप दिया जाना तथा भुगतान के तरीकों को अभी निश्चित रूप दिया जाना है तथा आज की तारीख में प्रभारों एवं देयता की मात्रा की स्थिति पूरी तरह से अनिश्चित है। इस न्यायाधीन मामले का अंतिम परिणाम आने तक जो अभी तक न्यायाधीन है एवं दूरसंचार विभाग को देय प्रभारों, यदि कोई हो, की मात्रा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण लेखा बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि राशि पूर्णतः अनिश्चेय है। हालांकि 3,205.71 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता दूरसंचार विभाग द्वारा जीएसएम के संबंध में उठाई गई मांग के आधार पर दर्शाई गई है जो बहुत पुरानी है अभी तक जिसका आग्रह नहीं किया गया है। मुकद्दमेबाजी और टीडीएसएटी निर्णय में उद्योग संबंधी मुद्दे के अनुसार आकलित देयता 455.15 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती थी। दिनांक 08.01.2013 से अभी तक 3207.71 करोड़ रुपये की मांग के बाद और कोई अन्य मांग नहीं है, आकस्मिक देयता भी, यदि यह फलीभूत होती है, 455.15 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। अतः इसका प्रकटन तदनुसार किया गया है।

64- महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा क्षतिग्रस्त/गुमशुदा स्थायी परिसंपत्तियों तथा वस्तुओं के संबंध में बीमा कंपनियों के समक्ष दावे किए गए हैं लेकिन ये दावे निपटारे के लिए लंबित हैं। दावा राशि तथा वापिस ली गई परिसंपत्तियों के बीच अंतर का अंतिम समायोजन दावे के निपटान वर्ष में किया जाएगा।

65- मूल कंपनी ने वित्तीय वर्ष 1996–97 से 2005–06 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के अंतर्गत लाभ का दावा किया था। अपीलीय प्राधिकारियों ने दावा की गई राशि के 75 प्रतिशत तक के दावे की अनुमति दी है। मूल कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में शेष दावों के लिए अपील करने को वरीयता दी है। मूल कंपनी ने इस दावे हेतु आकलन वर्ष 1998–99, 1999–00 और 2000–2001 के लिए 375.96 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 375.96 करोड़ रु.) का प्रावधान बनाए रखा है। यद्यपि इस कारण आकलन वर्ष 2000–2001 से 2005–06 के लिए 243.22 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 243.22 करोड़ रु.) की मांगों को आकस्मिक आरक्षित निधि के रूप में दिखाया गया है ताकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 आईए के अंतर्गत लाभ के दावों की अनुमति न मिलने से उत्पन्न हो सकने वाली आकस्मिकताओं को पूरा किया जा सके।

66- e|dne|ckth

ए) एमटीएनएल ने मैसर्स एम एंड एन पब्लिकेशंस लिमिटेड के साथ दिल्ली व मुंबई यूनिट के लिए 1993 से प्रारम्भ होने वाली 5 वर्ष की अवधि के लिए टेलीफोन निदेशिकाएं छापने, प्रकाशित करने तथा आपूर्ति करने के लिए संविदा की थी। मैसर्स एम एंड एन पब्लिकेशन लिमिटेड ने 1993 के अंक (मुख्य तथा अनुपूरक) तथा 1994 की मुख्य निदेशिका छापने एवं जारी करने के बाद 4.4.1996 को संविदा को समय से पहले समाप्त कर दिया। एमटीएनएल मुंबई और दिल्ली ने 09.04.1996 को बैंक गारंटी के लिए अनुरोध किया तथा 22.07.1996 को कानूनी नोटिस दिया तथा संविदा समाप्त कर दी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल द्वारा एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गई है। एकमात्र मध्यस्थ ने दि. 09–04–2013 को आंशिक रूप से एमटीएनएल मुंबई और दिनांक 31.07.2013 को एमटीएनएल दिल्ली के पक्ष में अपना निर्णय दिया है। माध्यस्थम् के अंतर्गत दावे तथा प्रतिदावे का लेखांकन उस वर्ष किया जाएगा जब उसका अंतिम संग्रहण/भुगतान तर्कसंगत रूप से निश्चित हो जाएगा। मैसर्स एम एंड एन पब्लिकेशन माध्यस्थम् के निर्णय के विरुद्ध बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालय गया है तथा एमटीएनएल भी देय शेष राशि के लिए बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालय गया है।

इस लेखे में 49.04 करोड़ रुपये का दावा दिल्ली इकाई में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है ।

बी) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशानुसार 158.92 करोड़ रुपये के दावे के लिए एक यूएएसएल ऑपरेटर ने एमटीएनएल, मुंबई को वर्ष 2004–05 और 2005–06 में क्रमशः 124.93 करोड़ रुपये और 33.99 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया है। मूल कंपनी ने उक्त अवधि के राजस्व के रूप में इस राशि की पहचान की है। माननीय टीडीएसएटी ने 96.71 करोड़ रुपये के धनवापसी के आदेश दिए हैं। एमटीएनएल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील दाखिल की और टीडीएसएटी के आदेश पर रोक लगाने के लिए आवेदन दिया है जिन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा 08.05.2014 को निदेश दिए गए कि अपीलकर्ता के कहने पर टीडीएसएटी इन विरोधी आदेशों की समीक्षा करेगा। एमटीएनएल के द्वारा दाखिल किए गए समीक्षा आवेदन का माननीय टीडीएसएटी द्वारा दिनांक 27.05.2014 के आदेशानुसार निपटान कर दिया गया था जिस पर एमटीएनएल ने दिनांक 16.07.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी नं. 022764 याचिका दायर की और यह लंबित है। इसी दौरान यूएएसएल प्रचालक ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इस खाते के 96.71 करोड़ रुपये के दावे को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

सी) ''एमटीएनएल, मुंबई को मैसर्स बीईएसटी, विद्युत आपूर्ति प्रदाता से दावे प्राप्त हुए हैं जिनमें एमटीएनएल को औद्योगिक टैरिफ के बदले वाणिज्यिक टैरिफ की श्रेणी में रखा गया है। यह दावे एचटी कनेक्शन के संबंध में फरवरी 2007 से मई 2009 तक की अवधि और एलटी कनेक्शन के संबंध में जनवरी 2002 से अप्रैल 2011 की अवधि के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से किए गए हैं। एमटीएनएल ने बीईएसटी को इस पर पुनर्विचार करने के लिए अभ्यावेदन दिया है जिसे बीईएसटी ने स्वीकार नहीं किया। अतः एमटीएनएल माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के पास गया और बीईएसटी के 20.82 करोड़ रु. के दावे के स्थगन आदेश प्राप्त किए। प्रबंधन का मत है कि एमटीएनएल के विरूद्ध मामले का निपटान होने की बहुत कम संभावना है।''

डी) ''मोबाइल सेवाएं, दिल्ली के संबंध में अक्तूबर–09 से मार्च–10 तक की अवधि के लिए आईएलडी प्रभार हेतु मैं टीसीएल द्वारा 25.89 करोड़ रु. का दावा किया गया है जिसका मैसर्स टीसीएल को आईएलडी ट्रैफिक में तीव्र गति से बढ़ोतरी होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है। तकनीकी विश्लेषण करने पर पाया गया कि ये कॉलें संदिग्ध तथा छोटे स्थानों को की गई थीं। इन स्थानों की पुष्टि संबंधित देशों के अंतरराष्ट्रीय नंबरिंग प्लान से नहीं होती और ये स्थान स्वीकृत अन्तः सम्बद्ध (इंटरकनेक्ट) करार अनुबंध के अनुसार स्वीकृत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ये कॉलें इन गन्तव्य स्थानों पर सीधे समाप्त (टर्मिनेट) नहीं हुई हैं। इस अनुवीक्षण के संबंध में मैसर्स टीसीएल के साथ चर्चा की गई। मैसर्स टीसीएल को यह भी परामर्श दिया गया कि धोखाधड़ी से की गई कॉलों से संबंधित जो राशि बकाया है, भुगतान योग्य (देय) नहीं है तदनुसार लेखा बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस मामले को जांच के लिए समिति को सौंप दिया गया था। तत्पश्चात मैसर्स टीसीएल ने राशि की वसूली के लिए माननीय टीडीएसएटी में मामला दर्ज कराया जिसका निर्णय प्रतीक्षित है। इस खाते के 25.89 करोड़ रुपये के दावे को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।''

इसके अतिरिक्त, समूह पर विधिक कार्यवाहियां और दावे हैं, जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया से उत्पन्न हैं। समूह प्रबंधन का यह मानना है कि अंत में जब ये विधिक कार्यवाहियां समाप्त और निर्धारित होंगी तो समूह के वित्तीय विवरणों पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

67- ch,l,u,y d lkFk fuiVku

ए) बीएसएनएल से वसूली योग्य राशि 5,584.66 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 5,455.62 करोड़ रुपये) और भुगतान योग्य राशि 2,065.05 करोड़ रुपये (2,051.34 करोड़ रुपये) है। वसूली योग्य निवल राशि 3,519.61 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3,404.28 करोड़ रुपये) समाधान और पुष्टि के अधीन है। बीएसएनएल से वसूली योग्य

निवल राशि का रखाव मूल्य 3,504.10 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष 3,352.67 करोड़ रुपये) जिसे परिशोधित लागत पर मापा गया है।

बी) बीएसएनएल के कुछ अन्य दावे जैसे सिग्नलिंग चार्ज के रूप में 21.93 करोड़ रु., (पिछले वर्ष 21.93 करोड़ रु.) ट्रांज़िट टैरिफ के रूप में 25.19 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 25.19 करोड़ रु.), एमपी बिलिंग के रूप में 6.01 करोड़ रु. (6.01 करोड़ रु.), सर्विस कनेक्शन के रूप में 40.15 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 40.15 करोड़ रु.) आईयूसी के रूप में 10.14 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 10.14 करोड़ रु.) और गुजरात सर्किल से आईयूसी के रूप में 1.11 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 1.11 करोड़ रु.) समीक्षाधीन हैं। बीएसएनएल से ऐसे ही अन्य दावों के लंबित निपटान तक किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है।

सी) दिल्ली यूनिट ने बीएसएनएल द्वारा 01.10.2000 से 30.09.2006 तक की अवधि के लिए एमटीएनएल की तरफ बनाए गए सर्विस कनेक्शनों के 9.80 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 9.80 करोड़ रु.) के टेलीफोन बिलों के व्यय को उत्तरवर्ती अवधियों हेतु 31.27 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 31.27 करोड़ रु.) के विवादास्पद दावों की वास्तविक प्रतिपूर्ति के आधार पर हिसाब में ले लिया है क्योंकि बार–बार आग्रह करने के बाद भी बीएसएनएल से अभी तक कोई विवरण/औचित्य प्राप्त नहीं हुआ है। 21.47 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 21.47 करोड़ रु.) की शेष राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई है।

68- miHkksDrkvksa dks ns; vkSj tek jkf'k%

अन्य चालू देयताओं में उपभोक्ताओं से सेवाकर सहित प्राप्तियों के कारण क्रेडिट सहित राशि 74.37 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 49.20 करोड़ रुपये) है जिसे देयता के रूप में पहचाना अथवा तदनुसार देनदारों से मिलान जैसा भी मामला हो, नहीं किया जा सका। इन क्रेडिट का मिलान अथवा समाधान करते समय सेवाकर सहित, समुचित समायोजन/भुगतान किए जाएंगे। अतः इसे संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान में समायोजित नहीं किया जा सका।

69- प्राप्य और देय राशियां (एनएलडी/आईएलडी रोमिंग प्रचालकों सहित) पुष्टि एवं समाधान के अधीन हैं।

70- रोमिंग से होने वाले प्राप्यों/देय राशियों की बिलिंग का मैक (एमएसीएच) द्वारा सूचित किए गए वास्तविक परियात (ट्रैफिक) के साथ मिलान किया जा रहा है। रोमिंग से होने वाली आय एमटीएनएल की ओर से मैक द्वारा तैयार किए गए वास्तविक बीजकों के आधार पर बुक की जाती है। इसी प्रकार रोमिंग व्यय एमटीएनएल द्वारा उन वास्तविक बीजकों के आधार पर बुक किया जाता है, जो उसे अन्य आपरेटरों की ओर से मैक से प्राप्त होते हैं। हालांकि संग्रहण के मामले में अन्य ऑपरेटरों द्वारा विभिन्न अवधियों का भुगतान सीधे बैंक में किया जाता है।

एमटीएनएल की दिल्ली इकाई में, बिलों के समक्ष प्रचालकों से प्राप्त वसूली राशि को पूरी तरह मिलाया जाता है। विस्तृत सूचना के अभाव में व्यक्तिगत प्रचालकों के लेखों में वसूली का आबंटन लंबित है जिसे मांगा जा रहा है। अतः यद्यपि रोमिंग आय और व्यय वास्तविक आधार पर बुक किए जाते है, विस्तृत सूचना के अभाव में रोमिंग देनदारों का समाधान समग्र रूप में किया जाता है तथा ऐसे समाधान को नियमित आधार पर किया जा रहा हैं।

71- मूल कंपनी की मुंबई इकाई के मामले में, गैर–अनुसूचित बैंकों में शेष इस प्रकार हैंः–

(राशि रुपये करोड़ में)

fooj.k	31 ekp] 2020	31 ekp] 2019
इंदिरा सहकारी बैंक लिमिटेड	0.56	0.56
(खाता बंद किया गया, संदिग्ध माना गया)	(0.56)	(0.56)

72- njlpkj foHkkx ds lkFk fuiVku%

ए) दूरसंचार विभाग से चालू खाते पर वसूली योग्य राशि 718.34 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 763.76 करोड़ रुपये) और देय राशि 307.88 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 94.42 करोड़ रुपये) है। निवल वसूली योग्य राशि 410.46 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 669.34 करोड़ रुपये) समाधान एवं पुष्टि के अधीन है। चालू खाते पर वसूली योग्य ब्याज/देय ब्याज के लिए एमटीएनएल और दूरसंचार विभाग के बीच कोई करार नहीं है। तद्नुसार, सामान्य भविष्य निधि दावों पर दूरसंचार विभाग से प्राप्य ब्याज की वसूली को छोड़कर वर्ष के दौरान शेष पर भुगतान योग्य/प्राप्य ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं।

बी) दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई अनंतिम (प्रोविजनल) सूचना के अनुसार 31 मार्च, 1986 को मुंबई यूनिट के पास आवेदकों तथा उपभोक्ताओं की 81.32 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 81.32 करोड़ रुपये) की राशि जमा थी। वर्ष के अंत में यह जमा राशि 103.28 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 103.28 करोड़ रुपये) थी। अंतर 31 मार्च, 1986 से पहले के कनेक्शनों से प्राप्त जमा राशि/धन वापसी के कारण है। दूरसंचार विभाग से इस खाते में अभी तक वसूली योग्य शेष राशि 55.85 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 55.85 करोड़ रुपये) हैं।

सी) दिनांक 31.03.2020 तक छुट्टी नकदीकरण का कुल प्रावधान 215.29 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1,119.08 करोड़ रुपये) है। इसमें से 45.48 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 48.48 करोड़ रुपये) तथा 43.37 करोड़ रुपये (43.37 करोड़ रुपये) की दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य राशि क्रमशः कंपनी के ग्रुप 'सी' एवं 'डी' तथा ग्रुप 'बी' कार्मिकों के एमटीएनएल में विलयन से पूर्व की अवधि की है।

डी) दिनांक 31.3.2020 तक सामान्य भविष्य निधि अंशदान के लिए शून्य रुपये (पिछले वर्ष 23.15 करोड़ रुपये) की राशि दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य है। यह राशि 01.11.1998 तथा 01.10.2000 से एमटीएनएल में विलयित क्रमशः कंपनी के ग्रुप 'सी' तथा 'डी' एवं ग्रुप 'बी' कर्मियों से संबंधित है।

73- राजपत्र की अधिसूचना सं. जीएसआर 138(ई) दि. 3 मार्च, 2014 के अनुसार विलयित संयुक्त सेवा पेंशन के विकल्पधारकों के पेंशन लाभों का भुगतान बीएसएनएल के समान वेतनमानों पर भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। एमटीएनएल के संयुक्त सेवा पेंशन के विकल्पधारी कर्मियों के अतिरिक्त अन्य कर्मियों के लिए उपदान प्रावधान और एमटीएनएल के सभी कर्मियों के लिए छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

74- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक–36 ''परिसंपत्तियों का क्षरण'' के अंतर्गत केंद्र सरकार के उपक्रम के समूह तौर पर कुल मिलाकर कंपनी की 'परिसंपत्तियों के क्षरण' का कोई संकेत नहीं है।

75- लेखा नीति के अनुसार, बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान उत्पादकता से जुड़े मानकों के आधार पर किया जाता है, और तदनुसार इनका प्रावधान किया जाता है, बशर्ते समूह को मुनाफा हुआ हो। समूह के घाटे के मद्देनजर, समीक्षाधीन वर्ष में बोनस/अनुग्रह राशि का प्रावधान नहीं किया गया।

76- डिबेंचर मोचन आरक्षित : हानियों को देखते हुए, 2014–15 से मोचनीय अपरिवर्तनीय डिबेंचर (बॉण्ड्स के रूप में) के संबंध में डिबेंचर मोचन आरक्षित नहीं बनाई गई है।

77- मूल कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली कोई राशि अपेक्षित नहीं है।

78- समूह की ऐसी कोई हानि दृष्टिगत नहीं होती जिसका पूर्वानुमान लगाया जाए, जिसके लिए लागू नियमों अथवा दीर्घावधि संविदा पर लेखांकन मानकों के अनुसार प्रावधान की आवश्यकता हो तथा जिसका व्युत्पन्नी संविदा से बिल्कुल संबंध न हो।

79- 31 मार्च 2020 के बैंक समाधान विवरणों में क्रमशः 1.32 करोड़ रुपये (पूर्व में 1.84 करोड़ रुपये) तथा 6.23 करोड़ रुपये (पूर्व में 3.37 करोड़ रुपये) बेमेल/असंबद्ध क्रेडिट/डेबिट शामिल हैं इनका मिलान/संशोधन कराने के लिए बैंक के साथ समाधान तथा अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

80- समीक्षाधीन वर्ष में समूह को 3693.73 करोड़ की हानि हुई है। कंपनी 2009–10 से (वित्तीय वर्ष 2013–14 को छोड़कर) निरंतर घाटे में है तथा समीक्षाधीन वर्ष में निवल मालियत पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। लगातार घाटे तथा नकारात्मक निवल मालियत को ध्यान में रखते हुए समूह के कार्यशील रहने की योग्यता का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा किया गया है। दूरसंचार विभाग के पत्र सं. एफ नं. 30–04–2019 पीएसयू अफेयर्स, दिनांक 29 अक्टूबर 2019 तथा 4 नवम्बर 2019 को परिपत्र के माध्यम से एमटीएनएल निदेशक मंडल के निर्णय एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रस्तुत की गई। जिसके अंतर्गत एमटीएनएल में 4 नवम्बर 2019 के सभी ग्रेड के 14387 कार्मिकों ने विकल्प द्वारा तथा 01 नवम्बर 1998 एवं 01 अक्टूबर 2000 को विलयित सरकार के अधीन भर्ती किए गए इन कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की गई जिससे विरासत में प्राप्त इन कर्मियों की स्टॉफ लागत को कम किया गया था। अनुग्रह के अनुसार बजटीय सहयोग के माध्यम से दूरसंचार विभाग/भारत सरकार द्वारा वहन की गई थी। इसलिए कंपनी स्टाफ खर्चों को 2400 करोड़ प्रति वर्ष से कम करके 600 करोड़ तक कर सकी। इससे कंपनी को अपनी लागतों एवं घाटों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कपंनी पर अत्याधिक ऋण के बोझ को समाप्त करने के लिए डीआईपीएएम की सहायता से कंपनी के भवनों तथा भूमि के मौद्रिकीकरण का अनुमोदन किया है कंपनी के भवनों एवं भूमि के मौद्रिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, सरकार ने कपंनी को 4जी लाइसेंस उपलब्ध कराने तथा 4जी लाइसेंस प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नई पूंजी लगाने का भी अनुमोदन कर दिया है ताकि एमटीएनएल अन्यों से प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार ने एफ नं. 12(16)–बी(एसडी)/2020 दिनांक 08/07/2020 के माध्यम से एमटीएनएल को एनसीडी के निर्गम के लिए 6500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी उपलब्ध कराई है। एनसीडी के निर्गम की प्रक्रिया चल रही है। वित्तीय विवरण को तैयार करते समय प्रबंधन द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार किया गया है तथा संस्था की कार्यशील क्षमता का संगठन के रूप में चलन की लिए प्रक्रिया मूल्यांकन तदनुसार किया है।

81- कोविड–19 महामारी के कारण दिनांक 24/03/2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किया गया था तथा अनिवार्य सेवा प्रदाता होने के नाते इस रिपोर्टाधीन अवधि में एमटीएनएल की सेवाएं बाधित नहीं हुई। अतः रिपोर्टाधीन वर्ष में एमटीएनएल के कार्य करने पर कोविड–19 महामारी का व्यावहारिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

82- समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर लाइसेंस शुल्क को वित्त वर्ष 2011–12 तक अन्य प्रचालकों के साथ राजस्व और राजस्व भागिता दोनों के संबंध में अर्जन आधार पर परिकलित और लेखा में लिया गया था। लाइसेंस फीस और एजीआर के परिकलन के विषय में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व में दिए गए निदेशानुसार मामले को टीडीएसएटी में वापस भेज दिया गया। टीडीएसएटी ने अपने दि. 23.04.2015 के फैसले के अनुसार डीओटी की संदेहास्पद मांगों को रद्द कर दिया और डीओटी को उनके निष्कर्षों के आलोक में फिर से लाइसेंस फीस पर काम करने का निदेश दिया। हालांकि, एमटीएनएल इस विवाद में एक पक्ष नहीं है और एजीआर लाइसेंस करार के अनुसार परिकलित है। भारत संचार निगम लि. के साथ नेटिंग आधार पर राजस्व सहभागिता के संबंध में वित्त वर्ष 2011–12 तक एजीआर में दावा की गई कटौती का मुद्दा वर्ष 2012–13 के बाद से वास्तविक आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करते समय दूरसंचार विभाग तथा बीएसएनएल के साथ उठाया गया है। इस कारण वर्ष 2011–12 तक रुपये 140.36 करोड़ के प्रभाव को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। दूरसंचार विभाग ने एमटीएनएल के एजीआर के आधार पर परिगणित लाइसेंस शुल्क का आकलन किया है।

इसके अलावा, दूरसंचार विभाग ने एजीआर में दावा की गई कुछ कटौतियों जैसे पीएसटीएन शुल्क, अन्य ऑपरेटरों को आईयूसी भुगतान आदि को अस्वीकार कर दिया है। एजीआर में दावा की गई कटौती को एमटीएनएल से दस्तावेजों के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया था। एमटीएनएल ने दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं और लाइसेंस शुल्क के मूल्यांकन में संशोधन दूरसंचार विभाग के पास लंबित है। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी वर्ष 2007–08 से 2016–17 तक लाइसेंस शुल्क का प्रावधान मूल्यांकन आदेश 119706 करोड़ रुपये की मांग को दर्शाता है। एमटीएनएल द्वारा सीसीए/डीओटी को प्रस्तुत दस्तावेजों के मद्देनजर मूल्यांकन में संशोधन किया जा रहा है। हालांकि 1197.06 करोड़ रुपये की राशि आकस्मिक देयता के रूप में दिखाई गई है। इसके बाद वामो संबंधित देयता की सूची दिखाई गई है। टिप्पणियों में शामिल करने के लिए लाइसेंस शुल्क मांग की गणना व्यवहारिक नहीं है। डीओटी को देय लाइसेंस शुल्क की लाइसेंस शुल्क आकस्मिक देयता का विवरण।

,eVh,u,y fuxfer dk;ky;

nj lapkj foHkkx dks n; ykblsl 'kYd dh ykblsl 'kYd vkdfLed n;rk dk fooj.k

Ø- l-	nj lapkj foHkkx i=kd	fnukad	foÙkh; o"k	ekaxh xbZ jkf'k
1	17-90/2005/एलएफ	31 जुलाई 12	2006-07	9.09
2	17-14/2013/एलएफ	12 मई 14	2007-08	214.24
3	17-14/2012/एलएफ	3 दिसम्बर 12	2007-08	136.36
4	17-14/2013/एलएफ	12 मई 14	2008-09	146.71
5	17-14/2013/एलएफ	12 मार्च 13	2008-09	22.52
6	17-18/2013/एलएफ	16 जून 14	2009-10	144.26
7	17-18/2013/एलएफ	19 मार्च 13	2009-10	20.29
8	17-34/2013/एलएफ	24 जुलाई 14	2010-11	40.94
9	17-19/2016/एलएफए	3 अक्टूबर 16	2011-12	76.29
10	17-34/2013/एलएफ II	20 दिसम्बर 16	2010-11	124.34
11	17-34/2013/एलएफ II	20 दिसम्बर 16	2010-11	0.86
12	17-20/2016/एलएफए	27 दिसम्बर 16	2012-13	26.60
13	17-19/2016/एलएफए	6 जनवरी 17	2011-12	12.93
14	17-19/2016/एलएफए	6 मार्च 17	2011-12	33.50
15	17-19/2016/एलएफए	6 मार्च 17	2011-12	-
16	17-20/2016/एलएफए	27 अप्रैल 17	2012-13	5.70
17	17-20/2016/एलएफए	27 अप्रैल 17	2012-13	0.34
18	17-20/2016/एलएफए	28 अप्रैल 17	2012-13	0.78
19	17-20/2016/एलएफए	20 जुलाई 17	2012-13	1.90
20	17-20/2016/एलएफए	20 जुलाई 17	2012-13	0.34
21	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	54.47
22	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	28.89

Ø- l-	nj lapkj foHkkx i=kd	fnukad	foÙkh; o"k	ekaxh xbZ jkf'k
23	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	0.16
24	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	0.05
25	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	80.75
26	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	20.26
27	17-4/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 सितम्बर 18	2013-14	0.01
28	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	197.66
29	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	127.74
30	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	5.80
31	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	0.09
32	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	337.08
33	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	64.96
34	17-7/2017/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2014-15	7.16
35	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	147.29
36	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	134.41
37	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	0.73
38	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	0.06
39	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	226.75
40	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	77.51
41	17-43/2019/एलएफए/एमटीएनएल	28 मई 19	2015-16	0.52
42	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2011-12	0.09
43	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2011-12	62.47
44	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2012-13	0.09
45	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2012-13	17.71
46	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2013-14	0.04
47	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2013-14	1.33
48	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2014-15	0.09
49	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2014-15	113.79
50	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2015-16	21.76
51	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2015-16	65.19
52	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2016-17	53.66
53	1-9/सीसीए/रिवि./स्पैक्ट्रम/असेसमेंट/एमटीएनएल/1439	11 नवम्बर 19	2017-18	(1.52)
				2,865.04

83- दूरसंचार विभाग के पत्र सं. एफ नं. 30–04/2019–पीएसयू एफेयर्स दिनांक 29 अक्टूबर 2019 तथा दूरसंचार विभाग की समिति की दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को अनुशंसाा तथा एमटीएनएल के निदेशक मंडल के दिनांक 4 नवम्बर 2019 के निर्णय के अनुसार स्वैच्छा से दिनांक 31/01/2020 से सेवानिवृत्त होने का विकल्प देने वाले कार्मिकों के लिए एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रस्तुत की गई थी जिसके अंतर्गत सभी ग्रेडों के 14387 एमटीएनएल कर्मियों ने विकल्प दिया था तथा उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) प्रदान की गई। सरकार द्वारा भर्ती किए गए एमटीएनएल में विलयित विरासत में प्राप्त कर्मियों की स्टाफ लागत को कम किया जा सके। 23/10/2019 को भारत सरकार/मंत्रीमंडल अनुमोदन तथा दूरसंचार विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार अनुग्रह राशि प्रतिपूर्ति के कारण होने वाले व्यय को बजटीय समर्थन के माध्यम से दूरसंचार विभाग/भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था। 31/01/2020 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के विकल्प धारक कर्मियों को भुगतान योग्य कुल अनुग्रह राशि 2,619.88 करोड़ रुपये थी। हालांकि दूरसंचार विभाग ने मार्च 2020 में 804 करोड़ रुपये तथा जून एवं जुलाई 2020 में 1590 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। कर्मचारियों को इसका भुगतान कर दिया गया है। 225.88 करोड रुपये की शेष राशि अभी भी प्राप्त की जानी है। एमटीएनएल की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) 2019 के संदर्भ में वास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए 31/03/2020 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत संवानिवृत्त कर्मियों को भुगतान योग्य 1815.88 करोड़ रुपये की राशि को कंपनी के वित्तीय विवरणों में दूरसंचार विभाग से प्राप्य तथा स्वैच्छिक सेवानिवृति विकल्प धारकों को देय के रूप में दिखाया गया है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

Ñr foukn dekj ,M ,lkfl,Vl सनदी लेखाकार एफ.आर.एन. 002304एन	dekj fot; xIrk ,M diuh सनदी लेखाकार एफ.आर.एन. 007814एन	¼,e-oh- tk'kh½ निदेशक (वित्त) डीआईएन 8273959	¼,l- vkj- L;ky½ कंपनी सचिव

हस्ता. ¼edk'k n/khp½ साझेदार सदस्यता सं. 511741	हस्ता. ¼iou dekj xx½ साझेदार सदस्यता सं. 097900	हस्ता. ¼ih-d- ijokj½ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन 06619060

LFkku% नई दिल्ली
frfFk% 22.07.2020

fun'kdks dh fjiksVZ ¼,dy½ dk ifjf'k"V

y[kkijh{kdks dh lki{krk,a vkj mÙkj ¼foÙk o"k 2019&20½

Ø-l-	lki{krk	icU/ku dk mÙkj
I	कंपनी की निवल मालियत (नेटवर्थ) पूर्णतः समाप्त हो गई है। कंपनी को 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्तमान वर्ष में तथा पिछले वर्ष में भी निवल नकदी हानि हुई है और वर्तमान परिसंपत्तियों की तुलना में वर्तमान देयताएं काफी बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई / 5(1) / 2014–फिन. (पार्ट–IX-ए) के द्वारा कंपनी की स्थिति ''प्रारंभिक बीमार सीपीएसई'' के रूप में वर्गीकृत किया है। दूरसंचार विभाग ने अपने फाइल सं. 19–17 / 2017–एसयू–II के इशू सं. आई / 3000697 / 2017 द्वारा इसकी पुष्टि की है। यद्यपि कंपनी के एकल भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण भारत सरकार की ज्यादा हिस्सेदारी और प्रबंधन की टिप्पणी को दृष्टिगत रखते हुए कार्यशील कंपनी के आधार पर तैयार किए गए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों की रकम कम करके पूंजी सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन करके, सरकारी गारंटी बांड जारी करके ऋण के पुनर्गठन, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण तथा बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के विलय हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन कररके बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के पुनरूत्थान (रिवाइवल) की योजना को भी अनुमोदित किया है।	भारतीय लेखा मानक–I के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार प्रबंधन ने सभी सुसंगत घटकों जैसे अनिश्चितताओं के साथ ही कर्ज चुकौती शेड्यूल, एमटीएनएल के पुनरूत्थान (रिवाइवल) के विभिन्न उपायों के लिए मंत्रिमंडल के अनुसार प्रवर्तक प्रमोटर के रूप में सरकार द्वारा दिए जा रहे सहयोग सहित संबंधित कारकों पर विचार किया है तथा कार्यशील संस्था आधार पर लेखा तैयार किया है क्योंकि सरकार द्वारा पुनरूद्धार प्रक्रिया को अनुमोदित किया जा चुका है। सरकार के अनुमोदन के अनुसार 14,458 कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना (वीआरएस) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति दी गई है जिससे कार्मिक लागत 2400 करोड़ रुपए से घटकर 600 करोड़ रुपए हो गई है। उसी तरह अन्य उपायों की प्रक्रिया, जैसे कि दूरसंचार विभाग द्वारा पूंजी डालकर 4जी स्पैक्ट्रम का आबंटन, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण तथा 6500 करोड़ रुपये मूल्य के सरकारी गारंटी बांड जारी किया जाना, जो एमटीएनएल का लाभदायक कंपनी की श्रेणी में लाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, इन सब लाभों को देखते हुए कार्यशील संस्था के आधार पर लेखा तैयार न करने का कोई कारण नहीं है।

Ø-l-	lkis{krk	ikcU/ku dk mÙkj
II	Hkkjr lapkj fuxe fyfeVsM ¼ch,l,u,y½ ,½ Hkkjr lapkj fuxe fyfeVsM ¼ch,l,u,y½ कंपनी की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को कुछ निश्चित राशि प्राप्य एवं देय है। वसूली योग्य कुल राशि 3,504.10 करोड़ रुपये है, जो समाधान एवं पुष्टि के अधीन हैं। समाधान एवं पुष्टि न होने तथा परस्पर एक दूसरे के लंबित विवादित दावों एवं प्रतिदावों को देखते हुए बकाया शेष का अभिनिश्चिय करने एवं उसके सही होने एवं इससे कंपनी की एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। बी) कंपनी ने सेवा प्रदाता को 180 दिन के अंदर सेवा कर का भुगतान न करने के कारण बीते समय के केंद्रीय मूल्यवर्धित कर (सेन वेट) क्रेडिट और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में परिवर्तन के कारण संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान नहीं किया है। जहां उपर्युक्त सेनवेट क्रेडिट 144.66 करोड़ रुपये को आगे नहीं ले जाया गया है अथवा अनुपयुक्त क्रेडिट रुपये 51.65 करोड़ की राशि को जीएसटी कानून के तहत ट्रांस–I में अधिकता में आगे ले जाया गया है। जिससे चालू परिसंपत्तियां उस सीमा तक बढ़ाकर तथा हानि घटाकर बताई गई है।	ए) प्रबंधन ने बीएसएनएल से प्राप्य तथा बीएसएनएल को देय राशियों के समाधान का मामला दूरसंचार विभाग द्वारा गठित स्थायी समिति के माध्यम से तथा डीओटी के साथ भी उठाया है। दूरसंचार विभाग से हस्तक्षेप के अनुरोध के अतिरिक्त, एमटीएनएल द्वारा वर्ष 2014–15 से दावों के समाधान तथा पुष्टि के लिए भी मामला सीधे बीएसएनएल के समक्ष उठाया गया है। वर्ष 2019–20 के लिए एफलेट के मामले में भी दावों का निपटान समीक्षाधीन वर्ष में डीओटी के उच्चतम स्तर के हस्तक्षेप से किया गया है। चूंकि मामला निपटारे की प्रक्रियाधीन है और दोनों पीएसयू डीओटी के अधीन है, इसलिए प्रक्रिया की गहन निगरानी भी की जा रही है। निपटान शीघ्र ही कर लिया जाएगा। उपर्युक्त को देखते हुए इस अवस्था में प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई हो भी तो भी इस अवस्था में उसका निश्चय नहीं किया जा सकता। बी) पीओटीआर से पहले के बकाया क्रेडिट के विरुद्ध डेबिट भी हैं और यदि इनका उलटाव (रिवर्स) किया जाता है तो दोनों का उलटाव लाभ एवं हानि के लेखे पर बिना किसी प्रभाव के करना होगा। इसके अतिरिक्त मामले पर जीएसटी परामर्शदाताओं से सलाह ली जा रही है कि सरकार से अनुरोध किया जाए कि जीएसटी कानून के कारण पूर्ववर्ती कर कानूनों के अंतर्गत ऐसे देय क्रेडिट की अस्वीकृति न दी जाए। पीओटीआर के बाद के क्रेडिट के मामले में करों का भुगतान सेवा कर विभाग को किया जाता है तथा जिन मामलों में बिलों का भुगतान बीएसएनएल द्वारा किया जाना है वहां बीएसएनएल के साथ विचार–विमर्श किया जाता है चूंकि अधिकांश मामले बीएसएनएल से संबंधित हैं। एमटीएनएल तथा बीएसएनएल के बीच राशियों की बदला–बदली तथा मिलान की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि एमटीएनएल तथा बीएसएनएल दोनों को वस्तु एवं सेवा कर का लाभ मिले। जहां तक पीओटीआर के बाद सेवा कर के मामलों का संबंध है उस पर भी राशियों को सेवाकर के साथ निपटाने पर विचार किया जा रहा है ताकि सेनवेट समाप्त हो जाए क्योंकि सेवा कर प्रणाली

Ø-l-	lkif{krk	icU/ku dk mÙkj
III	कंपनी की दूरसंचार विभाग (डीओटी) से कुछ निश्चित राशि प्राप्य एवं देय है। वसूली योग्य निवल राशि 417.48 करोड़ रुपये समाधान तथा पुष्टि के अधीन है। समाधान एवं पुष्टि न होने के कारण हम बकाया शेष का अभिनिश्चय करने एवं उसके सही होने एवं इससे कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	प्रशासनिक मंत्रालय ने जिस भी राशि की पुष्टि नहीं की है उसके समाधान एवं निपटान का मामला प्रबधंन ने उठाया है। यद्यपि वसूली योग्य निवल राशि के अंतर्गत जीपीएफ (23.15 करोड़ रुपये), पुराने जारी किए गए बॉण्ड (431.56 करोड़ रुपये) के कारण उत्पन्न दावे तथा 214 करोड़ रुपये तक के विविध दावे जिसके समाधान के लिए स्पष्ट रुप से पहचान कर ली गई है तथा जिसे निपटान के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। मामला समाधान और पुष्टि के लिए डीओटी के उच्च्व अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। पूर्व अवधि के बॉण्ड संबंधी 431 करोड़ रु. के दावे की पुष्टि और निपटान का मामला भी एक समिति के माध्यम से डीओटी में प्रगति पर है। उपर्युक्त को देखते हुए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा दावों पर दूरसंचार विभाग के स्तर पर देखा जा रहा है तथा वे वसूली योग्य हैं।
IV	वित्त वर्ष 2011–12 तक दूरसंचार विभाग को देय लाइसेंस शुल्क जो बीएसएनएल को आईयूसी प्रभार के रूप में है, को लाइसेंस करार की शर्तों के बजाय प्रोद्भवन आधार पर निकाला गया है जिसके अनुसार सकल राजस्व में से व्यय को घटाना वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमत है। वित्त वर्ष 2012–13 से दूरसंचार विभाग को लाइसेंस शुल्क का भुगतान नियमतः लाइसेंस करार के निबंधन के अनुसार किया गया है। वित्त वर्ष 2011–12 तक कंपनी द्वारा लाइसेंस शुल्क में लगातार दर्शाया गया अंतर इसकी प्रोद्भूत आधार पर की गई गणना के कारण है। जैसाकि ऊपर भी बताया गया है जिसके कारण वास्तविक देयता के स्थान पर आकस्मिक देयता 140.36 करोड़ रु. है। परिणामतः वर्तमान देयता को कम करके आंका गया है तथा हानि को उस सीमा तक कम करके बताया गया है।	वित्त वर्ष 2011–12 तक बीएसएनएल के आईयूसी प्रभारों पर डीओटी को देय लाइसेंस फीस का मामला डीओटी के साथ उठाया गया है। एमटीएनएल के लेखाओं के अनुसार भुगतान का निर्धारण प्राप्य राशियों में से देय राशियों को घटा कर (नेटिंग करके) किया गया है चूंकि प्राप्य राशि देय राशियों से अधिक हैं और उसके अनुसार एमटीएनएल ने किसी देयता को हिसाब में नहीं लिया है। यद्यपि मामले का मिलान और समाधान डीओटी में लंबित होने तक एवं एक परंपरागत लेखा सिद्धांत के रूप में एमटीएनएल ने इसे आकस्मिक देयता के रूप में पहचाना है। समाधान पूर्ण होने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जब तक यह समाधान पूर्ण नहीं होता है तब तक दोनों कपंनियों में कोई प्रभाव निश्चेय नहीं होगा। वास्तविक ज्ञात देयता के बिना परिमाणन के लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि उपमहानिदेशक (एलएफ) दूरसंचार विभाग ने समाधान की प्रक्रिया शुरू की है। जिसके शीघ्र पूरा होने की आशा है अतः कोई प्रभावी अथवा निश्चेय प्रभाव नहीं है।
V	कंपनी पूंजीगत कार्यों के लिए उपरिव्यय का आबंटन अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत स्वीकृत लेखाकरण पद्धति एवं भारतीय लेखा मानक–16 ''परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'' के अनुसार नहीं कर रही है। परिणामतः चालू पूंजीकृत कार्यों/संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को अधिक बताया गया है तथा हानि को कम करके बताया गया है। वर्ष में एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले इसके वास्तविक प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता तथा मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है।	अधिनियम की धारा 133 के अनुसार भारतीय लेखामानक –16 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'' के अनुरूप उपरिव्यय के संबंध में, आबंटन अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है जो एमटीएनएल की विभिन्न इकाइयों के पूंजीगत कार्यों पर प्रभाव डालने वाले घटकों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है। यद्यपि सभी इकाइयों को निदेश दिए गए हैं कि जहां तक संभव हो प्रत्यक्ष आबंटन योग्य लागत का ही आबंटन करें। मुद्दा क्योंकि विचार–विमर्श में है अतः जहां प्रत्यक्ष रूप से आबंटन योग्य लागत को नहीं बनाए रखा गया है वहां पूर्व नीति के अनुसार उपरिव्यय का आबंटन किया जा रहा है। उपर्युक्त को देखते हुए प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता।

Ø-l-	lki{krk	icU/ku dk mÙkj
VI	पहले के वर्षों में उपलब्ध करवाई गई सीडीएमए इकाइयों की परिसंपत्तियों की क्षरण हानि को छोड़कर अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखामानक–36 ''परिसंपत्तियों का क्षरण'' के संबंध में वर्ष के दौरान क्षरण से हुई हानि, यदि कोई है तो, के समायोजन के लिए कोई विचार नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा भावी योजनाओं के जो आकलन किए गए हैं उनकी प्राप्ति में अनिश्चय की स्थिति होने के कारण नकदी उपार्जक इकाइयों के रखाव मूल्य में होने वाले ह्रास एवं इसके परिणामस्वरूप वर्ष में होने वाली हानि पर इसके प्रभाव, आरक्षित निधि के संचित शेष एवं अधिशेष तथा नकदी उपार्जक इकाइयों की रखाव लागत के लिए आवश्यक प्रावधान का अभिनिश्चय करने एवं उन पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं।	एमटीएनएल में क्षरण की जांच एक पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीजीयू) के रूप में की जा रही है और इसे प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। 31.03.2020 को की गई जांच में कोई क्षरण हानि नहीं पाई गई और इस प्रकार की क्षरण हानि के कोई विशेष संकेतक भी नहीं हैं। परिसंपत्तियों के मामले में बार–बार हानि होना यद्यपि, क्षरण की जांच के लिए एक संकेतक है। यह आवश्यक नहीं है कि परिसंपत्ति का क्षरण हानि के कारण हो। हानि के बाहरी/असम्बद्ध कारण भी हो सकते हैं जैसे विरासत में आए स्टाफ की असामान्य लागत इत्यादि क्षरण अथवा प्रयोग में लाई जा रही परिसंपत्तियों जो परिसंपत्तियों की अर्जन क्षमता की सामर्थ्य अथवा संबंधित परिसंपत्तियों के प्रयोग में मूल्य के क्षरण पर आरोपणीय नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए प्रबंधन के अनुसार कोई प्रभाव न होने की आशा।
VII	कंपनी व्यापार प्राप्यों से प्राप्य राशि, सरकारी विभागों तथा अन्य के पास जमा राशियाँ, प्रचालकों तथा अन्य पक्षों से वूसली योग्य दावे तथा व्यापार देय की देय राशियों,, प्रचालकों को भुगतान योग्य दावे तथा अन्य पक्षों को भुगतान योग्य राशि के संबंध में पुष्टि प्राप्त करने तथा शेष का मिलान करने की पद्धति नहीं अपनाती। तदनुसार विभिन्न पार्टियों से प्राप्य एवं उन्हें देय राशि पुष्टि एवं समाधान के अधीन हैं। ऐसी पुष्टि एवं समाधान लंबित होने के कारण एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अभिनिश्चय करने एवं मात्रा बताने में असमर्थ हैं।	उपभोक्ता आधार का बड़ा आकार होने के कारण व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि देनदारों पर बकाया राशि की पुष्टि प्राप्त की जा सके। तथापि भुगतान हेतु चालू माह का बिल भेजते समय पूर्व माह के बकाया को बिल में दर्शाया जाता है जो कि अपने आप में पुष्टिकरण की प्रक्रिया है। लेनदारों को पुष्टिकरण नहीं भेजा जाता है तथा उनकी देयताओं को समझौते के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है तथा उसी के आधार पर भुगतान किया जाता है। किसी विवाद के उत्पन्न होने तक उसे अंतिम माना जाता है। विवाद उत्पन्न होने पर मामले को समाधान के लिए माध्यस्थम या न्यायालयों को भेजा जाता है। एनएलडी और आईएलडी प्रचालकों के देयों का भुगतान इंटरकनेक्ट करारों के अनुसार, नियमित रूप से किया जाता है अतः उनसे किसी विशेष पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। चूंकि देय राशियों और प्राप्य राशियों का समाधान उपर्युक्त के अनुसार किया जाता है और यह निरंतर प्रक्रिया है तथा कहीं से भी देय राशि तथा प्राप्य राशियों की मात्रा के संबंध में ऐसे विवाद जिनको आकस्मिक देयता में प्रकटन अथवा बहियों में उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभाव नहीं है।

Ø-l-	lki{krk	icU/ku dk mÙkj
VIII	कंपनी द्वारा की गई बिलिंग पर उपभोक्ता से प्राप्त किए गए असंबद्ध क्रेडिट 75.69 करोड़ रुपये समनुरूप प्राप्य से मेल नहीं खाते जो तुलन पत्र में देयता के रूप में अंकित हैं। इस सीमा तक व्यापार प्राप्य और चालू देयताओं को अधिक बताया गया है।	मेल न खाना मूलतः भुगतान के समय उपभोक्ता लेखा संख्या के गलत होने या उपलब्ध न होने के कारण उपभोक्ता की पहचान न हो पाने या उपभोक्ता विवरण में इसका गलत प्रकाशन किए जाने के कारण है। इसके अतिरिक्त यह निरंतर प्रक्रिया है तथा यदि कोई आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां हुई तो समाधान के बाद कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त समाधान प्रक्रियाधीन है तथा यथा समय इसे पूर्ण किया जाएगा और लेखा शीर्ष को ठीक करने के लिए राशि बुक की जाएगी। चूंकि यह विशुद्ध रूप से लेखांकन वर्गीकरण मामला है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
IX	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का पूंजीकरण सामान्यतः इंजीनियरी विभाग से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अथवा खरीदी गई पूंजीगत वस्तुओं के बिल वित्त विभाग द्वारा प्राप्त होने अथवा भंडारों द्वारा जारी माल सूची पर किया जाता है। पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने अथवा बिल प्राप्ति अथवा मालसूची जारी किए जाने की रसीद प्राप्ति में विलंब होने के कारण परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के पूंजीकरण के ऐसे मामले हैं जो अगले वर्ष के लिए आस्थगित हो जाते हैं। परिणामतः इसका लाभ एवं हानि के विवरण पर मूल्यह्रास आदि से पड़ने वाले प्रभाव का तथा परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की राशि जिसका पूंजीकरण तुलन पत्र में किया गया है, को निश्चित नहीं किया जा सकता तथा मात्रा नहीं बताई जा सकती।	नोट कर लिया गया है और आवश्यक निदेशों को दोहरा दिया गया है तथा कार्य को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए चालू कार्यों की समीक्षा लगातार की जा रही है तथा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पहले ही पूर्ण किए जा चुके कार्यों को, जिन्हें चालू कार्य में दिखाया गया है, उनका पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी न हो। पहले ही पूर्ण किए जा चुके कार्यो, परंतु जिन्हें चालू कार्यो के रूप में दर्शाया गया है तथा ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप चालू कार्य कम करवा दिया गया है तथा पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित को पूंजीकृत करवाया गया है। उपर्युक्त तथा पुराने से पुराने चालू कार्यों के पूंजीकरण की चल रही प्रक्रिया को देखते हुए प्रबंधन को आशा नहीं है कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा तथा वर्तमान मे इसका आकलन नहीं किया जा सकता।
X	पूर्व के वर्षों में दूरसंचार विभाग से एमटीएनएल को स्थानांतरित भूमि तथा भवनों को पट्टाभूमि (लीज़होल्ड) के रूप में दर्शाया गया है। सुसंगत रिकार्ड उपलब्ध न हाने के कारण इसके पट्टाभूमि के रूप में वर्गीकरण, पूंजीकरण और परिशोधन के संबंध में तथा सुसंगत रिकॉर्डों से पुष्टि के बिना हम इस प्रकार के वर्गीकरण, पूंजीकरण और परिशोधन के परिणामस्वरूप पडने़ वाले प्रभाव, यदि कोई हो, तो, उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। संगत रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकार के वर्गीकरण से एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता एवं मात्रा नहीं बताई जा सकती।	इन परिसंपत्तियों को स्थायी पट्टों पर दिया गया है और दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने इनका स्थानांतरण जहां है, जैसा है के आधार पर पंजीकरण के समय स्टांप शुल्क के भुगतान के दायित्व के साथ जब भी इसकी आवश्यकता होगी, बिक्री विलेख के अनुसार एमटीएनएल के नाम पर किया है। इस प्रकार वर्गीकरण के कारण कोई प्रभाव संभावित नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता।

Ø-l-	lki{krk	izca/ku dk mÙkj
XI	वर्ष 2012–13 में दूरसंचार विभाग ने 2जी स्पैक्ट्रम के एकबारगी प्रभार 3313.15 करोड़ रुपये के भुगतान की मांग की थी जो कंपनी द्वारा लिए गए जीएसएम और सीडीएमए की पहले ही बीत चुकी लाइसेंस की अवधि और साथ ही लाइसेंस की शेष वैध अवधि तथा परीक्षण आधार पर लिए गए स्पैक्ट्रम के लिए है। जैसा स्पष्ट किया गया है कि सीडीएमए के स्पैक्ट्रम उपयोग की मांग वास्तविक उपयोग में सुधार के कारण रुपये 107.44 करोड़ संशोधित की गई है तथा बाद में उसी को वापिस ले लिया जाता है। साथ ही जैसा स्पष्ट किया गया है स्पैक्ट्रम के हिस्से को वापस लौटाने के संबंध में कंपनी द्वारा मुद्दे को अंतिम रूप दिए जाने तक, निजी प्रचालनों द्वारा दावे का विरोध किए जाने को देखते हुए दूरसंचार विभाग द्वारा इसे निश्चित रूप दिए जाने, ऐसी ही मांगों पर अन्य निजी प्रचालकों द्वारा विवाद के कारण मामले का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन होने के कारण देय राशि, यदि कोई हो, अनिश्चेय है। तदनुसार इसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा की गई मांग के लिए कोई देयता नहीं रखी गई है, तथा पिछले वर्ष तक 3205.71 करोड़ रुपये आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई है। हालांकि डीओटी से अब तक कोई मांग नहीं की गई है जैसा कि आगे स्पष्ट किया गया है कि 6.2 मैगाहर्ट्ज से अधिक आबंटित स्पैक्ट्रम होने पर ओटीएससी की उगाही को एक तरफ रखते हुए टीडीएसटी ने सरकार को दिनांक 01.07.2008 के बाद आबंटित स्पैक्ट्रम की मांग की समीक्षा करने का निर्देश दिया। वह भी दिनांक 01.01.2013 से, यदि दिनांक 01.01.2013 से पहले 6.2 मैगाहर्ट्ज से अधिक के स्पैक्ट्रम को आबंटित किए जाने का मामला हो। जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि टीडीएसएटी आदेशों के अनुसार भी अब तक आगे कोई मांग नहीं उठाई गई है और टीडीएसटी दिशा–निर्देश पर आधारित प्रबंधन के अनुसार यदि कोई मांग हो तो, वह रुपये 455 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती है जिसका उल्लेख आकस्मिक देयता में प्रकट किया गया है। उपर्युक्त को देखते हुए हम कंपनी द्वारा अपनाए गए रूख के सही होने तथा इसका कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अंतिम निहितार्थों पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।	दूर संचार विभाग ने जीएसएम और सीडीएमए स्पैक्ट्रम के लिए एमटीएनएल पर एकबारगी स्पैक्ट्रम प्रभार लगाया है तथा परीक्षण के आधार पर 1800 मैगाहर्ट्ज आवृति में 4.4 मैगाहर्ट्ज की सीमा तक स्पैक्ट्रम दिया था और पहले एमटीएनएल पर उठाए गए मांग में इसे शामिल किया गया है। एमटीएनएल ने परीक्षण आधार पर आबंटित स्पैक्ट्रम को लौटा दिया है तथा सीडीएमए के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त शुरू में ही दूरसंचार विभाग द्वारा स्पैक्ट्रम प्रभार को एक मुश्त उगाहने की नीति को निजी प्रचालकों द्वारा चुनौती दी गई थी। ओटीएससी की समीक्षा करने के लिए टीडीएसएटी ने दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई मांगों को एक तरफ रखते हुए दिनांक 04.07.2019 के निर्णयानुसार निर्देश दिया और दिनांक 01.07.2008 के बाद आबंटित स्पैक्ट्रम की मांग की समीक्षा करने के लिए सरकार को निर्देश दिया और वह भी दिनांक 01.01.2013 से, यदि दिनांक 01.01.2013 से पहले 6.2 मैगाहर्ट्ज से अधिक के स्पैक्ट्रम को आबंटित किए जाने का मामला हो। चूंकि एमटीएनएल स्पैक्ट्रम को दिनांक 01.07.2018 से काफी पहले आबंटित किया गयाथा, दिनांक 04.07.2019 के टीडीएसएटी निर्णयानुसार यदि कोई मांग हो तो, वह 455 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो सकती है जैसा कि दिनांक 04.07.2019 के बाद दूरसंचार विभाग द्वारा कोई मांग नहीं उठाई गई है, 455 करोड़ रुपये आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई है, हालांकि इसके बढ़ने की संभावना भी नहीं है, हालांकि इस संबंध में निजी प्रचालकों द्वारा दर्ज मामले में 455 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता टीडीएसएटी निर्णय के आधार पर अनुमानित है। उपरोक्त को देखते हुए इस संबंध में कोई प्रभाव आपेक्षित नहीं है और प्रबंधन की दृष्टि में कोई देयता के बढ़ने की संभावना भी नहीं है।

Ø-1-	lkis{krk	izca/ku dk mÙkj
XII	कंपनी ने पूर्व के वर्षों में अनुबंधित शर्तों को पूरा न करने के कारण विक्रेताओं से प्राप्त परिसमापन हर्जाना काटाध्एकत्र किया है, जिस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर इसका वास्तविक प्रभाव पता नहीं लगाया गया है और मात्रा निर्धारित नहीं है	एलडी शुल्कों पर जीएसटी लगाने पर बहुत पहले चर्चा जीएसटी की शुरुआत के समय हुई थी और ई एंड वाई ने राय दी थी कि एलडी शुल्कों पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है जिसे बाद में ई एंड वाई द्वारा कुछ समय बाद बदल दिया गया था और सलाह दी गई थी कि इस तरह की देरी से आपूर्ति या लौटाए गए सामानों के लिए क्रेडिट नोट प्राप्त करना बेहतर है। खरीद नीति में भी तदनुसार संशोधन किया जाता है। खरीद नीति में बदलाव को देखते हुए डब्ल्यूआरटी आपूर्ति आईएम 53 जारी किया गया था। इकाइयां क्रेडिट नोट प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं और एक बार क्रेडिट नोट आने के बाद एमटीएनएल आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। वेंडर्स के लिए इस तरह के क्रेडिट नोट्स फाइल करने का समय 30 फरवरी 2020 तक है। इस बीच एमटीएनएल इकाइयों से कहा गया है कि वे ऐसी एलडी राशियों पर आईटीसी न लें और किए गए भुगतान को क्रेडिट नोट प्राप्त होने तक आंशिक माना जा सकता है। यदि कोई क्रेडिट नोट प्राप्त नहीं होता है तो एमटीएनएल इनवॉयस/डेबिट नोट जारी करेगा और उस पर जीएसटी का भुगतान करेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी लाभ देगा। इसे देखते हुए, यदि कोई हो तो प्रभाव इस स्तर पर पता लगाने योग्य नहीं है और एक बार वापसी को अंतिम रूप दे दिया जाता है।

fun'kdk dh fjikV ¼lefdr½ dk ifjf'k"V

y[kkijh{kdk dh lki{krk,a vkj mÙkj% ¼foÙk o"k 2019&20½ lefdr

Ø-l-	lki{krk	izca/ku dk mÙkj
I	कंपनी की निवल मालियत (नेटवर्थ) पूर्णतः समाप्त हो गई है। कंपनी को 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्तमान वर्ष में तथा पिछले वर्ष में भी निवल नकदी हानि हुई है और वर्तमान परिसंपत्तियों की तुलना में वर्तमान देयताएं काफी बढ़ी हैं। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. डीपीई/5(1)/2014–फिन. (पार्ट–IX-ए) के द्वारा इसे ''प्रारंभिक बीमार सीपीएसई'' के रूप में वर्गीकृत किया है। दूरसंचार विभाग ने अपने फाइल सं. 19–17/2017–एसयू–II के इशू सं. आई/3000697/2017 द्वारा इसकी पुष्टि की है। यद्यपि कंपनी के भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरण भारत सरकार की साझेदारी और प्रबंधन की टिप्पणी को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किए गए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी लागत में कमी, 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन, सॉवरेन गारंटी बांड बढ़ाकर ऋण पुनर्गठन, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण और बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी के साथ 'बीएसएनएल और एमटीएनएल की पुनरुद्धार योजना' को भी मंजूरी दी है।	भारतीय लेखामानक–1 के पैरा 25 तथा 26 के अनुसार प्रबंधन ने सभी संबद्ध घटकों जैसे अनिश्चितताओं, कर्ज चुकौती शेडयूल प्रमोटर के रूप में सरकार द्वारा दी जा रही सहायता पर विचार किया है तथा कार्यशील कंपनी के आधार पर लेखा तैयार किए हैं क्योंकि पुनररुत्थान की प्रक्रिया सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है। सरकार के अनुमोदन के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत 14587 कर्मियों सेवानिवृत्ति हुए थे, जिससे स्टाफ लागत 2400 करोड रुपये से घटकर 600 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार इस प्रक्रिया के अन्य उपायों जैसे दूरसंचार विभाग द्वारा पूंजीकरण तथा 6500 करोड़ रुपये के संप्रभुता प्रतिभूति बांडों के जारी होने से एमटीएनएल के लाभदायक होने का मार्ग प्रशस्त होगा, इसे देखते हुए कार्यशील कंपनी के आधार पर लेखा तैयार न करने कोई कारण नहीं है।

Ø-la-	lkiz{krk	icU/ku dk mÙkj
II	Hkkjr lapkj fuxe fyfeVM ¼ch,l,u,y½% ,½ Hkkjr lapkj fuxe fyfeVM ¼ch,l,u,y½% कंपनी की कुछ निश्चित राशि बीएसएनएल से प्राप्य शेष एवं देय है। वसूली योग्य कुल राशि 3,504.10 करोड़ रुपये समाधान एवं पुष्टि के अधीन है। समाधान एवं पुष्टि न होने तथा परस्पर एक दूसरे के लंबित विवादित दावों एवं प्रतिदावों को देखते हुए बकाया शेष का अभिनिश्चय करने एवं उसके सही होने एवं इससे कंपनी की समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। ch½ कंपनी ने सेवा प्रदाता को 180 दिन के अंदरसेवा कर का भुगतान न करने के कारण व्यपगत केंद्रीय मूल्यवर्धित (सेनवेट) क्रेडिट और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में संक्रमण के कारण संदेहास्पद दावों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है जहां उपर्युक्त सेनवेट क्रेडिट रुपये 144.66 करोड़ को आगे नहीं ले जाया गया है अथवा अनुपयुक्त क्रेडिट रुपये 51.65 करोड़ राशि को जीएसटी कानून के तहत ट्रांस–I में अधिकता में आगे ले जाया गया है। जिससे चालू परिसंपत्तियां उस सीमा तक बढ़ाकर तथा हानि घटाकर बताई गई है।	,½ प्रबंधन ने बीएसएनएल से प्राप्य तथा बीएसएनएल को देय राशियों के समाधान का मामला दूरसंचार विभाग द्वारा गठित स्थायी समिति के माध्यम से तथा डीओटी के साथ भी उठाया है। दूरसंचार विभाग से हस्तक्षेप के अनुरोध के अतिरिक्त, दावों के समाधान तथा पुष्टि के लिए भी मामला सीधे बीएसएनएल के समक्ष उठाया गया है। और 2019–20 हेतु एएफएनईटी के मामले में 2014–15 से संबंधित, दावों की पुष्टि के लिए भी रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष में दूरसंचार विभाग के उच्चतम स्तर पर हस्तक्षेप से तय की गई है। चूंकि मामला प्रक्रियाधीन है और दोनों पीएसयू डीओटी के अधीन हैं, निपटान शीघ्र ही कर लिया जाएगा और इस प्रक्रिया पी भी बारीक से निगरानी रखी जा रही है। इसके आगे निपटान की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2018–19 में भी चलती रहेगी। इस अवस्था में प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। यदि कोई हो भी तो भी इस अवस्था में उसका निश्चय नहीं किया जा सकता। ch½ पीओटीआर से पहले के बकाया क्रेडिट के विरुद्ध डेबिट भी हैं और यदि इनका निराकरण किया जाता है तो दोनों का निराकरण लाभ एवं हानि के लेखे पर बिना किसी प्रभाव के करना होगा। इसके अतिरिक्त मामले पर जीएसटी परामर्शदाता से सलाह ली जा रही है कि सरकार से अनुरोध किया जाए कि जीएसटी कानून के कारण पूर्ववर्ती कर कानूनों के अंतर्गत ऐसे देय क्रेडिट की अस्वीकृति न दी जाए। पीओटीआर के बाद के क्रेडिट के संबंध में कर का भुगतान सेवा कर विभाग को किया जाता है, और उन मामलों में जहां बीएसएनएल द्वारा ऐसे बिलों का भुगतान किया जाना है, जो बीएसएनएल के साथ विचार–विमर्श किया जाता है। चूंकि अधिकांश मामले बीएसएनएल से संबंधित है। एमटीएनएल और बीएसएनएल के बीच राशियों के आदान–प्रदान और मिलान की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करता है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों को जीएसटी लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि पीओटीआर सेवा कर के साथ राशियों को निपटाने पर विचार किया जा रहा है ताकि सेनवेट बंद हो जाए चूंकि सेवा कर की व्यवस्था खत्म हो गई है।

Ø-l-	lki{krk	i\c/ku dk mÙkj
III	कंपनी की दूरसंचार विभाग (डीओटी) से कुछ निश्चित राशि प्राप्य एवं देय है। वसूली योग्य कुल राशि 417.48 करोड़ रुपये समाधान तथा पुष्टि के अधीन है। समाधान एवं पुष्टि न होने के कारण हम बकाया शेष का अभिनिश्चय करने एवं उसके सही होने एवं इससे कंपनी के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	प्रशासनिक मंत्रालय ने जिस भी राशि की पुष्टि नहीं की है उसके समाधान एवं निपटान का मामला प्रबंधन ने उठाया है। यद्यपि वसूली योग्य जीपीएफ (23.15 करोड़ रुपये), 431.56 करोड़ रुपये के पुराने बांड के दावे तथा 214 करोड़ रुपये के अन्य विविध दावों की पहचान कर ली गई है तथा जिसे निपटान के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। मामला समाधान और दूरसंचार विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया गया है। पूर्व अवधि के बॉण्ड संबंधी 431 करोड रुपये के दावे की पुष्टि और निपटान का मामला एक समिति के माध्यम से दूरसंचार विभाग में पहले से ही प्रगति पर है। उपर्युक्त को देखते हुए कोई प्रभाव नहीं होगा तथा दावे दूरसंचार विभाग के स्तर पर उठाए जा रहे हैं।
IV	वित्त वर्ष 2011–12 तक दूरसंचार विभाग को देय लाइसेंस शुल्क जो बीएसएनएल को आईयूसी प्रभार के रूप में है, को लाइसेंस करार की शर्तों के बजाय प्रोद्भवन आधार पर निकाला गया है जिसके अनुसार सकल राजस्व में से व्यय को घटाना वास्तविक भुगतान के आधार पर अनुमत है। वित्त वर्ष 2012–13 से दूरसंचार विभाग को लाइसेंस शुल्क का भुगतान नियमतः लाइसेंस करार के निबंधन के अनुसार किया गया है। वित्त वर्ष 2011–12 तक कंपनी द्वारा लाइसेंस शुल्क में लगातार दर्शाया गया अंतर इसकी प्रोद्भूत आधार पर की गई गणना के कारण है। जैसाकि ऊपर भी बताया गया है जिसके कारण वास्तविक देयता के स्थान पर आकस्मिक देयता 140.36 करोड़ रुपये है। परिणामतः वर्तमान देयता को कम करके आंका गया है तथा हानि को उस सीमा तक कम करके बताया गया है।	वित्त वर्ष 2011–12 तक बीएसएनएल के आईयूसी प्रभारों पर डीओटी को देय लाइसेंस फीस का मामला डीओटी के साथ उठाया गया है। एमटीएनएल के लेखाओं के अनुसार भुगतान का निर्धारण प्राप्य राशियों में से देय राशियों को घटा कर (नेटिंग करके) किया गया है चूंकि प्राप्य राशि देय राशियों से अधिक हैं और उसके अनुसार एमटीएनएल ने किसी देयता को हिसाब में नहीं लिया है। यद्यपि मामले का मिलान और समाधान डीओटी में लंबित होने तक एवं एक परंपरागत लेखा सिद्धांत के रूप में एमटीएनएल ने इसे आकस्मिक देयता के रूप में पहचाना है। समाधान पूर्ण होने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जब तक यह समाधान पूर्ण नहीं होता है तब तक दोनों कपंनियों में कोई प्रभाव निश्चेय नहीं होगा। वास्तविक ज्ञात देयता के बिना परिमाणन के लिए ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि उपमहानिदेशक (एलएफ) दूरसंचार विभाग ने समाधान की प्रक्रिया शुरू की है जिसके शीघ्र पूरा होने की आशा है। अतः कोई प्रभावी अथवा अनिश्चेय प्रभाव नहीं है।

Ø-l-	lki{krk	icU/ku dk mÙkj
V	कंपनी पूंजीगत कार्यों के लिए उपरिव्यय का आबंटन अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत स्वीकृत लेखाकरण पद्धति एवं भारतीय लेखा मानक–16 ''परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'' के अनुसार नहीं कर रही है। परिणामतः चालू पूंजीकृत कार्यों/संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को अधिक बताया गया है तथा हानि को कम करके बताया गया है। वर्ष में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले इसके वास्तविक प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता तथा मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है।	अधिनियम की धारा 133 के अनुसार भारतीय लेखामानक – 16 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर'' के अनुरूप उपरिव्यय के संबंध में, आबंटन अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है जो एमटीएनएल की विभिन्न इकाइयों के पूंजीगत कार्यों पर प्रभाव डालने वाले घटकों को ध्यान में रख कर तैयार की गई है। यद्यपि सभी इकाइयों को निदेश दिए गए हैं कि जहां तक संभव हो प्रत्यक्ष आबंटन योग्य लागत का ही आबंटन करें। मुद्दा क्योंकि विचार–विमर्श में है अतः जहां प्रत्यक्ष रूप से आबंटन योग्य लागत को नहीं बनाए रखा गया है वहां पूर्व नीति के अनुसार उपरिव्यय का आबंटन किया जा रहा है। उपर्युक्त को देखते हुए प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता।
VI	पहले के वर्षों में उपलब्ध करवाई गई सीडीएमए इकाइयों की परिसंपत्तियों की क्षरण हानि को छोड़कर अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखामानक–36 ''परिसंपत्तियों का क्षरण'' के संबंध में वर्ष के दौरान क्षरण से हुई हानि, यदि कोई है तो, के समायोजन के लिए कोई विचार नहीं किया गया है। कंपनी द्वारा भावी योजनाओं के जो आकलन किए गए हैं उनकी प्राप्ति में अनिश्चय की स्थिति होने के कारण नकदी उपार्जक इकाइयों के रखाव मूल्य में होने वाले ह्रास एवं इसके परिणामस्वरूप वर्ष में होने वाली हानि पर इसके प्रभाव, आरक्षित निधि के संचित शेष एवं अधिशेष तथा नकदी उपार्जक इकाइयों की रखाव लागत के लिए आवश्यक प्रावधान का अभिनिश्चय करने एवं उन पर टिप्पणी करने में हम असमर्थ हैं।	एमटीएनएल में क्षरण की जांच एक पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीजीयू) के रूप में की जा रही है और इसे प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। 31.03.20 को की गई जांच में कोई क्षरण हानि नहीं पाई गई और इस प्रकार की क्षरण हानि के कोई विशेष संकेतक भी नहीं हैं। परिसंपत्तियों के मामले में बार–बार हानि होना यद्यपि, क्षरण की जांच के लिए एक संकेतक है। यह आवश्यक नहीं है कि परिसंपत्ति का क्षरण हानि के कारण हो। हानि के बाहरी/असम्बद्ध कारण भी हो सकते हैं जैसे विरासत में आए स्टाफ की असामान्य लागत इत्यादि अथवा प्रयोग में लाई जा रही परिसंपत्तियों जो परिसंपत्तियों की अर्जन क्षमता की सामर्थ्य अथवा संबंधित परिसंपत्तियों के प्रयोग में मूल्य के क्षरण पर आरोपणीय नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए प्रबंधन के अनुसार इस गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

Ø-l-	lki{krk	icU/ku dk mÙkj
VII	कंपनी व्यापार प्राप्यों से प्राप्य राशि, सरकारी विभागों तथा अन्य के पास जमा राशियों, प्रचालकों तथा अन्य पक्षों से वूसली योग्य दावे तथा व्यापार देय की देय राशियों,, प्रचालकों को भुगतान योग्य दावे तथा अन्य पक्षों को भुगतान योग्य राशि के संबंध में पुष्टि प्राप्त करने तथा शेष का मिलान करने की पद्धति नहीं अपनाती। तदनुसार विभिन्न पार्टियों से प्राप्य एवं उन्हें देय राशि पुष्टि एवं समाधान के अधीन हैं। ऐसी पुष्टि एवं समाधान लंबित होने के कारण समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पडने वाले इसके प्रभाव का अभिनिश्चय करने एवं मात्रा बताने में असमर्थ हैं।	उपभोक्ता आधार का बड़ा आकार होने के कारण व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है कि देनदारों पर बकाया राशि की पुष्टि प्राप्त की जा सके। तथापि भुगतान हेतु चालू माह का बिल भेजते समय पूर्व माह के बकाया को बिल में दर्शाया जाता है जो कि अपने आप में पुष्टिकरण की प्रक्रिया है। लेनदारों को पुष्टिकरण नहीं भेजा जाता है तथा उनकी देयताओं को समझौते के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है तथा उसी के आधार पर भुगतान किया जाता है। किसी विवाद के उत्पन्न होने तक उसे अंतिम माना जाता है। विवाद उत्पन्न होने पर मामले को समाधान के लिए माध्यस्थम या न्यायालयों को भेजा जाता है। एनएलडी और आईएलडी प्रचालकों के देयों का भुगतान इंटरकनेक्ट करारों के अनुसार, नियमित रूप से किया जाता है अतः उनसे किसी विशेष पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। चूंकि देय राशियों और प्राप्य राशियों का समाधान उपर्युक्त के अनुसार किया जाता है और यह निरंतर प्रक्रिया है जिनको आकस्मिक देयता में प्रकटन अथवा बहियों में उपलब्ध कराया गया है वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभाव नहीं है। तथा कहीं से भी देय राशि तथा प्राप्य राशियों की मात्रा के संबंध में ऐसे विवाद नहीं है।
VIII	कंपनी द्वारा की गई बिलिंग पर उपभोक्ता से प्राप्त किए गए असंबद्ध क्रेडिट 75.69 करोड़ रुपये समनुरूप प्राप्य से मेल नहीं खाते जो तुलन पत्र में देयता के रूप में अंकित हैं। इस सीमा तक व्यापार प्राप्य और चालू देयताओं को अधिक बताया गया है।	मेल न खाना मूलतः भुगतान के समय उपभोक्ता लेखा संख्या के गलत होने या उपलब्ध न होने के कारण उपभोक्ता की पहचान न हो पाने या उपभोक्ता विवरण में इसका गलत प्रविष्टि किए जाने के कारण है। इसके अतिरिक्त यह निरंतर प्रक्रिया है तथा यदि कोई आवश्यक समायोजन प्रविष्टियां हुई तो समाधान के बाद कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त समाधान प्रक्रियाधीन है तथा यथा समय इसे पूर्ण किया जाएगा तथा राशि को उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किया जाएगा। चूंकि यह निशुल्क रूप से लेखांकन वर्गीकरण का ममाला है।, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Ø-l-	lkis{krk	izca/ku dk mÙkj
IX	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का पूंजीकरण सामान्यतः इंजीनियरी विभाग से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर अथवा खरीदी गई पूंजीगत वस्तुओं के बिल वित्त विभाग द्वारा प्राप्त होने अथवा भंडारों द्वारा जारी माल सूची पर किया जाता है। पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने अथवा बिल प्राप्ति अथवा मालसूची जारी किए जाने की रसीद प्रप्ति में विलंब होने के कारण परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के पूंजीकरण के ऐसे मामले हैं जो अगले वर्ष के लिए आस्थगित हो जाते हैं। परिणामतः इसका लाभ एवं हानि के विवरण पर मूल्यह्रास आदि से पड़ने वाले प्रभाव का तथा परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की राशि जिसका पूंजीकरण तुलन पत्र में किया गया है, को निश्चित नहीं किया जा सकता तथा मात्रा नहीं बताई जा सकती।	नोट कर लिया गया है और आवश्यक निदेशों को दोहरा दिया गया है तथा कार्य को समय से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए चालू कार्यों की समीक्षा लगातार की जा रही है तथा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पहले ही पूर्ण किए जा चुके कार्यों को, जिन्हें चालू कार्य में दिखाया गया है, उनका पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करने में देरी न हो। पहले ही पूर्ण किए जा चुके कार्यों, परंतु जिन्हें चालू कार्यों के रूप में दर्शाया गया है तथा ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप चालू कार्य कम करवा दिया गया है तथा पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित को पूंजीकृत करवाया गया है। उपर्युक्त तथा पुराने से पुराने चालू कार्यों के पूंजीकरण की चल रही प्रक्रिया को देखते हुए प्रबंधन को आशा नहीं है कि इसका कोई प्रभाव पड़ेगा तथा वर्तमान में इसका निश्चय नहीं किया जा सकता।
X	पूर्व के वर्षों में दूरसंचार विभाग से एमटीएनएल को स्थानांतरित भूमि तथा भवनों को पट्टाभूमि (लीज़होल्ड) के रूप में दर्शाया गया है। सुसंगत रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण इसके पट्टाभूमि के रूप में वर्गीकरण, पूंजीकरण और परिशोधन के संबंध में तथा सुसंगत रिकॉर्डों से पुष्टि के बिना हम इस प्रकार के वर्गीकरण, पूंजीकरण और परिशोधन के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई हो, तो, उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। संगत रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकार के वर्गीकरण से समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता एवं मात्रा नहीं बताई जा सकती।	इन परिसंपत्तियों को स्थायी पट्टों पर दिया गया है और दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने इनका स्थानांतरण जहां है, जैसा है के आधार पर पंजीकरण के समय स्टांप शुल्क के भुगतान के दायित्व के साथ जब भी इसकी आवश्यकता होगी, बिक्री विलेख के अनुसार एमटीएनएल के नाम पर किया है। इस प्रकार वर्गीकरण के कारण कोई प्रभाव संभावित नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए प्रभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता।

Ø-lå-	lkiš{krk	izcU/ku dk mÙkj
XI	वर्ष 2012–13 में दूरसंचार विभाग ने 2जी स्पैक्ट्रम के एकबारगी प्रभार 3313.15 करोड़ रु. के भुगतान की मागं की थी जा` कपं नी द्वारा लिए गए जीएसएम और सीडीएमए की पहले ही बीत चुकी लाइसेंस की अवधि और साथ ही लाइसेंस की शेष वैध अवधि तथा परीक्षण आधार पर लिए गए स्पैक्ट्रम के लिए था जैसा स्पष्ट किया गया है कि सीडीएमए के स्पैक्ट्रम उपयोग की मांग वास्तविक उपयोग में सुधार के कारण रुपये 107.44 करोड़ संशोधित की गई है तथा बाद में इसे वापस ले लिया गया था। साथ ही जैसा स्पष्ट किया गया है स्पैक्ट्रम के हिस्से को वापस लौटाने के संबंध में कंपनी द्वारा मुद्दे को अंतिम रूप दिए जाने तक, कंपनी द्वारा दावे का विरोध किए जाने को देखते हुए दूरसंचार विभाग द्वारा इसे निश्चित रूप दिए जाने, ऐसी ही मांगों पर अन्य निजी प्रचालकों द्वारा विवाद के कारण मामले का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन होने के कारण देय राशि, यदि कोई हो, अनिश्चेय है। तदनुसार इसके लिए दूरसंचार विभाग द्वारा की गई मांग के लिए कोई देयता नहीं रखी गई है, तथा पिछले वर्ष तक 3205.71 करोड़ रुपये की राशि आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की गई है। कंपनी ने पूर्व के वर्षों में संविदागत शर्तो को पूरा न करने के कारण विक्रेताओं से Liquidated damages की कटौती/वसूली की है जिन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष के समेकित भारतीय लेखामानक वित्तीय विवरणों पर इसका वास्तविक प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता तथा उसकी मात्रा नहीं बताई जा सकती। उपर्युक्त को देखते हुए हम कंपनी द्वारा अपनाए गए रूख के सही होने तथा इसका कंपनी के एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के अंतिम निहितार्थों पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं।	दूर संचार विभाग ने जीएसएम और सीडीएमए स्पैक्ट्रम के लिए एमटीएनएल पर एकबारगी स्पैक्ट्रम प्रभार लगाया है तथा परीक्षण के आधार पर 1800 मेगाहर्ट्स आवृति में 4.4 मेगाहर्ट्स की सीमा तक स्पैक्ट्रम दिया था और एमटीएनएल पर पहले उठाई गई मांग पर इसे शामिल किया गया। Liquidated charges पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने पर जीएसटी के प्रारंभिक समय मे ही बहुत पहले चर्चा की गई थी तथा ई एंड वाई ने यह विचार व्यक्त किया कि एलडी शुल्कों पर कोई जीएसटी लागू नहीं होता जिसे ई एंड वाई द्वारा बाद में बदल दियाग या तथा यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रकार की दर से आपूर्ति की गई अथवा वापस की गई वस्तुओं के लिए साख पत्र (क्रेडिट नोट) ले लेना श्रेष्ठकर होगा। प्रापण नीति भी तद्नुसार संशोधित की गई आपूर्तियों के संबंध में प्रापपण नीति में परिवर्तन को देखते हुए आई एम 53 जारी किया गया था। इकाइयां साखपत्र प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। एक बार साख पत्र प्राप्त होने पर एमटीएनएल आवश्यक कार्रवाही कर सकता है विक्रेताओं के लिए इस प्रकार के साखपत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितम्बर 2020 है। इस बीच एमटीएनएल को ऐसे Liquidity Charges पर आईटीसी ने लेने को कहा गया है तथा किए गए भुगतान को तक तक आंशिक समझा जाएगा जब तक साखपत्र प्राप्त नहीं हो पाते। यदि साखपत्र प्राप्त नहीं होते तब एमटीएनएल बीजक (इनवायल)/ डेबिट पत्र जारी करेगा और इस पर जीएसटी का भुगतान करेगा तथा इंपुट टैक्स क्रेडिट भी प्राप्त करेगा। उपर्युक्त को देखते हुए, इस स्तर पर प्रभाव, यदि कोई हो तो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यदि एक बार रिटर्न को अंतिम स्थान दिया जाने है तो, देयता यदि कोई हो तो, को वित्त वर्ष 2020–21 में लेखे में लिया जाएगा।

Ø-l-	lki{krk	icU/ku dk mÙkj
XII	कंपनी ने पूर्व के वर्षों में अनुबंधित शर्तों को पूरा न करने के कारण विक्रेताओं से प्राप्त परिसमापन हर्जाना काटाध्एकत्र किया है, जिस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया गया है। वर्ष के लिए समेकित इंड–एएस वित्तीय विवरणों पर इसका वास्तविक प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है और इसका परिमाण नहीं है।	एलडी शुल्कों पर जीएसटी लगाने पर बहुत पहले चर्चा जीएसटी की शुरुआत के समय हुई थी और ईएंडवाई ने राय दी थी कि एलडी शुल्कों पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाता है जिसे बाद में ईएंडवाई द्वारा कुछ समय बाद बदल दिया गया था और सलाह दी गई थी कि इस तरह की देरी से आपूर्ति या लौटाए गए सामानों के लिए क्रेडिट नोट प्राप्त करना बेहतर है। खरीद नीति में भी तदनुसार संशोधन किया जाता है। खरीद नीति में बदलाव को देखते हुए डब्ल्यूआरटी आपूर्ति आईएम 53 जारी किया गया था। इकाइयां क्रेडिट नोट प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं और एक बार क्रेडिट नोट आने के बाद एमटीएनएल आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। वेंडर्स के लिए इस तरह के क्रेडिट नोट्स फाइल करने का समय 30 फरवरी 2020 तक है। इस बीच एमटीएनएल इकाइयों से कहा गया है कि वे ऐसी एलडी राशियों पर आईटीसी न लें और किए गए भुगतान को क्रेडिट नोट प्राप्त होने तक आंशिक माना जा सकता है । यदि कोई क्रेडिट नोट प्राप्त नहीं होता है तो एमटीएनएल इनवॉयसध्डेबिट नोट जारी करेगा और उस पर जीएसटी का भुगतान करेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी लाभ देगा। इसे देखते हुए, यदि कोई हो तो प्रभाव इस स्तर पर पता लगाने योग्य नहीं है और एक बार वापसी को अंतिम रूप दे दिया जाता है।

सत्यमेव जयते

dk;ky;

egkfun'kd y[kkijh{kd] foÙk ,o nj l pkj

शामनाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली–110054

पत्र सं. रिपोर्ट पीएसयू एकाउटंस्/एफ–238/एमटीएनएल/2019–20/458

दिनांक : 04/12/2020

सेवा में,

vè;{k ,o icèk fun'kd]
egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM]
दिल्ली

fo"k;% 31 ekpZ 2020 dk lekIr o"k gr egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM d lefdr y[kkvk ij diuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 143¼6½¼ch½ d vUrxr Hkkjr d fu;=d ,o egky[kkijh{kd dh fVIif.k;kA

महोदय,

इस पत्र के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं (समेकित) पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां आपके सूचनार्थ तथा आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जा रही है।

कृपया ई–मेल से पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्नकः उपर्युक्त

gLrk-@&

¼euh"k dekj½

i/kku fun'kd y[kk ijh{kk ¼foÙk ,o nj l pkj½

31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM ds lesfdr foÙkh; fooj.kksa ij dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼ch½ ds vrxZr Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;ka

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य संरचना के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने 22 जुलाई 2020 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा कर दिया है, ऐसा उनका कहना है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की पठित धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों से परे स्वतंत्र रूप से की गई है तथा मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कार्मियों से पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकार्डों के चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मै इस अधिनियम की धारा 124(4) के साथ पठित धारा 143(6) (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को विशेष रूप से चिह्नांकित करना चाहूंगा जो मेरी जानकारी में आए हैं तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने में सहायक होंगे।

foÙkh; fLFkfr ij fVIif.k;ka

rqyu i=

1- bfDoVh rFkk nss;rk,a

bfDoVh 'ks;j iwath ¼fVIi.kh 24½

ikfëkd`r iwath % 100]000]000]000 djksM+ #- ¼fiNys o"kZ 8000]000]000 djksM+ #-½ 10 #- iR;sd ds bfDoVh 'ks;j

28.09.2018 को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी और केप्स आदि को 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए अग्रिम सहायता के रूप में इक्विटी के अर्क के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन से अधिकृत शेयर पूंजी को 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ करने का संकल्प लिया गया। एजीएम नोटिस में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार) ने यह भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है कि यदि सरकार इससे सहमत नहीं है तो कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि नहीं की जाएगी।

हालांकि, एमटीएनएल ने अपनी अधिकृत शेयर पूंजी को 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया, बिना किसी मंजूरी/आदेश के या तो सरकार की मंजूरी या इक्विटी के अर्क के प्रस्ताव को मंजूरी देने की सरकार की मंशा दिखाई गई।

पिछले साल भी इस पर टिप्पणी की गई थी लेकिन कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2- [kkrk d fy, ukV l

vkdfLed nunkfj;k

उपरोक्त मद में 'शुद्ध इंटरनेट सेवा' के संबंध में देय लाइसेंस शुल्क को शामिल न करने के खातों पर 29.81 करोड़ रुपये की राशि का महत्व दिया गया है क्योंकि वर्ष 2019—20 के दौरान राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण में एमटीएनएल द्वारा कटौती के रूप में 372.62 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है। टीडीसैट ने 'शुद्ध इंटरनेट सेवाओं' पर लाइसेंस शुल्क की मांग पर कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को बने रहने की सशर्त राहत प्रदान की है, लेकिन यह मामला न्यायालय में अंतिम रूप से नहीं पहुंचा है। इस प्रकार लाइसेंस शुल्क के रूप में इस खाते पर देय राशि आकस्मिक देयता के तहत शामिल की जानी चाहिए थी।

d r Hkkjr d fu;=d vkj egky[kk ijh{kd dh vkj l

gLrk-@&
¼euh"k dekj½
i/kku fun'kd y[kk ijh{kk ¼foÙk ,o njl pkj½

LFkku % fnYyh
fnukd % 04@12@2020

31 ekp] 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM ds lefdr foÙkh; fooj.kksa ij dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh 143¼6½¼ch½ ds vraxZr Hkkjr ds fu;=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;ka

fu;=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;ka	,eVh,u,y izca/ku dk mÙkj
rqyu i= 1- bfDoVh rFkk ns;rk,a bfDoVh 'ks;j iwath ¼fVIi.kh 24½ izkf/kd`r iwath% 100]000]000]000 djksM+ ¼#-½ ¼fiNys o"kZ 8000]000]000 djksM+ #-½ 10 #- izR;sd dk bfDoVh 'ks;j दिनांक 28.09.2018 को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक में 4जी स्पैक्ट्रम के आबंटन के लिए अग्रिम समर्थन के रूप में इक्विटी के अंतःप्रवाह को 800 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने का संकल्प किया गया था, बशर्तें केंद्र सरकार के अनुमोदन प्राप्त हो। एजीएम नोटिस में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार) में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि सरकार इस बात से सहमत नहीं है तो कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि नहीं की जाएगी हालांकि, एमटीएनएल ने इस प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन अथवा इक्विटी के अंतप्रवाहः के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के इसके विचार को दर्शाने वाली किसी स्वीकृति/आदेश के बिना 800 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रु. की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की है। पिछले साल भी इस पर टिप्पणी की गई थी लेकिन कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	प्राधिकृत पूंजी का परिवर्तन कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार किया गया है। 32वीं एजीएम में 28.09.2018 को मंजूरी दी गई और भारत के राष्ट्रपति के नामिती, जो प्रमुख हितधारक हैं, ने इसे अन्य शेयरधारकों के साथ मंजूरी दे/दी। इसके अलावा डीओटी ने पत्र 30–04/2019–पीएसयू मामलों दिनांक 29.10.2019 के माध्यम से , पूंजी अंत प्रवाह के बजाय 4जी आबंटन के लिए कैबिनेट की मंजूरी से अवगत कराया। इस प्रकार सरकारी की मंजूरी उसे पहले से ही थी और इसलिए निछले वर्ष टिप्पणी कमें यही बताया गया था। मंत्रिमंडल की मंजूरी अलंघ्य है और इसे प्रशानिक स्तर पर नहीं बदला जा सकता। इसलिए एमटीएनएल को ध्यान दृष्टि में इस पर आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। 08.01.2020 को आयोजित ईजीएम के अलावा राष्ट्रपति के नामिती द्वारा इसका वर्गीकरण भी अनुमोदित किया गया था। इसे सरकार की पर्याप्त स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रकार आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

fu;=d ,o egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k	,eVh,u,y i|cèku d| mÙkj
2. प्रकटन पर टिप्पणियां आकस्मिक देयताएं उपरोक्त मद में 'शुद्ध इंटरनेट सेवा' के संबंध में देय लाइसेंस शुलक को शामिल न करने के खातों पर 29.81 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है क्योंकि वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण में एमटीएनएल द्वारा कटौती के रूप में 372.62 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है। टीडीसैट ने 'शुद्ध इंटरनेट सेवाओं' पर लाइसेंस शुल्क की मांग पर कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को यथास्थिति पर बने रहने की सशर्तें राहत प्रदान की है, लेकिन यह मान्यता न्यायालय में अंतिम रूप से नहीं पहुंचा है। इस प्रकार लाइसेंस शुल्क के रूप में इस खाते पर देय राशि आकस्मिक देयता के तहत शामिल की जानी चाहिए थी।	पहले ही दिए गए उत्तर में, यह अवगत कराया गया था कि वित्त वर्ष 2015–16 के लिए अनंतिम मूल्यांकन भेजते समय डीओटी ने शुद्ध इंटरनेट सेवा आय की कटौती के कारण किसी भी मांग की मात्रा निर्धारित नहीं की है। यह भी कहा गया है कि विवाद और पत्राचार के तहत उन सभी मांगों के लिए आकस्मिक देयता बनाई जाती है, भले ही एमटीएनएल ने अनंतिम मांगों को वापस लेने के लिए सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं दस्तावेज प्रस्तुत किए हो। 2015–16 से 2018–19 तक ऑडिट के मामले में भी एमटीएनएल के खातों पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी गई थी। इस प्रकार 2019–20 के लिए या दूरसंचार विभाग से पहले के वर्षों के लिए भी इस खाते पर कोई मांग नहीं है। इसलिए वर्ष 2019–20 के लिए आकस्मिक दायित्व का सृजन नहीं किया जाता हहै। अंतिम रूप से प्राप्त होने पर या डीओटी से इस पर कोई विशिष्ट मुद्दा प्राप्त होने पर आकस्मिक देयताओं पर लेखामानकों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ता. /–
¼euh"k dqekj½
i/kku funs'kd y[kk ijh{kk ¼foÙk ,o nwj lapkj½

हस्ता. /–
¼lqYrku vgen½
egkic/kd ¼foÙk½ fuxe dk;kZy;

dk;ky;

egkfun'kd y[kkijh{kd] foÙk ,o njlpkj

शामनाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय), दिल्ली–110054

सत्यमेव जयते

पत्र सं. रिपोर्ट पीएसयू एकाउटंस्/एफ–263/एमटीएनएल/2019–20/461

दिनांक : 07/12/2020

सेवा में,

vè;{k ,o icèk fun'kd]
egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM]
दिल्ली

fo"k;% 31 ekpZ] 2020 dk lekIr o"k gr egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM d lefdr y[kkvk ij diuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 143¼6½¼ch½ d vUrxr Hkkjr d fu;=d ,o egky[kkijh{kd dh fVIif.k;kA

महोदय,

इस पत्र के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं (समेकित) पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां आपके सूचनार्थ तथा आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की जा रही है।

कृपया ई–मेल से पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्नकः उपर्युक्त

gLrk-@&

¼euh"k dekj½

i/kku fun'kd y[kk ijh{kk ¼foÙk ,o njlpkj½

31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM ds lesfdr foÙkh; fooj.kksa ij dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh ifBr /kkjk 143¼6½¼ch½ ds varxZr Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;ka

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य संरचना के अनुसार 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। उन्होंने 29 जुलाई 2020 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा कर दिया है, ऐसा उनका कहना है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है परन्तु महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड (कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) और एमटीएमएल डाटा लिमिटेड तथा एमटीएमएल इंटरनेशनल लिमिटेड (उप अनुषंगी कंपनियां), यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड तथा एमटीएनएल, एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां) के उसी तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6) (बी) संबंधित कानूनों के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए महानगर टेलीफोन मॉरीशस लिमिटेड, एमटीएमएल डाटा लिमिटेड, एमटीएमएल इंटरनेशनल लिमिटेड, यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड और एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड पर लागू नहीं होती हैं। तदनुसार, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने इन कंपनियों के लिए न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इनकी अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों से परे स्वतंत्र रूप से की गई है तथा मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कार्मियों से पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकार्डों के चयनित परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मै इस अधिनियम की धारा 124(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को विशेष रूप से चिह्नांकित करना चाहूंगा जो मेरी जानकारी में आए हैं तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा संबद्ध लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने में सहायक होंगे।

foÙkh; fLFkfr ij fVIif.k;ka

ryu i=

1- bfDoVh rFkk ns;rk,a

bfDoVh 'ks;j iwath ¼fVIi.kh 24½

ikfèkd`r iwath % 100]000]000]000 djksM+ #- ¼fiNys o"kZ 8000]000]000 djksM+ #-½ 10 #- iR;sd ds bfDoVh 'ks;j

दिनांक 28.09.2018 को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक में 4जी स्पैक्ट्रम के आबंटन के लिए अग्रिम समर्थन के रूप में इक्विटी के अंतःप्रवाह को 800 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने का संकल्प किया गया था, बशर्तें केंद्र सरकार के अनुमोदन प्राप्त हो। नोटिस में व्याख्यात्मक वक्तव्य (कंपनी अधिनियिम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि सरकार इससे सहमत नहीं है तो कंपनी की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि नहीं की जाएगी।

हालांकि, एमटीएनएल ने इस प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन अथवा इक्विटी के अंतप्रवाहः के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के इसके विचार को दर्शाने वाली किसी स्वीकृति/आदेश के बिना 800 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रु. की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की है।

पिछले वर्ष भी इस पर टिप्पणी की गई थी लेकिन कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

2- ys[kkvksa ij fVIif.k;ka

vkdfLed ns;rk,a

उपरोक्त मद में 'शुद्ध इंटरनेट सेवा' के संबंध में देय लाइसेंस शुल्क को शामिल न करने के खातों पर 29.81 करोड़ रुपये की राशि का महत्व दिया गया है क्योंकि वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण में एमटीएनएल द्वारा कटौती के रूप में 372.62 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है। टीडीसैट ने 'शुद्ध इंटरनेट सेवाओं' पर लाइसेंस शुल्क की मांग पर कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को बने रहने की सशर्त राहत प्रदान की है, लेकिन यह मामला न्यायालय में अंतिम रूप से नहीं पहुंचा है। इस प्रकार लाइसेंस शुल्क के रूप में इस खाते पर देय राशि आकस्मिक देयता के तहत शामिल की जानी चाहिए थी।

d`rs Hkkjr ds fu;a=d vkSj egkys[kk ijh{kd dh vksj ls

gLrk-@&
¼euh"k dqekj½
iz/kku funs'kd ys[kk ijh{kk ¼foÙk ,oa nwjlapkj½

LFkku % fnYyh
fnukad % 07@12@2020

31 ekp] 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM ds lefdr foÙkh; fooj.kksa ij dsiuh vf/kfu;e] 2013 dh 143¼6½¼ch½ ds vrxZr Hkkjr ds fu;=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;ka

fu;=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;ka	,eVh,u,y iccU/ku ds mÙkj
rqyu i= 1- bfDoVh rFkk ns;rk,a bfDoVh 'ks;j iwath ¼fVIi.kh 24½ ikfëkd`r iwath% 100]000]000]000 djksM+ ¼#-½ ¼fiNys o"kZ 8000]000]000 djksM+ #-½ 10 #- iR;sd ds bfDoVh 'ks;j दिनांक 28.09.2018 को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की 32वीं वार्षिक आम बैठक में 4जी स्पैक्ट्रम के आबंटन के लिए अग्रिम समर्थन के रूप में इक्विटी के अंतःप्रवाह को 800 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने का संकल्प किया गया था, बशर्तें केंद्र सरकार के अनुमोदन प्राप्त हो। एजीएम नोटिस में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार) में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि सरकार इस बात से सहमत नहीं है तो कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि नहीं की जाएगी हालांकि, एमटीएनएल ने इस प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन अथवा इक्विटी के अंतप्रवाहः के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के इसके विचार को दर्शाने वाली किसी स्वीकृति/आदेश के बिना 800 करोड़ रुपये से 10,000 करोड़ रु. की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की है। पिछले साल भी इस पर टिप्पणी की गई थी लेकिन कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।	प्राधिकृत पूंजी का परिवर्तन कंपनी अधिनियम के नियमों के अनुसार किया गया है। 32वीं एजीएम में 28.09.2018 को मंजूरी दी गई और भारत के राष्ट्रपति के नामिती, जो प्रमुख हितधारक हैं, ने इसे अन्य शेयरधारकों के साथ मंजूरी दे/दी। इसके अलावा डीओटी ने पत्र 30–04/2019–पीएसयू मामलों दिनांक 29.10.2019 के माध्यम से , पूंजी अंत प्रवाह के बजाय 4जी आबंटन के लिए कैबिनेट की मंजूरी से अवगत कराया। इस प्रकार सरकारी की मंजूरी उसे पहले से ही थी और इसलिए निछले वर्ष टिप्पणी कमें यही बताया गया था। मंत्रिमंडल की मंजूरी अलंघ्य है और इसे प्रशानिक स्तर पर नहीं बदला जा सकता। इसलिए एमटीएनएल को ध्यान दृष्टि में इस पर आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। 08.01.2020 को आयोजित ईजीएम के अलावा राष्ट्रपति के नामिती द्वारा इसका वर्गीकरण भी अनुमोदित किया गया था। इसे सरकार की पर्याप्त स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रकार आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

fu;=d ,o egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k	,eVh,u,y icèku d mÙkj
2. प्रकटन पर टिप्पणियां आकस्मिक देयताएं उपरोक्त मद में 'शुद्ध इंटरनेट सेवा' के संबंध में देय लाइसेंस शुलक को शामिल न करने के खातों पर 29.81 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है क्योंकि वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण में एमटीएनएल द्वारा कटौती के रूप में 372.62 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया है। टीडीसैट ने 'शुद्ध इंटरनेट सेवाओं' पर लाइसेंस शुल्क की मांग पर कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को यथास्थिति पर बने रहने की सशर्तें राहत प्रदान की है, लेकिन यह मान्यता न्यायालय में अंतिम रूप से नहीं पहुंचा है। इस प्रकार लाइसेंस शुल्क के रूप में इस खाते पर देय राशि आकस्मिक देयता के तहत शामिल की जानी चाहिए थी।	पहले ही दिए गए उत्तर में, यह अवगत कराया गया था कि वित्त वर्ष 2015–16 के लिए अनंतिम मूल्यांकन भेजते समय डीओटी ने शुद्ध इंटरनेट सेवा आय की कटौती के कारण किसी भी मांग की मात्रा निर्धारित नहीं की है। यह भी कहा गया है कि विवाद और पत्राचार के तहत उन सभी मांगों के लिए आकस्मिक देयता बनाई जाती है, भले ही एमटीएनएल ने अनंतिम मांगों को वापस लेने के लिए सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं दस्तावेज प्रस्तुत किए हो। 2015–16 से 2018–19 तक ऑडिट के मामले में भी एमटीएनएल के खातों पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी गई थी। इस प्रकार 2019–20 के लिए या दूरसंचार विभाग से पहले के वर्षों के लिए भी इस खाते पर कोई मांग नहीं है। इसलिए वर्ष 2019–20 के लिए आकस्मिक दायित्व का सृजन नहीं किया जाता हहै। अंतिम रूप से प्राप्त होने पर या डीओटी से इस पर कोई विशिष्ट मुद्दा प्राप्त होने पर आकस्मिक देयताओं पर लेखामानकों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ता./–
¼euh"k dqekj½
i/kku funs'kd ys[kk ijh{kk ¼foÙk ,oa njlpkj½

हस्ता./–
¼lYrku vgen½
egkizc/kd ¼foÙk½ fuxe dk;kZy;

i i= ,vks lh&I

¼dEiuh ¼ys[kk½ fu;ekoyh] 2014 ds fu;e 5 ds lkFk ifBr /kkjk 129 dh mi&/kkjk ¼3½ ds iFke ijarqd ds vuqlj.k e½

lgk;d@lg;ksxh dEifu;ka@la;qDr miØeksa ds foÙkh; fooj.kksa dh izeq[k fo'ks"krkvksa dk fooj.kA

Hkkx ^,* % lgk;d dEifu;k

1. क्रम संख्या : 01
2. सहायक कंपनी का नाम : feyfu;e Vsyhdke fyfeVM
3. सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तारीख : 17.02.2000
4. संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्ट की अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से भिन्न हो तो : धारक कंपनी के समान
5. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विनिमय दर : लागू नहीं
6. शेयर पूंजी : 2.88 करोड़ रुपये
7. आरक्षित एवं अधिशेष : 2.49 करोड़ रुपये
8. कुल परिसंपत्तियां : Rs. 9.26 crore
9. कुल देयताएं : 9.26 करोड़ रुपये
10. निवेश : शून्य
11. कुल कारोबार (टर्नओवर) : 1.74 करोड़ रुपये
12. कराधान से पूर्व लाभ : 0.35 करोड़ रुपये
13. कराधान हेतु प्रावधान : 0.09 करोड़ रुपये
14. कराधान पश्चात लाभ : 0.26 करोड़ रुपये
15. प्रस्तावित लाभांश : 0.05 करोड़ रुपये
16. शेयरधारिता का % : 100%

iii= ,vklh&I

¼daiuh ¼ys[kk½ fu;ekoyh] 2014 ds fu;e 5 ds lkFk ifBr /kkjk 129 dh mi&/kkjk ¼3½ ds iFke ijarqd ds vuqlj.k esa½

1.	क्रम संख्या	: 02
2.	सहायक कंपनी का नाम	: egkuxj VsyhQksu ¼ekWjh'kl½ fyfeVsM
3.	सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तारीख	: 14.11.2000
4.	संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्ट की अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से भिन्न हो तो	: धारक कंपनी के समान
5.	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विनिमय दर	: रिपोर्टिंग मुद्रा–मॉरिशयन रुपया (एमयूआर)
6.	विनिमय दर	: 1 रुपया = 0.5330 एमयूआर
7.	शेयर पूंजी	: 117.19 करोड़ रुपये
8.	आरक्षित एवं अधिशेष	: 19.40 करोड़ रुपये
9.	कुल परिसंपत्तियां	: 162.73 करोड़ रुपये
10.	कुल देयताएं	: 162.73 करोड़ रुपये
11.	*निवेश	: शून्य
12.	कुल कारोबार (टर्नओवर)	: 89.50 करोड़ रुपये
13.	कराधान से पूर्व लाभ	: 4.12 करोड़ रुपये
14.	कराधान हेतु प्रावधान	: 0.66 करोड़ रुपये
15.	कराधान पश्चात लाभ	: 3.47 करोड़ रुपये
16.	प्रस्तावित लाभांश	: 0.98 करोड़ रुपये
17.	शेयरधारिता का %	: 100%

* सहायक कंपनियों में निवेश को छोड़कर निवेश।

1. सहायक कंपनियों के नाम जिनका प्रचालन अभी शुरू होना हैः लागू नहीं

2. सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान जिन्हें परिसमापन अथवा बेच दिया गयाः लागू नहीं

Hkkx ^ch* lg;kxh rFkk l;qDr m|e

lg;kxh rFkk l;qDr m|eka l s lacaf/kr daiuh vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 129¼3½ d s vuql j.k e s fooj.k

lgk;d@l;qDr m|e dk uke	;qukbVsM Vsyhdke fyfeVsM	,eVh,u,y ,lVhihvkbZ vkbZVh lfoZl fy-
1- uohure ys[kkijhf{kr rqyui=k rkjh[k	31.03.2020	31.03.2020
2- fdl rkjh[k dks lg;kxh vFkok l;qDr m|e dks l;kftr fd;k x;k vFkok vf/kxfgr fd;k x;k	21.07.2001	31.03.2006
3- o"kZ vr e s daiuh }kjk /kkfjr lg;kxh@l;qDr m|eka d s 'ks;j		
संख्या	5736200	2282000
सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	35.85 करोड़ रुपये	2.28 करोड़ रुपये
प्रदान की गई धारिता का %	26.68%	50%
4- egRoi.kZ iHkko d sl s g] bldk fooj.k	20% से अधिक शेयर धारिता	20% से अधिक शेयर धारिता
5- lg;kxh@l;qDr m|e lesfdr u gksu s dk dkj.k	लागू नहीं	लागू नहीं
6- uohure ys[kkijhf{kr rqyu i=k d s vuqlkj 'ks;j/kkfjrk ij vkjksi.kh; fuoy ekfy;r	शून्य	5.36 करोड़ रुपये
7- o"kZ dk ykHk@gkfu	हानि	लाभ
i. समेकन में माना गया	-	0.93 करोड़ रुपये
ii. समेकन में नहीं माना गया	(79.55) करोड़ रुपये	0.93 करोड़ रुपये

1. उन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्हें प्रचालन अभी शुरू करना हैः लागू नहीं

2. उन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन अथवा बेच दिया गयाः लागू नहीं

d s fy, rFkk dh vksj l s egkuxj VsyhQksu fuxe fyfeVsM

¼efeyn fot; t ks'kh½

निदेशक (वित्त)

¼,l- vkj- L;ky½

कंपनी सचिव

¼ih-d s- iqjokj½

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

LFkku% नई दिल्ली

fnukad% 19.09.2020

feyfu;e Vyhdke fyfeVM

(एमटीएनएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

fun'kdk dh fjikV

प्रिय शेयरधारक,

आपकी कंपनी के निदेशक सहर्ष दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखों का विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 18वीं वार्षिक रिपार्ट प्रस्तुत करते हैं तथा निम्नलिखित के अनुसार रिपोर्ट करते हैः

foÙkh; fu"iknu

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी को पिछले वर्ष हुए निवल लाभ 34,69,730/- रु. की तुलना में 86,58,796/- रु. का निवल लाभ हुआ है तथा पिछले वर्ष के आरक्षित व अधिशेष के 2,49,46,417/- रु. की तुलना में इस वर्ष 2,86,56,865/- रु. आरक्षित व अधिशेष दर्ज हुआ है।

foÙk o"k 2019&20 e feyfu;e Vyhdke fyfeVM dk fu"iknu

वर्ष 2016–17 में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए एमटीएल को ''उत्कृष्ट'' एमओयू रेटिंग प्राप्त हुई है। एमटीएल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में दूरसंचार सलाह एवं इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन, वाई–फाई समाधान, ई–गवर्नेंस परियोजना, मैनेज्ड सेवाएं, टर्नकी आईसीटी समाधान जीआईएस आधारित सेवाएं क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास आदि शामिल है। मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) भी बहुत ऊंची वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। 2014–15 में कंपनी अखिल भारतीय स्तर पर अन्य आईसीटी संबंधी व्यापार के प्रणामी एकीकरण द्वारा लाभ अर्जित करने वाली कंपनी की ओर मुड़ी है। 2014–15 से कंपनी निरंतर लाभ अर्जित कर रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष अर्थात 2019–20 के दौरान कंपनी ने 1.47 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। एमटीएल ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि में रुपये 25.67 लाख का निवल लाभ अर्जित किया है। एमटीएल आने वाले वर्षों में और अधिक आदेश प्राप्त करने में सफल होने की प्रक्रिया में हैं। एमटीएल को सरकारी संस्थाओं द्वारा नामांकन आधार पर बहुत बड़ी संख्या में कार्य सौंपे गए हैं जिन्हें एमटीएल द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है। इसकी उपभोक्ता सूची में एयर इंडिया, जम्मू एवं कश्मीर सरकार, केंद्रीय विश्वविद्यालय (महेन्द्रगढ़) हरियाणा, यूपी बिल्डिंग एवं अन्य कन्सट्रक्शन्स वर्करस वेलफेयर बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू– डब्ल्यूबी), लखनऊ आदि सम्मिलित हैं। एमटीएल सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के अनुकूल सामान्य के साथ–साथ उनके अनुसार विशिष्ट समाधान प्रदान करने के लिए अपनी सेवाओं के क्षेत्रों का विस्तार भी कर रहा है। वर्ष 2016–17 में रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से एमटीएल ने खुली निविदा के माध्यम से 26 व्यापार विकास एसोसिएट्स (बीडीए) को 10 वर्षों के लिए सूचीबद्ध किया है। वित्त वर्ष 2019–20 में एमटीएल ने श्रम उपकर, सिडको, ईपीएबीएक्स सर्वर (3 वर्ष का अनुबंध), टीएमसी डब्ल्यूएएन नेटवर्किंग (5 वर्ष का अनुबंध) टीएमसी निधि प्रबंधित सेवाएं (5 वर्षों का अनुबंध) आदि के लिए सामाजिक कल्याण निधि सृजित करने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ और गाजियाबाद के विभिन्न परियोजनाओं के लिए जीआईएस आधरित सर्वेक्षण पर काम किया है।

dkfed

आपकी कंपनी ने कोई नियमित कर्मचारी नियुक्त नहीं किए हैं। एमटीएनएल के कुछ अधिकारियों को उनके वर्तमान कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त एमटीएल का कार्य देखने के लिए नामित किया गया है। यह कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। क्योंकि बाजार में काफी व्यवसाय उपलब्ध है।

'k;j ith

कंपनी की शेयर पूंजी तथा शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु. 2,87,58,800/- (28,75,880/- इक्विटी शेयर 10 रु. प्रत्येक) है। सभी शेयर एमटीएनएल तथा इसके नामितियों के पास हैं।

ykHkk'k

आप की कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु. 2,87,58,800/-पर 2 प्रतिशत की दर अर्थात् 28,75,880/- शेयरों पर 0.20 प्रति शेयर अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है जो रु. 5,75,176/- बनता है।

fun'kdk dk mÙkjnkf;Ro fooj.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक अपनी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार यह पुष्टि करते हैं कि:

(ए) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण अंतर के संबंध में लागू लेखा मानकों को ध्यान में रखा गया है तथा उपयुक्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

(बी) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है एवं उन्हें संगत रूप से लागू किया है तथा तर्क संगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन किए हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि तथा कंपनी की गतिविधियों की वास्तविक एवं न्यायसंगत स्थिति सामने आए।

(सी) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखों तथा अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा रिकॉर्डो को रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।

(डी) निदेशकों ने क्रियाशील कंपनी आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

(ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन करने हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को निर्धारित किया है और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा दक्षतापूर्वक इनका परिचालन किया जा रहा है।

(एफ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की उचित पद्धति बनाई और इस प्रकार की पद्धतियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही हैं।

bl foÙkh; fooj.k ls lacaf/kr foÙk o"kZ ds var rFkk fjiksVZ dh rkjh[k ds chp gksus okys egRoiw.kZ ifjorZu rFkk cpuc)rk,a] ;fn dksbZ gks] ftlls daiuh dh foÙkh; fLFkfr ij izHkko iMk gksA

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भौतिक और प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान नहीं हुई है, जिससे यह वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तिथि से संबंधित है कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

Åtkl laj{k.k] izkS|ksfxdh lekos'ku] fons'kh eqnk vtZu ,oa O;;

सेवा प्रदाता कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (एम) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का कोई आगमन और बहिर्गमन नहीं हुआ।

dkfeZdksa dk fooj.k rFkk lacaf/kr izdVhdj.k

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के प्रावधान कंपनी नियमावली 2014 के नियम 5 (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) के साथ पठित आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

dk;ZLFky ij efgykvksa dk ;kSu mRihMu ¼fuokj-k] fu"ks/k]oa lek/kku½ vf/kfu;e] 2013 dk dk;kZUo;u

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी समिति को कोई मामला नहीं भेजा गया है।

foÙk o"kZ 2019&20 esa fun'kd eMy dh cSBdksa dh la[;k

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की चार बैठकें हुईं। निदेशक मंडल की बैठकों का विस्तृत विवर.ा नीचे दिया गया है:–

Ø-l-	cBd l[;k	frfFk	LFkku
1	90	27.05.2019	नई दिल्ली
2	91	07.09.2019	मुंबई
3	92	17.12.2019	मुंबई
4	93	18.03.2020	नई दिल्ली

fun'kd

श्री सुनील कुमार, ,मटी,न,ल (धारक कंपनी) के अध्यक्ष एवं नामिती निदेशक बने रहे। श्री सुल्तान अहमद व श्री एसपी राय वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान एमटीएनएल के नामिती निदेशक बने रहे। श्री प्रवीण पुंज दिनांक 07–09–2019 से नामिती निदेशक नहीं रहे और उनके स्थान पर श्री ए के श्रीवास्तव को दिनांक 19–09–2019 से नामिती निदेशक बनाया गया श्री ए के श्रीवास्तव भी दिनांक 30–11–2019 से नामिती निदेशक नहीं रहे तथा श्री वी श्रीशंकर को दिनांक 30–01–2020 से उनके स्थान पर नामिती निदेशक नियुक्त किया गया।

e[; ipkyu vf/kdkjh

श्री दीपक मुखर्जी प्र.म–प्र– (ईबी), ,मटी,न,ल, मुंबई तथा श्री ए०आर, गुप्ता उप महाप्रबंधक (ईबी), निगम कार्यालय आपकी कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) बने रहेंगे। वे एमटीएनएल में अपने मौजूदा करते हुए और जिम्मेदारियों के अलावा मुख्य परिचालन अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे हैं

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 134 ¼3½¼,½ ds vuqlj.k esa dEiuh vf/kfu;e] 2013 ¼,etheVh&9½ dh /kkjk 92¼3½ ds varxZr okf"kZd foojf.kh ls m)j.k

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3)(ए) के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) (प्रपत्र–एमजीटी–9 में) के अंतर्गत वार्षिक विवरणी का उद्धरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

dkWjiksjsV lkekftd nkf;Ro lfefr

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन से संबंधित धारा 135 के प्रावधान एवं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियां करना कंपनी पर लागू नहीं हैं।

dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 186 ds varxZr fn, x, _.k] xkjaVh rFkk fd, x, fuos'k dk foj.k leh{kk/khu o"kZ ds nkSjku

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया, गारंटी नहीं दी अथवा निवेश नहीं किया।

lkof/k tek

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं की हैं अतः तुलनपत्र की तारीख को इस मद में मूलधन अथवा ब्याज की कोई राशि बकाया नहीं थी।

lacaf/kr i{kksa ds lkFk fd, x, djkjksa@vuqca/kksa dk fooj.k

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने इससे संबंधित किसी भी पक्ष से कोई महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया है। कंपनी के सभी मुख्य संबंधित पक्षों से लेन–देन सामान्यतः इसकी धारक कंपनी अर्थात एमटीएनएल से होते है। सभी संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन व्यवसाय के सामान्य क्रम तथा स्वतंत्र व्यवहार के आधार पर होते हैं जिनका उद्देश्य कंपनी के हित में होता है तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 नियम 134 (3) (एच) के तहत एओसी–2 फार्म में संबंधित पार्टी लेन–देन का प्रकटन लागू नहीं होता।

y[kkijh{kd

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) के तहत के मैसर्स ब्रह्मेचा मोदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को वर्ष 2019–20 के लि, आपकी कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। उक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कंपनी के खातों की पुस्तकों का लेखा परीक्षण किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। वित्त वर्ष 2020–21 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अभी तक सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है।

diuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143 ¼6½ ¼ch½ d vrxr Hkkjr d fu;=d ,o egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने पत्र संख्या प्रतिनिधि–एफए / एफ–248 / एमटीएल / 2020–21 / 270 दिनांक 13 / 08 / 2020 के माध्यम से आपकी कंपनी को सूचित किया है कि सीएजी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एमटीएल के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया है और इस प्रकार कोई टिप्पणी 2020 नहीं है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

vkHkkj

निदेशक मंडल धारक कंपनी अर्थात एमटीएनएल, दूरसंचार विभाग (डीओटी) तथा अन्य सरकारी मंत्रालयों / विभागों द्वारा कंपनी को समय–समय पर दी गई सहायता, मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए आभारी है।

निदेशक मंडल कंपनी के संचालन में एमटीएनएल के प्रबंधन तथा सभी स्तर के कार्मिकों द्वारा दी गई बहुमूल्य सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

Sd/-
lquhy dqekj
v/;{k
Mhvkbu% 06628803

LFkku : नई दिल्ली
fnukd : 11.09.2020

QkeZ la[;k ,ethVh 9
okf"kZd izfrykHk ¼fjVuZ½ dk lkjka'k
foÙkh; o"kZ 31 ekpZ 2019 dh fLFkfr ds vuqlkj

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) अनुसरण में)

1. iathdj.k ,oa vU; fooj.k%
   - i. lhvkbZ,u%& U64200DL2000GOI333459
   - ii. iathdj.k frfFk%& 17 Qjojh] 2000
   - iii. daiuh dk uke %& मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
   - iv. daiuh dh Js.kh@mi&Js.kh% एमटीएनएल के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी।
   - v. iathÑr dk;kZy; dk irk rFkk laidZ fooj.k% कमरा नं. 4208, चौथा तल, महानगर दूरसंचार सदन, 9 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
   - vi. D;k daiuh lwphc) gS gk@ugh% नहीं
   - vii. iath;d vkSj varj.k ,tsaV dk uke] irk rFkk laidZ fooj.k] ;fn dksbZ gS rks%& शून्य
2. daiuh dh izeq[k O;kikj xfrfofèk;k%

   कंपनी के कुल कारोबार के 10 प्रतिशत या उससे अधिक के कारोबार का विवरण निम्नलिखित हैः–

Ø- la-	eq[; mRikn@lsok dk uke ,oa fooj.k	mRikn@lsok dk ,uvkbZlh dksM	daiuh ds dqy dkjksckj dk izfr'kr
1	सूचना प्रौद्योगिकी/डाटा	892	92%

3. /kkjd] lgk;d rFkk lg ¼,lksfl,V½ daifu;ksa dk fooj.k&

Ø- la-	daiuh dk uke ,oa irk	lhvkbZ,u@ th,y,u	/kkjd@lgk;d@ lg ¼,lksfl,V½ daiuh	/kkfjr 'ks;jksa dk izfr'kr	ykxw /kkjk
1	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) महानगर दूरसंचार सदन, 5वीं मंजिल सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003	L32101DL1986GOI023501	धारक कंपनी	100%	2 (87)

4. 'ks;j/kkfjrk dk uewuk ¼dqy bfDoVh ds izfr'kr ds :i esa bfDoVh 'ks;jiath dk vyx&vyx fooj.k½

1. Js.khokj& 'ks;j/kkfjrk

'ks;j/kkjdksa dh Js.kh	o"kZ ds izkjEHk esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k ¼01-04-2019½				o"kZ ds var esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k 31-03-2020				o"kZ ds nkSjku ifjorZu dk izfr'kr
	MheSV	HkkSfrd	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	MheSV	HkkSfrd	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	
,½ izorZd									
1. Hkkjrh;									
ए) वैयक्तिक/हिंदू अविभाजित परिवार	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0

'kS;j/kkjdksa dh Js.kh	o"kZ ds izkjEHk esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k ¼01-04-2019½				o"kZ ds var esa /kkfjr 'ks;jksa dh la[;k 31-03-2020				o"kZ ds nkSjku ifjorZu dk izfr'kr
	MheSV	HkkSfrd	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	MheSV	HkkSfrd	dqy	dqy 'ks;jksa dk %	
बी) केंद्र सरकार/राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
सी) निगमित निकाय (एमटीएनएल)	0	2875880	2875880	100.0	0	2875880	2875880	100	0
डी) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
ई) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
mi&;ksx **1. (1):-**	0	2875880	2875880	100	0	0	2875880	285880	0
(2) fons'kh		0	0				0	0	
ए) अप्रवासी भारतीय–वैयक्तिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
बी) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
सी) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
डी) कोई अन्य......	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
mi&;ksx ¼,½ **(2):-**	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
izorZd dh dqy 'ks;j/kkfjrk (,)=(,)(1)+(,)(2)	0	2875880	2875880	100	0	2875880	2875880	100	0
ch- lkoZtfud 'ks;j/kkfjrk	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
1. संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
mi&;ksx ¼ch½ **(1):-**	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
2. गैर संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
mi&;ksx ¼ch½ **(2):-**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dqy lkoZtfud 'ks;j/kkfjrk **(ch)=(ch)(1)+(ch)(2)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
lh½ thMhvkj vkSj ,Mhvkj ds fy, vfHkj{kd }kjk /kkfjr 'ks;j	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dqy ;ksx (,+ch+lh)	**0**	**2875880**	**2875880**	**100**	**0**	**2875880**	**2875880**	**100**	**0**

II. izorZdksa dh 'ks;j/kkfjrk

क्र सं.	'ks;j/kkjdksa dk uke	o"kZ ds izkjEHk esa 'ks;j/kkfjrk ¼01-04-2019½			o"kZ ds var esa 'ks;j/kkfjrk 31-03-2020			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/ ऋण भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से गिरवी/ ऋण भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
1.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2875880	100.00	शून्य	2875880	100.0	शून्य	शून्य
	dqy	**2875880**	**100.00**	'kwU;	**2875880**	**100.0**	'kwU;	'kwU;

III. izorZdksa dh 'ks;j/kkfjrk esa ifjorZu ¼;fn dksbZ ifjorZu ugha gS rks Ñi;k C;kjk nsa½

Ø l-		o"kZ ds izkjEHk esa 'ks;j/kkfjrk ¼01-04-2019½		o"kZ ds nkSjku lap;h 'ks;j/kkfjrk foÙk o"kZ 2019&20	
		'ks;jksa dh la[;k	daiuh ds dqy 'ks;jksa dk izfr'kr	'ks;jksa dh la[;k	daiuh ds dqy 'ks;jksa dk izfr'kr
	वर्ष के प्रारंभ में	2875880	100.00	2875880	100.00

Ø l-		o"k d ikjHk e 'k;j/kkfjrk ¼01-04-2019½		o"k d nkjku lp;h 'k;j/kkfjrk foÙk o"k 2019&20	
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk ifr'kr	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dk ifr'kr
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी कारण सहित वृद्धि/कमी का ब्यौरा दें (अथार्त आबंटन/अंतरण/बोनस/श्रमजन्य इक्विटी आदि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	2875880	100.00	2875880	100.00

IV. lcl vf/kd 'k;j/kkj.k dju oky 10 'k;j/kkjdk d 'k;jèkkj.k dk ueuk ¼fun'kdk] iorldk vkj thMhvkj ,o ,Mhvkj /kkjdk d vfrfjDr½ % लागू नहीं

V. fun'kdk vkj ie[k ic/ku dkfeldk dh 'k;j/kkfjrk % शून्य

VI. _.kxLrrk

vnÙk@ikonHkr C;kt lfgr diuh dh _.kxLrrk ijrq Hkxrku d fy, n; ugha

	tek dk NkM dj tekurh _.k	xj tekurh _.k	tek	dy _.kxLrrk
वित वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता 01.04.2018 **i)** मूलधन राशि **ii)** देय ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया **iii)** प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	'kU; **0** **0**	**60,60,175** **0** **0**	'kU; **0** **0**	**60,60,175** **0** **0**
dy **(i+ii+iii)**	'kU;	**60,60,175**	'kU;	**60,60,175**
for o"k d nkjku _.kxLrrk e ifjorlu • ifjoèkLu • deh	-	-	-	-
fuoy ifjorlu	-	'kU;	-	'kU;
foÙk o"k d vr e _.kxLrrk 31-03-2020 i. मूलधन राशि ii. देय ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया iii. प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं	- - -	**60,60,175** - -	- - -	**60,60,175** - -
dy **(i+ii+iii)**	-	**60,60,175**	-	**60,60,175**

VII. fun'kdk vkj ie[k ic/ku dkfeldk dk ikfjJfed % ,eVh,u,y dh ukekoyh e bl le; dkbl deh ugh gA

ए. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक : लागू नहीं

बी. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़ कर प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक : लागू नहीं

VIII. nM@ltk@vijkèk dk le>kSrk : शून्य

सत्यमेव जयते

क्रमांक रिपोर्ट–एफए / एफ–248 / एमटीएनएल / 2020–21 / 270
No.

dk;ky;
egkfun'kd y[kkijh{kd] foÙk ,o njlpkj
'kkeukFk ekx] ¼lehi iqjkuk lfpoky;½] fnYyh&110054

fnukd %13/08/2020
Date : 13/08/2020

सेवा में,
vè;{k ,o icèk fun'kd]
feyfu;e Vyhdke fyfeVM ¼,eVh,y½]
चौथा तल, 9 सीजीओ कॉम्प्लेक्स
महानगर दूरसंचार सदन
दिल्ली – 110001

fo"k;% 31 ekp] 2020 dk lekIr o"k grq feyfu;e Vyhdke fyfeVM ¼,eVh,y½ d xj&leh{kk iek.k i=A

महोदय,

इस पत्र के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं पर गैर–समीक्षा प्रमाण पत्र आपके सूचनार्थ तथा आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहा हूँ।

भवदीय,

संलग्नकः उपर्युक्त

gLrk-@&
¼euh"k dekj½
i/kku fun'kd y[kk ijh{kk ¼foÙk ,o njlpkj½

31 ekp] 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, feysfu;e Vsyhdke fyfeVsM] ubZ fnYyh ds foÙkh; fooj.kksa ij dEiuh vfèkfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼6½¼ch½ ds vUrxZr Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kkijh{kd dh fVIif.k;k

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक निम्न के लिए उत्तरदायी हैं

अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय देने के लिए। यह उनके द्वारा 2 जुलाई 2020 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड के वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं कराने का निर्णय लिया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

Hkkjr ds fu;a=d vkSj egkys[kk ijh{kd dh vksj ls

gLrk-@&

¼euh"k dqekj½

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं दूरसंचार)

LFkku % नई दिल्ली

fnukad % 13/08/2020

cãpk ekmh ,M diuh
lunh y[kkdkj
603 / 604, कुशल पॉइंट, रोड़ नं.4,
न्यू मेघदूत होटल, घाटकोपर (पश्चिम)
मुम्बईः 400086, टेली नं.: 022–25166805 / 25146806
फैक्सः 022–25146806
ईमेलः ca_bmco@ymail.com

Lor= y[kkijh{kk dh fjikV

lok e]

feyfu;e Vyhdke fyfeVM d lnL;

er

हमने मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2020 को कंपनी का तुलन पत्र (बैलेंसशीट), तथा उसी दिन समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष के लाभ–हानि लेखा, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखानीतियों के सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पश्टीकरणों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित जानकारी को सही तरीके से देते हैं तथा यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली 2015 (भारतीय लेखा मानक) एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सत्य तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैंः–

- तुलन पत्र के मामले में 31 मार्च 2020 को कंपनी के मामलों की स्थिति का;
- लाभ और हाानि के विवरण के मामलों में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का; तथा
- नकदी प्रवाह विवरणी के मामले में उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का।

er dk vkèkkj

हमने एकल वित्तीय विवरण की अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम (एसए) की धारा 140(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व भाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के अनुसार तथा उसके साथ अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्व पूरे कर लिए हैं। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे एकल वित्तीय विवरण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

ie[k y[kkijh{kk ekey

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। एकल वित्तीय विवरणों को समग्र रूप से हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में इन

मामलों को संबोधित किया गया था तथा इनपर हमारी राय को बनाने में, हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने निश्चित किया है कि हमारी रिपोर्ट में बताने के लिए कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

,dy foÙkh; fooj.k vkSj mu ij ys[kk ijh{kd dh fjiksVZ ds vykok vU; tkudkjh

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट सहित, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉरपोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल हैं, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उन पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, यह विचार करना कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है अथवा हमारे लेखापरीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा प्राप्त की गई जानकारी भौतिक रूप से गलत कथन प्रतीत होता है।

हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का ठोस रूप से गलत कथन हुआ है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

,dy foÙkh; fooj.kksa ds fy, izca/ku&nkf;Ro

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में वर्णित इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में मामलों के लिए उत्तरदायी है। ये वित्तीय विवरण इस प्रकार तैयार किए जाते हैं कि कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों भारतीय लेखा मानक सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन तथा नकदी प्रवाहों का सही तथा निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखना भी शामिल है, जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके, समुचित लेखा नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग किया जा सके, तर्कसंगत तथा विवेकसंगत निर्णय तथा आकलन किए जा सकें, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए जा सकें, कार्यान्वित किए जा सकें तथा उनका रखारखाव किया जा सके जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचलन में हों, ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हो, जिनसे सत्य एवं निष्पक्ष चित्र सामने आता हो तथा धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण ठोस गलतबयानी से मुक्त हों।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है, अथवा ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तब तक लेखांकन की क्रियाशील संस्थान आधारित पद्धति का उपयोग करते हुए, कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की कंपनी की योग्यता का आंकलन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने, जैसा कि लागू है, के लिए उत्तरदायी हैं।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

,dy foÙkh; fooj.kksa dh ys[kkijh{kk ds fy, ys[kkijh{kdksa dk mÙkjnkf;Ro

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या एकल वित्तीय विवरण चाहे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण पूर्णरूप से ठोस गलतबयानी से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी ठोस गलतबयानी के मौजूद होने पर हमेशा ही उसका पता लगाएगी। गलत बयानी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें ठोस माना जाता है, यदि उनके व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की तर्कसंगत रूप से उम्मीद हो।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:–

- धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण एकल वित्तीय विवरणों की ठोस गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं का निर्माण और प्रदर्शन करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य को प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली ठोस गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा की प्रक्रियाओं को आकार देने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस बात पर भी अपना मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता है या नहीं।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन की कार्यशील संस्था पद्धति के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या उन घटनाओं अथवा दशाओं से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता विद्यमान है, जो कंपनी के एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की योग्यता के विषय में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ठोस अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तरफ ध्यान दिलाना होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमें अपना मत संशोधित करने की जरूरत होती है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। हालाँकि भविष्य की घटनाओं अथवा दशाओं के कारण कंपनी एक कार्यशील संस्था के रूप में नहीं बनी रह सकती।

- एकल वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना तथा विषय वस्तु, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल हैं, का मूल्यांकन करना तथा इस बात का मूल्यांकन कि क्या एकल वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण लेनदेनों तथा घटनाओं का निरूपण उस तरह से करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण होता हो।

एकल वित्तीय विवरणों में ठोसपन (मैटीरियलिटी) गलत बयानियों की वह मात्रा है, जो अकेले या कुल मिलाकर यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के तर्कसंगत रूप से जानकर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित किया

जा सकता है। हम मात्रात्मक ठोसपन तथा गुणवत्तापरक कारकों का विचार (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने तथा अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; एवं (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किन्हीं गलतबयानियों के प्रभाव के मूल्यांकन मे ंकरते हैं।

हम अभिशासन के प्रभारियों के साथ अन्य मामलों के साथ–साथ लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध दायरे तथा समय सारणी तथा महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में बात करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण की कोई ऐसी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जो हमें हमारी लेखा परीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं।

हम अभिशासन के प्रभारी उन प्राधिकारियों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है तथा उनके साथ और सभी संबंधों तथा अन्य मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता में तर्कसंगत रूप से बाधक समझे जा सकते हैं तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को सूचित करते हैं।

अभिशासन के प्राधिकारियों को सूचित किए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा–परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में अथवा बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता है। हम यह निश्चय करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से इस तरह के संचार दुष्परिणामों से सार्वजनिक हित लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।

vU; dkuwuh vkSj fofu;ked vis{kkvksa ij fjiksVZ

1. भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों के अनुरूप जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') की अपेक्षानुसार जिस सीमा तक लागू हो, हमने आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण ''परिशिष्ट ए'' में दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के संबंध में विशेष रूप से उल्लिखित मामलों पर हमने ''परिशिष्ट बी'' में विवरण दिया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

   ए) हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

   बी) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखाबहियां समुचित रूप से रखी हैं ऐसा उन बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

   सी) इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   डी) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

   ई) 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर जिसे निदेशक मंडल ने रिकॉर्ड पर लिया है, के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार नियुक्त किया जाने वाला कोई भी निदेशक 31 मार्च 2020 को अयोग्य नहीं था।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों को लागू करने की प्रभावकारिता के संबंध में 'परिशिष्ट सी' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें।

जी) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, संशोधित किए गए अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट किए जाने के लिए कुछ भी नहीं है।

एच) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार अन्य मामलों के विषय में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैः

(i) कंपनी ने वित्तीय विवरण में लंबित मुकद्दमों से अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रकटन किया है। वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 25 देखें;

(ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न ठेकों सहित कोई दीर्घावधि ठेका नहीं है जिसके लिए निकट भविष्य में कोई महत्वपूर्ण हानि होने की संभावना हो।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली कोई राशि नहीं थी।

कृते cãpk eknh ,M diuh
lunh y[kkdkj
फर्म पंजीकरण सं. : 101591डब्ल्यू

¼o#.k oh- cãpk½
साझेदार
सदस्यता सं. 136414
यूडीआईएनः 20136414एएएएसीएच5317

LFkku% मुंबई
fnukd% 02.07.2020

feyfu;e Vsyhdke fyfeVsM
ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk ^^ifjf'k"V&,**
(समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं किः

1 (ए) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की स्थिति तथा परिमाणात्मक विवरण सहित संपूर्ण ब्योरों को दर्शाते हुए यथोचित रिकार्ड रखे हैं।

(बी) लेखापरीक्षा के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों को वास्तविक रूप से सत्यापित नहीं किया गया है।

(सी) कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं हैं। अतः कंपनी के नाम अचल संपत्ति होने के हक विलेख पर कोई टिप्पणी इस मामले में लागू नहीं होती।

2. वर्ष के दौरान तथा वर्ष के अंत में कंपनी की कोई माल सूची नहीं थी। अतः लेखापरीक्षा समीक्षाधीन वर्ष में प्रबंधन द्वारा माल सूची के वास्तविक सत्यापन पर टिप्पणी लागू नहीं होती।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में आने वाली कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पक्षों को जमानती अथवा गैर जमानती ऋण प्रदान बांड में किया है।

(ए) हमें सूचित किया गया है कि नियंत्रक कंपनी को ऋण देने के लिए कोई निबंधन एवं शर्तें नहीं थीं तथा ऐसे सभी लेन–देन की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई थी।

(बी) हमें सूचित किया गया है कि मूलधन और ब्याज चुकौती कार्यक्रम निश्चित नहीं किया गया है।

(सी) जैसाकि नियंत्रक कंपनी के लिए कर्ज अदायगी का कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं किया गया है, अतः अतिदेय राशि पर टिप्पणी इस मामले में लागू नही होती।

4. हमारे मत व हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 व 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. कंपनी ने आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों तथा अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान अथवा अधिनियम के सम्बद्ध अन्य प्रासंगिक प्रावधान तथा कंपनी (जमा की स्वीकार्यता) नियमावली 2015 जो आम जनता से जमा राशि स्वीकार करने के संबंध में हैं, लागू नहीं होते।

6. हमें दी गई सूचना के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अनुसार कंपनी की विभिन्न गतिविधियों के संबंध में लागत रिकॉर्ड रखने के संबंध में विशेष निर्देश नहीं दिए गए हैं।

7. (ए) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा बहियों तथा रिकॉर्डो की जांच के आधार पर पाया गया कि कंपनी ने अविवादित सांविधिक देयों, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देय शामिल हैं, का भुगतान उपयुक्त प्राधिकारियों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा करवाया है।

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार महत्वपूर्ण सांविधिक देयों के संबंध में 31 मार्च 2020 को देय तारीख से 6 माह से अधिक की अवधि के, जिस तारीख को वे देय हुई है, कोई अविवादित राशि देय नहीं हैं।

(बी) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर का निम्नलिखित को छोड़कर किसी विवाद के कारण कोई बकाया नहीं है।

निर्धारण वर्ष	मांग	विरोध के अंतर्गत भुगतान
2003-04	63,75,775/-	63,75,775/-
(उपर्युक्त मामला धारा 80आईए के तहत कटौती से राहत हेतु आईटीएटी के पास लंबित है।)		
2004-05	39,51,744/-	40,82,377/-
(उपर्युक्त मामला धारा 80आईए के तहत कटौती से राहत के लिए आईटीएटी के पास लंबित है।)		
2005-06	29,82,670/-	29,82,670/-
(उपर्युक्त मामला धारा 80आईए के तहत कटौती से राहत हेतु आईटीएटी के पास लंबित है।)		
2007-08	6,34,050/-	शून्य
(आयकर अपील आयुक्त ने अपील के आंशिक भाग को स्वीकार किया है तथा अपील प्रभाव की अभी भी लंबित है।)		

8. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार अथवा डिबेंचर धारक से कोई ऋण अथवा उधार नहीं लिया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(viii) लागू नहीं होता है।

9. अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (पब्लिक ऑफर) और उसके बाद पुनः सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसमें कर्ज लिखतें, तथा आवधिक ऋण शामिल हैं, के द्वारा कोई धन राशि नहीं जुटाई है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं अतः इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

10. प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा अपनाई गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी के द्वारा अथवा कंपनी पर इसके अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी देखने में नहीं आई अथवा रिपोर्ट नहीं है।

11. अपनाई गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं पर आधारित तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित प्रबंधकीय पारिश्रमिक अदा अथवा प्रदान किया गया है।

12. हमारे मतानुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः कंपनी पर आदेश के खंड 4 (xii) के प्रावधान लागू नहीं होते।

13. हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड के परीक्षण के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन, जहां कहीं लागू है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार किया गया है। लागू लेखामानकों के अनुसार इस प्रकार के लेन देन का प्रकटन वित्तीय विवरणी इत्यादि में की गई है।

14. की गई लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का अथवा पूर्णतः अथवा अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचरों का अधिमानी आबंटन अथवा निजी तौर पर आबंटन नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3 (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं तथा इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

15. अपनाई गई लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया है तदनुसार आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं तथा इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

16. हमारे मतानुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम 1934 की धारा 45आईए के तहत पंजीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है तथा तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

कृते cãpk ekknh ,M diuh
lunh y[kkdkj
फर्म पंजीकरण सं. : 101591डब्ल्यू

¼o#.k oh- cãpk½
साझेदार
सदस्यता सं. 136414
यूडीआईएनः 20136414एएएएसीएच5317

LFkku% मुंबई
fnukd% 02.07.2020

feyfu;e VsyhdkWe fyfeVsM
ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk ^^ifjf'k"V&ch**
(समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

feyfu;e VsyhdkWe fyfeVsM ds foÙkh; o"kZ 2019&20 dh lkafofèkd ys[kkijh{kk ds lanHkZ esa dEiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 143 ¼5½ ds varxZr fu;=d ,oa egkys[kkijh{kd ds funs'kksa ij fjiksVZ

dEiuh vfèkfu;e 2013 dh èkkjk 143¼5½ ds varxZr fu;=d ,oa egkys[kkijh{kd ds funs'kksa ij ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;h xbZ ckrsa fcanqokj fuEufyf[kr gS%

1- D;k dEiuh ds ikl vkbZVh iz.kkyh ds ekè;e ls lHkh ys[kkadu ysunsu dks lalkfèkr djus ds fy, iz.kkyh gS\ ;fn gka] rks foÙkh; fufgrkFkZ] ;fn dksbZ gks] ds lkFk&lkFk [kkrksa dh lR;rk ij vkbZVh iz.kkyh ds ckgj ys[kkadu ysunsu ds izlaLdj.k ds fufgrkFkZ crk,A

ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;h xbZ ckrsa%
हमें दिए गए स्पष्टीकरण और हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतत् द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है और लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान आईटी प्रणाली के बाहर किसी भी लेखांकन लेनदेन को संसाधित नहीं किया गया है।

2 ;fn fdlh orZeku _.k dk dksbZ iquxZBu fd;k x;k gks vFkok _.k ds iquHkZqxrku esa dEiuh dh vleFkZrk ds dkj.k fdlh _.knkrk }kjk] dksbZ vfèkR;kx@dtZ@C;kt vkfn dks cVVs [kkrs esa Mkyu dk dksbZ ekeyk gS\ ;fn gka rks foÙkh; izHkko crk;k tk,A

ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;h xbZ ckrsa%
हमें दिए गए स्पष्टीकरण और हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा में समाहित अवधि के दौरान कंपनी ने किसी राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

3- D;k dsanzh;@jkT; ,tsafl;ksa ls fof'k"V ;kstukvksa ds fy, izkIr@izkI; èku dk blds fuca/ku vkSj 'krksZa ds vuqlkj mfpr mi;ksx fd;k x;k gS\ fopyu ds ekeyksa dh lwph nsaA

ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;h xbZ ckrsa%
हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर और हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एत्दद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था।

कृते cãpk ekanh ,.M dEiuh
lunh ys[kkdkj
फर्म पंजीकरण सं. : 101591डब्ल्यू

¼o#.k oh- cãpk½
साझेदार
सदस्यता सं. 136414
यूडीआईएन: 20136414एएएएसीएच5317

LFkku% मुंबई
fnukad% 02.07.2020

ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ dk ^^ifjf'k"V&lh**

dEiuh vfèkfu;e 2013 ¼^^vfèkfu;e**½ dh èkkjk 143 dh mièkkjk 3 ds [kaM ¼i½ ds vUrxZr vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa ij fjiksVZ

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए feyfu;e Vsyhdke fyfeVsM (''कंपनी'') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के साथ, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

vkarfjd foÙkh; fu;a=.kksa ds fy, izcaèku dk mÙkjnkf;Ro

कंपनी प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाध ाड़ियों तथा चूकों की रोकथाम तथा उनका पता लगाया जाना, लेखांकन रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता तथा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है, विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार किये जाने सहित ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को बनाना, कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाये रखना शामिल है, जो उसके व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करें।

ys[kkijh{kdksa dk nkf;Ro

हमारा दायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में अपनी राय दें। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शक टिप्पणी'') तथा लेखापरीक्षा के मानदंडों तथा जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित मानित है, उस सीमा तक, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू हैं तथा दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये हैं, के अनुसार की हैं। वे मानदंड तथा मार्गदर्शक टिप्पणियां अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखापरीक्षा की योजना तथा लेखापरीक्षा इस तरह करें जिससे इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लगाए गए थे तथा उन्हें बनाये रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी वास्तविक मामलों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में ऐसी प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके प्रभावी रूप से कार्य करने के विषय में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त हो। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई ठोस कमजोरी विद्यमान है तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा (डिजाइन) तथा परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें एकल वित्तीय विवरणों की ठोस गलतबयानी फिर चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या गलती से, के जोखिमों का आकलन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा प्रमाण हमने प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए आधार उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त है।

foÙkh; fjikfVx ij vkrfjd foÙkh; fu;=.kk dk vFk

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा बाह्य उद्देश्यों के लिए एकल वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन देने के लिये बनायी जाती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जोः–

(1) ऐसे रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो तर्कसंगत ब्यौरे से कंपनी की परिसंपत्तियों का लेन–देन एवं निपटान को एकदम सही तथा निष्पक्ष ढंग से दिखाती हैं।

(2) इस बात का तर्कसंगत आश्वासन दें, कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन–देन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, तथा कंपनी की प्राप्तियां एवं व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के अनुमोदन से ही किये जा रहे हैं तथा

(3) अनधिकृत अधिग्रहण, कंपनी की परिसंपत्तियों का उपयोग अथवा निपटान, जिसका एकल वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, की रोकथाम अथवा समय से पता लगाने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन दें।

foÙkh; fjikfVx ij vkrfjd foÙkh; fu;=.kk dh vrfufgr lhek,

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिसमें सांठ–गांठ की संभावना अथवा नियंत्रणों की अवहेलना, ठीक से प्रबंधन न होना, गलती से अथवा धोखाधड़ी के कारण ठोस गलतबयानी हो सकती हैं तथा उनका पता न लग सके। साथ ही भावी अवधियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान दशाओं में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ सकती है।

ifrdy er

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने में निम्नलिखित ठोस कमियां पहचानी गईः

1. कंपनी के पास क्रय बीजक की प्राप्ति के पश्चात विक्रय बीजक बनाना सुनिश्चित करने के लिए समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है। कंपनी क्रय बीजक की प्राप्ति से पहले विक्रय बीजक नियमित रूप से जारी कर रही है जिसके परिणामस्वरूप नकदी बहियों के माध्यम से जीएसटी के भुगतान के कारण अतिरिक्त कार्यशील पूंजी अवरूद्ध हो जाती है तथा उसके पश्चात क्रय बीजक से जमा बहियों में अप्रयुक्त शेष रह जाता है।

'ठोस कमी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी अथवा कमियों का ऐसा समूह है जिसमें इस बात की तर्कसंगत संभावना है कि कंपनी के वार्षिक अथवा अंतरिम वित्तीय विवरणों की ठोस गलतबयानी को समय पर रोका अथवा पता नहीं लगाया जाएगा।

हमारे मतानुसार नियंत्रण मापदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित ठोस कमजोरियों के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर सभी महत्वपूर्ण तरीकों के पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण बनाए रखे हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 को प्रभावशाली रूप में कार्य कर रहे थे जो वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई मार्गदर्शन टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के घटकों के आधार पर कंपनी ने स्थापित किए हैं।

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी 31 मार्च, 2020 की लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा जांचों तथा प्रकृति, समय तथा सीमा को सुनिश्चित करने में पहचानी गई तथा ऊपर रिपोर्ट की गईं ठोस कमियों पर विचार किया है। ये ठोस कमियां कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे विचार पर प्रभाव नहीं डालतीं।

कृते cãpk eknh ,M diuh
lunh y[kkdkj
फर्म पंजीकरण सं. : 101591डब्ल्यू

¼o#.k oh- cãpk½
साझेदार
सदस्यता सं. 136414
यूडीआईएनः 20136414एएएएसीएच5317

LFkku% मुंबई
fnukd% 02.07.2020

feyfu;e Vyhdke fyfeVM
31 ekpZ 2020 rd dk rqyu i=

	fooj.k	fVIif.k;k	31 ekpZ 2020 dk ¼jkf'k #i;s eas½	31 ekpZ 2019 dk ¼jkf'k #i;s eas½
1		2	3	4
(1)	ifjlEifÙk;k			
	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	2	43,855	43,855
	आस्थगित कर (परिसंपत्तियां)	3	23,444	28,355
	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	4	3,758,569	6,916,340
			3,825,868	6,988,550
(2)	pkyw ifjlEifÙk;k			
	वस्तू सूचियां		-	-
	वित्तीय परिसंपत्तियां			
	व्यापार प्राप्य	5	13,785,402	22,657,252
	नकदी एवं बैंक शेष	6	54,269,086	71,401,702
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	7	1,663,433	1,014,436
	चालू कर परिसंपत्तियां	8	2,867,409	3,285,200
	अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	16,182,367	16,138,342
			88,767,697	114,496,932
	dqy ifjlEifÙk;k		92,593,565	121,485,482
	bfDoVh rFkk ns;rk,a			
	bfDoVh			
	इक्विटी शेयर पूंजी	10	28,758,800	28,758,800
	अन्य इक्विटी	11	24,946,417	28,656,865
			53,705,217	57,415,665
	ns;rk,a			
(1)	xSj pkyw ns;rk,a			
	अन्य गैर चालू देयताएं	12	2,177,000	2,177,000
			2,177,000	2,177,000
(2)	pkyw ns;rk,a			
	वित्तीय देयताएं			
	व्यापार प्राप्य	13	6,450,770	34,087,561
	अन्य वित्तीय देयताएं	14	24,720,642	20,791,241
	चालू प्रावधान	15	4,987,382	3,975,303
	अन्य चालू देयताएं	16	552,554	3,038,712
			36,711,348	61,892,817
	dqy bfDoVh vkSj ns;rk,a		**92,593,565**	**121,485,482**

Ñrs eSllZ cksaFkk ,.M ekn.k ,.M dEiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101591डब्ल्यू

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

lh, o#.k oh cksFkk
साझेदार
सदस्यता सं. 136414
यूडीआईएनः 20136414एएएएसीएच5317

lquhy dqekj
अध्यक्ष एवं निदेशक

lR;rku vgen
निदेशक

LFkku% मुम्बई
fnukad% 02.07.2020

LFkku% दिल्ली
fnukad% 02.07.2020

feyfu;e Vyhdke fyfeVM

Hkkx&II 31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk o gkfu dh fooj.kh

राशि रुपये में

fooj.k		fVIi.kh	31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ	31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ
1		2	3	4
I	परिचालन से राजस्व	17	14,797,593	73,439,502
II	अन्य आय	18	2,574,524	3,469,725
III	कुल आय (I+II)		17,372,117	76,909,227
IV	खर्चे			
	उपयोग की गई सामग्री की लागत		-	-
	विक्रय माल की खरीद		-	-
	तैयार माल, चालू कार्य तथा विक्रय माल की वस्तु सूचियों में परिवर्तन		-	-
	कर्मचारी हितलाभ खर्चे		-	-
	वित्तीय लागत	19	427	943
	मूल्यह्रास और परिशोधन पर खर्च		-	1,762
	अन्य खर्च	20	13,901,960	68,247,727
	dqy [kpZ		13,902,387	68,250,432
V	vioknkRed vkj vlkèkkj.k enksa vkj dj&iwoZ ykHk@¼gkfu½ ¼III-IV½		3,469,730	8,658,796
VI	vioknkRed en		-	-
VII	dj&iwoZ ykHk@¼gkfu½ ¼V-VI½		3,469,730	8,658,796
VIII	dj [kpZ%			
	(ए) चालू कर		897,172	2,246,102
	(बी) आस्थगित कर		4,911	5,215
			902,083	2,251,317
IX	lrr ifjpkyuksa ls vofèk esa ykHk@¼gkfu½ ¼VII-VIII½		**2,567,647**	**6,407,479**
X	vlrr ifjpkyuksa ls ykHk@¼gkfu½			
XI	vlrr ifjpkyuksa ds fy, dj [kpZ			
XII	dj i'pkr vlrr ifjpkyuksa ls ykHk@¼gkfu½ ¼IX+XII½		-	-
XIII	vofèk ds fy, ykHk@¼gkfu½ ¼XI-XIII½		**2,567,647**	**6,407,479**
XIV	vU; O;kid vk;		**-**	**-**
XV	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XIV) (जिसके अंतर्गत लाभ (हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय शामिल)		**2,567,647**	**6,407,479**
XVI	प्रति शेयर अर्जन (सतत परिचालन के लिए)			
	(ए) मूल (बेसिक)		0.89	2.23
	(बी) तनुकृत (डिल्यूटेड)		0.89	2.23
XVII	प्रति शेयर अर्जन (असतत परिचालन से)			
	(ए) मूल (बेसिक)			
	(बी) तनुकृत (डिल्यूटेड)			
XVIII	अर्जन प्रति शेयर (सतत एवं असतत परिचालन के लिए)			
	(ए) मूल (बेसिक)		0.89	2.23
	(बी) तनुकृत (डिल्यूटेड)		0.89	2.23
	egRoiw.kZ ys[kkdu uhfr;ka vkj ys[kkvksa ij fVIif.k;ka	1 & 23 to 36		

Ñrs ell ls cãpk ,M ekn ,M dsiuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101591डब्ल्यू

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

lh, o#.k oh cãpk
साझेदार
सदस्यता सं. 136414
यूडीआईएनः 20136414एएएएसीएच5317

lquhy dekj
अध्यक्ष एवं निदेशक

lrYrku vgen
निदेशक

LFkku% मुम्बई
fnukad% 02.07.2020

LFkku% दिल्ली
fnukad% 02.07.2020

feyfu;e Vsyhdke fyfeVsM
31 ekp] 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, udnh izokg dk fooj.k

fooj.k	31 ekp] 2020 dks		31 ekp] 2019 dks	
	¼#i;½	¼#i;½	¼#i;½	¼#i;½
,- ifjpkyu xfrfof/k;ksa ls udnh izokg				
असाधारण मदों और कर–पूर्व निवल लाभ/(हानि)		3,469,730		8,658,796
निम्न हेतु समायोजनः				
मूल्यह्रास और परिशोधन	-		1,762	
वित्तीय लागत	427		943	
ब्याज आय	(2,196,191)		(3,364,725)	
घोषित लाभांश	(2,013,116)		-	
लाभांश संवितरण कर पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	-		10,282	
घोषित लाभांश	(3,157,771)		-	
लाभांश संवितरण कर	(413,802)		-	
पूर्व वर्ष का आयकर	-	(7,780,453)	-	(3,351,738)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ/(हानि)		(4,310,723)		5,307,058
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनः				
परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजनः				
वस्तु सूचियां				
व्यापार प्राप्य	8,871,850		(611,634)	
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	(648,997)		159,777	
अन्य चालू कर परिसंपत्तियां	417,791		(166,125)	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	(44,025)		(10,355,673)	
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	3,157,771		-	
परिचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजनः				
व्यापार देय	(27,636,791)		27,391,206	
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	3,929,401		7,080,910	
अन्य चालू देयताएं	1,012,079		376,711	
अन्य दीर्घावधि देयताएं	-		-	
अल्पावधि प्रावधान	(2,486,158)	(13,427,079)	(45,236,697)	(21,361,525)
		(17,737,802)		(16,054,467)
असाधारण मदों से नकदी प्रवाह		-		-
परिचालन से अर्जित नकदी		(17,737,802)		(16,054,467)
निवल आयकर (प्रदत्त)/वापसी		(897,172)		(2,246,102)
ifjpkyu fØ;kdykiksa ¼,½ ls izkIr@¼mi;ksx esa yk;k x;k½ fuoy udnh izokg		**(18,634,974)**		**(18,300,569)**
ch- fuos'k xfrfof/k;ksa ls udnh izokg				
प्राप्त ब्याज				
– अन्य, बैंक में सावधि जमा	2,065,460		3,344,715	
– अन्य	130,731	2,196,191	20,010	3,364,725

अचल परिसंपत्तियों की खरीद		-		-
fuo'k xfrfofèk;ks ¼ch½ ls@¼mi;kx e yk;k x;k½ fuoy udnh iokg		**2,196,191**		**3,364,725**
lh- foÙkik"k.k xfrfofèk;k ls udnh iokg				
अन्य दीर्घावधि अग्रिम से आगम (प्राप्त राशि)	-		-	
अन्य अल्पावधि उधार का पुनः भुगतान	-		-	
वित्तीय लागत	(427)	(427)	(943)	(943)
foÙkik"k.k xfrfofèk;k ¼lh½ ls@¼mi;kx e yk;k x;k½ fuoy udnh iokg		**(427)**		(943)
udnh vkj udnh lerqY; e fuoy of)@¼deh½ ¼,chlh½		**(16,439,210)**		**(14,936,787)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		71,401,702		86,338,490
o"k dk vr e udnh vkj udnh lerqY;		**54,962,492**		**71,401,703**
rqyu&i= dk lkFk udnh vkj udnh lerqY; dk lekèkku				
तुलन पत्र के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य (टिप्पणी सं. 5 देखें)		54,269,086		71,401,702
घटायाः बैंक में जमाराशि भारतीय लेखा मानक 7 के नकदी प्रवाह विवरण की परिभाषा के अनुसार जिसको नकदी तथा नकदी के समतुल्य के रूप में नहीं माना गया।		-		-
fuoy udnh vkj udnh lerqY; टिप्पणी 5 में शामिल (भारतीय लेखामानक 7 के नकदी प्रवाह विवरण की परिभाषा के अनुसार)		54,269,086		71,401,702
जोड़ेः चालू निवेश, जिन्हें नकदी और नकदी समतुल्य का भाग माना गया है। (लेखा मानक 3 नकदी प्रवाह विवरण की परिभाषा के अनुसार) (टिप्पणी सं.16 चालू निवेशों की टिप्पणी सं. (ii) देखें)		-		-
o"k dk vr e udnh vkj udnh lerqY;*		54,269,086		71,401,702
*शामिलः				
(ए) हाथ में नकदी		-		-
(बी) हाथ में चैक और ड्रॉफ्ट		-		-
(सी) बैंकों में शेष				
(i) चालू खातों में		11,847,284		2,527,972
(ii) जमा खातों में, 3 माह से कम की मूल परिपक्वता		42,421,802		68,873,730
		54,269,086		**71,401,702**

Ñrs ell ls cãpk ,aM eknh ,aM dahuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101591डब्ल्यू

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

lh, o#.k oh cãpk
साझेदार
सदस्यता सं. 136414
यूडीआईएनः 20136414एएएएसीएच5317

lquhy dqekj
अध्यक्ष एवं निदेशक

lUrku vgen
निदेशक

LFkku% मुम्बई
fnukad% 02.07.2020

LFkku% दिल्ली
fnukad% 02.07.2020

feyfu;e Vyhdke fyfeVM

31 ekp] 2020 dk lekIr o"k d fy, egRoi.k y[kkdu uhfr;k vkj vU; 0;k[;kRed lpuk,

टिप्पणियां	विवरण

1- fuxe dh lpuk

''मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एमटीएल) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसकी स्थापना समुद्र के अंदर केबल प्रोजेक्ट तथा आईटी सॉल्यूशन के लिए की गई। समुद्र के अंदर केबल प्रोजेक्ट निविदा के रद्द होने के बाद एमटीएल निदेशक मंडल ने व्यापार के नए क्षेत्र में प्रवेश करने और व्यापार की अन्य नई संभावनाओं की खोज आरंभ करने का निर्णय लिया है। एमटीएल द्व ारा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जानी है। प्रदान की जाने वाली विविध सेवाएं–उपभोक्ता नेटवर्क की दूरवर्ती निगरानी, क्षमता निर्माण तथा कौशल विकास कार्यक्रम, परिचालन और अनुरक्षण सहित समग्र आईसीटी समाधान प्रदान करने के साथ क्लाउड तथा प्रबंधित सेवाओं की शुरुआत, परिचालन और उन्हें उपलब्ध कराना एवं अनुरक्षण करना है। आपातकालीन संचार सहित निगरानी और परिधि (पैरिमीटर) सुरक्षा, कैंपस व्यापी वाई–फाई, निगरानी परियोजनाएं, आधारभूत संरचना साझेदारी, डाटा सेंटर आउटसोर्सिंग अनुप्रयोग सहित वेब होस्टिंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग आदि।''

1-1 egRoi.k y[kkdu uhfr;k

y[kkdu dk vkekkj rFkk foÙkh; fooj.kk dk r;kj fd;k tkuk

कंपनी का वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में दिए गए भारतीय लेखा मानकों (भा.लेमा.) के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 तथा समय–समय पर यथासंशोधित एवं कंपनी अधिनियम 2013 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। ऐतिहासिक लागत समझौता परिपाटी के अंतर्गत प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए लेखांकन नीतियों का अनुसरण पिछले वर्ष के अनुरूप ही किया गया है।

1-2 lifÙk] l;= vkj miLdj

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अभिग्रहण की लागत को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षरण हानि, यदि कोई हो तो को घटा कर बताई गई है। लागत में अभिग्रहण की लागत, निर्माण और संस्थापन, कर, शुल्क, मालभाड़ा और अन्य प्रासंगिक व्यय जो संपत्ति के अपेक्षित प्रयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने की स्थिति में होने के लिए आवश्यक है, शामिल हैं।

यदि यह संभाव्य हो कि किसी मद से कंपनी को निकट भविष्य में वित्तीय लाभ मिलने लगेगा तभी परवर्ती लागत में यदि उपयुक्त हो तो संपत्ति की रखाव लागत शामिल की जाती है अथवा उसे अलग संपत्ति माना जाता है और मद की लागत को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है। हिसाब में लिए गए किसी पुर्जे की अलग संपत्ति के रूप में रखाव लागत को अमान्य कर दिया जा सकता है, जब उसे बदला जाता है। रिपोर्टिंग अवधि में सभी अन्य मरम्मत और रखाव पर हुए व्यय को उसी अवधि के लाभ अथवा हानि में प्रभारित किया जाता है।

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन होने पर, पूर्व में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 को पहचाने गए तथा मापे गए संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों के इस रखाव मूल्य को जारी रखा है और इन रखाव मूल्यों को ही संपत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की लागत माना है।

मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में तथा उसमें जिस प्रकार से निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप विनिर्दिष्टानुसार संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन काल के बाद सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाइन मेथड) पर निवल अवशिष्ट मूल्य के बाद लागत का निर्धारण करने के बाद की जाती है।

1-3 x|j foÙkh; ifjl|ifÙk;k dk {kj.k

क्षरण हेतु प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य/नकदी उत्पन्न करने वाली इकाइयों का पुनरीक्षण किया जाता है। यदि कोई क्षरण दृष्टिगत होता है तथा इन परिसंपत्तियों की रखाव राशि उस परिसंपत्ति से वसूल हो सकने वाली राशि से अधिक होती है तब इन परिसंपत्तियों से वसूल हो सकने वाली राशि का प्राक्कलन किया जाता है तथा क्षरण को मान्यता दी जाती है। निवल बिक्री मूल्य एवं उसके उपयोग के मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक होती है। उपयोग के मूल्य को निकालने के लिए बट्टे को सम्यक रूप से आधार बनाते हुए उनके वर्तमान मूल्य में से भावी बट्टागत नकद प्रवाह निकाला जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति के क्षरण की पहचान की जाती है उसे उसी वर्ष के लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। क्षरण के पश्चात परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन काल की संशोधित रखाव राशि पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है। पूर्व लेखाकरण अवधियों में पहचानी गई क्षरण हानि को प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है, यदि परिसंपत्ति की रखाव राशि की तुलना में वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई अंतर होता है, जिसे (मूल्यह्रास अथवा परिशोधन के पश्चात) निर्धारित किया जाता यदि लेखाकरण से पहले की अवधि में परिसंपत्ति के लिए किसी क्षरण हानि की पहचान नहीं की जाती।

1-4- fuos'k vkj vU; foÙkh; ifjlifr;k

oxhZdj.k

कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित मापन श्रेणियों में वर्गीकृत किया हैः

–वे जिन्हें बाद में उचित मूल्य पर मापा जाना है (या तो अन्य व्यापक आय द्वारा (एफवीओसीआई), अथवा लाभ अथवा हानि (एफवीपीएल) द्वारा, और

– वे जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

वर्गीकरण वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन और नकदी प्रवाह की संविदागत शर्तों के लिए कंपनी के व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करता है।

eki u

वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचान किए जाने पर कंपनी उनका मापन उनके उचित मूल्य पर करती है तथा यदि वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन उचित मूल्य पर नहीं किया जाता तो उसका मापन लाभ अथवा हानि द्वारा किया जाता है, लेन–देन की लागत वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में प्रत्यक्ष रूप से जोड़ी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों की लेन–देन की लागतें लाभ और हानि विवरण के माध्यम से ली गई तथा उनका खर्च लाभ अथवा हानि में दिया गया है।

foÙkh; ifjlifÙk;k dk {kj.k

कंपनी द्वारा अपनी परिसंपत्तियों से जुड़ी प्रत्याशित ऋण हानियों का आकलन प्रगामी आधार पर परिशोधित लागत और एफवीओसीआई कर्ज लिखतों द्वारा किया जाता है। लागू की गई क्षरण पद्धति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

foÙkh; ifjlaifÙk;ksa dk vekU; djuk

वित्तीय परिसंपतियों को तभी अमान्य किया जाता है जब

- ☐ कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह लेने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है अथवा
- ☐ वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह लेने का संविदागत अधिकार अपने पास रखती है परन्तु एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने की संविदागत बाध्यता अपने ऊपर ले लेती है।

foÙkh; ifjlaifÙk;ksa ls C;kt vk;

प्रभावी ब्याज दर पद्धति का प्रयोग करते हुए कर्ज लिखतों से प्राप्त ब्याज आय की पहचान की जाती है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति की सकल धारक राशि की तुलना में वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्याशित जीवन अवधि से अनुमानित भावी नकद प्राप्ति को बट्टे में रख कर प्राप्त की जाती है।

1-5- eky&lwph

माल–सूची का लागत से नीचे अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्य निर्धारण किया जाता है।

1-6- jktLo dh igpku

राजस्व का मापन प्राप्त अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है। राजस्व के रूप में जिन राशियों का प्रकटन किया गया है उनमें जिसका प्रकटन राजस्व उत्पाद शुल्क और प्रतिफल को घटा कर, व्यापार छूट, घटौती (रिबेट) मूल्य वर्धित कर और तृतीय पक्ष की ओर से प्राप्त राशि शामिल है।

कंपनी राजस्व की पहचान तभी करती है जब राजस्व की राशि का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है, इसकी संभावना है कि कंपनी को भावी आर्थिक लाभ होने लगेंगे और कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के लिए विनिर्धारित मापदंडों को पूरा कर लिया गया है।

1-7 deZpkjh fgrykHk

सेवानिवृत्ति हितलाभों का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कोई कर्मचारी नहीं है।

1-8 izko/kku ,oa vkdfLed nkf;Ro,a

पूर्व की घटनाओं के परिणामस्वरूप जब कंपनी को वर्तमान विधिक अथवा सकारात्मक बाध्यताएं होती है तब प्रावधान को मान्यता दी जाती है तथा यह संभव है कि बाध्यताओं का निपटान करने के लिए संसाधनों का बहिर्गमन हो जिनके लिए राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है। प्रावधानों की पहचान भावी परिचालन हानि के लिए नहीं की जाती।

रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर वर्तमान बाध्यताओं के निपटान के लिए प्रबंधन द्वारा वर्तमान मूल्य पर व्यय के सर्वोत्तम प्राक्कलन पर प्रावधानों का मापन किया जाता है। वर्तमान मूल्य को निश्चित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बट्टा दर कर–पूर्व दर है जो मुद्रा के आवधिक मूल्य और देयता विशेष से जुड़े जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। समय बीतने के साथ प्रावधान में वृद्धि को व्याज खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक देयता पूर्व की घटनाओं से उत्पन्न संभव बाध्यता है जिसके होने अथवा न होने की पुष्टि कंपनी के नियंत्रण से बाहर एक या एकाधिक अनिश्चित भावी घटनाओं से हो जाती है अथवा वर्तमान बाध्यताओं को इस कारण मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि बाध्यताओं का निपटान करने के लिए संसाधनों

के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी अथवा पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ बाध्यता की राशि निश्चित नहीं की जा सकती। कंपनी ने आकस्मिक देयता की पहचान नहीं की है परंतु वित्तीय विवरण में इसके होने का प्रकटन किया है।

1-9 vk; dj

''आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष के लिए निर्धारित की गई कर योग्य आय पर भुगतान किए जाने वाले कर की राशि चालू कर है।

कर कानूनों के अनुसरण में भुगतान किया गया न्यनूतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भावी आय कर देयताओं के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक लाभ प्रदान करता है, को एक परिसंपत्ति समझा जाता है यदि इस बात के विश्वसनीय प्रमाण हों कि कंपनी द्वारा सामान्य आयकर का भुगतान किया जाएगा। तदनुसार दूसरे सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ कंपनी को होने की संभावना हो तो एमएटी को तुलनपत्र में परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है।

आस्थगित कर को समय अंतरालों पर पहचाना जाता है जो कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच का अंतर है और जो एक अवधि में उत्पन्न हुई तथा एक या अधिक परवर्ती अवधियों में परिवर्तन योग्य हों। आस्थगित कर का आकलन कर दरों और अधिनियमित कर नियमों अथवा रिपोर्टिंग तारीख को परवर्ती अधिनियमित दरों के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर देयताओं को सभी अवधि अंतरालों के आधार पर पहचाना जाता है। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा आगे बढ़ाने वाली हानियों के संबंध में आस्थगित कर को तभी पहचाना जाएगा जबकि इन परिसंपत्तियों से पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होने की आभासी निश्चितता हो। अन्य मदों को समय अंतरालों के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों के रूप में उस सीमा तक पहचाना जाता है जहां तक कि उनसे पर्याप्त भावी कर योग्य आय प्राप्त होने की निश्चितता विद्यमान हों। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता पूरी की जाती हैं, यदि इस प्रकार की समान शासित कर विधियों द्वारा आय पर उगाहे गए करों से संबंधित हों और कंपनी के पास इसे पूरा करने (सेट ऑफ करने) का विधि मान्य लागू करने का अधिकार हो। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली योग्यता की पुनरीक्षा की जाती है।

इक्विटी में प्रत्यक्षतः मदों से संबंधित चालू तथा आस्थगित कर को इक्विटी में पहचाना जाता है न कि लाभ तथा हानि विवरण में।''

1-10 udnh o udn lerqY;

नकदी के अंतर्गत हाथ में नकदी और बैंक में मांग जमाएं समाविष्ट होती हैं। नकदी समतुल्य लघु अवधि की (प्राप्त होने की तारीख से तीन माह या उससे कम की अवधि पर मूल रूप से परिपक्व होने वाले) शेष राशियां तथा वह उच्च तरल निवेश हैं, जिन्हें ज्ञात नकद राशि में तुरंत परिवर्तित किया जा सके और जिनके मूल्य परिवर्तन में जोखिम नगण्य हो।

1-11 ikDdyuk dk i;kx

भारतीय लेखामानक के समनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वर्ष के दौरान होने वाली आय तथा व्यय रिपोर्ट में दी गई अनुमानित रकम की परिसंपत्तियों तथा देनदारियों (आकस्मिक देनदारी सहित) के अनुसार प्राक्कलन (एस्टीमेट) तैयार करना होता है। प्रबंधन यह मानता है कि विवरण तैयार करने के लिए जो (प्राक्कलन) प्रयोग किया जा रहा है वह विवेकपूर्ण और उचित होना चाहिए। इस प्राक्कलन से भविष्य के नतीजे भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक नतीजों और प्राक्कलन दोनों के बीच के भेद को परिणाम आने के दौरान पहचाना/कार्यान्वित किया जा सकता है।

feyfu;e Vyhdke fyfeVM
31 ekp] 2020 dk rqyu i=

fooj.k	Quhpj vkj tMukj	dk;ky; miLdj	fo|qr fQfVx	dI;Vj	okgu	dqy
01 अप्रैल 2019 को समाप्त अवधि में धारक राशि	23,713	17,029	3,111	1	1	43,855
समायोजन						
संचित मूल्यह्रास						
प्रारंभिक संचित मूल्यह्रास	-	-	-			-
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार				-		-
निपटान समूह में शामिल की गई परिसंपत्तियां जिन्हें बिक्री के लिए रखा गया के रूप में वर्गीकृत किया गया।						
निपटान						
विनिमय अंतर						
vfre lfpr eY;gkl	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
fuoy /kkjd jkf'k	**23,713**	**17,029**	**3,111**	**1**	**1**	**43,855**

feyfu;e Vyhdke fyfeVM

31 ekp] 2020 dk lekIr o"k e egRoi.k y[kkdu uhfr;k vkj vU; 0;k[;kRed lpuk,

#i;s

fVIi.kh l-	fooj.k	31 ekp 2020 dk	31 ekp 2019 dk
3	vkLFkfxr dj ifjlEifÙk;k		
	बुक किए गए मूल्यह्रास और आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार मूल्यह्रास में समय अंतर	23,444	28,355
		23,444	**28,355**
4	xSj pkyw dj ifjlEifÙk;k		
	अग्रिम कर (प्रावधानों के पश्चात)	3,758,569	6,916,340
		3,758,569	**6,916,340**
5	0;kikj ikI; ¼vifrHkr½		
	शोध्य माने गए	13,785,402	22,657,252
	संदेहास्पद माने गए	273,971	273,971
		14,059,373	22,931,223
	घटाया : संदेहास्पद कर्ज के लिए प्रावधान	(273,971)	(273,971)
		13,785,402	**22,657,252**
6	udnh vkSj udnh lerqY;		
	हाथ में नकदी		
	बैंकों में शेष		
	– चालू खाते में	11,847,284	2,527,972
	– जमा खाते में 3 माह की मूल परिपक्वता सहित	42,421,802	68,873,730
		54,269,086	**71,401,702**
7	vU; pkyw foÙkh; ifjlEifÙk;k		
	संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां	174,213	174,213
	ठाणे नगर निगम में जमा	840,223	840,223
	सीआईडीसी ओ में जमा	648,997	
	बैंक गारंटी	-	-
		1,663,433	**1,014,436**
8	vU; pkyw dj ifjlEifÙk;k		
	आयकर धनवापसी की प्राप्य राशि	2,867,409	3,285,200
		2,867,409	**3,285,200**
9	vU; pkyw ifjlEifÙk;k		
	बिल रहित सेवा (प्रोद्भूत आय)	272,519	259,167
	सीजीएसटी जमाखाता बही–महाराष्ट्र	129,799	
	एसजीएसटी जमाखाता बही–महाराष्ट्र	129,799	
	आईजीएसटी जमाखाता बही–दिल्ली	168,989	
	अप्रयुक्त कर जमा (क्रेडिट)	-	8,151,690
	सांविधिक प्राधिकारियों के पास शेष	15,481,261	7,727,485
		16,182,367	**16,138,342**

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड

10- bfDoVh 'k;j iwth

	31 ekpZ 2020 dks #i;s	31 ekpZ 2019 dks #i;s
bfDoVh 'k;j iwth izkf/kÑr 10,00,00,000 (पिछले वर्ष: 10,00,00,000) प्रत्येक 10रु. मूल्य के इक्विटी शेयर	1,000,000,000	1,000,000,000
fuxZr 28,75,880 (पिछले वर्ष: 28,75,880) प्रत्येक 10रु. मूल्य के इक्विटी शेयर	28,758,800	28,758,800
vfHknr rFkk iw.kZr% iznÙk 28,75,880 (पिछले वर्ष: 28,75,880) प्रत्येक 10रु. मूल्य के इक्विटी शेयर	28,758,800	28,758,800
	28,758,800	**28,758,800**

टिप्पणी:

(i) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में शेयरों की संख्या और बकाया राशि का मिलान

fooj.k	vkjfHkd 'ks"k	uohu fuxZe@ cksul@b,lvksih	lksifjorZu@ okil h&[kjhn	vfre 'ks"k
ernku dk vf/kdkj dk lkFk fuxZr] vfHknÙk rFkk iw.kZr% inÙk bfDoVh 'ks;j				
31 ekpZ 2019 dks lekIr o"kZ e				
– शेयरों की संख्या	2,875,880	-	-	2,875,880
– राशि (रुपये)	28,758,800	-	-	28,758,800
31 ekpZ 2018 dks lekIr o"kZ e				
– शेयरों की संख्या	2,875,880	-	-	2,875,880
– राशि (रुपये)	28,758,800	-	-	28,758,800

टिप्पणी:

(ii) धारक कंपनी, अंततः धारक कंपनी, उसकी सहायक और सहयोगी कंपनियों के द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

fooj.k	ernku vf/kdkj dk lkFk bfDoVh 'ks;j
	'ks;jks dh la[;k
31 ekpZ 2020 dks	
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, धारक कंपनी	2,875,880
31 ekpZ 2019 dks	
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, धारक कंपनी	2,875,880

(iv) 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयरों का विवरण:

'kS;jksa dh Js.kh@'kS;j/kkjd dk uke	pkyw fjiksfVZx vof/k dh lekfIr ij vkadM+s		fiNyh fjiksfVZx vof/k dh lekfIr ij vkadM+s	
	/kkfjr 'kS;jksa dh la[;k	ml Js.kh esa /kkfjr 'kS;jksa dk %	/kkfjr 'kS;jksa dh la[;k	ml Js.kh esa /kkfjr 'kS;jksa dk %
मतदान के अधिकार के साथ इक्विटी शेयर				
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2,875,880	100	2,875,880	100

31 ekpZ] 2019 dks lekIr o"kZ esa bfDoVh esa ifjorZu dk fooj.k

bfDoVh 'kS;j iwath

	'kS;jksa dh la[;k	jkf'k
01 vizSy] 2019 dks	28,758,800	28,758,800
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31 ekpZ] 2020 dks	**28,758,800**	**28,758,800**
vU; bfDoVh		
	jktLo vkjf{kr	izfr/kkfjr vtZu
1 vizSy] 2019 dks izkjfEHkd 'ks"k	724,119	27,932,746
वर्ष में लाभ/(हानि)		2,567,647
लाभांश एवं प्रस्तावित लाभांश		(5,170,887)
लाभांश कर तथा कर के लिए प्रावधान		(1,107,208)
31 ekpZ] 2020 dks vafre 'ks"k	**724,119**	**24,222,298**

11- vU; bfDoVh

fooj.k	31 ekpZ] 2020 dks #i;s	31 ekpZ] 2019 dks #i;s
vkjf{kr vkj vf/k'ks"k		
आरक्षित राजस्व		
प्रारंभिक शेष	724,119	724,119
जोड़े–वर्ष के दौरान परिवर्धन/अंतरण	-	-
घटाएं :– वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरण	-	-
के अनुसार अचल परिसंपतियों का परिशोधन	-	-
नए कंपनी अधिनियम, 2013	-	-
vafre 'ks"k	**724,119**	**724,119**
ykHk vkSj gkfu ds fooj.k esa vf/k'ks"k@¼?kkVk½		
प्रारंभिक शेष	27,932,746	21,514,986
जोड़े–चालू वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	2,567,647	6,407,479
जोड़े: लाभांश पर अधिक प्रावधान	-	10,282
घटाएं–लाभांश	(2,013,116)	-
घटाएं–लाभांश वितरण कर	(413,802)	-
घटाएं–प्रस्तावित लाभांश	(3,157,771)	-
घटाएं–प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर के लिए प्रावधान	(693,406)	-
vafre 'ks"k	**24,222,298**	**27,932,746**
dqy	**24,946,417**	**28,656,865**

31 ekp] 2020 dk lekIr o"k d fy, egRoi.k y[kkdu uhfr;k vkj vU; 0;k[;kRed lpuk,

fVIi.kh l-	fooj.k	31 ekp 2020 dk	31 ekp 2019 dk
12	vU; xj pky n;rk,		
	जम्मू एवं कश्मीर ई–गव. से संग्रहीत अग्रिम प्राप्ति	2,177,000	2,177,000
		2,177,000	2,177,000
13	0;kikj n;		
	एमएसएमई के देय	-	-
	अन्य के देय	6,450,770	34,087,561
		6,450,770	34,087,561
14	vU; pky foÙkh; n;rk,		
	संबंधित पक्षों से अग्रिम	6,060,175	6,060,175
	भुगतान योग्य अंतरिम लाभांश	-	-
	प्रस्तावित लाभांश	693,406	-
	बयाना जमा राशि तथा सुरक्षा जमा राशि	17,967,061	14,731,066
		24,720,642	20,791,241
15	pky iko/kku		
	खर्चो के लिए प्रावधान	4,987,382	3,975,303
		4,987,382	3,975,303
16	vU; pky n;rk,		
	प्राप्त अग्रिम आय	-	-
	सांविधिक धन–प्रेषण (व्यावसायिक कर, सेवा कर, स्रोत पर देय कर कटौती)	552,554	3,038,712
		552,554	3,038,712
17	ifjpkyuk l jktLo		
	उत्पादों की बिक्री		
	सेवाओं की बिक्री	14,797,593	72,541,533
	अन्य परिचालन राजस्व	-	897,969
	जीएसटी	2,614,513	4,683,525
	सकल राजस्व	17,412,106	78,123,027
	घटायाः सेवा कर/जीएसटी	(2,614,513)	(4,683,525)
	ifjpkyu l fuoy jktLo	**14,797,593**	**73,439,502**
18	vU; vk;		
	ब्याज आय	2,196,191	3,364,725
	प्रावधान का उलटाव	338,333	3,000
	निविदा एवं जब्त बयाना जमा राशि	40,000	102,000
		2,574,524	3,469,725

19	foÙkh; ykxr		
	बैंक प्रभार	427	943
		427	943
20	vU; [kpZ		
	प्रत्यक्ष खर्चे	13,567,126	67,830,680
	बैठक पर व्यय	13,248	4,625
	पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं		2,650
	दरें एवं कर		-
	यात्रा एवं वाहन	68,057	107,784
	मुद्रण तथा स्टेशनरी	3,816	3,414
	डाक खर्च	601	339
	निविदा खर्च		-
	जीएसटी विवरणी दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क	500	310
	विधिक तथा स्रोत पर कर कटौती दाखिल करने का शुल्क	100	150
	सी एस शुल्क	42,500	128,017
	स्टॉम्प खरीद	3,000	-
	लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सी ए को शुल्क	50,000	20,000
	किराया और कार्यालय की बिजली	66,012	66,012
	कंपनी रजिस्ट्रार में फाइलिंग शुल्क		6,715
	लेखापरीक्षकों को भुगतान	84,000	75,000
	डिजिटल हस्ताक्षर		2,031
	मरम्मत एवं रखरखाव		-
	विविध खर्चें	3,000	-
		13,901,960	**68,247,727**

21 mfpr eY; ekiu

J.kh d vuqlkj foÙkh; fy[kr

कंपनी की सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं प्रत्येक की रिपोर्टिंग तारीख को परिशोधित लागत मापन श्रेणी के अंतर्गत आती है।

mfpr eY; inkuØe

''वित्तीय परिसंपत्ति और देयता के उचित मूल्य में वह राशि शामिल है जो परिसंपत्ति के विक्रय पर प्राप्त होगी अथवा मापन तारीख पर बाजार के प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेन–देन के लिए देयता के हस्तांतरण के लिए चुकाई जाएगी। यह खंड उन वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य निर्धारण हेतु लिए गए निर्णयों तथा प्राक्कलनों का स्पष्टीकरण करती है जो इस प्रकार हैं (ए) उचित मूल्य पर पहचाने और मापे गए और (बी) परिशोधन लागत पर मापे गए, जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटीकरण वित्तीय विवरण में किया गया है। उचित मूल्य निर्धारण के लिए उपयोग में लाए गए आगतों (इनपुट) की विश्वसनीयता के संकेतक के रूप में समूह ने लेखा मानकों के निर्धारण के अनुसार अपनी वित्तीय लिखतों को तीन स्तरों पर वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण नीचे तालिका में दिया गया है।''

Lrj 1% स्तर 1 क्रम परम्परा में उद्धृत दरों पर मापी गई वित्तीय लिखतें शामिल हैं। उदाहरणतः, सूचीबद्ध इक्विटी लिखतें जिनका बाजार मूल्य उद्धृत किया गया है।

Lrj 2% जिन वित्तीय लिखतों का सक्रिय बाजार में व्यापार नहीं किया जाता उनका उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक द्वारा निर्धारित किया जाता है जिससे प्रेक्षणीय बाजार आंकड़ों का अधिकाधिक उपयोग होता है और कंपनी विशेष के प्राक्कलनों पर निर्भरता बहुत कम हो जाती है। यदि किसी लिखत के लिए उचित मूल्य के लिए आगत की आवश्यकता है तो वह विशेष रूप से द्रष्टव्य है, लिखत को स्तर 2 में शामिल किया गया है। कंपनी के स्तर 2 श्रेणी के लिखतों में वायदा विदेशी मुद्रा संविदा व्युत्पन्न शामिल हैं।

Lrj 3% यदि एक या एकाधिक महत्वपूर्ण आगत तथ्यात्मक बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो लिखत को इस स्तर में शामिल किया जाता है।

व्यापार प्राप्य की रखाव राशियां, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, बैंकों में सावधि जमाएं, व्यापार देय और अन्य चालू वित्तीय देयताएं उचित मूल्य के लगभग समान मानी जाती है।

भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार सावधि जमा को नकदी और, ''नकदी की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तित हो जाने वाले'' नकदी समतुल्य की प्रकृति के अनुरूप दिखाया गया है, जिससे कि कंपनी को अपनी चालू परियोजनाओं के लिए, जब कभी भी रुपयों की आवश्यकता हो, वह उसे सावधि जमा में से निकाल सके।

22 foÙkh; tksf[ke izca/ku

कंपनी के समक्ष ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम हैं।

_.k tksf[ke

ऋण जोखिम नकदी और बैंक शेष, व्यापार प्राप्यों और परिशोधित लागत पर ली गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से उत्पन्न होता है।

_.k tksf[ke izca/ku

कंपनी ऋण जोखिम का प्रबंधन उपभोक्ताओं और अन्य पक्षों की वित्तीय विश्वसनीयता का आकलन वित्तीय स्थिति, वर्तमान आर्थिक रुझान, परम्परागत अशोध्य कर्ज के विश्लेषण और पुराने लेनदारी खातों को दृष्टि में रख कर करती है। तदनुसार, वैयक्तिक जोखिम की सीमा तय की जाती है। ऋण जोखिम का कोई महत्पवूर्ण संकेन्द्रण नहीं है।

बैंक शेष केवल उच्च्च श्रेणी के बैंकों में है। व्यापार प्राप्य का बड़ा हिस्सा मूल कंपनी से प्राप्त किया जाना है। तदनुसार क्षरण का प्रावधान महत्व नहीं रखता।

pyfuf/k tksf[ke

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है कंपनी जिसका निपटान अथवा उसकी बाध्यताओं को समय पर अथवा यथोचित मूल्य पर पूरा नहीं कर पाएगी। कंपनी के लिए चलनिधि जोखिम वित्तीय देयता की बाध्यताओं– व्यापार देय और अन्य वित्तीय देयताओं से उत्पन्न होता है।

कंपनी का वित्त विभाग चलनिधि और निपटान प्रबंध के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त अंतरालों पर बजट–निर्धारित नकदी प्रवाह द्वारा भी चलनिधि की स्थिति का आकलन किया जाता है।

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

31 ekp] 2020 dk

fooj.k	6 ekg dk vUnj	6 ekg ls 1 o"k rd	dy
व्यापार देय	67,500	63,83,270	64,50,770
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं		2,47,20,642	2,47,20,642

31 ekp] 2019 dk

fooj.k	6 ekg dk vUnj	6 ekg ls 1 o"k rd	dy
व्यापार देय	1,75,600	62,75,170	64,50,770
अन्य वर्तमान वित्तीय देयताएं		2,07,91,241	2,07,91,241

23	lcfekr i{k dk yu&nu	
	संबंधित पक्षों का विवरण	
	संबंध का विवरण	संबंधित पक्षों के नाम
	मूल धारक कंपनी	कोई नहीं
	धारक कंपनी	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
	मूल धारक कंपनी	कोई नहीं
	सहायक कंपनियां	कोई नहीं
	सहभागी सहायक कंपनियां	महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड
	सहयोगी	1. भारत संचार निगम लिमिटेड
		2. एमटीएनएल, टीसीआईएल, टीसीएल तथा एनवीपीएल के संयुक्त उद्यम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड में एमटीएनएल की 26.68 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
		3. एमटीएनएल एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लिमिटेड (एमएसआईटीएस)
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	श्री सुनील कुमार, अध्यक्ष एवं निदेशक
		श्री प्रवीण पुंज, निदेशक 07–09–2019 तक
		श्री ए.के. श्रीवास्तव 19–09–2019 से 30–11–2019
		श्री श्रीशंकर वेल्लिह 30–01–2020 से
		श्री सुलतान अहमद, निदेशक
		श्री एस.पी. राय, निदेशक
		श्री शरत चंद, मुख्य परिचालन अधिकारी, दिल्ली
		श्री संजय खरे, मुख्य परिचालन अधिकारी, मुंबई 07–09–2019 तक
		श्री दीपक मुखर्जी, मुख्य परिचालन अधिकारी, मुम्बई 07–09–2019 से
		इनमें से किसी से भी कोई लेन–देन नहीं।
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी	कोई लेन–देन नहीं।
	वह कंपनी जिसमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/उनके संबंधी महत्वपूर्ण प्रभाव रख सकते हों।	कोई लेन–देन नहीं।
	टिप्पणीः संबंधित पक्षों की प्रबंधन द्वारा पहचान की गई है।	

24- 31 ekp] 2019 dk lekIr o"k d nkjku lcfekr i{kk d yu&nu vkj 31 ekp] 2018 dk cdk;k 'k"k dk fooj.kA

		lg;kxh% Hkkjr lpkj fuxe fy-@ ;ukbVM Vyhdke fy-	ey ekkjd diuh% egkuxj VyhQku fuxe fyfeVM	lgHkkxh lgk;d difu;k% egkuxj VyhQku fuxe ¼ekjh'kl½ fy-	dy
	वर्ष के अंत में बकाया शेष				
	व्यापार प्राप्य	-	10,259,680	-	10,259,680
		-	(10,809,112)	-	(10,809,112)
	मूल कंपनी को अग्रिम	-	174,213	-	174,213
		-	(174,213)	-	(174,213)
	मूल कंपनी से अग्रिम	-	6,060,175	-	6,060,175
		-	(6,060,175)	-	(6,060,175)
	संदेहास्पद प्राप्यों, ऋण एवं अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-	-	-
		-	-	-	-
	टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।				

		31 ekp 2020 dk #i;	31 ekp 2019 dk #i;
25	vkdfLed n;rk,a vkj ifrc)rk,a ¼ftl lhek rd iko/kku ugh fd;k½		
(i)	आकस्मिक देयताएं		
	(ए) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में नहीं पहचाना गया है (ब्यौरा दें)		
	(ए) (i) निर्धारण वर्ष 2004–05 का मामला आय कर की धारा 80 आईए के अन्तर्गत कटौती अनुमन्य न करने के लिए आयकर आयुक्त (अपील) के पास लंबित है। (प्रावधान किया गया)	-	3,496,764
	(ए) (ii) निर्धारण वर्ष 2005–06 का मामला आय कर की धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती अनुमन्य न करने के लिए आय कर अपील न्यायाधिकरण (अपील) के पास लंबित है। (प्रावधान किया गया)	-	4,349,058
26	वित्त वर्ष 2019–20 में 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए 0.70 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश का भुगतान किया गया। निदेशक मंडल ने 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए 0.20 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लाभांश वितरण कर और प्रस्तावित लाभांश के लिए देयता उपलब्ध कराई गई।		
27	भारतीय लेखा मानक 7 के अनुसार सावधि जमा को नकदी और,''नकदी की ज्ञात राशि में आसानी से परिवर्तित हो जाने वाले'' नकदी समतुल्य की प्रकृति के अनुरूप दिखाया गया है, जिससे कि कंपनी को अपनी चालू परियोजनाओं के लिए, जब कभी भी रुपयों की आवश्यकता हो, वह उसे सावधि जमा में से निकाल सके।		
28	कंपनी एक खंड में परिचालन करती है अर्थात भारत में सेवाएं प्रदान करती है।		

29	l{e] y?k vkj e/;e m|e fodkl vf/kfu;e 2006 dh /kkjk 22 d v/khu vif{kr idVu% 31 ekp 2020 rFkk 31 ekp 2019 dk lekIr o"k d nkjku l{e rFkk y?k m|ek dk diuh dh dkbl nunkjh ugh gA
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों की देय राशियों, को उस सीमा तक निर्धारित किया गया है जहां तक प्रबंधन द्वारा ऐसी पार्टियों के संबंध में एकत्रित जानकारी के आधार पर उनकी पहचान की गई है। इस पर लेखापरीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया।
30	सीआईएफ आधार पर परिकलित आयात मूल्यों से संबंधित जानकारीः वर्ष के दौरान लाभांश के कारण विदेशी मुद्रा में खर्च, विदेशी विनिमय में अर्जन व विदेशी मुद्रा में प्रेषित रकम, शून्य है।
31	कंपनी की आयातित और स्वदेशी वस्तुओं की खपत का विवरण शून्य है।
32	बोर्ड के निदेशक मंडल की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम का वसूली मूल्य व्यापार के सामान्य दौर में कम से कम उस रकम के बराबर है जैसे उन्हें बताया गया है और सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान लेखे में किया गया है।
33	धारक कंपनी एमटीएनएल के पास लेन–देन और बकाया के लिए लेखा शेष पुष्टि और समाधान उपलब्ध नहीं है। इसलिए लेखाओं में एमटीएनएल के संबंध में प्रदर्शित शेष 31.3.2020 को पुष्टि तथा समाधान के अधीन है।
34	टिप्पणी सं. 8 के अनुसार सेवा कर देयता रुपये 5,40,054/– के लंबित सांविधिक धन–प्रेषण की स्थिति का बिल अनुसार विवरण उपलब्ध नहीं है।
35	कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 133 एवं उसके साथ पठित जारी संगत नियमों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखासिद्धांतों के अनुसार विनिर्धारित भारतीय लेखामानक (भा.ले.मा.) 34 ''अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग'' के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखना भी शामिल है, जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके, समुचित लेखा नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग किया जा सकें, कार्यान्वित किए जा सके तथा उनका रखरखाव किया जा सके, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचलन में हो, ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हो, तथा धोखाधड़ी अथवा गलती के कारण ठोस गलतबयानी से मुक्त हों।
36	आईसीआईसीआई बैंक द्वारा बैंक विवरणी (स्टेटमेंट) नहीं दी गई है जिसमें रु. 100825/– जमा हैं तथा आयकर प्राधिकारियों के आदेश के कारण बैंक द्वारा इसे ग्रहणाधिकार (लिएन) के अंतर्गत चिहि्न्त किया गया है।

Ñr e l l cãpk ,M eknh ,M
diuh
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 101591डब्ल्यू

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

lh, o#.k oh cãpk
साझेदार
सदस्यता सं. 136414
यूडीआईएनः 20136414एएएएसीएच5317

luhy dekj
अध्यक्ष एवं निदेशक

l|rku vgen
निदेशक

LFkku% मुम्बई
fnukd% 02.07.2020

LFkku% दिल्ली
fnukd% 02.07.2020

feyfu;e Vyhdke fyfeVM

foÙkh; fooj.kksa dk Hkkx gksus okyh fVIif.k;ksa dk ifjf'k"V

fVIi.kh l[;k 4 dk ifjf'k"V

	31 ekpZ 2020 dks #i;s	31 ekpZ 2019 dks #i;s
xSj pkyw dj ifjlaifÙk;ka		
आयकर प्रदत्त (निर्धारण वर्ष 2003–04)	6,375,775	6,375,775
आयकर प्रदत्त (निर्धारण वर्ष 2004–05)	4,082,337	4,082,337
आयकर प्रदत्त (निर्धारण वर्ष 2005–06)	3,819,306	3,819,306
	14,277,418	14,277,418
घटाया : कराधान के लिए प्रावधान		
निर्धारण वर्ष 2003–04	(4,063,127)	(5,983,525)
निर्धारण वर्ष 2004–05	(2,721,485)	(454,410)
निर्धारण वर्ष 2005–06	(2,811,094)	
निर्धारण वर्ष 2007–08	(941,800)	(941,800)
कुल	3,739,912	6,897,683
VhMh,l ifjlaifÙk;ka		
टीडीएस परिसंपत्तियां वित्त वर्ष 2015–16	14,986	14,986
टीडीएस परिसंपत्तियां वित्त वर्ष 2016–17	3,671	3,671
dqy	**3,758,569**	**6,916,340**

fVIi.kh l[;k 5 dk ifjf'k"V

O;kikj ikVhZ;	31 ekpZ 2020 dks #i;s	31 ekpZ 2019 dks #i;s
शोध्य समझे गए		
सीई (बीडब्ल्यू) एमटीएनएल, दिल्ली	1,724,630	1,724,630
सीई (बीडब्ल्यू), एमटीएनएल, मुंबई	1,260,870	1,260,870
म.प्र. (विपणन एवं जनसंपर्क) एमटीएनएल, मुंबई	267,400	267,400
म.प्र. (विपणन) एमटीएनएल, दिल्ली	6,010,020	6,010,020
म.प्र. (विपणन–जीएसएम), एमटीएनएल, दिल्ली	120,410	120,410
म.प्र. (विपणन–जीएसएम), एमटीएनएल, मुंबई	32,400	32,400
एसवीपी (विपणन), एमटीएनएल, सीओ	375,255	375,255
म.प्र. (विपणन) एमटीएनएल, दिल्ली (सीयूएच परियोजना)	468,695	1,018,127
जम्मू एवं कश्मीर ई गव.	559,685	9,009,138
सीआईडीसीओ लिमिटेड	100,001	-
ठाणे नगर निगम	27,034	
उत्तर प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण मजदूर कल्याण परिषद	2,839,002	2,839,002
	13,785,402	**22,657,252**

lmgkLin le>k x,		
सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	215,771	215,771
एचपीएसईडीसी	58,200	58,200
	273,971	273,971
अशोध्य कर्जों के लिए प्रावधान	**273,971**	**273,971**

fVIi.kh l[;k 6 dk ifjf'k"V

	31 ekp] 2020 dk #i;	31 ekp] 2019 dk #i;
नकदी और बैंक अधिशेष		
बैंक शेष		
(i) चालू खातों में		
आईओबी खाता–मुंबई–वसूली	1,543,543	3,067
आईओबी खाता–मुंबई–प्रचालन	12,953	17,416
आईओबी खाता–दिल्ली	10,189,964	2,406,665
आईसीआईसीआई खाता	100,825	100,825
	11,847,284	2,527,972
(ii) सावधि जमा खातों में जमा		
आईओबी खाता–मुंबई	-	26,521,674
आईओबी खाता–दिल्ली	42,421,802	42352056
	42,421,802	**68,873,730**

fVIi.kh l[;k 8 dk ifjf'k"V

vU; pkyw ifjlEifÙk;k	31 ekp] 2020 dk #i;	31 ekp] 2019 dk #i;
आयकर वापसी प्राप्य राशियां निर्धारण वर्ष 2007–08	636,478	636,478
आयकर वापसी प्राप्य राशियां निर्धारण वर्ष 2015–16	87,849	87,849
आयकर वापसी प्राप्य राशियां निर्धारण वर्ष 2018–19	-	2,394,748
आयकर वापसी प्राप्य राशियां निर्धारण वर्ष 2019–20	1,275,424	166,125
आयकर वापसी प्राप्य राशियां निर्धारण वर्ष 2020–21	867,658	
	2,867,409	**3,285,200**

fVIi.kh l[;k 9 dk ifjf'k"V

vi;Dr dj tek	31 ekp] 2020 dk #i;	31 ekp] 2019 dk #i;
सीजीएसटी क्रेडिट–दिल्ली	-	34,987
एसजीएसटी क्रेडिट–दिल्ली	-	34,987
सीजीएसटी क्रेडिट–यूपी	-	4,040,858
एसजीएसटी क्रेडिट–यूपी	-	4,040,858
	-	8,151,690

fVIi.kh l[;k 9 dk ifjf'k"V		
lkfof/kd ikf/kdj.kka dk ikl 'k"k	31 ekp] 2020 dks #i;s	31 ekp] 2019 dks #i;s
सीजीएसटी क्रेडिट–महा.	5,295,502	5,523,554
एसजीएसटी क्रेडिट–महा.	1,751,482	1,979,534
सीजीएसटी क्रेडिट दिल्ली	56,297	-
एसजीएसटी क्रेडिट दिल्ली	56,747	-
आईजीएसटी क्रेडिट दिल्ली	15,120	
सीजीएसटी क्रेडिट–उत्तर प्रदेश	4,040,858	
एसजीएसटी क्रेडिट–उत्तर प्रदेश	4,040,858	
जमा उपकर प्राप्य	20,761	20,761
जमा कृषि कल्याण उपकर	203,636	203,636
	15,481,261	**7,727,485**

fVIi.kh l[;k 13 dk ifjf'k"V		
0;kikj n;;	31 ekp] 2020 dks #i;s	31 ekp] 2019 dks #i;s
विविध लेनदार		
टेलेक्ससेल इंफरमेशन सिस्टम लिमिटेड–सीयूएच	-	518,487
टेलेक्ससेल इंफरमेशन सिस्टम लिमिटेड–एअर इंडिया	-	-
आईटीआई लिमिटेड	36,935	36,935
पेंटागन नेटवर्क सोल्यूशन लिमिटेड	100,000	
जीएएपी एजूकेशन प्राइवेट लिमिटेड	6,238,235	6,238,235
विकाश बिल्डटेक प्रा. लि.	-	27,226,404
खर्चों के लेनदार		
ब्रह्मोचा मोदी एंड कंपनी	67,500	67,500
हेमंत सिंह एसोसिएट्स	8,100	
dqy	**6,450,770**	**34,087,561**

fVIi.kh l[;k 14 dk ifjf'k"V		
vU; pkyw foÙkh; ns;rk,a	31 ekp] 2020 dks #i;s	31 ekp] 2019 dks #i;s
संबंधित पक्षों से अग्रिम		
धारक कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड		
दिल्ली इकाई	4,811,756	4,811,756
मुंबई इकाई	1,248,419	1,248,419
	6,060,175	**6,060,175**

0;kikj@ifrHkkfr tek ls ikIr		
टेलेक्ससेल से बयाना जमा राशि (ईएमडी)	19,438	10,000
विकास बिल्डटेक प्रा. लि. से जमा	10,715,047	9,637,487

एनएसआरसी डाटा केंद्र से अग्रिम	1,845,662	1,845,662
पेंटागन नेटवर्क सॉल. प्रो. लि. से जमा	2,786,914	2,137,917
बीडीए का जमा	2,600,000	1,100,000
	17,967,061	**14,731,066**

fVIi.kh l[;k 15 dk ifjf'k"V

pky ikо/kku	31 ekp] 2020 dk #i;	31 ekp] 2019 dk #i;
एयर इंडिया के लिए प्रावधान		-
सीयूएच–वाई–फाई के लिए प्रावधान	258,801	647,878
एमपीएलएस टोल प्लाजा के लिए प्रावधान	112,000	112,000
यूपी जीआईएस परियोजना के लिए प्रावधान	3,215,425	3,215,425
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	50,000	
टीएमसी रखरखाव के लिए प्रावधान	1,351,156	
	4,987,382	**3,975,303**

fVIi.kh l[;k 16 dk ifjf'k"V

vU; pky n;rk,	31 ekp] 2020 dk #i;	31 ekp] 2019 dk #i;
सांविधिक धन प्रेषण (व्यावसायिक कर, सेवाकर, देय कर कटौती)		
सेवा कर भुगतान योग्य, देय नहीं –10.2%	310,945	310,945
सेवा कर भुगतान योग्य, देय नहीं –5%	229,109	229,109
देय टीडीएस–दिल्ली	7,500	51,633
देय टीडीएस–यूपी	-	2,244,921
देय लाभांश वितरण कर	-	-
भुगतान के लिए देय नहीं लाभांश वितरण कर	-	-
भुगतान योग्य जीएसटी		
सीजीएसटी टीडीएस–दिल्ली	1,600	-
एसजीएसटी टीडीएस–दिल्ली	1,600	
सीजीएसटी देयता–दिल्ली	-	16,409
एसजीएसटी देयता–दिल्ली	-	24,061
आईजीएसटी देयता–दिल्ली	1,800	-
सीजीएसटी देयता–यूपी	-	80,817
एसजीएसटी देयता–यूपी	-	80,817
dqy	**552,554**	**3,038,712**

fVIi.kh l[;k 17 dk ifjf'k"V

ifjpkyu ls jktLo	31 ekp] 2020 dk #i;s	31 ekp] 2019 dk #i;s
lokvkas dh fcØh		
fnYyh 'kk[kk		
एअर इंडिया को आरएफ कनेक्टिविटी	272,087	193,969
उद्यम व्यापार (वाईफाई परियोजना)	194,400	777,501
eqcbZ 'kk[kk		
उद्यम व्यापार (वाईफाई परियोजना)	14,331,106	23,735,113
उद्यम व्यापार (अन्य)	-	674,200
यूपी शाखा		
यूपी जीआईएस सर्वेक्षण	-	47,160,750
	14,797,593	**72,541,533**
vU; ifjpkyu vk;		
;wih 'kk[kk		
पीएमसी प्रभार	-	897,969
	-	897,969
सेवा कर		-
जीएसटी		
दिल्ली	34,914	128,215
मुम्बई	2,579,599	4,393,676
यूपी	-	161,634
	2,614,513	4,683,525
सकल राजस्व	17,412,106	78,123,027

fVIi.kh l[;k 18 dk ifjf'k"V

vU; vk;	31 ekp] 2020 dk #i;s	31 ekp] 2019 dk #i;s
ब्याज आय		
सावधि जमा पर ब्याज		
-दिल्ली	2,058,802	1,514,178
-मुंबई	6,658	1,830,537
आयकर धन वापसी पर ब्याज	130,731	20,010
	2,196,191	3,364,725
निविदा एवं रूचि की अभिव्यक्ति पर कार्यवाही	40,000	102,000
जीएसटी	7,200	18,360
सकल अन्य आय	47,200	120,360
निवल आय (जीएसटी छोड़कर)	40,000	102,000

fVIi.kh l[;k 20 dk ifjf'k"V

iR;{k [kpZ	31 ekp] 2020 dk #i;s	31 ekp] 2019 dk #i;s
	-	-
fnYyh 'kk[kk		
एयर इंडिया को आर एफ कनेक्टिविटी	224,395	159,970
सीयूएच परियोजना	194,375	777,463
eqcbZ 'kk[kk		
उ़द्यम व्यापार (वाईफाई परियोजना)	13,148,356	21,421,752
उद्यम व्यापार (अन्य)	-	573,070
;wih 'kk[kk		
यूपी जीआईएस परियोजना	-	44,898,425
	13,567,126	**67,830,680**

ej LVhQ l
NBk ry] U;Vu Vkoj
lj fofy;e U;Vu LVhV
ikV ybl] ekjh'kl
Vyh- u% ¼230½211&6535
QDl %¼230½ 211&6964
bey% **moorestephens@intnet.mu**
oc lkbV% **www.moore-mauritius.mu**

egkuxj VyhQku ¼ekjh'kl½ fyfeVM

d lnL;k d fy, Lora= y[kkijh{kdk dh fjikV

foÙkh; fooj.kk dh y[kkijh{kk ij fjikV

er

हमने egkuxj VyhQku ¼ekjh'kl½ fyfeVM (''कंपनी'') एवं उसकी सहायक कंपनियों (''समूह'') के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जो पृष्ठ संख्या 17 से 45 पर दी गई है। इसमें 31 मार्च 2020 को वित्तीय स्थिति का विवरण तथा लाभ एवं हानि का विवरण एवं अन्य व्यापक आय का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, तथा समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और वित्तीय विवरणो ंपर टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारे मतानुसार, 31 मार्च 2020 को समूह तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही तथा निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुसार है और मॉरीशस कंपनी अधिनियम 2001 की अपेक्षाओं के अनुपालन में हैं।

er dk vk/kkj

हमने अपना लेखापरीक्षण अंतरराष्ट्रीय लेखापरीक्षा मानकों (आईएसए) के अनुसार किया है। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के खंड में लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे वर्णित किया गया है। पेशेवर लेखाकारों के लिए (आईईएसबीए कोड) लेखाकार नैतिक संहिता के लिए अंतरराष्ट्रीय नैतिकता मानक बोर्ड के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने आईईएसबीए कोड के अनुसार अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

vU; lpuk

निदेशक अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में निदेशकों की टिप्पणी और कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र, अनुपालन का विवरण, निगमित अभिशासन रिपोर्ट अथवा कोई अन्य जानकारी शामिल है। अन्य सूचना में वित्तीय विवरण और उससे संबधित हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं हैं और हम उस पर कोई लेखापरीक्षा मत अथवा किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है और ऐसा करते हुए विचार करना है कि क्या अन्य सूचना लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी अथवा वित्तीय विवरणों के साथ असंगत है अथवा अन्यथा ठोस गलतबयानी प्रतीत होती है। हमने जो कार्य किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचना का कोई गलत विवरण है, तो हमें इस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है।

foÙkh; fooj.kk gr fun'kdk dk mÙkjnkf;Ro

निदेशक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों और मॉरीशस कंपनी अधिनियम, 2001 की अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय विवरण को तैयार करने तथा उनके सत्य एवं निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। निदेशक के रूप में ऐसे आंतरिक नियंत्रण को निश्चित करना आवश्यक है ताकि वित्तीय विवरण इस प्रकार तैयार किए जा सकें जो किसी भी ठोस गलत बयानी से मुक्त हों चाहे वह किसी धोखाधड़ी अथवा किसी चूक के कारण हो।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में निदेशक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने के लिए समूह तथा कंपनी की योग्यता का आकलन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के प्रकटन, जैसा लागू हो तथा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन की विधि का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी हैं, जब तक निदेशक समूह तथा कंपनी को या तो परिसमाप्त करने या परिचालन बंद करने अथवा कोई वास्तविक विकल्प न होने पर ऐसा करने का इरादा न रखते हों।

çe[k y[kk ijh{kk ekey

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं कि, हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे। इन मामलों का समाधान वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने में किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

çe[k y[kk ijh{kk ekey	gekj v,fMV u çe[k v,fMV ekeyk dk dl lckf/kr fd;k
आईएफआरएस 16 का कार्यान्वयन	
जैसा कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट 16 में दर्शाया गया है, समूह ने संशोधित पूर्वव्यापी विधि का उपयोग करके 1 जनवरी, 2019 से आईएफआरएस 16, 'पट्टों' को अपनाया। नया मानक एक एकल पट्टेदार लेखांकन मॉडल प्रदान करता है, जिसके तहत 'राइट–ऑफ–यूज एसेट' और इसी 'लीज देयता' को सभी पट्टों के लिए बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है। इसलिए पहली बार अपनाए जाने के संचयी प्रभाव को 1 जनवरी, 2019 को उनकी शुरूआत के बाद से सभी मौजूदा पट्टों की पहचान और विश्लेषण करके और विशेष रूप से प्रत्येक पट्टे, अवधि, भुगतान के प्रकार और वृद्धिशील उधार दर के लिए ध्यान में रखकर मान्यता दी गई थी।	हमने प्रबंधन द्वारा किए गए दृष्टिकोण के लेखांकन सिद्धांतों (विशेष रूप से संक्रमण विधि, सरलीकरण उपाय, छूट दर का निर्धारण, पट्टाधारित के उपयोगी जीवन) के अनुपालन का आकलन किया हमने नए मानक को अपनाने के लिए प्रबंधन द्वारा लागू किए गए संगठन और प्रमुख नियंत्रणों की समझ प्राप्त की। सही उपयोग की परिसंपत्तियों और पट्टे की देनदारियों के माप की पूर्णता और सटीकता का मूल्यांकन करने के लिए, हमनेः • विशेष रूप से पट्टों की पहचान के संबंध में उपयोग किए गए आदानों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण के प्रारूप के कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया;

çeq[k ys[kk ijh{kk ekeys	gekjs v,fMV us çeq[k v,fMV ekeyksa dks dSls lacksf/kr fd;k
आईएफआरएस 16 को पहली बार अपनाने के परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 2019 में राइट–ऑफ–यूज एसेट्स की मान्यता 3,309,807 करोड़ रुपये की शुद्ध वहन राशि और 5,073,478 मिलियन रुपये की पट्टा देनदारियों के लिए हुई।	• पट्टों का नमूना, पट्टों में डेटा के साथ सही उपयोग की परिसंपत्तियों और पट्टे की देनदारियों को मापने के लिए एकत्र की गई जानकारी की पुष्टि की और उपयोग की गई पट्टे की शर्तों की प्रासंगिकता का आकलन किया; • आईएफआरएस 16 में प्रदान की गई छूट दरों के बाजार आंकड़ों के साथ संगतता का आकलन किया • संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण के तहत इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में 1 जनवरी 2019 में किए गए समायोजन की सटीकता को सत्यापित किया; और • नोट 16 में समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रदान किए गए खुलासों की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की ।
कोविड–19 का प्रभाव	
कोरोनावायरस रोग 2019 (कोविड–19) के हाल ही में और चल रहे प्रकोप से समूह और कंपनी के संचालन प्रभावित होने की संभावना है जिसे मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया था। दुनिया भर में वायरस के बड़े पैमाने पर फैलने से व्यापार गतिविधि में अभूतपूर्व व्यवधान पैदा हो गए हैं क्योंकि समाजिक दूरी उपायों, संगरोध, यात्रा प्रतिबंध और लॉकडाउन के माध्यम से संक्रमण वक्र को समतल करने के प्रयास तेज हो गए हैं। संकट की शुरुआत के बाद से सरकार और केंद्रीय बैंक ने भारी राजकोषीय उपायों और समन्वित मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रबंधन को उम्मीद है कि सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी नए प्रतिबंधों को लागू करेंगे, जो कोविड–19 विधेयक में प्रतिष्ठापित हैं जो कंपनी को अपने संचालन के लिए और अधिक समायोजन करने के लिए ऐसे किसी भी उपायों का पालन करने की आवश्यकता हो सकती है। सरकार द्वारा लगाए गए कर्फ्यू से कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला और मोबाइल फोन और फोन कार्ड की समय पर डिलीवरी बाधित हुई है।	चूंकि महामारी के प्रकोप के दौरान हमारा लेखा परीक्षा चल रहा था, इसलिए हमारे नियोजित लेखा परीक्षा दृष्टिकोण को समायोजित करने, हमारे जोखिम आकलन और पहचाने गए जोखिमों के प्रति हमारी प्रस्तावित प्रतिक्रिया पर फिर से विचार करने की आवश्यकता थी। हम उन परिस्थितियों के बारे में उपयोगकर्ताओं के लिए संदर्भ के नीचे रूपरेखा तैयार करते हैं जिनमें लेखा परीक्षा की गई है, और जिस तरह से हमने महत्वपूर्ण निर्णयों पर निष्कर्ष निकाला है, उस पर उन परिस्थितियों का प्रभाव और इस स्थिति से अनुकूलन करने तथा इससे बाहर निकलने के लिए हमनेः • हमारे आंतरिक और बाहरी संवाद दोनों के लिए जितना संभव हो प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग बढ़ाया; • अभिशासन के प्रभारियों के साथ अन्य बातों के साथ–साथ संभावति कमियों, गलत बयानों, ऑडिट रिपोर्ट के समय के संबंध में समय से व्यापक, पूर्ण और अपेक्षित जानकारी युक्त संवाद के लिए कई विडियो कान्फ्रेंस बैठकें की; • जहां लॉकडाउन के कारण यात्रा प्रतिबंधों ने हमारे काम में बाधा डाली है, वहां पर्याप्त, उचित साक्ष्य प्राप्त करने के अन्य तरीकों की पहचान की गई है तथा मांग की गई साक्ष्यों की गुणवत्ता, सत्यता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए समझौता नहीं किया गया था। अपनाई गई वैकल्पिक प्रक्रियाएं अलग–अलग मामले के आधार पर किया गया जिसमें वित्तीय विवरण लाइन मध्य, लागू तथ्यों और परिस्थितियों के जोखिम कारक हैं;

çeq[k ys[kk ijh{kk ekeys	gekjs v,fMV us çeq[k v,fMV ekeyksa dks dSls lacksf/kr fd;k
समूह और कंपनी के वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभावों में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैः राजस्व, लंबे समय तक रहने वाली परिसंपत्तियों की हानि, सहायक कंपनियों में निवेश, परिचालन पट्टे, परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार, मालसूची का मूल्यांकन, प्राप्तियों तथा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का वसूल हो सकना। हालांकि, व्यापार व्यवधान की अवधि और गंभीरता और इसके सहवर्ती वित्तीय प्रभाव को महामारी की स्वाभाविक जटिल और तेजी से विकसित प्रकृति के कारण इस समय यथोचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्रबंधन 2020/21 में व्यापार, संचालन के परिणाम, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर एक ठोस प्रतिकूल प्रभाव की आशा करता है।	• अधिक लेखा परीक्षा कठोरता के साथ इस बात का मूल्यांकन करने के लिए क्या दोनों इकाईयों की पर्याप्त तरलता तक पहुंच है और वे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिबंधों की अवधि के दौरान तथा उसके बाद भी ऋणशोधन क्षम रह सकते है; कंपनी की वित्तपोषण सुविधाओं की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरलता या अन्य समर्थन की शर्तों को हिसाब में लेकर तथा क्या इस तरह का कोई समर्थन भविष्य के दायित्वों को जन्म देता है; • व्यापार प्राप्तियों और सहायक कंपनियों की क्रेडिट हानि और परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए अपेक्षित पर कोविड–19 पोस्ट–मॉडल उपरी व्ययों के प्रभाव पर विचार किया गया।

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलाकर वित्तीय विवरण ठोस गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों और एक ऐसी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट देना, जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन एक गारंटी नहीं है कि ISAs के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा एक ठोस गलत बयानी का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से पैदा हो सकते हैं और उन्हें ठोस माना जाता है अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल रूप में, उनके इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की तर्कसंगत संभावना हो।

आईएसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम संपूर्ण लेखापरीक्षा प्रक्रिया में व्यावसायिक विवेक के साथ–साथ व्यावसायिक संदेह भी बरतते हैं। हम यह भी करते हैंः

- वित्तीय विवरणों के ठोस गलत बयानों के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को बनाते और कार्यान्वित करते हैं और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप ठोस गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाली गलत बयानी से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं बनाई जा सकें जो कि परिस्थितियों में उपयुक्त हों। लेकिन समूह और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं।
- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं।
- निदेशकों द्वारा लेखांकन के कार्यशील सांस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई ठोस अनिश्चितता विद्यमान है, जो समूह और कंपनी की एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकते हैं। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई ठोस अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों

की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या क्या ऐसे खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या दशाओं के कारण समूह और कंपनी एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी नहीं रह सकते।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन और इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का उस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे उचित प्रस्तुतिकरण का लक्ष्य प्राप्त होता है।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में निदेशकों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

vU; ekeyk %&

यह रिपोर्ट पूरी तरह से मॉरीशस कंपनी अधिनियम 2001 की धारा 205 के अनुसार कंपनी के सदस्यों को दी गई है। हमारा लेखा परीक्षा कार्य इसलिए किया गया है ताकि हम कंपनी के सदस्यों को उन मामलों को बता सकें जो हमें लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बताने के लिए हमसे अपेक्षा की जाती है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। कानून द्वारा अनुमत पूरी सीमा तक, हम कंपनी और कंपनी के सदस्यों के अलावा किसी और के प्रति, हमारे ऑडिट कार्य के लिए, इस रिपोर्ट के लिए, या हमारे द्वारा बनाई गई राय के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं या नहीं मानते हैं।

vU; fof/kd vkj fu;ked vko';drkvk ij fjikVl

ekjh'kl diuh vfèkfu;e 2001

लेखा परीक्षकों के रूप में हमारी क्षमता के अलावा समूह और कंपनी में हमारा कोई संबंध या हित नहीं है।

हमने आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।

हमारी राय में, समूह और कंपनी द्वारा उचित लेखांकन रिकॉर्ड रखे गए हैं जहां तक यह उन अभिलेखों की हमारी जांच से प्रतीत होता है ।

foÙkh; fjikfVax vf/kfu;e 2004

निदेशक निगमित अभिशासन (कॉर्पोरेट गवर्नेंस) रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड के अनुपालन की सीमा पर रिपोर्ट करना है जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है और इस पर कि क्या प्रकटीकरण कोड के सिद्धांतों के अनुरूप है।

निदेशकों ने संहिता के उन सिद्धांतों पर संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया है जिनका अनुपालन नहीं किया गया है। हमारी राय में, वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण, गैर अनुपालन के कारणों पर स्पष्टीकरण सहित, कोड के सिद्धांतों के अनुरूप है।

g-@&
ej ekjh'kl
(पूर्व में मूर स्टीफंस)
सनदी लेखाकार

'okrk ekfgir]
बीएससी, एसीए
एफआरसी से लाइसेन्स प्राप्त

दिनांक : 22.06.2020

पोर्ट लुइस
मॉरीशस गणतंत्र

egkuxj VsyhQksu ¼ekWjh'kl½ fyfeVsM
foÙkh; fLFkfr dk fooj.k 31 ekpZ 2020 dks

	fVIif.k;ka	lewg 2020 #i;s	lewg 2019 #i;s	daiuh 2020 #i;s	daiuh 2019 #i;s
ifjlaifÙk;ka					
गैर चालू परिसंपत्तियां					
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	5 ¼,½	**491,187,265**	491,801,655	**491,187,265**	491,801,655
परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	5 ¼ch½	**2,628,671**		**2,628,671**	
निवेश संपत्ति	5 ¼lh½	**44,641,492**	47,389,324	**44,641,492**	47,389,324
सहायक कंपनियों में निवेश	**6**	**-**	-	**-**	12,000,000
		538,457,428	539,190,979	**538,457,428**	551,190,979
pkyw ifjlaifÙk;ka					
माल सूची	**7**	**4,179,395**	4,130,166	**4,179,395**	4,130,166
व्यापार प्राप्य राशियां	8 ¼,½	**14,127,150**	25,872,467	**14,127,150**	25,872,467
अन्य चालू परिसंपत्तियां	8 ¼ch½	**51,367,135**	42,569,647	**51,417,535**	42,619,047
नकदी और नकदी समतुल्य	9 ¼,½	**106,304,305**	76,765,445	**106,304,305**	76,765,445
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	9 ¼ch½	**154,221,354**	115,532,000	**154,221,354**	115,532,000
		330,199,339	264,869,725	**330,249,739**	264,919,125
dqy ifjlaifÙk;ka		**868,656,767**	**804,060,704**	**868,707,167**	**816,110,104**
bfDoVh ,oa ns;rk,a					
bfDoVh					
स्वीकृत पूंजी	**10**	**673,717,949**	673,717,949	**673,717,949**	673,717,949
राजस्व आरक्षित निधि	**11**	**49,049,599**	37,939,048	**49,099,549**	37,988,148
कुल इक्विटी		**722,767,548**	711,656,997	**722,817,498**	711,706,097
xSj&pkyw ns;rk,a					
संबंधित कंपनियों को देय		**-**	-	**-**	12,000,000
लीज देयता	**16**	**3,795,564**	-	**3,795,564**	-
आस्थगित कराधान	**15**	**35,986,877**	32,548,272	**35,987,327**	32,548,572
		39,782,441	32,548,272	**39,782,891**	44,548,572
pkyw ns;rk,a					
व्यापार और अन्य देय	**12**	**100,168,760**	54,605,435	**100,168,760**	54,605,435
लीज देयता	**16**	**688,018**	-	**688,018**	-
देय लाभांश	**19**	**5,250,000**	5,250,000	**5,250,000**	5,250,000
		106,106,778	59,855,435	**106,106,778**	59,855,435
dqy bfDoVh vkSj ns;rk,a		**868,656,767**	**804,060,704**	**868,707,167**	**816,110,104**

निदेशक मंडल द्वारा 22.06.2020 को अनुमोदित

(रामापती गजाधर)
निदेशक

(पी.के. पुरवार)
निदेशक

egkuxj VsyhQksu ¼eksjh'kl½ fyfeVsM
31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds fy, ykHk vFkok gkfu vkSj
vU; O;kid vk; dk fooj.k

	fVIif.k;k	leg		diuh	
		2020 #i;s	2019 #i;s	2020 #i;s	2019 #i;s
कुल कारोबार (टर्न ओवर)	**3 vkSj 17**	**448,327,972**	468,127,262	**448,327,972**	468,127,262
बिक्री की लागत	**28**	**(117,963,341)**	(128,407,247)	**(117,963,341)**	(128,407,247)
सकल लाभ		**330,364,631**	339,720,015	**330,364,631**	339,720,015
कार्मिक खर्चे	**29**	**(19,451,443)**	(16,955,325)	**(19,451,443)**	(16,955,325)
लाइसेंस शुल्क	**30**	**(45,498,716)**	(41,703,033)	**(45,498,716)**	(41,703,033)
प्रशासनिक खर्चे	**31**	**(162,510,706)**	(146,929,307)	**(162,509,706)**	(146,928,307)
विपणन खर्चे	**32**	**(20,813,984)**	(25,524,536)	**(20,813,984)**	(25,524,536)
मूल्यह्रास	**21**	**(72,658,907)**	(95,970,848)	**(72,658,907)**	(95,970,848)
परिचालनों से लाभ	**20**	**9,430,875**	12,636,966	**9,431,875**	12,637,966
सहायक कंपनियों में निवेश से क्षरण हानि	**6**		-	**(12,000,000)**	-
अन्य आय	**13**	**4,703,695**	4,781,575	**16,703,695**	4,781,575
निवल वित्तीय आय	**14**	**7,428,258**	3,345,387	**7,428,258**	3,345,387
कर से पूर्व लाभ		**21,562,828**	20,763,928	**21,563,828**	20,764,928
कराधान	**15**	**(3,438,605)**	(3,293,888)	**(3,438,755)**	(3,294,038)
o"kZ ds fy, ykHk		**18,124,223**	17,470,040	**18,125,073**	17,470,890
अन्य व्यापक आय, आयकर को घटाकर		**-**	-	**-**	-
o"kZ ds fy, dqy O;kid vk;		**18,124,223**	17,470,040	**18,125,073**	17,470,890
प्रति शेयर अर्जन	**18**	**0.03**	0.03	**0.03**	0.03

egkuxj VsyhQksu ¼ekWjh'kl½ fyfeVsM
bfDoVh esa ifjorZu dk fooj.k
31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds fy,

lewg	fVIif.k;k	Lohd`r iwath #i;s	jktLo vkjf{kr #i;s	dqy #i;s
01 vizSy] 2018 dks 'ks"k		673,717,949	25,719,008	699,436,957
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	17,470,040	17,470,040
लाभांश	19	-	(5,250,000)	(5,250,000)
31 ekpZ 2019 dks 'ks"k		673,717,949	37,939,048	711,656,997
01 अप्रैल, 2019 को शेष		673,717,949	37,939,048	711,656,997
आईएफआरएस 16 लागू करने से समायोजन			(1,763,672)	(1,763,672)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	18,124,223	18,124,223
लाभांश	19	-	(5,250,000)	(5,250,000)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को घटाकर		-	-	-
31 ekpZ 2020 dks 'ks"k		**673,717,949**	**49,049,599**	**722,767,548**

dEiuh	fVIif.k;k	Lohd`r iwath #i;s	jktLo vkjf{kr #i;s	dqy #i;s
01 vizSy] 2018 dks 'ks"k		**673,717,949**	**25,767,258**	**699,485,207**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	17,470,890	17,470,890
लाभांश		-	(5,250,000)	(5,250,000)
31 ekpZ 2019 dks 'ks"k		673,717,949	37,988,148	711,706,097
01 अप्रैल, 2019 को शेष		673,717,949	37,988,148	711,706,097
आईएफआरएस 16 लागू करने से समायोजन		-	(1,763,672)	(1,763,672)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	18,125,073	18,125,073
लाभांश	19	-	(5,250,000)	(5,250,000)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, आयकर को घटाकर		-	-	-
31 ekpZ 2020 dks 'ks"k		**673,717,949**	**49,099,549**	**722,817,498**

egkuxj VsyhQksu ¼ekWjh'kl½ fyfeVsM
udnh izokg dk fooj.k
31 ekpZ 2020 dks lekIr o"kZ ds fy,

		lewg		dEiuh	
	fVIi.k;ka	2020 #i;s	2019 #i;s	2020 #i;s	2019 #i;s
ifjpkyu xfrfof/k;ksa ls udnh izokg					
कर पूर्व लाभ		**21,562,828**	20,763,928	**21,563,828**	20,764,928
निम्न हेतु समायोजनः					
हटाई गई (स्क्रैप) परिसंपत्तियों पर हानि		**-**	76,618,950	**-**	76,618,950
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ		**27,111**	-	**27,111**	-
मूल्यह्रास	**21**	**72,658,907**	95,970,848	**72,658,907**	95,970,848
प्राप्त ब्याज		**(3,625,104)**	(3,016,179)	**(3,625,104)**	(3,016,179)
dk;Z'khy iwath esa ifjorZu ls iwoZ ifjpkyu ykHk		**90,623,742**	190,337,547	**90,624,742**	190,338,547
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन					
मालसूची		**(49,229)**	(45,319)	**(49,229)**	(45,319)
व्यापार और अन्य प्राप्य		**(773,525)**	17,537,790	**(774,525)**	17,536,790
व्यापार और अन्य देय		**45,563,325**	(141,804,654)	**45,563,325**	(141,804,654)
ifjpkyuksa esa ¼iz;qDr½@ls mRikfnr udnh		**135,364,313**	66,025,364	**135,364,313**	66,025,364
प्राप्त ब्याज		**3,625,104**	3,016,179	**3,625,104**	3,016,179
ifjpkyu fØ;kdykiksa ¼esa iz;qDr½@ls mRikfnr fuoy udnh		**138,989,417**	69,041,543	**138,989,417**	69,041,543
fuos'k xfrfof/k;ksa ls udnh izokg					
सावधि जमा में निवेश	9 ¼ch½	**(34,968,000)**		**(34,968,000)**	
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की खरीद	5 ¼,½	**(68,642,661)**	(86,302,961)	**(68,642,661)**	(86,302,961)
fuos'k xfrfofèk;ksa esa fuoy udnh dk iz;ksx		**(103,610,661)**	(86,302,961)	**(103,610,661)**	(86,302,961)
foÙkiks"k.k xfrfofèk;ksa ls udnh izokg					
प्रदत्त लाभांश	**19**	**(5,250,000)**	(6,000,000)	**(5,250,000)**	(6,000,000)
लीज भुगतान		**(589,896)**	-	**(589,896)**	-
foÙkiks"k.k xfrfofèk;ksa esa iz;ksx dh xbZ fuoy udnh		**(5,839,896)**	(6,000,000)	**(5,839,896)**	(6,000,000)
udnh rFkk udnh lerqY; esa fuoy mrkj&p<ko		**29,538,860**	(23,261,418)	**29,538,860**	(23,261,418)
udnh vkSj udnh lerqY; esa mrkj&p<ko					
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**76,765,445**	100,026,863	**76,765,445**	100,026,863
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**9**	**106,304,305**	76,765,445	**106,304,305**	76,765,445
udnh vkSj udnh lerqY; esa fuoy mrkj&p<ko		**29,538,860**	(23,261,418)	**29,538,860**	(23,261,418)

egkuxj VsyhQksu ¼ekjh'kl½ fyfeVsM

31 ekp] 2020 dks lekIr o"kZ gsrq lefdr foŸkh; fooj.kksa ij fVIif.k;k

1- dkjiksjsV tkudkjh

महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड, 14 नवंबर 2003 को मॉरीशस में अधिनिगमित हुई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके पंजीकृत कार्यालय का पता एमटीएमएल स्कवेयर, 63 साइबर सिटी, इबेन, मॉरीशस है। कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों का प्रमुख कार्य दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना है।

2- egRoi.kZ ys[kkadu uhfr;k

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई प्रमुख लेखांकन नीतियों का विवरण नीचे दिया गया है। ये नीतियां प्रस्तुत किए गए सभी वर्षों में सतत् रूप से लागू की गई हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2-1 rS;kj djus dk vk/kkj

महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2001 का अनुपालन करते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण एकल संस्था के रूप में हैं तथा मॉरीशस रूपये में प्रस्तुत किए गए हैं। वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं, जिन्हें उनके उचित मूल्य अथवा परिशोधित लागत पर बताया गया है, को छोड़कर, परंपरागत लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

fjiksVZ vof/k esa iHkkoh ekud] iznf'kr ekudksa esa lq'kks/ku rFkk 0;k[;k,a

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) 16 पट्टे (लीज) का परिणाम तुलनपत्र में लगभग सभी पट्टों की पहचान होना है। मानक परिचालित तथा वित्तीयन पट्टों के बीच चालू अंतर को दूर करता है तथा वास्तविक रूप से सभी पट्टा अनुबंधों के लिए किराए का भुगतान करने हेतु किसी परिसंपत्ति (पट्टा मद के प्रयोग का अधिकार) की पहचान की अपेक्षा रखता है। कंपनी ने आईएफआरएस को 01 जनवरी 2019 से अपनाया है परंतु वर्ष 2018 के लिए तुलनाएं नहीं बताई हैं, जैसा कि विशिष्ट संक्रमण (ट्रांजीशन) प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति दी गई है। नये पट्टाधारिता नियमों के कारण होने वाले पुनः वर्गीकरणों तथा समायोजनों को 01 जनवरी 2019 को प्रारंभिक तुलनपत्र में पहचाना गया है।

आईएफआरएस 16 को अपनाने पर कंपनी ने पट्टा देयताओं को उन पट्टों के संबंध में पहचाना जिन्हें पहले भारतीय लेखा मानक 17 के अंतर्गत 'परिचालनशील पट्टों' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन देयताओं को शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा गया तथा 01 जनवरी 2019 को पट्टाधारक के वृद्धिमान उधार लेने की दर का प्रयोग करना बंद कर दिया। 01 जनवरी 2019 को पट्टा देयताओं पर लागू किया गया भारित औसत पट्टाधारक की वृद्धिमान उधार दर शून्य थी।

ऐसे पट्टे, जिन्हें पहले वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, संस्था ने संक्रमण से ठीक पहले पट्टा परिसंपत्ति तथा पट्टा देयता की रखाव राशि की पहचान प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि पर परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की रखाव राशि तथा पट्टा देयता के रूप में की है। आईएफआरएस 16 के माप सिद्धांत उस तारीख के बाद ही प्रयुक्त किए गए हैं। पट्टा देयताओं के पुनः मापन को प्रारंभिक प्रयोग की तिथि के तुरंत बाद संबंधित परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार में समायोजन के रूप में पहचाना गया है। समूह तथा कंपनी ने आईएफआरएस 16 को टिप्पणी 16 में बताए गए अनुसार अपनाया है।

आईएफआरआईसी 23 आयकर उपचारों के बारे में अनिश्चितता बताता है कि जहां किसी कर उपचार (टैक्स ट्रीटमेंट) के बारे में अनिश्चितता हो, वहां आस्थगित तथा चालू आयकर परिसंपत्तियों तथा देयताओं को कैसे पहचाना तथा मापा जाए। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किए निर्णयों (जजमेंट) तथा अनुमानों के विषय में सूचना देने की आवश्यकता के अलावा अन्य किसी नए प्रकटनों की आवश्यकता नहीं है। इस व्याख्या का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

नकारात्मक मुआवजा (आईएफआरएस 9 में संशोधन) के साथ पूर्व भुगतान विशेषताएं संस्थाओं को नकारात्मक मुआवजे वाली कुछ पूर्व भुगतान योग्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापने में समर्थ बनाती है; ये परिसंपत्तियां, जिनमें कुछ ऋण तथा कर्ज प्रतिभूतियां शामिल हैं, अन्यथा लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी जानी होगी। परिशोधित लागत मापन हेतु योग्यता के लिए नकारात्मक मुआवजा अनुबंध की पहले समाप्ति के लिए ''तर्कसंगत मुआवजा'' होना चाहिए तथा परिसंपत्ति को ''प्राप्त करने के लिए धारित'' व्यापार मॉडल के अंदर धारित होना चाहिए। संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

सहयोगी तथा संयुक्त उपक्रमों में दीर्घकालीन हित (भारतीय लेखा मानक 28 में संशोधन) सहयोगी अथवा संयुक्त उपक्रम में दीर्घकालीन हितों के लिए लेखांकन को स्पष्ट करते हैं जो तात्विक दृष्टि से सहयोगी अथवा संयुक्त उपक्रम में निवल निवेश के हिस्से का निर्माण करते हैं। परंतु जिसमें इक्विटी लेखांकन का प्रयोग नहीं होता। संस्थाओं को ऐसे हित भारतीय लेखा मानक 28 में हानि आबंटन तथा क्षरण अपेक्षाओं को प्रयुक्त करने से पहले आईएफआरएस 9 के अंतर्गत हिसाब में लेना चाहिए। इन संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

आईएफआरएस 2015–17 चक्र में वार्षिक सुधार

- आईएफआरएस 3 – ने स्पष्ट किया कि किसी संयुक्त परिचालन व्यापार का नियंत्रण प्राप्त करना चरणों में प्राप्त किया गया व्यापार संयोजन (कॉम्बीनेशन) है।
- आईएफआरएस 11 – ने स्पष्ट किया कि किसी संयुक्त परिचालन व्यापार का नियंत्रण प्राप्त करने वाले पक्ष को संयुक्त परिचालन में पहले धारित अपने हित का पुनः मापन नहीं करना चाहिए।
- आईएफआरएस 12 – ने स्पष्ट किया कि वित्तीय लिखतों पर इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लाभांशों के आयकर परिणाम वितरण योग्य लाभों को उत्पन्न करने वाले पहचाने गए पिछले लेनदेनों अथवा घटनाओं के अनुसार पहचाने जाने चाहिए।
- आईएफआरएस 23 – ने स्पष्ट किया कि यदि संबंधित अर्हक परिसंपत्ति अपने वांछित प्रयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने के बाद कोई विशिष्ट उधारी बकाया रहती है तो वह सामान्य उधारी का हिस्सा बन जाती है।

संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

योजना संशोधन अथवा उसको छोटा किया जाना, निपटान (भारतीय लेखामानक 19 में संशोधन) स्पष्ट करते हैं कि संस्थाओं को निम्न कार्य अवश्य करने चाहिए:

- परिवर्तन की तिथि से अद्यतनीकृत मान्यताओं का प्रयोग करके किसी योजना संशोधन, संक्षिप्तीकरण (करटेलमेंट) अथवा निपटान के बाद रिपोर्ट अवधि के शेष समय के लिए चालू सेवा लागत तथा निवल ब्याज की गणना करना।
- लाभ अथवा हानि में पिछली सेवा लागत अथवा निपटान पर किसी लाभ अथवा हानि के रूप में अधिशेष में किसी कमी को तुरंत पहचानना। दूसरे शब्दों में किसी अधिशेष में कमी लाभ अथवा हानि में पहचानी जानी चाहिए फिर चाहे वह अधिशेष परिसंपत्ति की उच्चत्तम सीमा के प्रभाव के कारण पहले न पहचाना गया हो।
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिसंपत्ति की उच्चत्तम सीमा में किन्हीं परिवर्तनों को अलग से पहचानना।

tkjh fd, x, ijUrq vHkh Hkh iHkkoh ugha ekud] ikdkf'kr ekudks esa la'kks/ku rFkk O;k[;k,a

कुछ मानक, प्रकाशित मानकों में संशोधन तथा व्याख्याएं जारी की गई हैं जो 1 जनवरी 2020 को अथवा उसके बाद शुरू होने वाली लेखांकन अवधियों अथवा बाद की अवधियों के लिए अनिवार्य है परंतु जिन्हें कंपनी ने शीघ्र नहीं अपनाया है।

इन वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट की तिथि को निम्नलिखित जारी किए गए थे परंतु अभी भी प्रभावी नहीं हैः

किसी निवेशक अथवा उसके सहयोगी अथवा संयुक्त उपक्रम के बीच परिसंपत्तियों की बिक्री अथवा योगदान (आईएफआरएस 10 तथा भारतीय लेखा मानक 28 में संशोधन)

आईएफआरएस 17 बीमा अनुबंध

किसी व्यापार / व्यवसाय की परिभाषा (आईएफआरएस 3 में संशोधन)

सामग्री की परिभाषा (भारतीय लेखा मानक 1 तथा भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन)

ब्याज दर न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क) सुधार (आईएसआरएस 9, भारतीय लेखा मानक 39 तथा आईएफआरएस 7 में संशोधन)।

जहां प्रासंगिक हो, कंपनी इन जारी किए गए परंतु अभी भी प्रभावी नहीं मानकों, प्रकाशित मानकों में संशोधन तथा व्याख्याओं का अपने वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण पर प्रभाव का अभी भी मूल्यांकन कर रही है।

आईएफआरएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार किया जाना कुछ महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों की अपेक्षा करता है। यह प्रबंधन से यह भी अपेक्षा करता है कि वह कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में अपने निर्णय (जजमेंट) का प्रयोग करेगा। वे क्षेत्र जहां जिनमें निर्णय अथवा जटिलता की उच्चत्तर श्रेणी निहित हो अथवा ऐसे क्षेत्र जहां मान्यताएं तथा आकलन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं, टिप्पणी 4 में प्रकट किए गए हैं।

<u>अनुपालन का वक्तव्य</u>

ये समेकित वित्तीय विवरण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

<u>समेकन का आधार</u>

(i) व्यवसाय संयोजन

व्यवसाय समूहनों को अर्जन की तारीख अर्थात जब नियंत्रण समूह को दिया जाता है, पर अर्जन विधि का प्रयोग करते हुए लेखांकित किया जाता है। किसी संस्था की वित्तीय तथा प्रचालन नीतियों का नियमन नियंत्रण द्वारा शासित होता है ताकि इसकी गतिविधियों से लाभ प्राप्त किया जा सके। नियंत्रण का मूल्यांकन करने में, समूह उन संभाव्य मताधिकारों पर विचार करते हैं जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा सकता है। समूह अर्जन तारीख पर साख को इस प्रकार मापता हैः

- स्थानांतरित प्रतिफलों का उचित मूल्य; जोड़कर
- अर्जन में किन्हीं गैर–नियंत्रक हितों की पहचानी गई राशि; जोड़कर
- यदि व्यवसाय संयोजन चरणों में प्राप्त होते हैं तब अर्जन में पहले से विद्यमान इक्विटी हित का उचित मूल्य; घटाकर
- पहचान योग्य अर्जित परिसंपत्तियां तथा अभिगृहीत देयताओं की पहचान की गई निवल राशि, (सामान्यतः उचित मूल्य)

जब अधिकता ऋणात्मक हो, तब मोलभाव द्वारा खरीद से मुनाफे की लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय में तुरंत पहचान की जाती है। हस्तांतरित प्रतिफल में पहले से विद्यमान संबंधों के निपटान से संबंधित राशियां शामिल नहीं हैं। ऐसी राशियों को सामान्यतः लाभ अथवा हानि में और अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है। ऋण अथवा इक्विटी प्रतिभूतियों के मुद्दे से संबंधित के अलावा, लेन–देन लागतें जो व्यवसाय संयोजनों के संबंध में समूह अपने ऊपर लेता है, जैसी लागत आयी हैं वैसा ही व्यय किया जाता है।

भुगतान योग्य कोई भी आकस्मिक प्रतिफल अर्जन की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। यदि आकस्मिक प्रतिफलों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तब इसका पूर्वमापन नहीं किया जाता तथा निपटान को इक्विटी के भीतर लेखांकित किया जाता है। अन्यथा, आकस्मिक प्रतिफल के उचित मूल्य में उत्तरवर्ती परिवर्तनों की पहचान लाभ अथवा हानि में और अन्य व्यापक आय में की जाती है। यदि शेयर आधारित भुगतान (प्रतिस्थानन शेयर) को अधिग्राहक के कर्मचारियों द्वारा धारित शेयरों (अधिग्राहक के शेयर) से बदला जाना है, तथा यह पूर्व सेवा से संबंधित हैं, तब अधिग्रहणकर्त्ता के प्रतिस्थानन शेयरों की पूरी राशि अथवा उसके एक अंश को व्यवसाय संयोजन में हस्तांतरित प्रतिफल में मापा जाता है।

यह निर्धारण पूर्व तथा/अथवा भावी सेवा से संबंधित प्रतिस्थापन शेयरों की सीमा तक तथा अधिग्राहक के शेयरों के बाजार आधारित मूल्य की तुलना में प्रतिस्थापन शेयरों के बाजार आधारित मूल्य पर आधारित होता है।

(ii) गैर–नियंत्रक हित

प्रत्येक व्यवसाय संयोजन के लिए, समूह अर्जक में किसी गैर–नियंत्रक हितों का मापन करने के लिए चयन करता है, या तोः

- उचित मूल्य पर; अथवा
- अर्जक की पहचान योग्य निवल परिसंपत्तियों के अनुपातिक हिस्से पर, जो सामान्यतः उचित मूल्य पर होते हैं।

किसी सहायक कंपनी में समूह के हितों में परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण कम नहीं होता, उसके स्वामियों के साथ लेन–देन उनके स्वामी के रूप में लिया जाता है। गैर–नियंत्रक हितों में समायोजन सहायक कंपनी की निवल परिसंपत्तियों की अनुपातिक राशि पर आधारित होते हैं। साख के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है और न ही अभिलाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना गया हैं।

(iii) सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिनका नियंत्रण समूह द्वारा किया जाता है। नियंत्रण प्रारम्भ होने से नियंत्रण समाप्त होने की तारीख तक के सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित हैं।

(iv) नियंत्रण न रहना

नियंत्रण न रहने पर, समूह सहायक कंपनी से संबंधित परिसंपत्तियों तथा देयताओं, किन्हीं गैर नियंत्रक हितों तथा सहायक कंपनी से संबंधित इक्विटी के अन्य घटकों की पहचान नहीं करता। नियंत्रण ह्रास से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिशेष अथवा घाटे को लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापाक आय के विवरण में पहचाना जाता है। यदि पूर्व सहायक कंपनी में समूह का कोई हित रहता है तब ऐसे हित को नियंत्रण न रहने की तारीख पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उसके बाद रखे गये उस हित को रखे गए प्रभाव के स्तर के अनुसार किसी इक्विटी लेखांकित निवेशी के रूप में अथवा बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय परिसंपतियों के रूप में लेखांकित किया जाता है।

(v) समेकन पर विलोपित लेन–देन

अंतरासमूह शेषों तथा लेन–देनों, तथा अंतरासमूह लेन–देनों से उत्पन्न किसी वसूल न की गई आय तथा व्यय को समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में विलोपित किया जाता है। इक्विटी में लिए गए निवेशियों के लेन–देनों से उत्पन्न गैर वसूली योग्य अभिलाभ को निवेशी में समूह के हित की सीमा तक निवेश के समक्ष विलोपित किया जाता है। गैर वसूली हानियों को गैर वसूली अभिलाभों के समान विलोपित किया जाता है परंतु क्षरण के किसी साक्ष्य के न होने की सीमा तक ही।

<u>राजस्व की पहचान</u>

<u>उपभोक्ताओं के साथ अनुबंधों से राजस्व</u>

(i) सेवाएं दिया जाना

राजस्व टेलीफोन सेवाओं, डाटा संचार सेवाओं एवं अन्य संबंधित सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है।

राजस्व का मापन प्राप्त अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर किया जाता है। राजस्व की कटौती अनुमानित उपभोक्ता प्रतिलाभों (रिटर्न), छूटों तथा इसी प्रकार के अन्य भत्तों के लिए की जाती है तथा इसे मूल्य–संवर्धित कर में से घटाकर दर्शाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय राजस्व मॉरीशस से होने वाली जावक कॉलों और विदेशी नेटवर्क प्रचालकों से ऐसी कॉलों तथा अन्य ट्रैफिक के लिए भुगतान से प्राप्त किया जाता है जो मॉरीशस के बाहर से किए जाते हैं परंतु जो कंपनी के नेटवर्क का उपयोग करते हैं।

कंपनी अपने उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाले अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक राजस्व का एक भाग ट्रांज़िट तथा गंतव्य नेटवर्क प्रचालकों को भुगतान करती है। ये राजस्व और लागतें वित्तीय विवरण में सकल रूप में दर्शायी गयी हैं। समान विदेशी नेटवर्क प्रचालकों को देय एवं प्राप्य राशि को वित्तीय स्थिति विवरण में निवल रूप में दर्शाया गया है जहां पर समंजन (सेटऑफ) करने का अधिकार उपलब्ध है।

कंपनी की दो सहायक कंपनियों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अभी तक प्रचालन शुरू नहीं किया था, अतः कोई आय प्राप्त नहीं हुई।

¼ii½ lkeku dh fcØh

सामान की बिक्री से राजस्व फोन कार्डों तथा मोबाइल फोनों की बिक्री से संबंधित है।

(ii) अन्य आय

<u>C;kt vk;</u>

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय तब पहचानी जाती है, जब समूह तथा कंपनी को आर्थिक लाभों की प्राप्ति की संभावना हो तथा आय की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। ब्याज आय बकाया मूल के संदर्भ में लागू प्रभावी ब्याज दर पर तथा समय के आधार पर प्रोद्भूत होती है। यह वह दर है जो प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवन के माध्यम से आकलित भावी रोकड़ प्राप्तियों को उस परिसंपत्तियों की निवल रखाव राशि तक सुनिश्चित छूट देती है।

<u>किराया आय</u>

कंपनी तथा समूह ने प्रोद्भवन आधार पर किराया आय को पहचाना है।

<u>कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण मुद्रा</u>

(i) रिपोर्टिंग मुद्रा

वित्तीय विवरण मॉरीशियन रुपये (रु.) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो समूह तथा कंपनी की कार्यात्मक तथा प्रस्तुतीकरण मुद्रा है। यह मुद्रा समूह तथा कंपनी के प्रचालन के प्राथमिक आर्थिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करती है।

(ii) लेन–देन और शेष राशियां

विदेशी मुद्रा में किए गए लेन–देन को उस लेन–देन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर लेखे में लिया गया है। इस प्रकार के लेन–देन के निपटान से हुए अभिलाभ तथा हानियां एवं वर्ष की समाप्ति पर विनिमय दरों पर विदेशी मुद्राओं में प्रकट मौद्रिक परिसंपत्तियों एवं देयताओं के परिवर्तन को लाभ एवं हानि के विवरण तथा अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है।

<u>पट्टे</u>

पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिचालन पट्टों से किराये की आय संबंधित पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की जाती है। बातचीत करने और ऑपरेटिंग लीज की व्यवस्था करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि में जोड़ा जाता है और लीज अवधि में सीधी रेखा आधार पर उनकी पहचान की गई है।

<u>व्यापार एवं अन्य देय</u>

''व्यापार देय एवं अन्य देयों को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है तथा बाद में प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर लिया जाता है।''

<u>लाभांश वितरण</u>

कंपनी के लाभांश वितरण को कंपनी के वित्तीय विवरणों में उस अवधि में देयता के रूप में पहचाना जाता है, जिससे अवधि में लाभांशों की घोषणा की जाती है।

<u>सहायक कंपनियों में निवेश</u>

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं, जिन पर कंपनी का नियंत्रण है। कंपनी किसी संस्था का केवल तब ही नियंत्रण करती है जब उस संस्था पर उसका अधिकार हो तथा जब उस संस्था के साथ इसकी संबद्धता से परिवर्तनशील प्रतिफलों के प्रति यह अभिमुख हो अथवा उन पर अधिकार हो तथा उन प्रतिफलों को प्रभावित करने के लिए संस्था पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की क्षमता हो। यदि तथ्य तथा परिस्थितियां यह संकेत करती हैं कि नियंत्रण के तीन तत्वों में से किसी एक अथवा अधिक में बदलाव हैं तो कंपनी इस बात का पुनर्मूल्यांकन करेगी कि क्या यह निवेशी पर नियंत्रण रखती है अथवा नहीं।

सहायक कंपनियों में किया गया निवेश संचित क्षरण हानि को घटाकर आई लागत पर बताया गया है। जब किसी क्षरण का संकेत मिलता है तब निवेश की रखाव राशि का आकलन किया जाता है तथा इसकी वसूली योग्य राशि कम करके लिखी जाती है।

<u>कराधान</u>

आय कर व्यय में वर्तमान भुगतान योग्य तथा आस्थगित कर की राशि शामिल होती है।

<u>वर्तमान कर</u>

वर्तमान में देय कर वर्ष के कर–योग्य लाभ पर आधारित होते हैं। कर–योग्य लाभ 'कर से पूर्व लाभ' से भिन्न होते हैं जैसा कि लाभ अथवा हानि के विवरण तथा अन्य व्यापक आय में बताया गया है जो अन्य वर्षों में कर–योग्य अथवा कटौती योग्य आय अथवा व्यय मदों के कारण अथवा कभी भी कर–योग्य अथवा कटौती योग्य मदों के न होने के

कारण होते हैं। समूह तथा कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का प्रयोग करके की जाती है जो रिपोर्ट अवधि की समाप्ति तक अधिनियमित की गई हैं अथवा तत्वतः अधिनियमित की गई हों।

आस्थगित कर

आस्थगित कर वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रखाव राशियों तथा कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संबंधित कर आधारों के मध्य अस्थायी अंतरों पर पहचाने जाते हैं। आस्थगित कर देयताएं सामान्यतः सभी कर–योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचानी जाती हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतः उस संभव हद तक सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचानी जाती हैं कि ऐसा संभव है कि कर–योग्य लाभ उपलब्ध हों, जिनके लिए उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके। ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा देयताओं की पहचान नहीं की जाती है यदि किसी लेन–देन में परिसंपत्तियों तथा देयताओं (किसी व्यापार संयोजन के अलावा) की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता है जो न तो कर–योग्य लाभ तथा न लेखाकरण लाभ को प्रभावित करता हैं। इसके अतिरिक्त, आस्थगित कर देयताओं की पहचान नहीं की जाती, यदि साख की प्रारंभिक पहचान से अस्थायी अंतर उत्पन्न होता हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इस हद तक इसे घटाया जाता है कि परिसंपत्ति के सभी अथवा उसके किसी अंश की वसूली के लिए कोई समुचित कर–योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना न रहे।

आस्थगित कर देयताएं तथा परिसंपत्तियां उन कर दरों पर मापी जाती हैं जिसके उस अवधि में लागू होने की संभावना है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है अथवा परिसंपत्तियों की वसूली की जाती है जो उन कर दरों (तथा कर कानूनों) पर आधारित हैं तथा जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित अथवा तात्विक रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं तथा परिसंपत्तियों का मापन कर परिणामों को दर्शाता है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह तथा कंपनी की परिसंपत्तियों तथा देयताओं की रखाव राशि के निपटान अथवा वसूली के लिए कंपनी की अपेक्षाओं के अनुसार होगा।

वर्ष के लिए चालू और आस्थगित कर

चालू और आस्थगित कर की पहचान लाभ अथवा हानि में की जाती है, सिवाय इसके कि जब वे ऐसी मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी के रूप में पहचाना गया हो। ऐसे मामले में चालू और आस्थगित कर को भी क्रमशः अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में पहचाना जाता है।

स्वीकृत पूंजी

सामान्य शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संबंधित पक्ष

इन वित्तीय विवरणों के प्रयोजन हेतु, पक्षों को कंपनी से संबधित माना जाता है यदि उनके पास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को नियंत्रित करने की योग्यता हो या कंपनी में वित्तीय तथा प्रचालनशील अथवा इसके विलोमतः निर्णयों को लेने में उनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो, अथवा जहां कंपनी समान नियंत्रण या समान महत्वपूर्ण प्रभाव के अधीन हो। संबंधित पक्ष व्यक्ति अथवा अन्य निकाय हो सकते हैं।

वित्तीय लिखतें

समूह तथा कंपनी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैंः ऋण तथा प्राप्य राशियां।

समूह तथा कंपनी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं को अन्य वित्तीय देयता श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं।

(i) गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताएं–पहचान करना तथा अमान्य करना

समूह तथा कंपनी प्रारंभ में उस तारीख को जारी ऋणों तथा प्राप्य राशियों एवं ऋण प्रतिभूतियों की पहचान करते हैं जब वे उत्पन्न होती हैं। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं की प्रारंभ में पहचान व्यापार तारीख पर की जाती है।

समूह तथा कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति की तब पहचान समाप्त कर देते हैं जब उससे नकदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा यह किसी ऐसे लेन–देन में संविदागत नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार हस्तांतरित कर देती है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम तथा प्रतिफल वास्तविक रूप से हस्तांतरित होते हैं अथवा स्वामित्व के सभी जोखिम अथवा प्रतिफल यह न तो हस्तांतरित करती है तथा न ही बनाए रखती है और हस्तांतरित परिसंपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखती। इस प्रकार की पहचान समाप्त की गई वित्तीय परिसंपत्तियों में समूह तथा कंपनी द्वारा सृजित अथवा बनाए रखा गया किसी प्रकार का लाभ पृथक परिसंपत्ति अथवा देयता के रूप में पहचाना जाता है।

समूह तथा कंपनी वित्तीय देयता की तब पहचान समाप्त कर देती हैं जब इसकी संविदागत बाध्यताएं पूर्ण कर ली जाती हैं, रद्द कर दी जाती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देयताएं प्रतितुलित (ऑफसेट) होती हैं तथा वित्तीय स्थिति के विवरण में निवल राशि केवल तभी प्रस्तुत की जाती है जब समूह तथा कंपनी के पास राशियों के प्रतितुलन का कानूनी अधिकार होता है तथा वह या तो निवल आधार पर उसका निपटान करना चाहते हैं अथवा परिसंपत्तियों से उगाही के साथ उसी समय देयता का निपटान करना चाहते हैं।

(ii) गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां – मापन

ऋण तथा प्राप्य राशियां

ऋण तथा प्राप्य राशियां स्थिर अथवा निर्धारण योग्य भुगतानों के साथ गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां हैं जो किसी सक्रिय बाज़ार में उद्धृत नहीं की जातीं। ऋण तथा प्राप्य राशियों (व्यापार तथा अन्य प्राप्य राशियां और नकद एवं बैंक शेष सहित) को प्रभावी ब्याज रीतियों का प्रयोग करते हुए किन्हीं क्षरण हानियों को घटाकर परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

(iii) गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं – मापन

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं प्रारंभ में उचित मूल्य पर किन्हीं सीधे आरोपणीय लेन–देन लागतों को घटाकर पहचानी जाती हैं। प्रारंभिक पहचान के बाद, ये देयताएं प्रभावी ब्याज रीति का प्रयोग करते हुए परिशोधन लागत पर मापी जाती हैं।

(iv) क्षरण

<u>गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां</u>

जिन वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत नहीं किया गया उन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकित किया जाता है कि क्या क्षरण का कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के क्षरण के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में शामिल हैं:

- देनदार द्वारा चूक अथवा दोष;
- समूह तथा कंपनी अन्यथा विचार नहीं करेंगे इसलिए इन शर्तों पर समूह तथा कंपनी को देय किसी राशि का पुनः व्यवस्थापन;
- ऐसे संकेत कि देनदार अथवा निर्गमकर्ता दिवालिया हो जाएंगे।

(v) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां

समूह तथा कंपनी इन परिसंपत्तियों के लिए क्षरण के साक्ष्य का अलग परिसंपत्तियों तथा सामूहिक स्तर पर विचार करती हैं। प्रत्येक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के क्षरण का पृथक–पृथक मूल्यांकन किया जाता है। जो क्षतिग्रस्त नहीं पाई जाती हैं तब उनका ऐसे क्षरण के लिए सामूहिक मूल्यांकन किया जाता है जो अभी तक पृथक रूप से पहचानी नहीं गई हैं। जो परिसंपत्ति एकल रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन्हें क्षरण के लिए सामूहिक रूप से मूल्यांकित किया जाता है। सामूहिक मूल्यांकन एकसमान जोखिम विशेषताओं वाली परिसंपत्तियों को मिलाकर किया जाता है।

सामूहिक क्षरण के आकलन मूल्यांकन में, समूह तथा कंपनी, वसूलियों के समय निर्धारण तथा घटित हानि हेतु परंपरागत सूचनाओं का प्रयोग करते हैं और चालू आर्थिक तथा क्रेडिट शर्तें ऐसी है कि वास्तविक हानियां परंपरा से अधिक अथवा कम हों।

किसी परिसंपत्ति की प्रभावी वास्तविक ब्याज दर पर छूट प्राप्त आकलित भावी नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा परिसंपत्ति की रखाव राशि के मध्य अंतर के रूप में क्षरण हानि की गणना की जाती है। हानियों की पहचान लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में की जाती है तथा भत्ता लेखा में दर्शायी जाती है। जब समूह तथा कंपनी इस बात पर विचार करते हैं कि परिसंपत्ति की वसूली की कोई व्यावहारिक संभावना नहीं है तब संबद्ध राशियों को बट्टे खाते में डाला जाता है। यदि बाद में क्षरण हानि की राशि घटती है तथा उस कमी को क्षरण की पहचान के बाद घटी घटना से तटस्थ रूप से जोड़ा जाता है, तब पहले पहचाने गए ह्रास हानि को लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण के माध्यम से ठीक किया जाता है।

नकद तथा नकद तुल्य

नकद तथा नकद तुल्य में हाथ में नकदी तथा बैंक में नकदी शामिल है।

प्रावधान

प्रावधानों को तब पहचाना जाता है, जब समूह तथा कंपनी को पूर्व घटना के कारण कोई वर्तमान बाध्यता (विधिक अथवा रचनात्मक) हैं तो यह संभावना है कि समूह तथा कंपनी को इन बाध्यताओं का समाधान करने की आवश्यकता होगी तथा बाध्यता की राशि का विश्वसनीय आकलन बनाया जा सकता है।

प्रावधान के रूप में पहचानी गई राशि इस प्रयोजन का सर्वश्रेष्ठ आकलन है जो बाध्यताओं के आसपास जोखिमों तथा अनिश्चितताओं को ध्यान में रखकर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता को निपटाने के लिए आवश्यक है। जब वर्तमान बाध्यता के निपटान के लिए प्राक्कलित नकदी प्रवाह का प्रयोग करके किसी प्रावधान का मापन किया जाता है तब उन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य रखाव राशि है (जब धन के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुपरक है)।

जब किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित कुछ अथवा सभी आर्थिक लाभों की तृतीय पक्ष से वसूली की आशा होती है तब प्राप्य राशियों की पहचान एक परिसंपत्ति के रूप में की जाती है यदि आभासी रूप से यह निश्चित होता है कि प्रतिपूर्तियां प्राप्त होंगी तथा इन प्राप्य राशियों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

पहचान एवं मापन

संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मदों को संचित मूल्यह्रास तथा क्षरण को घटाने के बाद आई लागत पर मापा जाता है।

लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर सीधे–सीधे आने वाला व्यय शामिल है। स्वयं द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों की लागत में सामग्रियों की लागत तथा प्रत्यक्ष श्रम लागत, कोई अन्य लागतें, जो परिसंपत्ति को इसके वांछित उपयोग के लिए कार्यशील दशा में लाने हेतु प्रत्यक्ष रूप से जरूरी हैं तथा जिस स्थान पर विभिन्न उपकरणों वस्तुओं को लगाया गया था वहां से उन्हें विघटित करने तथा हटाने एवं उस स्थान को पूर्व स्थिति में लाने की लागत शामिल है।

जब संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर के हिस्सों का अलग–अलग उपयोगी जीवन हो तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की पृथक मदों (प्रमुख घटकों) के रूप में मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती लागतें

संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की मद के भाग को बदलने की लागत मद की रखाव राशि में पहचानी जाती है, यदि यह संभव हो कि उस हिस्से में निहित भावी आर्थिक लाभ शाखा को होने लगेंगे तथा इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की दिन–प्रतिदिन देखभाल (सर्विसिंग) की लागत को लाभ अथवा हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण में पहचाना गया है।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास को संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को मद के प्रत्येक हिस्से के अनुमानित उपयोगी जीवन काल पर एक सीधी रेखा आधार पर लाभ अथवा हानि तथा अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है। वर्ष के दौरान हुई वृद्धियों में वार्षिक मूल्यह्रास प्रभार का उचित अनुपात समाहित है। कंपनी की नीति के अनुसार परिसंपत्ति की उपयोग की अवधि में कुल लागत का 95 प्रतिशत ही मूल्यह्रास किया जाता हैं तथा 5 प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के रूप में लिया जाता है।

प्रयुक्त वार्षिक प्रभावी मूल्यह्रास दरें निम्नानुसार है।

भवन	4.75%
कंप्यूटर उपस्कर	31.67%
फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग	11.87%
कार्यालय उपस्कर	19.00%
मोटर वाहन	11.88%
संयंत्र और उपस्कर (बाह्य)	13.57%
संयंत्र और उपस्कर (अंतः)	13.57%

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर अभिलाभ तथा हानियों का निर्धारण उनके अवलिखित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है तथा परिचालन संबंधी लाभ निर्धारण में सम्मिलित किया जाता है। संयंत्र तथा उपस्कर (बाह्य) के उपयोगी जीवनकाल को एमटीएमएल की मूल कंपनी को लेखांकन नीति के अनुसार 7 वर्ष से संशोधित करके 10 वर्ष किया गया।

निवेश संपत्ति

जो संपत्ति किराया अर्जित करने तथा/अथवा पूंजी का मूल्य बढ़ाने के लिए रखी जाती है, उसे संचित मूल्यह्रास तथा किन्हीं संचित क्षरण हानियों को घटाकर आयी लागत पर दर्शाया जाता है। निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लेन–देन लागतों सहित आई लागत पर मापा जाता है।

एक निवेश संपत्ति की मान्यता तब समाप्त कर दी जाती है, जब उसका निपटान हो गया हो अथवा जब निवेश संपत्ति को प्रयोग से स्थायी रूप से हटा दिया गया हो तथा निपटान से भावी आर्थिक लाभों की कोई संभावना न हो।

प्रयोग में लायी गई वार्षिक मूल्यह्रास दरें निम्नवत हैं:

भवन	4.75%

<u>मालसूचियां</u>

मालसूचियों का मूल्यांकन निम्नतर लागत अथवा कुल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत का निर्धारण क्रय–क्रम मूल्यन विधि (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है।

4- egRoi.k y[kkdu fu.k; ,o vfuf'prrk d vkdyu d egRoi.k lkr

टिप्पणी 3 में वर्णित समूह तथा कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने में निदेशकों को उन परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रखाव राशियों के बारे में निर्णय, आकलन तथा पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है जो अन्य स्रोतों से तुरंत स्पष्ट नहीं होती। आकलन तथा संबद्ध पूर्वानुमान पुराने अनुभव तथा अन्य कारकों पर आधारित हैं, जिन्हें प्रासंगिक समझा गया है। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों तथा अंतर्निहित पूर्वानुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखा आकलनों में संशोधनों को उसी वर्ष में मान्यता दी जाती है, जिस वर्ष में आकलन को संशोधित किया जाता है, यदि संशोधन केवल उस वर्ष को प्रभावित करता है अथवा यदि संशोधन से वर्तमान तथा भावी दोनों अवधियां प्रभावित होती हैं तो उन्हें संशोधन की अवधि तथा भावी अवधियों में मान्यता दी जाती है।

जहां लागू हो, वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियों में कुछ ऐसी हैं जिनमें प्रबंधन ने कुछ ऐसे बड़े निर्णय लिए हैं, जो वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं अथवा आकलन और धारणाएं हैं जिसके कारण अगले वित्त वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव रकम के महत्वपूर्ण समायोजन का बड़ा जोखिम हो सकता है।

अनिश्चितता का अनुमान लगाने के प्रमुख स्रोत

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह तथा कंपनी के व्यवसाय के संबंध में भविष्य तथा अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में ऐसी कोई प्रमुख धारणाएं नहीं थीं जिनके कारण अगले वित्त वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव राशियों के समायोजन का बड़ा जोखिम हो सकता है।

कार्यशील संस्था

समूह तथा कंपनी के प्रबंधन ने एक कार्यशील संस्था के रूप में समूह तथा कंपनी के कार्यशील रहने की योग्यता का आकलन किया है तथा संतुष्ट है कि निकट भविष्य में व्यवसाय में बने रहने के लिए समूह तथा कंपनी के पास संसाधन हैं। साथ ही प्रबंधन ऐसी किन्ही वस्तुगत अनिश्चितताओं से अवगत नहीं है जो कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की समूह तथा कंपनी की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह बना सकें। इसलिए कार्यशील संस्था के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया जाना जारी है।

परिसंपत्तियों का क्षरण

"संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर एवं निवेश संपत्तियों का क्षरण के लिए विचार किया जाता है यदि यह विश्वास करने का कारण हो कि क्षरण आवश्यक हो सकता है, ऐसे निर्णय पर पहुँचने के लिए विचार किए जाने वाले कारकों में स्वयं परिसंपत्ति की आर्थिक व्यवहार्यता तथा जहाँ यह बड़ी आर्थिक इकाई का एक अंग है वहां स्वयं उस इकाई की व्यवहार्यता शामिल है, परिसंपत्ति अथवा नकदी निर्माण इकाइयों द्वारा निर्माण किए जाने वाले संभावित भावी नकदी प्रवाहों का बाजार दशाओं तथा परिसंपत्तियों के संभावित उपयोगी जीवनकाल को हिसाब में लेकर अनुमान किया

जाता है। इन नकदी प्रवाहों का वर्तमान मूल्य एक समुचित छूट दर का प्रयोग करके निर्धारित किया जाता है, वर्तमान निवल परिसंपत्ति मूल्य के साथ तुलना की जाती है तथा यदि कम हो तो परिसंपत्ति को वर्तमान मूल्य पर क्षारित किया जाता है। जिन नकदी प्रवाहों का इन आकलनों के लिए उपयोग किया जाता है, वे वार्षिक बजट से किए जाते हैं।''

वित्तीय परिसंपत्ति का क्षरण

कंपनी इन धारणाओं को बनाने तथा प्रत्येक रिपोर्ट अवधि के अंत में समूह तथा कंपनी के पूर्व इतिहास, विद्यमान बाजार दशाओं तथा प्रगामी आकलनों के आधार पर क्षरण की गणना के लिए आगतों (इनपुट) का चयन करने में निर्णय शक्ति का प्रयोग करती है।

परिसंपत्तियों का जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य

''संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को, जहां उपयुक्त हो, उनकी अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि में उनके अवशिष्ट मूल्यों पर हिसाब में लिया जाता है, परिसंपत्तियों का वास्तविक जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य का वार्षिक रूप से आकलन किया जाता है तथा कई कारकों के कारण यह अलग–अलग हो सकता है। परिसंपत्ति की जीवन अवधियों के पुनः आकलन में प्रौद्योगिकीय आविष्कार, उत्पाद का जीवन चक्र तथा रखरखाव कार्यक्रम जैसे कारकों को हिसाब में लिया जाता है। अवशिष्ट मूल्य आकलन में भावी बाजार दशाओं, परिसंपत्ति की शेष जीवन अवधि तथा अनुमानित निपटान मूल्यों जैसे मुद्दों पर विचार किया जाता है। विचार ऐसी परिसंपत्तियों के निपटान पर होने वाले वर्तमान लाभों तथा हानियों की सीमा पर भी किया जाता है।

मूल्यह्रास नीतियाँ

''संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल को उनके अवशिष्ट मूल्यों पर मूल्यह्रासित किया जाता है, किसी परिसंपत्ति का अवशिष्ट मूल्य वह अनुमानित निवल राशि है जो कंपनी तथा समूह परिसंपत्ति की जीवन अवधि पूर्ण हो जाने तथा उसकी उपयोगी अवधि के अंत में अनुमानित दशा में होने पर परिसंपत्ति के निपटान करने पर वर्तमान में प्राप्त करेगी। इसलिए निदेशक परंपरागत अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हैं तथा परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का आकलन करने एवं उनकी अनुमानित उपयोगी जीवन अवधियों के अंत में उनके अनुमानित अवशिष्ट मूल्यों की भविष्यवाणी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय शक्ति का उपयोग करते हैं।''

संवेदनशीलता विश्लेषण की सीमाएं

बाजार जोखिम के संबंध में संवेदनशीलता विश्लेषण किसी प्रमुख मान्यता में बदलाव का प्रभाव दर्शाता है जबकि अन्य मान्यताएं या धारणाएं अपरिवर्तित रहती हैं। वास्तविकता में धारणाओं तथा अन्य कारकों में परस्पर संबंध हैं। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये संवेदनशीलताएं अरेखीय (नॉन–लीनियर) हैं तथा इन परिणामों से बड़े अथवा छोटे प्रभावों को अंदर से शामिल किया जा सकता है तथा न कि बाहर से।

संवेदनशीलता विश्लेषण इस बात पर विचार नहीं करता कि समूह अथवा कंपनी की परिसंपत्तियों तथा देयताओं को प्रबंधित किया जाता है। अन्य सीमाओं में संभावित जोखिम को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक बाजार उतार–चढ़ावों का प्रयोग शामिल है जो केवल समूह के संभावित सन्निकट बाजार परिवर्तनों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसके विषय में पहले किसी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता।

5¼,½- lifŸk] l;= vkj miLdj

(i) leg rFkk diuh

	Hkou	dI;Vj miLdj	Quhpj] fQDlpj ,o fQfVx	dk;ky; miLdj	ekVj okgu	l;= ,o miLdj	dy
	#i;s	#i;s	#i;s	#i;s	#i;s	#i;s	#i;s
ykxr@eY;kdu							
01 अप्रैल 2019 को	76,117,144	1,647,813	12,411,132	1,456,665	6,354,411	1,190,870,322	1,288,857,487
परिवर्धन	-	95,145	27,300	166,251	-	68,353,965	68,642,661
निपटान	-	-	-	-	(542,233)		(542,233)
31 ekp 2020 dk	76,117,144	1,742,958	12,438,432	1,622,916	5,812,178	1,259,224,287	1,356,957,915
eY;ã l							
	16,880,488	1,183,934	8,719,518	1,216,230	3,453,625	765,602,036	797,055,832
वर्ष के लिए प्रभार	3,434,790	259,562	977,288	66,657	705,600	63,786,042	69,229,939
	-	-	-	-	(515,121)		(515,121)
31 ekp 2020 dk	**20,315,278**	**1,443,496**	**9,696,806**	**1,282,887**	**3,644,104**	**829,388,078**	**865,770,650**
fuoy cgh eY;							
31 ekp 2020 dk	**55,801,866**	**299,462**	**2,741,626**	**340,029**	**2,168,074**	**429,836,209**	**491,187,265**
31 मार्च 2019 को	59,236,656	463,879	3,691,614	240,435	2,900,786	425,268,286	491,801,655

leg rFkk diuh

	Hkou	dI;Vj miLdj	Quhpj] fQDlpj ,o fQfVx	dk;ky; miLdj	ekVj okgu	l;= ,o miLdj	dy
	#i;s	#i;s	#i;s	#i;s	#i;s	#i;s	#i;s
ykxr@eY;kdu							
01 अप्रैल 2019 को	76,117,144	1,340,415	11,458,040	1,366,653	5,678,611	1,437,765,017	1,533,725,880
परिवर्धन	-	307,398	953,092	90,012	675,800	84,276,659	86,302,961
निपटान	-	-	-	-	-	(331,171,354)	(331,171,354)
31 ekp 2019 dk	**76,117,144**	**1,647,813**	**12,411,132**	**1,456,665**	**6,354,411**	**1,190,870,322**	**1,288,857,487**
eY;ã l							
01 अप्रैल 2018 को	13,445,698	982,623	7,437,983	1,128,960	2,755,997	932,633,958	958,385,220
वर्ष के लिए प्रभार	3,434,790	201,311	1,281,535	87,270	697,628	87,520,482	93,223,016
निपटान	-	-	-	-		(254,552,404)	(254,552,404)
31 ekp 2019 dk	**16,880,488**	**1,183,934**	**8,719,518**	**1,216,230**	**3,453,625**	**765,602,036**	**797,055,832**
fuoy cgh eY;							
31 ekp 2019 dk	**59,236,656**	**463,879**	**3,691,614**	**240,435**	**2,900,786**	**425,268,286**	**491,801,655**
31 मार्च 2018 को	62,671,446	357,792	4,020,057	237,693	2,922,614	505,131,059	575,340,660

वित्त वर्ष 2020 में रुपये 542,233 की परंपरागत लागत राशि के मोटर वाहनों का निपटान किया गया। वित्त वर्ष 2019 में रुपये 331,171,354 की परंपरागत लागत राशि के संयंत्र और उपकरण को खत्म (स्क्रैप) कर दिया गया था।

5¼ch½- ifj lifŸk;k d i;kx dk vf/kdkj

leg rFkk diuh

	ifj lifŸk;k d i;kx dk vf/kdkj	dy
	#i;	#i;
ykxr		
01 जनवरी 2019 को	5,384,428	5,384,428
31 ekp 2020 dk	5,384,428	5,384,428
eY;gkl		
01 जनवरी 2019 को	2,074,621	2,074,621
वर्ष के लिए प्रभार	681,136	681,136
31 ekp 2020 dk	**2,755,757**	**2,755,757**
fuoy cgh eY;		
31 ekp 2020 dk	**2,628,671**	**2,628,671**

टिप्पणीः परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार में शामिल हैंः
– लैंडस्कोप (मॉरीशस) लिमिटेड से भूमि पट्टा समझौता पट्टा 2009 से 30 वर्ष की अवधि के लिए वैद्य है।
– दुकान का पट्टा यह पट्टा 2018 से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैद्य है।

5¼lh½- fuos'k lifÙk ¼ykxr eMy½

leg rFkk diuh

	Hkou	dy
	#i;	#i;
ykxr		
01 viy 2019 dk rFkk 31 ekp] 2020 dk	**60,893,715**	**60,893,715**
eY;gkl		
01 अप्रैल 2019 को	13,504,391	13,504,391
वर्ष के लिए प्रभार	2,747,832	2,747,832
31 ekp 2020 dk	**16,252,223**	**16,252,223**
fuoy cgh eY;		
31 ekp 2020 dk	**44,641,492**	**44,641,492**
31 मार्च 2019 को	47,389,324	47,389,324

टिप्पणीः कंपनी के निदेशकों ने प्रमाणित किया कि निवेश संपत्ति के मूल्यांकन के लिए भारतीय लेखामानक 16 के अनुसार लागत मॉडल को अपनाया जाना है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से अंतरित राशि तीसरे पक्ष को किराये पर दिए भवन के हिस्से को निरूपित करती है। निवेश संपत्ति से रुपये 4,703,695(2019- 4,781,575) का किराया राजस्व। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निवेश संपत्ति से संबंधित कोई प्रत्यक्ष परिचालन व्यय नहीं हुआ है।

किराया आय का विश्लेषण नीचे दिया जा रहा हैः

	leg rFkk diuh	
	2020	**2019**
	#i;	#i;
सकल किराया आय	4703695	4781575
घटायाः किराये संबंधी परिचालन व्यय	**0**	**0**
fuoy fdjk;k vk;	**4,703,695**	**4,781,575**

6- lgk;d daifu;ksa esa fuos'k

	daiuh	
	2020	**2019**
	#-	#-
<u>लागत पर अन्उद्धृत निवेश</u>		
1 अप्रैल 2019 को	**12,000,000**	12,000,000
क्षरण हानियां	**(12,000,000)**	-
31 मार्च, 2020 को	-	12,000,000

क्षरण हानियां नीचे दर्शाए गए अनुसार दो सहायक कंपनियों से संबंधित हैं जो पूर्ण रूप से क्षरित हुईं।

कंपनी द्वारा सहायक कंपनियों में किए गए निवेश का विवरणः–

2020 ,oa 2019

daiuh dk uke	fuxferhdj.k] ftl ns'k esa gqvk	'ks;jksa dh Js.kh	izeq[k dk;Z	fuos'k dk vafdr ewY;	'ks;j iwath
				#i;s	%
एमटीएमएल डाटा लि.	मॉरीशस	साधारण	दूरसंचार	2,000,000	100
एमटीएमएल इंटरनेशनल लि.	मॉरीशस	साधारण	दूरसंचार	10,000,000	100

दोनों सहायक कंपनियों की रिपोर्ट की तिथि 31 मार्च 2020 है।

7. eky lwph

	leqg rFkk daiuh	
	2020	**2019**
	#i;s	#i;s
उपभोक्ता उपस्कर का स्टॉक	**4,179,395**	**4,130,166**

टिप्पणीः

- सभी स्टॉक लागत पर थे
- मालसूचियों की सभी लागतें वर्ष के दौरान बिक्री की लागत के रूप में पहचानी गई हैं।
- उपर्युक्त मालसूचियां किसी प्रभार के बिना रखी गई हैं।

8¼,½ 0;kikj ,o vU; ikI;

	leg		diuh	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
	#-	#-	#-	#-
व्यापार प्राप्य	**33,228,074**	44,073,391	**33,228,074**	44,073,391
घटायाः क्षरण के लिए प्रावधान	**(19,100,924)**	(18,200,924)	**(19,100,924)**	(18,200,924)
	14,127,150	25,872,467	**14,127,150**	25,872,467

(i) व्यापार प्राप्यों का क्षरण

कंपनी संभावित क्रेडिट हानियों को मापने के लिए आईएफआरएस 9 सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाती है जो सभी व्यापार प्राप्यों के लिए पूरे जीवन अवधि के लिए संभावित हानि स्वीकृति का प्रयोग करता है।

संभावित क्रेडिट हानियों के मापन के लिए व्यापार प्राप्तियों को साझा क्रेडिट जोखिम विशेषताओं तथा पिछले बकाया देय (डेज पास्ट ड्यू) के आधार पर पर समूह में रखा गया है ।

संभावित हानि दरें क्रमशः 31 मार्च, 2020 अथवा 01 अप्रैल, 2019 से 36 माह पहले की अवधि में बिक्री के भुगतान की रूपरेखा पर तथा इस अवधि के अंदर महसूस की गई संबंधित परंपरागत क्रेडिट हानियों पर आधारित हैं। परंपरागत हानि दरें समष्टि आर्थिक कारकों पर चालू तथा दूरंदेशी (फॉरवर्ड बुकिंग) सूचना को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित की जाती है जो प्राप्यों के निपटान की उपभोक्ताओं की योग्यता को प्रभावित करती है। कंपनी ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की पहचान एक अत्यधिक प्रासंगिक कारक के रूप में की है और तद्नुसार इस कारक में अनुमानित परिवर्तनों के आधार पर पारंपरिक हानि दरों को समायोजित करती है।

उस आधार पर व्यापार प्राप्यों के लिए 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 (आईएफआरएस 9 को अपनाए जाने के साथ) हानि की गुंजाइश निम्नानुसार निर्धारित की गईः

foÙkh; o"k	ØfMV fcØh #-	lHkkfor gkfu nj %	gkfu xqtkb'k #-
वर्ष 2017	52225033	6%	3,000,000.00
वर्ष 2018	104229228	1%	1,420,000.00
वर्ष 2019	44073391	2%	900,000.00

8¼ch½ vU; pkyw ifjlEifÙk;k

	leg		diuh	
	2020	**2019**	**2020**	**2019**
	#-	#-	#-	#-
प्राप्य दावे	**5,854,904**	695,756	**5,854,904**	695,756
अग्रिम भुगतान	**18,551,194**	-	**18,551,194**	-
पूर्व भुगतान	**22,256,778**	22,748,289	**22,256,778**	22,748,289
अन्य प्राप्य	**4,704,259**	19,125,602	**4,754,659**	19,175,002
	51,367,135	42,569,647	**51,417,535**	42,619,047

9¼,½ udnh rFkk udnh ler|Y;

	leg		d|iuh	
	2020 #-	2019 #-	2020 #-	2019 #-
बैंक में नकदी	**101,589,506**	66,666,400	**101,589,506**	66,666,400
हाथ में नकदी	**4,714,799**	10,099,045	**4,714,799**	10,099,045
	106,304,305	76,765,445	**106,304,305**	76,765,445

जबकि नकद तथा नकद समतुल्य भी आईएफआरएस 9 की क्षरण अपेक्षाओं के अधीन हैं, पहचानी गई क्षरण हानि मामूली थी।

9¼ch½ ifj'kkf/kr ykxr ij foÙkh; ifjl|ifÙk;k

	leg		d|iuh	
	2020 #-	2019 #-	2020 #-	2019 #-
ब्याज वाली जमा राशि	**150,500,000**	115,532,000	**150,500,000**	115,532,000
परिशोधित लागतों पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**3,721,354**		**3,721,354**	
	154,221,354	115,532,000	**154,221,354**	115,532,000

(ए) परिशोधित लागत पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, ब्याज मुक्त गैर जमानती तथा मांग पर वापसी योग्य हैं।

(बी) वर्तमान प्राप्यों की अल्पावधि प्रकृति के कारण परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य, उनकी रखाव राशि को उनके उचित मूल्य के ही बराबर माना गया है।

(सी) क्षरण तथा जोखिम संभावना

(i) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों में 31 मार्च, 2020 कोई हानि गुंजाइश शामिल नहीं है।

(ii) परिशोधित लागत पर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां मॉरीशस रुपये में दर्शायी गई हैं। परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा जोखिम की कोई संभावना नहीं है। कीमत जोखिम की संभावना भी नहीं होगी क्योंकि निवेश परिसंपत्तियां अवधि पर होंगे।

10- LohÑr i|th

	leg		d|iuh	
	2020 #-	2019 #-	2020 #-	2019 #-
31 मार्च 2020 को 673,717,949 सममूल्य के बिना पूर्णतः निगमित तथा चुकता साधारण शेयर				
	673,717,949	673,717,949	**673,717,949**	673,717,949

11- jktLo vkjf{kr fuf/k

	leg		d|iuh	
	2020 #-	2019 #-	2020 #-	2019 #-
1 अप्रैल 2019 को	**37,939,048**	25,719,008	**37,988,148**	25,767,258
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**18,124,223**	17,470,040	**18,125,073**	17,470,890
आईएफआरएस 16 लागू करने से समायोजन	**(1,763,672)**	-	**(1,763,672)**	-
प्रस्तावित लाभांश (टिप्पणी 19)	**(5,250,000)**	(5,250,000)	**(5,250,000)**	(5,250,000)
31 मार्च 2020 को	**49,049,599**	37,939,048	**49,099,549**	37,988,148

टिप्पणीः वित्त वर्ष 2019–20 में 5,250,000 मॉरीशस रुपये के प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया गया।

12- 0;kikj vkj vU; n;

	leg		diuh	
	2020 #-	**2019** #-	**2020** #-	**2019** #-
व्यापार देय	**47,564,023**	18,388,255	**47,564,023**	18,388,255
वापसी योग्य जमा	**8,638,393**	11,810,793	**8,638,393**	11,810,793
अर्जन	**10,237,233**	18,106,502	**10,237,233**	18,106,502
अन्य देय	**33,729,111**	6,299,885	**33,729,111**	6,299,885
	100,168,760	54,605,435	**100,168,760**	54,605,435

13- vU; vk;

	leg		diuh	
	2020 #-	**2019** #-	**2020** #-	**2019** #-
किराये से आय	**4,703,695**	4,781,575	**4,703,695**	4,781,575
संबंधित कंपनी प्रतिलेखन (रिटन बैक) को भुगतान योग्य		-	**12,000,000**	-
	4,703,695	4,781,575	**16,703,695**	4,781,575

14- fuoy foÙkh; vk;

	leg		diuh	
	2020 #-	**2019** #-	**2020** #-	**2019** #-
ब्याज आय	**3,625,104**	3,016,179	**3,625,104**	3,016,179
विदेशी मुद्रा अभिलाभ	**3,803,154**	329,208	**3,803,154**	329,208
	7,428,258	**3,345,387**	**7,428,258**	**3,345,387**

15- djkèkku

कंपनी अपने लाभ पर 15% (2019:15%) की दर से आयकर के लिए उत्तरदायी है जो कर–उद्देश्यों के लिए समायोजित किए गए हैं। निगमित कर के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि कंपनी की संचित कर हानियां आगे लाई गई हैं। परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देयताओं तथा आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताओं से प्रति संतुलित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं, जब आस्थिगत आयकर उसी संस्था पर उसी वित्तीय प्राधिकार से संबंधित हों।

	leg		diuh	
	2020 #-	**2019** #-	**2020** #-	**2019** #-
आस्थागित कर प्रभार	**3,438,605**	3,293,888	**3,438,755**	3,294,038
वर्ष के लिए कुल कर खर्च	**3,438,605**	3,293,888	**3,438,755**	3,294,038
iHkkoh djk/kku dk lek/kku				
कराधान से पूर्व लाभ	**21,562,828**	20,763,928	**21,563,828**	20,764,928
15% की दर से आयकर	**3,234,424**	3,114,589	**3,234,574**	3,114,739

गैर–अनुमत्य व्यय	**69,181**	44,299	**69,181**	44,299
कर दर अंतर	**135,000**	135,000	**135,000**	135,000
	3,438,605	3,293,888	**3,438,755**	3,294,038
आस्थगित कर संपत्तियां	**4,450,008**	4,678,796	**4,449,708**	4,678,646
आस्थगित कर देयताएं	**(40,436,885)**	(37,227,068)	**(40,437,035)**	(37,227,218)
	(35,986,877)	(32,548,272)	**(35,987,327)**	(32,548,572)
vkLFkfxr dj lifÙk;k				
1 अप्रैल को,	**4,678,796**	18,286,270	**4,678,646**	18,286,270
वर्ष के लिए (प्रभार)	**(228,788)**	(13,607,474)	**(228,938)**	(13,607,624)
31 मार्च को,	**4,450,008**	4,678,796	**4,449,708**	4,678,646
vkLFkfxr dj n;rk,				
1 अप्रैल को,	**(37,227,068)**	(47,540,804)	**(37,227,218)**	(47,540,804)
वर्ष के लिए (निर्मोचन)/प्रभार	**(3,209,817)**	10,313,736	**(3,209,817)**	10,313,586
31 मार्च को,	**(40,436,885)**	(37,227,068)	**(40,437,035)**	(37,227,218)

16- iÍk n;rk,

आईएफआरएस 16 'पट्टे' 01 जनवरी 2019 से मुक्त होने वाली लेखांकन अवधि केलिए वित्तीय विवरणों में प्रभावी थे। कंपनी ने इस मानक को संशोधित पूर्व प्रभावी दृष्टिकोण का प्रयोग करके भविष्य प्रभावी ढंग से अपनाया। आईएफआरएस 16 पट्टाधारकों को अल्पावधि तथा कम मूल्य परिसंपत्ति पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार तथा पट्टा देयताओं की पहचान की अपेक्षा रखते हैं। लीज (पट्टा) के मुक्त होने पर पट्टा देयता भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के बराबर होती है तथा परिसंपत्ति के प्रयोग का अधिकार पट्टा देयता के बराबर होता है। मूल्यह्रास सीधी रेखा आधार पर प्रभावित किया जाता है हालांकि ब्याज (वित्त लागत) बकाया पट्टा देयताओं पर प्रमाणित किया जाता है और इसलिए पट्टे की अवधि में घट जाता है। इसके परिणामस्वरूप आय विवरण पर परिचालन के नीचे प्रभाव पट्टे की परिपक्वता पर निर्भर है। पट्टा देयता का विवरण निम्नवत है:

				iÍk n;rk	
o"k	iÍk n;rk	iÍk Hkxrku	foÙk ykxr	pkyw	xj&pkyw
2020	**5,073,480**	**(1,258,509)**	**668,611**	**688,018**	**3,795,564**

17- dy dkjkckj ¼Vulvkoj½

	lEg ,o dEiuh	
(ए) निम्नलिखित वर्ष के लिए राजस्व का विश्लेषण है:	**2020** #-	**2019** #-
सेवाएं दिया जाना	432,602,979	454,340,880
माल की बिक्री	15,724,993	13,786,382
कुल करोबार	**448,327,972**	**468,127,262**

(बी) राजस्व के लिए भिन्न–भिन्न किस्म के उद्देश्य

सहायक सेवाओं से आय	102,471,867	91,780,064
अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ सेवाओं से आय	2,343,750	1,775,188
आय – मोबाइल सेवाएं	227,211,941	240,042,706
आय – ध्वनि (वॉयस) सेवाएं	47,764,495	40,068,153
रोमिंग आय	48,281,134	76,880,071
इंटरनेट प्रभार	4,529,792	3,794,699
माल की बिक्री	15,724,993	13,786,382
	448,327,972	**468,127,262**

(सी) भौगोलिक बाजार मॉरीशस में स्थित हैं

राजस्व पहचान का समय		
निर्धारित समय पर	448,327,972	468,127,262
समय के बाद	-	-
	448,327,972	**468,127,262**

18- ifr 'k;j vtu

प्रति शेयर अर्जन की गणना कराधन के बाद वर्ष की कुल व्यापक आय पर आधारित होती है जो सामान्य शेयर धारकों तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त हुई दो वर्षों की अवधि के दौरान जारी शेयरों की संख्या पर आरोपणीय।

19- ykHkka'k

	lewg	
	2020	**2019**
	#-	#-
1 अप्रैल को देय राशि	5,250,000	6,000,000
भुगतान किया गया लाभांश	(5,250,000)	(6,000,000)
प्रस्तावित तथा भुगतान योग्य लाभांश	5,250,000	5,250,000
31 मार्च को देय राशि	**5,250,000**	**5,250,000**

वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर लाभांश रुपये 0.0078 प्रति शेयर (2019 : रुपये 0.0078) था।

20- ifjpkyu ls ykHk

निम्नलिखित मदों पर प्रभारित करने के बाद परिचालन से लाभः–

कर्मचारी लागत	**19,451,443**	16,955,325
निदेशकों को शुल्क	**15,000**	15,000
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	**72,658,907**	95,970,848
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक	**120,000**	120,000

21- eY;gkl

मूल्यह्रास निम्नानुसार हैं:	fVIi.kh	leg rFkk diuh	
		2020 #-	2019 #-
संपत्ति, संयंत्रा तथा उपस्कर	5(ए)	69,229,939	93,223,016
संपत्ति के प्रयोग का अधिकार	5(बी)	681,136	-
निवेश संपत्ति	5(सी)	2,747,832	2,747,832
		72,658,907	**95,970,848**

22- lcfekr i{k d yu&nu

	leg rFkk diuh	
	2020 #-	2019 #-
कंपनी का संबंधित पक्षों के साथ निम्नलिखित लेन–देन तथा शेष था।		
निदेशकों का शुल्क	**15,000**	**15,000**
प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक एवं अन्य अल्पकालिक लाभ	**4,914,786**	**4,690,934**
धारक कंपनी को देय राशि	-	-
सहायक कंपनी को देय राशि	-	12,000,000

सभी संबंधित पक्ष के लेन–देन वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तों द्वारा निर्धारित हैं।

संबंधित कंपनियों को देय राशि 31 मार्च, 2020 को दो सहायक कंपनियों को अदत्त शेयर पूंजी को निरूपित करती है। यह राशि वित्त वर्ष 2020 में क्षरित की गई।

समूह स्तर पर कोई संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं थे।

23- ifrc)rk,

(ए) बैंक गारंटी

तृतीय पक्षों को दी गई रुपये 14,679,389 की गारंटियों की आकस्मिक देयता का लेखों में प्रावधान नहीं किया गया है। निदेशकों का विचार है कि कोई देयता पैदा नहीं होगी क्योंकि गारंटियों के संबंध में चूक की संभावना बहुत कम है।

(बी) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

संविदागत पूंजीगत व्यय तथा वित्तीय विवरणों में प्रावधान न किए जाने की राशि शून्य है।

24- foÙkh; fy[kr

पूंजी प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन के समय समूह तथा कंपनी के प्राथमिक उद्देश्य समूह तथा कंपनी की इस योग्यता को बनाए रखना है कि यह क्रियाशील संस्था बनी रहे। चूंकि समूह तथा कंपनी एक बृहत्तर समूह का अंग है। अतः समूह तथा कंपनी के अतिरिक्त पूंजी के स्रोत तथा अतिरिक्त पूंजी के वितरण की नीतियां समूह के पूंजी प्रबंधन उद्देश्यों से प्रभावित हो सकती हैं।

समूह तथा कंपनी ''पूंजी'' को इक्विटी के सभी घटकों सहित परिभाषित करते हैं।

जिस समूह तथा कंपनी से कंपनी का संबंध है, उसकी पूंजी प्रबंधन पद्धतियों के संबंध में समूह तथा कंपनी के पूंजीगत ढांचे की नियमित रूप से समीक्षा तथा प्रबंधन किया जाता है। कंपनी को प्रभावित करने वाली आर्थिक परिस्थितियों तथा पूंजी के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं के प्रकाश में पूंजीगत ढांचे में समायोजन किए जाते हैं।

समूह तथा कंपनी के कार्यकलापों में अनेक प्रकार के वित्तीय जोखिम हैं जैसे बाजार जोखिम, (मुद्रा जोखिम, तथा ब्याज दर जोखिम सहित), ऋण (क्रेडिट) जोखिम और चलनिधि जोखिम हैं।

उचित मूल्य

समूह तथा कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताओं में व्यापार तथा अन्य प्राप्य, नकदी तथा नकदी समतुल्य एवं व्यापार एवं अन्य देय शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य

31 मार्च, 2019 को निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं की वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्शाई गई रखाव राशियां उनके उचित मूल्य को दर्शाती हैं अथवा उसके उचित मूल्य के लगभग हैं :

leg	2020		2019	
	j[kko jkf'k #-	mfpr eY; #-	j[kko jkf'k #-	mfpr eY; #-
foÙkh; ifjlifÙk;k				
व्यापार एवं अन्य प्राप्य	**14,127,150**	**14,127,150**	25,872,467	25,872,467
परिशेधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	**154,221,354**	**154,221,354**	115,532,000	115,532,000
अन्य चालू परिसंपत्तियां	**32,332,357**	**32,332,357**	23,211,358	23,211,358
नकदी एवं नकदी समतुल्य	**106,304,305**	**106,304,305**	76,765,445	76,765,445
	306,985,166	**306,985,166**	241,381,270	241,381,270
foÙkh; n;rk,				
व्यापार एवं अन्य देय	**100,168,760**	**100,168,760**	54,605,435	54,605,435

diuh	2020		2019	
	j[kko jkf'k #-	mfpr eY; #-	j[kko jkf'k #-	mfpr eY; #-
foÙkh; ifjlifÙk;k				
व्यापार एवं अन्य प्राप्य	**14,127,150**	**14,127,150**	25,872,467	25,872,467
परिशेधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	**154,221,354**	**154,221,354**	115,532,000	115,532,000
अन्य चालू परिसंपत्तियां	**32,382,757**	**32,382,757**	23,260,758	23,260,758
नकदी एवं नकदी समतुल्य	**106,304,305**	**106,304,305**	76,765,445	76,765,445
	307,035,566	**307,035,566**	241,430,670	241,430,670
foÙkh; n;rk,				
व्यापार एवं अन्य देय	**100,168,760**	**100,168,760**	54,605,435	54,605,435

(ए) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिससे बाजार मूल्य में परिवर्तन आता है जैसे विदेशी मुद्रा दरें, ब्याज दरें तथा इक्विटी मूल्य से समूह तथा कंपनी की आय अथवा इसकी वित्तीय लिखतों की धारिता का मूल्य प्रभावित होगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, प्रतिफल की अभीष्टता के साथ, स्वीकार्य मानकों के अन्दर बाजार जोखिम चुनौतियों का प्रबंधन तथा नियंत्रण करना है।

(i) मुद्रा जोखिम

समूह तथा कंपनी की परिसंपत्तियां और देयतांए विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में हैं। परिणामस्वरूप, मॉरीशस रुपये (एमयूआर) के विदेशी मूद्राओं में विनिमय की दरों के बदलते रहने के कारण समूह तथा कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य पर जोखिम बना रहता है। नीचे दी गई तालिका में सभी आंकड़े मॉरीशियन रुपये (एमयूआर) में दशाएं गए हैं।

leg	2020		2019	
	foÙkh; ifjlaifÙk;k #-	forh; n;rk, #-	foÙkh; ifjlaifÙk;k #-	forh; n;rk, #-
मॉरीशस रुपये (एमयूआर)	**250,441,833**	**42,403,033**	185,775,295	32,493,289
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	**11,220,913**	**54,928,893**	45,660,313	19,407,727
यूरो (ईयूआर)	**45,322,420**	**2,836,834**	9,945,662	2,704,419
	306,985,166	**100,168,760**	241,381,270	54,605,435

lonu'khyrk fo'ys"k.k

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च को अमेरिकी डालर की तुलना में मॉरीशस रुपये में 1 प्रतिशत की मजबूती से लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय नीचे दर्शाई गई राशि के अनुसार बढ़ जाती। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर हैं। यह विश्लेषण 2019 के समान किया गया है।

leg	nj&ekjh'kl #-@;w,lMh 2020	2019	2020 #-	2019 #-
माना कि विनिमय दर में 1% की वृद्धि हुई				
संवेदनशीलता विश्लेषण से पहले	**39.95**	35.32	**(43,707,980)**	26,252,586
1% की वृद्धि	**40.35**	35.67	**44,145,060**	(26,515,112)
अंतर			**437,080**	(262,526)

31 मार्च को अमेरिकी डालर की तुलना में मॉरीशस रुपये में 1 प्रतिशत की कमजोरी से लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय नीचे दर्शाए गए के अनुसार कम हो जाती। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर है। यह विश्लेषण 2019 के समान किया गया है।

leg	2020	2019	2020 #-	2019 #-
माना कि विनिमय दर में 1% की कमी हुई				
संवेदनशीलता विश्लेषण से पहले	**39.95**	35.32	**(43,707,980)**	26,252,586
1% की कमी	**39.55**	34.97	**43,270,900**	(25,990,060)
अंतर			**(437,080)**	262,526

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च को यूरो की तुलना में मॉरीशस रुपये में 1 प्रतिशत की मजबूती से लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय नीचे दर्शाए गए के अनुसार कम हो जाती। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर हैं। यह विश्लेषण 2019 के समान आधार पर किया गया है।

leg	nj&ekjh'kl #-@;jks		2020	2019
	2020	2019	#-	#-
माना कि विनिमय दर में 1% की वृद्धि हुई				
संवेदनशीलता विश्लेषण से पहले	**44.02**	39.66	**42,485,586**	7,241,243
1% की वृद्धि	**44.46**	40.06	**42,910,442**	7,313,655
अंतर			**(424,856)**	(72,412)

31 मार्च को यूरो की तुलना में मॉरीशस रूपये में 1 प्रतिशत की कमजोरी से लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय नीचे दर्शाए गए के अनुसार बढ़ जाती। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर है। यह विश्लेषण 2019 के समान किया गया है।

leg			2020	2019
	2020	2019	Rs	Rs
माना कि विनिमय दर में 1% की कमी हुई				
संवेदनशीलता विश्लेषण से पहले	**44.02**	39.66	**42,485,586**	7,241,243
1% की कमी	**43.58**	39.26	**42,060,730**	7,168,831
अंतर			**424,856**	72,412

diuh	2020		2019	
	foÙkh; ifjlEifÙk;k #-	forh; nk;rk,a #-	foÙkh; ifjlEifÙk;k #-	forh; nk;rk,a #-
मॉरीशस रुपये (एमयूआर)	**250,492,233**	42,403,033	**185,824,695**	32,493,289
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	**11,220,913**	54,928,893	**45,660,313**	19,407,727
यूरो (ईयूआर)	**45,322,420**	2,836,834	**9,945,662**	2,704,419
	307,035,566	100,168,760	**241,430,670**	54,605,435

lonu'khyrk fo'ys"k.k

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च को अमेरिकी डॉलर की तुलना में मॉरीशस रुपये में 1 प्रतिशत की मजबूती से लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय नीचे दर्शाए गए के अनुसार बढ़ जाती। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर हैं। यह विश्लेषण 2018 के समान किया गया है।

dìiuh	nj&eÌkjh'kl #-@;ü,lMh		2020	2019
	2020	2019	#-	#-
माना कि विनिमय दर में 1% की वृद्धि हुई				
संवेदनशीलता विश्लेषण से पहले	**39.95**	35.32	**(43,707,980)**	26,252,586
1% की वृद्धि	**40.35**	35.67	**(44,145,060)**	26,515,112
अंतर			**437,080**	(262,526)

31 मार्च को अमेरिकी डालर की तुलना में मॉरीशस रुपये में 1 प्रतिशत की कमजोरी से लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय नीचे दर्शाए गए के अनुसार कम हो जाती। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर है। यह विश्लेषण 2019 के समान किया गया है।

dìiuh			2020	2019
	2020	2019	Rs	Rs
माना कि विनिमय दर में 1% की कमी हुई				
संवेदनशीलता विश्लेषण से पहले	**39.95**	35.32	**(43,707,980)**	26,252,586
1% की कमी	**39.55**	34.97	**(43,270,900)**	25,990,060
अंतर			**(437,080)**	262,526

विदेशी मुद्रा संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च को यूरो की तुलना में मॉरीशस रुपये में 1 प्रतिशत की मजबूती से लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय नीचे दर्शाए गए के अनुसार कम हो जाती। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर है। यह विश्लेषण 2019 के समान किया गया है।

dìiuh	nj&eÌkjh'kl #-@;üjk		2020	2019
	2020	2019	#-	#-
माना कि विनिमय दर में 1% की वृद्धि हुई				
संवेदनशीलता विश्लेषण से पहले	**44.02**	39.66	**45,322,420**	9,945,662
1% की वृद्धि	**44.46**	40.06	**(45,775,644)**	(10,045,119)
अंतर			**(453,224)**	(99,457)

31 मार्च को यूरो की तुलना में मॉरीशस रुपये में 1 प्रतिशत की कमजोरी से लाभ अथवा हानि और अन्य व्यापक आय नीचे दर्शाए गए के अनुसार बढ़ जाती। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर है। यह विश्लेषण 2019 के लिए समान आधार पर किया गया है।

dìiuh			2020	2019
	2020	2019	#-	#-
माना कि विनिमय दर में 1% की कमी हुई				
संवेदनशीलता विश्लेषण से पहले	**44.02**	39.66	**45,322,420**	9,945,662

1% की कमी	43.58	39.26	**(44,869,196)**	(9,846,205)
अंतर			**453,224**	99,457

(ii) C;kt nj tkf[ke

वित्तीय लिखतें ब्याज दर जोखिम के अधीन बैंक शेष राशियां होती हैं। बैंक शेष राशियों पर लागू ब्याज दरें मूल उधार दर में उतार–चढ़ाव के साथ कम–ज्यादा होती हैं तथा बाजार में वर्तमान दरों से तुलना योग्य होती हैं। समूह तथा कंपनी की परिवर्ती ब्याज दर लिखतें निम्नानुसार विश्लेषित की जाती हैं:

	leg rFkk daiuh	
	2020	**2019**
	#-	#-
cid 'k"k	**106,304,305**	**76,765,445**

ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण रिपोर्ट की तारीख पर ब्याज वाली परिसंपत्तियों तथा देयताओं के लिए ब्याज दरों की ओर समूह तथा कंपनी की उन्मुखता (एक्सपोजर) तथा वित्त वर्ष के प्रारंभ में होने वाले निर्धारित परिवर्तन तथा चल दरों वाली लिखतों के मामले में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निरंतर धारित आधार पर निश्चय किया गया है।

यदि ब्याज दरें 50 आधार बिन्दु (बेसिस प्वाइंट) अधिक होतीं तथा अन्य सभी परिवर्ती कारक स्थिर रहते तो 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समहू तथा कंपनी का निवल लाभ 18,125 रुपये (2019: रु. 15,080 रुपये) तक बढ़ गया होता है।

यदि ब्याज दरें 50 आधार बिन्दु कम होतीं तो इस आधार पर कि अन्य सभी कारक यथावत हैं, इस का समान किन्तु विपरीत प्रभाव होता।

(iii) कीमत जोखिम

कंपनी के समक्ष कोई कीमत जोखिम नहीं है।

(बी) ऋण (क्रेडिट) जोखिम

कंपनी के पास ऋण जोखिम का कोई महत्वपूर्ण संकेन्द्रण नहीं है।

(सी) चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जब कंपनी अपने वित्तीय देयताओं से जुड़ी भुगतान की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हो, जब वे देय हों।

विवेकपूर्ण चलनिधि जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य है पर्याप्त नकदी बनाए रखना। इसके अतिरिक्त अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए कंपनी की अपनी धारक कंपनी तक पहुंच है।

(डी) उचित मूल्य आकलन

एक वर्ष से कम अवधि की परिपक्वता वाली वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं के रखाव मूल्य को लगभग उनके उचित मूल्य पर लिया गया है।

25- foÙkh; lkjka'k

	2020 #-	2019 #-	2018 #-	2017 #-	2016 #-
निर्गत और पूर्णतः प्रदत्त शेयर पूंजी	**673,717,949**	**673,717,949**	**673,717,949**	**673,717,949**	**673,717,949**
राजस्व आरक्षित निधि/(संचित हानियां)	**49,099,549**	**37,988,148**	**25,767,258**	**11,906,696**	**3,871,689**
कराधान से पूर्व लाभ	**21,563,828**	**20,764,928**	**23,654,833**	**25,884,489**	**26,642,541**
कराधान के बाद लाभ	**18,125,073**	**17,470,890**	**19,860,562**	**21,535,007**	**21,278,244**

26- /kkjd daiuh

निदेशक भारत, नई दिल्ली में निगमित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को एमटीएनएल की धारक कंपनी मानते हैं। एमटीएनएल के पास 100% शेयरों का स्वामित्व है।

27- fjiksVZ vof/kd ds ckn dh ?kVuk,

रिपोर्टिंग अवधि के बाद कोई घटना नहीं है जिसका 31 मार्च, 2020 के वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

28- fcØh dh ykxr

	leg		dEiuh	
	2020 #-	2019 #-	2020 #-	2019 #-
रोमिंग शुल्क	**4,381,749**	6,434,434	**4,381,749**	6,434,434
आईसीटीए विशेष लेखा शुल्क/सर्वव्यापी (यूनिवर्सल) सेवा फंड प्रभार	**10,399,268**	16,522,616	**10,399,268**	16,522,616
कैरियर प्रभार	**16,183,737**	25,960,833	**16,183,737**	25,960,833
आईपीएलसी प्रभार	**32,998,268**	25,702,485	**32,998,268**	25,702,485
जीएसएम मोबाइल की लागत	**13,068,480**	10,086,835	**13,068,480**	10,086,835
आईयूसी शुल्क	**40,981,068**	43,745,363	**40,981,068**	43,745,363
स्टॉक समायोजन	**(49,229)**	(45,319)	**(49,229)**	(45,319)
	11,79,63,341	**12,84,07,247**	**11,79,63,341**	**12,84,07,247**

29- dkfeZd [kpZ

	117,963,341	128,407,247	**117,963,341**	128,407,247
वेतन एवं भत्ते	**19,056,128**	16,324,312	**19,056,128**	16,324,312
अन्य हितलाभ	**395,315**	631,013	**395,315**	631,013
	19,451,443	16,955,325	**19,451,443**	16,955,325

30- ykblsal 'kqYd

पीएलएमएन	**8,000,004**	8,668,671	**8,000,004**	8,668,671
आईएलडी	**1,999,992**	2,168,659	**1,999,992**	2,168,659
माइक्रोवेयर	**8,036,333**	9,825,258	**8,036,333**	9,825,258
स्पैक्ट्रम	**4,874,051**	4,359,953	**4,874,051**	4,359,953
आईएसपी	**50,000**	50,000	**50,000**	50,000
विक्रेता संबंध (डीलरशिप)	**5,000**	5,500	**5,000**	5,500
जीएसएम 2 जी स्पैक्ट्रम	**1,533,336**	1,999,992	**1,533,336**	1,999,992
जीएसएम 3जी	**3,840,000**	3,840,000	**3,840,000**	3,840,000
जीएसएम 4जी	**17,160,000**	10,785,000	**17,160,000**	10,785,000
	45,498,716	41,703,033	**45,498,716**	41,703,033

31- ifj'kklfud [kpZ

	2020 #-	2019 #-	2020 #-	2019 #-
बैठक खर्चे	**461,208**	295,325	**461,208**	295,325
एबिनी का किराया	**-**	375,141	**-**	375,141
आवास का किराया	**708,420**	654,601	**708,420**	654,601
बीटीएस स्थलों का किराया	**31,224,254**	30,164,883	**31,224,254**	30,164,883
बिजली	**50,652,770**	44,614,315	**50,652,770**	44,614,315
पानी प्रभार	**368,067**	263,683	**368,067**	263,683

वाहन प्रचालन प्रभार	**801,016**	802,403	**801,016**	802,403
मरम्मत एवं अनुरक्षण–कार्यालय	**1,545,435**	1,685,174	**1,545,435**	1,685,174
मरम्मत एवं अनुरक्षण–दुकान	**816,914**	484,296	**816,914**	484,296
मरम्मत एवं अनुरक्षण–उपस्कर	**30,533,562**	24,734,528	**30,533,562**	24,734,528
मरम्मत और अनुरक्षण	**1,138,318**	669,981	**1,138,318**	669,981
स्थलों (साइट) का अनुरक्षण	**3,684,940**	1,875,211	**3,684,940**	1,875,211
छपाई	**654,611**	371,876	**654,611**	371,876
स्टेशनरी	**367,028**	339,612	**367,028**	339,612
संचार खर्चे	**1,618,463**	1,562,696	**1,618,463**	1,562,696
बैंक शुल्क	**878,630**	964,884	**878,630**	964,884
बीज परिसंपत्तियां की वित्त लागत	**668,611**	-	**668,611**	-
पुस्तकालय की पुस्तकें	**19,680**	19,215	**19,680**	19,215
उद्यान खर्च	**112,570**	117,600	**112,570**	117,600
व्यावसायिक प्रभार	**345,783**	547,044	**345,783**	547,044
सामान्य खर्चे	**921,988**	668,795	**921,988**	668,795
मूल्यवर्धित सेवा–राजस्व भागिता	**4,569,173**	5,291,735	**4,569,173**	5,291,735
कमीशन/आढ़त शुल्क	**29,275,645**	30,984,985	**29,275,645**	30,984,985
कार्यालय बीमा	**798,643**	778,485	**798,643**	778,485
सुरक्षा प्रभार	**634,232**	582,575	**634,232**	582,575
लाइसेंस, दरें एवं कर	**4,535,666**	3,509,202	**4,534,666**	3,508,202
अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	**900,000**	900,000	**900,000**	900,000
पट्टे का किराया	**168,000**	168,000	**168,000**	168,000
मालभाड़ा प्रभार	**157,737**	62,990	**157,737**	62,990
प्रतिलेखन (राइट बैक) के लिए प्रावधान	**(7,710,725)**	(85,003,313)	**(7,710,725)**	(85,003,313)
हटाई गई (स्क्रैप) परिसंपत्तियां पर हानि	**-**	76,618,950	**-**	76,618,950
निदेशकों की फीस	**15,000**	15,000	**15,000**	15,000
यात्रा खर्चे	**1,485,380**	1,609,564	**1,485,380**	1,609,564
सीमा शुल्क एवं क्लियरेंस	**159,687**	199,871	**159,687**	199,871
	162,510,706	**146,929,307**	**162,509,706**	**146,928,307**
32- foi.ku [kp				
दुकानों के लिए बिजली	**671,746**	545,825	**671,746**	545,825
क्लब सदस्यता	**12,400**	20,000	**12,400**	20,000
दुकानों का किराया	**2,197,754**	2,663,224	**2,197,754**	2,663,224
कॉल सेंटर प्रभार	**5,001,815**	4,081,950	**5,001,815**	4,081,950
प्रचार और विज्ञापन	**12,865,289**	18,139,707	**12,865,289**	18,139,707
वेबसाइट का विकास और अनुरक्षण	**64,980**	73,830	**64,980**	73,830
	20,813,984	25,524,536	**20,813,984**	25,524,536

egkuxj VyhQku ¼ekjh'kl½ fyfeVM
vk;dj x.kuk
vkdyu o"k 2020

			2020 #-
कर पूर्व लाभ			21,563,828
वापस जोड़ाः	मूल्यह्रास		71,977,771
	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान		900,000
	हटाई गई (स्क्रैप) परिसंपत्तियों पर हानि		-
	बैठक खर्च		461,208
			94,902,807
घटायाः पूंजी भत्ते			
वार्षिक भत्तेः			
	कम्प्यूटर उपस्कर	(168,656)	
	भवन	(5,314,958)	
	फर्नीचर, फिक्सर तथा फिटंग	(673,976)	
	कार्यालयस उपस्कर	(103,353)	
	मोटर वाहन	(488,252)	
	संयंत्र तथा उपस्कर	(86,627,353)	
			(93,376,550)
कर समायोजित लाभ			1,526,256
आगे लाई गई हानि			(31,190,983)
vkx c<kbl xbl gkfu		-	**(29,664,727)**

fuxfer lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½

कर पूर्व लाभ – 31 मार्च 2019	
घटाया आय कर देयता – 31 मार्च 2019	-
cgh ykHk	-

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व योगदान – 2%	
घटाया प्राप्त किराया पर स्रोत–कर कटौति (टीडीएस)	
निवल निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व देय	-

महानगर टेलीफोन (मॉरीशस) लिमिटेड

i`th HkÙk ¼vykml½ x.kuk

आकलन वर्ष 2020

	Quhpkj						
	Hkou	dEI;Vj	fQDlj	dk;ky;	ekVj	l;= rFkk	
		miLdj #-	,o fQfVx #-	miLdj #-	okgu #-	miLdj #-	dy #-
vk/kkj ykxr							
1 अप्रैल 2019 को	137010859	1,647,813	12,411,132	1,456,665	6,354,411	1,190,870,322	1,349,751,202
							-
परिवर्धन		95,145	27,300	166,251	-	68,353,965	68,642,661
							-
निपटान		-	-	-	(542,233)	-	(542,233)
31 मार्च 2020 को	137,010,859	1,742,958	12,438,432	1,622,916	5,812,178	1,259,224,287	1,417,851,630
vofyf[kr eY;							
	106299167	242,167	3,233,379	129,043	1,953,008	179,152,759	291,009,523
निपटान					(27,112)		(27,112)
परिवर्धन	0	95,145	27,300	166,251	-	68,353,965	68,642,661
	106,299,167	337,312	3,260,679	295,294	1,925,896	247,506,724	359,625,072
वार्षिक भत्ता	(5,314,958)	(168,656)	(673,976)	(103,353)	(488,252)	(86,627,353)	(93,376,550)
	100,984,209	**168,655**	**2,586,703**	**191,941**	**1,437,644**	**160,879,370**	**266,248,522**
वार्षिक भत्ते	**5%**	**50%**	**20%**	**35%**	**25%**	**35%**	
30,000 से कम			27,300	-		-	27,300
30,000 से अधिक	-	47,573	-	58,188	-	23,923,888	24,029,648
अन्य परिसंपत्तियां	5,314,958	121,084	646,676	45,165	488,252	62,703,466	69,319,601
	5,314,958	168,656	673,976	103,353	488,252	86,627,353	93,376,549

टिप्पणियाँ

एमटीएनएल

पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय

महानगर दूरसंचार सदन,

5वीं मंजिल, 9 सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली – 110 003

फोन : +91-11-24319020, फैक्स : +91-11-24324243

MTNL 3G JADOO

dolphin

MTNL Total Telecom Service Provider

Tri Band

Trump Prepaid Mobile Card

Design and Printed by Royal Press # 93101 32888